# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 5] ग्यारहवीं विधान सभा के पांचवें सत्र का आठवां दिवस [संख्या : 6

## सोमवार,
## 6 नवम्बर, 2000

### राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन जयपुर में प्रारम्भ हुई

**(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)**

## तारांकित प्रश्नोत्तर

**श्री अध्यक्ष** : श्री रिछपाल सिंह मिर्धा।

### डेगाना (नागौर) हेतु निगम बस सेवा

125. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना)** : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा डेगाना (नागौर) से कितनी बसों का संचालन प्रति दिन कहां-कहां के लिये किया जा रहा है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि डेगाना पंचायत समिति मुख्यालय, रेलवे जंक्शन, तहसील मुख्यालय 20,000 से अधिक की आबादी का कस्बा है ? यदि हां, तो फिर परिवहन निगम की पूर्ण बस सेवा से अब तक इसे वंचित क्यों रखा जा रहा है ? क्या सरकार इसे पूर्ण रूप से नियमित बस सेवा से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

**यातायात मंत्री (श्री छोगाराम बाकोलिया)** : (1) परिवहन निगम द्वारा डेगाना (नागौर) के लिए प्रति दिन 6 एकल बस सेवाओं का संचालन किया जा रहा है जिनका मार्गवार विवरण निम्नानुसार है :

| | | |
|---|---|---|
| 1. | नागौर-अजमेर वाया डेगाना | 4 |
| 2. | नागौर-डेगाना | 2 |

(2) जी हां। डेगाना (नागौर) अराष्ट्रीयकृत मार्ग पर स्थित है ऐसी स्थिति में डेगाना हेतु पूर्णरूपेण राजस्थान परिवहन निगम द्वारा बस सेवाओं का संचालन किया जाना सम्भव नहीं है।

**श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड-1 में आपने बताया कि नागौर से डेगाना एकल बस चलाई जाती है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि क्या जब से आपने यह बस शुरू की, नियमित रूप से

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

आज तक चलती आ रही है ? बीच में इसको बंद किया गया तो किन कारणों से किया गया, यहा आप बताने का कष्ट करें। नम्बर दो, क्या यह भी सही है कि अजमेर–डेगाना रूट पर दो सौ से अधिक प्राइवेट बसों का संचालन किया जाता है ? क्या आप अजमेर–डेगाना के लिए रोडवेज की बस लगाने का इरादा रखते हैं, उसको बढ़ाने का विचार रखते हैं ? यदि हां, तो कब तक ? और नहीं रखते हैं तो क्यों ?

**श्री छोगाराम बाकोलिया** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न का जो आशय है। मैं उसके अनुरूप निवेदन करना चाहूंगा कि एक–दो अनुज्ञा–पत्र के लिए रोडवेज ने मांग कर रखी हैं उसके आने पर जो आप एडिशनल मांग कर रहे हैं उसके अनुसार कर दी जाएगी और जल्दी से जल्दी अजमेर से डेगाना के लिए रोडवेज की बस चला दी जाएगी। इसके अलावा जैसा कि आपने फरमाया है कि दो सौ के करीब प्राइवेट बसें चलती हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूं प्राइवेट बसें अभी केवल नागौर–अजमेर रूट पर 15 चल रही हैं और नागौर से डेगाना 11 बसें चल रही हैं। इसके अलावा आपने कहा कि बीस हजार के करीब वहां की जनसंख्या है तो उसके लिए लोड फैक्टर अभी हमारा 45 आ रहा है। आपको मालूम है कि डेगाना रेलवे स्टेशन है, जंक्शन है और वहां पर 14 रेलें आती जाती हैं, उसके कारण से लोड फैक्टर कम आता है और वहां जितने भी यात्री हैं उनको पूरी सुविधा मिल रही है। फिर भी माननीय सदस्य का जो मन है कि वहां पर रोडवेज बसें चलाई जाएं, उसके अनुरूप कार्यवाही की जाएगी। पर होता यह है कि प्राइवेट बस वाले आब्जेक्शन करते हैं। फिर भी आप माननीय सदस्य और मांग करेंगे तो उसके ऊपर विचार कर कार्यवाही की जाएगी।

**श्री अध्यक्ष** : नैक्स्ट क्वेश्चन।

**श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** : अध्यक्ष महोदय, हम रोज देखते हैं कि बीस हजार से ऊपर यात्री वहां आवागमन करते हैं रोज, इसलिए बसें बढ़ाना आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से एक और निवेदन करना चाहूंगा, क्या परिवहन निगम के लिए नागौर में प्रशासन द्वारा बस स्टैण्ड बनाने के लिए कोई जमीन आबंटित की गई ? की गई थी तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? क्या आप डेगाना को रोडवेज बस सेवा से जोड़ने के लिए कोई उपाय करने जा रहे हैं ? अगर जा रहे हैं तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

**श्री छोगाराम बाकोलिया** : अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे सहमत हूं, अगर ये अपनी तरफ से मांग करेंगे तो मैं उस पर विचार कर अनुज्ञा–पत्र प्राप्त करवाकर शीघ्र सुविधाएं दे सकता हूं। इसके अलावा दूसरा प्रश्न इस प्रश्न की परिधि में नहीं आता इसलिए मैं उसका उत्तर देना वाजिब नहीं समझता।

**श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान में रोडवेज के जो रूट हैं, क्या कभी आपने डिपोवाइज उनका सर्वे करवाया कि कहां पर बसें अधिक चल रही हैं, यात्री कम आ रहे हैं और कहां पर यात्री अधिक हैं और बसें कम चल रही हैं ? यदि करवाया है तो क्या आप इस सारी व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने का विचार रखते हैं ?

**श्री छोगाराम बाकोलिया** : यह अलग से प्रश्न है, माननीय सदस्य ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो मैं उसका जवाब देने में असमर्थ हूं।

**श्री हीरासिंह चौहान** : यह अलग से कैसे है ? यह जनरल प्रश्न है इसको आप अलग से कह कर टाल रह हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या आपने कोई सर्वे करवाया है कि कहां यात्री कम है और बसें अधिक चल रही हैं और कहां यात्री अधिक हैं और बसें कम चल रही हैं ? इसकी जांच करना, कोई प्राइवेट मामला नहीं है यह तो।

**श्री मोहन लाल मोदी** (नीमकाथाना) : मूल प्रश्न डेगांना का है। प्रश्न डेगाना का है, और प्रश्न नहीं है। यह संबंधित नहीं है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : बैठिये। श्री रामस्वरूप मीणा। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके लिए तो आपने संतुष्ट कर दिया और इन्होंने जो भी चाहा वही दे दिया। मेरा भी विनम्र निवेदन है कि करौली नया जिला बना है, उसको हमारे तहसील हैडक्वार्टर से जोड़ने के लिए भी आपने कोई अलग से बसों की व्यवस्था की है ?

**श्री अध्यक्ष** : यह अलग से प्रश्न है। इस प्रश्न की परिधि में नहीं आता।

**श्री रामस्वरूप** : लोग बड़े भारी दुःखी हो रहे हैं हमारे क्षेत्र में। टोडाभीम से कोई भी नई बस अभी वहां नहीं लगाई गयी है और न ही नादौती से। दोनों जगह से बसों का अभाव है। (व्यवधान) मेरा विनम्र निवेदन है कि कम से कम आप जिला हैडक्वार्टर को तो जोड़ने की मेहरबानी करें। (व्यवधान)

**श्री हीरासिंह चौहान** : यह जनरल क्वेश्चन को इन्होंने अलग से सवाल कैसे मान लिया ?

**श्री अध्यक्ष** : अलग से है।

**श्री हीरासिंह चौहान** : मैंने तो केवल व्यवस्था को सुचारू करने के लिए पूछा था। मैं कोई स्पेसिफिक प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं, कोई पाली का नहीं पूछ रहा हूं, जोधपुर का नहीं पूछ रहा हूं। I asked the general question. आप व्यवस्थित करना चाहेंगे क्या, यह सवाल जनरल है।

**श्री अध्यक्ष** : यह जो जरनल क्वेश्चन है, आप...(व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : तारीख पेशियों पर भी लोग जाते हैं तो उनके लिए सुबह ही एक बस चाहिए जो दस बजे वहां उनको पहुंचा दे।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न डेगाना के संबंध में है।

**श्री रामस्वरूप** : जिला हैडक्वार्टर है, लोगों को बड़ी परेशानी आती है। अभी हमारे नया जिला बना है, अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक्स्ट्रा बस जल्दी से तहसील हैडक्वार्टर से लगाएं। (व्यवधान)

**श्री नाथूराम (किशनगढ़)** : अध्यक्ष महोदय, डेगाना–किशनगढ़ सड़क पर जो बसें चलती हैं, वहां प्राइवेट बसें चल रही हैं, सरकारी बसें नहीं हैं।

**श्री अध्यक्ष** : श्री हरजीराम बुरड़क।

**श्री हीरासिंह चौहान** : मैं चेयर से परमीशन चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात का रिप्लाई दिलाया जाए। (व्यवधान)

**श्री केसाराम चौधरी (खारची)** : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी ने जो जवाब दिया उसके संदर्भ में कहना चाहता हूं...(व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : टोडमीम और नादौती से जो बसें पहले लगीं वे आपने अभी बंद की हैं ? मेहरबानी करके और बसें आप जल्दी कब चालू कर रहे हैं, निवेदन है।

**श्री केसाराम चौधरी** : मारवाड़ जंक्शन में प्राइवेट बसें चलती हैं और आप कहते हैं कि प्राइवेट बस वाले एतराज करते हैं। तो जहां रोडवेज की बसें चलती हैं, मारवाड़ जंक्शन में प्राइवेट बसें हैं उनको...

**श्री अध्यक्ष** : श्री केसारामजी, बैठिये कह दिया। आपका प्रश्न अलग से प्रश्न है।

**श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)** : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि डेगाना पंचायत समिति हैडक्वार्टर है, तहसील हैडक्वार्टर है ...(व्यवधान)

**श्री केसाराम चौधरी** : ये चलाते ही नहीं, साहब। मारवाड़ जंक्शन में बसें ही नहीं चला रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष** : यह प्रश्न की परिधि में नहीं आता है।

**श्री हरजीराम बुरड़क** : इसलिए डेगाना–नागौर रूट पर और बसें लगाने का इरादा है क्या ?

**श्री केसाराम चौधरी** : माननीय मंत्री महोदय, जवाब दे रहे हैं, सर।

**श्री नाथूराम** : अध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ और डेगाना के लिए प्राइवेट बसें चलती हैं दिन भर...(व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, आप सुनें। आप मेहरबानी करके जवाब तो सुन लो। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : नाथूरामजी, बैठिये। बैठिये आप।

**श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी)** : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न केवल डेगाना का नहीं है, पूरे प्रदेश की यही स्थिति है...(व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं द्रुतगामी।

**श्री बाबूलाल सिंगारिया** : यह पूरे प्रदेश का मसला है। ऐसे कई विधान सभा क्षेत्र हैं

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

जहां पर बसें नहीं चल रही हैं। मेरे क्षेत्र खंडार में बसें नहीं चल रही है। ऐसे क्षेत्रों का सर्वे करके आप इस तरह का आश्वासन दें सभी लोगों को।

**श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है कि आप जो रोडवेज बसें चलाते हैं वे नेशनलाइज्ड रूट पर चलाते हैं या...(व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : मंत्रीजी जवाब दे रहे है, मेहरबानी करके आप विराजें।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न डेगाना से संबंधित है। नैक्स्ट क्वेशन।

**श्री बाबूलाल सिंगारिया** : नागौर नहीं सारे प्रदेश का मामला है। ऐसे विधान सभा क्षेत्र हैं...

**श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : यह तो इससे संबंधित है कि आप जो रोडवेज बसें चलाते हैं वे नेशनलाइज्ड रूट पर ही चलाते हैं या जो नेशनलाइज्ड रूट नहीं हैं वहां भी चलाते हैं ?

**श्री अध्यक्ष** : नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री गोवर्द्धन कल्ला।

**श्री बाबूलाल सिंगारिया** : माननीय मंत्रीजी, आप तो आश्वस्त करे दें कि जो विधान सभा क्षेत्र नहीं जुड़े हैं उनको रोडवेज सेवाओं से जोड़ दिया जाएगा।

**श्री छोगाराम बाकोलिया** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य् ने प्रश्न उठाकर डेगाना के लिए और सेवाओं के लिए मांग की है...

**श्री अध्यक्ष** : नैक्स्ट क्वेश्चन।

**श्रीमती शांति पहाड़िया** (वैर) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से आपके माध्यम से यह पूछना चाहती हूं कि हमारे यहां सिरस में एक बहुत बड़ा जैन मंदिर है, वहां पर से दिल्ली तक बस चालएंगे क्या ?

**श्री अध्यक्ष** : यह अलग से प्रश्न है, डेगाना से कोई संबंध नहीं है इसका।

**एक माननीय सदस्य** : माननीय मंत्री महोदय, रोडवेज को घाटा पहुंचा रहे हैं... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : श्री गोवर्द्धन कल्ला।

**श्री रामस्वरूप** : रोडवेज ने बहुत अच्छी बसें चलायी हैं, बहुत धन्यवाद। लेकिन हमारे यहां टोडाभीम में भी लगाओ। बहुत अच्छी बसें चलायी हैं आपने।

**श्री अध्यक्ष** : रामस्वरूपजी, यह अलग से प्रश्न है।

**श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, पूरा राजस्थान रोडवेज घाटे में है...

**श्री अध्यक्ष** : आपका अलग से प्रश्न है। डेगाना से संबंधित नहीं है। नहीं, सुरेन्द्रजी।

**श्री सुरेन्द्र गोयल** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि आप परिवहन निगम में करोड़ों रुपयों का घाटा है...

**श्री अध्यक्ष** : आप बैठिये। आर्डर प्लीज। आपका अलग से प्रश्न है।

**श्री सुरेन्द्र गोयल** : अलग से नहीं है।

## जिला जैसलमेर की सेवण घास की फोडर बैंक योजना

126. **श्री गोवर्द्धन कल्ला** (जैसलमेर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले में 6 हजार हैक्टेयर भूमि चरागाह विकास हेतु आरक्षित कर तारबंदी की हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त चरागाह से सेवण घास की फोडर बैंक की योजना थी ?

(3) क्या यह सही है कि अव्यवस्था के कारणा फोडर बैंक की योजना, समाप्त कर दी गई है ?

(4) क्या यह भी सही है कि फोडर बैंक न होने से गत वर्ष अन्य जिलों से घास मंगाने पर सरकार को सब्सिडी देने में राशि व्यय करनी पड़ी ?

(5) क्या सरकार फोडर बैंक की योजना पुनः चालू करने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो, क्यों ?

**राज्य मंत्री, वन** (श्री परसादी लाल) : (1) जैसलमेर जिले में वर्ष 1982–83 से 1994–95 के मध्य मरूस्थल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 10816 हैक्टेयर क्षेत्र को तारबंदी कर चारागाह विकास कार्य करवाये गये हैं।

(2) जी, नहीं। फोडर बैंक नाम की कोई योजना स्वीकृत नहीं थी। राज्य सरकार के स्तर से पूर्व में ग्राम एकत्रीकरण के निर्णय लिये जाने की अवस्था में विभाग द्वारा घास का एकत्रीकरण किया गया था। वर्ष 1976–77 से 1986–87 की अवधि एवं वर्ष 1996–97 में क्रमशः 1,40,830.61 क्विंटल एवं 5,257.78 क्विंटल घास एकत्रित की गई है।

(3) फोडर बैंक नाम की योजना स्वीकृत नहीं थी। अतः उसको समाप्त करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(4) वन विभाग द्वारा जैसलमेर जिले में अन्य जिलों से घास मंगाने हेतु कोई सब्सिडी नहीं दी गई है।

(5) सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार फोडर बैंक की योजना प्रारम्भ करने पर विचार किया जा सकता है।

**श्री गोवर्द्धन कल्ला** : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के सभी खंडों का जो उत्तर है वह ठीक नहीं है। पहले खंड में 11 हजार हैक्टेयर जमीन की किस हेतु तारबंदी की गई ? यह सरकारी चारा विकास कार्य करवाने के लिए की गई थी। 11 हजार हैक्टेयर जमीन का मूल्य 11 करोड़ रुपये होता है, तो वह क्यों किया गया ? इन्होंने कहा कि फोडर बैंक की योजना स्वीकृत नहीं थी तो किसलिये सैंक्शन की गई 11 हजार हैक्टेयर जमीन ? क्यों कर्मचारी

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

रखे गये ? आज तक वे कर्मचारी काम कर रहे हैं वहां पर।

खंड–2 में इन्होंने कहा है कि डेढ़ लाख क्विंटल सेवण घास काटी गई तो क्यों काटी गई थी ? इनका फोडर बैंक शब्द से यदि विरोध है तो चरागाह विकास कार्य में ये क्या करना चाहते थे, वह बताए। खंड–4 में मैंने पूछा है सब्सिडी देने में राशि व्यय करनी पड़ी तो इन्होंने लिखा है कि वन विभाग द्वारा जैसलमेर जिले में अन्य जिलों से घास मंगाने मे सब्सिडी नहीं दी गई। मैं पूछता हूं कि सरकार ने सब्सिडी दी ? खंड–5 का उत्तर है कि आवश्यकतानुसार फोडर बैंक की योजना पर विचार किया जा सकता है। मान्यवर, अभी दो करोड़ की योजना स्वीकृत हुई है गोल्डन ग्राम के नाम से 60 लाख रुपये जैसलमेर पहुंच चुके हैं, वह क्या योजना है ? फोडर बैंक की योजना है या गोल्डन ग्राम की योजना है। ये कहते हैं कि कोई ऐसी योजना थी नहीं। 1976 से घास काटी जा रही है। फोडर बैंक की योजना थी, हर तीसरे वर्ष उस घास को डिस्पोज आफ करने की योजना थी और ये कहते हैं कि फोडर बैंक की योजना नहीं थी। ये सारे जो उत्तर मुझे मिले हैं मैं इनसे संतुष्ट नहीं हूं। कृपया संतुष्टि दिलावें।

**श्री परसादी लाल** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की भावना भी वही है जो सरकार की भावना है। आप फोडर बैंक की बात कर रहे हैं, इस योजना का जो उद्देश्य है वह यह है कि तारबंदी करके घास को पशुओं से बचाकर, उस घास को कटवाकर इकट्ठा करके जहां आवश्यकता हो अन्य जिलों में वहां पर किसानों को बिना लाभ–हानि के बेचा जाता है। अन्य जिलों में आवश्यकता होती है तो जैसलमेर से सेवण घास वहां पर बिना लाभ–हानि के सरकार के निर्देशों के अनुरूप दी जाती है। फोडर बैंक नाम की कोई योजना उस समय स्वीकृत नहीं थी। इस योजना का उद्देश्य है कि मरुस्थली विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जो भूमि ली है उसको घास पैदा करके घास को कटवाकर वहां एकट्ठा करके उसको अन्य जिलों में मांग के अनुसार आवश्यकतानुसार बाहर भेजा जाता है। आपकी जो यह बात है कि सब्सिडी नहीं दी, अभी जो मेरे पास विभाग की सूचना है उसके अनुसार अब तक इस तरह की सरकार द्वारा कोई भी सब्सिडी वन विभाग को नहीं दी गई।

**श्री गोवर्द्धन कल्ला** : मान्यवर, जब आप कह रहे हैं कि घास कटवाकर अन्य जिलों में भेजने की बात थी तो बैंक किसे कहते हैं ? बैंक की परिभाषा क्या है ? डिपोजिट्स लेकर आवश्यकतानुसार लोगों को देना, बैंक उसे कहते हैं। ये कहते हैं कि बैंक की योजना नहीं थी। आप अपना रिकार्ड देखें, बैंक की योजना थी। तभी दो करोड़ रुपये की मैं कह रहा हूं, गोल्डन ग्राम नाम योजना स्वीकृत हुई जिसमें 60 लाख रुपये जैसलमेर पहुंच चुके हैं। इतनी बड़ी योजना हैं,

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

15 करोड़ का वन विभाग का बजट है जैसलमेर में। वहां मान लो आपने फैंसिंग की, तो क्या आपने चराई ली पशुओं से ? अन्य ऐसी संस्थाएं काम कर रही हैं काजरी बगैरह, वे प्रति पशु एक रुपया चराई ले रही हैं प्रति दिन के हिसाब से। आपने आज तक कितने रुपये वसूल किये ? यह सारा का सारा व्यर्थ आज तक आपने गंवाया। 11 हजार हैक्टेयर जमीन को आप फेन्स करके वहां बैठे हुए हैं, उसके साथ में वन विभाग के नाम से उससे दुगुनी जमीन आप लेकर बैठे हुए हैं और 15 करोड़ रुपये वार्षिक का व्यय कर रहे हैं वन विभाग से। अध्यक्ष महोदय, आपके पास एक दिन की भी घास आज की तारीख में है नहीं और काजरी के पास भी घास खड़ी है, वे काट कर दे सकते हैं। आप कहते हैं यह योजना बैंक की योजना नहीं है तो चारागाह विकास की क्या योजना है, वह आप बता दें।

**श्री परसादी लाल** : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने जवाब में ही स्पष्ट किया कि घास एकत्रीकरण की योजना है।

**श्री गोवर्द्धन कल्ला** : आप चारागाह विकास योजना बता दें, क्या योजना है ?

**श्री परसादी लाल** : जो घास किसानों को बिना लाभ–हानि के वन विभाग के द्वारा दी जाती है। इसमें कोई बैंक जैसा शब्द अब तक सामने नहीं आया है। यदि माननीय सदस्य की ऐसी मंशा है और इससे किसानों को ज्यादा फायदा हो सकता है, फोडर बैंक की अगर आवश्यकता महसूस करते हैं तो इस पर भी सरकार विचार करेगी। आपने जो सुझाव दिये है उन पर हम विभाग को निर्देश दे रहे हैं। आपसे बात करके आपके जो भी सुझाव हैं, निश्चित रूप से उन पर विचार किया जाएगा।

**श्री गोवर्द्धन कल्ला** : गोल्डन ग्राम की दो करोड़ की योजना अभी आयी है उस पर आपका क्या विचार है ? उसमें क्या करेंगे ? घास पैदा करके काटेंगे या रखेंगे, क्या करेंगे, यह बता दें ?

**श्री परसादी लाल** : अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष अकाल की भयंकर स्थिति थी, सरकार के निर्देशों के अनुरूप वहां के किसानों की डिमाण्ड पर बाड़मेर वगैरह की जो गायें थीं उनको वहां पर इस वर्ष चराने की अनुमति दी गई है। इसलिए इस वर्ष तो हमने कोई भी घास एकत्रित नहीं की है वहां पर अगर हम वहां अनुमति नहीं देते तो बहुत सारा पशुधन राजस्थान का नष्ट हो जाता इसलिए इस वर्ष कोई किसी तरह की घास हमने एकत्रित नहीं की।

**श्री गोवर्द्धन कल्ला** : इस वर्ष तो घास हुई नहीं है, इस वर्ष क्या देंगे ? इस वर्ष एक बूंद पानी नहीं बरसा है, घास नहीं हुई।

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा है कि हमने बिना मुनाफा–नुकसान घास बेची है मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता

(श्री मानिक चन्द सुराना)

हूं कि आपके पास जो रिकार्ड है उसके अनुसार आपने कितने रुपये क्विंटल घास भेजा है ? इस संबंध में कुछ जानकारी सदन में दें।

**श्री परसादी लाल** : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही स्पष्ट किया माननीय सदस्य को कि बिना लाभ–हानि के जो भी विभाग का खर्चा आता है उसके अनुसार...

**श्री मानिक चन्द सुराना** : मैं रेट पूछ रहा हूं। बिना लाभ–हानि की रेट पूछ रहा हूं।

**श्री परसादी लाल** : जितना खर्चा प्रति वर्ष अलग–अलग मजदूरी का, कटाने का, एकत्रित करने का...

**श्री मानिक चन्द सुराना** : आप अलग–अलग वर्षों का अलग–अलग रेट हो तो वह बता दीजिये, कोई दिक्कत नहीं है।

**श्री परसादी लाल** : वह अलग–अलग रेट आपने मांगी है, मैं आपको निश्चित रूप से भिजवा दूंगा।

**श्री अध्यक्ष** : सुरानाजी।

**श्री मानिक चन्द सुराना** : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड। डेढ़ लाख क्विंटल घास औसतन इकट्ठा होने का कहा है इन्होंने। मैं अकाल राहत मंत्रीजी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आप पुराना रिकार्ड देखें वर्ष का, करीब–करीब एक लाख क्विंटल या 75 हजार क्विंटल घास हर जिले में जो अकालग्रस्त हैं वहां गयी है। क्यों नहीं राज्य सरकार वन विभाग के अलग–अलग क्षेत्रों को जिस तरीके से 6 हजार हैक्टेयर की आपने तारबंदी की है...

**श्री परसादी लाल** : 10 हजार हैक्टेयर की।

**श्री मानिक चन्द सुराना** : 10 हजार की है। माननीय सदस्य ने 6 हजार कहा है, आपने 11 हजार कहा है। वहां घास उगाकर बिना लाभ–हानि के व्यापक पैमाने पर अकाल दो साल में एक बार पड़ ही जाता है, क्यों नहीं राज्य सरकार इस पर व्यापक पैमाने पर विचार करती है ?

**श्री रतनाराम चौधरी** (रानीवाड़ा) : अलग–अलग जिलों की अलग–अलग तरह की डिमांड है। बरसात के समय में लोगों को पशुओं को चारे के लिये ढूंढ़ने पड़ते है। हर जिले में घास को बड़ी करके काटना और इकट्ठी करना लागू नहीं होता है।

**श्री अध्यक्ष** : रतनारामजी, आप बैठिए यह जैसलमेर का प्रश्न है।

**श्री परसादी लाल** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जैसा सुझाव दिया है कि यह योजना हर जिले में होनी चाहिये तो हमारी पाली और दूसरे जिलों में भी इस तरह की योजना है और इसकी जहां आवश्यकता होगी उस पर सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी।

**श्री मानिक चन्द सुराना** : नहीं, आप

(श्री मानिक चन्द सुराना)

बीकानेर जिले को देखें, अन्य जिलों को देखें, आपके पास लाखों हैक्टेयर जमीन है, उसका सदुपयोग होना चाहिए। उसका सदुपयोग लाखों क्विंटल घास के रूप में हो सकता है। राजस्थान एक अकाल में दो सौ–तीन सौ करोड़ रुपया हरियाणा भेजता है, उससे बेहतर यह है कि हम अपनी पूंजी से इस प्रकार के फोडर बैंक या तारबंदी कर के उसमें घास उगाने की व्यवस्था करें और राजस्थान के धन को हरियाणा और पंजाब जाने से बचाने का काम करें।

**श्री अध्यक्ष** : सुरानाजी, आप कहां से बोल रहे हैं ? आपकी सीट कहां है ? आप अपनी सीट से प्रश्न पूछ सकते हैं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू)** : मंत्री महोदय, डी.डी.पी. योजना समाप्त हो चुकी है ओर तारबंदी आपने कर रखी है। मैं यह जानना चाहूंगा कि विगत वर्षों में आपने डी.डी.पी. योजना के अंतर्गत कितनी राशि खर्च की और कितनी घास एकत्रित की ?

**श्री परसादी लाल** : अध्यक्ष महोदय, वैसे यह अलग से सवाल है और इसका इससे कोई संबंध नहीं है।

**श्री रामस्वरूप** : यह अलग से सवाल है इसका कोई जवाब नहीं मिला सकता। बिलकुल अलग सवाल है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : आपने यह कहा है कि डी.डी.पी. योजना के अन्तर्गत यह सारा घास एकत्रीकरण का काम चालू है। अध्यक्ष महोदय, अब यह डी.डी.पी. योजना समाप्त हो गई है, मैं यह जानना चाहता हूं कि घास एकत्रीकरण का कार्य हो रहा है यह नहीं हो रहा ? जवाब में कह रहे हैं कि सब काम हो रहा है। (व्यवधान)

**श्री परसादी लाल** : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस वर्ष हमने घास एकत्रीकरण का कोई कार्य नहीं किया है। अकाल की स्थिति थी, हमने वहां पर राज्य सरकार के निर्देशनुसार...

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न जैसलमेर का है। नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री हरजीराम बुरड़क।

## राज्य अन्वेषण ब्यूरो का विस्तार

127. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अभी हाल ही में राज्य अन्वेषण ब्यूरो को अधिक प्रभावी बनाने के लिये इसका विस्तार किया गया है ? यदि हां, तो कितने–कितने पद किस–किस स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों के सृजित किये गये तथा कौन–कौन से नये कार्यालय खोले गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना पर कितना–कितना व्यय किस–किस मद पर अधिक होगा ?

(3) क्या ब्यूरो द्वारा मामलों की जांच करके चालान की स्वीकृति के लिये सरकार को भेजे गये मामलों में समय पर चालान

(श्री हरजीराम बुरड़क)

की स्वीकृति मिल जाती है ? यदि हां, तो चालू वर्ष में कौन से मुकदमे में कब–कब स्वीकृति मिली तथा कितने ऐसे मामले है जिनमें स्वीकृति नहीं मिली है ? स्वीकृति के लिये कौन–कौन से मामले कब–कब से सरकार के विचाराधीन हैं तथा वो कब–कब दर्ज हुए ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त मामलों के चालान की स्वीकृति समय पर नहीं मिलने के कारण विभाग की कार्य–कुशलता पर असर नहीं पड़ रहा है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या–क्या कदम उठाये गये तथा नहीं तो क्यों ?

**गृह मंत्री** (श्री गुलाब सिंह शक्तावत) : (1) हां। अ. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को अधिक प्रभावी बनाने के लिए ब्यूरो के पुनर्गठन हेतु 15.60 लाख रुपये की स्वीकृति अनावर्तक आइटमों की दी गई है।

ब. पुनर्गठन के तहत राज्य सरकार द्वारा निम्न अधिकारियों का अतिरिक्त पदस्थापन किया गया है :–

1. महानिरीक्षक पुलिस
2. पुलिस उप महानिरीक्षक 2
(जोधपुर एवं उदयपुर)
3. पुलिस अधीक्षक 4
(अजमेर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर)
4. राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 2
(जयपुर) अधिकारी
5. अधिशासी अभियंता

स. जोधपुर, उदयपुर में पुलिस उप महानिरीक्षक व अजमेर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर में पुलिस अधीक्षक के कार्यालय खोले गये/पदस्थापन किये गये है।

(2) उक्त योजना पर वेतन भत्तों के रूप में 27,40,000/–रुपये का वार्षिक व्यय होगा।

(3) अ. ब्यूरो द्वारा मामलों की जांच करके चालान की स्वीकृति के लिये सरकार को भेजे गये मामलों में प्रायः समय पर स्वीकृति दी जाती है।

ब. चालू वर्ष में 16 मुकदमों में राज्य सरकार ने अभियोजन स्वीकृति दी। विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

स. चालू वर्ष में 4 मुकदमों में राज्य सरकार ने अभियोजन स्वीकृति की अनुमति नहीं दी। विवरण परिशिष्ट "ब" में संलग्न है।

द. वर्तमान में 40 मामले राज्य सरकार के पास अभियोजन स्वीकृति के विचाराधीन है, सम्पूर्ण विवरण परिशिष्ट "स" में संलग्न है।

(4) जी नहीं।

**(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)**

**श्री हरजीराम बुरड़क** : अध्यक्ष महोदय, अधिकारियों की संख्या बढ़ाने से इस विभाग की कोई कार्यकुशलता बढ़ जाएं, यह संभव नहीं है, जो आप द्वारा दिये गये उत्तर से

(श्री हरजीराम बुरड़क)

स्पष्ट है। सालभर में सरकार ने 16 मुकदमों में चालान की अनुमति दी है। 16 में से एक अधिकारी के पांच है और एक के दो है, सात तो दो के ही हो गये विचाराधीन मुकदमों की संख्या है 40/40 में से ऐसे मुकदमे भी है जो सन् 1992 से सरकार के पास अनुमति के लिये विचाराधीन पड़े हैं। 1992 से 2000 तक नौ साल हो गये अब आप इतने लंबे समय तक अनुमति दो नहीं, फिर विभाग को बढ़ाने से क्या फायदा ?

इस विभाग का उद्देश्य भ्रष्टाचार को खतम करने का था, उसके यह विभाग विपरीत जा रहा है। कैसे जा रहा है ? जिन अधिकारियों को इन्होंने ट्रैप किया उनको महीनों तक तो सस्पैंड नहीं करते। पहले तो उसमें भ्रष्टाचार होता रहता है। उसके बाद 8 साल तक आप चालान की स्वीकृति नहीं दो तो वह अधिकारी उन गवाहों को ट्रैप करने में सफल हो जाता है। उसमें क्या–क्या करना पड़ता है, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। यह भ्रष्टाचार को खतम करने का है या बढ़ाने का ? एक मुकदमें में एक अधिकारी को आपने पकड़ा और वह 10 जगह भ्रष्टाचार आगे फैल गया। क्या आप कोई ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि या तो आपके विभाग को अधिकार दे दो या कोई समय सीमा निश्चित कर दो आप 10–10 साल बाद मुकदमों की स्वीकृति दो या उनको रिजैक्ट करो, तब तक उन अधिकारियों को ब्लैकमेल करने के सिवाय इस विभाग का कोई काम नहीं दिख रहा है। आपने 1994 के मुकदमों को अभी मार्च में अस्वीकृत किया है तो आपने 6 साल तक उनको रखा क्यों अगर उनमें कोई तथ्य नहीं था ? आपका डी.जी. रैंक का अधिकारी चालान के लिये स्वीकृति मांगे, वह सैक्रेटेरिएट में संबंधित विभाग के पास जाकर पड़ा रहे और वहां पर बाबू नोट बना दे उसके आधार पर वह चलता रहे तो आपके डी.जी. की उपयोगिता नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप या तो डी.जी. को अधिकार दीजिए चालान का या आप अपने विभाग के मंत्री को दीजिए। कोई न कोई रास्ता निकालिए, नहीं तो अधिकारियों को ब्लैकमेल करने के सिवाय इसका कोई उपयोग नहीं है।

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : अध्यक्ष महोदय, यह कहना सही नहीं है कि पुनर्गठन की योजना से कोई लाभ नहीं मिला। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, 1991 में जहां 11 मुकदमे दर्ज किये गये थे, 2000 में 34 मुकदमे उदयपुर में दर्ज किये गयें जोधपुर में जहां 1999 में एक भी मुकदमा नहीं किया गया वहां 2000 में 20 मुकदमे दर्ज किये गये हैं। इसी तरह से अजमेर में भी 1999 में एक भी मुकदमा दर्ज नहीं किया, वहां 5 मुकदमे दर्ज किये कोटा में 9 मुकदमे दर्ज किये, भरतपुर में 8 मुकदमे दर्ज किये और बीकानेर में 4 मुकदमे दर्ज किये। कुल मिलाकर 1999 में 118 मुकदमे

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

दर्ज किये गये, वहां 2000 में 2232 मुकदमे दर्ज किये गये। सीनियर अधिकारियों की नियुक्ति का कारण यह रहा कि अब तक जो हमारी चौकियां थी वहां पर डीवाई.एस.पी. रैंक के अधिकारी हुआ करते थे या एडिशनल एस.पी. रैंक के अधिकारी हुआ करते थे जो कार्यवाही तो करते थे लेकिन उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिलने की वजह से मामले में देरी हो जाया करती थी। इसलिए हमने डी.आई.जी. रैंक के अधिकारियों को लगाकर तत्काल मार्गदर्शन देने हेतु उनको अधिकृत किया। इसी प्रकार जहां डीवाई.एस.पी. थे वहां हमने एस.पी. स्तर के अधिकारियों को लगाया ताकि उनको सही मार्गदर्शन मिल सके।

यह बात सही है कि अभियोजन की स्वीकृति में कुछ मुकदमे विभागाध्यक्ष के पास काफी लंबे समय से लंबित रहे है। इसमें हम यह व्यवस्था करने जा रहे है कि हर तीन महीने में इसकी कमेटी की एक बैठक बुलाकर रिव्यू करेंगे। रिव्यू करके उनका चालान शीघ्रातिशीघ्र किया जा सके, इसके संबंध में हमने निर्णय लिया है। आगामी महीनों से त्रैमासिक बैठक करके जिनको अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिली उनमें स्वीकृति हम जल्दी से जल्दी प्राप्त करके कार्यवाही करेंगे।

जहां तक भ्रष्टाचार महानिदेशक को अधिकार देने का सवाल है इस संबंध में प्रक्रिया पर विचार करना पड़ेगा। कुछ अधिकारी विभागाध्यक्ष के पास हैं कुछ जी.ए.डी. के अंतर्गत अपाइंटिंग डिपार्टमैंट के अंतर्गत हैं, उनसे स्वीकृति लेनी पड़ती है, उसमें थोड़ा विलम्ब होता है। हम इस बात का पूरा प्रयत्न करेंगे और हर तीन महीने में सभी विभागाध्यक्ष जिनके नाम मुकदमे विचाराधीन है या हमारे डिपार्टमैंट आफ पर्सनल में जो मुकदमे विचाराधीन हैं, उनमें बैठक करके त्वरित गति से कार्यवाही करेंगे ताकि इसको रोका जा सके।

साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने केवल ट्रैप कैसेज ही नहीं किये, हमारे जो रेवेन्यू लीकेज हैं, उन रेवेन्यू लीकेज के बारे में हमने विचार किया है कि उनको कैसे रोका जा सकता है। खास तौर से ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमैंट, माइनिंग डिपार्टमैंट, वाणिज्यिक कर विभाग और स्टाम्प रजिस्ट्रेशन विभाग में जो रेवेन्यू लीकेज है उस पर चौकसी रखने के लिए हमारे अधिकारियों को लगाया है। पिछले महीने में हमने बांसवाड़ा में पी.डी.एस. सिस्टम में बी.पी.एल. फैमिलीज को जो घोल मिलता था, उसमें जो गड़बड़ी करते थे उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की है। इसी तरह से माइनिंग डिपार्टमैंट के जो ट्रक लोड जाते थे, अण्डर वेट बताकर उसको टैक्स कम देते थे, उनको भी हमने पकड़ा है। कोशिश की है कि वे टैक्स पूरा का पूरा चुकाएं ताकि लीकेज को बंद किया जा सके। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

चाहता हूं कि अभियोजन की स्वीकृति शीघ्र प्राप्त करके उस पर कार्यवाही की जाएगी ताकि विलम्ब के कारण दूसरे लोगों को फायदा नहीं मिल सके।

**श्री हरजीराम बुरड़क** : अध्यक्ष महोदय, जो मुकदमे 92 से सरकार के पास विचाराधीन पड़े हैं स्वीकृति देने के, क्या उनमें आई.ए.एस. अधिकारी शामिल हैं इसलिए उनमें स्वीकृति नहीं मिल रही है ? नौ वर्ष हो गए, आप उसको पड़े रखो मुकदमे ठीक नहीं हैं तो आप खारिज करिए।

दूसरा भाग–4 के उत्तर में आपने कहा, जी नहीं। मैंने यह पूछा था कि क्या स्वीकृति की लम्बी प्रक्रिया होने के कारण विभाग की कार्य कुशलता पर असर पड़ता है ? इसका मेरा आशय यह था कि लम्बा समय बीतने के बाद गवाहों को वह अधिकारी या जो दोषी है वह ट्रैप कर लेता है। आपने कहा, जी नहीं। इसका क्या संबंध हुआ, मेरे तो समझ में नहीं आया। 1992 के जितने भी मुकदमे हैं उनमें स्वीकृति नहीं करने के क्या कारण हैं और आप उनमें स्वीकृति कब तक दे दोगे ?

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : मैंने अपने उत्तर में साफ निवेदन किया है कि हम नई प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। हर तीन महीने में विभागाध्यक्ष के साथ और डी.ओ.पी. के साथ बैठक करके जिन मुकदमों का चालान करने की स्वीकृति में विलम्ब हुआ है, उसको निश्चित समय पर पूरा करने के लिए इजाजत लेने की कार्यवाही करेंगे। 'जी नहीं' से मेरा तात्पर्य इतना ही था, 92 का केस तो मेरे ध्यान में नहीं आया आप बता देंगे कि कौनसा केस है, लेकिन...

**श्री हरजीराम बुरड़क** : क्रम संख्या एक और दो।

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : 1994 है उसमें।

**श्री हरजीराम बुरड़क** : 1992 है, साहब।

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : डेट आफ पेंडिंग 94। उसको करैक्ट कर लेंगे।

**श्री हरजीराम बुरड़क** : पहला है 15.7.1999, दूसरा है 15.10.1992। इसमें एक तो कोई आई.ए.एस. अधिकारी है।

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : वह तो केस रजिस्टर की डेट है, चालान की अभी...

**श्री हरजीराम बुरड़क** : केस रजिस्टर की ही कह रहा हूं।

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : चालान के लिए जो मामला भेजा गया है, जो विचाराधीन है वह 1994 में भेजा गया था जो विचाराधीन है।

**श्री हरजीराम बुरड़क** : फिर भी कितने कितने वर्ष हो गए ?

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि उसमें समय लगा है। (व्यवधान)

**श्री हरजीराम बुरड़क** : इन दो का फैसला कब तक कर देंगे ?

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : इनका फैसला अगले महीने तक कर देंगे। जो भी निर्णय करना है वह निर्णय सरकार इस पर करेगी। (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन केसेज का आपने जो उत्तर दिया है उससे साफ़ जाहिर होता है कि जो छोटे कर्मचारी पकड़े गए उनके खिलाफ तो तुरंत कार्यवाही हो गई और जो प्रशासनिक सेवा के बड़े अधिकारी पकड़े गए उनका मामला अभी तक भी पैंडिंग है। तो कौन अधिकारी दोषी है कि इसके अंदर अभी तक कार्यवाही नहीं हुई ? दूसरा आपने कहा कि हम अब ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि हर तीन महीने में बैठक करेंगे, तो वह बैठक किसकी होगी ? क्या आपने इसके लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है ? क्या रूपरेखा है, किसकी बैठक होगी, कृपया अवगत कराएं।

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : इस बैठक में मैं स्वंय, मुख्य सचिव, गृह सचिव और विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष जिनके पास मामले विचाराधीन पड़े हुए हैं और सैक्रेटरी होंगे। समय–समय पर उनको बुलाकर चर्चा की जाएगी और विलम्ब के कारणों को पूछा जाएगा कि इसमें विलम्ब के क्या कारण रहे जिससे अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी। अब आई.ए.एस. आफिसर्स के बारे में हमने सैक्रेटरी डी.ओ.पी. से हमने अभियोजन की स्वीकृति मांगी है, वहां जो विचाराधीन केसेज हैं उनके बारे में भी हम मुख्य सचिव के स्तर पर चर्चा करके इसका निर्णय करेंगे।

**मोहम्मद माहिर आजाद** : अब तक नहीं होने के कारण दोषी कौन हैं ? आप उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ? अब तक इन उच्चाधिकारियों के खिलाफ़ एक्शन नहीं हुआ इसके लिए कौन दोषी है ?

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : दोष का फैसला गुणावगुण के आधार पर ही किया जा सकता है। तत्काल यह नहीं कहा जा सकता कि कौन दोषी है और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जाएगी।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय, से जानना चाहूंगा कि जो 40 मामले अभियोजन स्वीकृति के लिए विचाराधीन हैं इनमें कितने अधिकारी वर्तमान में निलम्बित है, कितने अधिकारी वर्तमान में पुनः पदस्थापित कर दिये गये हैं ? नम्बर दो, आपने इसमें खण्ड ब में कहा, चालू वर्ष में 16 मुकदमे में राज्य सरकार ने अभियोजन स्वीकृति दी है, विवरण परिशिष्ट 'अ' पर अंकित है। परिशिष्ट 'अ' पर आप लिखते हैं कि अभियोजन स्वीकृति की मनाही की दिनांक, आप यह देख लें...(व्यवधान)

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : वह गलत टाइप हो गया, करैक्ट ऊपर का कर लें। ऊपर लिखा हुआ है, स्वीकृति की प्राप्त

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

अपराधों की सूची ऊपर हैडिंग बहुत साफ है, नीचे कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो गई। 1.1.2000 से 30.10.2000 तक राज्य सरकार से अभियोजन स्वीकृति की प्राप्त अपराधों की सूची।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : उसके आगे आपने ही उत्तर दिया है।

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : टाइप मिस्टेक है। विधान सभा में सवाल आये उसमें है तो कम से कम देखना चाहिए। कई हाथों से गुजरता है यह सवाल। कइयों ने देखा होगा। इसमें आइन्दा नही हो, इसके लिए ...(व्यवधान)

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : जब ऊपर हैडिंग में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है तो मंशा तो स्पष्ट है। नीचे के लेवल पर कहीं छोटी टाइप मिस्टेक हो सकती है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : इसमें 40 अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति सरकार ने नहीं दी। उसमें कितनों को निलंबित किया, कितने अभी वापस पद–स्थापित हैं ? हो क्या रहा है ? रेड हैन्डेड पकड़े गए उसके बाद अभियोजन की स्वीकृति आप देते नहीं हो और अभियोजन की स्वीकृति नहीं देने के बाद उन्हें वापस उन्हीं पदों पर पदस्थापित कर देते हो। बताओ तो सही कितने हैं ? (व्यवधान)

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : चाहे किसी के समय के हों, इस विवाद में मैं नहीं जाना चाहता हूं। आखिर जिन लोगों ने गलती की, भ्रष्टाचार में पकड़े गए उनके खिलाफ कार्यवाही समय पर होनी चाहिए, उनको निश्चित रूप से दंड मिलना चाहिए। जो विभागाध्यक्ष हैं या सचिव हैं वहां पर देरी हुई है, इस बात को मैंने स्वीकार किया है। इसलिए हमने कमेटी गठित की है कि तीन महीने में हर चीज का रिव्यू करके उसका फैसला किया जाएगा ताकि इस तरह की स्थितियां आगे पैदा नहीं हो।

**श्री रामस्वरूप** : माननीय गृह मंत्रीजी, पूर्व मंत्रियों के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के मामले हैं क्या उनको भी पकड़ा जाएगा ? क्या उनके खिलाफ भी कार्यवाही होगी ? (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : श्री रामस्वरूपजी, आर्डर आर्डर प्लीज।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : गृह मंत्रीजी, क्या यह सही है कि इन 40 प्रकरणों में से 4 को छोड़कर 36 प्रकरण ऐसे हैं जो आपके आने के पश्चात के हैं ? 36 प्रकरण ऐसे हैं जो वर्तमान सरकार के आने के बाद दर्ज हुए हैं, क्या यह सही है ? (व्यवधान)

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : इसमें तारीख दे रखी है।

**श्री आर.पी. शर्मा** (भरतपुर) : ट्रैपशुदा केसों के लिए क्या सरकार उनके निस्तारण की समय सीमा निर्धारित करने का विचार रखती है ? (व्यवधान) तीन महीने नहीं, ट्रैप

(श्री आर.पी. शर्मा)

होने के बाद पांच साल में, दो साल में इस केस का निस्तारण हो जाएगा, क्या सरकार इस तरह की समय सीमा निर्धारित करने का विचार रखती है ?

**श्री अध्यक्ष** : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री नन्दलाल पूनिया।

## जिला चूरू में प्रस्तावित सड़कें

128. **श्री नन्दलाल पूनिया** (सादुलपुर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) चूरू जिले में कृषि विपणन बोर्ड की ओर से नाबार्ड योजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण हेतु कहां–कहां कितनी सड़कें बनाया जाना प्रस्तावित है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अब उक्त सड़कों को कब तक पूर्ण करा दिया जाएगा ?

**श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत** (राज्य मंत्री, कृषि विपणन) : चूरू जिले में नाबार्ड की आर.आई.डी.एफ. V योजना के अन्तर्गत निम्न सात सड़कें बनाया जाना प्रस्तावित है :

| | | (लम्बाई कि.मी. में) |
|---|---|---|
| 1. | बूंकासर छोटा | 3.00 |
| 2. | कल्याणपुरा बीदावतान | 7.00 |
| 3. | भोजूसर उपाध्याय | 1.35 |
| 4. | खींवसर | 0.40 |
| 5. | रामसीसर मेड़वालिया | 7.50 |
| 6. | गिड़गिचया | 4.00 |
| 7. | नारंगसर वाया खारिया | 4.50 |
| | योग | 27.75 |

(2) उक्त सड़कों में से क्र.सं. 1 से 5 एवं क्र.सं. 7 पर अंकित सड़कों के कार्य कार्यादेश अनुसार 2001 तक पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है। क्रम संख्या 6 पर अंकित सड़क का कार्य अलाइनमैंट विवाद के कारण शुरू नहीं कराया जा सका है।

**श्री नन्दलाल पूनिया** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि विपणन मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि राजगढ़ तहसील में कृषि मण्डी की सबसे ज्यादा आय होती है फिर भी आपके विभाग ने हमारी तहसील में कोई सड़क नहीं ली। पूर्व में एक सड़क मंजूर हुई थी रड़वा से कामघाड़ उसमें डेढ़ किलोमीटर का पक्का काम हो गया, आधा किलोमीटर में ग्रिड डाल दी गई, लेकिन दो किलोमीटर अभी अधूरी पड़ी है, उसका अर्थ–वर्क भी नहीं हुआ है क्या आपकी सरकार इस सड़क को पूरा कराने की मंशा रखती है ?

दूसरा, आज से तीन साल पहले हमीरवास–रामपुरा मेरी एक सड़क कृषि विपणन बोर्ड द्वारा स्वीकृत हुई थी। मैंने अखबारों में पढ़ा था, आज तक उस सड़क पर कोई कार्य नहीं हुआ है। क्या राज्य सरकार इस सड़क को भी जो तीन साल पूर्व स्वीकृत हुई थी, बनाने का इरादा रखती है ?

**श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत** : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वह आर.आई.डी.एफ.–5 के तहत नाबार्ड से पैसा मिला, उसके सम्बन्ध में था। दूसरी दो सड़कों के बारे में माननीय विधायक महोदय ने सवाल किया है कि ये पहले स्वीकृति हुई थी, अधूरी रह गई, बन नहीं पायी। ये इस योजना से संबंधित तो नहीं थीं लेकिन फिर भी विधायक महोदय इसको आवश्यक समझते हैं तो पुरानी अधूरी सड़क के हिसाब से या नई सड़क के हिसाब से उस मण्डी के अंदर पर्याप्त साधनों पर सड़क नीति के आधार पर उसको टेक–अप करने का प्रयास किया जाएगा। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानाना चाहूंगा कि चूरू जिले में आर.आई.डी.एफ V के सैकण्ड फेज के अंदर जिन सड़कों की स्वीकृति आपने दी, जिनकी निविदाएं आमंत्रित कर लीं उनके कार्यादेश क्यों रोके गये ? किस कारण से रोके गये ? क्या यह सही है कि इन सड़कों में सारा पैसा नाबार्ड द्वारा ऋण के रूप में दिया जा रहा है ? जब नाबार्ड ऋण के रूप में आपको सारा पैसा दे रहा है तब आपने इन फेज सैकण्ड की सड़कों को किस आधार पर क्यों रोका ?

**श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत** : माननीय अध्यक्ष महोदय, नाबार्ड द्वारा पैसा स्वीकृत करा कर राज्य सरकार ने कृषि विपणन बोर्ड को एजेंसी बनाया था। फर्स्ट फेज में हमने सड़कें स्वीकृत की उन सड़कों के लोन के साथ–साथ कार्यादेश भी जारी कर दिये गये और काम भी शुरू कर दिया गया। सैकण्ड फेज और थर्ड फेज का काम शुरू करते, वर्क आर्डर देने से पहले टेण्डर हमने करा दिये थे। काम शुरू हम कराने वाले थे, इसी बीच में सरकार ने एक निर्णय लिया और जो ऋण लिया जा रहा है नाबार्ड से वह सरकार ने नहीं लेकर कृषि विपणन बोर्ड को स्थानान्तरित किया उन्हीं शर्तों पर। अब वह लिया गया ऋण कृषि विपणन बोर्ड द्वारा चुकाया जाना है लेकिन कृषि विपणन बोर्ड इसमें सक्षम नहीं था कि पूरा लोन चुका सके सात वर्षों की अवधि में। इसलिए फस्ट फेज में हमने जो लिया वह सब स्वीकृति जारी कर दी, वर्क–आर्डर दे दिये। सैकण्ड फेज और थर्ड फेज में हमने जो वर्क लिये थे, टेक–अप किये थे उनके टेंडर भी हो गये थे लेकिन अर्थाभाव के कारण से हम उनको शुरू करने में सक्षम नहीं रहे हैं।

चूरू जिले में भी माननीय सदस्य को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फर्स्ट फेज के बाद सैकण्ड फेज के लिए हमने तैयारी की थी, काफी सारी सड़कें भी उसमें ले ली थीं लेकिन उन परस्थितियों में हम उसको आगे शुरू नहीं कर पाए।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जो ऋण नाबार्ड से सरकार ले रही थी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

और जो ऋण अब नाबार्ड से मार्केटिंग बोर्ड ले रहा है, क्या मार्केटिंग बोर्ड और सरकार एक ही एजेंसी नहीं हैं ? सरकार की एजेंसी मार्केटिंग बोर्ड है कि नहीं, नम्बर–एक बात ?

नम्बर–दो, आपने यह कह दिया कि मार्केटिंग बोर्ड की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है इसलिए हम फेज सैकण्ड के अंदर स्वीकृत सड़कों को अब आगे पूरा नहीं कर पाएंगे। फिर आप फेज थर्ड और फेज सैकण्ड की कितनी सड़कों की अर्थाभाव के कारण स्वीकृतियां रद्द कर रहे हैं, यह भी बता दो आप ?

**श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत** : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं कहा कि मार्केटिंग बोर्ड की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण ऐसा हुआ। मैंने यह कहा मैं निवेदन कर दू...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : नाबार्ड ने अपनी ले ली न ? (व्यवधान)

**श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत** : मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। नाबार्ड से जो हमने लोन लिया है वह लोन सात वर्षो में चुकाना है। सात वर्षो में जितना ऋण हम चुका सकते हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो स्वीकृति की गई थीं, सड़कें पहले वाली टेक–अप कर लीं। आगे की जो स्वीकृतियां हम करना चाहत थे और हमने वर्क–आर्डर देने की तैयारी की थी, टेण्डर भी कराये थे उन सड़कों को यदि हम टेक–अप करते हैं तो वह लोन सात वर्ष में हम चुका नहीं पाएंगे।

दूसरा, माननीय सदस्य ने पूछा कि सरकार ने लोन लिया है और मार्केटिंग बोर्ड सरकार से अलग नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मार्केटिंग बोर्ड हालांकि राजस्थान सरकार से अलग तो मानकर मैं भी नहीं चलता लेकिन जो ऋण लिया गया है वह ऋण पहले सरकार ने लिया था और सरकार को चुकाना था। अब उन्हीं शर्तो पर उस ऋण को मार्केटिंग बोर्ड को ट्रांसफर किया गया है तो मार्केटिंग बोर्ड उस लोन को चुकाएगा। सरकार की गारंटी जरूर है लेकिन चुकाना मार्केटिंग बोर्ड को अपने साधनों से है। उन परिस्थितियों में सात वर्षो में मार्केटिंग बोर्ड जितना लोन चुका सकता है अपनी हैसियत से, उतनी सड़कें तो हम बना रहे हैं। उसके अलावा की सड़के टेक–अप करने में हम असमर्थ रहे हैं। दूसरा, माननीय सदस्य ने पूछा है...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : कितनी सड़कें रद्द हो गई ?

**श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत** : वही निवेदन कर रहा हूं...(व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** : यासमीन अबरारजी का भी यही सवाल था। (व्यवधान)

**श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत** : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की जिज्ञासा है कि कितनी सड़कों के ऊपर लोन नहीं

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

लिया जा पाएगा या वे नहीं बन पाएंगी ? (व्यवधान)

**डा. किरोड़ी लाल** : फेज सैकण्ड की ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : अध्यक्ष महोदय, झूठी वाहवाही लूटने के लिए इन्होंने सड़कें स्वीकृत कीं। सड़कों के टेण्डर हुए, पैसा इनके पास था नहीं....(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : डा. किरोड़ी लालजी, आप बैठिये वह पूछ रहे हैं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : इनको यह बताना चाहिए कि इतनी दूरी की सड़कों की इतनी हजार रुपये की राशि की जो स्वीकृति हुई थी उसको हमने रद्द कर दिया। (व्यवधान)

**डा. किरोड़ी लाल** : अध्यक्ष महोदय, एक क्वेश्चन मैं मंत्रीजी से करना चाहता हूं आर.आई.डी.एफ. फेज–फर्स्ट का रीपेमेंट सरकार करेगी और आर.आई.डी.एफ. की पी.डब्ल्यू.डी. जो रोड बनाएगी उसका पेमेंट भी सरकार करेगी। आर.आई.डी.एफ. का भी करेगी, पी.डब्ल्यू.डी. बनाएगी उसका भी करेगी तो आर.आई.डी.एफ. की सैकण्ड फेज की रोड्स का काम चालू कराने में आपको क्या दिक्कत है जो नाबार्ड आपको पैसा दे रहा है ? उसका रीपेमेंट करने में सरकार का ...(व्यवधान)

**श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत** : अध्यक्ष महोदय, शुरू में हमने जो सड़कें स्वीकृत की और जो प्रपोजल हमने बनाए, एस्टीमेट बनवाए, वे इसी बात की उम्मीद में बनाये थे कि 150 करोड़ रुपये के हिसाब से हम बनाएगे लेकिन बाद में जो परिस्थितियां परिवर्तित हुई उसके कारण से हमको उन सड़कों को रोकना पड़ा। ऐसी नीयत राजस्थान सरकार की नहीं थी कि हम पहले दिखावा ज्यादा करे और उसके बाद काम करे। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : कितनी रद्द की ? (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** : जल्दी क्या है ? (व्यवधान)

**श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत** : मैं निवेदन कर रहा हूं वही तो आपको फर्स्ट फेज में यह 75 सड़कें, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन कर रहा हूं...(व्यवधान)

**श्री अमराराम** (धोद) : सैकण्ड फेज बताओ आप तो। (व्यवधान)

**श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत** : सैकण्ड फेज बता दूं ? सैकण्ड फेज के माध्यम से 92 सड़कें बनाई, लम्बाई 281.26 किलोमीटर है और उनकी राशि 2255.60 लाख है। 18.12.1999 को हमने स्वीकृति कर दी थी।

थर्ड फेज के अंदर 31 सड़कें 109.33 किलोमीटर, 951.60 लाख रुपये स्वीकृति 17.2.2000 को हमने कर दी थी। वर्तमान परिस्थितियों में हम फर्स्ट फेज की सड़कें बना रहे हैं और फर्स्ट–फेज के अनुसार दो सौ...(व्यवधान)

**श्री अमराराम (धोद)** : अब रद्द कर दी क्या ?

**मोहम्मद माहिर आजाद** : फर्स्ट फेज वाली बनेंगी या नहीं बनेंगी ? सैकण्ड फ़ेज का क्या हुआ ? (व्यवधान)

**डा. किरोड़ी लाल** : आप सैकण्ड फेज की बताओ ?

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : मंत्रीजी, आप सैकण्ड फेज की बताओ।

**मोहम्मद माहिर आजाद** : सैकण्ड फेज का क्या हुआ ? यह सारा जवाब फर्स्ट फेज का दिया है। फर्स्ट फेज की स्वीकृति नहीं दी ? (व्यवधान)

**श्री अमराराम (धोद)** : सैकण्ड फेज का बताइये आप।

**मोहम्मद माहिर आजाद** : हम तो आपने जो स्वीकृत करके रद्द कर दीं। उनके बारे में जानना चाह रहे हैं कि सैकण्ड फेज वाली अब बनेंगी या नहीं बनेंगी ? उसका आप कोई वर्किंग आर्डर देंगे या नहीं देंगे।

**श्री रमजान खान (पुष्कर)** : मंत्री महोदय, मार्केटिंग बोर्ड सड़कें खुद ही बना रही है। जब मंत्री महोदय यह कहते हैं कि मार्केटिंग बोर्ड की आर्थिक स्थिति ठीक है तो फिर ये सड़कें मार्केटिंग बोर्ड की...(व्यवधान) इसी से बनवा दीजिए उनको

**श्री अध्यक्ष** : रमजान खानजी, बैठिये। राजेन्द्रजी, बैठिये। प्रश्नकर्ता।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : स्पेसिफिक सवाल था।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्नकर्ता।

**श्री नन्दलाल पूनिया** : मैंने तो राजगढ़ तहसील की बात पूछी थी, आपने सारी +++ शुरू कर दी। छह नवम्बर गिड़गिचया रोड की बात कर रहे हो, वह तो बंद हो गई अलाइनमैंट के कारण। आपके विभाग को अलाइनमैंट में क्या दिक्कत आई ? क्या परेशानी हुई जिसके कारण से उसको बंद करना पड़ा ? काश्तकारों की जमीन जिसमें सड़क जाती है उसकी अवाप्ति की कार्यवाही करने के लिए क्या आपका विभाग काश्तकारों को पैसा देता है या नहीं देता है, बताने की कृपा करें ?

**श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक सड़क गिड़गिचया गांव की जो एप्रोच रोड थी, अलाइनमैंट के विवाद के कारण उस सड़क को रोकना पड़ा, उसके बारे में मेरे ख्याल से जानकारी चाही है। अध्यक्ष महोदय, सरदारशहर से हनुमानगढ़ रोड पर गिड़गिचया के लिए चार किलोमीटर की लिंक रोड हमने स्वीकृत की थी। उस सड़क पर 36.68 लाख रुपया स्वीकृत हुआ था। हम उस सड़क को बनाना चाहते हैं लेकिन जन प्रतिनिधियों ने यह मांग की है कि इस

---

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

लिंक रोड के चार किलोमीटर सीधे बनाने के बजाए, सरदारशहर–हनुमानगढ़ रोड से लिंक करने के बजाए जो शॉर्टेस्ट रूट है उसको लम्बा करते हुए सरदारशहर से डाइरेक्ट गिड़गिचिया किया जाए। डाइरेक्ट गिड़गिचिया जोड़ने में 7.8 किलोमीटर बढ़ती है। चार किलोमीटर पहले वाली रोड है, बढाने पर यह 7.8 किलोमीटर बढ़ती है। विभाग की नीति के अनुसार शॉर्टेस्ट रूट को हम जोड़ते हैं और जो पहले स्वीकृति शॉर्टेस्ट रूट की थी वह 36.68 लाख की थी। यदि 7.8 किलोमीटर जोड़ते हैं तो स्वीकृति बढ़ाने पर 73.28 लाख रुपये का व्यय होता है। यह सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र का प्रकरण है, माननीय विधायक से संबंधित तो नहीं था लेकिन इसको क्लियर कर रहा हूं। माननीय विधायक ने लिखकर दिया है कि इस सड़क को रोका जाए और उसकी स्वीकृति बढ़ाकर की जाए। दूसरा, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि नाबार्ड के तहत जो रोड स्वीकृत होती है इसके लिए नाबार्ड का पैसा बम्बई से आता है। इसमें न हम घटा सकते हैं न जोड़ सकते हैं। एक बार स्वीकृति के बाद यदि इसकी स्वीकृति को और बढ़ाना पड़ता है तो नाबार्ड के पास फाइल भेजनी पड़ती है। माननीय विधायक महोदय ने अब यह लिखकर दिया है कि नाबार्ड में फाइल भेजकर एप्रूवल ले ली जाए, यदि सम्भव हो और वहां से स्वीकृति मिलती है तो जोड़ दी जाए। इसके लिए हमने कार्यवाही करना प्रारम्भ किया है।

**श्री नन्दलाल पूनिया** : अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब नहीं आया। (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** : सैकण्ड फेज की सड़कों...(व्यवधान)

**श्री रतनाराम चौधरी** : राजस्थान में जालौर जिले में सड़कों की बहुत दुर्दशा है। (व्यवधान) अगले बजट में इन सड़कों की मरम्मत कर दी जाए। (व्यवधान)

**श्री नन्दलाल पूनिया** : मैंने यह प्रश्न पूछा था कि काश्तकारों की भूमि आती है ...(व्यवधान) उनको मुआवजा दिया जाकर ...(व्यवधान)

**श्री रतनाराम चौधरी** : सड़कों पर ज्यादा खर्च करवाने की कृपा करें। (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** : आपने अभी जिक्र किया, वह सैकण्ड फेज में है तो बताओं आप कि सैकण्ड फेज का क्या होगा ? सैकण्ड फेज की सड़कें बनेंगी कि नहीं बनेंगी ? क्यों रोका उन्हें ? आपने जो जिक्र किया उसका बताइये आप।

**श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक)** : मात्र चूरू जिले का प्रश्न है। (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** : नहीं नहीं, मंत्रीजी के जवाब के बाद यह सदन की सम्पति हो गयी। ऐसा नहीं है। सवाल राजगढ़ का, चूरू का नहीं है। मंत्रीजी ने अपने

(मोहम्मद माहिर आजाद)

उत्तर में कहा है कि आर्थिक अभाव में कटौती की है। इसके कारण बताइये कि कारण क्या है? आपने यह कटौती क्यों की? (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

**श्री जगत सिंह दायमा** : सड़कों की मरम्मत ही नहीं हुई, आप नई कहां से बनवाओगे ? (व्यवधान)

**श्री नन्दलाल पूनिया** : काश्तकारों की वह जमीन अवाप्त की...(व्यवधान)

**श्री जगत सिंह दायमा** : मरम्मत कराने का पैसा नहीं है तो नई कहां से आ रही हैं ? (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** : अपने उत्तर में स्वयं यह कहा है कि सैकण्ड फेज की सड़कों को...(व्यवधान)

**श्री जगत सिंह दायमा** : एक ठेकला नहीं भर सकते, आप नई सड़क कहां से बनाओगे ? (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** : (व्यवधान) वह क्या परिस्थिति थी जो...(व्यवधान) और आप उनको वापस लागू करेंगे कि नहीं करेंगे ? आपने खुद ने उत्तर दिया है उसका बताइयें। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : दिलावरजी, आप बैठिये। बीच में नहीं। (व्यवधान) आसन पैरों पर। (व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** : स्वीकृत को निरस्त करते हो। (व्यवधान)

**श्री जगत सिंह दायमा** : अध्यक्ष महोदय, एक भी नई सड़क स्वीकृत नहीं हुई। (व्यवधान)

**श्री रतनाराम चौधरी** : अब आपके राज में मरम्मत तो करवा दीजिए। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : माननीय अध्यक्ष महोदय, भाजपा के शासनकाल में एक भी सड़क की मरम्मत नहीं हुई, नौ साल तक सड़कों को पटके रखा। भाजपा ने आठ साल के शासनकाल में एक भी सड़क की मरम्मत नहीं हुई। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : +++ रामस्वरूपजी की...(व्यवधान)

**श्री रतनाराम चौधरी** : भाजपा के शासनकाल में आठ साल में एक भी सड़क की मरम्मत नहीं हुई, अब आपकें राज में मरम्मत तो करवा दीजिए। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आसन पैरों पर। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : भाजपा शासनकाल में एक भी सड़क की मरम्मत नहीं हुई तो जनता ने इनकी मरम्मत कर दी। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आसन पैरों पर। नैक्स्ट क्वेश्चन।

**एक माननीय सदस्य** : उन पर चलना भी मुश्किल हो रहा है। (व्यवधान)

---

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

**श्री अध्यक्ष** : दायमाजी, बैठिये। आसन पैरों पर। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : भाजपा शासनकाल में एक भी सड़क की मरम्मत नहीं हुई तो जनता ने इनकी मरम्मत कर दी। (व्यवधान)

**श्री जगत सिंह दायमा** : और अब की बार आपकी मरम्मत कर देगी। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : नैक्स्ट क्वेश्चन । श्री शिवनाथ सिंह।

**एक माननीय सदस्य** : रामस्वरूपजी, भाजपा के शासन में +++ तो हो गयी। (व्यवधान)

**श्री नन्दलाल पूनियां** : अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। (व्यवधान)

**श्री शिवनाथ सिंह** : प्रश्न संख्या 129 (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : अध्यक्ष महोदय, जो सड़कें स्वीकृत हो गयीं, सिर्फ रोड़ी डालकर छोड़ दिया गया। उन पर चलना भी मुश्किल हो रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलकुल चल भी नहीं सकते, ऐसी हालत हो गयी। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : ये इसलिए हल्ला कर रहे है कि अगला प्रश्न नहीं आ जाए। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आपके कर्मों से सड़कें अधूरी पड़ी हुई हैं। (व्यवधान) सारे गड्ढे भी आप लोगों ने किये हैं। आप लोग तो पब्लिक का पैसा था, उनको खा गये। एक पैसा नहीं लगाया सड़कों पर। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : ऐसी सड़कों की स्वीकृति करना...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, बैठिये। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : +++ (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : आप जवाब दिलवाइये। (व्यवधान)

**डा. किरोड़ी लाल** : पूरा जवाब ही नहीं आया है और आपने दूसरा...

**श्री जगत सिंह दायमा** : +++ वहां चले गये जहां अगली बार आपको जाना है। (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** : सैकण्ड फेज का जवाब दिलवाइये। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : सारे सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे कर गये। इसके कारण +++ (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : श्री शिवनाथ सिंहजी। (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** : सैकण्ड फेज का...(व्यवधान) यह सैकण्ड फेज की सड़कों का क्या होगा ?

**श्री अध्यक्ष** : आप बैठिये। (व्यवधान)

---

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

**एक माननीय सदस्य** : अब आपको +++ हो जाएगा। (व्यवधान) आधा तो हो गया और आधा और हो जाएगा। (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** : सड़कों की हालत सरकार की हालत जैसी हो रही है। (व्यवधान)

**श्री रतनाराम चौधरी** : इनकी मरम्मत कर दी और इनकी मरम्मत हो गयी। (व्यवधान)

**श्री जगत सिंह दायमा** : अगला सवाल बहुत अच्छा है। (व्यवधान)

**श्री अमराराम** (धोद) : सरकार उत्तर दे कि जिन सड़कों की स्वीकृति की अखबार में घोषणा की, क्या राज्य सरकार उनको बनाने का इरादा रखती है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : बैठिये। आसन पैरों पर। आसन पैरों पर। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : जवाब दिलवाइये न आप। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : कितनी सड़कें स्वीकृत की ? (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** : हमें जवाब दिलवा दीजिए। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आसन पैरों पर। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : जवाब दीजिए, जवाब। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : बैठिये आप। सांवर लाल जी, बैठिये आप। आप बीच में नहीं... (व्यवधान)

**डा. किरोड़ी लाल** : जो सड़कें निरस्त की गयी हैं उनका जवाब दिलवा दीजिए।

**श्री रतनाराम चौधरी** : आठ साल तक यह क्या कर रहे थे ? (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : नैक्स्ट क्वेश्चन मैंने कॉल कर लिया है। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बिराजें। श्री. शिवनाथ सिंह।

## निलम्बित अधिकारियों के विरुद्ध जांच

129. **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि गत बजट सत्र के दौरान सहकारिता सेवा के कुछ उच्च अधिकारियों को निलम्बित करने की घोषणा की गयी थी ? यदि हां, तो किस–किस को ?

(2) क्या उक्त अधिकारियों के विरुद्ध कोई जांच की गयी ? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा तथा अब तक की जांच के क्या परिणाम रहे हैं ?

(3) वर्तमान में उक्त अधिकारी कहां–कहां कार्यरत हैं ?

(4) क्या यह सही है कि संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध गबन भ्रष्टाचार आदि

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री शिवनाथ सिंह)

के आरोप थे ? यदि हां, तो क्या गबन की राशि वसूल कर ली गयी है ?

**श्री खेतसिंह राठौड़ (सहकारिता मंत्री) :** (1) जी हां, गत बजट सत्र के दौरान की गयी घोषणाओं के अनुसार सहकारिता सेवा के पांच अधिकारियों क्रमशः श्री किशन सिंह राठौड़ अतिरिक्त रजिस्ट्रार, श्री ए.सी. रणवाह, संयुक्त रजिस्ट्रार, श्री नेमीचन्द चौहान संयुक्त रजिस्ट्रार श्री जिनेन्द्र लाल, संयुक्त रजिस्ट्रार एवं श्री मदनलाल राठी, उप रजिस्ट्रार को निलम्बित किया गया है। इनके साथ में दो और अधिकारियों को जो बैंक सर्विसेज के थे एक श्री चम्पालाल जैन और दूसरे श्री आशाराम को भी निलम्बित किया गया है।

**श्री शिवनाथ सिंह :** यह तो आपने सब दे दिया है, मैंने पढ़ भी लिया है। मैं सप्लीमेंट्री पूछना चाहता हूं।

**श्री खेतसिंह राठौड़ :** आप मेरा पूरा उत्तर सुन लें।

**श्री शिवनाथ सिंह :** मैं सप्लीमेंट्री पूछ लूं, यह सब मैंने पढ़ लिया।

**श्री खेतसिंह राठौड़ :** आप प्रश्न का पूरा जवाब सुन लें और फिर मैं आपको... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** सुन लें, माननीय सदस्य। आप बैठिये।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह :** हमको पूछने दीजिए। गलत है आपका जवाब।

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न का उत्तर देने दीजिए उनको।

**श्री जगत सिंह दायमा :** आपने बहाली के लिए राज्यपाल को लिख दिया, यह जवाब है आपका इसमें।

**श्री खेतसिंह राठौड़ :** जी हां, मैं वही जवाब दे रहा हूं।

**श्री जगत सिंह दायमा :** फिर काहे के लिए आप कह रहे हैं ? (व्यवधान)

**श्री खेतसिंह राठौड़ :** आपने पूछा ही क्यों ? (व्यवधान)

**श्रीमती सुमित्रा सिंह :** आप भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं और हम पूछे भी नहीं ? (व्यवधान)

**श्री खेतसिंह राठौड़ :** (2) जी हां, प्रश्न के बिन्दु संख्या–1 में वर्णित अधिकारियों के विरुद्ध निलम्बन के बाद की गयी जांच, जांच अधिकारियों की जांच व जांच परिणाम निम्नप्रकार रहे हैं :

1. श्री किशोर सिंह राठौड़ (अतिरिक्त रजिस्ट्रर) तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक, उदयपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक। जांच करने का उद्देश्य उदयपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक में गंभीर अनियमितताओं के बारे में। जांच अधिकारी आजाद शर्मा, एडीशनल सुपरिटेंडेंट पुलिस, एंटी करप्शन, उदयपुर। जांच का परिणाम प्राथमिक जांच ब्यूरो स्तर पर फाइल कर दी गयी है तथा ब्यूरो ने विभागीय

(श्री खेतसिंह राठौड़)

कार्यवाही किये जाने की राय दी है। राज्य सरकार द्वारा उनके विरुद्ध सी.सी.ए. नियमों के नियम 16 के तहत आरोप–पत्र जारी कर दिया गया है। श्री किशोर सिंह राठौड़ भीलवाड़ा केन्द्रीय बैंक में भी रहे और वहां उनके खिलाफ भी आरोप हैं जिसकी जांच चल रही है। ब्यूरो अभी अनुसंधान कर रहा है और सी.सी.ए. नियमों के नियम 16 के तहत उनको आरोप–पत्र भी भेज दिया गया है।

2. श्री जिनेन्द्र लाल जैन, (संयुक्त रजिस्ट्रार) तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, उदयपुर। इनकी जांच करने वाले वहीं। उदयपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक में गंभीर आरोप थे और आजाद शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार, निरोधक ने जांच की। प्राथमिक जांच में ब्यूरो ने यह तय किया है कि इस केस को फाइल किया जाए। ब्यूरो ने यह राय दी है कि विभाग की तरफ से इनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। राज्य सरकार ने उनके विरुद्ध सी.सी.ए. नियम 16 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है।

उसके बाद में ही श्री एन.सी.चौहान, (संयुक्त रजिस्ट्रार) तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक, केन्द्रीय बैंक उदयपुर सहकारी बैंक में गंभीर अनियमिताएं थीं। आजाद शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर ने जांच की। प्राथमिक जांच ब्यूरो स्तर पर नथीबद्ध कर दी गयी तथा ब्यूरों ने विभागीय कार्यवाही किये जाने की राय दी है। राज्य सरकार द्वारा इनके विरुद्ध सी.सी.ए. नियम 16 के तहत आरोप पत्र जारी किये जा चुके है।

**एक माननीय सदस्य** : पढ़ा हुआ मान लो।

(12.00 बजे)

**श्री खेतसिंह राठौड़** : मान लिया पढ़ा हुआ ? पढ़ा हुआ मानते हैं ? (व्यवधान)

**श्री जगत सिंह दायमा** : हां।

**श्री अध्यक्ष** : नहीं, बैठिये। उनके मानने से नहीं होता।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : मुझे यह जवाब तो पूरा देना पड़ेगा।

**मोहम्मद माहिर आजाद** : 12 बजाने है, मिले हुए हैं। दोनों राठौड़ मिले हुए हैं तीसरे राठौड़ के नाम पर।

**श्री अमराराम** (धोद) : दोनों नहीं तीनों मिल हुए हैं।

**श्री रामस्वरूप** : आप जवाब दे रह हो या 12 बजा रहे हो ?

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : 5 श्री मदन लाल राठी (उप रजिस्ट्रार) तत्कालीन प्रबन्ध

(श्री खेतसिंह राठौड़)

निदेशक पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक राज्य सरकार द्वारा इनके विरुद्ध सी.सी.ए. नियमों के नियम 16 के विरुद्ध और श्री मदन लाल राठी के खिलाफ भी इसी प्रकार से सी.सी.ए. नियमों के नियम 16 के तहत आरोप पत्र जारी कर दिया गया है। 6 श्री अविनाश रणवाह के खिलाफ भी बाड़मेर केन्द्रीय सहकारी बैंक में अनियमितता करने के संबंध में जांच जारी है और उनको भी सी.सी.ए. रूल–16 के तहत आरोप–पत्र भी जारी कर दिया गया है।

(3) वर्तमान में श्री किशोर सिंह राठौड़ को अतिरिक्त रजिस्ट्रार (अपील्स) जोधपुर में लगाया है, श्री नेमीचन्द चौहान को (संयुक्त रजिस्ट्रार) महा प्रबन्धक, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता भण्डार में लगाया गया हैं तथा श्री जिनेन्द्र लाल जैन, (संयुक्त रजिस्ट्रार) पदस्थापन के आदेश की प्रतीक्षा में हैं। श्री ए.सी. रणवाह, (संयुक्त रजिस्ट्रार) एवं श्री मदन लाल राठी अभी तक निलंबित हैं, इन्हें मुख्यालय पर लगाया हुआ है।

(4) श्री किशोर सिंह राठौड़ के कार्यकाल में भीलवाड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक में गम्भीर अनियमितताओं के संबंध में, श्री अविनाश रणवाह के कार्यकाल में बाड़मेर केन्द्रीय सहकारी बैंक में हुई अनियमितताओं के संबंध में तथा श्री मदन लाल राठी द्वारा उनके कार्यकाल में पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड में हुई गम्भीर अनियमितताओं के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच भ्रष्टाचार निरोधक विभाग आज भी कर रहा है।

उपरोक्त जांचों के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समस्त पांच अधिकारियों को राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत आरोप पत्र जारी कर दिये गये हैं और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही निश्चित तौर पर की जाएगी।

**श्री शिवनाथ सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि कुल 8 अधिकारियों को निलंबित किया गया था लेकिन तीन को ही बहाल किया गया जबकि जो आपने पढ़ कर जवाब सुनाया है, सब पर आरोप 16 सी.सी.ए. के हैं, इसलिए यह भेदभाव क्यों किया गया ?

समय नहीं है इसिलए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि क्या इन अधिकारियों को राज्यपाल महोदय के आदेश से आपने बहाल किया है या अपने विवेक से ? क्या बहाल करने से पहले आपने इसकी कोई जांच की है ? यहां सदन में प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने यह पूछा था पाइंटेड कि क्या आपके पास जो रिपोर्ट है उसके आधार पर आप इनको दोषी पाते हो। आपने कहा, हां दोषी पाता हूं, इसलिए मैं इनको निलंबित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, अभी जो अखबारों में छपा है उसको या तो ना कीजिये या हां कीजिये एक कि कभी राज्यपाल का आदेश

(श्री शिवनाथ सिंह)

मंत्री के गले नहीं उतरा। दूसरा, मंत्री महोदय ने निलंबित किया, राज्यपाल ने बहाल किया। और भी बहुत–से ऐसे हैं। मंत्रीजी एक जगह दुःखी होकर मुख्य मंत्री महोदय को पत्र लिखते हैं कि मैंने इनके सस्पैंड आर्डर जारी करने के लिए सचिव को लिखा लेकिन सचिव मेरे आदेशों की पालन नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस स्थिति में पूरी स्थिति को सदन के सामने स्पष्ट होना चाहिए, खास तौर से यह कि आपने बहाल करने से पहले कोई जांच की है या राज्यपाल महोदय के आदेश से आपने इनको बहाल किया ? (व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल। (व्यवधान)

**श्री यशवन्त सिंह** (रामू) (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जवाब आने दीजिये इसका। (व्यवधान)

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्नकाल समाप्त।

**श्री यशवन्त सिंह** : भ्रष्टाचार का मामला है, सारे मिले हुए हैं ये।

**श्री अमराराम** (धोद) : मंत्रीजी जवाब दें। (व्यवधान)

**श्री जगत सिंह दायमा** : अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंट्री का जवाब तो दिलाइये। फिर आपने पूछने ही क्यों दिया ?

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्नकाल समाप्त । पांच मिनट ऊपर आ गये हैं। (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** : अध्यक्ष महोदय, फिर सवाल क्यों पूछने दिया था ? (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्नकाल समाप्त।

**मोहम्मद माहिर आजाद** : सप्लीमेंट्री पूछ लिया तो उसका जवाब आना चाहिए, अध्यक्ष महोदय,...

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्नकाल समाप्त। आप विराजें। (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** : आप मंत्रीजी के जवाब के बाद ही खतम कर देते। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर। अमरारामजी, आप विराजें।

**श्री अमराराम** (धोद) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूछने का मतलब ही क्या हुआ ? प्रश्न पूछा है, जवाब आना चाहिए।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्नकाल समाप्त।

**मोहम्मद माहिर आजाद** : आप समय बढ़ाने के लिए सक्षम हैं। हमें जवाब चाहिए। फिर पूछने ही क्यों दिया था ? यह मिली–भगत है सरकार की।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्नकाल समाप्त। (व्यवधान) श्री सुरेन्द्र व्यासजी, प्रश्नकाल समाप्त।

**श्री सुरेन्द्र व्यास :** अध्यक्ष महोदय, सवाल सीधा सा यह है कि The Governor cannot act...(interruption)

**श्री अध्यक्ष :** पांच मिनट ऊपर आ गये हैं, प्रश्नकाल समाप्त। (व्यवधान)

**श्री सुरेद्र व्यास :** कांस्टीट्यूशन पोजीशन क्लियर है, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** आसन पैरों पर। माननीय सदस्य, विराजो, आसन पैरों पर।

**श्री जगत सिंह दायमा :** अध्यक्ष महोदय, सरकार के खिलाफ गलत मैसेज जाता है और सरकार को इससे बदनामी मिल रही है।

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्नकाल समाप्त।

**श्री सुरेन्द्र व्यास :** मंत्रीजी ने खुद यह कहा है कि मैं विधायकों के दबाव से सस्पैंड कर रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्नकाल समाप्त।

**श्री सुरेन्द्र व्यास :** और जब गवर्नर को ज्ञापन दिया तो गवर्नर को एडवाइज यह किया कि प्राइमाफेसी केस नहीं बनता। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्नकाल समाप्त। व्यासजी, बैठिये।

**श्री सुरेन्द्र व्यास :** अध्यक्ष महोदय, इसका स्पष्टीकरण बहुत आवश्यक है।

**श्री अध्यक्ष :** आप प्रक्रिया के नियमों की जानकारी रखने वाले माननीय सदस्य हैं, आप बैठिये।

**श्री शिवनाथ सिंह :** अध्यक्ष महोदय, गवर्नर के आदेश को कोई भी चैलेंज नहीं किया गया यहां। (व्यवधान) पूछा इतना गया है कि गवर्नर साहब की आज्ञा से बहाल किया है या आपने अपने आप किया है ? कहीं भी गवर्नर के आदेश को चैलेंज नहीं किया है, इसलिए, अध्यक्ष महोदय, आप इस बात को खतम कीजिये।

**श्री अध्यक्ष :** स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था। आर्डर प्लीज।

**श्री सुरेन्द्र व्यास :** मैं एक व्यवस्था का प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष :** नहीं, व्यवस्था का प्रश्न अभी नहीं हो सकता।

**श्री सुरेन्द्र व्यास :** अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल समाप्त हो गया।

**श्री अध्यक्ष :** जीरो आवर में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते आप। आप बैठिये।

**श्री सुरेन्द्र व्यास :** उससे संबंधित नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

**श्री अध्यक्ष :** जीरो आवर में व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं देता हूं। आप बैठिये।

**श्री सुरेन्द्र व्यास :** अध्यक्ष महोदय, इससे संबंधित नहीं है। व्यवस्था का प्रश्न है, इससे संबंधित नहीं है।

**श्री अध्यक्ष :** बाद में मुझे से बात कीजिये आप।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल से संबंधित नहीं है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल हो गया, उससे अलग हटकर मैं एक व्यवस्था का प्रश्न ला रहा हूं। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह अलग नहीं है। (व्यवधान)

**श्री जगत सिंह दायमा** : अध्यक्ष महोदय, एस.सी., एस.टी. के जो अधिकारी थे, आज 6 तारीख को जवाब देना था। सबसे बड़ा सवाल एस.सी., एस.टी, के अधिकारों का है।

**श्री अध्यक्ष** : जीरो आवर में आप कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते।

**श्री रामस्वरूप** : एस.सी., एस.टी., की तो हमने भी पहले मांग रखी है। मुख्य मंत्रीजी से हम भी मिले हैं, सबसे हमारी बात हो रही है।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, बैठिये।

**श्री जगत सिंह दायमा** : यह कोई मायने नहीं रखते। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : हमारी सरकार चिंतित है। (व्यवधान) आप क्या उठा रहे हो, हमारी सरकार चिंतित है। इस मामले में तो निश्चित कार्यवाही कर रही है। एस.सी., एस.टी., के मामले में तो जरूरतमंदों को लाभ देगी।

**श्री अध्यक्ष** : बैठिये आप।

**श्री जगत सिंह दायमा** : सबसे पहले हम यह जवाब चाहेंगे सदन में कि क्यों आपने एस.सी., एस.टी., के अधिकारियों को जिनका प्रमोशन आई.पी.एस. में हो गया था, रिवर्ट कर दिया ? सबसे पहला सवाल यह उठता है, उसके बाद में कोई है। (व्यवधान)

**डा. किरोड़ी लाल** : अध्यक्ष महोदय, उस दिन मैंने ध्यान आकर्षित किया था एस.सी., एस.टी. के 8 अधिकारियों को पदावनत करने का, आज सरकार को जवाब देना था।

**श्री अध्यक्ष** : दायमाजी, बैठिये आप।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति के खिलाफ अन्याय कर ही रही है लेकिन सदन भी अन्याय करेगा ? सबसे आखिर में यह मुद्दा रखा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कह रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष** : सुरेन्द्रजी बैठिये।

**श्री रामस्वरूप** : सरकार न्याय कर रही है। हमारी भी यही मांग थी, हम भी न्याय करवा रहे हैं, आप चिंता मत करो।

**श्री अध्यक्ष** : कोई भी पाइंट ऑफ आर्डर की जीरो आवर में मैं अनुमति नहीं देता। बैठिये आप। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : हम क्या सरकार से मांग नहीं कर सकते ? आपका ही ठेका है ? आप इसको राजनीति में क्यों ले जाना चाहते हो ?

**श्री अध्यक्ष** : रामस्वरूपजी, बैठिये आप।

**श्री रामस्वरूप** : हमारी सरकार चिंतित

(श्री रामस्वरूप)

है, इस मामले में निश्चित हमारी सरकार कार्यवाही करेगी। आप राजनीति क्यों कर रहे हो ? (व्यवधान) आप रुकवा रहे हो चला कर इस मामले को।

**श्री अध्यक्ष** : रामस्वरूपजी, बैठिये।

**श्री रामस्वरूप** : हमारी सरकार चाहती है इसको करना मंशा है सरकार की। हमने मांग की है इस मामले को लेकर।

**श्री जगत सिंह दायमा** : क्या मांग की है आपने ? (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : क्या आपने इस धर्म का ठेका ले लिया ? आपने अधिकारियों का ठेका ले लिया ?

**श्री अध्यक्ष** : रामस्वरूपजी, बैठिये।

**श्री रामस्वरूप** : हमारी सरकार चिंतित है, माननीय मुख्य मंत्रीजी चिंतित हैं, जरूर कार्यवाही करेंगे इसके अंदर।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। रामस्वरूपजी, बैठिये। दायमाजी, आप बैठे।

**श्री जगत सिंह दायमा** : कोई मामले में बोलने नहीं देते है।

**श्री जगत सिंह दायमा** : कोई मामले में बोलने नहीं देते हैं, +++

**श्री रामस्वरूप** : बोलने नहीं देते दूसरों को। आपने ठेका ले लिया बोलने का ? हमारी सरकार है तो हम नहीं बोल सकते ?

**श्री अध्यक्ष** : रामस्वरूपजी, बैठिये। दायमाजी, बैठिये।

**श्री रामस्वरूप** : हमारी सरकार को सही बात को हम भी कह सकते हैं, हम भी उठा सकते हैं।

**श्री अध्यक्ष** : आप बैठिये।

**श्री जगत सिंह दायमा** : +++

**श्री रामस्वरूप** : आपको जो कुछ करना है आप कर लीजिये। हमारी सरकार एस.सी., एस.टी. के अधिकारी के मामले में जरूर कार्यवाही कर रही है, उनको लाभ देगी जरूर।

**श्री जगत सिंह दायमा** : +++ (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : बैठिये, रामस्वरूपजी।

**श्री रामस्वरूप** : राजनीतिक रूप देना चाहते हो, आप उनके दुश्मन हो। आप उनका भला नहीं चाहते हो।

**श्री जगत सिंह दायमा** : हां, हम भला चाहते हैं। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : रामस्वरूपजी, बैठिये। दायमाजी, बैठिये। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : जरूर सरकार कार्यवाही करेगी। मैं खुद माननीय मंत्रीजी से मिला हूं, मैंने खुद ने मंत्रीजी से मांग की है। उन्होंने आश्वासन भी दिया है हम को।

---

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

**श्री जगत सिंह दायमा** : +++ इनको। एस.टी., एस.टी. पर बोलने नहीं देते हो।

**श्री रामस्वरूप** : आप नहीं बोलते। हम एस.टी., एस.टी. के नहीं हैं क्या ? एस.सी., एस.टी. के असली तो हम है, आप काहै के एस.सी., एस.टी. के हो ? हम भला चाहते हैं एस.सी., एस.टी. का।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर प्लीज। रामस्वरूपजी, विराजिये। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : आप एस.सी., एस.टी. का भला नहीं चाहते। मैं भी एस.सी., एस.टी. का हूं।

**श्री अध्यक्ष** : रामस्वरूपजी, बैठिये। दायमाजी, बैठिये।

**श्री जगत सिंह दायमा** : जो आदमी आपनी बच्चियों को अपना नहीं बताता तो अपनी जात को क्या...(व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : आप छिपा रहे हो अपनी जात को, हम एस.टी. के हैं। (व्यवधान)

**श्री जगत सिंह दायमा** : कहते है कि मेरी बच्चियां नहीं। +++ तीन लड़की है, यह कहै मेरी लड़की नहीं है।

**श्री रामस्वरूप** : आप उनका भला तो रूकवाना चाहते हो।

मुख्य मंत्रीजी चिंतित हैं इस मामले में, वे जरूर कार्यवाही कर रहे है।

**श्री अध्यक्ष** : अंकित नहीं हो। रामस्वरूपजी, बैठिये। अंकित नहीं हो।

**श्री रामस्वरूप** : XXX

**श्री जगत सिंह दायमा** : XXX

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। रामस्वरूपजी, कोई अंकित नहीं हो रहा है। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

**(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)**

## अतारांकित प्रश्नोत्तर

### दुर्गापुरा (जयपुर) स्थित काशीपुरी आवासीय योजना का नियमन

256. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जयपुर शहर में ऐसी कितनी कालोनियां हैं जो विभिन्न गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा सरकारी अवाप्त शुदा भूमि पर बना दी गई हैं ? उक्त में से कितनी कालोनियों को नियमित कर दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें। शेष कालोनियों को नियमित नहीं किये जाने के क्या कारण है ?

(2) क्या यह सही है कि काशीपुरी योजना के नाम से दुर्गापुरा में कोई आवासीय योजना गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा

---

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

बनाई गई है ? यदि हां, तो अन्य योजनाओं की भांति इस योजना को भी नियमित क्यों नहीं किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना में बने हुए मकानों को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त कर दिया गया हे ? यदि हां, तो क्या सरकार जिनके मकान ध्वस्त किये गये है उनको रियायती दर पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जमीन दिये जाने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में विभिन्न गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा 377 योजनाएं अवाप्त शुदा भूमि पर बना दी हे, जिनमें से 24 कालोनियों के भू–खण्डों का नियमन किया है, सूची "अ" संलग्न है। जिन योजनाओं को विभिन्न कारणों से नियमित नहीं किया जा सका है, उसकी सूची "ब" संलग्न है।

(2) जी हां। हथरोई गढ़ी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना काशीपुरी दुर्गापुरा के पास बनायी गई थी जो अवाप्तशुदा भूमि पर थी, जिसमें प्राधिकरण की बस स्टेण्ड योजना होने तथा मास्टर प्लान 2011 में भू–उपयोग व्यावसायिक होने के कारण इस योजना को नियमित नहीं किया गया तथा न्यायालय से प्राधिकरण के पक्ष में दिनांक 6.2.2000 को निर्णय होने पर अतिक्रमण हटाकर योजना की भूमि प्राधिकरण के कब्जे में ले ली गई हैं

(3) जी हां। प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त किये गये निर्माण से संबंधित भू–खण्डधारियों को रियायती दर पर भू–खण्ड आवंटित करने के संदर्भ में कोई भी निर्णय नहीं किया गया है। योजना पर बने मकानों को तथा छोटे–छोटी कोठरियों की भूमि को ध्वस्त किया जाकर प्राधिकरण द्वारा कब्जा लिया गया था। दो परिवार स्वयं के मकान में तथा दो किरायेदार के रूप में योजना में बने मकानों में रह रहे थे, जिन्हें निवास की वैकल्पिक व्यवस्था होने तक मनोहरपुरा कच्ची बस्ती के ई.डब्ल्यू.क्वार्टर्स में रहने की व्यवस्था की गई है। जिसमें से एक व्यक्ति ही ई.डब्ल्यू. क्वार्टर्स में रहने लगा है तथा शेष में स्वयं की व्यवस्था की है। अन्य कोठरियां कब्जे की दृष्टि से बनायी गई थी जिनमें कोई भी निवास नहीं कर रहा था।

**(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)**

## गृह निर्माण सहकारी समितियों की तकनीकी रूप से अनुमोदित योजनाएं

257. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जयपुर शहर में गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा बसाई गई आवासीय

(श्री भंवरलाल शर्मा)

योजनाओं में से कितनी आवासी योजनाओं को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तकनीकी रूप से कब अनुमोदित किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त रूप से अनुमोदित योजनाओं में से कितनी योजनाओं में कब–कब पट्टे वितरित किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखे।

**उत्तर**

(1) जयपुर शहर में गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा बसाई गई आवासीय योजनाओं में 462 योजनाएं स्वीकृत की गई जिसकी सूची "अ" संलग्न है।

(2) अक्टूबर, 1999 से 30.9.2000 तक योजनाओं के शिविर आयोजित कर पट्टे वितरित किये गये हैं जिसकी सूची "ब" संलग्न है।

**(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)**

## जयपुर नगर निगम द्वारा वसूली गई आयकर राशि के भुगतान में विलम्ब

258. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि जयपुर नगर निगम द्वारा ठेकेदारों के भुगतान के समय एवं कर्मचारियों के वेतन से काटी गई आयकर की राशि को समय पर जमा नहीं करा पाने के कारण 11 लाख रुपये की पेनल्टी का भुगतान आयकर विभाग को करना पड़ा है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन–कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

जयपुर नगर निगम द्वारा कर्मचारियों के वेतन से काटी गई आयकर राशि समय पर जमा करा दी गई हे। ठेकेदारों को किये गये भुगतान पर काटी गई आयकर की राशि समय पर जमा नहीं कराये जाने पर निगम द्वारा ब्याज राशि 11,57,631/– रुपये जरिये चालान भुगतान किया गया है। जिसके लिये कोई अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है। निगम की वित्तीय स्थिति कमजोर होने के कारण समय पर राशि जमा नहीं कराई जा सकी।

## गोल व भीमरलाई (पचपदरा) स्टेशन पर पेयजल व्यवस्था

259. **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या गोल व भीमरलाई स्टेशन पर राज्य सरकार द्वारा पीने के पानी की पाइप लाइन लगाई हुई है ? यदि हां, तो क्या वहां पर निरन्तर पानी सप्लाई किया जा रहा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अमराराम चौधरी)

(2) क्या उक्त ग्रामों में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिये कोई अतिरिक्त योजना बनाई गई ? यदि हां, तो उक्त योजना कब तक स्वीकृत होकर कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त ग्रामों में लगातार अकाल रहा है और पीने के पानी का पूरा अभाव है ?

उत्तर

(1) जी, हां। पाइप लाइन से ग्रामों में पानी नहीं जा रहा है।

(2) जी हां। योजना बनाई जाकर तकनीकी जांच की प्रक्रिया में है स्वीकृती उपरांत बजट एवं संसाधन की उपलब्धतानुसार कार्य किया जाना सम्भव होगा।

(3) गत वर्षों में पानी की कमी रहने के कारण टैंकर परिवहन द्वारा पानी वितरित किया जाता रहा है।

## जिला जालौर में स्वीकृत आपात-कालीन पेयजल योजनाएं

260. **श्री गणेशीराम मेघवाल** (जालौर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला जालौर में आपातकालीन योजनाओं के तहत वर्ष 2000–2001 में कितने लाख के कार्य स्वीकृत हुए हैं एवं उसके तहत कितने हैण्ड पम्प/ट्यूब वैल/कुए गहरे/बोरिंग के कार्य स्वीकृत हुए है ?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत उक्त कार्यों की स्थिति ग्राम पंचायतवार क्या हैं ?

(3) उक्त क्षेत्र में हैण्ड पम्प खोदने की तिथि क्या है एवं उक्त कार्य कब शुरू हुए ?

(4) उक्त क्षेत्र के ट्यूब वैल कब पूर्ण हुए और उनमें बिजली उपलब्ध किस तिथि को कराई गई ।

(5) जालौर क्षेत्र में कुएं गहरे करने के कार्यादेश किस तिथि को दिये गिये एवं कार्य पूर्ण करने की तिथि क्या रखी थी ?

उत्तर

(1) जिला जालौर में आपातकालीन योजना के तहत वर्ष 2000–2001 में 44.19 लाख रुपये के कार्य स्वीकृत हुए इसके तहत 10 नलकूप एवं 2 कुएं गहरे एवं 1 बोरिंग के कार्य स्वीकृत हुए।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत हैण्ड पम्प/नलकूप/कुआं गहरे/बोरिंग आदि के कार्यो की स्थिति ग्राम पंचायतवार परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) वर्ष 2000–2001 में आपातकालीन योजना के तहत कोई हैण्ड पम्प स्वीकृत नहीं हुआ।

(4) विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(5) विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

**(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)**

## ग्राम लूणवां (नागौर) में पेयजल व्यवस्था

261. **श्री हरीशचन्द** (नावां) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम लूणवां तहसील नावां, जिला नागौर में पेयजल की व्यवस्था हेतु करीब 25 वर्ष पूर्व से दो ओवर हैड टेंक बनाकर पानी सप्लाई की योजना बनाई गई थी ? यदि हां, तो इस पर कितनी राशि व्यय हुई है ?

(2) क्या उक्त ग्राम में बनाये गये ओवर हैड टेंकों में कभी पानी भरा जाकर उससे जल वितरण किया गया है ? यदि हां, तो कब व कितने गांवों में तथा नहीं, तो राज्य खर्च से निर्मित उक्त योजना को अब कब तक उपयोगी बनाया जा सकेगा ?

(3) क्या ग्राम लूणवां में पेयजल योजना हेतु ग्राम भाटीपुरा में कुएं बनाकर पानी सप्लाई की व्यवस्था की जा रही है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण हो सकेगा ?

(4) क्या उक्त ग्राम में शिवजीकी ढाणी कलवानियों की ढाणी में जी. एल.आर. बने हुए हैं ? यदि हां, तो उनमें पानी कब तक सप्लाई किया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, वर्ष 1971–72 में स्वीकृत योजनाओं पर लगभग 14.83 लाख व्यय हुआ।

(2) जी हां, वर्ष 1981 से पहले सभी 14 गांवों को पानी वितरण किया गया था। जल स्रोत असफल हो जाने व पानी की कमी के कारण वर्तमान में उपरोक्त स्वीकृत योजना का उपयोग स्वीकृत योजनानुसार नहीं हो रहा है एवं स्थाई जल स्रोत उपलब्ध होने तक यथा स्थिति रहेगी।

(3) ग्राम भाटीपुरा में भू–जल वैज्ञानिक की राय के अनुसार स्थाई जल स्रोत उपलब्ध नहीं है। अतः वर्तमान में कोई योजना बनाना भाटीपुरा में प्रस्तावित नहीं है।

(4) जी हां, स्थाई जल स्रोत उपलब्ध होने पर पानी वितरण किया जा सकेगा।

## तहसील राजगढ़ (चूरू) में अधिशासी अभियन्ता के पद का सृजन

262. **श्री नन्दलाल पूनिया** (सादुलपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील राजगढ़ (चूरू) में जलदाय विभाग के कितने उपखण्ड है ?

(2) क्या सरकार उक्त उपखण्डों की संख्या को देखते हुए राजगढ़ में अधिशासी अभियन्ता का पद सृजित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों।

**उत्तर**

(1) तहसील राजगढ़ जिला चूरू में विभाग के 3 उपखण्ड संधारण कार्य में कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त आपणी योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन पुनर्गठन कार्यों के अन्तर्गत उपखण्ड राजगढ़ तहसील में कार्यरत है।

(2) जी नहीं। नये पदों के सृजन पर प्रतिबन्ध तथा कार्य भार की दृष्टि से राजगढ़ में अधिशासी अभियन्ता पद का सृजन किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

## विधान सभा क्षेत्र सपोटरा के डांग क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था

263. **श्रीमती कमला बृजलाल** (सपोटरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सपोटरा की तहसील सपोटरा के अन्तर्गत डांग क्षेत्र लम्बी दूरी तक फैला हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त डांग क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या है ?

(2) क्या सरकार उक्त तहसील के डांग क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या के समाधान हेतु बोरिंग कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी, हां। विधान सभा क्षेत्र सपोटरा की तहसील सपोटरा के डांग क्षेत्र में कुल 145 ग्राम सम्मिलित हैं। उक्त सभी ग्राम वर्तमान में विभिन्न प्रकार की पेयजल योजनाओं से लाभान्वित हैं।

(2) जी हां, आगामी ग्रीष्मकाल में सम्भावित पेयजल समस्या के समाधान हेतु समरकन्टींजेन्सी कार्यक्रम के तहत, डांग क्षेत्र में 57 हैण्डपम्पस, 5 नलकूप, पाइप लाइन इत्यादि के निर्माण कार्य प्रस्तावित किये गये हैं। वर्तमान में इनकी तकनीकी जांच की जा रही है।

## पंचायत समिति तिजारा (अलवर) में स्टोन क्रेशरों की जांच

264. **श्री जगमाल सिंह यादव** (तिजारा) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत समिति तिजारा (अलवर) में कितने स्टोन क्रेशर कार्यरत हैं एवं किन–किन के पास स्टोन की खान है ?

(2) जिन स्टोन क्रेशरों के पास स्वयं की खान नहीं है वो कहां से पत्थर लाते हैं ? खरीद के रवन्ने एवं स्वयं की खान से निकले हुए माल के रवन्ने की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या अब तक खान विभाग ने उक्त स्टोन क्रेशरों के रवन्नों की जांच की है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट मय रवन्ने की प्रति के विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) अब तक खनिज विभाग ने पंचायत

(श्री जगमाल सिंह यादव)

समिति तिजारा में कितने अवैध खनन के प्रकरण दर्ज किये और इस पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय अलवर, अधीक्षण अभियन्ता, खनिज विभाग भरतपुर, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग अलवर द्वारा भी कोई जांच की गई है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) पंचायत समिति तिजारा (अलवर) में 14 स्टोन क्रेशर कार्यरत है, एवं किसी भी स्टोर क्रेशर के पास स्टोन की खान नहीं है।

(2) स्टोन क्रेशरों के पास स्वयं की खान नहीं होने से पत्थर (कच्चा माल) मुख्य रूप से हरियाणा राज्य के जिला गुड़गांव के नूरपुर, सीलखां से हरियाणा सरकार द्वारा जारी एस.टी.पी. से खनिज प्राप्त करते है, एवं अलवर जिले के ग्राम चौपानकी, बंलवंडका, नीमली, उलउहेड़ी के चालू खनन पट्टों से भी खनिज प्राप्त करते हैं। स्टोन क्रेशर मालिकों के पास कोई खनन पट्टा नहीं होने से स्वयं की खान से निकाले गये माल के रवन्ना का प्रश्न ही नहीं उठता। खनिज की खरीद के रवन्ने इत्यादि क्रेशर मालिकों के पास ही रहते है एवं विभाग द्वारा रिकार्ड देख कर अधिशुल्क निर्धारण कर लौटा दिया जाता है। कार्यालय में अधिशुल्क निर्धारण हेतु लम्बित एक मामले में उपलब्ध रवन्नों की फोटो प्रतियां संलग्न है।

(3) जी हां, खान विभाग अलवर द्वारा हरियाणा सरकार के खनन अधिकारी खान एवं भू–विज्ञान विभाग गुड़गांव, फरीदाबाद, रेवाडी एवं जिला कलेकटर रेवाड़ी, महेन्द्रगढ़, गुड़गांव, फरीदाबाद को रवन्नाओं (भार पर्चियों) के सत्यापन हेतु पत्र दिनांक 24.5.2000, 27.6.2000, 4.7.2000 व 30.8.2000 लिखे जिसका उत्तर मात्र खनन अधिकारी गुड़गांवा द्वारा पत्र दिनांक 6.9.2000 से दिया गया कि "पट्टेधारी" को खानों से खनिज की निकासी के लिये भार पर्चियां वितरित की जाती हैं, जिन्हें सत्यापन नहीं किया जाता, परन्तु प्रत्येक पट्टेधारी को वितरित भार पर्चियों का रिकार्ड रखा जाता है।

दस क्रेशर मालिकों के द्वारा उपयोग में लाये गये खनिज (स्टोन) के स्रोत की जानकारी संबंधी नोटिस दिये गये है तथा नोटिस की अवधि के पश्चात् नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। तीन क्रेशर मालिकों के विरुद्ध खनिज की कीमत वसूली कार्यवाही प्रारम्भ की गई है तथा एक मामले में रिकार्ड प्रस्तुत कर दिया है जिसकी जांच की जा रही है। खनन अधिकारी गुड़गांवा के पत्र दिनांक 6.9.2000 एवं हरियाणा सरकार के रवन्ना (भार पर्चियां) तथा राजस्थान सरकार के द्वारा जारी रवन्ना (भार पर्चियों) की प्रति

(राज्य मंत्री, खनिज)

संलग्न है।

(4) खनिज विभाग ने पंचायत समिति तिजारा में अवैध खनन के सात प्रकरण बनाये है, जिनमें दो प्रकरण गैर वन भूमि के है, जिनमें मांग कायम कर वसूली की जा रही है। शेष पांच प्रकरण वन भूमि के है, उनके बारे में उप वन संरक्षक अलवर को सूचित कर दिया है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर–द्वितीय अलवर व अधीक्षण खनिज अभियन्ता, भरतपुर द्वारा जांच की गई है जिसका विवरण संलग्न है। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा इस संबंध में प्राथमिक जांच संख्या 65/2000 दर्ज की है व उनके द्वारा जांच की जा रही है।

**(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)**

## जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर के ग्रामों में खनिज भण्डार

265. **श्री अमीन खांन** (शिव) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला बाड़मेर के कितने गांवों में कोयला निकलने की सम्भावना है ?

(2) जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर के सीमावर्ती कितने गांवों में गैस/पैट्रोल निकलने की सम्भावना है ? तहसीलवार गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जिला बाड़मेर में कोयला निकलने की सम्भावना नहीं है। इस जिले के ग्राम जालिपा, कपूरड़ी गिराल, बोथिया, सच्चा सौदा, सोनारी, कोसलू एवं गुढ़ा आदि में लिग्नाईट के भण्डार उपलब्ध है।

(2) बाड़मेर व जैसलमेर जिले में निम्न स्थानों में पेट्रोलियम (खनिज तेल) एवं गैस निकलने की सम्भावना है :–

**पेट्रोलियम**

| जिला | तहसील | ग्राम |
|---|---|---|
| बाड़मेर | गुढ़ामलानी | मग्गां की ढाणी कोसलू बन्द एवं नागरका |
| | **गैस** | |
| जैसलमेर | रामगढ़ | तनोट, डांडेवाल, बागी टिब्बा, मनहेरा टिब्बा, घोटारू, बांकीया, खरातर, सादेवाला, भांकरी टिब्बा व लूनार |

## पुलिस थाना पल्लू (हनुमानगढ़) में दर्ज प्रकरण संख्या-64/99

266. **श्री मांगीलाल डांगा** (मेड़ता) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पुलिस थाना पल्लू जिला हनुमानगढ़ में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–64/99 दर्ज करवाई गई थी ?

(श्री मांगीलाल डांगा)

क्या उक्त रिपोर्ट के संबंध में सरकार ने अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 420, 467, 468, 471 के तहत जुर्म प्रमाणित करना पाया है ? यदि हां, तो अभियुक्तों को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ? क्या अभियुक्त फरार है ?

(2) क्या यह सही है कि अब तक की जांच के आधार पर अभियुक्त ने झूठा बयान व अपने पिता के साथ जालसाजी रचकर 50 बीघा भूमि के स्थान पर 124 बीघा भूमि पर अपने पिता के नाम खातेदारी प्राप्त कर उक्त भूमि को अपने पुत्रों व पत्नी के नाम नामान्तरण करवाया था ?

(3) क्या श्री भूराराम ने अपनी जमानत अर्जी में बयान देकर यह स्वीकार किया है की रिकोर्ड में कांट छांट मेरे पुत्र श्री बृजलाल द्वारा की गई है ? यदि हां, तो सरकार अभियुक्त श्री बृजलाल के विरुद्ध धारा 420, 467, 468, 471 के तहत कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है ?

**उत्तर**

(1) जी हां। दिनांक 9.9.1999 को न्यायालय श्रीमान् सी.जे. (जे.डी.) जे.एम.सा. रावतसर के आदेश अन्तर्गत 156 (3) सी.आर.पी.सी. का इस्तगासा श्री देवकरण पुत्र मनफूल राम जाति जाट नि. न्योलखी का थानापल्लू पर प्राप्त होने पर अभि. सं. 64 दिनांक 9.9.1999 धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भा.द.स के अन्तर्गत दर्ज हुआ इस अभियोग में भूराराम, बृजलाल अभियुक्त पाये गये है। अभियोग में भूराराम को दिनांक 12.10.2000 को गिरफ्तार किया जा चुका है।

(2) उक्त अंकित अभियोग के पुलिस अनुसंधान व बयानात गवाहान के आधार पर भूराराम व बृजलाल के द्वारा रिकार्ड में कांट–छांट कर खसरा नं. 297 में 10 बीघा के स्थान पर 20 बीघा व खसरा नं. 303 में 10 बीघा के स्थान पर 40 बीघा कुल बीस बीघा के स्थान पर 60 बीघा भूमि पर अपना कब्जा दर्शाकर 40 बीघा अतिरिक्त राजकीय भूमि को गैर कानूनी ढंग से अपने नाम दर्ज करवाना पाया गया।

(3) भूराराम ने अपनी जमानत अर्जी में यह स्वीकार नहीं किया कि रिकार्ड में कांट–छांट मेरे पुत्र बृजलाल द्वारा की गई है मगर बहस जमानत मुलजिम भूराराम के वकील ने ज़िरह में जरूर कहा कि अभियुक्त बीमार है चलने फिरने में असमर्थ है अनपढ़ अंगूठा छाप व्यक्ति है जो भी कार्यवाही की है वह उसके लड़के बृजलाल ने की है अतः अभियुक्त की जमानत ली जावे। तफतीश पुलिस बयानात गवाहान एवं रिकार्ड के आधार पर मुलजिम बृजलाल के विरुद्ध जुर्म धारा 420, 467, 120बी 468, 471 भा.द.सं. साबित पाये जाने पर उसे 11.10.2000 को गिरफ्तार किया जा चुका है। अभियोग अभी अनुसंधानाधीन है।

## श्रीगंगानगर शहर का फर्जी शादी प्रकरण

267. **श्री राधेश्याम गंगानगर** (श्रीगंगानगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि श्रीगंगानगर शहर में फर्जी शादी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली महिलाओं व दलालों के विरुद्ध पुलिस थाने में कोई मुकदमा दर्ज हुआ है ? यदि हां, तो कब ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त शादियों के जरीए लाखों रुपये ऐंठने वाली महिला/पुरुष/दलाल कानूनी खामी का फायदा उठाकर कई लोगों से नकदी व जेवर ठग चुके हैं ? क्या सरकार ऐसे गलत कार्यों पर अंकुश लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या पुलिस इसे सिविल का मामला मानकर अंतिम रिपोर्ट लगाने की तैयारी कर रही है ? क्या पुलिस अधिकारी इस मामले में कई बार विचार–विमर्श कर चुके हैं परन्तु अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही का रास्ता नजर नहीं आ रहा है ? क्या सरकार उक्त प्रकरणों में कोई ठोस कदम उठाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

### उत्तर

(1) जी हां। शहर श्रीगंगानगर में वर्ष 2000 में फर्जी शादी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली महिलाओं एवं दलालों के विरुद्ध पुलिस थाना जवाहरनगर में दिनांक 3.7.2000, 9.8.2000 व 23.8.2000 को पुलिस थाना कोतवाली में दिनांक 5.10.2000 को अभियोग दर्ज हुऐ हैं, जिनका अभियोगवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी हां, उक्त शादियों के जरिये रुपये ऐंठने के आरोपित व्यक्तियों के विरुद्ध निम्न अभियोग पंजीबद्ध कराये गये है :

1. मु.नं. 261/2000 थाना जवाहरनगर, श्रीगंगानगर फर्जी शादी नाम पर 50,000/– रुपये, एक तोला सोना व 20 तोला चांदी निर्मला पत्नी हरिसिंह पुत्र श्री फोजा सिंह निवासी मीरा चौक श्रीगंगानगर ने लिये थे।

2. मुं.नं. 325/2000 थाना जवाहरनगर, श्रीगंगानगर में फर्जी शादी के लिए 15,000/–सोनिया निवासी करणपुर रोड व रानी ने मिलकर लिये थे।

3. मुं.नं. 360/2000 थाना जवाहरनगर, श्रीगंगानगर।

4. मुं.नं. 365/2000 थाना कोतवाली, श्रीगंगानगर में फर्जी शादी के लिए 10,000/–रुपये सोनू, रतनलाल सोनी, मनजीत उर्फ छिन्दा ने लिये थे। उक्त चारों अभियोग अनुसंधानाधीन है। अनुसंधान पूर्ण होने पर ही कानून खामियों बाबत जो जानकारी आयेगी, उसका अध्ययन कर आवश्यक कानूनी कदम उठाया जायेगा।

(3) यह सही नहीं है कि पुलिस इसे सिविल नेचर का मामला मानकर अंतिम रिपोर्ट लगाने की तैयारी कर रही है। उक्त

(गृह मंत्री)

चारों अभियोग अभी अनुसंधानाधीन है। अनुसंधान पूर्ण होने के उपरान्त ही अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। अनुसंधान शीघ्र पूर्ण करने हेतु संबंधित पुलिस अधीक्षक को निर्देशित कर दिया गया है।

**(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)**

## जिला सीकर के थानों में दर्ज प्रकरण

268. **श्री मोहन लाल मोदी** (नीमकाथाना) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला सीकर के नीमकाथाना एवं पाटन पुलिस थानों में गत तीन वर्षों में 30 सितम्बर, 2000 तक किन–किन अपराधों के मुकदमे दर्ज हुए हैं ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कितने मामलों में चालान पेश हुए हैं एवं कितने मामलों में अंतिम प्रतिवेदन दिये गये हैं ? अंतिम प्रतिवेदन दिये जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अब शेष मुकदमों की जांच में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

(4) जिला सीकर के विभिन्न थानों में वर्ष 1996 से सितम्बर, 2000 तक कितने मामले अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक के दर्ज हुए हैं तथा उनमें से कितनों का चालान हुआ है और कितनों में अंतिम प्रतिवेदन दिये गये एवं अनिवीक्षा में क्या परिणाम रहा ?

### उत्तर

(1) जिला सीकर के पुलिस थाना नीमकाथाना में वर्ष 1997 से 30.9.2000 तक भा.दस. के अंतर्गत कुल 1894 एवं विभिन्न एक्ट के अन्तर्गत 59 अपराध पंजीबद्ध हुऐ हैं। इसी तरह उक्त अंकित अवधि में पुलिस थाना पाटन में भा.द.स. के अंतर्गत 833 एवं विभिन्न एक्ट के अन्तर्गत 34 अपराध पंजीबद्ध हुए हैं। वर्षवार दर्ज अभियोगों की निस्तारण सहित तालिका परिशिष्ट "अ" एवं "अ–1" में संलग्न है।

(2) पूर्ण सूचना परिशिष्ट "अ" एवं "अ–1" में अंकित है।

(3) परिशिष्ट "अ" एवं "अ–1" में अंकितानुसार वर्ष 2000 के कुल 77 अभियोग अनुसंधानाधीन है जिनमें त्वरित कार्यवाही किये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक सीकर को निर्देशित किया गया है।

(4) जिला सीकर में अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 1996 से 30.9.2000 तक कुल 662 अभियोग पंजीबद्ध हुए है जिनमें लिये गये अंतिम निर्णय सहित, अनिवीक्षा की वर्तमान स्थिति सहित सूचना परिशिष्ट "ब" में संलग्न है।

**(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)**

## जिला जैसलमेर में नये पुलिस थाने/चौकियां

269. **श्री गोवर्द्धन कल्ला** (जैसलमेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर के फील्ड फायरिंग रेंज लाठी में सुरक्षा की दृष्टि से लाठी चौकी को क्रमोन्नत कर थाना बनाना वांछित है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिले के नहरी क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं अधिक हो रही है तथा नई आबादियां बस गई है ? क्या सुथारवाला मण्डी पर नया थाना खोलना आवश्यक है ?

(3) क्या यह भी सही है कि जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्र में अधिक चौकियां खोलना सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है ?

(4) क्या सरकार उक्त जिले में नई चौकियां/थाने खोलने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) आवश्यकतानुसार खोलने का विचार रखती है परन्तु वित्तीय साधनों के अभाव में यह फिलहाल सम्भव नहीं है।

(4) उपरोक्तानुसार।

## पुलिस थाना शिवदासपुरा (जयपुर) में दर्ज प्रकरण संख्या 178/2000

270. **श्री रामनारायण विश्नोई** (फलौदी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या पुलिस थाना शिवदासपुरा (जयपुर) में दिनांक 19 अगस्त, 2000 को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 178/2000 दर्ज कराई गई ? यदि हां,तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति एवं उस पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त संबंध में तहसीलदार सांगानेर द्वारा भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई ? यदि हां, तो कब और इसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई और कार्यवाही में विलम्ब के क्या कारण रहे ? प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति मय प्रगति के विवरण के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पुलिस एवं प्रशासन द्वारा अतिक्रमणकारियों से मिली भगत के कारण उक्त अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसमें लिप्त दोषियों को दण्डित कर अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) जी हां। दिनांक 19.8.2000 को पुलिस थाना शिवदासपुरा जिला जयपुर

(गृह मंत्री)

ग्रामीण पर श्री छीतरमल ब्राह्मण निवासी मोहनपुरा द्वारा मारपीट की घटना की लिखित रिपोर्ट श्री मानधाता सिंह व अन्य के विरुद्ध प्रस्तुत करने पर अभियोग संख्या 178/2000 अंतर्गत धारा 341, 323 भा.द.स. पंजीबद्ध किया अनुसंधान से श्री मानधाता सिंह के विरुद्ध ही अपराध धारा 341, 323 भा.द.स. में प्रमाणित पाया गया है। अभियुक्त की जमानत ली जा चुकी है। अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र शीघ्र ही न्यायालय में पेश किया जावेगा। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं आरोप पत्र की प्रति परिशिष्ट "अ" व "ब" संलग्न है।

(2) जी नहीं। राजस्व तहसीलदार सांगानेर द्वारा दिनांक 15.4.2000 को थाना शिवदासपुरा पर ग्राम मोहनुपरा स्थित पुराने गढ़ को नजूल सम्पति होने बाबत एवं श्री मानधाता सिंह आदि द्वारा उस पर नाजायज कब्जा करने से संबंधित आरोप की लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अभियोग संख्या 78/2000 अन्तर्गत धारा 448 भा.द.स. पंजीबद्ध किया जाकर पुलिस द्वारा अनुसंधान आरम्भ किया गया। पुलिस द्वारा प्रकरण में तत्परता से अनुसंधान किया जा रहा है। विवादित गढ़ की मालकियत तथा उसके नजूल सम्पति होने संबधित राजस्व विभाग से अभिलेख प्राप्त करने हेतु बारम्बार लिखा जा रहा है राजस्व विभाग से आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाने के कारण अनुसंधान में अग्रिम कार्यवाही सम्भव नहीं हो पा रही है। अभिलेख उपलब्ध होने पर ही वांछित कानूनी कार्यवाही अविलम्ब की जावेगी। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "स" संलग्न है।

(3) यह तथ्य सही नहीं है कि पुलिस की अतिक्रमणकारियों से कोई मिलीभगत है। पुलिस को सूचना प्राप्त होते ही अभियोग पंजीबद्ध कर तत्परता से अनुसंधान किया जा रहा है। अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध वांछित साक्ष्य एकत्रित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। उचित साक्ष्य उपलब्ध होने पर तत्काल उनके विरुद्ध वांछित कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

## जिला चूरू में दर्ज प्रकरणों का निस्तारण

271. श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जनवरी, 1999 से 30 सितम्बर, 2000 तक चूरू जिले के पुलिस थानों में कहां–कहां चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार एवं अनुसूचित जाति/जनजाति छुआछूत के मुकदमें कब–कब दर्ज हुये हैं ? थानावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने–कितने मुकदमों का निस्तारण किस–किस थाने में कब–कब हुआ और कितने मुकदमे विचाराधीन हैं तथा

(गृह मंत्री)

कितने मुकदमों में अंतिम रिपोर्ट दी गई है ? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला चूरू के विभिन्न पुलिस थानों में एक जनवरी, 1999 से 30 सितम्बर, 2000 तक की अवधि में अपराध शीर्षक चोरी के अंतर्गत 643, डकैती के 5 हत्या के 67 एवं बलात्कार के 36 अभियोग पंजीबद्ध हुए हैं। अपराध शीर्षक अनुसूचित जाति एवं जन जाति छुआछूत अधिनियम के अंतर्गत कोई अभियोग पंजीबद्ध नहीं हुआ है। इन पंजीबद्ध अपराधों की शीर्षकवार, थानावार विवरण की सूची परिशिष्ट "अ" से "अ" 3 तक संलग्न है।

(2) उक्त अवधि में पंजीबद्ध अभियोगों के निस्तारण का अपराध शीर्षकवार, थानेवार विवरण भी परिशिष्ट "अ" से "अ" 3 में अंकित है।

**(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)**

## राज्य के विभिन्न थानों में दर्ज अवैध हथियारों के प्रकरण

272. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जनवरी, 1999 से 13 अक्टूबर, 2000 के मध्य में विभिन्न थानों में कितने अवैध हथियारों के जखीरों को पकड़ने के मामले दर्ज हुये ? सूची थानावार मुल्जिमों के नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अवैध हथियारों के निर्माण तथा हथियारों को रखने के बारे में समय–समय पर राज्य पुलिस को शिकायतें मिलती है ? यदि हां, तो कितने मामलों में छानबीन की गई तथा किन–किन मामलों में शिकायतें दर्ज की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनवरी, 1999 से 13 अक्टूबर, 2000 के मध्य राज्य के विभिन्न पुलिस थानों में अवैध हथियरों को पकड़ने के संबंध में कुल 1592 अभियोग पंजीबद्ध हुए हैं। जिनमें कुल 1797 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। अभियुक्तों के नाम सहित अभियोगवार विवरण परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(2) उक्त अवधि में अवैध रूप से हथियारों के निर्माण एवं अवैध रूप से रखने के संबंध में प्राप्त सूचना एवं प्राप्त शिकायतों के आधार पर कुल 7 अभियोग पंजीबद्ध कर कुल 9 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। अभियोगवार विवरण परिशिष्ट "अ" में अंकित है।

**(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)**

## अरावली परियोजना (झुंझुनूं) में वृक्षारोपण कार्य का भौतिक सत्यापन

273. **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि झुंझुनूं जिले की उदयपुरवाटी तहसील क्षेत्र में अरावली परियोजना के अंतर्गत वृक्षारोपण के किये गये कार्य का भौतिक सत्यापन करवाये जाने का मामला सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसकी अनुपालना में उक्त क्षेत्र में वर्ष 1997 से 1999 में किये गये वृक्षारोपण के कार्यों में से कितने प्लांटों की गिनती का का काम पूर्ण किया जा चुका है तथा किस–किस प्लांट के वृक्षों की गिनती का कार्य किस अधिकारी ने किया है ?

(2) उक्त गिनती के परिणामस्वरूप किस–किस प्लांट में कितने–कितने पौधे किस–किस किस्म के मौजूद पाये गये तथा रोपे गये पौधों की और जिन्दे पौधों का क्या प्रतिशत है ?

### उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1997–1999 की अवधि के कुल 14 वृक्षारोपण स्थलों में से 4 वृक्षारोपण स्थलों में लगाये गये पौधो की गिनती का कार्य पूर्ण हो चुका है। वृक्षारोपणवार लगाये गये पौधों की गिनती का कार्य मूल्यांकन दलों के जिन अधिकारियों की देखरेख में किया गया है उनका विवरण संलग्न परिशिष्ट में दर्शाया गया है।

(2) जिन 4 वृक्षारोपण स्थलों में लगाये गये पौधों की गिनती का कार्य पूर्ण हो गया है उनमें लगाये गये पौधों की संख्या, जीवित पौधों एवं मृत पौधों की संख्या तथा जीवित पौधों संबंधी विवरण संलग्न तालिका में दर्शाया गया है क्योंकि इन 4 वृक्षारोपण स्थलों पर लगाये गये पौधों की गणना पूर्व में करायी गयी थी, अतः पौधों की किस्मवार गणना नहीं करायी गयी। शेष 10 वृक्षारोपण स्थानों पर लगाये गये पौधों का गणना कार्य किस्म वार कराया जा रहा है।

**(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)**

## सिवाना रेंज (बाड़मेर) के आरक्षित वन क्षेत्रों में अवैध खनन पट्टे

274. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर की सिवाना रेंज में वर्ष 1950 में आरक्षित वन क्षेत्रों को पुनरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह अधिनियम का उल्लंघन नहीं है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस आरक्षित वन क्षेत्र का अंशतः क्षेत्रफल लक्षित वन क्षेत्र घोषित करके बचे हुये आरक्षित क्षेत्र में वन विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर खनन के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये गये ? यदि हां, तो क्या यह वन संरक्षण अधिनियम

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

1980 का उल्लंघन नहीं है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। मारवाड़ फोरेस्ट एक्ट, 1934 के अंतर्गत प्रचलित विज्ञप्ति कानूनी तौर पर संदर्भित क्षेत्र को आरक्षित वन क्षेत्र घोषित करने के लिये अस्पष्ट एवं अपर्याप्त थी, इसलिए राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 29(3) के अंतर्गत वन क्षेत्रों को रक्षित वन घोषित करने की कार्यवाही की गई ।

(2) जी नहीं।

(3) पूर्व में मारवाड फोरेस्ट एक्ट 1934 के अंतर्गत पूर्व में घोषित वन क्षेत्र की सीमाएं अस्पष्ट एवं अपर्याप्त होने से विभाग द्वारा मामले की जांच कराई जा रही है।

## प्राणी मित्र सेवा संस्थान द्वारा पशु कल्याण पर व्यय

275. डा. **किरोड़ी लाल** (बामनवास) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि "प्राणी मित्र सेवा संस्थान" नामक न्यास जोधपुर सहित बाड़मेर एवं मारवाड़ क्षेत्र में पशु क्रूरता के विरुद्ध काम करता है ? यदि हां, तो कब से तथा पशु क्रूरता रोकने के लिए क्या–क्या कदम उठाये एवं उस पर ट्रस्ट ने कितनी राशि गत 5 वर्ष में व्यय की हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी, हां। प्राणी मित्र सेवा संस्थान से प्राप्त सूचना अनुसार यह दिनांक 28.3.2000 से जोधपुर में पशु क्रूरता के विरुद्ध कार्यरत है। इस संस्थान द्वारा निम्न कार्य किये जा रहे हैं :–

1. कत्लखाने जाने वाले गौ वंश को छुड़ाना एवं तदुपरान्त उनकी देखरेख की व्यवस्था करना।

2. अकाल के समय अभावग्रस्त क्षेत्रों में लावारिस घूमने वाले पशुओं को उन स्थानों पर पहुंचाना जहां चारा उपलब्ध हो एवं उनकी देखरेख करना।

3. अकाल के समय विभिन्न गावों में चारा डिपो खोलकर अनुदानित दरों पर चारा उपलबध करवाना।

4. पशु शिविर खोलना एवं पशुओं की उक्त शिविर में देखरेख करना। इस संस्था द्वारा व्यय की गई राशि का विवरण विभाग में उपलब्ध नहीं है।

## वन कर्मियों द्वारा अन्य भूमि से पत्थर/बजरी लाने पर रोक

276. **श्री जौहरी लाल** (राजगढ़) :-क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में वन क्षेत्र की भूमि में खाने नहीं आने पर भी

(श्री जौहरी लाल)

किसानों को विभाग के अधिकारी/कर्मचारी मकान बनाने के लिये पत्थर/बजरी लाने पर परेशान करते हैं ? यदि हां, तो क्यों ? वन क्षेत्र के बाहर से पत्थर/बजरी ले जाने पर उक्त अधिकारी किसानों को क्यों परेशान करते हैं ? क्या सरकार इस संबंध में उक्त विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों को निर्देशित करेगी ताकि किसान परेशान नहीं हों ? इसकी व्यवस्था कब तक की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या पंचायतों को भी भारी जुर्माना देना पड़ता है ? क्या सरकार इस व्यवस्था में सुधार करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। किसानों द्वारा मकान बनाने एवं अन्य घरेलू कार्यों के लिये वन क्षेत्र के बाहर से पत्थर बजरी लाने पर वन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उन्हें परेशान नहीं किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा वन क्षेत्र के नजदीक के अधिकार एवं रियायत धारक स्थानीय निवासियों को उनके घरेलू उपयोग के लिये संबंधित वन क्षेत्रों से जहां अधिकार एवं रियायते स्वीकार की गई है, से चेजा पत्थर एकत्रित कर ले जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के आदेश दिये हुए है।

(2) प्रचलित वन अधिनियम/नियमों के अनुसार वन क्षेत्रों, अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यानों से पंचायतों को पत्थर एवं बजरी ले जाने की छूट प्राप्त नहीं है। वन क्षेत्रों से निजी उपयोग हेतु स्थानीय वाहनों से पत्थर एकत्रित कर लाने की स्वीकृति केवल स्थानीय निवासियों को उनके निर्धारित अधिकार एवं रियायतों के अनुसार ही प्राप्त हैं।

## जिला श्रीगंगानगर में बैरल पाइंट

**277. श्री राधेश्याम गंगानगर** (श्रीगंगानगर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) श्री गंगानगर जिले में बैरल पाइंट आवंटित करने हेतु साक्षात्कार कब हुए हैं ? बैरल पाइंट आवंटित करने के मानदण्ड क्या हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त हेतु सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया है ? यदि हां, तो समिति में कौन–कौन सदस्य हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जिले में बैरल पाइंट किस–किस व्यक्ति को कहां–कहां दिया गया ? नाम दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त जिलों में बैरल पाइंट हेतु कुल कितने आवेदन–पत्र प्राप्त हुए हैं ? क्या सरकार शेष रहे स्थानों पर बैरल पाइंट आवंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) श्रीगंगानगर जिले में बैरल पाइंट आवेदनकर्ताओं के साक्षात्कार दिनांक

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

5.8.2000 को लिये गये हैं। बैरल पाइंट के आवंटन हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये एक संयुक्त चयन समिति का गठन किया गया है।

(2) जी हां। बैरल पाइंट के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु संयुक्त चयन समिति का गठन किया गया है, जो निम्न प्रकार है :

1. श्री जुगल काबरा, अध्यक्ष
   विधायक जोधपुर
2. श्री रामगोपाल बैरवा, सदस्य
   विधायक पीपल्दा
3. उपायुक्त (मुख्यालय) खाद्य विभाग सदस्य
4. उपायुक्त (प्रथम) खाद्य विभाग सदस्य सचिव
5. संबंधित जिला रसद अधिकारी सदस्य

आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) इस साक्षत्कार के क्रम में अभी तक किसी भी आवेदनकर्ता को बैरल पाइंट स्वीकृत नहीं किया गया है।

(4) श्रीगंगानगर जिले में बैरल पाइंट हेतु कुल 556 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। आवश्यकतानुसार और बैरल पाइंट खोलने की विज्ञप्ति जारी की जा सकती है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

## उप खण्ड केकड़ी (अजमेर) में उचित मूल्य की दुकानों का आवंटन

278. **श्री सांवर लाल** (भिनाय) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि गत 6 माह में उप खण्ड केकड़ी (अजमेर) में उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के साक्षत्कार हुए थे ? यदि हां, तो कौन–कौन सदस्य उक्त साक्षात्कार में रहे ?

(2) क्या साक्षात्कार के बाद अमानत राशि जमा कर ली गई ? यदि हां, तो किस–किस से कितनी–कितनी राशि कहां–कहां के लिए कब जमा की गई ?

(3) क्या उक्त दुकाने चलाने हेतु प्राधिकार पत्र जारी कर दिये गये ? यदि हां, तो कब–कब किस–किस को और नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) जी, हां। जब तक साक्षात्कार लिये गये एवं कौन–कौन सदस्य साक्षात्कार में उपस्थित थे, की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी, हां। जिस–जिस की जितनी जितनी राशि जहां–जहां के लिए जमा कराई गई है, की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जिन–जिन दुकानों के लिए प्राधिकार पत्र जारी किये गये हैं उनकी

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

सूची एवं जिनकों प्राधिकार पत्र जारी नहीं किये गये हैं, उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। जिन व्यक्तियों को प्राधिकार पत्र जारी नहीं किये गये हैं उसका कारण क्षेत्रीय विधायक श्री बाबूलाल सिंगारिया द्वारा चयन में अनियमिताओं की शिकायत की गई थी, जिन पर जिला कलेक्टर, अजमेर के प्राधिकार पत्र जारी करने से रोक दिये है।

**(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)**

## चयनित विधि सहायकों को नियुक्ति

279. **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 6 मई, 1999 को लोक सेवा आयोग ने 61 चयनित विधि सहायकों की सूची सरकार को प्रेषित की थी ? यदि हां, तो चयनित अभ्यर्थियों में से कितनों को सरकार ने नियुक्ति प्रदान की एवं कितने शेष हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि चयनित विधि सहायकों के पदों के सृजन व नियुक्ति देने हेतु पूर्व में वित्त विभाग ने अपनी सहमति प्रदान कर दी थी ? यदि हां, तो सभी चयनित विधि सहायकों को नियुक्ति क्यों नहीं प्रदान की जा रही है ?

(3) वर्तमान में प्रदेश में कुल कितने विधि सहायकों के पद रिक्त हैं तथा चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर भी पदस्थापन क्यों नहीं किया जा रहा है ? क्या सरकार सभी चयनित विधि सहायकों को नियुक्ति देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

### उत्तर

(1) जी हां, चयनित 61 अभ्यर्थियों में से 30 अभ्यर्थियों को विधि सहायक के पद पर इस विभाग की आज्ञा सं. एफ.22(3) न्याय/98 दिनांक 15.7.2000 व 28.10.2000 द्वारा नियुक्त किया गया हैं

(2) जी, नहीं। यह सही नहीं है। वित्त विभाग ने केवल 30 अभ्यर्थियों को विधि सहायक के पद पर नियुक्ति देने को सहमति दी है। उसके अनुसार 30 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा चुकी है।

(3) प्रदेश में 33 विधि सहायकों के पद रिक्त हैं राज्य सरकार द्वारा 30 पदों पर नियुक्तियां कर दी गई हैं तथा शेष रिक्तियों पर नियुक्ति की कार्यवाही विचाराधीन है। ये नियुक्तियां शीघ्र होने की सम्भावना है।

## मतदाताओं के फोटो परिचय-पत्र का जांच प्रकरण

280. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने राजस्थान के सभी जिलों में मतदाताओं के परियच पत्र मय फोटो के बनाये थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त परिचय पत्र अस्पष्ट एवं अनेक त्रुटियों के

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

थे जिनकी सेवा निवृत आर.ए.एस. अधिकारी से जांच कराई थी ? यदि हां तो जांच की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जांच के आधार पर सरकार ने क्या निर्णय लेकर क्रियान्वित किये विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशांनुसार राज्य के सभी जिलों में मतदाता के परिचय पत्र मय फोटो के बनवाये गये थे।

(2) राजस्थान में फोटो पहचान–पत्र तैयार किये जाने के विषय में राज्य सरकार द्वारा एक प्रशासनिक जांच भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवा निवृत अधिकारी श्री वी.आई. राजगोपाल से करवायी गयी। जिन्होंने जांच रिपोर्ट दिनांक 29.4.2000 को प्रस्तुत की। जांच की प्रति संलग्न की जा रही है।

जिन मतदाताओं के फोटो पहचान–पत्र अस्पष्ट एवं विवरण में त्रुटियां थी, उन्हें ठीक कराए जाने के निर्देश समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए जा चुके हैं।

(3) जांच रिपोर्ट में ऐसी कोई अनुशंसा नहीं की है, जिसका क्रियान्वयन विभाग द्वारा किया जाना हो।

**(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)**

## हिरणी ढाणी (नागौर) ग्राम सेवा सहकारी समिति का अंकेक्षण

281. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील डेगाना, जिला नागौर में कुल कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियां कार्यरत हैं ? उक्त समितियों की कुल सदस्य संख्या कितनी है ? सूची मय विवरण के सदन की मेज पर रखें।

(2) हिरणी ढाणी ग्राम सेवा सहकारी समिति का पंजीयन कब हुआ ?

(3) उक्त ग्राम सेवा सहकारी समिति का आडिट कब–कब की गई ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम सेवा सहकारी समिति की आडिट काफी समय से नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों विवरण सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) तहसील डेगाना जिला नागौर में कुल 27 ग्राम सेवा सहकारी समितियां कार्यरत हैं उक्त समितियों की कुल सदस्य संख्या 21860 है समितिवार सदस्यता सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(2) हिरणी की ढाणीग्राम सेवा सहकारी समिति लि. का पंजीयन क्रमांक 608/एस. दिनांक 3.6.1960 को हुआ।

(3) हिरणी की ढाणी ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. का आडिट 1999–2000 तक

(सहकारिता मंत्री)

किया जा चुका है।

(4) ज़ी नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

## ग्राम चाड़वास (पाली) में दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का अवसायन

282. **श्री माधव सिंह दीवान** (सोजत) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या ग्राम चाड़वास तहसील सोजत, जिला पाली में दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति कार्यरत थी ? यदि हां, तो इसका पंजीयन कब हुआ तथा कब तक कार्यरत रही ?

(2) उक्त सहकारी समिति को कब अवसायन में लाया गया तथा अवसायन के क्या कारण थे तथा इसका अवसायक किस को तथा कब नियुक्त किया गया ?

(3) अवसायक ने उक्त सहकारी समिति के बैंक खाते में से कब तथा कितनी राशि उठाई ? क्या इसमें एफ.डी.आर. की रकम भी थी ?

(4) उक्त सहकारी समिति की देनदारियां तथा लेनदारियां कितनी–कितनी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें। अब उक्त समिति की शेष बची राशि सदस्यों को कब तक दे दी जायेंगी ?

उत्तर

(1) जी हां। चाड़वास दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का पंजीयन दिनांक 20.12.1989 को हुआ था। यह समिति दिनांक 1.11.1997 तक कार्यरत रही।

(2) उक्त समिति को निष्क्रिय व बन्द होने के कारण दिनांक 16.5.2000 को अवसायन में लाया गया। इस समिति में श्री बंशीधर बुनकर निरीक्षक (कार्यकारी) सहकारी समितियां पाली को दिनांक 16.5.2000 को अवसायक नियुक्त किया गया।

(3) अवसायक ने दिनांक 25.8.2000 को उक्त समिति के बैंक खाते में से कुल 76,194.80 रुपये की राशि निकाली जिसमें एफ डी.आर. की राशि भी शामिल थी। जिसमें से अवसायक की सूचना के अनुसार रुपये 69,510/– दिनांक 29.8.2000 को उप रजिस्ट्रार सरप्लस एण्ड अवसायक खाते में जमा कराये गये। रुपये 900/– अमानत चुकाये गये, रुपये 20/– हिस्सा राशि के एवं 650/– अन्य खर्च एवं रुपये 4900/– अवसायक खाते में जमा कराये गये हैं। शेष राशि 214.80 पैसे अवसायक के पास हैं।

(4) उक्त समिति को वर्ष 1998–99 की आडिट रिपोर्ट में दर्शाये गये संतुलन चित्र दिनांक 31.3.1999 के अनुसार देनदारी तथा लेनदारियों की सूची निम्नानुसार थी :

(सहकारिता मंत्री)

| देनदारियां | | लेनदारियों | |
|---|---|---|---|
| हिस्सा सदस्य | 710.00 | बैंक बचत खाता | 7249.80 |
| प्रवेश शुल्क | 71.00 | हिस्सा दुग्ध संघ | 337.98 |
| अमानत संघ | 3771.29 | डेड स्टाक | 1219.00 |
| अमानत गोविन्द सिंह | 900.00 | एफ.डी.बैंक | 46000.00 |
| लाभ गत | 51620.31 | हानि गत | 2415.26 |
| लाभ वर्ष | 139.44 | | |
| योग | 57212.04 | योग | 57212.04 |

समिति में शेष बची राशि के शीघ्र निपटाने की अधिनियमांतर्गत वैधानिक प्रक्रिया चालू है।

## बालोतरा सहकारी मार्केटिंग सोसायटी द्वारा दवाइयों का विक्रय

283. **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या बालोतरा सहकारी मार्केटिंग सोसायटी द्वारा राजकीय नाहटा चिकित्सालय में दवाइयों का विक्रय करने हेतु कोई दुकान बनाई है ? यदि हां, तो दुकान का निर्माण कब तक किया गया था और अब इस दुकान को कब तक चालू कर दिया जाएगा ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार इस दुकान को प्रारम्भ करना उचित नहीं समझती ? यदि हां, तो किन–किन कारणों से ? यदि नहीं, तो प्रारम्भ की अवधि क्या होगी ?

**उत्तर**

(1) जी, हां। राजकीय नाहटा चिकित्सालय में सोसायटी द्वारा दवाइयों का विक्रय करने हेतु वर्ष 1996 में तीन दुकानों का निर्माण कराया गया था। फार्मसिस्ट के चयन की प्रक्रिया चालू है पूर्ण होने के बाद दुकान शीघ्र चालू कर दी जायेगी।

(2) फार्मसिस्ट के पदों पर नियुक्ति की चयन प्रक्रिया पूर्ण होते ही दुकानों को प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

## जिला नागौर में अकाल राहत कार्यो हेतु लगाये गये ट्रैक्टरों का भुगतान

284. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अभी हाल में सम्पन्न हुये अकाल राहत कार्यों के तहत तालाबों की खुदाई के कार्यों पर लगे श्रमिकों की सहायतार्थ मिट्टी ढोनें के लिये ट्रैक्टर लगाने का राज्य सरकार ने आदेश जारी

(श्री हरजीराम बुरड़क)

किया था ? यदि हां, तो कब तथा किन उद्देश्यों के लिये ? उक्त आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिला नागौर में इस प्रकार के मजदूरों की खोदी हुई मिट्टी को डालने के लिये ट्रैक्टर लगाये गये ? यदि हां, तो किस आदेश के तहत और किस–किस पंचायत समिति क्षेत्र में ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त जिले में इस प्रकार से लगाये गये ट्रैक्टरों को भुगतान भी किया गया है ? यदि हां, तो किस आधार पर किस–किस पंचायत समिति क्षेत्र में कितना–कितना और कब–कब ?

(4) क्या यह सही है कि अकाल राहत कार्यों पर लगे श्रमिकों को भुगतान उनके द्वारा किये गये कार्य के नाप के आधार पर किया गया है ? यदि हां, तो ट्रैक्टरों को भुगतान किस आधार पर किया गया तथा उनके कार्य की नाप किस प्रकार की गई ?

(5) क्या यह भी सही है कि श्रमिकों और ट्रैक्टरों को एक ही कार्य के नाप के आधार पर दोहरा भुगतान किया गया ? यदि हां, तो क्यों और नहीं, तो कैसे ?

उत्तर

(1) जी नहीं। अभी हाल में सम्पन्न हुए अकाल राहत कार्यों के तहत तालाबों की खुदाई के कार्यों पर लगे श्रमिकों को सहायतार्थ मिट्टी ढोने के लिये ट्रैक्टर लगाने का राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी नहीं किया गया।

(2) जी, हां। नागौर जिले में मजदूरों की खोदी हुई मिट्टी को तालाबों की पाल को मजबूत करने के लिए, तालाब के पाल की दूरी अधिक होने के कारण। जिला अकाल राहत समीक्षा समिति द्वारा जिला प्रभारी माननीय मंत्री (अकाल) की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना में जिला कलेक्टर (सहायता) के आदेश क्रमांक 6748 दिनांक 1.5.2000 के अनुसार सभी पंचायत समितियों में जरूरत के अनुसार यथा पंचायत समिति नागौर, मूण्डवा, जायल, मेड़ता, डीडवाना, लाडनूं, कुचामन, डेगाना, रियां व मकराना, परबतसर पंचायत समिति क्षेत्र में ट्रैक्टर लगे।

(3) ट्रैक्टरों के भुगतान मजदूरों के टास्क प्रतिशत के आधार पर किया गया। डीजल/पी.ओ.एल.का इसमें खर्चा ट्रैक्टर मालिक का था। पंचायत समितिवार भुगतान कितना–कितना कब–कब किया गया, का विवरण परिशिष्ट–1 पर अंकित है।

(4) जी, हां। अकाल कार्यो पर लगे श्रमिकों को भुगतान नाप व टास्क के आधार पर ही किया गया है। ट्रैक्टरों की भुगतान तीस–श्रमिकों के टास्क के बराबर की मात्रा को आधार मानकर किया गया है अर्थात नाप का आधार 30 श्रमिक माने गये।

(5) जी नहीं। श्रमिकों व ट्रैक्टरों को

(अकाल राहत मंत्री)

एक ही नाप के आधार पर भुगतान नहीं किया गया है। उनके द्वारा किए गए दैनिक कार्य के नाप के अनुसार तथा एक ट्रैक्टर की 30 श्रमिकों के टास्क के बराबर की मिट्टी को खोदी गई मिट्टी को तालाब की पाल पर डालने पर 400/–प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया गया। प्रतिदिन मजदूरों को जितना प्रतिशत भुगतान किया गया उतना प्रतिशत ही ट्रैक्टर ट्रोली को किया गया है।

**(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-11देखें)**

## जिला नागौर में अकालग्रस्त क्षेत्र की गिरदावरी

285. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य के कुल कितने जिलों में औसत से कम बरसात होने से अकाल की स्थिति बनी हुई है ? विवरण जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अकाल की स्थिति का जायजा लेने के लिये गिरदावरी का काम शुरू कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों ?

(3) जिला नागौर की किन–किन तहसीलों में अकाल की स्थिति बनी हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) नागौर एवं बारां को छोड़कर शेष समस्त जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुई है। जिलों से गिरदावरी रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही अकाल की स्थिति का सही आकलन हो सकेगा।

(2) जी हां। गिरदावरी का कार्य शुरू कर दिया गया है। जो दिनांक 15.9.2000, 15.10.2000 तक किया गया है।

(3) जिला नागौर से गिरदावरी रिपोर्ट आने पर ही अकाल की स्थिति का आकलन हो सकेगा।

## ज्यादा खराबा वाले ग्रामों का अभावग्रस्त प्रकरण

286. **श्री अमीन खान** (शिव) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में इस वर्ष 75 प्रतिशत से ज्यादा खराबा वाले गांव कितने हैं ? जिले व तहसीलवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार 75 प्रतिशत से अधिक खराब वाले गांवों को अभावग्रस्त कब तक घोषित करने का विचार रखती है ?

**उत्तर**

(1) गिरदावरी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, रिपोर्ट प्राप्ति पर ही स्थिति का आकलन किया जायेगा।

(अकाल राहत मंत्री)

(2) राज्य सरकार द्वारा गिरदावरी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही नियमानुसार अभाव घोषणा के संबंध में कार्यवाही की जायेगी।

## तहसील चूरू में अकाल राहत कार्यों के अंतर्गत कूप व कुण्ड

287. **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जिला चूरू की तहसील चूरू में वर्ष 2000 में अकाल राहत कार्यों के अंतर्गत कूप एवं कुण्ड निर्माण के कार्य स्वीकृत किये गये ? यदि हां, तो कितने कूप एवं कुण्ड स्वीकृत किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त स्वीकृत कार्य पूर्ण किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त कुण्ड निर्माण के लिए काश्तकारों से आवेदन मांगे गये थे ? यदि हां, तो कितने आवेदन प्राप्त हुए ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

(4) उक्त कूप निर्माण के लिए क्या काश्तकारों को मस्ट्रोल जारी कर दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या काश्तकारों द्वारा काम शुरू किया गया है ? क्या उक्त कार्य का भुगतान कर दिया गया ? यदि हां, तो कितने कार्यों का भुगतान क्यों शेष हैं ?

**उत्तर**

(1) जी, हां। 111 काश्तकारों को निजी कूल निर्माण हेतु स्वीकृति जारी की गई थी, सूची संलग्न है। (परिशिष्टि "क") कुण्ड कार्य स्वीकृत नहीं किये गये।

(2) 111 स्वीकृत काश्तकारों के अतिरिक्त अन्य ग्रामीणों द्वारा निर्धारित नार्मस् के विपरीत आधिक्य संख्या में प्रस्ताव आने व जन प्रतिनिधियों द्वारा पूर्व स्वीकृत कार्यों का विरोध करने के कारण उच्च स्तर पर जांच की गई व स्वीकृत कार्यों को रोक दिया गया। पुनः जांच बाद, राहत कार्य अवधि कम रहने, वर्षात् की आशंका एवं अपूर्ण रहने की सम्भावनावश उक्त कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये।

(3) जी, हां। 277 काश्तकारों के आवेदन प्राप्त हुए, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्टि "ख")

(4) जी, हां। कुछ काश्तकारों को मस्ट्रोल जारी किये गये थे परन्तु रोक लगने से कार्य प्रारम्भ ही नहीं हुआ एवं मस्ट्रोल वापस जमा करा लिये गये, अतः भुगतान बकाया रहने का प्रश्न ही नहीं उठता।

**(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)**

## विधान सभा क्षेत्र खारची के अकाल राहत कार्यों का बकाया भुगतान

288. **श्री केसाराम चौधरी** (खारची) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की

(श्री केसाराम चौधरी)

कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची में गत वर्ष अकाल राहत के तहत क्या–क्या कार्य करवाये गये ?

(2) उक्त कार्यों में कितने पूर्ण हो गये तथा कितने अपूर्ण रहे ? अपूर्ण कार्यों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कार्यों का भुगतान कितना किया गया तथा कितने कार्यों का भुगतान अभी तक लम्बित है ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार अपूर्ण कार्यों को इस वर्ष प्राथमिकता से पूर्ण करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) गत वर्ष (सम्वत् 2056) अकाल राहत कार्यों के तहत स्वीकृत किये गये कार्यों का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट "अ")

(2) पूर्ण, अपूर्ण कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट"ब")

(3) भुगतान किया जा चुका है। कोई भुगतान अब बकाया नहीं है।

(4) जी, हां। इस वर्ष राहत कार्य प्रारम्भ होने पर अपूर्ण कार्यों को प्राथमिकतानुसार पूर्ण कराने का प्रयत्न किया जायेगा।

**(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)**

## जन सम्पर्क विभाग में रिक्त पदों को भरने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें

289. **श्री कन्हैया लाल** (बस्सी) : क्या सूचना एवं जन सम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जन सम्पर्क विभाग में रिक्त संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक एवं जन सम्पर्क अधिकारी के पदों की गत वर्षों में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक नहीं बुलाई गई है ? यदि हां, तो उक्त पदों की किस–किस वर्ष की कितने रिक्त पदों की विभागीय पदोन्नति शेष है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विभिन्न जिलों में जन सम्पर्क अधिकारियों के पद रिक्त है ? यदि हां, तो उक्त पद कब से रिक्त चल रहे हैं तथा इन रिक्त पदों को सरकार कब तक भरने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी नहीं। वर्ष 1998–99 तक की समस्त पदों की विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। केवल वर्ष 1999–2000 की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाई जानी है। पदोन्नति के लिये वर्ष 1999–2000 के संयुक्त निदेशक के 2 सहायक निदेशक के 3 तथा जन सम्पर्क अधिकारी के 2 पद रिक्त है।

(सूचना एवं जन सम्पर्क राज्य मंत्री)

(2) जी, हां। निम्नांकित जिलों मे उनके नाम के आगे अंकित तिथियों से जिला जन सम्पर्क अधिकारियों के पद रिक्त है :

धौलपुर 7/99, दौसा 7/2000, बाड़मेर 7/97, सिरोही 6/2000, करौली 8/2000, बारां 8/2000

विभाग के स्टाफ के संबंध में मंत्रीमंडलीय समिति की समीक्षा पश्चात् शीघ्र ही विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जायेगी।

## डेगाना (नागौर) बस स्टेण्ड पर बसों का ठहराव

290. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला नागौर के किन–किन पंचायत समिति मुख्यालयों पर सरकारी बस स्टेण्ड बने हुए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें

(2) क्या यह सही है कि डेगाना (नागौर) में बस स्टेण्ड बनकर तैयार हो गया है ? यदि हां, तो कब और इस पर कुल कितनी राशि व्यय हुई है ?

(3) क्या यह भी सभी है कि उक्त बस स्टेण्ड पर कोई बस अभी तक खड़ी नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सभी बसें घनी आबादी क्षेत्र में खड़ी की जा रही जिससे यातायात बाधित हो रहा है और प्रति दिन रास्ता जाम हो जाता है ? यदि हां, तो बसों को निर्धारित बस स्टेण्ड कब से खड़ी करने का आदेश सरकार द्वारा प्रसारित किया जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) नागौर में निगम का स्वयं का बस स्टेण्ड बना हुआ है। मेड़ता सिटी परबतसर, मकराना, लाडनूं, डीडवाना, कुचामन सिटी में नगरपालिकाओं द्वारा बस स्टेण्ड बनाये हुए हैं जायल में ग्राम पंचायत द्वारा बस स्टेण्ड बनाया हुआ है।

(2) जी नहीं।

(3) डेगाना बस स्टेण्ड से वर्तमान में निजी वाहनों का संचालन किया जा रहा है। निगम बसें वर्तमान में इस बस स्टेण्ड पर नहीं जाती है, अपितु स्टेण्ड के पास ही मुख्य मार्ग पर यात्रियों को उतारती/बैठाती है निगम वाहनों के कारण यातायात बाधित नहीं हो रहा है, क्योंकि निगम द्वारा 6 एकल परिचक्रों का ही प्रतिदिन संचालन किया जा रहा है।

**प्रश्न संख्या-291**

**(स्थगित)**

## उपखण्ड मुख्यालय भीम (राजसमन्द) के बस स्टेण्ड पर यात्री सुविधाओं की कमी

292. **श्री लक्ष्मण सिंह रावत** (भीम) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजसमन्द जिले के उपखण्ड मुख्यालय भीम के बस स्टेण्ड पर स्थान की कमी के कारण राज्य परिवहन निगम व प्राइवेट बसों को खड़ा करने में कई बार असुविधा होती है ?

(2) क्या यह भी सभी है कि यात्री सुविधाओं की भी उक्त बस स्टेण्ड पर कमी है ?

(3) क्या सरकार भीम के लिये खुली जगह पर देवगढ़ व नाथद्वारा की भांति अच्छा व सुविधाओं से परिपूर्ण बस स्टेण्ड बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां।

(3) वर्तमान में भीम बस स्टेण्ड स्थानीय ग्राम पंचायत का है। निगम के पास भीम कस्बे में जमीन नहीं होने तथा विषम आर्थिक स्थिति के कारण बस स्टेण्ड निर्माण का वर्तमान में प्रस्ताव नहीं हैं। यदि ग्राम पंचायत भीम द्वारा उपयुक्त स्थान पर जनसुविधायुक्त बस स्टेण्ड का निर्माण कराया जाता है तो निगम द्वारा उसका जनहितानुसार उपयोग किया जा सकता है।

## राज्य में विशेष पथ कर

293. **श्री नन्दलाल पूनिया** (सादुलपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में विशेष पथ कर की क्या योजना है और कितनी दूरी पर कितनी राशि निर्धारित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार दूरी के आधार पर उक्त योजना को बदलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विभिन्न श्रेणियों के वाहनों को विशेष पथकर के निर्धारण का आधार अलग–अलग है, जो राजस्थान मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1951 की धारा 4 (बी) के अंतर्गत सभी परिवहन वाहनों पर आरोपित किया गया है। इस कर के निर्धारण का आधार निम्नानुसार है :

1. राज्य में पंजीकृत भार वाहनों पर उनके मूल्य के आधार पर विशेष पथ कर आरोपित किया जाता है।

2. सभी लोक सेवा यानों पर भी उनकी लागत के आधार पर विशेष पथकर आरोपित किया जाता है।

3. ऐसें लोक सेवा यान जिनका संचालन नगरपालिका सीमा से बाहर पड़ने वाले मार्गों पर किया जाता है, के विशेष पथकर का निर्धारण प्रतिदिन

(यातायात मंत्री)

संचालित दूरी एवं वाहन की लागत के आधार पर आरोपित किया जाता है।

4. ऐसे परिवहन यान जो राज्य के बाहर पंजीकृत है, पर विशेष पथकर भार वाहनों के लिए सकल वाहन भार के आधार पर तथा यात्री वाहनों पर बैठक क्षमता तथा राज्य में संचालित दिवसों के आधार पर किया जाता है।

(2) जी नहीं, सरकार का लोक वाहन का दूरी के आधार पर आरोपित विशेष पथकर इकाइयों को बदलने का वर्तमान में कोई विचार नहीं हैं।

## राज्य की कृषि उपज मण्डी समितियों के चुनाव

294. **श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)** : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में कुल कितनी कृषि उपज मण्डियां हैं तथा उनमें से कितनी में निर्वाचित कृषि उपज मण्डी समितियां कार्य कर रही हैं ?

(2) क्या यह सही है कि निर्वाचित समितियां नहीं होने से मण्डियों स्थापित करने का उदेद्श्य ही समाप्त हो गया है तथा सरकारीकरण होने के कारण ब्यूरो क्रेसी का अधिपत्य हो गया है और किसानों का शोषर्ण हो रहा है तथा जिन कार्यों पर मण्डी समितियों की आय खर्च होनी चाहिये उन पर नहीं होकर अन्य कार्यों पर व्यय की जा रही है ?

(3) अब सरकार कब तक इस समितियों का चुनाव करवाने का विचार रखती है ?

### उत्तर

(1) राज्य में 124 कृषि उपज मण्डी समितियां है, उनमें से एक कृषि उपज मण्डी समिति सांचोर में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत मण्डी समिति कार्यरत है। अन्य मण्डियों में निर्वाचित कृषि उपज मण्डी समिति कार्य नहीं कर रही है।

(2) जी नहीं। मण्डी समितियों का कार्य संचालन एवं उनकी आय व व्यय राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम 1961 एवं इसके तहत बने नियम एवं उप नियमों के तहत ही कृषकों के हितार्थ हो रहा है।

(3) कृषि उपज मण्डी समितियों में चुनाव कराये जाने के संबंध में अधिनियमों में वांछित संशोधन प्रक्रियाधीन है। अधिनियमों में संशोधन होने के उपरान्त ही चुनाव कराया जाना संभव हो सकेगा।

## कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कोल्ड स्टोरेज निर्माताओं को आर्थिक सहायता

295. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)** : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा राज्य में कृषि जिन्सों के भण्डारण के लिये कोल्ड स्टोर बनाने वालों को आर्थिक सहायता दी जा रही है ? यदि हां, तो क्या–क्या सहायता किस प्रकार से दी जा रही है तथा यह योजना कब से शुरू की गई और अब तक किस–किस को कितनी आर्थिक सहायता कब–कब दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अब तक किन–किन को यह सहायता दी गई है ? नाम पते व उन्होंने किस क्षमता का कहां–कहां पर कितनी–कितनी लागत का कोल्ड स्टोरेज बनाया है की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त संबंध में बोर्ड और राज्य सरकार ने कोई आदेश भी जारी किये हैं ? यदि हां, तो उक्त आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा राज्य में कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिये अलग से कोई योजना लागू नहीं की जा रही है। कृषि पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु "पूंजी निवेश" अनुदान योजना 1 अप्रेल, 1995 से लागू की गई है, जिसके अंतर्गत "कोल्ड स्टोरेज" भी सम्मिलित है। इस योजना की प्रति संलग्न है। यह योजना 31 मार्च, 2001 तक कार्यरत रहेगी। इस योजना के अंतर्गत रुपये 5.00 लाख से 3.00 करोड़ की पूंजी निवेश करने वाली कृषि पर आधारित इकाइयों को बीस प्रतिशत की सीमा में 20.00 लाख रुपये तक अनुदान देय है।

जिन कोल्ड स्टोरेज इकाइयों को बोर्ड द्वारा अनुदान दिया गया है, उनकी सूची मय प्रयोजनार्थ परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) विवरण परिशिष्टि "अ" पर संलग्न है।

(3) आदेशों की फोटो प्रतियों परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

**(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)**

## जिला जैसलमेर की कृषि उपज मण्डियां

296. **श्री गोवर्द्धन कल्ला** (जैसलमेर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कृषि उपज मण्डी जैसलमेर का निर्माण कब पूर्ण हुआ है तथा उस पर कितनी लागत लगी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर में नाचणा, मोहनगढ़, रामगढ़ तथा सुथारवाड़ा भी मण्डियों के निर्माण हेतु प्रस्तावित हैं और निर्माण नहीं हो रहा है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त जिले में कृषि विपणन बोर्ड की कोई भी सड़क

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

निर्माणधीन नहीं है ?

(4) कृषि उपज मण्डी जैसलमेर की वार्षिक आय क्या है तथा गत वर्ष कुल कितनी राशि एकत्रित हुई है और उसका नियोजन कैसे हुआ है ? वितरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त ज़िले के नहरीं क्षेत्र तथा लाठी चांधन क्षेत्र में कृषि विपणन की कोई योजना है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, जैसलमेर यांर्ड का निर्माण 15.2.1999 को पूर्ण हुआ एवं इस पर कुल 106.24 लाख रुपये की लागत लगी है।

(2) जिला जैसलमेर में रामगढ़, मोहनगढ़ एवं नाचना के विकास हेतु निर्माण कार्य प्रस्तावित किये गये थे जो क्रमशः दिनांक 18.5.2000, 15.5.2000 एवं 5.5.2000 को पूर्ण किये जा चुके है। सुथारवाला में मण्डी हेतु उपयुक्त भूमि अतिरिक्त आयुक्त एवं सचिव मण्डी विकास समिति, जैसलमेर द्वारा दिये जाने पर मण्डी निर्माण किया जा सकेगा।

(3) जी नहीं। आर.आई.डी.एफ. योजना के अंतर्गत सम्पर्क सड़क वरसियाली का कार्य दिनांक 15.8.2000 को पूर्ण किया गया है। वर्तमान में अन्य कोई सड़क निर्माणाधीन नहीं है।

(4) कृषि उपज मण्डी समिति की वार्षिक आय वर्ष 1999–2000 की 36.24 लाख रुपये है एवं प्रारम्भिक शेष 14.99 लाख रुपये था इस प्रकार 51.23 लाख रुपये एकत्रित हुये। इसके विपरीत व्यय निम्नानुसार हुआ है :

| | | |
|---|---|---|
| 1. | संस्थापन व्यय | 10.21 लाख |
| 2. | निर्माण कार्यों पर व्यय | 26.17 लाख |
| 3. | अन्य व्यय | 10.11 लाख |
| | कुल व्यय योग | 46.49 लाख |

(5) कृषि विपणन के अंतर्गत में कोई योजना स्वीकृत नहीं है।

## स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

**श्री अध्यक्ष** : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है :–

डा. रतन लाल जाट, (सहाड़ा) सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के रायपुर क्षेत्र में पेयजल की गम्भीर समस्या के संबंध में।

श्री मदन दिलावर, (अटरू) सदस्य की ओर से जिला बारां के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद भरने के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य योग्य नहीं हैं, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि पूर्व में जिन स्थगन प्रस्तावों के

(श्री अध्यक्ष)

संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की गई है और जिनके संबंध में अभी तक जानकारी प्राप्त नहीं हुई उनके संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर माननीय सदस्यों को उपलब्ध करवां दी जाएगी।

## स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

**श्री सुरेन्द्र व्यास** (मालपुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय नियम 127 के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों के संबंध में भेदभाव बरतने के संबंध में प्रस्ताव आपने कार्य सूची में अन्त में रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करना चाहता हूं कि वह प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा जाए। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, कार्य सूची में परिवर्तन...

(12:10 बजे)

**(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)**

**श्री ललित भाटी** (अजमेर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

**श्री शैलेन्द्र जोशी** (बांदीकुई) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के विधायक अपनी छवि खराब कर रहे हैं। पंचायत समिति के प्रधान और बी.डी.ओ. को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। +++ व्यक्तियों के खिलाफ जांच होनी चाहिए और विधान सभा की सदस्यता से इनको निलम्बित किया जाना चाहिए। (व्यवधान) छवि बिगाड़ी जा रही है। जिन पर अनेकों फ़ौजदारी मुकदमे चल रहे हैं...

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर।

**श्री ललित भाटी** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : राजस्थान विधान सभा सत्र चल रहा है, सत्र के दौरान एक विधायक द्वारा पंचायत समिति के...(व्यवधान)

**श्री घासीलाल मेघवाल** (पाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, आपराधिक प्रकृति के... (व्यवधान)

**श्री ललित भाटी** : उपाध्यक्ष महोदय मामला बहुत गम्भीर है। (व्यवधान)

**श्री राधेश्याम गंगानगर** (श्रीगंगानगर) : यह अपराध अशोभनीय है, निन्दनीय है। (व्यवधान)

**श्री घासीलाल मेघवाल** : उपाध्यक्ष महोदय, आठ दस गुण्डों को साथ ले जाकर ....(व्यवधान)

**श्री ललित भाटी** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है...(व्यवधान) विधायक महोदय ने प्रधान को पीटा... (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम) : राजस्थान के अखबार में फोटो मौजूद है। इस बात को फोटो साबित कर रहा है कि इन्होंने

---

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रामस्वरूप)

पीटा है उसको। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर। एक-एक बोलें, आप क्या कहना चाहते हैं।

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : अटरू से आने वाले विधायक के पानाचन्द मेघवाल को मारापीट। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : ये बोल रहे हैं न।

**श्री बाबूलाल नागर (दूदू)** : समाज में उससे गलत प्रभाव पड़ता है। (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अटरू से आने वाले माननीय सदस्य ने पानाचन्द मेघवाल, प्रधान को उनके कक्ष में जाकर मारा-पीटा, तोड़फोड़ की, बी.डी.ओ. पर प्रहार किया, शीशे तोड़े और...(व्यवधान) विधायक द्वारा इस तरह की मारपीट की गयी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक मदन दिलावर द्वारा इस तरह का अशोभनीय व्यवहार किया गया, इनको विधान सभा से निलम्बित किया जाए। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : +++(व्यवधान)

**श्री घासीलाल मेघवाल** : प्रधान के साथ मारपीट की। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप बैठिए। पता ही नहीं चल रहा है आप क्या कह रहे हो। एक बोलो न।

**श्री रामस्वरूप** : भाजपा के विधायक मदन दिलावर ने पंचायत समिति के प्रधान को पीटा। (व्यवधान) +++

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : इस तरीके से विपक्ष के विधायकों द्वारा जो अशोभनीय आचरण किया जाता है...(व्यवधान) इस तरह से इमेज डैमेज होती है।

**श्री सोहन नायक (रायसिंहनगर)** : +++ (नारेबाजी)

**श्री रामस्वरूप** : भाजपा के विधायकों की +++ (व्यवधान)

(नारेबाजी)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप क्या कहना चाहते हैं ? आप क्या कह रहे हैं ?

**श्री रामस्वरूप** : प्रधान को पीटा है भाजपा के एक माननीय सदस्य ने... (व्यवधान) यह अखबार कह रहा है राजस्थान का।

**श्री घासीलाल मेघवाल** : उपाध्यक्ष महोदय, भाजपा के विधायक द्वारा आठ-दस गुण्डों को साथ ले जाकर...(व्यवधान) प्रधान के साथ मारपीट की गयी। यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। (व्यवधान) मदन दिलावर के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए और सदन से निलम्बित करो इस तरह की हरकत करने वालों को।

---

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

**श्री रामस्वरूप** : भाजपा के विधायक +++ एक प्रधान को पीटा आज, कल एक विधायक को पीटेंगे। और किसी को भी पीट सकते हैं। (व्यवधान)

**डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास) : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री महोदय का वक्तव्य दिलवाया जाए। (व्यवधान)

**श्रीमती ममता शर्मा** (बूंदी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,यह बहुत गम्भीर विषय है, इनको गिरफ्तार करना चाहिए।

**श्री ललित भाटी** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

**श्री घासीलाल मेघवाल** : जब सरकार द्वारा सभी विधायकों को अपने क्षेत्र में घूमने के लिए पांच दिन जिला पूल की गाड़ी उपलब्ध करवायी जाती है तो माननीय विधायक द्वारा पंचायेत समिति के प्रधान को क्यों मारा-पिटा गया ? (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय रामस्वरूजी।

**श्री रामस्वरूप** : एक प्रधान को पीटना बहुत बड़ी +++ है। माननीय गृह मंत्रीजी, आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं, सदन को जानकारी दें। (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधायक द्वारा एक प्रधान को पीटना ...(व्यवधान) हम विधायकों की छवि गिरती जा रही है। अटरू से आने वाले विधायक +++ इनके खिलाफ पहले भी आधा दर्जन से ज्यादा अपराधिक मुकदमे लम्बित हैं जिनमें कि इन्होंने...(व्यवधान) ऐसी स्थिति ये +++ (व्यवधान) इन्होंने सोचा, माननीय सदस्य की गिरफ्तारी इसलिए नहीं की जा सकती कि प्रिविलेज का प्रोटेक्शन मिलता है। इसलिए जब सत्र चल रहा है इस दौरान इन्होंने पंचायत समिति कार्यालय में जाकर पानाचन्द मेघवाल जो प्रधान हैं, उनको मारा-पीटा, बी.डी.ओ. के साथ बदसलूकी की, वहां पर शीशे तोड़े, पर्दे फाड़े और तहस-नहस किया। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : माननीय गृह मंत्रीजी, पंचायत समिति बन्द पड़ी है, पंचायत समिति के ताला लग गया है +++ (व्यवधान) और इस तरह +++ (व्यवधान)

**श्री नगराज** (लसाड़िया) : उपाध्यक्ष महोदय, यह विधायकों की गरिमा का सवाल है। (व्यवधान) मदन दिलावरजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और सदन से निलम्बित करना चाहिए। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : भाजपा के विधायक की +++ पंचायत समिति बन्द पड़ी है। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : +++(व्यवधान)

---

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

# नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवराम सिंह कुशवाह, श्री गुलाबचन्द कटारिया, श्री गणेशराम मेघवाल, श्री मंगलाराम गोदारा, श्री रामगोपाल बेरवा, श्री ललित भाटी, श्री बाबूलाल सिंगारिया, श्री गोपाराम मेघवाल, डा. रघुवीर सिंह गोड़, श्री हेमन्त कुमर, डा. रतनलाल जाट, श्री नन्दलाल पूनिया, श्रीमती सुमित्रा सिंह, श्री भगवान सहाय सैनी, श्री वृद्धिचन्द जैन, श्री हीरासिंह चौहान, श्री रमेशचन्द पंड्या, श्री मानिक चन्द सुराना, डा. किरोड़ीलाल, श्री मोहनलाल बारूपाल, प्रो. सांवरलाल, श्री दिग्विजय सिंह, श्रीमती पूनम गोयल। श्री दुर्गा प्रसाद, श्री भंवरलाल शर्मा, श्रीमती सुचित्रा आर्य, श्री केसाराम चौधरी ...(व्यवधान) श्री अमराराम चौधरी श्री मदन दिलावर, श्री प्रतापसिंह सिंघवी, मौहम्मद माहिर आजाद, श्री जसवन्त सिंह गुर्जर, डा. करण सिंह यादव।

जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि आज सदन की बैठक...(व्यवधान) का अन्तिम दिन है और सभी सूचनाओं को पढ़ने की अनुमति दी जाने की स्थिति में काफी समय लगेगा। अतः उपरोक्त माननीय सदस्यों की एक–एक सूचना को पढ़ा हुआ मान लिया जाए, ऐसी व्यवस्था देता हूं। ...(व्यवधान) श्री भीखा भाई।

(सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

# सदन की मेज पर रखे गये पत्र

## प्रतिवेदन एवं लेखें

### राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1996-97 व 1997-98

**श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) (राज्य मंत्री, खादी ग्रामोद्योग) : मैं राज्य वित्त अधिनियम, 1951 की धारा 37(7) के अंतर्गत राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1996–97 तथा वर्ष 1997–98 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री छोगाराम बाकोलिया। (व्यवधान)

### राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लेखों का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1998-99

**श्री छोगाराम बाकोलिया** (यातायात मंत्री) : मैं सड़क परिवहन अधिनियम, 1950 की धारा 33(4) के अंतर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लेखों का 31 मार्च, 1999 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं प्रमाण–पत्र सदन की मेज पर रखता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल देवपुरा समिति के प्रतिवेदन का उपस्थान करेंगे।

## समिति का प्रतिवेदन

### नियम समिति का प्रथम प्रतिवेदन

श्री हीरालाल देवपुरा (संयोजक, नियम

(श्री हीरालाल देवपुरा)

उप समिति) : मैं नियम उप समिति, 2000–2001 नियम समिति 2000–2001 के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप (टोडाभीम)** : +++ (व्यवधान)

**अनेक माननीय सदस्य** : +++

**मोहम्मद माहिर आजाद** : उपाध्यक्ष महोदय, क्या आप हाउस को ऐसे ही चलाना चाहते हो ? (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : उपाध्यक्ष महोदय, सुनाई नहीं दे रहा है। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : +++

**(सदन में नारे)**

**अनेक माननीय सदस्य** : +++ (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : माननीय विधायक द्वारा जो +++ की गयी है...(व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : यह विधायकों की छवि का मामला है...(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी को स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए...(व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री महोदय, स्थिति को स्पष्ट करें... (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** : ...(व्यवधान) शुक्रवार को संसदीय कार्य मंत्री ने यह भाषण भी दिया था। सोमवार को हम एस.सी., एस.टी. के अधिकारी और...(व्यवधान) आज की कार्य सूची के अंदर वह सम्मिलित नहीं है।

**श्री रामस्वरूप** : (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के एक प्रधान को गुण्डों द्वारा पीटा गया...(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर है...(व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : आनए पाइंट आफ आर्डर, उपाध्यक्ष महोदय, (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बोल रहे हो ना... (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : एक विधायक द्वारा इस तरीके से आपत्तिपूर्ण...(व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : अनुसूचित जाति के प्रधान को पीटा है भाजपा वालों ने... (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि इस विषय की जांच कराई जाए।

**एक माननीय सदस्य** : उपाध्यक्ष महोदय, यह विधायकों की छवि का मामला है... (व्यवधान) फिर आगे की कार्यवाही शुरू

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(एक माननीय सदस्य)

करो। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : उपाध्यक्ष महोदय, यह विधायकों की गरिमा का सवाल है... (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति के प्रधान को पीटा गया है ...(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : यह विधायकों का मामला है इस प्रकार ऐसे +++ अपनाये जाने वाले विधायको को विधान सभा से निलम्बित किया जाए...(व्यवधान) मदन दिलावर...निलम्बित करो...(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार +++ विधायक को विधान सभा से निलम्बित किया जाए।

**(नारेबाजी)**

**एक माननीय सदस्य** : संसदीय कार्य मंत्री ने शुक्रवार को सदन में एक आश्वासन दिया था कि अनुसूचित जाति के अधिकारियों के...(व्यवधान)

**(नारेबाजी)**

**श्री उपाध्यक्ष** : सदन की कार्यवाही आधा घण्टे के लिए स्थगित की जाती हैं

**(तदनन्तर सदन की बैठक 12.23 बजे आधा घण्टे के लिए स्थगित हुई)**

**(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)**

**(पुनः समवेत होने पर)**

**(12.53 बजे)**

## व्यवस्था का प्रश्न

## कार्य सूची के क्रम में परिवर्तन

**श्री सुरेन्द्र व्यास** (मालपुरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रस्ताव श्रीमान् के सम्मुख प्रस्तुत किया था।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप विराजें।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रस्ताव श्रीमान् के सम्मुख प्रस्तुत किया है नियम 28, उप नियम 4 के अंतर्गत कि आज के लिस्ट आफ बिजनस जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के साथ भेदभाव जो सरकार बरत रही है...

**श्री उपाध्यक्ष** : वह हो गई न बात। वह बात हो गई। वह आर्डर, चेंज नहीं कर रहे हैं। It has been disallowed.

**श्री हीरालाल विश्नोई** (सांचौर) : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री महोदय से वक्तव्य तो दिलाएं कि पंचायत समिति के प्रधान...

**श्री कय्यूम खान** (मसूदा) : विधायक साहब ने मारपीट की है उसका तो बताया जाए, साहब।

**श्री उपाध्यक्ष** : It has been disallowed. Order has not been changed. Order remains the

---

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

same. हो गई बात वह तो उसी दिन।

**श्री कय्यूम खान** : ऐसे +++ को क्या रखना, एक साल के लिए निष्कासित किया जाए।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, विराजिए प्लीज।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : Let me conclude, Sir, Let me make my submission first, Sir.

**श्री उपाध्यक्ष** : गृह मंत्रीजी, एक मिनट।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने नियमानुसार जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, आप उसको स्वीकार करें या न करें, यह आपका क्षेत्राधिकार है। (व्यवधान) अभी नहीं किया, अभी चेयर से रूलिंग आनी बाकी है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के प्रति भेदभाव और अन्याय यह सरकार तो कर ही रही है +++

**श्री बुलाकीदास कल्ला** (सामान्य प्रशासन मंत्री) : कोई अन्याय नहीं कर रहे हैं।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : बिल्कुल अन्याय कर रहे हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप चाहते क्या हैं, यह बोलो न ?

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : मैं चाहता हूं कि आप की कार्य सूची में परिवर्तन करके...

**श्री राजेन्द्र पारीक** (सीकर) : आज की कार्य-सूची में है वह तो।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : उसे पहले लिया जाए।

**श्री उपाध्यक्ष** : कार्य सूची चेंज नहीं होगी, कार्य सूची एज इट इज रहेगी। जब आपका प्रस्ताव हाउस में आएगा तो हाउस में उस पर डिस्कशन करिए, कार्य सूची चेंज नहीं होगी।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : उपाध्यक्ष महोदय, वह प्रस्ताव अलग है। नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, वह प्रस्ताव अलग है। (व्यवधान)

**डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास) : सरकार भाग जाएगी।

**श्री उपाध्यक्ष** : नहीं, कोई नहीं भागेगी।

**डा. किरोड़ी लाल** : बड़ा महत्वपूर्ण मामला है इस पर डिबेट होनी चाहिए।

**श्री मदन दिलावर** (अटरू) : भागने की तैयारी में है।

**डा. किरोड़ी लाल** : सरकार भागने की तैयारी में है, सरकार भाग जाएगी तो पदावनति वाले मामले में सरकार ने जो आश्वासन दिया था उस पर कोई स्टेप नहीं ले पाएंगे।

**श्री मदन दिलावर** : उपाध्यक्ष महोदय, आज के लिए आश्वस्त किया था हमारे को।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

**श्री खेतसिंह राठौड़** (विधि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार कहीं भागने वाली नहीं है, कार्य-सूची पूरी समाप्त करने के बाद हम यहां से उठेंगे।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं कह रहा हूं। आप बोलों न ?

**एक माननीय सदस्य** : सरकार पहले भाग जाएगी, जवाब नहीं देगी।

**श्री कय्यूम खान** : सदन दिलावर वाले मामले का क्या हुआ ?

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : मैं नियम 127 के प्रस्ताव के विषय पर निवेदन नहीं कर रहा हूं, वह प्रस्ताव तो कार्य सूची में सबसे लास्ट में लाये हैं। मैंने जो दूसरा प्रस्ताव श्रीमान् के समक्ष यहां प्रस्तुत किया था हाउस के अंदर, उसके विषय में निवेदन कर रहा हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : उस को रिजैक्ट कर रहा हूं।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : आपको उसके अंदर पावर है।

**श्री उपाध्यक्ष** : I have got powers. I am using those powers and rejecting that resolution.

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : आप आपने पावर का यूज कर रहे हैं ? मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन से निर्णय कराया जाए।

**श्री उपाध्यक्ष** : काहे का ?

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : सदन सर्वोपरि है।

**श्री उपाध्यक्ष** : नहीं, इसमें कोई नहीं।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : सबसे पहले अनुसूचित जाति और जनजाति के खिलाफ जो एक षड्यंत्र रचा हुआ है सरकार ने, 28 अफसरों को पदावनत नहीं किया है...

**श्री उपाध्यक्ष** : ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, यह कौनसे नियम के तहत ?

**श्री खेतसिंह राठौड़** : अखबार में आ जाएगा, बहुत हो गया।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : यह अखबार का सवाल नहीं है, माननीय विधि मंत्रीजी। अखबार का सवाल होता, मैं पर्ची देकर नहीं बोल रहा हूं। I am there with the regular motion, Mr. Law Minister mind you. There is a regular motion before the Hon.Speaker and there is a regular motion before the Hon. Dupty Speaker. उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप कार्य सूची में परिवर्तन नहीं कराना चाहते हैं तो आप सदन से फैसला करवाइए।

**श्री उपाध्यक्ष** : किस नियम से आप सदन से फैसला करवाना चाहते हैं, नियम बताओं।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : सदन तो सर्वोपरि है, सदन से कोई ऊपर नहीं है। You cann't refuse like that.

**श्री उपाध्यक्ष** : Your rule is something. I can refuse. You cann't force me to put and say anything

(श्री उपाध्यक्ष)

what I am saying is correct.

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : I can certainly request you.

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप क्या कहना चाहते है ?

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : यह लॉ एण्ड ऑर्डर का सब्जेक्ट है, इस पर बहस चलेगी लम्बी। आज साढ़े चार बजे एक पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की कांफ्रेंस है...

**श्री हरिसिंह** (मुख्य सचेतक) : बिजनस एडवाइजरी कमेटी को आज का जो बिजनस दिया गया, कार्य सूची के अनुरूप जिन मुद्दों को पहले लिया जाना था, विधान सभा सचिवालय से कार्य–सूची जारी हो गई। अब क्यों बहम आ रहा है कि इसमें नहीं लिया जाएगा।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : यह मैं नहीं कह रहा हूं।

**श्री हरिसिंह** (मुख्य सचेतक) : आज की कार्य सूची तय है इसके बाद में आपका यह आइटम आया है। जो कार्य सूची तैयार करते है एन्टायरली...

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : आप रूल 28 सब–रूल पढ़िए। यह किताब भी पढ़ा करों।

**श्री हरिसिंह** (मुख्य सचेतक) : पढ़ लिए मैंने।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : नहीं पढ़े।

**श्री हरिसिंह** (मुख्य सचेतक) : पढ़ लिए मैंने।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : अगर आपने पढ़ा होता तो मुझे कोई आशंका नहीं है। साढ़े चार बजे इण्डियन पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की एक कांफ्रेंस पोपुलेशन के ऊपर है और उपाध्यक्ष महोदय, आप उसकी अध्यक्षता करेंगे, सदन के नेता महोदय वहां जाएंगे, विपक्ष के नेता वहां जाएंगे।

**श्री हरिसिंह** (मुख्य सचेतक) : इसमें कौनसा मुद्दा कम महत्वपूर्ण है, यह बता दो आप ?

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : उपाध्यक्ष महोदय, कानून और व्यवस्था पर चर्चा समाप्त नहीं होगी, अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकारी...

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, मुझे भी उसमें जाना है लेकिन हाउस का कार्य पहले होगा। नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, इसमें क्या बात है ?

**एक माननीय सदस्य** : आप तो पहले चले जाएंगे।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप दूसरे कार्यक्रमों में जाने की वजह से यहां की कार्य–सूची को नहीं तब्दील करवा सकते।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : उपाध्यक्ष महोदय, क्या आप आसन से यह आश्वस्त करेंगे...

**श्री उपाध्यक्ष** : वहां जाएंगे न बिरला आडिटोरियम में ?

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : यह मोशन किसी भी हालत में लिया जाएगा, यह आप आश्वस्त करते हैं तो आपकी बात शिरोधार्य है।

**श्री कय्यूम खान** : माननीय दिलावर साहब ने हमारे प्रधान के साथ मारपीट की, उपाध्यक्ष महोदय, आप बताइए कि उसके लिए क्या करेंगे ? हम सब चाहते है कि इनको एक साल की सदस्यता से बाहर किया जाए और सदन से निलम्बित किया जाए।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय गृह मंत्रीजी। आर्डर आर्डर।

(13:00 बजे)

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो आइटम है वह हाउस में निश्चित रूप से डिसकस होगा.. (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** : आसन दे वह आश्वासन। (व्यवधान)

**श्री हरिसिंह** (मुख्य सचेतक) : अभी तो वैल में आ रहे थे। (व्यवधान)

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मैं दे रहा हूं ना।

**श्री हरिसिंह** (मुख्य सचेतक) : अभी तो पूरा दल वैल में आ गया था। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर।

**मोहम्मद माहिर आजाद** : यह सदन की कार्यवाही समाप्त होने से पहले ही हो जाएगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर।

**श्री हरिसिंह** (मुख्य सचेतक) : हाउस एडजोर्नमैंट आपने करवाया, आसन से क्या चाहते हो ?

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान) मेरे से इस बात पर क्या आश्वासन चाहते हो आप ? किस बात का आश्वासन चाहते हो ? कहां भाग रही है सरकार ?

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : इसकी जानकारी तो आपको है भागेगी या नहीं भागेगी, हमें क्या पता ?

**श्री उपाध्यक्ष** : नहीं, आपको भी है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : हमें कोई पता नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष** : क्या ?

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : कि आप भागेंगे या नही।

**श्री उपाध्यक्ष** : चलने दीजिए, पता पड़ जाएगा, लड़ते काहे को हो ?

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मैं तो इतना कह रहा हूं कि जो एक...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : टाइम आएगा जब पड़ जाएगा। अभी आप कह रहे हो सरकार भाग रही है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : उपाध्यक्ष महोदय, हम तो चाहते हैं कि सरकार नहीं भागे।

**श्री रामस्वरूप** : हमारी सरकार कहीं नहीं भागेगी।

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : तीन साल के बाद भी यहीं बैठेंगे हम।

**श्री रामस्वरूप** : पहले 40 साल चली है, अब भी चलेगी।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप कोआपरेट कीजिए, चलने देंगे। (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : हम तीन साल के बाद भी नहीं बैठेंगे।

## व्यवस्था का प्रश्न

## विभिन्न स्वायत्तशासी निकायों के सदस्यों के प्रति विधान सभा के माननीय सदस्यों का व्यवहार

**श्री सी.पी. जोशी (पंचायती राज मंत्री)** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर हैं। मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं रूल 307 के संबंध में। (व्यवधान) लैट मी स्पीक, मैडम।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान रूल–307 के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें रेजिड्यूटरी पावर के संबंध में मेंशन किया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप इस बात को जानते हैं 73 और 74 अमैण्डमैंट के बाद पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद् और नगरपालिकाओं का सैल्फ गवर्नेस के आधार पर एकरूप आ गया है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम विधान सभा में चर्चा करें कि विधान सभा के सदस्यों का जो कांस्टीट्यूशन में नयी बांडी एग्जिस्टेंस में आ गयी हैं, उनके संबंध में व्यवहार कैसा रहे। यदि सदन में यह चर्चा नहीं की गयी तो कांस्टीट्यूशन का तिहत्तरवां अमैण्डमैंट करके पंचायत के वजूद को जो हमने खड़ा किया वह आगे जाकर बहुत बड़ी प्राब्लम खड़ी कर देगा। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनें।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : आप नियमित प्रस्ताव क्यों नहीं लाते ?

**श्री सी.पी. जोशी** : आप मेरी बात सुनें।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : आप नियमित प्रस्ताव ही नहीं लाते।

**श्री सी.पी. जोशी** : माननीय सदस्य आप भी सीनियर मैम्बर है, I am asking for his permission but not of your permission. Please let me speak.

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बीच–बीच में क्यों उठते हैं, विराजो न। (व्यवधान)

**श्री सी.पी जोशी** : लैट मी स्पीक। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : सुनलो न उनको, क्या कहना चाहते है। (व्यवधान)

**श्री सी.पी. जोशी** : लैट मी स्पीक। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य राजेन्द्रजी, विराजिए।

**श्री सी.पी. जोशी** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने रूल 307 कोट किया है। 307 Residuary Powers :- All matters

(श्री सी.पी. जोशी)

not specifically provided for in these rules. इसके संबंध में मैंने ध्यानाकर्षण किया है। डेलीब्रेटरी 307 में आपका ध्यान आकर्षित करके मैं चाहता हूं कि आप सदन में इस तरत की व्यवस्था दें कि कभी भी चुना हुआ माननीय सदस्य इस तरह की संस्थाओं के सामने कैसा व्यवहार करे। वह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमने नियम बनाया कि चुने हुए एम.एल.ए. को हम गाड़ी की व्यवस्था करेंगे। गाड़ी की व्यवस्था करते हैं हम लोकल सैल्स गवर्नमैंट से। तो यह व्यवस्था हरदम आएगी, फिर ऐसी प्राब्लम आएगी। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन है कि 307 के इंटरप्रिटेशन के अंतर्गत यह निर्णय करना आवश्यक है। कांस्टीट्यूशन में 73 और 74 वें अमैण्डमैंट के बाद पंचायत का वजूद आ गया, जो सैल्फ गवर्नेस की उनकी स्थिति बन गयी है। वे आज किसी की मर्जी पर नहीं हैं, कांस्टीट्यूशनल बाडी है। उस चुनी हुई बाडी के प्रतिनिधियों को वही अधिकार हैं जो स्टेट के चुने हुए मुख्य मंत्री को अधिकार हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि इस तरह की रिलेशनशिप देते हैं तो इस संबंध में सदन में चर्चा की जाए जिससे भविष्य में इस तरह की घटना न हो और कोई भी माननीय सदस्य इस बात का निर्णय स्वयं न कर सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं, विपक्ष के नेता बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी चाहता हूं कि वे भी इस संबंध में अपनी राय व्यक्त करें और राजस्थान ही नहीं, हिन्दुस्तान में एक उदाहरण प्रस्तुत करें कि 307 का इंटरप्रिटेशन इस संबंध में भी किया जा सकता है। चुने हुए प्रतिनिधि, जो सैल्फ़ गवर्नेस की नयी बाड़ी आयी है उसके संबंध में हमारा व्यवहार क्या रहेगा। यदि हमने यह नहीं किया तो, माननीय विपक्ष के नेता, आपको भी यह लोकतंत्र याद रखेगा कि भैरोंसिंह जो अपने आपको लोकतंत्र का नेता कहता था, उसकी पार्टी के आदमी चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में पंचायत के प्रधान के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। यह न्याय नहीं कहता है, यह आपका धर्म बन जाता है कि आप खड़े होकर इस संबंध में अपनी राय अभिव्यक्त करें। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 307 के संबंध में सदन में चर्चा की जाए और चर्चा करने के बाद आपका निर्णय हो जाए जिससे लोकतंत्र मजबूत हो सके। (व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : आप प्रस्ताव क्यों नहीं लाते है ? You bring a regular motion.

**श्री सी.पी. जोशी** : That is not necessary. I am asking a relevant quetion.

**श्री उपाध्यक्ष** : आप विराजें।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : मेंडेटरी है।

**श्री सी.पी. जोशी** : What should be the relations of elected representative which is the constitutional body. I am not asking you.

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर। आर्डर, माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी।

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : अलग से मोशन लाने की कोई जरूरत नहीं है।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : Let these be a regular motion.

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : सदन नियमों से चलता है।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर।

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : अलग से कोई मोशन लाने की जरूरत नहीं है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो प्रश्न उठाया वह गंभीर हो सकता है, चर्चा करने की भी आवश्यकता हो सकती है, लेकिन मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ऐसे गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए आप पहले से नोटिस दें, व्यवस्था करें ताकि हम लोग भी तैयार होकर आए, आप भी तैयार होकर आएं। यह मैटर ऐसा है वास्तव में जिसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन चर्चा करने के लिए आज एटमोस्फियर नहीं है, इसलिए मैं चाहूंगा कि सदन तो फिर चलेगा... (व्यवधान) कल बढ़ा दें या बाद में में ले लें, जिस समय भी आप चाहें इसके ऊपर तैयार होकर हम भी आएंगे, आप भी तैयार होकर आएंगे। 73 और 74 अमैण्डमैंट के बाद हमारी कांस्टीट्यूशनल पोजीशन क्या है, उसको हम किस प्रकार से डिसचार्ज कर सकते हैं। आज अवसर नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय गृह मंत्रीजी। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन मंत्री) : मदन दिलावर तैयार होकर ही पंचायत समिति के दफ्तर में गये। (व्यवधान) वे मारपीट करने गये थे।

**श्री मदन दिलावर** : 50 करोड़ रुपये... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर।

**श्री रामस्वरूप** : इस पर चर्चा होनी चाहिए।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर। माननीय गृह मंत्रीजी। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : बहुत ही गंभीर मसला है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। (व्यवधान) मदन दिलावर ने एक प्रधान को पीटा है, एक अनुसूचित जाति के प्रधान को पीटा है।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य। गृह मंत्रीजी। (व्यवधान) बैठिए। गृह मंत्रीजी बोल रहे हैं। माननीय मंत्रीजी।

**श्री रामस्वरूप** : अनुसूचित जाति के प्रधान को पीटा है, अनुसूचित जाति के प्रधान को। +++ (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : उपाध्यक्ष महोदय, इनके खिलाफ एक दर्जन फौजदारी के मुकदमे चल रहे हैं। इनके खिलाफ मर्डर तक के मुकदमे चल रहे हैं। ये +++ के व्यक्ति है।

**श्री मदन दिलावर** : भ्रष्टाचार मत करों, भगवान देखता है। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : अनुसूचित जाति के प्रधान को पीटा है।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : +++ अनुसूचित जाति के प्रधान को पीटा है, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** : पांच (व्यवधान) जमीन के लिए महेन्द्र मीणा की आत्महत्या करवा देते हो, धारीवालजी। (व्यवधान)

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : +++

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : +++ जिसके खिलाफ कई मामले चल रहे हैं औरं आपकी पार्टी ऐसे व्यक्ति को यहां पर चुनकर भेजती है। ऐसे आदमी के खिलाफ सदन को निंदा प्रस्ताव पास करना चाहिए।

**श्री रामस्वरूप** : माननीय गृह मंत्रीजी यहां जवाब दें। अनुसूचित जाति के प्रधान को पीटा है। +++ माननीय गृह मंत्रीजी, जवाब दो।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : +++ (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आप विराजो। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : एक अनुसूचित जाति के प्रधान को पीटा है।

**श्री संयम लोढ़ा** : आज ही चर्चा करवाइए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज ही चर्चा कराइए। (व्यवधान)

**श्री हीरालाल विश्नोई** : +++

**श्री संयम लोढ़ा** : +++ आज ही चर्चा कराओ।

**श्री हीरालाल विशनोई** : (व्यवधान) +++ (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : प्रधान को पीटा है आपने +++ एस.सी. के प्रधान को पीटा है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर।

**श्री रामस्वरूप** : +++

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : +++ (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बैठिए। आप रिकार्ड न करें।

---

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

**श्री रामस्वरूप** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : बैठिए, बैठिए।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : XXX

**श्री रामस्वरूप** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : आप विराजें। आप विराजें। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : बैठिए आप। बैठिए आप। क्या चाहते हो ? (व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** : XXX

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : XXX

**श्री राजेन्द्र पारीक** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय रामस्वरूपजी। (व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर, बैठिए। कृपया विराजें। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : XXX

**श्री राजेन्द्र पारीक** : XXX

**श्री मदन दिलावर** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : विराजें। क्या चाहते हैं आप ?

**श्री रामस्वरूप** : XXX

**श्री मदन दिलावर** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर। विराजिए प्लीज। (व्यवधान) आप विराजें प्लीज।

**श्री रामस्वरूप** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : बैठे, माननीय सदस्य। 307 के तहत जो आपने...(व्यवधान) आर्डर प्लीज, आप विराजें।

**श्री रतनाराम चौधरी** : XXX

**श्री हीरालाल विश्नोई** : XXX

**श्री राजेन्द्र पारीक** : XXX

**श्री रामस्वरूप** : XXX

**श्री मदन दिलावर** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : अंकित न करें। अंकित नहीं हो।

**श्री रामस्वरूप** : XXX

**श्री मदन दिलावर** : XXX

**श्री राजेन्द्र पारीक** : XXX

**श्री घासीलाल मेघवाल** : XXX

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बैठिये।

**श्री रामस्वरूप** : XXX

**श्री मदन दिलावर** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीद सदस्य, अंकित ही नहीं हो रहा है, आप बोले जा रहे हो, क्या फायदा हुआ ?

**श्री घासीलाल मेघवाल** : XXX

**श्री मदन दिलावर** : XXX

---

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप विराजिये।

**श्री रामस्वरूप** : XXX

**श्री संयम लोढ़ा** : XXX

**श्री हीरालाल विश्नोई** : XXX

**श्री मदन दिलावर** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : अंकित ही नहीं हो रहा है।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : रिकार्ड पर ही नहीं है और जवाब दे रहे हो आप।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : XXX

**श्री रामस्वरूप** : XXX

**श्री मदन दिलावर** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : आप विराजिये प्लीज, हो गया। आप विराजिये, माननीय सदस्य।

**श्री रामस्वरूप** : XXX

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : आप विराजिये प्लीज। गृह मंत्रीजी। विराजिये, नो पाइंट आफ... आई हैव काल्ड अपौन हिम। आप विराजिये। आप पहले इनको बोलने दीजिये।

**श्री सी.पी.जोशी** : उपाध्यक्ष महोदय, आप रूलिंग दीजिये। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : कोई बोलने दे तो बोलू, किस पर बोलू ? आप लोग बोलने ही नही दे रहे हो। आप एक पाइंट आफ आर्डर डिस्पोज करने दीजिये। आपने 307 के तहत जो रूल कोट किया है उसका सदन में कोई मोशन आये उस पर बहस हो सकती है, वैसे नार्मली नहीं हो सकती। लेकिन यह विषय बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर है इसलिए हम चाहेंगे कि इस पर कभी न कभी चर्चा हो, और उसकी व्यवस्था करेंगे। गृह मंत्रीजी।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

**श्री उपाध्यक्ष** : अब काहे का पाइंट आफ आर्डर है ? (व्यवधान)

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : एक बार में दो पाइंट आफ आर्डर नहीं हो सकते। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आप विराजिये।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : पाइंट आफ आर्डर कैसे नहीं हो सकता ?

**श्री उपाध्यक्ष** : आप विराजिये न।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : बिना सुने ही ?

**श्री उपाध्यक्ष** : नहीं करूंगा।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : You cann't do it. आप बिना सुने कैसे कर सकते हैं ? नहीं, नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, आप बाध्य है।

---

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप विराजिये, मैं अलाउ ही नही करूंगा। बैठिये। पहले इनका होने दीजिये।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : नहीं, नहीं, Point of order will find a presedence Sir.

**श्री उपाध्यक्ष** : कोई बिजनस ही नहीं है, काहे का पाइंट आफ आर्डर है ?

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : नहीं, नहीं, कैसे नहीं है ?

**श्री उपाध्यक्ष** : काहे का पाइंट आफ आर्डर है ? कोई बिजनस ही नही है हाउस के सामने, आप पाइंट आफ आर्डर, पाइंट आफ आर्डर कर रहे है।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : नहीं, आप सुनिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप विराजिये प्लीज, नहीं, आई विल नाट लिसन।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : आप मुझे सुनेंगे।

**श्री उपाध्यक्ष** : आई विल नाट अलाउ यू। पहले यह स्टेटमैंट आएगा उसके बाद आपकी सुनूंगा।

**श्री रामस्वरूप** : आप विराजिये न, आसन पैरों पर है।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : नहीं, यह नहीं हो सकता। नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, यह नही हो सकता।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप विराजिये।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : आप बिना सुने नहीं कर सकते, आपको सुनना पड़ेगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं सब कुछ कर सकता हूं, ऐसा मत कहो कि नहीं कर सकता।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : आप बिना सुने नही कर सकते।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप विराजिये प्लीज। डोंट चैलेंज द चेयर।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : आप सब कुछ कर सकते हैं पर बिना सुने नहीं कर सकते है।

**श्री उपाध्यक्ष** : नहीं, आई विल नाट अलाउ।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : आप सब कुछ कर सकते है, टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य को आर्डर में नहीं कर सकते।

**श्री उपाध्यक्ष** : पाइंट आफ आर्डर किस पर ला रहे हो ? देयर इज नो बिजनस इन दी हाउस, आप पाइंट आफ आर्डर ला रहे हो।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : आप बिना सुने नहीं कर सकते।

**श्री उपाध्यक्ष** : तो हाउस में बिजनस ही नहीं है, किस रूल के तहत पाइंट आफ आर्डर ला रहे हो ?

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : हां, मैं रूल बता रहा हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : तो आप बैठो न, मैं पूछ लूंगा आपको।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : वही बता रहा हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बैठिये, लैट हिम रिप्लाई फर्स्ट आई हैल काल्ड अपान हिम। आप विराजिये।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : यह क्या बात हुई ?

**श्री उपाध्यक्ष** : आप पहले इनको स्टेटमैंट देने दीजिये। लैट दी हाउस कम इन आर्डर। जब तक इनका स्टेटमैंट नहीं होगा, हाउस आर्डर में नहीं आएगा। आप इनका स्टेटमैंट होने दीजिये आपका उसके बाद लूंगा। आप विराजिये। (व्यवधान)

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : इनका आप डिसअलाउ कर दीजिये। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आप कृपा करके विराजिये।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : आप इनका डिसअलाउ कर दीजिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप विराजिये। आई एम रिक्वैस्टिंग यू विराजिये।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : उपाध्यक्ष महोदय, नियमों से आप भी बाध्य है। मेरे मोशन को आज किया जा सकता है।

**श्री उपाध्यक्ष** : नो, आप विराजिये।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : आप मेरा मोशन रिजैक्ट कर दीजिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : उस पर रूलिंग दी जा चुकी है, कोई चेंज नहीं होगा बिजनस। यही चलेगा, आर्डर चेंज नहीं होगा। आप कितने ही पाइंट आफ आर्डर उठाओ, चेंज नहीं होगा।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : मेरा मोशन है, आप वोट करवाइये इसे।

**श्री उपाध्यक्ष** : आपका कोई मोशन नहीं है।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : यह लिखा है इसमें।

**श्री उपाध्यक्ष** : कोई नहीं लिखा है, आप विराजो।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : रूल 280.

**श्री उपाध्यक्ष** : गृह मंत्रीजी। (व्यवधान) आप विराजिये, मैं कह रहा हूं, उनके बाद आपको बोलने दूंगा।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : मैं नियम के अंदर बोल रहा हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : कोई नियम नहीं है।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : नहीं, मैं बोल रहा हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप विराजिये प्लीज। आप विराजिये न, व्हाट इज दी प्राब्लम ? इतनी बहस क्यों कर रहे है। आप ? लैट दी हाउस कम इन आर्डर। हाउस आर्डर में ही नहीं आएगा जब तक उनका जवाब नहीं आएगा, आप बोले जा रहे हो।

## शासकीय वक्तव्य

### श्री मदन दिलावर विधायक व विकास अधिकारी, पंचायत समिति अटरू द्वारा परस्पर दर्ज मुकदमे

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) :** उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 4.11.2000 को विधायक श्री मदन दिलावर ने थाना अटरू पर रिपोर्ट पेश की कि उन्हें दिनांक 4.11.2000 को अपने विधान सभा क्षेत्र में भ्रमण हेतु जिला कलेक्टर बारां द्वारा विकास अधिकारी, पंयायत समिति, अटरू की जीप अलाट की गयी थी। विधायक के अनुसार ज़ीप उनके निवास पर आ गयी थी जिसे पानाचन्द मेघवाल, प्रधान, पंचायत समिति, अटरू ने अपने ड्राइवर के मार्फत मंगवा ली। पंचायत समिति कार्यालय जाकर विकास अधिकारी से जानकारी चाही तो पानाचन्द, प्रधान और उसके साथी राजेन्द्र...(व्यवधान) पदम पोरवाल, लालसिंह व अन्य द्वारा उनके साथ गाली-गलौच करते हुए हमला किया। इस रिपोर्ट पर अभियोग संख्या एक 412, 2012, 147, 149, 323, 504 भारतीय दण्ड संहिता थाना अटरू पर दर्ज किया गया। इसी घटना ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष :** सुनिये, माननीय सदस्य, आर्डर, आर्डर।

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत :** इसी घटना के क्रम में...(व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी :** आप बैठिये, आपको बैठना पड़ेगा। माननीय मंत्री बोले रहे हैं, आप कोई सुनना नहीं चाहते इनकी। यह कोई बात है ? माननीय मंत्रीजी बोलना चाहते हैं, आप सुनना ही नहीं चाहते। (व्यवधान) आपको सुनने की बर्दाश्त रखनी चाहिए। माननीय सदस्य, बैठिये। (व्यवधान) अब आप विपक्ष में है, +++

**एक माननीय सदसय :** +++

**श्री शैलेन्द्र जोशी :** इनकी सुनने की आदत नहीं रही है, कृपया सुनिये। (व्यवधान)

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत :** इसी घटाना के क्रम में ... 4.11.2000 को श्री पानाचन्द मेघवाल, प्रधान पंचायत समिति, अटरू ने थाना अटरू पर एक रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह 11.30 ए.एम. पर अपने कार्यालय चैम्बर में बैठा था...

**श्री ज्ञानदेव आहूजा :** कांग्रेस सरकार में 6 एम.एल.ए. को पिटवा दिया, उसका क्या होगा ? सारी सरकार बर्खास्त करो। पूरी सरकार बर्खास्त होनी चाहिए। 6-6 एम.एल.ए. पिटवा दिये आपने, गृह मंत्रीजी, इसके बारे में क्या होगा। (व्यवधान)

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत :** रिपोर्ट दर्ज करायी कि 11.30 ए.एम. पर अपने कार्यालय चैम्बर में बैठा था तब श्री मदन दिलावर, विधायक, कृष्ण मुरारी दिलावर, मुकेश मिश्रा, अरविंद शर्मा, रामबाबू वैष्णव, ओम शर्मा व

---

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

अन्य अपने साथियों सहित आये व जातिगत अपमानित करने वाली गालियां देते हुए मारपीट की एवं कार्यालय...

**एक माननीय सदस्य** : दोनों की जातियां एक ही है।

**श्री उपाध्यक्ष** : सुन लो न। (व्यवधान)

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : मदन दिलावर की और इनकी जाति एक हो सकती है लेकिन जो साथ आये उनकी जाति एक नहीं थी। मारपीट की एवं कार्यालय टेलीफोन के तार एवं सरकार सामान की तोड़फोड़ की। इस रिपोर्ट पर अभियोग संख्या 413/2000 धारा 147, 149, 452, 323, 353 भारतीय दण्ड संहित व पी.पी.टी. एक्ट...

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : वह लगता ही नहीं है।

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : वह अनुसंधान के बाद है कि वह किस पर लगेगा।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : वह इस पर नहीं लगेगा तो किस पर लगेगा ?

**श्री उपाध्यक्ष** : आप क्या बोल रहे है ?

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : 452 नान बेलेवली है, सदस्य को अरेस्ट किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : उनको सुन लो न।

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : तीन अजा/जजा अत्याचार निवारण अधिनियम थाना अटरू पर दर्ज किया गया। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आप, माननीय सदस्य, सुनो तो सही। आप ही आप बोलते हो, इनको सुनो तो सही।

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : श्री पानाचन्द प्रधान की चोटों का मुआयना कराया गया और उनके चोट आना मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया है।

**श्री मदन दिलावर** : कहां कहां है, यह बता दीजिये।

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : आप सुन लीजिये। (व्यवधान) मदन दिलावर और उनके साथियों की चोटों के मुआयने के लिये उनको बुलाया गया पर उन्होंने इन्कार कर दिया, यह सूचना मेरे पास है। घटना के बाद जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए कस्बा अटरू में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पर्याप्त पुलिस जाब्ता लगाया गया तथा कस्बे में शांति है। दोनों अभियोगों का अन्वेषण जारी है।

**श्री संयम लोढ़ा** : क्रिमिनल रिकार्ड भी बताए कि कितने मुकदमे इनके खिलाफ है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : एक मिनट, आप विराजिये। आप बोलें। एक मिनट। आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य के ख़िलाफ कितने फौजदारी अपराध लम्बित हैं यह बताइये जिससे मालूम पड़े कि इनके खिलाफ कितने क्रिमिनल केस है। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : इनके खिलाफ अपराध से सदन को अवगत कराओ+++(व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : +++ हीनियस आफेंस के मुकदमे चल रहे हैं इनके खिलाफ एक दर्जन से ज्यादा। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर।

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : वह किस तरीके +++ (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर। यह अभी थोड़े ही दे सकते हैं। इसका जवाब अभी नहीं दे सकते। (व्यवधान) ही कान्ट हैव द जनरल इन्फार्मेशन...

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : आज सवाल इस बात का है कि चुने हुए प्रधान की इज्जत को क्या यह विधान सभा गम्भीरता से नहीं ले रही है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : विराजिये प्लीज।

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : आज हम पंचायती राज के प्रतिनिधियों की किस तरीके से इज्जत बचा पाएंगे यदि ये माननीय सदस्य जाकर के पीटें, (व्यवधान) हाथापाई करते हैं तो। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आपको कहना है क्या ? आर्डर, आर्डर।

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : 452 नान बेलेबल आफेंस है उसमें माननीय सदस्य को अभी तक पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। माननीय गृह मंत्री महोदय...

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, विराजें। (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : बताए कि पुलिस ने क्यों नहीं गिरफ्तार किया माननीय सदस्य को ? (व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** : पाइंट आफ एक्सप्लेनेशन। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : पाइंट आफ आर्डर इसमें क्या करेगा ? (व्यवधान) तब मालूम पड़ेगा कि...(व्यवधान) पूरी जानकारी सदन को दीजिये। (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : 452 इज द नान बेलेबल आफेंस। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य के खिलाफ कितने अपाराधिक प्रवृत्ति के मुकदमे दर्ज है ? (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस इनको गिरफ्तार करे। (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : कितने क्रिमिनल मुकदमे पैंडिंग है, यह आप बताइये ?

---

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

**एक माननीय सदस्य** : उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया ? (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य के खिलाफ कितने मुकदमे पैंडिंग है। माननीय गृह मंत्रीजी बताए कि कितने मुकदमे इनके खिलाफ पैंडिंग है ? (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : अगर इस प्रकार से छूट दी गयी तो भविष्य में क्या हाल होगा ? (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर। विराजिये। (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : +++ सदस्य, जिसके खिलाफ मुकदमें अलग अलग कोर्ट में दर्ज हैं...(व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** : मेरे पर आरोप लगाया गया है...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आप विराजिये, आप विराजिये प्लीज। (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : हम किसी भी सदस्य को प्रोटेक्शन देते हैं। अगर हमारा सदस्य आपराधिक है तो उसको भी वही सजा मिलनी चाहिए, उसमें भी वही सी.आर.पी.सी. चलेगी जो एक नये मैम्बर पर चलेगी। अगर 452 का अपराध है, व नान बेलेबल है तो... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आपके कहने से होगा क्या ?

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : कानून की मंशा स्पष्ट है, आपके और मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। (व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** : अगर मैं दोषी हूं तो मुझे गिरफ्तार किया जाना चाहिए पर मुझे...(व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : इनको अरेस्ट किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : क्या कह रहे है ? विराजिये। आप कुछ बोल रहे हैं ? आर्डर, आर्डर।

**श्री मदन दिलावर** : पाइंट आफ एक्सप्लेनेशन। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर। विराजिये। (व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : उपाध्यक्ष महोदय, आज की कार्य सूची में नियम 127 के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज।, आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** : ...सदन को जानकारी दी जानी चाहिए। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : वह बता दिया है।

---

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

**श्री रामस्वरूप** : ...माननीय गृह मंत्रीजी रिकार्ड ला रहे हैं कि इनके खिलाफ क्या दर्ज हैं। गृह मंत्रीजी इस मामले में गम्भीर हैं, ला रहे है। रिकार्ड कि कितने बलात्कार के, कितने मारपीट के और कई तरह के केस है। (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें इस राजस्थान विधान सभा को बिहार और यू.पी. विधान सभा...(व्यवधान) कितने सदस्यों के खिलाफ कितने मुकदमें पैंडिंग है ? (व्यवधान) यह राजस्थान है, बिहार की विधान सभा नहीं है। (व्यवधान) बताइये कि कितने मुकदमे पैंडिंग है इनके खिलाफ ? +++ (व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** : ...बलात्कार के आरोप हैं, दोनों की जांच करवा लीजिये। अगर...(व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : माननीय गृह मंत्रीजी बताए कि कितने आपराधिक मुकदमे इनके खिलाफ पैंडिंग है और किन–किन कोर्टो में पैंडिंग हैं ? (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बैठिये। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : ...मारपीट और सारी घटनाएं उनकी बतायी जाएं। (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : गृह मंत्रीजी बताएं कितने मुकदमे पैंडिंग हैं, किन–किन कोर्टो में हैं ? (व्यवधान) +++ (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बैठिये। (व्यवधान) माननीय गृह मंत्रीजी। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : ...बलात्कार के कितने मुकदमें हैं, बताइये ? (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आप विराजिये, एक मिनट। (व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** : ...मैं सत्ता पक्ष की बात का जवाब दे रहा हूं। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बैठिये।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : ...लगातार अपराध करने पर एक व्यक्ति के खिलाफ, माननीय गृह मंत्रीजी, एन.एस.ए. लगाने का विचार रखते हैं ? (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : ...चोरी, डकैती, मारपीट, बलात्कार के कौन–कौन से केस हैं, बताइये ? (व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** : उपाध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर मामला है, ऐसे नहीं चलेगा। (व्यवधान).

**श्री उपाध्यक्ष** : आप विराजिये। (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : माननीय गृह मंत्रीजी, उनके खिलाफ क्रिमिनल कितने कितने मुकदमे चल रहे हैं और किन–किन कोर्टो में चल रहे हैं ? (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बैठिये न। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : मदन दिलावर को गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

---

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : ...+++ (व्यवधान)

**श्री घासीलाल मेघवाल** : ...+++ पंचायत समिति के अनुसूचित जाति के प्रधान के साथ मारपीट की गयी। (व्यवधान) इस मामले को गम्भीरता से लीजिये। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : यह गृह मंत्रीजी जानकारी दें। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : सब सदस्य कह रहे हैं कि गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : ...आप कृपया हाउस को बताएं कि इनको आपराधिक रिकार्ड किस तरीके का है, कौन-कौन सी धारा के मुकदमे हैं, कहां-कहां मुकदमे है ? (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : कितने बलात्कार के, कितने चोरी के कितने डकैती के मुकदमे हैं ? (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : ...जनता पूछना चाहती है कि इनके खिलाफ कितने मुकदमे है ?

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बोल लिये, आप बैठियें। (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : (व्यवधान) माननीय गृह मंत्री महोदय, क्या रिकार्ड है इनका, वह बताए ? (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बैठिये। (व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** : ... +++ (व्यवधान) कोई मुकदमा मेरे खिलाफ नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : दिलावर जी, बैठिये।

**श्री नगराज** : ... विधान सभा के स्तर को गिराने वाले, खराब करने वाले के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। (व्यवधान) +++ गिरफ्तार करो इस सदस्य की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, उपाध्यक्ष महोदय ? (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : लोकतांत्रिक तरीके से क्या पूछने का अधिकार नहीं है ? (व्यवधान)

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : एक मिनट विराजिये न। (व्यवधान) एक मिनट, आप विराजिये।

**श्री हेमन्त कुमार** : इस सर्वोच्च सदन को जानकारी दी जाए। (व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े विनम्र शब्दों में आपसे निवेदन करना चाहता हूं...

**श्री उपाध्यक्ष** : एक मिनट बैठो तो सही।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : +++

**श्री उपाध्यक्ष** : ऐसा है, आर्डर प्लीज, आर्डर, आर्डर। बैठिये, बैठिये।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : +++ वक्त आ गया है।

---

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। माननीय राजेन्द्रजी, आर्डर, आर्डर। जो प्रश्न उठा गृह मंत्रीजी ने जवाब दे दिया , उसके बाद बात खतम हो गई। अब यह क्वेश्चन–आंसर तो है नहीं कि आपने पूछ लिया कि इनके खिलाफ कितने केस चालू हैं जो आप बताओं। ऐसा नहीं होता है। (व्यवधान) नहीं, आई विल नाट अलाउ। ऐसा नहीं होता है। (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : हम इसको यू.पी. या बिहार की...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** : ...हमको पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। (व्यवधान)

**श्री घासीलाल मेघवाल** : उपाध्यक्ष महोदय, इस पवित्र सदन में +++ व्यक्ति बैठा हुआ है और उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की अनुमति नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, +++ व्यक्ति को सदन में बैठने का अधिकार नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बैठिये। आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

**श्री घासीलाल मेघवाल** : उपाध्यक्ष महोदय, एक एस.सी. के प्रधान को गुंडों द्वारा उसके कार्यालय में पीटा जाता है और आप कोई व्यवस्था नहीं करवाना चाहते हैं। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बैठिये न। आप बैठिये न पहले।

**श्री घासीलाल मेघवाल** : आप +++ व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने का आदेश दीजिये। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : क्या, हो गई न बात ? जवाब दे दिया इन्होंने उसके बाद क्या बचा है ? (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** : यह जानकारी मिलनी चाहिए सदन में कि...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : नहीं, आई विल नाट अलाउ

**श्री संयम लोढ़ा** : यह जानकारी मिलनी चाहिए, पूरी जानकारी सदन को मिलनी चाहिए...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : जांच करेंगे, न जांच करेंगे।

**श्री घासीलाल मेघवाल** : इस तरह के ऐसे आदमी के खिलाफ अगर...(व्यवधान)

**श्री नगराज** : +++ के खिलाफ पूरी जानकारी सदन में आनी चाहिए।

**श्री उपाध्यक्ष** : आपको आपके गृह मंत्रीजी पर भरोसा नहीं है क्या ? (व्यवधान) क्या बात करते हो आप ? उस पर स्टेटमैंट दे दिया बात हो गई। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** : उपाध्यक्ष महोदय, जानकारी तो मिलनी चाहिए...(व्यवधान) पूछने में हर्ज क्या है ? (व्यवधान)

---

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

**श्री नगराज** : उपाध्यक्ष महोदय, जवाब संतोषजनक नहीं है इसलिए इसको सदन से निष्कासित करो। (व्यवधान)

**श्री संयमय लोढ़ा** : जब गृह मंत्रीजी के पास जानकारी है तो देने में हर्ज क्या है ?

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी के पास लिस्ट है तो कृपया बताएं कि इस लिस्ट में किस-किस अपराध में किस-किस तरीक से लिप्त हैं ये। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बैठिये न, हो गई न बात ? (व्यवधान)

**श्री घासीलाल मेघवाल** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे प्रस्ताव लाए +++ के खिलाफ और एक वर्ष से विधान सभा के लिए निष्कासित किया जाए। (व्यवधान)

**श्री नगराज** : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी इस गम्भीर मामले पर बताना चाहते हैं, गृह मंत्रीजी से पूरी जानकारी दिलवाई जाए, डिटेल जानकारी दिलावाई जाए। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आप क्या कह रहे हैं ? माननीय दिलावरजी, आप बैठ जाओ न। आप बैठ जाओ न ? आप क्यों बोल रह हैं ? (व्यवधान) आप क्यों बोल रहे हैं ? (व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं घासीलालजी की एक-एक +++ (व्यवधान)

**श्री नगराज** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह के +++ के बारे में गृह मंत्रीजी से पूरी जानकारी दिलवाई जाए। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : गृह मंत्रीजी, पूरा विवरण पेश करो सदन के सामने। (व्यवधान) एक कांग्रेस के प्रधान को पीटा, एस.सी. के कांग्रेस के प्रधान को पीटा उन्होंने। यहां कोई सरकारी आदमी काम नहीं कर सकता, कोई काम नहीं कर सकता। (व्यवधान)

**श्री घासीलाल मेघवाल** : जब तक पूरी जानकारी नहीं की जाती, ये हाउस में नहीं रहना चाहिए। पूरी जानकारी मिलनी चाहिए उपाध्यक्ष महोदय। +++ इस सदन में नही रह सकता। (व्यवधान) +++ इस पवित्र सदन में नहीं बैठना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, +++ के खिलाफ कार्यवाही की जाए। (व्यवधान)

**श्री नगराज** : +++ की पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य आप हाउस चलने देना चाहते हैं या नहीं ?

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

**श्री संयम लोढ़ा** : हम छोटी-सी जानकारी चाहते हैं।

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : इस विधान सभा को बिहार और यू.पी. की विधान सभा की तरफ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आप विराजिये न।

**श्री नगराज** : हम +++ की पूरी जानकारी जानना चाहते हैं (व्यवधान) प्रस्ताव लाते है कि +++ को सदन से निष्कासित किया जाए।

**श्री संयम लोढ़ा** : गृह मंत्री तैयार बैठे है, आप गृह मंत्रीजी से कहिये...

**श्री उपाध्यक्ष** : आई विल नाट अलाउ, हो गई न बात। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : माननीय गृह मंत्रीजी बताने का कष्ट करें कि चोरी, डकैती, मारपीट बलात्कार और न जाने कितने मुकदमे इनके खिलाफ है ? ऐसे कितने मुकदमे इसके खिलाफ हैं, मेहरबानी करके विवरण पेश करें। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : रामस्वरूपजी, विराजिये।

**श्री नगराज** : ... +++ (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : रामस्वरूपजी।

**श्री रामस्वरूप** : कितनों में चालान, कितनों में एफ.आर. क्या कार्यवाही हुई, गृह मंत्रीजी ?

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि पेसे तो इसके खिलाफ...

**श्री उपाध्यक्ष** : अभी एक तो डिस्पोज आफ ही नहीं हुआ और आप और खड़ी हो गई।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : नहीं, यह नहीं है। वह कार्यवाही डिस्पोज आफ कर दी।

**श्री उपाध्यक्ष** : उनको तो निपटने दो।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : आपने इस पर निर्णय दे दिया, इसलिए खड़ी हुई हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : नहीं नहीं, वह बोल रहे हैं तो उनको रोका मैंने। (व्यवधान)

**श्री हेमन्त कुमार** : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्य मांग कर रहे है, वह जानकारी चाह रहे है...

**श्री उपाध्यक्ष** : आप विराजिये न।

## व्यवस्था का प्रश्न

### कार्य सूची के क्रम में परिवर्तन

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : उपाध्यक्ष महोदय, आज की कार्य सूची में लास्ट आइटम के रूप में नियम 127 के अन्तर्गत जो चर्चा मैंने और दो अन्य माननीय सदस्यों ने रखी कि एस.सी., एस.टी. के पुलिस के अधिकारियों के साथ में भेदभाव बरता जा रहा है सरकार के द्वारा, उस पर उठाने के लिए लिस्ट किया हुआ है। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा खेद का विषय है कि 31 तारीख को यह प्रस्ताव हमने प्रस्तुत कर दिया था वैसे

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

तो हम आपके आभारी हैं कि आपने इसको लिस्ट तो किया लेकिन सदन का मूड आप सेंस कर सकते हैं। यह सेंस वर्ड इसमें लिखा हुआ है कि स्पीकर विल...

**श्री उपाध्यक्ष** : आप पढ़ो न।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : मैं पढ़ रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आप पहले तो रूल 28 पर आ जाएं।

**श्री उपाध्यक्ष** : क्या ?

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : ... रूल 28 के सब रूल (4) ...

**श्री उपाध्यक्ष** : रूल 28 तो आपका डिस्पोज आफ हो गया, फिर अब क्या बात हो गई है ?

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : आप सुनिये। आप मेरी बात सुनिये। नहीं, नहीं ठीक है, ठीक है।

**श्री उपाध्यक्ष** : वह +++ लास्ट करो, फर्स्ट करो" वह तो निपट गया। आगे बोलो आप।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : उपाध्यक्ष महोदय, अब 218 है। मैं आसन के अधिकार को किसी भी रूप में यह चुनौती नहीं दे रहा हूं कि आसन को कोई अधिकार नहीं है। आसन को सब अधिकार है लेकिन 218 को पढ़ो।

**श्री उपाध्यक्ष** : पढ़ो न।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : पढ़ लेंगे। उस पर आप वोटिंग करा सकते हैं, हाउस में कंसल्ट हो सकता है। आप उसको एक्सपिडियेटली डिस्पोज आफ मत कीजिये क्योंकि आपने यह तय कर रखा है। मेरा विनम्र निवेदन सुन लीजिये एक मिनट के लिए। आप आउस का मूड समझ रहे हैं कि जो बिजनस है 4.30 बजे का, वह आपने कहा कि होगा, लेकिन इसमें निश्चित रूप से संदेह है, लास्ट आइटम फिक्स्ड अप है, यह नहीं आएगा। इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इसके ऊपर हाउस में वोट करा लीजिये। आप आर्डर चेंज कीजिए ओर पहले नम्बर पर अप नियम 127 का लीजिये। इसके अंदर वोटिंग का प्रावधान है हाउस में No variation in the allocation of time Order shall be made except on a motion made, with the consent of Speaker, and accepted by the House. तो हाउस तो एक्सेप्ट कर ही सकता है। अब फिर आप कहते हैं कि...

**श्री उपाध्यक्ष** : यह आलरेडी बी.ए.सी. में आ चुका है और काज लिस्ट में लग चुका है।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : आ चुका, लेकिन सदन सर्वोपरि है

**श्री उपाध्यक्ष** : उसके बाद आपको खाली बहम हो रहा है कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, उसका कोई इलाज है क्या ?

---

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : नहीं, बहस नहीं हैं, उपाध्यक्ष महोदय।

**श्री उपाध्यक्ष** : और क्या ? हम कह रहे हैं कि आएगा, आप समय बरबाद कर रहे हैं तो नहीं आएगा। आप विराजिये। लेट अस सेव टाइम एण्ड इट विल कम। मैं क्या करूं ?

**श्री-सुरेन्द्र व्यास** : आप कह रहे हैं, एक मिनट after taking the sense of Provided that the Speaker may, House...

**श्री उपाध्यक्ष** : Hon'ble Speaker has not allowed it.

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : आप हाउस का सेंस देख रहे हैं, यह चलने वाला है क्या हाउस यह मोशन बिलकुल नहीं आएगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह आप राजस्थान को क्या मैसेज देना चाहते हैं ?

**श्री उपाध्यक्ष** : आप कितना ही करो, आई विल नाट अलाउ इट। आइटम यह है कि यह शिड्यूल को चेंज नहीं करेंगे। कृपा करके समय को बचाने की कृपा करो ताकि यह आपका बिजनस आ सके।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : सरकार एस.सी.एस.टी. के लोगों के साथ भेदभाव बरतती है, उपाध्यक्ष महोदय, सदन भी एस.सी.एस.टी. के लोगों को बात सुनने के लिए तैयार नहीं है...(व्यवधान) और शासन भी नहीं, शासन भी सुनने को तैयार नहीं है। (व्यवधान)

**श्री नगराज** : +++ वह सदन में बैठा हुआ है। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** : इसलिए तो हम कह रहे हैं कि...

**श्री रामस्वरूप** : एस.सी. का प्रधान पिट रहा है, एस.सी. के प्रधान को...

**श्री सोहन नायक** : भारतीय जनता पार्टी के विधायक के द्वारा प्रधान को डंडों से मारा गया। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : एस.सी. का प्रधान और वह भी कांग्रेस का प्रधान पिट रहा है। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** : उसकी पूरी जानकारी सदन में मिलनी चाहिए, वरनां आगे जाकर मंत्रियों के साथ ऐसा करेंगे। उसका क्या भरोसा है ? (व्यवधान)

**श्री हेमन्त कुमार** : हम भी तो यह मांग कर रहे हैं और गृह मंत्रीजी को पता है कि यह उसने अपराध किया है। (व्यवधान)

**श्री सोहन नायक** : उपाध्यक्ष महोदय, +++ पूरी जानकारी सदन में मिलनी चाहिए ...(व्यवधान)

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, 127 पर आपने व्यवस्था दे दी, आपकी व्यवस्था के बाद वह कैसे खड़े हो जाएंगे ?

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

**श्री बुलाकीदास कल्ला (सामान्य प्रशासन) :** उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय...

**श्री उपाध्यक्ष :** आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज। एक को तो निपटने दो। नहीं, बोल रहे हैं वह।

**श्री मानिक चन्द सुराना :** उपाध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दे दी न। उपाध्यक्ष महोदय, मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य के प्रस्ताव पर आपने व्यवस्था दे दी, अब आप...

**श्री बुलाकीदास कल्ला :** मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य के प्रस्ताव के ऊपर...

**श्री सुरेन्द्र व्यास :** आपने अनुमति नहीं दी, उससे पहले सवाल ही नहीं है। आपने अनुमति ही नहीं दी।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह :** वह कैसे खड़े हो गये ?

**श्री उपाध्यक्ष :** क्या हुआ ? आप क्या बोल रहे हैं ?

**श्री मानिक चन्द सुराना :** आपकी व्यवस्था पर क्या कोई मंत्री आपत्ति कर सकता है ? आपने जो व्यवस्था दे दी तो क्या कोई मंत्री आपत्ति कर सकता है क्या ? क्या आसन की व्यवस्था को चुनौती दी जा सकती है ?

**श्री बुलाकीदास कल्ला :** मैं उस पर नहीं बोल रहा हूं।

**श्री उपाध्यक्ष :** आप किस पर बोल रहे है ?

**श्री बुलाकीदास कल्ला :** उन्होंने यह कहा कि सरकार एस.सी. एस.टी. के मामलों पर विचार नहीं कर रही है, वह बिलकुल गलत कह रहे हैं।

**श्री सुरेन्द्र व्यास :** आपने विचार नहीं किया, आप तो अन्याय कर रहे हो।

**श्री बुलाकीदास कल्ला :** यह मामला कोर्ट में सब-जुडिस है और कोर्ट में मामला होने के बाद...(व्यवधान)

**श्री मानिक चन्द सुराना :** क्या यह किसी व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर है ?

**मोहम्मद माहिर आजाद :** जनरल के लोगों के इतने प्रमोशन हो गये ओर एस.सी. के लोगों के साथ अन्याय कर दिया। फिर आज आप हाउस में सफाई दे रहे हैं। अगर आपकी नीयत साफ होती तो एस.सी.एस.टी. के लोगों के साथ प्रमोशन में अन्याय नहीं होता।

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय सदस्य माहिर आजादजी, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस इश्यु को हाउस में आने देना नहीं चाहते।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह :** केवल एस.सी. एस.टी के लोगों के...

**श्री सुरेन्द्र व्यास :** नहीं, बिलकुल आने देना चाहते हैं।

**श्री उपाध्यक्ष :** अगर आने देना चाहते हैं तो कृपा करके टाइम सेव कीजिये। वी.आर. कमिटड टू इट, लेकिन आप टाइम

(श्री उपाध्यक्ष)

खराब कर रहे हैं तो मैं क्या करूं इसका ? (व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : सरकार नहीं देना चाहती।

**एक माननीय सदस्य** : हम तो चाहते है कि आप लें।

**श्री मानिक चन्द सुराना** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप इनकी व्यवस्था के प्रश्न को डिस्पोज आफ कर चुके हैं, उनको कोई चुनौती नहीं दी जा सकती।

**श्री उपाध्यक्ष** : नहीं, नही।

**श्री मानिक चन्द सुराना** : माननीय सुमित्रा सिंहजी को व्यवस्था का प्रश्न उठाने दो, कुछ कहने दो।

**श्री उपाध्यक्ष** : उठाने ही दे रहा हूं। कोई उठाने दें तो उठाने दूं ? अब आप फरमाओ।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया उसके बाद ही आपने दूसरा नाम बोल दिया। मैंने दूसरा प्रश्न उठाया था। आपने उनका नाम बोल दिया उसके बाद।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप क्या फरमा रहे है ?

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि शुक्रवार को संसदीय कार्य मंत्रीजी ने यहां पर जब बांसवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक चौदह साल की बच्ची के साथ हुआ बलात्कार का मामला उठाया...

**श्री उपाध्यक्ष** : आपका स्टेटमैंट देंगे।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : मेरी बात तो सुन लीजिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : सुन ली। उसका जवाब देंगे मिनिस्टर, कह दिया न।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : आप मुझे कम्प्लीट भी नहीं करने देंगे क्या ?

**श्री उपाध्यक्ष** : हां, बोलें।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : तो मैं यह निवेदन कर रही थी कि उसके ऊपर उन्होंने कहां था, हालांकि उनको देना तो चाहिए था उसी दिन पांच बजे लेकिन फिर भी खैर ठीक है। उसको तो इतना महत्व नहीं दिया मंत्री ने और बीच में ही मदन दिलावर पता नहीं कहां से आ गया और बीच में ही उसे कर दिया। मतलब इतना हीनियस क्राइम जिसने किया, वह चूंकि जिला प्रमुख का भाई है इसलिए उसके खिलाफ तो स्टेटमैंट देने में आपको ...+++ (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : तो उसमें क्या बात है ? (व्यवधान)

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : हां, कांग्रेसी है। कांग्रेसी है इसलिए। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : और यह मदन दिलावर बीच में ही आ गया।

**श्री उपाध्यक्ष** : आ गया तो मैं लाया क्या ? (व्यवधान)

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : मैं कह रही हूं कि उसका जवाब दिलवाइये उस पर स्टेटमैंट दिलवाए। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर। विराजिए। विराजिए।

**श्री संयम लोढ़ा** : पंचायत समिति के प्रधान को पीटे तब आप नहीं सुनना चाहते। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर।

**श्री रामस्वरूप** : माननीय गृह मंत्रीजी दिलावर के अपराधों का चिट्ठा पेश कर रहे हैं...

**श्री अमराराम** (धोद) : कांग्रेस का प्रमुख करे तो ठीक है...(व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : दिलावर के अपराधों का चिट्ठा पेश करने जा रहे हैं, सुनो।

**श्री अमराराम** (धोद) : अध्यापक एक बच्ची के साथ बलात्कार करें, कांग्रेस इसी बात पर अगर विश्वास करना चाहती है बहुमत यह तय कर दे। कांग्रेस का जिला प्रमुख का भाई अध्यापक अगर पढ़ने वाली बच्ची के साथ बलात्कार करें, इसको जस्टिफाई करना चाहती है...

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, हम कह रहे हैं कि स्टेटमैंट दिलाएंगे और क्या चाहते हैं आप ? क्या चाहते हैं ?

**श्री अमराराम** (धोद) : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, यह जस्टिफाई कर रहे हैं। यह पहले आना चाहिए। एक पढ़ने वाली बच्ची के साथ अगर अध्यापक इस तरह...

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : वह पहले लेना चाहिए यहां पर। उसकी तो बात ही नहीं और बीच में ही आ गया यह। न कोई मोशन हुआ...

**श्री उपाध्यक्ष** : कैसे लूं, आप बैठो तब लूं न ? आप रुको तो दिलाऊं न ? काहे पर दिलाऊं ?

**श्री अमराराम** (धोद) : आसन द्वारा व्यवस्था दी गई थी उस पर चर्चा नहीं हो रही है...

**श्री उपाध्यक्ष** : आप रुकें तो दिलाऊं क्या स्टेटमैंट दिलाऊं ? कोई उनको आपके बीच में बोलने दूं ? आप रूको। आप यह कहो कि उस पर पहले दिलाऊं।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : हां।

**श्री उपाध्यक्ष** : तो कह दें न आप यह बात। इतना जोश काहे को आ रहा है दे देंगे। स्टेटमैंट पहले दे देते हैं। दे दीजिये स्टेटमैंट, गृह मंत्रीजी। इतनी सी तो बात है।

**मोहम्मद माहिर आजाद** : हां ठीक है।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : कानून और व्यवस्था से अलग हटकर। कानून और व्यवस्था से अलग होगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : फिर वही बात है। आप हर चीज पर क्यों यों... ,

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : कानून और व्यवस्था का वह जनरल स्टेटमैंट है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : यह स्टेटमैंट क़ानून और व्यवस्था से अलग है। अलग है।

**एक माननीय सदस्य** : यह स्टेटमैंट अलग है, इतना तो कोई भी समझता है। हाउस में बैंठे हैं माननीय सदस्य और यह नहीं जानते।

**श्री उपाध्यक्ष** : इसका तो उससे ताल्लुक ही नहीं है।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : हां, बिलकुल ठीक है।

**श्री उपाध्यक्ष** : फिर क्या बात है।

## शासकीय वक्तव्य

### सांदरवाड़ा स्थित सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय की छात्रा के साथ अध्यापक द्वारा किये गये बलात्कार सम्बन्धी दर्ज मुकदमे में कार्यवाही

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री)** : उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 24.10.2000 को सुश्री मीना कुमारी उम्र 14 वर्ष पुत्री नारूजी जाति आदिवासी निवासी नाहरपुरा थाना आनंदपुरी ने एक रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक, बांसवाड़ा को पेश की कि दिनांक 29.9.2000 को वह नवीं कक्षा में अध्ययन हेतु सदैव की भांति सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय, बांदरवाड़ा आई थी...

**श्री जीतमल खांट** : सांदरवाड़ा।

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : हो सकता है सांदरवाड़ा आई थी जिसे श्री लक्ष्मण अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय, नाहरपुरा ने आकर उसके रिश्तेदार सुभाष जो ग्यारहवीं का विद्यार्थी है, के साथ यह कहकर बुलवाया कि उसे बांसवाड़ा में होने वाले आदिवासी सम्मेलन में छात्रवृत्ति हेतु फार्म भरने बाबत नाहरपुरा चलना है। वह उसे साथ लेकर नाहरपुरा अपने क्वार्टर पर ले गये जहां फार्म भरने के बहाने अंदर बुलाकर लक्ष्मण अध्यापक ने जबरदस्ती बलात्कार किया जिसकी रिपोर्ट उसी दिन उसने..

**श्री अमराराम (धोद)** : उसको पकड़ा नहीं गया।

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : अब आप सुनें तो सही। पहले ही जोरदार से बोल रहे हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप सुनना भी नहीं चाहते हैं क्या ?

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : उसी दिन उसने अपने ताऊ के साथ जाकर थाना आनंदपुरी पर की थी लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। उसके पिता के कुवैत से आने पर दोबारा रिपोर्ट करने आई। उक्त रिपोर्ट पर

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

अभियोग संख्या 241/2000 धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता थाना आनंदपुरी पर दिनांक 24.10.2000 को दर्ज किया गया जिसका अन्वेषण वृत्ताधिकारी, कुशलगढ़ द्वारा किया जा रहा है। पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण करवाया गया। चिकित्सीय परीक्षण में पीड़िता की उम्र चौदह से सोलह वर्ष के बीच पाई गई। अभियोग में अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। उसके अंतर्गत...

**अनेक माननीय सदस्य** : +++

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : सुनिये, सुनिये। (व्यवधान) मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है।

**श्री अमराराम**(धोद) : गृह मंत्रीजी यह भी बता दें कि कितने दिन बाद गिरफ्तार किया ?

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : कितने दिन बाद ?

**श्री अमराराम**(धोद) : जिन पुलिस अधिकारियों ने ऐसे...

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप सुनना भी नहीं चाहते उनको।

**श्री अमराराम**(धोद) : नहीं।

**श्री उपाध्यक्ष** : तो आप बैठिये। पहले इनको पूरा सुन तो लें।

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : आप आगे सुनिये। कल रात्रि को उस अध्यापक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिनांक 29.9.2000 को थानाधिकारी आनंदपुरी द्वारा अभियोग दर्ज नहीं करने के संबंध में जांच के आदेश दे दिये गये हैं।

**श्री अमराराम**(धोद) : क्या जांच बाकी रह गई ?

**श्री उपाध्यक्ष** : क्या हुआ।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : सस्पैण्ड किया कि नहीं किया।

**श्री रामस्वरूप** : उनको तो कर लिया आपने, अब इनको करो तब जाने। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब दिलावरजी की भी जानकारी दो। उनको तो गिरफ्तार कर लिया, माननीय गृह मंत्रीजी, अब इसकी भी जानकारी दें आप।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर।

**श्री रामस्वरूप** : उनको तो गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने, इसके लिए तो पुलिस को धन्यवाद। लेकिन अब इनको क्या कर रहे हो ? इसके लिए क्या कर रहे है आप ?

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय रामस्वरूपजी। आर्डर, आर्डर।

**श्री नगराज** : उनको तो कर लिया, उत्तर भी आ गया, अब क्या चाहिए ? (व्यवधान) हां, जिनके भी खिलाफ़ इस तरह

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री नगराज)

के प्रकरण हैं और मदन दिलावरजी के खासकर, इनको गिरफ्तार करने का आदेश दें।

**श्री उपाध्यक्ष** : विराजिए, विराजिए। (व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** : मैं अपने आप को अरेस्ट के लिए समर्पित करता हूं। मेरे ऊपर इस प्रकार के मुकदमे हैं तो मैं अपने आप को अरेस्ट के लिए समर्पित करता हूं।

**श्री नगराज** : हैं, आपराध किए हैं। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बैठिये। आर्डर, आर्डर।

**श्री जीतमल खांट** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक महीने तक, उस लड़की के साथ में यह हो जाने के बाद भी जिन पुलिस अधिकारियों ने लापरवाही बरती है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं, नम्बर एक ? नम्बर दो, जो अध्यापक है अब तक उसको निलम्बित नहीं किया गया है। क्या आप उसको निलम्बित करने का अपना विचार रखते हैं या नहीं ? नम्बर तीन, वहां पर बांसवाड़ा का एडिशनल एस.पी. इस सारे घटनाक्रम को इस तरीके से घुमा-फिरा रहा है और पूरे बांसवाड़ा जिले के अंदर बहुत बड़ी डकैती डाल रहा है, वहां लूट रहा है। वहां लोगों से पिटवा रहा है, वहां पर तस्करी करवा रहा है, वहां पर कई तरीके की हत्या करवा रहा है, वह एडिशनल एस.पी. +++ है जो हमारे जिला प्रमुखजी के साथ में उठता है, बैठता है, दारू पीता है, सभी प्रकार के इस तरह के कारनामे करता है। पूरे जिले के अंदर हाय-तौवा मचा रखी है। मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करूं कि यहां से सी.आई.डी. व्यक्तियों को भेजकर इस +++ ने बांसवाड़ा जिले के अंदर कानून और व्यवस्था की क्या धज्जियां उड़ा रखी है, आप इस बात की व्यवस्था दें।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : उपाध्यक्ष महोदय, दो जानकारी चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, एक मिनट। काहे के लिए। वह दे रहे हैं। इनका जवाब देने दो पहले।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : साथ ही आ जाएगा। आप बार-बार क्यों, साथ ही आ जाएगा।

मैं तो गृह मंत्रीजी से सिर्फ दो-तीन बात जानना चाहता हूं कि शुक्रवार को यहां यह विषय सदन के समक्ष आया और कल आपने उसको गिरफ्तार किया है इसका मतलब जब तक आपके स्तर पर सदन में यह चर्चा नहीं हुई तब तक तो पुलिस में कोई कार्यवाही नहीं हुई। गृह मंत्रीजी, आप

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

होम मिनिस्टर है, इस बात को समझिये कि इस अभियुक्त के खिलाफ तो कार्यवाही सूनर और लेटर होनी ही होनी है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप बिलकुल नहीं करें, लेकिन उससे ज्यादा गिल्टी तो कह एस.एच.ओ. है जिसके पास पुलिस के अंदर यह रिपोर्ट कराने गई। उसकी आप अभी जांच कर रहे हैं। अगर आप उसकी जांच करें, कोई एक महीने तक उसने एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की और इसको अरेस्ट नहीं किया। एफ.आई.आर. दर्ज ही नहीं की तो अरेस्ट कहां से कर सकते थे। एफ.आई.आर. बाद में दर्ज हुई है। (व्यवधान) नहीं, साहब, फरवरी का इन्सीडेंट है। दर्ज तो 24.10.2000 है यह तो 29.9.2000 का किस्सा है तो कितने महीने हो गये डेढ़ महीना हो गया। गृह मंत्रीजी, अगर पुलिस अधिकारियों को आप इस प्रकार से बचाएंगे तो यह रोजाना आफेंसेज तो रिपीट होंगे। असल तो आपको वहां पर जाकर दबोचना होगा। आपकी यह लीपापोती वाला स्टेटमैंट है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब मैं बात को दोबारा निवेदन नहीं करूंगा, माननीय झुंझुनूं से आने वाली सदस्या ने कह दिया कि आप प्रायोरिटी तो फिक्स कीजिये। गृह मंत्रीजी, मैं यह समझता हूं कि यह भी कोई बहुत शोभाजनक स्थिति नहीं है कि चेयर के कहने के बाद आपने यह स्टेटमैंट दिया है। अगर आप इसकी ग्रेविटी समझते तो पहले स्टेटमैंट देना चाहिए था। हम आपसे कमिटमेंट यह चाहते हैं, आज तो सदन खतम हो रहा है, वापस पता नहीं फरवरी-मार्च में कब मिलेंगे, आप इस पुलिस आफिसर के खिलाफ क्या कार्यवाही करना चाहते हैं और कब तक कार्यवाही कर देंगे ?

**श्री उपाध्यक्ष** : विराजिए।

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह शिकायत आयी है कि थानाधिकारी ने रिपोर्ट दर्ज नही की। मैंने उसमें जांच के आदेश दिये है। एक सप्ताह में रिपोर्ट आने पर यदि वह दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। सरकार उसको नहीं बख्शेगी। हम इस तरह की प्रवृत्ति के लोगों को कहीं भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि समय पर रिपोर्ट दर्ज नहीं करें। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर आर्डर। आप बैठिये।

**मोहम्मद माहिर आजाद** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह थानेदार वही पर रहेगा तब जांच क्या होगी ? आप उसको लाइन हाजिर कर दीजिये। जांच कौन कर रहा है ? आपने किसको जांच सौंपी है। वह थाने पर है, आप उसको लाइन हाजिर करके फिर जांच कराइये। (व्यवधान) जांच के आदेश कर दीजिए।

**श्री उपाध्यक्ष** : बैठिये आप।

**श्री अमराराम** (धोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह उसी थाने पर है वही एडिशनल

(श्री अमराराम)

एस.पी. जो शामिल है, उसकी जांच करेंगे तो जांच के नतीजे क्या आएंगे ? (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** : मैं यह जानना चाहता हूं कि ये जांच के आदेश कब दिये गये हैं और जांच अधिकारी कौन है ? उस थानेदार को उसी थाने पर रखकर आप क्या जांच कराना चाहते है ? (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : एक मिनट। माननीय सदस्य।

**डा. किरोड़ी लाल** : ...(व्यवधान) उस थानेदार को हटा कर जांच करायी जाए और जिस रतनलाल एडिशनल एस.पी. पर यह चार्ज लगा रहे हैं वह भी वहां पर नहीं रहना चाहिए। उन दोनों के रहते वहां निष्पक्ष जांच सम्भव नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष** : एक मिनट, आप प्लीज बैठिये। माननीय मंत्रीजी।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो निश्चित तौर पर एफ.आई.आर. एक महीने विलम्ब से दर्ज हुई है। एफ.आई.आर. इसलिए विलम्ब से दर्ज हुई कि उस थानेदार ने एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की। अब जिसने रेप जैसे हीनियस क्राइम की रिपोर्ट दर्ज नहीं की वह वहीं का वहीं काम कर रहा है। उसको, वहां से हटाए, उसको निलम्बित करें, फिर जांच की बात आप करें।

**श्री उपाध्यक्ष** : राजेन्द्र जी, एक मिनट आप बैठिये। माननीय मंत्रीजी, प्रश्न यह है कि जिस अध्यापक ने यह सारा किया है उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की है आपने ?

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : ऐसा है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके विभाग को लिखा जाएगा कि उसने इस तरह का जुर्म किया है उसको निलम्बित करके उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए। ...(व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** : मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जांच का आदेश कब दिया गया और जांच अधिकारी कौन है ? क्या उस थानेदार को वहीं रखकर आप जांच कराना चाहते हैं ? ...(व्यवधान) आप उसको तुरन्त लाइन हाजिर कर दें और फिर जांच कराए। अगर वह दोषी नहीं हो तो फिर लगा देना। दोषी हो तो सजा दे देना। आपने जांच के आदेश कर दिये और वहीं पर ...(व्यवधान)

**श्री जीतमल खांट** : ...(व्यवधान) वास्तविकता यह है कि पूरे बांसवाड़ा जिले में उसने हाय-तौबा मचा रखी है, कानून व्यवस्था भंग हो चुकी है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : उस थानेदार के खिलाफ क्या कार्यवाही, करेंगे आप ?

**श्री जीतमल खांट** : एडिश्नल एस.पी. रतनलाल वेर्मा के रहते हुए निष्पक्ष जांच सम्भव नहीं है अतः मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करूं...

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर।

**मोहम्मद माहिर आजाद** : मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं, यह तो सही है कि थानेदार ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की और आपने कहा कि जांच कर रहे हैं, कृपया यह बता दें कि जांच किसकी करा रहे हैं और जांच के आदेश कब दिये ? क्या उस थानेदार को वहीं पर रख कर जांच कराना चाहते हैं ? उसको तुरन्त लाइन हाजिर करके जांच करा ले। जांच किससे करा रहे है... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आपको क्या कहना है, आप भी बोल लें।

**श्री जगमाल सिंह यादव** (तिजारा) : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी ने अपने बयान में बता दिया कि उससे एक महीने तक एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की तो क्या जांच कराएंगे ?

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : ऐसी शिकायत आयी है उसकी जांच करा रहे हैं कि गोया कोई रिपोर्ट दर्ज कराने उस थाने पर गया था या नहीं गया था। कौन गया था। पीड़िता स्वयं गयी थी या उसका चाचा गया था या भाई गया था ? (व्यवधान) आप सुनने का कष्ट करें।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बैठे। एक मिनट सुने तो। बाद में पूछ लेना।

**श्री मानिक चन्द सुराना** : काग्नीजेबल आफेंस है।

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : एक मिनट सुनिये। मानिकचन्दजी सुराना साहब, आप जल्दीबाजी मत करिये। काग्नीजेबल तो है, वह मैं जानता हूं।

**श्री मानिक चन्द सुराना** : ...(व्यवधान) थाने के अधिकारी को अपने आप रिपोर्ट दर्ज करनी है।

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : सुनिये। किसी को शिकायत के आधार पर दोषी मान लेना न्यायसंगत नहीं होता...(व्यवधान) आप मेहरवानी करके मेरी बात सुन लीजिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप तसल्ली रखें, आपको बोलने देंगे।

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : केवल शिकायत के आधार पर किसी को दोषी मान लेना न्यायसंगत नहीं होगा। यह अलेज किया गया है कि उसने रिपार्ट दर्ज नहीं की। इसकी जांच डीवाई.एस.पी. कुशलगढ़ कर रहे है। अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो मैं डी.आई.जी. के स्तर पर एक ऊंचे अधिकारी को देकर इसकी जांच करवा दूंगा।

**मोहम्मद माहिर आजाद** : जांच के आदेश आपने कब दिये ?

**श्री जगमाल सिंह यादव** : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी ने यह स्वीकार कर लिया कि उसने एफ.आई.आर. लाज नहीं की। क्या जांच कराएंगे आप ?

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : मैंने स्वीकार

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

नहीं किया। यह अलेज किया गया है, यह आरोप लगाया गया है कि उस थानेदार ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इट्‌ इज अलेज्ड। जब तक जांच नहीं हो जाएगी ...

**श्री जगमाल सिंह यादव** : यह अरोप नहीं हैं आपने अपने स्टेटमैंट में यह बात स्वीकार की है कि पहले वाले एस.एच.ओ. ने एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की। क्या जांच कराएंगे फिर आप ?

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : आज भी वही मौजूद है।

**श्री जगमाल सिंह यादव** : जांच क्या कराएंगे आप ?

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : उस शिकायत की जांच की उसने एफ.आई.आर. दर्ज की कि नहीं की ? कब एफ.आई.आर. दर्ज कराने गये ? कौन गया ? कौन व्यक्ति था ? उस समय क्या थानेदार था या ए.एस.आई. मौजूद था ? किसने रिपोर्ट दर्ज नहीं की ? ये तथ्य जब तक...

**श्री जगमाल सिंह यादव** : उसको तो सस्पैंड करो थाना प्रभारी को तो।

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : बिना जांच के सस्पैंड नहीं करूंगा।

**श्री जगमाल सिंह यादव** : यह जांच क्या है ? उसने एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : उसका ट्रांसफर तो करो वहां से। आप एस.एच.ओ. को वहीं रखेंगे क्या ?

**मोहम्मद माहिर आजाद** : आपने उस एस.एच.ओ. के खिलाफ जांच के आदेश कब दिये, यह तो बताए, गृह मंत्रीजी ?

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : वो वहीं रहेगा क्या ? उसको वहां से हटाए तो सही कम से कम उसके रहते हुए जांच होगी क्या ?

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : मैंने आप से एक ही बात कही है कि मैं एक सप्ताह में इसकी जांच रिपोर्ट प्राप्त करके दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करूंगा।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : डी.आई.जी. से ?

**मोहम्मद माहिर आजाद** : जांच के आदेश कब दिये सवाल यह है। ये बता नही रहे है।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर। बात खतम हो गयी। माननीय सदस्य, बस खतम हो गयी बात।

**श्री जीतमल खांट** : माननीय गृह मंत्रीजी, आप एडिशनल एस.पी. रतनलाल को हटाने का विचार रखते है कि नहीं ? इसके रहते निष्पक्ष जांच सम्भव नहीं है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर आर्डर।

# पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

## गंगनहर के आधुनिकीकरण की योजना

**श्री रामप्रताप** (हनुमानगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, गंग कैनाल के माडर्नाइजेशन के लिए 20 साल के सतत् प्रयास के बाद मई, 2000 में केन्द्रीय सरकार ने इसकी मंजूरी दी है। मंजूरी दी है। मंजूरी देने के बाद बहुत अफसोस की बात है कि राज्य सरकार ने इसके लिए धन उपलब्ध नही कराया। परिणामस्वरूप वहां गंगानगर जिले की जनता इस बात के लिए लगातार चार महीने से आंदोलनरत है। राज्य सरकार ने अभी तीन–चार दिन पहले मेरे प्रश्न के जवाब में बताया कि इस महती परियोजना के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले के लाखों लोगों के पेट का सवाल है। एक तरफ राज्य सरकार भयंकर अकाल की स्थिति से गुजर रही है और दूसरी तरफ साथ में एक–एक बूंद पानी के लिए तरस रही है। आज इस महती परियोजना से 1200 क्यूसेक्स पानी पाकिस्तान के लिए जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हजारों–करोड़ों रुपयों का कर्ज सरकार दूसरी योजनाओं के लिए ले रही है लेकिन इतनी बड़ी इस योजना के लिए और गंगानगर जिले की जीवनदायिनी के लिए राज्य सरकार के पास एक नया पैसा नहीं है। इस बात को लेकर पूरा गंगानगर जिला और हनुमानगढ़ जिला आज की तारीख में पूर्णतया बंद है। वहां का पूरा चाहे किसान वर्ग हो चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे व्यापारी हो, वे इस बात को महसूस करने लग गये हैं कि गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के लिए इस राजस्थान की सरकार के पास न कोई धन है और यह हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। जिस तरीके से पूर्व में यह बात उठी है कि पूर्वी राजस्थान के लोग एक अलग अपनी भावना पैदा कर रहे है, इसी तरीके से गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में 90 में अलगाववाद की बात पैदा हुई थी और यही भावना आज पूरे गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में पैदा हो रही है। राज्य सरकार से बार–बार आग्रह करने के बाद जवाब यह देते हैं कि 8–10 साल के बाद इसको पूरा किया जाएगा। 8–10 साल में यह राज्य सरकार नहीं कोई भी सरकार इसको पूरा नहीं कर सकेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुनः इस बात के लिए आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना के लिए आश्वासन की हमें आवश्यकता नहीं है, आश्वासन देने से हमारा पेट नहीं भरेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को लेकर बार–बार आग्रह करने के बाद भी, इस सदन के अंदर इतने मुद्दे उठे है इससे गम्भीर मुद्दा कोई भी नहीं हो सकता लेकिन राज्य सरकार के +++

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, गंग कैनाल के माडर्नाइजेशन का मुद्दा पिछले 15 वर्षों से पैंडिंग है। इसकी मई, 2000 में सेन्ट्रल वाटर कमीशन ने 450 करोड़ रुपये की योजना मंजूर की है। माननीय उपाध्यक्षजी, जब हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो आप देखेंगे कि ट्रैजरी बेंचेज पर इर्रिगेशन मिनिस्टर नहीं है, इंदिरा गांधी नहर मंत्री नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आपने कोई नोटिस नहीं दिया है इसका इसलिए उनकी उपस्थिति होना जरूरी नहीं है। यह तो ऐसा विषय है इसलिए आपको बोलने की इजाजत दे रहे है।

(14:00 बजे)

**श्री मानिक चन्द सुराना** : हां, इजाजत दे रहे है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज के अखाबार में खबर है कि एक हजार करोड़ रुपये राज्य सरकार ने सिंचाई योजनाओं के आधुनिकीकरण के लिये उधार लिये है और आपने चार दिन पहले यहां जवाब दिया है कि गंग कैनाल के लिए मात्र 40 लाख रुपये का प्रस्ताव किया गया है। 450 करोड़ की योजना और मात्र 40 लाख रुपये का प्रावधान, वह भी सैलेरीज के लिये है। राज्य सरकार का यह जवाब है कि हम 8–10 साल में इसका आधुनिकीकरण करेंगे। आपने 10–20 करोड़ रुपये का प्रावधान भी गंग कैनाल के माडर्नाइजेशन के लिये नहीं रखा है। मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि 1250 क्यूसेक्स पानी गंग कैनाल से बहकर पाकिस्तान जा रहा है, 800 क्यूसेक्स पानी की चोरी पंजाब में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के पानी से हो रही है, 500 क्यूसेक्स पानी हरियाणा चोरी कर रहा है। कल सी.ए.डी. की जो जल प्रबन्ध और वितरण समिति की बैठक हुई वहां चीफ इंज़ीनियर ने कहा है कि पंजाब धक्का कर रहा है, हरियाणा धक्का कर रहा है। आप 1300 क्यूसेक्स पानी पंजाब और हरियाणा से बचा नहीं सकते। 1250 क्यूसेक्स पानी बहकर पाकिस्तान जा रहा है, उसकी योजना जो 450 करोड़ की आई है उसको क्रियान्वित करने का राज्य सरकार का कोई मानस नहीं है। मैं राज्य सरकार से आग्रह करूंगा कि वह अपने मानस को सही करें। जहां आपने एक हजार करोड़ रुपये उधार लिये हैं, डेढ़ सौ–दौ सौ करोड़ रुपये का उचित प्रावधान करके हर साल 50–60 करोड़ की स्पीड से इस योजना को पांच साल की अवधि में क्रियान्वित करने का मानस बनाएं। आज पूरे गंगानगर में हड़ताल है आज हनुमानगढ़ में चक्काजाम है। उपाध्यक्ष महोदय, सारे काश्तकार उद्वेलित है। आज वहां कोई आवागमन नहीं हो सकता पूरे गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में हड़ताल है। काश्तकारों ने हड़ताल की है, काश्तकारों ने रास्ता बंद किया है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस गंभीर स्थिति को और ज्यादा न बिगड़ने दें क्योंकि उन्होंने नोटिस दिया है कि यदि

(श्री मानिक चन्द सुराना)

आपने इसका इंतजाम नहीं किया तो हम सात दिन बाद तीन दिन के लिये फिर गंगानगर बंद करेंगे। इसलिए राज्य सरकार इस मसले पर गंभीरता से प्रावधान करें। उचित प्रावधान करने को मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर। हो गया अब। आपका क्या लेना-देना है ? हनुमानगढ़ और गंगानगर दोनों हो गये।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान में अगर सर्वाधिक अन्न कोई जिला पैदा करता है तो वह है गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला उपाध्यक्ष महोदय, उस जिले में 1927 में बनी हुई गंग नहर जिसको महाराजा गंग साहब ने पूरे इलाके को सरसब्ज करने के उद्देश्य से बनाया था, आज उसके हालात ऐसे हो गये है, वह इतनी जीर्ण-शीर्ण हो गई है कि 1250 क्यूसेक्स पानी तो सीधा बहकर पाकिस्तान में चला जाता है और 400 क्यूसेक्स के लगभग पानी गंग कैनाल से पंजाब के हिस्से में लोग निकाल लेते है, खुर्द-बुर्द कर लेते है। उपाध्यक्ष महोदय, आज इन दोनों जिलों में चहुंओर चक्काजाम है। वहां का किसान आंदोलित है, वहां के दुकानदार आंदोलित हैं। गंगानगर-हनुमानगढ़ जिले की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। वहां के किसान एक ही मांग कर रहे हैं कि हमें विकास के नाम पर एक पैसा नहीं दे, हमारे स्कूल नहीं खोलें, हमारे हास्पिटल नहीं खोलें पर गंग नहर के माडर्नाइजेशन की बात जिसकी बड़ी कोशिश के बाद सी.डब्ल्यू.सी में लंबी लड़ाई के बाद अब स्वीकृति मिली है, साढ़े चार सौ करोड़ की योजना बनायी है उसका काम पहले करें। उपाध्यक्ष महोदय, इसी सरकार ने बजट सैशन में यह कहा था कि हम सिंचाई शुल्क को तो दुगना कर रहे है परन्तु इसके साथ-साथ एक हजार करोड़ रुपया हम वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर राजस्थान के सिंचाई तंत्र का पुनरूद्धार करने के लिये खर्च करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख की बात है कि जो इलाका सबसे ज्यादा अन्न और धन पैदा करता है, आज उस इलाके के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरीके के अलगाववाद की बात पूर्वी राजस्थान में उठ रही है, गंगानगर के लोगों के मनों में भी सौतेले व्यवहार के कारण इस तरीके की बात उठने लग गई है। सरकार चेत नहीं रहीं हैं। किसान आंदोलित है किसान ने पहली बार दोनों जिलों में ऐसा चक्काजाम किया हैं कि पूरी दुकानें बंद, बाजार बंद। उसी किसान ने चेतावनी दी है कि हम इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि गंगानगर जिले का किसान जब कभी भी लड़ा है पूरे राजस्थान में आग लगी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं, समय रहते चेत जाएं। मैं आपके माध्यम से सामने बैंठे माननीय सदस्यों से भी कहूंगा, आपकी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आत्मा क्यों मर गई ? क्यों सत्ता दल में जाते ही आप वह बात भूल गये ? गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य यहां धरने पर बैठे थे, कहां चली गई आपकी बात ? आप सत्ता में हो, सरकार में हो, क्यों नहीं आगे होकर कहते कि गंग नहर का माडर्नाइजेशन सबसे बड़ा काम है और यह तुरन्त होना चाहिए ? उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले में सरकार को आज ही जवाब देना चाहिये। यह लाखों लोगों के साथ जुड़ा हुआ सवाल है। लाखों बीघा जमीन जो सिंचाई योग्य थी आज वह सारी जमीन बंजर होती जा रही है। आप किसान हो, किसान के दर्द को समझते हो, किसान की पीड़ा को समझते हो इसलिए ईश्वर के लिये इस सरकार को समझाइए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करूंगा, माननीय मुख्य मंत्रीजी की एक बार तो वाणी सुनवाइए। आज सत्र का आखरी दिन है, मुख्य मंत्रीजी व्रत धारण किये हुए हैं। एक शब्द +++ ने बोला हो तो बता दो। सदन में आकर अगर बोल नहीं सकते तो मुस्करा कर तो हमें दिखा दें। देखें तो सही इनकी मुस्कराहट कैसी है। एक शब्द मुख्य मंत्रीजी नहीं बोले। किसान से जुड़े हुए सवाल पर मुख्य मंत्री को सदन में आकर जवाब देना चाहिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर।

**श्री राधेश्याम गंगानगर** (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को जरूर टाइम दिया जाएं गंग कैनाल का मामला है, हमारे यहां का मामला है।

अभी मेरे से पूर्व श्री राजेन्द्रजी और डा. रामप्रतापजी बोले वास्तव में आज चक्काजाम है। पूरे जिले की स्थिति बहुत खराब है। कम से कम 20 सालों से निरन्तर मैं यह मामला उठाता आ रहा हूं और मेरे को बड़ी खुशी है कि देर-सबेर आप लोगों ने सहयोग दिया। लेकिन मैं यह बात याद कराना चाहता हूं हमारे परम आदरणीय भैरोंसिंहजी जो मेरे बड़े भाई है, एक दफा जब गवर्नर राज हुआ तो आपने कहा कि मैं छुट्टी पर आया हुआ हूं और छुट्टी से जाते ही सबसे पहले गंग कैनाल का कार्य प्रारम्भ करूंगा। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपने अपने साथ दस हजार आदमी धरने पर बैठाये। बैठने के बाद ईश्वर ने ऐसा मौका दिया कि आप पुनः मुख्य मंत्री बन गये, लेकिन पांच साल तक मैं यहां +++ निरन्तर यहां धरने दिये। यहां ऐसी हालत हुई जिसका कोई अंत नहीं। उस वक्त अगर आपने यह बात सोची होती तो आज यह हालत नहीं होती। मैं तो 20 साल पहले 1983 में यहां बोला। यहां से पूरी कैबिनेट गई, कैबिनेट ने गंग कैनाल का निरीक्षण किया और 83 करोड़ रुपये गंगानगर में बैठ कर कैबिनेट

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

से पास किये जिसमें लिंक चैनल बन गया। बीच में फिर आपका राज आ गया और वह मामला बिलकुल खतम हो गया। आज भी हम पूरा प्रयास कर रहे है, सी.डब्ल्यू.सी. से भी हमारी सरकार ने मंजूर करवाया है। आपके सामने भी यह मुद्दा था लेकिन उस वक्त नहीं हुआ। इसमें यह नहीं कि आप कोई हमारी मदद कर रहे है।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, संक्षेप में।

**श्री राधेश्याम गंगानगर** : सरकार किसी की हो, यह मुद्दा संवेदनशील मुद्दा है। नीचे का पानी बहुत खारा है। उपाध्यक्ष महोदय, आप कह रहे है कि बोले नहीं। आज वहां की हालत है कि किसान की चार फ़सलें फैल हो गई। एक पैसा किसान के पल्ले नहीं है। 10 पैसे की दवाई भी किसान अपने बच्चों को नहीं दिलवा सकता। नीचे का पानी पूरा खारा है। मैं कहता हूं कि न तो पक्षी बचेगा, न पशु बचेगा और इंसान बचेगा, गंगानगर जिला बिलकुल बरबाद हो जाऐगा अगर हमने इस पर गंभीरता से नहीं सोचा मैं यह चाहूंगा कि मंत्री महोदय, इस पर स्टेटमैंट दे और तुरन्त इस कार्य को शुरू कराने की घोषणा करें। हम सब विधायकों ने मिलकर मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया था, मुख्य मंत्रीजी ने हमें आश्वस्त किया है कि बहुत जल्दी ही मिनी कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर इस समस्या का समाधान जरूर करेंगे। आज सिंचाई मंत्रीजी तो यहां नहीं है लेकिन बी.डी. कल्लाजी यहां मौजूद हैं, मैं हाउस में यह विश्वास चाहूंगा कि आज इस पर स्टेटमैंट देंगे और तुरन्त इस बात की घोषणा करेंगे कि हम गंग कैनाल का कार्य हाथ में ले रहे हैं। आज वहां ऐसी भयंकर स्थिति हो रही है जिसका कोई अंदाजा नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष** : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य, हो गई पूरी बात।

**श्री राधेश्याम गंगानगर** : मेरे इलाके की बात है, आप मुझे ही समय नहीं दोगे तो फिर...

**श्री उपाध्यक्ष** : दे दिया न आपको समय। बात तो वो की वो है।

**श्री राधेश्याम गंगानगर** : मैं अपनी बात कहूं ताकि स्टेटमैंट आने से पहले मेरी पूरी बात नजर में आ जाएं। जैसा आप आदेश करें।

2700 क्यूसेक्स की कैनाल जिसमें आज 2700 क्यूसेक्स पानी नहीं चला, 950 क्यूसेक्स के लासेज होते हैं। अगर पंजाब के लासेज काट दें तो 700 क्यूसेक्स लासेज हमेशा हो रहे हैं। निरन्तर 700 क्यूसेक्स लासेज से हम कैनाल फ्री में बना सकते थे। हमारा एक पैसा भी नहीं लगता अगर उस वक्त ये लासेज रोक लेते। वितरिकाएं पक्की बन जाती, मैन कैनाल पक्की बन जाती। मेरे ख्याल से एक पैसा भी गवर्नमैंट को नहीं लगाना पड़ता, वहीं से पूर्ति हो जाती अगर

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

आप उसको बना देते हो तो दो लाख तीस हजार एकड़ भूमि और सिंचित होगी। हमें उससे बड़ी भारी आय होगी। गंगानगर का किसान खुशहाल होगा और राजस्थान की कल्याणकारी सरकार का नाम होगा। हमारे सब विधायकों ने चाहे वह हनुमानगढ़ के हो चाहे गंगानगर के हो, इलाके में हम सब लोगों ने जनता से वायदा किया है कि सर्वप्रथम गंग कैनाल वाला काम कराना है। सड़कें न दो हास्पिटल न दो, हमें कुछ चीज न दो, हमारी पहली डिमाण्ड गंग कैनाल है। अगर गंग कैनाल की घोषणा आज नहीं करोगे तो हमारे लिए इस इलाके में जाना बड़ा-भारी मुश्किल हो जाएगा। मंत्री महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप तुरन्त घोषणा कीजिए और उस कार्य को कल से ही चालू करवाइये। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष** : मंत्रीजी।

**श्री रामप्रताप** : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से, क्योंकि प्रतिपक्ष नेता महोदय, की तरफ इंगित करते हुए माननीय गंगानगर से आने वाले सदस्य ने कुछ बातें कहीं हैं, मैं इस बात का जवाब देना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1927 में यह कैनाल बनी थी और यह लाइम और कंकरीट से बनी थी, जिसकी उम्र 30 साल की होती है। सन् 60 और 70 के बीच में यह टूटनी शुरू हुई और अपनी क्षमता से कम पानी लेने लग गई। उसके बाद में एक स्थिति ऐसी आई कि यह बिलकुल जीर्ण-शीर्ण अवस्था में चली गई वहां के काश्तकारों की लगातार इस बात की मांग थी कि इसका माडर्नाइजेशन किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, भैरोंसिंहजी के राज में 1979 के अंदर इसका 86 करोड़ का तखमीना बनाकर...(व्यवधान)

**श्री राधेश्याम गंगानगर** : बड़े दुःख की बात है 1983 में कैबिनेट गई थी, कैबिनेट ने लिंक चैनल बनाया। श्री माथुर साहिब उस वक्त मुख्य मंत्री थे...(व्यवधान)

**श्री रामप्रताप** : आपने बनाया वह निवेदन कर दूंगा। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, 1979 में 86 करोड़ का तख्मीना बनाकर सी.डब्ल्यू.सी. को भेजा गया। उसको पार्टली इंदिरा गांधी गंग कैनाल लिंक का 17.86 करोड़ मंजूर करके बाकी की योजना को आक्षेप के साथ वापस भेज दिया गया। सन् 1983 से लेकर 89 तक आपने लिंक का निर्माण किया लेकिन आप उसको इंदिरा गांधी कैनाल से नहीं जोड़ सके। वह जीर्ण-शीर्ण हालत में आ गया। यह माननीय भैरोंसिंहजी थे जिनके राज में 1993 में आकर लिंक को लिंक से पानी मिला... (व्यवधान)

**श्री राधेश्याम गंगानगर** : यह बात भी सत्य है, इसमें कौन इन्कार कर रहा है ? पर उसके बाद क्या हो गया ? आपने 10,000 आदमियों को ले जाकर धरना लगाया था और वायदा किया था, गंगानगर की जनता से इसी बात से जीते थे। (व्यवधान) इन्होंने

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

वायदा किया था, सम्माननीय भैरोंसिंहजी ने यह कहा था कि पहला काम अगर कोई होगा तो वह गंग कैनाल होगा। इतने साल तक मैं रोता रहा, मेरे साथ थी रोते रहे। कहां गई गंग कैनाल ? क्या उसको सांप सूंघ गया? बात करते हो आप...(व्यवधान)

**श्री रामप्रताप** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1993 में भैरोंसिंहजी थे जिन्होंने यह एस्टीमेट रिवाइज करके 225 करोड़ का सी.डब्ल्यू.सी. को भेजा। लगातार प्रयास करने के बाद मैं ...(व्यवधान)

**श्री राधेश्याम गंगानगर** : वह मंजूर हो गया ? वह कमलाजी ने मंजूर करवाया। यह अशोजी की सरकार...(व्यवधान)

**श्री रामप्रताप** : मैं आपकी भावना समझता हूं, आप ठीक कह रहे हैं लेकिन सतत् प्रयास के बावजूद केन्द्रीय जल आयोग ने इसको मंजूर नहीं किया प्राइस एस्केलेशन के बाद में 1998 में यह भैरोंसिंहजी थे जिन्होंने उसको साढ़े चौसठ करोड़ से बढ़ाकर दुबारा केन्द्रीय जल आयोग को भेजा। श्रीमान् जी, केन्द्र में आपकी सरकार थी लगातार। सी.डब्ल्यू.सी. वहां से क्लीयर करता है तब परियोजना मंजूर होती है। वह भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद में...(व्यवधान)

**श्री राधेश्याम गंगानगर** : हम आपके आभारी हैं लेकिन पांच साल तक...(व्यवधान) आपने धरने दिए, गांव वालों के सामने सैकड़ों बार धरने दिये। एक बार भी आपने जवाब दिया हो तो बताओ। (व्यवधान) पांच साल में आपने क्या किया ?

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर प्लीज।

**श्री राधेश्याम गंगानगर** : डा. रामप्रतापजी, सुनिये, आप भूल गए हैं, आप बिलकुल भूल गए है। 1993 से 98 तक भैरोंसिंहजी मुख्य मंत्री और आप मंत्री थे, आपकी सरकार थी गंग कैनाल के लिए क्या किया, आप बता दो। जब हमारी सरकार आई, आते ही सरकार ने घोषणा की कमलाजी ने पूरी कैनाल का सर्वे किया। पूरी की पूरी कैनाल में अधिकारी, हमारे जन प्रतिनिधि और... (व्यवधान)

**श्री रामप्रताप** : उन लोगों को बताओं जिनको जानकारी नहीं है। मेरे पास में सबूत हैं। सबूत के साथ बोलो। (व्यवधान)

**श्री राधेश्याम गंगानगर** : जी, आप क्या हुकूम कर रहे हो ? (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

**श्री रामप्रताप** : सबूत के साथ बोल रहा हूं ...(व्यवधान)

**श्री राधेश्याम गंगानगर** : आप ही ज्यादा विद्धान हो क्या ? मेरे ख्याल से आप ही ज्यादा विद्धान हो। (व्यवधान) आप टीके लगाओ जाकर।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आर्डर, आर्डर...(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : आपकी लाठियों का सबूत आपके सामने है।

**श्री राधेश्याम गंगानगर** : आपको किसानों के दर्द का पता नहीं है। आप क्या जानो किसानों का दर्द क्या है। आपका गंग कैनाल से क्या लेना-देना है। (व्यवधान)

**श्री रामप्रताप** : हमने कहीं कभी नहीं रखी और न कभी रखेंगे। पूरा करके दिखाएंगे, आपके भरोसे नहीं रहेंगे। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर। माननीय मंत्रीजी।

**श्री राधेश्याम गंगानगर** : हनुमानगढ़ में बाढ़ आ गई थी। हनुमानगढ़ की बाढ़ में आप गये थे, आपने एक पैसा भी दिया क्या ? एक पैसा भी दिया आपने ? हनुमानगढ़ की जनता बरबाद हुई, आपने एक पैसा भी दिया क्या ? (व्यवधान) प्रोफेसर सांवर लालजी उस वक्त अकाल राहत मंत्री थे, एक नया पैसा नहीं दिया। लोग चिल्लाते रहे। आप भी चिल्ला रहे थे। रामप्रतापजी, आप भूल गए, आप भी चिल्ला रहे थे। एक नया पैसा नहीं मिला...(व्यवधान)

## शासकीय वक्तव्य

### गंगनहर के आधुनिकीकरण की योजना

**श्री बुलाकीदास कल्ला** (इन्दिरा गांधी नहर मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर रियासत को वर्ष 1919 में अनुबंध के अंतर्गत सतलज नदी का 1.11 मिलियन एकड़ फीट जल आबंटित किया गया था जिसके उपयोग के लिए गंग नहर का निर्माण वर्ष 1922 से 27 के मध्य किया गया था। यह निर्माण सतलज नदी पर स्थित हुसैनवाला हैडवर्क्स से निकलता है। इसकी प्रवाह क्षमता 2720 क्यूसेक्स है स्वतंत्रता के उपरान्त रावी-व्यास समझौते के अंतर्गत इस नहर को 0.33 मिलियन एकड़ फीट अतिरिक्त जल का आबंटन किया गया।

गंग नहर को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम मुख्य नहर जिसकी कुल लंबाई 129 किलोमीटर, इसे बीकानेर कैनाल के नाम से जाना जाता है। इसका 112 किलोमीटर भाग पंजाब प्रान्त में स्थित है। इस नहर का निर्माण लाइम-कंकरीट में किया गया था। नहर के लगातार प्रवाह के कारण लाइनिंग क्षतिग्रस्त हो गई है जिसके कारण इस नहर की प्रवाह क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वर्तमान में इसकी 2200 क्यूसेक्स जल लेने की क्षमता है। नहर का दूसरा भाग गंग फीडर राजस्थान में है, इसकी नहर प्रणाली की वितरिकाओं की लम्बाई 1153 किलोमीटर है।

बीकानेर नहर की स्थिति चिन्ताजनक है और इसका सुदृढ़ीकरण एवंम् सुधार कार्य तुरंत किया जाना नितान्त आवश्यक है। सन् 1983-93 के मध्यम एक लिंक चैनल से इंदिरा गांधी फीडर से गंग फीडर को जोड़ा गया। जब इंदिरा गांधी फीडर में अतिरिक्त जल उपलब्ध होता है तब लिंक

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

चैनल के माध्यम से औसतन 500 क्यूसेक्स अतिरिक्त पानी गंग फीडर में उपलब्ध होता है। गंग नहर का सिंचित क्षेत्र 3.08 लाख हैक्टेयर है और निर्धारित सिंचाई सघनता 60 प्रतिशत है। परन्तु लिंक चैनल की सुविधा के कारण वर्तमान में इस प्रणाली से लगभग चार लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रहीं हैं। इसके अतिरिक्त गंगानगर जिले में पेयजल आदि का भी पुनर्भरण किया जाता हे। अधिकांश सिंचाई उपलब्ध कराने का मुख्य कारण इस प्रणाली को आबंटित जल 1.44 मिलियन एकड़ फीट से भी अधिक जल आपूर्ति फीडर से होने के अतिरिक्त इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से लिंक चैनल से भी जल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार गत तीन वर्षो में लगभग 2.00 एम.ए.एफ. प्रति वर्ष जल आपूर्ति हुई है। यह सही है कि इसी वर्ष वर्षा के अभाव में पोंग और भाखड़ा बांधों में क्रमश कुल भराव क्षमता का 54.3 प्रतिशत तथा 76.9 जल उपलब्ध होने के कारण निश्चित रूप से जल की स्थिति कमजोर है। अतः गंग प्रणाली की स्थिति कमजोर होने के उपरान्त भी अभी तक इस नहर के सिंचित क्षेत्र में और पेयजल की व्यवस्था में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। परन्तु बीकानेर नहर का जो भाग पंजाब में स्थित है उसकी स्थिति चिंताजनक है। इसे शीघ्रतिशीघ्र सही करना आवश्यक है।

गंगानगर के सुदृढ़ीकरण के लिए सर्वप्रथम 1983 में एक योजना का प्रारूप 1979 की दरों पर तैयार किया गया था और इसकी अनुमानित लागत 87.5 करोड़ आंकी गई थी। इसके अनुसार लिंक नहर का कार्य प्रारम्भ कर वर्ष 1983-93 तक लगभग पूर्ण कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त भी गंगनहर की वितरिकाओं पर कुछ लाइनिंग का कार्य किया गया और मार्च, 2000 तक इन कार्यो पर 49.5 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। परन्तु गंगनहर आधुनिकीकरण योजना केन्द्रीय जल आयोग के पास लम्बे समय से स्वीकृति के लिए लंबित थी। गत वर्ष इस परियोजना के तख्मीने को वर्ष 1998 की दरों पर संशोधित किया गया और केन्द्रीय जल आयोग की बैठक दिनांक 31.5.2000 में 443.79 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। तदुपरान्त योजना आयोग द्वारा इस परियोजना की अनुमति दिनांक 29.9.2000 को दी जा चुकी है। इस प्रणाली की कुछ वितरिकाओं के भाग का कार्य विश्व-बैंक की प्रस्तावित योजना में भी शामिल किया जा रहा है। बीकानेर नहर जो पंजाब में स्थित है, के लिए वित्तीय साधन उपलब्ध कराने के लिए पृथक-पृथक प्रयास किये जा रहे हैं।

माननीय विधायक महोदयों ने जो सुझाव दिये हैं उन सुझावों को मैंने गम्भीरता से सुना है। गंगानगर से आने वाले माननीय विधायक महोदय ने 131 के माध्यम से यह सुझाव दिया कि मार्केटिंग बोर्ड को उपलब्ध

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

वित्तीय साधनों या इसी प्रकार के अन्य स्रोतों से इस परियोजना को पूर्ण करने के लिए वित्तीय व्यवस्थाएं तुरन्त की जाएं परन्तु यह विभाग के द्वारा सम्भव नहीं है। गंग कैनाल आधुनिकीकरण परियोजना के योजना आयोग द्वारा अनुमति प्राप्त करने के पश्चात इसके लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) या राष्ट्रीय ग्रामीण कृषि विकास बैंक (नाबार्ड) व बाढ़ सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय साधन जुटाने का प्रयास राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। अभी हाल ही में माननीय मुख्य मंत्रीजी गंगानगर के दौरे पर पधारे थे। वहां पर उन्होंने आम सभा में यह आश्वासन दिया है कि वे शीघ्र ही मंत्रिमण्डल के प्रमुख सदस्यों के साथ गंगानगर के दौरे पर जाएंगे और वहां लोगों से समस्याओं को सुनकर तात्कालिक समुचित और उपयुक्त निर्णय इसके बारे में करेंगे। मैं सदन को यह विश्वास दिलाकर चलना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी का दौरा शीघ्र होगा और वे इस संबंध में उचित निर्णय लेंगे।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्रीजी बोल लेते तो ज्यादा अच्छा रहता गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में आज जिस तरह का अकाल है, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राधेश्यामजी भी मंजूर करेंगे कि आज तक इस प्रकार के अकाल नहीं हुए है। जिस प्रकार की समस्या का उल्लेख माननीय सदस्यों ने किया है, राधेश्यामजी ने भी कहा है कि गंगानगर क्षेत्र में, गंग कैनाल के क्षेत्र में किसानों की स्थिति बहुत खराब है। आप भी उसको स्वीकार कर रहे हैं और रामप्रतापजी ने विस्तार से आपके सामने वह बात रखी है। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार तत्काल समाधान करने के लिए चिन्तित नहीं है। अब ये चाहे कि मुख्य मंत्रीजी ग्यारह को वहां जाकर घोषणा करें, ज्यादा अच्छा होता कि सदन के माननीय सदस्य जब सदन में ही इस बात को रख रहे हैं तो मुख्य मंत्रीजी ग्यारह तारीख को क्या करने वाले है, इसकी जानकारी वे सदन को दे देते ताकि काश्तकारों को इस सदन के मार्फत एक संदेश पहुंच जाता कि इस चिन्ता की स्थिति में सरकार इसका समाधान करने की इस प्रकार की कोशिश कर रही है। मैं समझता हूं कि आप इसकी जानकारी नहीं दे पा रहे है। इस विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं है कि 1979 में क्या हुआ, 1983 में क्या हुआ। 1979 में क्या हुआ और लिंक कैनाल कब जोड़ी गई। गंग कैनाल और राजस्थान कैनाल का इतिहास बहुत लम्बा-चौड़ा है, मैं उस इतिहास में जाना नहीं चाहता। इतना ही कह सकता हूं कि जिसकी भी सरकार रही है उसकी इस प्रकार की कोशिश अवश्य रही है कि ज्यादा से ज्यादा पानी राजस्थन को इन योजनाओं के अंतर्गत मिले। पानी लेना कठिन बात है लेकिन कामयाबी हासिल

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हुई है। अब उस कामयाबी के आधार पर हम कितनी सिंचाई कर पाते हैं, यह बहुत बड़ी आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह सकता हूं कि बीकानेर कैनाल पहले पक्की थी। यह धीरे-धीरे जीर्ण हो गई, उसकी उम्र पूरी हो गई। अब वह कभी भी किस समय टूट सकती है टूटने के कारण से पानी का संकट अपने पास आ सकता है। हमने जो लिंक कैनाल बनाई उसका परपज यही था कि गंग कैनाल में पानी नहीं आएं तो हम राजस्थान सरहिन्द फीडर से उसको पानी दे दें। वह दे भी रहे हैं लेकिन आज स्थिति यह है कि काश्तकारों और जनता में इस बात का अविश्वास पैदा हो गया कि इस कैनाल की मरम्मत नहीं होगी। यह कैनाल किसी भी समय टूट सकती है, टूटने की स्थिति में पानी बीकानेर कैनाल से हमको मिलेगा नहीं और गंग कैनाल का लगभग डेढ़ लाख एकड़ क्षेत्र सिंचाई बिना रह जाएगा। काश्तकार तबाह हो जाएंगे। मैं ऐसा समझता हूं कि केवल यह कहकर कि हम विचार करेंगे, यह करेंगे, यह और चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे सभी कह रहे हैं कि एक सड़क बनने पर देरी हो सकती है। आज नहीं बनाएं, अगले साल बनाएं। कहीं कोई बिल्डिंग बनाने में देरी हो सकती है लेकिन राजस्थान में गंग कैनाल का पानी अगर समय पर नहीं पहुंच पाया तो उसके परिणाम भयंकर होंगे। इसलिए मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा कि या तो आप यहां मुख्य मंत्रीजी से भाषण दिलवाइये कि वे इस संबंध में क्या करने वाले हैं या आप बताइये कि ग्यारह तारीख को आप क्या निर्णय ले रहे है ?

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : एक मिनट में, प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जो सवाल उठाये है, उनके बारे में खास तौर से बताना चाहता हूं। 29.9.2000 को प्लानिंग कमीशन ने इस योजना को क्लियर किया है। आप जानते हैं कि प्लानिंग कमीशन की स्वीकृति के बिना तो कोई योजना आगे नहीं बढ़ सकती है। मैंने अपने स्टेटमैंट में यह साफ बात कही है कि ए.आई.बी.पी., नाबार्ड और अन्य बाह्य स्रोतों से हम संसाधन जुटाने के प्रयास कर रहे हैं, बहुत शीघ्र इसके बारे में समुचित कार्यवाही की जाएगी। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा सदन को मैं इतना जल्दी और क्या कह सकता हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी तो स्वयं गंगानगर जाकर कार्यवाही करने वाले हैं, उन्होंने ही मुझे कहा कि आप सदन को यह आश्वस्त कर देना कि वे गंगानगर जाएंगे और जाकर इस बारे में समुचित कार्यवाही करेंगे।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : मुख्य मंत्रीजी खुद आकर कहें। मुख्य मंत्रीजी खुद आकर जानकारी क्यों नहीं देते ? (व्यवधान)

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : ऐसा है आपके वक्त तो आपके बोलने पर भी पाबंदी थी।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

डिसेण्ट्रलाइजेशन है हमारे यहां। अपने-अपने विभागों की रिप्लाई दे सकते हैं। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : जब से सत्र चला है...(व्यवधान)

**श्री रामप्रताप** : मुख्य मंत्रीजी यहां आकर ...(व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी घोषणा करें कि ग्यारह तारीख को वे वहां क्या करने वाले है। सदन को बताया जाए। (व्यवधान)

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : उपाध्यक्ष महोदय, बी.जे.पी. के राज में मंत्रिमण्डल के लोग उत्तर नहीं देते थे, हम तो उत्तर देने में सक्षम हैं। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : अभी आप कह रहे हैं...(व्यवधान)

**श्री रामप्रताप** : अभी ध्यान दे रहे हैं कैनाल का चूंकि...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर।

**श्री रामप्रताप** : आप नहीं करवाना चाहते हैं, यहां आप ऐसे कह रहे हैं। प्लानिंग कमीशन के पास जाना पड़ेगा तो... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : पर्ची पर बोलने की अनुमति थी।

**श्री मानिक चन्द सुराना** : राज्य सरकार चार सौ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : डाक्टर करण सिंहजी यादव। (व्यवधान)

**श्री मानिक चन्द सुराना** : क्रियान्वित नहीं करना चाहती और उसके लिए वित्तीय प्रावधान नहीं करना चाहती है। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय प्रावधान नहीं करना चाहती है। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय प्रावधान नहीं किये जाने के कारण हम इस सदन से बहिर्गमन करते है। (व्यवधान)

**(भारतीय जनता पार्टी द्वारा सदन से बहिर्गमन)**

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : पहले ही पता था कि आप राजनीति कर रहे हैं। राजनीति कर रहे हैं। 29 तारीख को जिस योजना की स्वीकृति मिली है उसको क्या आप इतना जल्दी कर सकते हैं ? लिंक चैनल हमने बनाई, 49.5 करोड़ रुपया हमनें खर्च किये उस कैनाल की क्षमता 3.10 हैक्टेयर है, आज वहां पर चार लाख हैक्टेयर में इर्रिगेशन हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, ये केवल मात्र राजनीति कर रहे हैं। 29 तारीख को सितम्बर में जिस योजना की स्वीकृति मिली है उसके बाद हम साधनों का प्रबन्ध करने का पूरा प्रयास कर रहे है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : डाक्टर करण सिंह यादव।

## पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

### व्यावसायिक शिक्षण पाठ्यक्रमों में किये गये आरक्षण का कार्यान्वयन

**डा. करण सिंह यादव (बहरोड)** : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में सन् 1994 में जब राष्ट्रपति शासन था तब राज्यपाल महोदय,

(डा. करण सिंह यादव)

ने अन्य पिछड़े वर्ग के लिए नौकरियों में आरक्षण की घोषण की, एक आर्डिनेंस जारी किया गया। जिसके माध्यम से सरकारी नौकरियों में 21 परसेंट आरक्षण का प्रावधान किया गया। उस आर्डिनेंस में इस बात की व्यवस्था की कि वे सब अभ्यर्थी जो अपनी खुद की योग्यता के आधार पर चयनित होते हैं, उनको आरक्षित कोटे में नहीं माना जाएगा। वर्तमान सरकार के अन्य पिछड़े वर्ग के प्रति किये गये कार्यो में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो इस सरकार ने किया वह यह किया कि राजस्थान के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में वह चाहे मेडिकल कालेज हो, इंजीनियरिंग कालेज हो, पोलीटैक्निक कालेज हो, आई.टी.आई. हो, इन सबमें इन वर्गो के छात्रों को 21 परसेंट रिजर्वेशन का कोटा स्वीकृत किया गया। जो दूसरा बहुत अच्छा काम इस सरकार ने किया वह यह किया कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण पिछले समय तक आधा चल रहा था उसको पूरा किया। जैसे कि अनुसूचित जाति का मेडिकल कालेज में पहले आरक्षण आठ परसेंट था, इस सरकार ने उसको 16 परसेंट किया। अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 6 परसेंट था, इस सरकार ने उसको 12 परसेंट किया। इस बात से निश्चित रूप से सारे पिछडे वर्ग के अंदर एक प्रसन्नता की लहर दौड़ी कि हमको अब पढ़ने के बहुत मौके मिलेंगे। यह सरकार इसके लिए धन्यवाद के पात्र है मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी और ब्यूरोक्रेसी ने मिलकर ऐसे नियम बनाए कि इस आरक्षण का कतई लाभ या यूं कहो कि बहुत न्यूनतम लाभ आज आरक्षित वर्गो को मिल रहा है। मैं राजस्थान के पी.एम.टी. का सर्कुलर है उसके अंदर जो दिया हुआ नियम है, वह सदन के सम्माननीय सदस्यों को पढ़कर सुनाना चाहूंगा, जिसमें यह एक्सप्लेनेशन दिया है :

**(14:29 बजे)**

**(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)**

All candidates of Reserved Categories like SC/ST/OBC/ Physically Handicapped/Defence/Para-Military Forces who get admission to the M.B.B.S/ B.D.S. Course shall be counted against their respective reservation quota, even if their merit is such that they are eligible to get admission against the General Category quota. जरनल कैटेगरी में एस.टी.,एस.टी. या ओ.बी.सी. का लड़का अगर पहले नम्बर पर भी आए तो वह रिजर्वेशन के कोटा को पूरा करेगा न कि जनरल कैटेगरी का कोटा पूरा करेगा। इसको फिर उन्होंने उदाहरण देकर समझाया। माननीय सभापति महोदय, आपका ध्यान चाहूंगा मैं, एक उदाहरण दिया है उन्होंने :

If there are 8 seats reserved

(डा. करण सिंह यादव)

for the candidates of SC and the merit of the first two candidates in this category is such that it is higher than the merit of the last candidate getting admission against the General Category i.e. they are eligible to get admission against the General Categroy, still they will be get admission against the SC Category only and thus a total of 8 and not 10 SC candidate will get admission.:

मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा, इसमें यह कहा गया है कि अगर एस.टी. के लिए या ओ.बी.सी. के लिए कोई सीटें रिजर्व की गयी हैं, उसके अंदर दो कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं जिनके मार्क्स न्यूनतम जनरल कैंडिडेट से ज्यादा हों तो उन कैंडिडेट्स को जनरल कैटेगरी में काउंट नहीं करेंगे और अगर चाहे दस कैंडिडेट्स हों तो आठ ही को एडमिशन मिलेगा। मैं इसके अंदर इलेस्ट्रेशन–दो हैं, उसको और समझाना चाहूंगा।

If, however, against a quota of 8 seats reserved for SC candidates, the merit of the first 10 candidates in this category is such that it is higher than the last candidate getting admission gainst General Category, get admission against General Category seats. मैं समझाना चाहूंगा, ये यह कह रहे है कि अगर एस.सी.के या ओ.बी.सी. के दस लड़के हैं और उनके मार्क्स जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट जिनके न्यूनतम मार्क्स से ज्यादा होंगे, यानि की जनरल होकर भी वे क्वालिफाई कर सकते हैं तो उनको एडमिशन दे दिया जाएगा।

मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आपने फिर क्या 21 प्रतिशत आरक्षण दिया ? मेरे पास इस साल मेडिकल कालेज में जो भर्तियां हुई है उनके चार्ट्स है, जिनका अध्ययन करने के बाद मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस बार ओ.बी.सी. के जिन 106 कैंडिडेट्स का एडमिशन हुआ है–77 लड़कों और 29 लड़कियों का, उनमें से 93 आप ध्यान दें, नाइंटी थ्री आउट आफ हण्डरेड सिक्स वे लोग है जिनको अगर ओ.बी.सी. नहीं लिखा हुआ होता तो भी वे अपनी योग्यता के आधार पर एडमिशन ले पाते मेडिकल में। इस बार मेडिकल कालेज के एडमिशन के अंदर जिसको भर्ती किया गया है उसके न्यूनतम मार्क्स 830 हैं, यह जनरल केटेगरी का कैंडिडेट है। ओ.बी.सी. के 93 लड़के ऐसे है जिनके न्यूनतम मार्क्स 830 से ज्यादा हैं। मुझे बताइये, आपने 21 प्रतिशत का आरक्षण कहां दिया ? वह लड़का जो मैरिट में पहले नम्बर पर आए, दूसरे नम्बर पर आए, दसवें पर नम्बर आए, बीसवें नम्बर पर आए उस लड़के को आप अगर आरक्षण के कोटे में दे रहे हैं तो मैं इस सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आपने 21 प्रतिशत का आरक्षण कहां दिया ? आरक्षण की भावना

(डा. करण सिंह यादव)

तो यह थी कि जो लोग अपनी योग्यता के आधार पर क्वालिफाई कर सकते हैं उनको जनरल कैटेगरी के साथ काउंट किया जाए। ओ.बी.सी. के लिए कोई अलग एग्जाम नहीं होता, कोई अलग शर्तें नहीं हैं कि पी.एम.टी. व पी.ई.टी. के टैस्टों में कहीं अलग से परीक्षा ली जा रही हो। उनके मार्क्स में कोई रियायत नहीं दी जा रही है। वही पर्चा देकर वे आते हैं और वही पर्चा ओ.बी.सी. का या एस.सी. का या एस.टी. का कैंडिडेट देकर आता है। मैं यह ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ये जो गलत नियम बनाये गये हैं उन नियमों को ठीक किया जाए, अन्यथा यह ओ.बी.सी. का और एस.सी. या एस.टी. का जो आरक्षण है यह आरक्षण नहीं है। सरकार ने नीति के आधार पर दिया लेकिन सरकार के कारिन्दों ने शिक्षा क्षेत्र में जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने पिछले रास्ते से इस सारे आरक्षण को ले लिया। इस आरक्षण से कोई बेनिफिट नहीं हैं। मैं सदन के सामने, सभापति महोदय, यही चर्चा आपके सामने लाना चाहता हूं। धन्यवाद।

**श्री सभापति** : माननीय घासीलालजी।

**श्री सांवर लाल** (भिनाय) : पर्ची वाले में, सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि सामाजिक न्याय का सिद्धान्त लोक कल्याणकारी सरकार ने लागू किया है। रिजर्वेशन का मतलब न्यूनतम रिजर्वेशन इतना होगा...(व्यवधान) सभापति महोदय, ओ.बी.सी. के साथ अन्याय हो रहा है। जो जनरल में आते हैं वे लोग...(व्यवधान) मेरा निवेदन है कि सामाजिक न्याय का सिद्धान्त है उसे...(व्यवधान) मंत्रीजी यहां पर विराजमान है, हम चाहते हैं...(व्यवधान) सभापति महोदय, 53 नम्बर और 54 नम्बर पर ये जातियां जोड़ी गयी है, इन जातियों की फीस माफ नहीं हो रही है। (व्यवधान)

**श्री हीरासिंह चौहान** : राजस्थान में भी आरक्षण में ले लेते हैं। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : क्या चाहते हो आप, माननीय सदस्य ? (व्यवधान)

**श्री हीरासिंह चौहान** : ...यह मिसयूज कर रहे है। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, विराजिए। कुछ भी नहीं लिखा जा रहा है, कुछ भी नहीं सुना जा रहा है। बैठिये। (व्यवधान)

**श्री हीरासिंह चौहान** : इसमें व्यवस्था दी जानी चाहिए। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, बिराजें। (व्यवधान)

**श्री हीरासिंह चौहान** : यह गलत कानून बना रखा है। किस प्रकार की आरक्षण व्यवस्था कर रखी है ? (व्यवधान)

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, आप विराजिये। आर्डर प्लीज। (व्यवधान) आप बिराजें, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

**श्री सांवर लाल** : इन जातियों के साथ अन्याय हो रहा है। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : कृपा करके विराजिये। माननीय श्री मेघवालजी। (व्यवधान)

**श्री सांवर लाल** : सभापति महोदय, 53 और 54 नम्बर पर जो जातियां जोड़ी... (व्यवधान)

**श्री सभापति** : विराजिये। विराजिये। (व्यवधान)

**श्री घासीलाल मेघवाल** (पाटन) : सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन, बूंदी में अंतिम छोर पर पानी नहीं पहुंच पाने से बहुत गंभीर समस्या उत्पन्न हो गयी है। (व्यवधान)

**श्री हीरासिंह चौहान** : गलत तरीके से भर्ती कर रहे हैं। आपका कोई आरक्षण है ...(व्यवधान)

**श्री सभापति** : आर्डर प्लीज, आप बिराजें। कृपया करके बिराजें। (व्यवधान) नहीं, आप क्या चाहते हो ? आप क्या चाहते हो सबके सब ? एक-एक करके बोलें कि आप क्या चाहते हैं और विराजिये।

**श्री सांवर लाल** : सभापति महोदय, हमारा निवेदन है कि 53 और 54 नम्बर पर जो जातियां जुड़ी हैं उन जातियों के बच्चों की फीस माफ नहीं हो रही है। (व्यवधान) दूसरा, माननीय सभापति महोदय, आर.पी.एस.सी. में जो आर.ए.एस. के साक्षात्कार हैं, उनमें पहली बार यह व्यवस्था कर दी कि एस.सी. एस.टी. के इंटरव्यू इस तारीख को होंगे, ओ.बी.सी. के इस तारीख से होंगे और जनरल के इस तारीख से होंगे। सभापति महोदय, इंटरव्यू लेने वालों को यह मालूम है कि यह एस.सी. का बच्चा आ रहा है, उनको मालूम है कि वह ओ.बी.सी. का आ रहा है, उनको मालूम है कि यह जनरल का आ रहा है तो उसके साथ तो अन्याय वहीं से शुरू हो जाएगा। माननीय सभापति महोदय, आप कहीं जाते हैं, आपको मालूम पड़ जाए कि फलाने गांव में फलांनी आबादी रहती है तो उसके पक्ष में आप गीत गाएंगे। हालत यह है कि इंटरव्यू लेने वालों को भी मालूम है कि शिड्यूल कास्ट का बच्चा है। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : अब आप बिराजें। आपकी बात कही गयी और यहां लिखी गयी।

**श्री सांवर लाल** : (व्यवधान) और जो मैरिट में आते हैं, सामाजिक न्याय का सिद्धान्त यह है कि इतना प्रतिशत रिजर्वेशन उनको मिलेगा। अगर कोई जनरल में स्टैण्ड करता है, उस बच्चे का नाम जनरल की लिस्ट में होना चाहिये। आज अन्याय हो रहा है। सामान्य मैरिट में स्टैण्ड करते हैं उस बच्चे को ओ.बी.सी. में एस.टी. में एस. सी. में मानते हैं...(व्यवधान)

**श्री सभापति** : आपके सिद्धान्त का ज्ञान तो करवा दिया...(व्यवधान)

**श्री दिग्विजय सिंह** : सभापति महोदय, एक मिनट। (व्यवधान) मैं आपसे एक व्यवस्था चाहूंगा। (व्यवधान)

**श्री सांवर लाल** : प्रिलिमिनरी के अंदर जो मैरिट मार्क्स गये हैं...(व्यवधान)

**श्री हीरासिंह चौहान** : सरकार ने जो व्यवस्था दी है आरक्षण के संबंध में, उसकी पालना की जानी चाहिए। जो अन्य संस्थाएं है, यूनिवर्सिटीज है, उनमें गलत तरीके से आरक्षण...(व्यवधान) वह नहीं दिया जा रहा है। यह हमारी मांग है, इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये।

**श्री सभापति** : माननीय चौहान साहब, उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य का व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

**श्री हीरासिंह चौहान** : वे अलग प्रश्न उठा रहे हैं। उनियारा वाले माननीय विधायक अलग बात कर रहे हैं। हमारी बात को फाइनल कीजिए। सारी संस्थाए चाहे बैंकिंग प्रणाली हैं चाहे यूनिवर्सिटी है या जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं सरकार उनमें ठीक प्रकार का आरक्षण तय करे।

**श्री सभापति** : (व्यवधान) माननीय श्री चौहान साहब, आप बहुत अनुभवी है, इस सदन के माननीय उपाध्यक्ष रहे हुए हैं, उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य एक पाइंट आफ आर्डर उठा रहे हैं, उनको आप कहने दीजिए।

**श्री दिग्विजय सिंह** (उनियारा) : मैं निवेदन कर रहा था कि जिस प्रकार ओ.बी.सी. के आरक्षण की बात है, आप इसमें भी यह व्यवस्था कर दें, बोलने के लिए भी कोई कोटा फिक्स कर दें। बोलने का भी कोटा हो जाएगा कि यह तो उनका है, यह इतना है। तो आपको भी सुविधा हो जाएगी, सदस्यों के लिए भी सुविधा हो जाएगी।

**श्री हीरासिंह चौहान** : इस प्रकार की कोई बात नहीं है। (व्यवधान) यह कोई बात नहीं है। नार्म्स में रख रहे है हम, वाजिब मांग है।

**श्री कृष्ण मुरारी गंगावत** : बहुत महत्वपूर्ण बात है, टाइम खराब करते हैं और जो महत्वपूर्ण निर्णय होने थे वह नहीं होने पाते हैं।

**श्री हीरासिंह चौहान** : यह प्लेटफार्म है, हम और कहां ले जाएं इस बात को ? (व्यवधान) इस पवित्र सदन में इस बात को उठाना चाहते हैं, इस बात को कहां ले जाएं ? (व्यवधान) जो सामान्य श्रेणी में निकल सकते हैं उनको ओ.बी.सी. में रख रहे है। (व्यवधान) सभापति महोदय, ओ.बी.सी. की समिति बनानी थी, उसका गठन किया कि नहीं किया ?

**श्री सभापति** : बिराजें।

**श्री दिग्विजय सिंह** : सभापति महोदय, यह व्यवस्था हो। एक प्रश्न एक का आ गया, सब खड़े हो गये। ओ.बी.सी. का आ गया, सब खड़े हो गये। आरक्षण का आ जाए, सब खड़े हो जाए। कोई तो आप व्यवस्था दीजिये। बाकी तो बोलेंगे ही नहीं ? मैं समझता हूं, माननीय सदस्यों को इस बात को गम्भीरता से सोचना चाहिए।

**श्री सभापति** : आप बिराजें।

**श्री सांवर लाल** : सभापति महोदय, मंत्री महोदय विराजमान हैं, कोई तो व्यवस्था दिलाएं। केवल नाम मात्र का आरक्षण ही रहेगा, सभापति महोदय, या इनके साथ इन्साफ भी होगा ? (व्यवधान)

**श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : वह अभी पेश नहीं हुआ है, उसको पेश कराया जाए।

**श्री सभापति** : श्री घासीलाल मेघवाल।

**श्री घासीलाल मेघवाल** : सभापति महोदय, बायीं मुख्य नहर कोटा की...

**श्री सांवर लाल** : सभापति महोदय, यह अन्याय मत करो, दूसरा टापिक चालू हो गया। (व्यवधान)

**श्री रामलाल जाट** : इसमें दूसरे मैटर से क्या लेना-देना, पहले इस बात का तो थोड़ा क्लैरिफिकेशन हो।

**श्री घासीलाल मेघवाल** : पिछले 5-10 साल से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी...(व्यवधान)

**श्री रामलाल जाट** : ओ.बी.सी. के साथ ज्यादती हो रही है और बीच में यह मामला छेड़ दिया।

**श्री घासीलाल मेघवाल** : इसकी हालत बहुत ही जीर्ण-शीर्ण हो चुकी है। (व्यवधान)

**श्री हीरासिंह चौहान** : हाउस में ओ.बी.सी. की कमेटी बने। (व्यवधान)

**श्री घासीलाल मेघवाल** : विगत 8-10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इन नहरों की मरम्मत एवं रखा-रखाव के मार्फत एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी गयी थी। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : आर्डर प्लीज। (व्यवधान) सरकार ने आपकी बात सुनली है। विराजिये।

**श्री हीरासिंह चौहान** : लगातार पक्षपात किया जा रहा है। (व्यवधान) केन्द्र सरकार ने 1960 में अध्यादेश किया था, हिन्दुस्तान की सरकारें ओ.बी.सी. को रिजर्वेशन दे चुकी थीं। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : सुनिये, उनको बोलने दीजिये। (व्यवधान)

**श्री घासीलाल मेघवाल** : जब से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है, सम्माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत और सिंचाई मंत्री कमलाजी ने इन नहरों के रख-रखाव और मरम्मत के लिए कुछ पैसे दिये है, जिसकी वजह से आज नहरों में... (व्यवधान)

**श्री हीरासिंह चौहान** : कोष बनाएंगे, कौनसा कोष बना ? (व्यवधान) अभी बजट भाषण में कहा कि कोष बना रहे हैं, एक कोष नहीं बनाया, कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गयी।

**श्री सभापति** : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

**श्री रमजान खान** : विधान सभा के अंदर अभी तक ओ.बी.सी. की कमेटी गठित नहीं की हुई कमेटी गठित करने की भी व्यवस्था कीजिये। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : विराजिये आप।

**श्री सांवर लाल** : हमारे साथ जो व्यवस्था हो रही है व, मालूम है कि नहीं ? मंत्रीजी की जानकारी में है कि नहीं ? (व्यवधान)

**श्री सभापति** : विराजिये आप।

**श्री हीरासिंह चौहान** : हम आप से प्रोटेक्शन चाहते है, सभापति महोदय।

**श्री सभापति** : बिराजें। प्रोटेक्शन में कहां से दूंगा ? (व्यवधान)

**श्री सांवर लाल** : सरकार को यह मालूम है क्या कि हमारे साथ यह अन्याय हो रहा है ?

**श्री सभापति** : मैं नियमों के अलावा प्रोटेक्शन नहीं दे सकता, बिराजें।

**श्री सांवर लाल** : मैरिट में स्टैंड करने के बावजूद भी ओ.बी.सी. के...(व्यवधान)

**श्री सभापति** : विराजिये आप।

**श्री सांवर लाल** : 53 और 54 की जो जातियां जोड़ी गयी हैं, इनके बच्चों की फीस माफ नहीं हो रही है।

**श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : सभापति महोदय, एस.सी., एस.टी. की कमेटी है, बहुत अच्छा है लेकिन मेरा निवेदन है कि ओ.बी.सी. की कमेटी गठित हो जाए। प्रतिवेदन इसी सदन में पेश कराया जाए।

**श्री सभापति** : अमरारामजी,. आप समझदार हैं, अनुभवी हैं, आप यहां के वरिष्ठ सदस्य हैं।

**श्री सांवर लाल** : हम हमारे हितों के लिए बोल रहे हैं, सभापति महोदय।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर) : सदन में अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों की समिति बनाने का प्रस्ताव अध्यक्षजी को दिया था, वह समिति बन जाए तो इन समस्याओं पर वही विचार कर ले। सभापति महोदय, मैं आपको सही निवेदन कर रहा हूं, राजस्थान यूनिवर्सिटी में ओ.बी.सी. के स्टूडेंट्स को एडमिशन के मामले में अन्याय हो रहा है। इसमें अल्पसंख्यक समुदाय की कई जातियां शामिल है, उनको प्रवेश नहीं दिया गया।

**श्री सभापति** : माननीय माहिर आजादजी, सुनिये आप।

**मोहम्मंद माहिर आजाद** : फिर यह आरक्षण देने का मतलब क्या है ? क्या खाली वाहवाही लूटने के लिए किया गया था ? ओ.बी.सी. के छात्रों की न फीस माफ हो रही है न उनको प्रवेश दिया जा रहा है और न उनका कोटा पूरा किया जा रहा है। इस सदन में आप भी इसी वर्ग से आते हो, अगर आपके माध्यम से नहीं कहें तो हम कहें कहां ?

**श्री हीरासिंह चौहान** : अन्य पिछड़ी जातियों की एक कमेटी बनाने का प्रारूप तैयार कर दिया...(व्यवधान) अगर वह कमेटी बन जाए...(व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** : अन्य पिछड़ी जाति का अल्पसंख्यकों का कोई सुनने वाला ही नहीं है। इस सरकार को उनका हितैषी

(मोहम्मद माहिर आजाद)

माना जा रहा था लेकिन इस सरकार में भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

**श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : प्रतिवेदन पेश कराया जाए ताकि आने वाले बजट के दौरान कमेटी गठित हो सकें।

**मोहम्मद माहिर आजाद** : मैंने खुद वाइस चांसलर से बात की, प्रिंसिपिल साहब से बात की लेकिन कहीं इसका कोई लाभ किसी अल्पसंख्यक छात्र को प्रवेश के मामले में चाहे पाठ्यक्रमों के मामले में, नहीं मिला है। इसलिए आसन से मांग है कि जो प्रस्ताव हमने एक साल से दिया हुआ है, आप भी सभापति पैनल में है, अध्यक्षजी से मांग करें कि अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण से सम्बन्धित समितियों का गठन तुरन्त करें।

**श्री सांवर लाल** : सभापति महोदय, कोई जवाब दिलवाइये।

**श्री रमजान खान** : इसके लिए वायदा भी किया था कि प्रतिवेदन इसी सदन में, इस टाइम में पेश किया जाएगा ताकि बजट सैशन में वह कमेटी बन कर तैयार हो जाए।

**श्री सभापति** : बिराजें। आज इस समय जो शून्यकाल में चिट के आधार पर बोलने की व्यवस्था है पर बहरोड से आने वाले माननीय सदस्य ने ओ.बी.सी. के मामले में अपनी बात कही और उसे आप सबने सुना है। उसका उत्तर राज्य सरकार दे या नहीं दे, आसन के यह बस की बात नहीं है। आसन बाध्य नहीं कर सकता कि सरकार इस पर कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करे।

यह भी परम्परा है कि शून्यकाल में पर्ची पर जो कुछ माननीय सदस्य बोलते हैं वह सदन की प्रोपर्टी बनती है, रिकार्ड होती है। अब उसका जवाब सरकार दे या नही दे, उसकी मर्जी की बात है। (व्यवधान)

**श्री सांवर लाल** : सभापति महोदय, ऐसी कोई घटना नहीं जिसकी जानकारी करनी पड़े, यह सारा रिकार्ड है मंत्रीजी के पास। ये महकमा चला रहे हैं।

**श्री सभापति** : बिराजें।

**श्री सांवर लाल** : सभापति महोदय, आखिर अन्याय को कब तक बर्दाश्त करें ?

**श्री सभापति** : बिराजें आप, मेरी आपसे प्रार्थना है।

**मोहम्मद माहिर आजाद** : गंग कैनाल की पर्ची थी, जवाब कैसे दे दिया ? अन्य पिछड़ा वर्ग का मामला आता है तो आप कहते हैं सरकार के पास कोई...(व्यवधान) जवाब नहीं देंगे।

**श्री सांवर लाल** : पिछड़ी जातियों के साथ अन्याय कब तक होगा, सभापति महोदय ?

**मोहम्मद माहिर आजाद** : अन्याय कब तक बर्दाश्त करती रहेंगी ? (व्यवधान) सब में एक ही प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिए।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

एक मामले में सरकार जवाब दे देती है खड़ी होकर और इस मामले में सरकार बोलती नहीं है। आप कह रहे हो कि परम्परा नहीं है। वह भी मामला इसी तरह से उठाया गया था और चार–पांच माननीय सदस्य बोले, तुरन्त माननीय डी.ओ.पी. मंत्रीजी ने खड़े होकर जवाब दे दिया। अन्य पिछड़े वर्ग का सवाल आए तब अप कह दें कि जवाब देने की परम्परा नहीं है। सरकार को स्वयं आगे आकर इसका जवाब देना चाहिए।

**श्री सांवर लाल** : माननीय सदस्य मदन दिलावरजी के जवाब की कौनसी प्रक्रिया थी, सभापति महोदय ?

**मोहम्मद माहिर आजाद** : अन्य पिछड़े वर्ग के साथ जो अन्याय हो रहा है इसमें अल्पसंख्यक समुदाय भी है कायमखानी हैं, सिंधी मुसलमान हैं, मेव है। दूसरी अल्पसंख्यक समुदाय की भी बीसों बिरादरी हैं, आज उनके छात्र प्रवेश के लिए दरदर की ठोकरें खा रहे हैं। उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। एक तरफ सरकार अन्य पिछड़े वर्ग को और अल्पसंख्यकों को चाहती है... (व्यवधान) शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो, दूसरी तरफ उनको शिक्षा ग्रहण करने से महरूम रखा जा रहा है। (व्यवधान)

**श्री सांवर लाल** : कुछ भी नहीं है।

**श्री हीरासिंह चौहान** : हम तो आपसे यह चाहते हैं गवर्नमैंट को डाइरेक्शन दो आप।

**मोहम्मद माहिर आजाद** : सभापति महोदय, हम चुप नहीं रहेंगे, हम अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आसन से यह अपेक्षा करते हैं कि आसन हमारे हितों की रक्षा करे और सरकार को कहे कि सरकार इस पर जवाब दे कि अन्य पिछड़े वर्ग के साथ जो अन्याय हो रहा है यह नहीं होने दिया जाएगा।

**श्री सांवर लाल** : सभापति महोदय, हमने जो जानकारी चाही वह सरकार की जानकारी में है कि नहीं ? हमारे साथ अन्याय हो रहा है, इतना तो कहलवा दें।

**श्री सभापति** : आप इस तरीके से सरकार से कोई जानकारी नहीं चाह सकते।

**श्री सांवर लाल** : सभापित महोदय, और कौनसा तरीका है ? आप कहें तो यहां बैठ जाएं भूख हड़ताल पर।

**श्री सभापति** : प्लीज बिराजें।

**श्री हीरासिंह चौहान** : जहां–जहां रिजर्वेशन में घपलेबाजी की गयी है, इसकी जांच करवाए। यह तो देख ही सकते हो आप।

**श्री सभापति** : विराजिये।

**श्री सांवर लाल** : हम इतना चाह रहे है कि मंत्रीजी की जानकारी में है या नहीं है यह जो हमारे साथ हो रहा है ?

**श्रीमती ममता शर्मा** : सभापति महोदय, बहुत अहम मुद्दा है, किसान को पानी नहीं मिल रहा है, पहले उस मुद्दे को एक बार सदन में रखने दीजिये।

**श्री सभापति** : आपने जो कहा है वह मंत्रीजी की जानकारी में आ गया। मंत्रीजी ने नोट कर लिया इसको।

**श्री सांवर लाल** : मंत्रीजी को पता है या नहीं ?

**मोहम्मद माहिर आजाद** : नोट कर लिया तो, सभापति महोदय, जवाब देते। (व्यवधान)

**श्रीमती ममता शर्मा** : सभापति महोदय, किसानों के टेल पर पानी नहीं मिल रहा है, इस मुद्दे को पहले रखा जाए। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : सभापति महोदय, हां तो करवा दें कि जानकारी में है कि नहीं। (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** : मैं यह नहीं कहता कि हनुमानगढ़ और गंग कैनाल का मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं था, वह एक--दो जिले से सम्बन्धित है, यह उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सभापति महोदय। यह पूरे राजस्थान से सम्बन्धित है।

**श्री घासीलाल मेघवाल** : बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, किसानों को पानी नहीं मिल रहा है, बरबाद हो रहा है किसान।

**श्री हीरासिंह चौहान** : करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ मामला है यह।

**श्रीमती ममता शर्मा** : सभापति महोदय, इस पर गौर फरमाया जाए। टैल पर पानी नहीं मिल रहा है, पहले इस मुद्दे को लिया जाए। (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** : अन्य पिछड़ा वर्ग भी, माननीय सदस्या, किसान है, गरीब है।

**श्रीमती ममता शर्मा** : समय निकले बाद उस पानी का, नहरों का कोई महत्त्व नहीं रह जाएगा। कुछ रहेगा ही नहीं तो किसान कहां से रहेगा।

**मोहम्मद माहिर आजाद** : यदि किसान पढ़ेगा ही नहीं तो आगे कहां जाएगा ?

**श्रीमती ममता शर्मा** : जब खाने को अन्न नहीं रहेगा तो वह क्या करेगा ?

**मोहम्मद माहिर आजाद** : आप तो यह चाहती हो कि अन्य पिछड़ा वर्ग पढ़े ही नहीं, आप ही लोग शासन करते रहो सारी उम्र, आपकी मोनोपोली चलती रहे।

**श्रीमती ममता शर्मा** : आप पढ़ाई की बात बाद में करियेगा, पहले अन्न की बात करिये, खाने की बात करिये। किसान के पास पानी नहीं पहुंच रहा है।

**श्री सभापति** : विराजिये।

**मोहम्मद माहिर आजाद** : सभापति महोदय, पहले भी उपाध्यक्ष महोदय, आसन पर थे, उन्होंने मंत्रीजी से कैसा जवाब दिलाया था ? आप कह सकते हो, हमारे हितों की रक्षा आप कर सकते हो।

**श्रीमती ममता शर्मा** : पीने का पानी नहीं, आप पहले उस इश्यु को रखने दें सदन में। पहले पढ़ाई और ओ.बी.सी. रिजर्वेशन की बात कर रहे हो।

**श्री सभापति** : माहिर आजादजी, तो आप क्या चाहते हैं ? आप एक बार, दो बार, तीन बार खड़े होकर अपनी बात कह चुके। जितना सरकार के और सदन के ध्यान में लाया जाना चाहिए था, आपने ला दिया।

**श्री सांवर लाल** : तो फिर सरकार विरोधी है क्या ?

**मोहम्मद माहिर आजाद** : हम यह मान लें, सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग की विरोधी है ? (व्यवधान) सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में विरोधी है, कुछ नहीं करना चाहती तो फिर हम धरना देते हैं। (व्यवधान)

**(मोहम्मद माहिर आजाद एवं भारतीय जनता पार्टी के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में धरना एवं नारेबाजी)**

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, विरोध दर्ज हो गया। पधारो अब प्लीज। आप अपने सीटों पर पधारिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री घासीलाल मेघवाल** : छप जाएगा नाम अखबारों में। आ जाएगा नाम कल अखबारों में।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : सभापति महोदय, अभी बहरोड से आने वाले माननीय सदस्य ने स्वयं कहा कि राज्य सरकार ने वर्तमान में...

**श्री सभापति** : सरकार की तरफ से आप कुछ जानकारी देना चाहते हैं क्या इस मामले में ?

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : हां, कुछ आये हैं, उनका एक्सप्लेनेशन।

**श्री सभापति** : हां, दीजिए।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** (सामान्य प्रशासान मंत्री) : सभापति महोदय, बहरोड से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी जो मुद्दे उठाये हैं उसमें उन्होंने स्वयं ने यह स्वीकार किया है कि वर्तमान सरकार ने ओ.बी.सी. का मेडिकल कालेज में और इंजीनियरिंग कालेज में जहां पहले 8 प्रतिशत आरक्षण था उसकी जगह 16 प्रतिशत किया है और जहां 6 था वहां 12 प्रतिशत आरक्षण किया है। बी.एड. कालेज में बी.एस.टी.सी. में भी पहले आरक्षण नहीं हुआ करता था, वहां आरक्षण किया गया है अर्थात् सभी स्थानों पर ओ.बी.सी. के आरक्षण बढ़े है। अब केवल राजनीति के आधार पर आज यह कहना चाहे कि यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ, पर्ची के माध्यम से उठाने से पहले आप प्रोपर नोटिस देते, सारे तथ्य रखते तो हम पूरी की पूरी रिप्लाई हम देते। आप विधिवत प्रस्ताव लाइए, हम पूरा का पूरा जवाब आपको निश्चित रूप से देंगे।

**श्री सांवर लाल** : मंत्री महोदय, बिलकुल गुमराह कर रहे है सदन को। (व्यवधान)

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : केवल मात्र नारेबाजी करना है। आप जानते है कि वर्तमान सरकार ने ओ.बी.सी. के विद्यार्थियों के लिए प्रोविजंस किये हैं। जो आप नहीं कर पाये वे प्रोविजन हमने किए हैं। जो

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

प्रोविजन आपकी सरकार ने नहीं किये वे प्रोविजन हमारी सरकार ने किये।

**मोहम्मद माहिर आजाद** : लागू नहीं हुए।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : जहां लागू नहीं हुए है आप बताइये, हम उनको लागू कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन पर्ची के माध्यम से आप...(व्यवधान)

**श्री हीरासिंह चौहान** : तीस साल तक आपने ओ.बी.सी. को पीछे रखा। आपने सन् 1960 से नहीं किया, हमारे शासनकाल में हुआ। (व्यवधान)

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : हमको स्टेटमैंट के आधार पर रिप्लाई देनी पड़ती है। आप पर्ची दीजिए। जो बात आपने कही, जहां किसी व्यक्ति ने आरक्षण के बारे में अवहेलना की उसकी जांच हम करवा लेंगे। आप तथ्य दे दीजिए।

**डा. करण सिंह यादव** : माननीय मंत्री महोदय, यह बात तो स्वीकार है सरकार ने किया है लेकिन, इम्प्लीमेंटेशन गलत हो रहा है आपकी आंखों के नीचे योग्यतम आदमी है उसको भी रिजर्वेशन कोटे में... (व्यवधान)

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : इम्प्लीमेंटेशन में जहां आप शिकायत करेंगे उसकी जांच करवा लेंगे।

**श्री हीरासिंह चौहान** : जांच नहीं, आप खुद दिखवाओ न। शिकायत क्या करें, हम कर रहे हैं कि इम्प्लीमेंट गलत हो रहा है। (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** : कहीं भी लागू नहीं हुआ।

**डा. करण सिंह यादव** : हमारी मंशा इतनी–सी है कि सरकार के माननीय मंत्री महोदय कहे कि इस मुद्दे को उठाया है, इसमें कार्यवाही करेंगे और उसकी जांच करवाएंगे। (व्यवधान)

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : आप स्पेसिफिक कोई भी नाम देकर बता दें, मैं उसकी जांच करवा लूंगा।

**श्री जसवन्त सिंह गुर्जर** : किस तरह से शिकायत चाह रहे हैं आप ?

**मोहम्मद माहिर आजाद** : हां, मैं बता रहा हूं न। लां कालेज में एडमिशन के मामले में ओ.बी.सी. के कोटे को पूरा नहीं किया गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की बात बता रहा हूं।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : आप लिखित में दे दीजिए।

**मोहम्मद माहिर आजाद** : हां, हम दे देंगे लिखित में। ठीक है।

**श्री सभापति** : माननीय श्री घासीलाल मेघवाल।

## केशोरायपाटन के अंतिम छोर के गांवों तक नहरी जल प्रवाह

**श्री घासीलाल मेघवाल** (पाटन) : सम्मानीय सभापति महोदय, मामला किसानों के पेट से जुड़ा हुआ है। पानी के अभाव में किसानों की सोयाबीन की फसल मेरे विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के टेल क्षेत्र में चौपट हो चुकी थी। 1 अक्टूबर से नहरों में जल प्रवाह किया था, अभी तक भी नहरों का पानी अन्तिम छोर तक नहीं पहुंच पा रहा हैं जिसके कारण कापरेन ब्रांच के बड़ाखेड़ा पापड़ी बसवाड़ा, सखावदा आदि ऐसे गांव हैं जहां के किसान अभी तक अपना पलेवा तक नहीं कर पा रहे हैं। केशोरायपाटन ब्रांच के प्रतापगढ़, ढिंगारया, चौतरा का खेड़ा झालीजी का बराना आदि ऐसे टेल पोर्शन के दर्जनों गांव हैं जहां के किसान सोयाबीन की फसल बरबाद होने से पहले ही दुःखी हो रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि जब तक टेल पोर्शन तक पानी नहीं पहुंच जाए, नहरों का जल प्रवाह बन्द नहीं किया जाए।

सभापति महोदय, 8—9 फरवरी, 1999 को सी.ए.डी. सचिव और कमिश्नर सहित जिला कलेक्टर, बूंदी और क्षेत्रीय सांसद श्री रामनारायणजी मीणा, इन सभी लोगों ने नहर क्षेत्र का अवलोकन किया था तथा कोटा में बैठकर सी.ए.डी. सभागार में एक मीटिंग हुई थी जिसमें केन्द्रीय जल संसाधन आयोग के सचिव महोदय भी पधारे थे। उसमें कोटा क्षेत्र की नहरों के आधुनिकीकरण की जो योजना बनायी गयी थी वह पैसा अभी तक भारत सरकार द्वारा रिलीज नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि उस पैसे को मंगवाने के लिए भारत सरकार को लिखा जाए। साथ अनुरोध करूंगा कि मेरी कापरेन ब्रांच जिसकी क्षमता 550 सेंटीमीटर की है तथा केशोरायपाटन की 450 सी.एस.की है, इनमें पर्याप्त मात्रा में गेज को मेन्टेन किया जाए तथा केशोराय पाटन में 450 गेज और कापरेन ब्रांच में 550 गेंज पानी छोड़ा जाए। साथ ही माहिजा, रोटेदा, गोवर्‌या, हंडूयुका, जखाणा आदि टेल पोर्शन के गांव है इनमें भी अतिशीघ्र पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए बहुत—बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति** : माननीय श्री राजेन्द्र राठौड़।

## चूरू स्थित राजसिको की ऊन मिल का बेचान

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : सभापति महोदय, जब से यह सरकार आयी है, सरकारी भूमि को लोग लगातार बेचने का काम कर रहे हैं। एक—एक सरकारी भूमि पर गिद्द दृष्टि लगी हुई है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र चूरू में ऊन मिल के विक्रय की और आकर्षित करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, राजस्थान स्माल स्केल

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इण्डस्ट्रीज के तत्वावधान में सन् 1966 में चूरू के अंदर ऊन मिल खुली। उसके पीछे उद्देश्य यह था कि वहां के काश्तकारों को, भेड़ पालकों को ऊन विक्रय के लिए मण्डी मिल जाए। यह मिल 1984 तक लगातार मुनाफे में रही। लेकिन उसके बाद घाटे में आने के कारण दिसम्बर, 1994 में ऊन मिल बन्द हो गयी। उस मिल में काम करने वाले कामगारों को दूसरे विभागों में समायोजित करने के पश्चात् इसको निजी क्षेत्र में बेचने के कारण निविदाएं आमंत्रित की गयी। सभापति महोदय, पहली निविदा फरवरी, 1995 में आमंत्रित की गयी। 16 फरवरी को विज्ञापन जारी हुआ और 6 मार्च को निविदा खुली। उसमें 11 प्रस्ताव थे जिन्होंने भाग लिया। मिल के विक्रय के लिए जो आफर था वह नन्दलाल एण्ड पार्टी का एक करोड़ दस लाख का था। दूसरा आफर ग्लेक्सी हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी का नब्बे लाख का था और तीसरा आफर था नारायण प्रसाद का 61 लाख का। पहले दो आफर्स को तो इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया, कि उनके साथ पांच परसेंट आर्नेस्ट मनी नहीं थीं और तीसरा आफर इसलिए रिजेक्ट किया गया कि उस मिल के नीचे 8 बीघा 2 बिस्वा बेशकीमती जमीन थी और तत्कालीन राजसिको प्रबन्धक निदेशक ने कहा कि यह राशि कम है इसलिए दुबारा विज्ञापन जारी किया जाए। दुबारा विज्ञापन 12.10.1995 को निकाला, उसमें आरक्षित राशि 61 लाख की रखी गयी। इसी तरह, सभापति महोदय, तीसरा विज्ञापन 10.6.1996 को और चौथा विज्ञापन 20.11.1996 को निकाला और इन सबमें आरक्षित राशि 61 लाख की रखी गयी। 61 लाख से आगे का कोई व्यक्ति उसको खरीदे के लिए नहीं आया तो सितम्बर, 1998 में फिर निविदा आमंत्रित की गयी। उसके अंदर एक खरीददार आया, बिसाऊ के मोहम्मद इकबाल ने 41 लाख का आफर किया। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस जमीन की कीमत 8.4.1993 को उप पंजीयक, चूरू ने आंकी है जिला स्तरीय समिति के अनुसार, एक करोड़ बारह लाख तीन हजार दो सौ रुपये ज्यों ही सरकार बदली, नवम्बर, 1999 में

**(15:00 बजे)**

बिना निविदा आमंत्रित किये इस जमीन को 43 लाख रुपये मात्र में उसी बिसाऊ के मोहम्मद इकबाल को बेच दिया गया। जमीन 1995 के अंदर एक करोड़ दस लाख की बिक रही थी, नवम्बर, 1999 में उस को मात्र तियालीस लाख में बेच दिया गया। सभापति महोदय, इस जमीन की जो 1999 में आरक्षित दर है वह 575 रुपया वर्ग मीटर है और कुल जमीन है 4315 मीटर इसके अनुसार इस जमीन की कीमत है 247 लाख, 32 हजार। यही नहीं, सभापति महोदय, इस जमीन का जब विक्रय हुआ तो 5 जुलाई को ए.जी. ने पैरा बनाया मैं आपकी आज्ञा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

से अकाउन्टेंट जरनल ने जो आडिट आब्जेक्शन किया उसकी दो लाइन पढ़कर सुनाना चाहता हूं। For the disposal of the assests (land, buildings, plant and machinery) tenders were invited (March, 1995). The first two offers of Rs. 90.00 lakhs and Rs. 110.00 lakhs were not considered valid as the offers were not supported with requisite earnest monery. The third offfer of Rs. 61.00 lakhs quoted by Narain Prasad was suported with requisite earnest money which though considered a valid offer was not accepted without assigning any reasons. Tenders were again invited in September, 1998 and the highest bid of Rs. 41.00 lakhs was of Shri Iqbal Mohammed. Assests were sold in November, 1999 at Rs.43.00 lakhs in favour of Mohammed Iqbal. Sale deed has not yet been got executed. Audit noticed that as per the rates of land published by the District Level Committee for the area where the Mill was located, the value of land Rs. 575 per square metre x 43013 square metre alone was Rs. 247.32 lakhs. Without taking into consideration the value of building, plant and machinery as per latest valuation. R.S.I.C. suffered a loss of Rs.204.32 lakhs.

ये है, सभापति महोदय, इस सरकार के कारनामें आडिट रिपोर्ट यह कहती है कि 204 लाख रुपये का घाटा देकर इस ऊन मिल को बिना निविदाएं आमंत्रित किये एक व्यक्ति विशेष को बेचा गया। सभापति महोदय, यह सरकार की भूमि है, यह राजस्थान की जनता की भूमि है। जिस जमीन का 1995 में एक करोड़ दस लाख का आफर आया उस को मात्र तियालीस लाख रुपये में आज जो सत्ता में बैठे हैं उनके इशारे से राजसिको के प्रबन्ध निदेशक बेच दें, उसका आडिट आब्जेक्शन हो और उसके पश्चात् कोई कार्यवाही नहीं हो, मैं समझता हूं इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं होगा। बहुत बड़े वायदे किये थे पारदर्शी, जवाबदेही प्रशासन देने के। मैं निवेदन करना चाहता हूं, गृह मंत्रीजी यही पारदर्शिता है, यही जवाबदेही है ? आप यहां विराज रहे हैं मेरी मांग है इस पूरे प्रकरण की जांच करवाएं। इस पूरे प्रकरण के अंदर में नहीं कहता, आपके अकाउंटेंट जनरल कहते हैं कि 204 लाख रुपये का घोटाला हुआ है। बिना निविदाएं किये आपने आठ बीघा दो बिस्वा चूरू के वार्ड नम्बर 17 में स्थित चूरू की ऊन मिल का विक्रय किया। यह षड्यंत्र की सूई कहां से कहां

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

तक का इशारा करती है ?

सभापति महोदय, आज सत्र का आखिरी दिन है और मुख्य मंत्रीजी ने मौन धारण कर रखा है। इनको तो किसी ज्योतिषी ने बता दिया कि कितने भी आरोप लगे, कितने ही विपक्ष वाले इंस्टीगेट करें, बोल मत जाना वर्ना कुर्सी को खतरा है। ये तो ज्योतिषी की बात के अनुसार बोलेंगे नहीं, मोनी बाबा बने हुए हैं। इन आरोपों का उत्तर कौन देगा ? सभापति महोदय, इसलिए मुझे आपसे प्रोटेक्शन चाहिए। सरकार को आप कहें कि जो सवाल मैंने खड़ा किया है चूरू की ऊन मिल के बेचान के घोटाले का, उसका जवाब दे। अभी सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं हुई है, सभापति महोदय, उस सेल डीड को रोका जाए और इसकी जांच आप कराएं। यहां कल्ला साहब बिराज रहे हैं, कल्ला साहब, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा परन्तु मैंने जो तथ्य रखे हैं, वे गलत हो तो आप मुझे बताएं। कम से कम आपको खड़े होकर यह तो कहना चाहिए कि एक प्रकरण है। एक तरफ हम अकाल के प्रबन्ध के लिए केन्द्र सरकार को दोष देते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा-पैसा खाली खजाने की बात आपने एक बार नहीं सैकड़ों बार कही है। आप खड़े होकर यह क्यों नहीं कहते कि यह जो प्रकरण मैंने सदन के सम्मुख रखा है इस पूरे प्रकरण की आप जांच कराएंगे। सभापति महोदय, मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि इसकी जांच होनी चाहिए। यह घोटाला है, इस घोटाले के अंदर राजसिको का प्रबन्ध निदेशक सीधा इन्वाल्व्ड है, सभापति महोदय।

**श्री सभापति** : आप ही कह रहे हैं, विक्रय अभी तक हुआ ही नहीं है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : इसमें डीड साइन नहीं हुई बाकी सारा हो गया। कब्जा उसने ले लिया, सारा पैसा जमा करा दिया। सरकार की तरफ से सारी कार्यवाही जो होनी चाहिए हो गयी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समय रहते सरकार चेते। कल्ला साहब, ये कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके लिए आपको बड़ा मन रखकर कहना चाहिए कि इस मामले की हम जांच कराएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप कहेंगे। अगर मान लो कोई घोटाला हुआ है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जांच कराने में क्या दिक्कत है ? (व्यवधान) इसके अंदर जो आगे कार्यवाही है उसको रोके और इसकी जांच और करवा लें अगर सच्चाई नहीं है तो ठीक है। आपकी जिला स्तरीय कमेटी जो जमीन की न्यूनतम दर का निर्धारण करती हैं, वह यह कहती है कि 243 लाख की जमीन है।

**श्री सभापति** : यह इण्डस्ट्री का मामला है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : जमीन-जमीन जिसमें प्लांट और मशीनरी अलग है। तो यह कहें...

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : इण्डस्ट्रीज का मामला है।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : उद्योग विभाग का मामला है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : आप सामुदायिक दायित्व के रूप में विराज रहे हैं।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : वह सब तो ठीक है। जब उद्योग मंत्री थे तब तो बोला नहीं गया।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : चलो, अब दीजिए। गृह मंत्रीजी आप बिराज रहे हैं, मैं चाहूंगा कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। मेरा सीधा आरोप है। सत्ता में बैठे लोगों के पास इस 204 लाख रुपये में कितने लाख रुपये पहुंचे, यह मेरे को मालूम नहीं है लेकिन सीधा शक की सूई सत्ता में बैठे लोगों की तरफ घूम रही है। आपको आगे बढ़कर कहना चाहिए। आपने वायदा किया था न पारदर्शी शासन देने का जवाबदेही शासन देने का ?

**श्री सभापति** : मााननीय सदस्य, आज सदन के अंतिम दिन यह बात आपके कैसे ध्यान में आयी ? वह भी आपने कोई उचित तरीके से इसको नहीं उठाया है ताकि सरकार को जवाब देने के लिए आप बाध्य करके। पर्ची के माध्यम से आपने यह चर्चा की है। आपने जैसे तथ्य दिये हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि मामला गम्भीर प्रतीत होता है। सरकार सुन रही है, क्या प्रतिक्रिया करेगी, क्या इसमें करेगी यह तो उनके देखने की बात है लेकिन निश्चत ही आपने यह बात उठाइे है वह काफी गंभीर प्रकृति की है। अगर तथ्य ऐसे ही है तो...

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन मंत्री) : आप ये तथ्य स्पीड पोस्ट से भेज दो, देख लेंगे।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : आप खड़े होकर यही कह दें कि कागज में स्पीड पोस्ट से भेज दूं और आप देख लेंगे। इतने में ही मैं संतुष्ट हूं।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : जो बात बैठे हुए कही वही मैं कहना चाहता हूं।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : सभापति महोदय, सदन में जिस बात को माननीय सदस्य ने उठाया है उसका काग्नीजेंस भी माननीय मंत्रीजी नहीं लेना चाहते। कहते हैं स्पीड पोस्ट से भेज दो। अब तो सदन की प्रापर्टी हो गयी, सदन में रख दिया।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : वो पोस्ट बता दो जो स्पीड पोस्ट से फास्ट जाती है ?

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : यह पोस्ट है न सदन में आ गया कार्यवाही में।

**श्री सभापति** : इस पर कार्यवाही की जाएगी तो भेज देंगे। अगर लिखित में देंगे तो इस पर अच्छी कार्यवाही होगी।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : इसका मतलब यह है कि सदन में जो कुछ कहा जाता है उसको माननीय मंत्रीजी बहुत हल्के ढंग से

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

लेते हैं। यह आपत्तिजनक है, यह बहुत आपत्तिजनक है..

**श्री सभापति** : सदन में, माननीय सदस्य, आप तो मंत्री रहे हैं, अनुभवी है...

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : पर्चियों तक का जवाब दिया है। ये कभी देते थे क्या ? परम्परा ही नहीं है सदन में...(व्यवधान) इस सदन में पूरे फैक्ट्स देते। आप स्वयं अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आप प्रस्ताव विधिवत लाएं तो आप ही माननीय विपक्ष के सदस्यों को समझाएं कि विधिवत रूप से प्रस्ताव पेश करें। जवाब देंगे।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : मैं आपसे सहमत हूं। मैं उत्तर देने की बात नहीं करता।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, सदन के अंदर कहीं हुई हर बात की सरकार जांच कराने के लिए बाध्य नहीं है आपको जांच करानी है तो लिखित में दीजिये।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : सभापति महोदय, मेरा यह सुझाव नहीं है कि सरकार जवाब दे, लेकिन सरकार कह रही है कि हमको पता ही नहीं है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : सभापति महोदय, मुझे तो आपका प्रश्रय चाहिए। मैं निवेदन कर रहा था कि 1993 में जिस भूमि की कीमत जिला स्तरीय कमेटी के सम्पदा अधिकारी ने एक करोड़ तेरह लाख आंकी, और जिसकी कीमत आज की तारीख में 256 लाख के लगभग है सभापति महोदय, वह जमीन खुर्द बुर्द हो जाए। आप जैसा विद्वान व्यक्ति आसन पर विराजमान हो। सरकार की कार्यशैली से आप परिचित हैं, सभापति महोदय, मुझे मालूम है कि आपको खुद को कई बार यह गिल्टी महसूस होती है कि आप इस सत्तारूढ़ दल में हो। आप आज जिस आसन पर विराज रहे हो वह सर्वोच्च आसन है, सभापति महोदय, आपकी निष्पक्षता के लिए पूरी शेखावाटी में चर्चा चलती है कि आप जैसा निष्पक्ष व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। मुझ न्याय दिलाओ, सभापति महोदय, मैं न्याय की गुहार कर रहा हूं।

**डा. किरोड़ी लाल** : +++ कोई नहीं हो सकता।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : नहीं, आप +++ गलत कह रहे हैं।

**श्री सभापति** : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज। चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, आप ही के नजदीक मण्डावा विधान सभा का सदस्य है ....(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : सभापति महोदय, इसीलिए मैं आपसे प्रभावित हूं।

**श्री सभापति** : चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, आपके ही पड़ोस से आने वाला माननीय सदस्य, मण्डावावासी आपसे बातचीत

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री सभापति)

करके इस संबंध में क्या हो सकता है, अलग से करेगा आपसे।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : सभापति महोदय, यह रूलिंग जो आपने दी है, यह जो आपने कहा है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर न्याय होना चाहिए।

**श्री सभापति** : माननीय श्री आर.एस. गौड़।

## कोटपूतली स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र

**डा. रघुवीर सिंह** (कोटपूतली) : माननीय सभापति महोदय, सन् 1989 में कोटपूतली क्षेत्र में एक कृषि विज्ञान केन्द्र खोला गया। प्रारम्भ में केन्द्र कुछ किराये पर कोटपूतली शहर में चलाया गया और पांच-छह साल तक वहीं से वह अपनी गतिविधियां चालू रखता रहा, लेकिन पिछले 5-6 साल से वह गोरेड़ा नामक स्थान पर स्रोता नदी के बैड में प्रारम्भं कर दिया गया है। बिल्डिंग भी तैयार हो गई है और हर प्रकार से वह केन्द्र अच्छी तरह से चल रहा है। वहां पर विभिन्न प्रकार के बीज और ग्वार, जौ, गेहूं, चना सरसों आदि के पेड़ उठाये जा रहे हैं किसानों को बहुत लाभ हो रहा है, आसपास के किसान वहां पर प्रशिक्षण ले रहे हैं। पिछले वर्षो में कम से कम दो हजार किसानों ने प्रशिक्षण लिया है। वहां पर कई प्रदर्शनिय़ां भी हो चुकी हैं। मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि अब जबकि यह फार्म अच्छे रूप में विकसित हो रहा है, सभी को लाभ हो रहा है तो सरकार उसको वहां से कहीं दूसरी जगह भेजना चाहती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इससे पूरे कृषकों में और वहां की जनता में असंतोष है। जब आज यह विज्ञान केन्द्र. पूरी तरह विकसित होकर सबको लाभ पहुंचा रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उसको दूसरे स्थान पर भेजने की क्या आवश्यकता हो रही है। मुझे यह बताया गया है कि यहां से बंद करके किसी अन्य स्थान पर भेजने का है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार इस कदम को कतई न उठाए। अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र में आन्दोलन होगा और कृषक उसके विरोध में खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद।

**श्री तैय्यब हुसैन** (कृषि मंत्री) : मैं यह समझता हूं कि माननीय सदस्य ने चीप पापुलरिटी के लिए यह बात कही है। खैर, ...(व्यवधान) सुन तो लें मैं खुद कोटपूतली में डेढ़ महीने पहले यह बात कह कर आया हूं कि यहं निश्चित तौर पर यहीं काम करेगा, यहीं रहेगा। तो आज इसको उठाने की क्या जरूरत रह गई थी ? (व्यवधान) मैं खुद कोटपूतली में आज से डेढ़ महीने पहले. ..(व्यवधान)

**डा. रघुवीर सिंह गौड़** : आप दो महीने पहले तशरीफ लाये थे...(व्यवधान)

**श्री तैय्यब हुसैन** : बिलकुल पक्का हो. गया, बिलकुल एक इंच नहीं मिलेगा वह। (व्यवधान) कृषि विज्ञान...

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : सब कुछ हो गया, हमें अधिकार है बोलने का। अपनी बात नहीं रखें ? आपने चीज पापुलरिटी की बात कैसे कह दी ?

**श्री तैय्यब हुसैन** : इसलिए कि यह पहले से फैसला है और सारी पब्लिक को मालूम है कि यह फैसला हो चुका है।

**डा. रघुवीर सिंह गौड़** : अगर ऐसा है, मंत्री महोदय...(व्यवधान)

**श्री तैय्यब हुसैन** : मैं तो खुद ही कह रहा हूं। और कहीं नहीं, कोटपूतली में काफी लोगों की मोजूदगी में कह कर आया हूं।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : आप नाराज मत होओ, साहब। आपका कसूर नहीं है, कृषि मंत्रीजी। यह जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, यह भारी भरकम +++ यह छोटी–सी बात उठाई है, काहे को नाराज हो रहे है ?

**डा. रघुवीर सिंह गौड़** : मंत्री महोदय, अगर ऐसा है तो बहुत–बहुत धन्यवाद। लेकिन इस समय यह अफवाह वहां पर काफी जोरों से है कि दुबारा कहीं आप दूसरी जगह भेज रहे हैं।

**श्री तैय्यब हुसैन** : मांननीय सभापतिजी, कृषि विज्ञान केन्द्र वहीं रहेगा। और कुछ हमें करना होगा वह भी करेंगे और उसको अच्छे ढंग से चलाएगे।

**श्री सभापति** : धन्यवाद। इससे ज्यादा माननीय सदस्य और क्या चाहते थे आप ? अब तो धन्यवाद दीजिए आप सरकार को। श्री रतन लाल ताम्बी।

## व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

### श्री रतन लाल ताम्बी सदस्य का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

**श्री रतन लाल ताम्बी** (जहाजपुर) : माननीय सभापति महोदय, 2 नवम्बर को एक पर्ची के माध्यम से कुछ भूमि आबंटन को लेकर बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ आरोप लगाये। उसमें मुझे भी काफी घसीटा गया और आरोपित किया गया, जबकि नियम 273 के अंतर्गत यह प्रकरण आना चाहिए था। उसमें नोटिस देकर उसके सारे तथ्य आते तो मैं उस समय बहुत गम्भीरता से उसका प्रत्युत्तर दे पाता। किन्तु इस मामले को लेकर अखबारों में और इस सदन में चर्चा की गई तो मैंने यह उचित समझा कि मैं आज आपके माध्यम से सदन में पूरी जानकारी दे दूं।

माननीय सभापति महोदय, एक भूमि आंबटन की कमेटी होती है जिसमें वरिष्ठ अधिकारी कई अधिकारी और जन प्रतिनिधि होते है। उसी आधार पर जलसे–आम में भूमि आबंटन होता है। जिस आसोप ग्राम पंचायत क्षेत्र की चर्चा 2 नवम्बर को की गई, उस दिन वर्तमान ए.डी.एम. की अध्यक्षता में बाकायदा उद्घोषणा जारी करके पूरे

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रतन लाल ताम्बी)

जिले में एक विशेष अभियान के तहत पंचायतवाइज कार्यक्रम निर्धारित करके भूमि आबंटन की प्रक्रिया आरम्भ हुई। इस चर्चा में यह आरोप लगाया गया कि घर में बैठ कर 5–7 व्यक्तियों ने, अधिकारियों ने और रिश्तेदारों ने बंदरबांट कर दी। ऐसा आरोप इसमें आया था। मान्यवर, मैं चुनौतीपूर्वक सदन में कहना चाहता हूं कि विश्रान्तिगृह जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय के सामने स्थित है, वहां छह सौ–सात सौ व्यक्तियों की मौजूदगी में पांच से छह घंटे, लगातार एक–एक व्यक्ति के फार्म पर चर्चा करके लोगों को सुना–सुना कर आबंटन किया गया। यह सही है कि हम प्रत्येक व्यक्ति को नहीं जान सकते, प्रत्येक की स्थिति को नहीं जान सकते। उसके बाद पटवारी की रिपोर्ट और जलसे–आम में फार्म के बाद जनता कोई आपत्ति नहीं करे आम तौर से जन प्रतिनिधि और अधिकारी उसमें आबंटन कर सकते हैं। प्रक्रिया में कोई गलती भी रह सकती है। इसके लिए राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि वितरण के नियम 1970 के बने हुए हैं। सम्बन्धित व्यक्ति उसके संबंध में अपील कर सकता है। माननीय सभापति महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चार महीने के बाद भी उस गांव के एक व्यक्ति ने भी न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत आज तक किसी न्यायालय में अपील नहीं की। मैं चुनौतीपूर्वक यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी उस गांव में जलसे–आम में भूमि वितरण हुआ और गरीबों को वितरण हुआ। अधिकांश ऐसे लोग जो भूमिहीन थे, आम सहमति से उनको भूमि आबंटित हुई। इसके संबंध में यदि कोई आपत्ति हो, मुझे बड़ा अफसोस होता है। आंकड़ों के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। यह बताया गया कि कुछ जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने बंदरबांट कर ली 1500 बीघा जमीन जो तीन करोड़ की लागत की थी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आसोप पंचायत मुख्यालय पर उस दिन 90 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को 430 बीघा जमीन अलाट हुई एस.टी. के 24 व्यक्तियों को 128 बीघा, ओ.बी.सी. के 133 व्यक्तियों को 432 बीघा, जनरल के 74 व्यक्तियों को 302 बीघा। इस तरह 321 व्यक्तियों को पूरी पंचायत में तेरह सौ बीघा आसोप गांव में जिस भूमि की चर्चा करते हैं वहां पर मात्र 1141 बीघा 13 बिस्वा जमीन आबंटित हुई। मैं इस गांव के लिए निवेदन कर दूं, एस.सी. के 69 व्यक्तियों को 392 बीघा, एस.टी. के 18 व्यक्तियों को 106 बीघा और पिछड़े वर्ग के 100 व्यक्तियों को 367 बीघा और अन्य जातियों के 56 व्यक्तियों को 251 बीघा और ग्राम पंचायत आसोप को 25 बीघा जमीन जलसे–आम में आबंटित की गई। (व्यवधान) मैं सारा बता दूंगा। जब मैं बात कहना चाहता हूं...(व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** : आप मरे हुए लोगों के नाम भी बता दें। (व्यवधान)

**श्री रतन लाल ताम्बी** : मरे हुए आप साबित करेंगे तो मैं गलती स्वीकार करूंगा।

**श्री सभापति** : आर्डर, आर्डर। बोलने दीजिए। वे अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं।

**श्री रतन लाल ताम्बी** : मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक आबंटन समिति बनी उस आबंटन समिति ने खुद के नातेदारों बेटे, भाभी, बहन, जीजा, फूफा, कोई को नहीं छोड़ा। 15 सौ बीघा जमीन, करीब 3 करोड़ रुपये की जमीन का बराबर अलाटमैंट करते रहे।

मान्यवर, इसमें यह भी कहा गया है कि उन 16 बंधुआ मजदूरों को आसोप गांव बसा दिया गया 1984 में। उन व्यक्तियों को 28/6 को दुबारा भूमि अलाटमैंट हुआ। उनमें से चार व्यक्ति अल्लाह के प्यारे भी हो गये और बाकी हरियाणा चले गये। माननीय सभापति महोदय, उनमें से एक भी व्यक्ति को भूमि आबंटन नहीं किया गया। यह सही है कि सात व्यक्तियों को 1984 में भूमि आबंटित की गयी थी और आबंटन के कुछ समय बाद वे व्यक्ति यह सही है कि सात व्यक्तियों को 1984 में भूमि आबंटित की गयी थी और आबंटन के कुछ समय बाद वे व्यक्ति चले गये थे। वह जमीन आज भी सरकारी खातों में उनके नाम पर दर्ज है। (व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** : सत्य कहें।

**श्री रतन लाल ताम्बी** : आप एक मिनट सुन लें, मैं सब बता दूंगा। एक-एक को मैं चुनौतीपूर्वक कह रहा हूं।

**श्री मदन दिलावर** : भगवान देख रहा है, सुन रहा है।

**श्री रतन लाल ताम्बी** : आपको चुनौती दूंगा। गलती होगी तो मैं इस्तीफा दूंगा, नहीं तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा तय रखना। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि...

**डा. किरोड़ी लाल** : मुख्य सचेतकजी आपको मना कर रहे हैं।

**श्री हरिसिंह** (मुख्य सचेतक) : माननीय सदस्य, जब आरोप यहां लगाये गये थे, आप बोल रहे थे और माननीय सदस्य बिलकुल मौन होकर के सब बातें सुन रहे थे। अब उनको अधिकार है, उनको सफाई देने का अधिकार है।

**डा. किरोड़ी लाल** : इस्तीफा देने का भी उनको अधिकार है, आप उनको मना नहीं करोगे।

**श्री हरिसिंह** (मुख्य सचेतक) : वह तो आपको ओर इनको दोनों को ही अधिकार है, कौन रोकेगा देंगे तो ?

**श्री रतन लाल ताम्बी** : वह तो छोड़ें बात।

मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि 2042 में जब माननीय शिवचरणजी माथुर मुख्य मंत्री थे तब सागड़ी लोगों को जमीन देकर बसाने का एक कार्यक्रम चला था। इंदिरा गांधी के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के

(श्री रतन लाल ताम्बी)

अंतर्गत गरीबी हटाओ कार्यक्रम में इस गांव में सात व्यक्तियों को उस समय भूमि आबंटित की गयी थी और उनके इंदिरा आवास भी बनाये गये थे। मैं आज के दिन निवेदन करना चाहता हूं कि उन सातों व्यक्तियों के खाते में जमीन मौजूद है और इस जमीन पर किसी का कब्जा नहीं है। यह आरोप कि 16 सागड़ी व्यक्तियों को उस दिन और जमीन आबंटित की गयी थी। एक भी व्यक्ति की आबंटन नहीं किया गया। नामावली सर्टिफिकेट मेरे पास है।

सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने यह भी फर्माया कि वहां पर एक मकान में शाम के टाइम 1500 बीघा जमीन का अलाटमैंट करके चले गये, गांव वालों को तो कोई मालूम ही नहीं। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि सारे गांव के बीच में आबंटन हुआ, सूचियां उनको जारी हो गयीं। उसके बाद आज तक कब्जा न तो पटवारी ने दिया, न किसी का कब्जा है। कब्जा इसलिए नहीं है कि वहां पर बड़े-बड़े बिलायती बबूल खड़े हुए हैं। पटवारी अपनी डोरी लेकर जिसको जरीब कहते हैं, वहां जाने के बाद भी वहां जमीन नाप ने की स्थिति में नहीं है। सभापति महोदय, उस जमीन में जे.सी.बी. मशीन लगे, एक बीघा जमीन को तैयार करने में 10-12 हजार रुपये लगें, तब वह जमीन काश्त के लिये उपयोगी हो सकती है। आज भी वहां काश्त नहीं हो रही है और न होती है।

मान्यवर, सत्ता पक्ष के लोगों ने उस दिन बड़ा विरोध किया था कि धारा 273 के तहत नोटिस दिया जाए। उसके बावजूद भी माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सदाशयता, उदारतापूर्व बोलनें का आपको अवसर दिया। आपने इसमें एक बात यह कही है कि अलाटमैंट पूरी तरह से गलत हुआ है आबंटन कमेटी पूरी तरह से दोषी है। आबंटन कमेटी के सदस्य जहाजपुर के विधायक ने अपने बेटे को 10 बीघा जमीन अलाट करके 300 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया। मान्यवर, मैं न वहां का रहने वाला हूं, न मेरी वह तहसील है अन्य तहसील है। मेरे बेटे ने न तो वहां कोई आवेदन किया, न उसे कोई जमीन अलाटमैंट की गयी। भ्रम यह जरूर हुआ क्योंकि उसी नाम का एक लड़का वहां मौजूद था और उसके पिता का नाम रतनलाल महाजन था। तो कयास मात्र में मुझे मान लिया गया। मैं चुनौतीपूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि न तो मेरा बेटा फार्म भरने गया। उसके फार्म की जांच करवा लें, न उसको जमीन लेनी थी, न उसके दस्तखत हैं, न कुछ है। आपने कयास में ही कई जन प्रतिनिधियों पर उनके रिश्तेदारों पर आरोप लगा दिये। वे सारे के सारे व्यक्ति अलग हैं, अलग परिवार है। मतदाता सूची भी मेरे पास मौजूद है। विधान सभा की कमेटी गठित करके आप इसकी जांच करवा लें। 10 बीघा जमीन मेरे बेटे को आबंटित करके

(श्री रतन लाल ताम्बी)

300 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया यदि यह आप साबित कर दें तो विधान सभा जो चाहे सजा देगी मैं भुगतने को तैयार हूं। 300 बीघा छोड़कर 3 बिस्वा जमीन भी कहीं वहां कब्जा किया हो, कोई काश्त होती हो तो आप देख लें।

हम लोग राजनीति में काम करते हैं। लेकिन चरित्र हनन का यह कोई मंच नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि कोई बात हो तो मेरी नालेज में लाते मुझे नोटिस देते। मैं पूरी तैयारी के साथ आता। उसके बावजूद आपने जो विधान सभा में रखा, मैंने 2–3 दिनों में सबकी कापियां भी प्राप्त की हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे व मेरे परिजनों पर अलाटमैंट करके, जमीन पर कब्जे करने का आरोप मिथ्या, बेबुनियाद, राजनीति से प्रेरित है। उसके लिये मैं विपक्षी दल के नेता महोदय से भी कह सकता हूं कि आप स्वयं जाकर जांच कर लें। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कह सकता। मुझे आश्चर्य है कि इस तरह के आरोप लगे हैं। उस दिन मैं मौन इसलिए था कि मेरे पास न तथ्य थे, न पूरी जानकारी थी। आज मेरे पास सारे तथ्य मौजूद है इसलिए मैं इन सारे आरोपों का खंडन करता हूं। यह बात कहने के लिये आपने जो समय दिया उसके लिये मैं बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं।

**डा. किरोड़ी लाल** : सभापति महोदय, आज तीन दिन बाद...

**श्री सभापति** : आप अब क्या कहोगे, जब उन्होंने तो इंकार कर दिया है ? आपने ...(व्यवधान) प्रतिपक्ष के नेता महोदय... (व्यवधान)

**डा. किरोड़ी लाल** : आपको क्या दिक्कत है ? (व्यवधान) आपको क्या परेशानी हो रही है ?

**श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक)** : नहीं परेशानी तो है।

**डा. किरोड़ी लाल** : बता रहा हूं न, चार्ज लगा रहा हूं।

**श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक)** : यह सदन नियमों से चलेगा।

**श्री सभापति** : काहे का चार्ज लगा रहे हो ?

**डा. किरोड़ी लाल** : इन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया उस पर बोल रहा हूं।

**श्री सभापति** : आर्डर प्लीज।

**श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक)** : सदन नियम से चलेगा।

**डा. किरोड़ी लाल** : आपको परेशानी क्या है ? यह जो तीन दिनों में गड़बड़ करके आये हैं, तीन दिनों में ...

**श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक)** : नियमों में कहीं नहीं है कि सफाई वाद–विवाद का विषय होगी।

**डा. किरोड़ी लाल** : नियमों में यह भी नहीं कहा कि खड़े होकर बोले जाओ।

**श्री सभापति** : वह है।

**डा. किरोड़ी लाल** : क्या है ?

**श्री सभापति** : वह है, लेकिन एक माननीय सदस्य...

**श्री हरिसिंह** (मुख्य सचेतक) : अब तो दे दिया न। इनके ऊपर आरोप कौनसा लगाया है ? इन्होंने पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे दिया जिनको देना है, उनके ऊपर कोई आरोप तो लगया नही।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** (नेता, प्रतिपक्ष) : आप सुने तो सही। आरोप यह लगाया है कि इन्होंने गलत बात कही है।

**श्री हरिसिंह** (मुख्य सचेतक) : नहीं, यह कोई आरोप नहीं है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : आरोप कैसे नहीं है ?

**श्री हरिसिंह** (मुख्य सचेतक) : न इन्होंने अपनी सफाई दी है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : यह आपके लिये नहीं हो सकता, इनके लिये तो आरोप हो ही सकता है।

**श्री हरिसिंह** (मुख्य सचेतक) : इन्होंने अपनी सफाई दी हैं। There is no end of this process. ऐसा नहीं होगा।

**श्री सभापति** : आर्डर प्लीज। एक माननीय सदस्य दूसरे माननीय सदस्य के खिलाफ आम तौर पर बिना नियमों की परमिशन के आरोप नहीं लगाते हैं और लगाने भी नहीं चाहिये। माननीय सदस्य ने अपनी सफाई दी है और उसमें उन्होंने यहां तक कह दिया कि प्रतिपक्ष के नेता खुद आश्वस्त हो, वह मुझे जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। उन्होंने तो कहा है कि मेरे पास तीन बिस्वा भी जमीन नहीं है। उसके बाद बहस का स्कोप ही क्या रहता है ?

**डा. किरोड़ी लाल** : सदन के पटल पर मैंने सारे पत्र रख दिये, माननीय सदस्य भी कह रहे हैं कि आप जांच करवा दो समिति से।

**श्री सभापति** : समिति क्या करेगी ? प्रतिपक्ष के नेता ही कर लेंगे जांच।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : सभापति महोदय, जांच तो...(व्यवधान)

**डा. किरोड़ी लाल** : आप घोषणा करवा दो। आप समिति की घोषणा करवा दें, प्रतिपक्ष के नेता कर लेंगे। (व्यवधान) इसमें जांच के आदेश कर दें।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : सभापति महोदय, इस तरह के गंभीर आरोप लगे है, माननीय सदस्य ने उनका खंडन किया है। सदन भ्रमित हो रहा है कि कौनसे तथ्य सही हैं। सभापति महोदय, तथ्यों की जांच हो जाए आपके निर्देश हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

**श्री रतन लाल ताम्बी** : जो तथ्य हैं उसके अंतर्गत क्रमेटी, उसमें क्या दिक्कत है ? लैण्ड होल्डर तहसीलदार है और

(श्री रतन लाल ताम्बी)

तहसीलदार के पास यह आरोप प्रमाणित होगा तो वह विड्रा करेंगे, कार्यवाही करेंगे। तहसीलदार के पास पूरे अधिकार है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : सभापति महोदय, दोनों पक्ष जब चाह रहे हैं कि जांच हो जाए।

**श्री सभापति** : आपने ही उठाया है। जांच में दम नहीं है कोई।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : जांच हो जाए। (व्यवधान)

**श्री परसादी लाल** (राज्य मंत्री, संहकारिता) : क्या आपका विश्वास प्रतिपक्ष के नेता महोदय पर। (व्यवधान)

**श्री रतन लाल ताम्बी** : धारा 14(4) नियमों में है, लैण्ड होल्डर के शिकायत होने पर जांच की जा सकती है। वह करवा लेंगे।

**डा. किरोड़ी लाल** : सरकार कह रही है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : सरकार बोल रही है, जांच करवा लें।

**श्री परसादी लाल** : जिनके खिलाफ आरोप लगाये हैं उस सदस्य ने कह दिया कि प्रतिपक्ष के नेता महोदय जांच कर लें। अगर आपका प्रतिपक्ष के नेता महोदय पर भी विश्वास नहीं है तो फिर हमें कुछ कहना नहीं है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : सभापति महोदय, बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य ने तथ्यों के आधार पर कोई बात कही है।

**श्री सभापति** : बात में दम नहीं है, राठौड़ साहब।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : सभापति महोदय, तथ्यों के आधार पर बात कही है, आप जांच करवा लें। (व्यवधान)

**श्री सी.पी.जोशी** : इन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया, इसमें डिबेट क्या होगी ? as a member it is his privilege. इसमें डिबेट किस बात की होगी ?

**श्री सभापति** : There is no scope for debate.

**डा. किरोड़ी लाल** : सभापति महोदय, मैंने जो कुछ उस दिन कहा था वह सारा सत्य है और उसमें एक भी असत्य बात नहीं है। उसकी जांच कराने की मैं मांग करता हूं, सामने से सदस्य भी कह रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बंधुआ मजदूर थे उन मजदूरों के नाम से लैण्ड अलाटमैंट किया है। आसोप गांव के बाहर के लोगों को जमीन अलाट की है।

**श्री हेमन्त कुमार** (दीगोद) : जब नेताजी पर सारी बात छोड़ दी गयी फिर यह बात कहां तक उचित है ? इसका मतलब आपका अपने नेताजी पर विश्वास नहीं है ?

**डा. किरोड़ी लाल** : तहसील कोटड़ी के बाहर के लोगों को जमीन अलाटमैंट

(डा. किरोड़ी लाल)

किया है, आबंटन समिति के सदस्यों के रिश्तेदारों के नाम पर जमीन अलाटमैंट किया है। करीब 300 बीघा पर विधायक महोदय ने कब्जा कर रखा है। 1500 बीघा जमीन का नियम विरुद्ध आबंटन किया।

**श्री हेमन्त कुमार** : माननीय सदस्य ने सदन में प्रतिपक्ष के नेता से जांच का प्रस्ताव रखा है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : सभापति महोदय, जब तक जांच नहीं हो जाए तब तक सही तथ्य सदन के सामने नहीं आएंगे। कुछ तथ्य बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य ने सामने रखे हैं, कुछ जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखे हैं, आप जांच का आदेश फरमा दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दोनों मांग भी कर रहे है। जांच की।

**श्री खेतसिंह राठौड़** (विधि मंत्री) : सभापति महोदय, आज का सारा बिजनस पैंडिंग है।

## शासकीय वक्तव्य

### राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति

**श्री सभापति** : आर्डर प्लीज। मंत्री द्वारा वक्तव्य। श्री गुलाब सिंह शक्तावत, गृह मंत्री, राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के संबंध में वक्तव्य देंगे।

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** (गृह मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, राज्य में पुलिस प्रशासन के समक्ष उत्पन्न विभिन्न चुनौतियों के उपरान्त भी वर्ष 2000 में अब तक कानून एवं व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में रही है। अपराधियों, तस्करों, असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए इनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

पुलिस प्रशासन एवं जनता के बीच बेहतर सहयोग के कतिपय दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को छोड़कर राज्य में साम्प्रदायिक सौहार्द एवं सद्भाव का वातवरण बना रहा। जातीय तनाव से पूर्ण रूप से मुक्त रहा। समस्त त्यौहार एवं मेले भी शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाए गए। वर्ष 1998–99 और 2000 के माह सितम्बर तक भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत क्रमशः 1,29,737; 1,29,635 एवं 1,22,788 अभियोग पंजीबद्ध हुए। इस वर्ष 1998 एवं 1999 की तुलना में पंजीकरण में क्रमशः 5.35 एवं 5.28 प्रतिशत की कमी रही। यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 1993 के पश्चात् राजस्थान में इस वर्ष भारतीय दण्ड संहित के अंतर्गत दर्ज अपराधों के पंजीकरण में कमी आई है। इस वर्ष डकैती, हत्या, लूट एवं बलात्कार जैसे गम्भीर अपराधों के अलावा नकबजनी, चोरी एवं बलात्कार के अपराधों में भी पिछले वर्षों की तुलना में कमी आई है जो राज्य में सुदृढ़ अपराध नियंत्रण का परिचायक है।

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अपराधों का माह सितम्बर तक चालानी प्रतिशत 83.74 रहा है जो पिछले वर्षों से बेहतर है। हत्या एवं डकैती जैसे गम्भीर अपराधों का चालानी प्रतिशत क्रमशः 93.80 एवं 80 रहा जो सराहनीय है। महिला अत्याचार के दर्ज कुल अभियोगों में भी गत वर्षों की अपेक्षा कमी आई है। दहेज हत्या एवं बलात्कार जैसे गम्भीर प्रकृति के अपराधों के पंजीकरण में निरंतर गिरावट आ रही है। पुलिस ने प्राथमिकता के आधार पर अनुसंधान कर महिला अत्याचारों के अनेक संगीन अपराधियों को तत्परता से गिरफ्तार कर अपना परिचय दिया है। अनुसूचित जाति पर अत्याचारों के समग्र मामलों में गत दो वर्ष की तुलना में कमी आई है। विशेषकर बलात्कार, गम्भीर चोट एवं गम्भीर क्षति के अपराधों में पिछले आलोच्य वर्ष 1999 की तुलना में अनुसूचित जनजाति पर अत्याचारों के मामले में मामूली वृद्धि हुई है। परन्तु वर्ष 1998 की तुलना में कम है। वर्ष के दौरान इस प्रकार के व्यक्ति या समूह पर किसी जाति विशेष द्वारा संगठित रूप में अत्याचार की घटना घटित नहीं हुई है।

दस्यु उन्मूलन के क्षेत्र में कई वर्षों से फरार एवं वांछित इनामी डकैतों सहित कुल 94 डकैतों को गिरफ्तार किया गया। इस वर्ष अवैध हथियार, अवैध शराब एवं विस्फोटक पदार्थ की खरीद-फरोख्त से सम्बन्धित गम्भीर अपराधों में पुलिस को पिछले दो वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। 784 कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध गुण्डा एक्ट के तहत एवं 35 अपराधियों के विरुद्ध अभ्यस्त अपराधी अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गई जो वर्ष 1999 की तुलना में क्रमशः 134 प्रतिशत एवं 84.21 प्रतिशत अधिक रही है। लेकिन लम्बे समय से कानून की गिरफ्त से बचे रहे 288 घोषित अपराधियों, 474 भगोड़ों, 5637 स्थायी वारंटियों को पुलिस द्वारा इस वर्ष गिरफ्तार किया गया है। शराब, मादक पदार्थ, भू-माफिया एवं लपका गिरोहों के विरुद्ध आक्रामक कार्यवाही करते हुए 18 समाजकंटक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत निरुद्ध किए गये है।

वर्ष 2000 में हुडियाकलां अलवर में हुए एक ही परिवार के छह व्यक्तियों की जघन्य हत्या, किशनगढ़, अजमेर के आय कर अधिकारी श्री भवानी सिंह की सनसनीखेज हत्या, अजमेर में पांच वर्ष के बच्चे अंति की अपहरण के पश्चात् निर्मम हत्या, जिला सीकर में पैवा गांव में दलित परिवार के चार जनों की सामूहिक हत्या, मालवीय नगर निवासी संदीप जौहरी के आठ माह के बच्चे का अपहरण, हिन्दुस्तान लीवर गोदाम, जयपुर में 60 लाख की सशस्त्र डकेती तथा भर्तृहरि तीर्थस्थल में दलित महिला के साथ कथित सामूहिक बलात्कार की घटना सहित अन्य कई संगीन मामलों में पुलिस ने त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही कर अपराधियों को

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

गिरफ्तार किया है।

ऐसा नहीं कि राज्य पुलिस को सभी मामलों में सफलता ही मिली हो, अभी कुछ और मामले है जिनमें सफलता प्राप्त की जा रही है। इसके लिए पुलिस सतर्क और प्रयत्नशील है एवं इन सभी मामलों में सफलता प्राप्त करने के सभी सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं।

राज्य सरकार साम्प्रदायिक सौहार्द कायम रखने हेतु कटिबद्ध है। छोटी-छोटी बातों को लेकर साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम किया है तथा त्वरित कार्यवाही कर साम्प्रदायिक सौहार्द को बनाए रखा है। टौंक, मालपुरा, राजसमंद और झालरापाटन में हिंसक घटनाएं घटित हुई लेकिन पुलिस द्वारा तत्परता एवं सूझबूझ से कार्यवाही कर स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया। मालपुरा में इस संबंध में दर्ज सभी मामलों में असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही कर तत्परता से अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया एवं चालान न्यायालय में पेश किया गया।

डीज़ल, पैट्रोल, रसोई गैस, बिजली की दरों में वृद्धि को वापस लेने, बंद पड़े कारखानों को चालू कराने, विद्युत मण्डल के विभाजन एवं नियमित एवं पर्याप्त बिजली एवं पानी की सप्लाई करने, अकाल राहत कार्यो में चारा डिपो खोलने आदि मांगों को लेकर किसानों श्रमिकों एवं राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित विभिन्न आंदोलनात्मक कार्यक्रमों के दौरान भी पुलिस प्रशासन की सजगता एवं धैर्य के कारण कानून और व्यवस्था की स्थिति पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा।

राज्य में हुए नगरपालिका, नगरपरिषद् चुनाव, छात्रसंघ चुनाव, लोक सभा एवं विधान सभा के उप चुनाव छुट-पुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्वक सम्पन्न हो गए।

राज्य पुलिस की जागरूकता के फलस्वरूप पाक आई.एस.आई. एवं अन्य विघटनकारी तत्वों के मंसूबे पूरे नहीं हो सके तथा इस वर्ष राज्य में आतंकवाद की कोई प्रभावी घटना घटित नहीं हुई। राजस्थान प्रदेश की अन्तरराष्ट्रीय सीमाओं पर तारबंदी, प्रकाश की व्यवस्था होना तथा राज्य पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, इंटेलीजेंस एवं विभिन्न केन्द्रीय एजेंसियों के आपसी समन्वय एवं सीमावर्ती क्षेत्र में सतर्कता बनाए रखने के कारण मादक और विस्फोटक पदार्थो के तस्करों तथा बार्डर क्रासिंग के मामलों में भारी कमी आई है। सीमाओं पर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ की चार घटनाएं घटित हुई जिनमें तीन नागरिकों सहित कुल चार व्यक्ति मारे गये। इसके अतिरिक्त अब तक अवैध रूप से सीमा का उल्लंघन करने पर 16 पाक नागरिक, 80 बांगलादेश, 55 बर्मी और 36 भारतीय व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा तस्करी की 91.22 किलोग्राम हेरोइन भी जब्त की गई।

21वीं सदी की अपराध चुनौतियों

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

से निपटने हेतु राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु राज्य सरकार कृत संकल्प है। पुलिस आधुनिकीकरण के तहत इस वर्ष राजस्थान पुलिस को 61.10 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार से उपलब्ध कराये गये हैं। इस राशि का उपयोग नये हथियार खरीदने, पुलिस दूरसंचार का आधुनिकीकरण करने, प्रशिक्षण संस्थान के भवनों एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं को विकसित करने विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं, फिंगर प्रिंट ब्यूरो के विकास हेतु एवं बंध निस्तारण दस्तों के लिए उपकरण व यातायात सुधार के लिए उपकरण खरीदने हेतु किया जाएगा। इस प्रकार अगले पांच वर्षों में कुल 300.50 करोड़ रुपये प्राप्त होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 42 करोड़ रुपये अलग से स्वीकृत किये गये हैं। राजस्थान पुलिस अपनी कार्यशैली में सुधार ला रही है। अपराधों की रोकथाम एवं अभियोगों में सफलता हेतु जनसहयोग प्राप्त करना तथा जनता के साथ मधुर संबंध कायम करने के उद्देश्य से राजस्थान के दूरस्थ इलाकों में जन समस्या समाधान शिविर प्रारम्भ कराये गये हैं जिनके उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं।

राज्य के कई बड़े नगरों में शुरू की गयी काल फ्री टेलीफोन सेवा क्राइम पुलिस हैल्पलाइन के माध्यम से अपराधियों के बारे में प्राप्त गुप्त सूचनाओं में त्वरित पुलिस कार्यवाही की जा रही है। बढ़ती आपराधिक चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस बल को और सक्षम एवं कारगर बनाने के उद्देश्य से एक नया राजस्थान पुलिस एक्ट बनाने के लिए कमेटी गठित की गई है जिसकी रिपोर्ट प्राप्त होते ही राज्य सरकार समुचित कार्यवाही करेगी। प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरस्त बनाने के उद्देश्य से गठित राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट की भी प्रतीक्षा की जा रही है।

पुलिस प्रशासन को संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने के लिए राज्य सरकार निरन्तर प्रयासरत है। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए पुलिसकर्मियों को जागरूक बनाने के उद्देश्य से विभिन्न पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं। एवं मानवाधिकार हनन की घटनाओं में लिप्त पाये गये पुलिसकर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2000 में अब तक राज्य पुलिस द्वारा असामाजिक एवं आपराधिक व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही कर गंभीर श्रेणी के अपराधों पर पूर्णतः अंकुश कायम रखा गया है। पुलिस प्रशासन द्वारा की गई त्वरित कार्यवाही, आसूचना एकत्रित करने तथा जनता के साथ सौहार्द एवं समन्वय स्थापित कर वर्ष में राज्य में अपराध एवं कानून की स्थिति आम तौर पर नियंत्रण में रखी गयी। प्रदेश की पुलिस अपने कार्य में अग्रणी रहे इसके लिए राज्य सरकार भरपूर प्रयास कर रही है।

**श्री सभापति** : माननीय डा. किरोड़ी लाल।

**डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास) : माननीय सभापतिजी, गृह मंत्रीजी ने अपना वक्तव्य दिया उसको लेकर में पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सभापति महोदय, इस राज्य में जिस ढंग से अपराध बढ़ते जा रहे हैं और अपराधियों पर जिस ढंग से पुलिस का नियंत्रण खतम होता जा रहा है वह चिन्ता का विषय है।

**श्री नरेन्द्र सिंह भाटी** (ओसियां) : डा. साहब, डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता, लेकिन पांच साल में +++ हमें तंग किया उसका तो आप कंपेरिजन ही नहीं कर सकते।

**श्री कन्हैया लाल** (बस्सी) : तो क्या बदले की भावना से काम कर रहे हो ?

**श्री देवीलाल बैरवा** (शाहपुरा) : बदले की भावना से नहीं कर रहे हैं, जो पहले किया उसका कह रहे हैं हम।

**श्री सभापति** : आर्डर प्लीज।

**डा. किरोड़ी लाल** : सभापति महोदय, राज्य में जो विभिन्न अपराध दर्ज हुए हैं जनवरी, 2000 से जून, 2000 तक, उनमें डकैती के 61 मामले, लूट के 505 मामले, हत्या के 743, बलात्कार के 555 बलवा के 7031, नकबजनी के 4135, चोरी के 8555 और दूसरे मुकदमे जो दर्ज हुए वे 55 हजार से भी ज्यादा हैं। सभापति महोदय, इसी ढंग से महिला अत्याचार के मामले, दहेज हत्या के 218 मामले जनवरी से लेकर जून, 2000 तक दर्ज हुए। दहेज आत्महत्या के 7, दहेज उत्पीड़न के 2,595, बलात्कार के 555, छेड़खानी के 1400। इसी तरह से एस.सी., एस.टी. के अत्याचार के मुदकमे जनवरी, 2000 से जून, 2000 तक दर्ज हुए उसमें हत्या के 28 मामले गंभीर चोट के 66 बलात्कार के 79, गंभीर क्षति के 36 और अन्य भारतीय दण्ड संहिता में 2254 मुकदमे दर्ज़ हुए।

इस प्रकार के सभापति महोदय, जो आंकड़ें मैंने बताये उससे आप अंदाज लगा सकते है कि इस राज में दलितों के साथ अत्याचार हो रहे है, महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ गया, डकैतियां बढ़ गई, लूटपाट बढ़ गई। इसलिए, सभापति महोदय, यहां पर जंगल राज चल रहा है, कानून का राज नहीं चल रहा है। लोगबाग सही कहते है, यह राज नहीं है, यह तो +++ सभापति महोदय, आपने कुछ दिन पहले अभी देखा होगा, हमारे डाइरेक्टर जनरल अजमेर गये थे। उस दिन वहां पर कार्यक्रम था, माननीय मुख्य मंत्रीजी का भी था।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : सभापति महोदय, यह +++ क्या होता है, इसको स्पष्ट करें।

**डा. किरोड़ी लाल** : +++ भी मैं स्पष्ट कर दूं, संयमजी चुटकी लेकर पूछना चाहते हैं।

---

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

**श्री सभापति** : आर्डर प्लीज, आप अपनी बात कहें। आप अपनी बात कहिए।

**डा. करोड़ी लाल** : तो मैं +++ की व्याख्या कर दूं ?

**श्री सभापति** : आप अपनी बात कहिए। अपनी बात का उत्तर थोड़े ही दोगे ?

**डा. किरोड़ी लाल** : सभापति महोदय, पोपाबाई एक तराजू लेकर बैठी थी, जब मक्का का झंझट हुआ और फैसला कराने लगे कि तराजू में दाने सीधे में डालने है या उल्टे में डालने हैं तो दोनों में झगड़ा हो गया। तो वे पोपाबाई के पास झंझट को लेकर पहुंचे। पोपाबाई ने कहा तराजू को बिलकुल सीधा कर दो, न इधर करने की ज़रूरत है, न इधर करने की जरूरत है। संयमजी, ऐसा +++ चल रहा है उस +++ में हुआ क्या ? पुलिस के महानिदेशक अजमेर गए, उस दिन वहां पर गवर्नरजी का कार्यक्रम था और माननीय मुख्य मंत्रीजी का कार्यक्रम था। माननीय मुख्य मंत्रीजी के कार्यक्रम के दिन बड़े वी.आई.पीज जा रहे थे, पुलिस का वहां एक पप्पू खड़ा था ओर वह पुलिस का पप्पू उगाही कर रहा था। डी.जी. साहब को पता लगा और डी.जी साहब ने बुलाकर कहा कि आपको आज भी शर्म नहीं आती, सारे अधिकारी और बड़े नेता और मुख्य मंत्रीजी यहां पर आ रहे है और आज जंनता को लूट रहे है। उसको वहां मौके पर सस्पैंड किया। सभापति महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं कि चारों तरफ पुलिस सड़क पर खड़ी हुई है लेकिन कोई ऐसी सड़क नहीं मिलेगी जहां पर लूट-खसोट नहीं चल रही हो।

आपने सुरतगढ़ का किस्सा सुना होगा। सूरतगढ़ की रोड पर सभापति महोदय... (व्यवधान) भरतपुर वालों को दर्द हो रहा है, शर्माजी। सुरतगढ़ में, सभापति महोदय, एक सिपाही खड़ा होता है और सिपाही खड़ा होकर ट्रक वाले से 50 रुपये लेता है। 50 रुपये लेने के बाद उस पर्ची पर पप्पू लिख देता है। वह पप्पू नाम ऐसा आरपार जाता है कि अगर गृह मंत्री का भी आदेश हो तो गृह मंत्रीजी का आदेश कचरे की टोकरी में डाला जा सकता है, लेकिन पप्पू का आदेश नहीं रुक सकता। वह सपट पार जाएगा, चाहे कहीं चले जाओ। इस ढंग से लूट-खसोट इस राजस्थान की धरती पर हो रही है। पुलिस रक्षक न होकर भक्षक होती जा रही है।

सभापति महोदय, अभी एक चौमूं का मामला प्रकाश में आया। चौमूं के डीवाई.एस.पी. श्री विद्याधर सिंहजी, वहां पर एक मुकदमा दर्ज हुआ सैक्शन तीन का 147, 148, 448 की धारा में। डीवाई.एस.पी. ने जो उसमें मुलजिमान बने, वे गिरफ्तार नहीं हो इसके लिए 40 हजार रुपये उनसे मांगे। जब 40 हजार रुपये मांगे तो वे लोग गृह मंत्रीजी के पास आये। गृह मंत्रीजी ने

---

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(डा. किरोड़ी लाल)

अपना एक आदेश फरमाया। आदेश क्रमांक 3542 यह आदेश दिया 28.10.2000 के दिन। इस आदेश में लिखा कि इसकी जांच अन्य अधिकारी से करायी जा रही है, इसको तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाए। तो विद्याधर सिंह डूडी क्या कहते हैं ? वे कहते हैं, यहां चौमूं का गृह मंत्री तो मैं हूं, गुलाब सिंह शक्तावत नहीं है। सभापति महोदय, आप अंदाजा लगा सकते हैं इससे व्यापक बात और क्या होगी। वो गृह मंत्री हैं किसी को यह समझ में नहीं आ रही...

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : माननीय सदस्य, हाउस को गुमरा करने वाली बात न कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। मैंने आदेश में यह नहीं लिखा कि इसको गिरफ्तार नही किया जाए। मैंने यह लिखा हे कि इसका अनुसंधान किसी अन्य अधिकारी से कराया जाए। अगर आपके पास मेरे आदेश की कापी है तो मुझे बता दीजिये कि गिरफ्तार नहीं किया जाए।

**डा. किरोड़ी लाल** : गिरफ्तार हो गये न आपके आदेश के बाद। आपके आदेश के बाद तीनों गिरफ्तार हो गये।

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : मैंने अनुसंधान करने के लिए लिखा है, मैंने यह नहीं लिखा है। अन्य अधिकारी से अनुसंधान के लिए लिखा है।

**डा. किरोड़ी लाल** : गृह मंत्रीजी ने अनुसंधान के अधिकार एडिशनल एस.पी. को दिये है।

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : आपने यह कहकर हाउस को गुमराह किया है कि मैने यह आदेश दिया कि इसको गिरफ्तार नहीं किया जाए। This is wrong.

**डा. किरोड़ी लाल** : सभापति महोदय, गृह मंत्रीजी ने डीवाई.एस.पी. से जांच बदलवायी और आदेश किये कि इसकी जांच एडिशनल एस.पी. करेगा। जैसे ही जांच के आदेश एडिशनल एस.पी. के हुए, उन तीनों आदमियों को जो फरियाद लेकर गृह मंत्रीजी के पांस आये थे, डीवाई.एस.पी. ने हथकड़ी डालकर जेल की सीखचों में डाल दिया। यह गृह मंत्री के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे है। डीवाई.एस.पी. कह रहा है, चौमूं का गृह मंत्री तो मैं हूं। कही पप्पू गृहमंत्री बना हुआ है तो कही डी.आई.एस.पी. गृहमंत्री बना हुआ है। तो कही यह +++ कोई सार–संभाल करने वाला नहीं है।

(15:52 बजे)

**(श्री दिग्विजय सिंह, सभापति, पदासीन)**

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा था कि अब महिलाओं के साथ बड़े अत्याचार हो रहे है। गृह मंत्री जी, आप इसका जवाब तो दे दो। वह तो चौमूं का मामला है, चौमूं मत जाओ, मैं तो आपको

---

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(डा. किरोड़ी लाल)

यही का उदाहरण बताना चाहता हूं। बांदीकुई की एक महिला अपने गांव से चलकर अपने पति से मिलने के लिए, जयपुर में आयी। जयपुर में जब अपने पति को ढूंढने लगी तो एक नही तीन आदमियों ने उसका मिलकर गैंग रेप किया। ऐसी +++ सरकार को डूब जाना चाहिए कि महिलाओं के साथ खुले आम जयपुर में गैंग रेप हो जाए। सभापति महोदय, यही नहीं हुआ। बलात्कार की एक घटना और है जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता, अभी समय भी नहीं है। आपने जोधपुर की घटना सुनी होगी, 29 सितम्बर की बात है, सभापति महोदय, बस के ड्राइवर और खलासी ने चाकू दिखाकर चलती बस को रोककर बेटी के साथ बलात्कार किया। चीफ मिनिस्टर के इलाके में किया, मुख्य मंत्रीजी के घर के इलाके में किया। लेकिन अभी तक पुलिस मौन है। सभापति महोदय, आपने यह भी देखा होगा, मेरे ख्याल में पहली बार हिन्दुस्तान में राजस्थान में एक घटना दोहरायी गयी है, गृह मंत्रीजी ने इसका काग्नीजैंस लिया था। एक महिला के पैरों में बेड़िया डाल दीं, असहाय महिला कई दिन तक कमरे में बंद रही। बड़ी मुश्किल से छूटकर भागी। सभापति महोदय, इस कांग्रेस के राज में +++ ऐसे ऐसे अत्याचार हो रहे हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, अलवर की एक युवती और उसके बेटे को 27.6.2000 को टपूकड़ा थाने में जिंदा जला डाला। सभापति महोदय, इस प्रकार से कोई दस गुना अत्याचार इन पर बढ़े है।

दलितों के अत्याचार की संख्या तो, सभापति महोदय, बहुत ज्यादा बढ़ गयी। भर्तृहरि जो सबसे पावन स्थान है, एक शिड्यूल्ड कास्ट की लड़की के साथ में एक नहीं 10-10 आदमियों ने बलात्कार किया। यह क्या राज चल रहा है कि जंगल राज है। मैं कहना चाहता हूं, यह राज नहीं है। यहं जंगल राज चल रहा है। गृह मंत्रीजी, अगर आप समय रहते हुए नहीं संभले तो आपको पता है कि यहां पर जातियों में संघर्ष की स्थिति भी पैदा हो गयी। हुड़ियाकलां से आपको सबक लेना चाहिए। ऐसी स्थिति जब यहां पैदा हो रही है तो आपको जागृत होना पड़ेगा। आपके पुलिस संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, पुलिस संगठन को लाइन पर लाना पड़ेगा। उसको ढंग से आपको प्रशिक्षण देना पड़ेगा कि इस प्रकार के गंभीर प्रवृत्ति के जो मामले हों उनको किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतें और कार्यवाही करें एक स्कूली छात्रा भादरा में प्रार्थना के बाद जब अपने स्कूल की कक्षा में जा रही थी पढ़ने के लिए, तब बदमाश स्कूल के कमरे में घुसे और बच्ची को चार-पांच चाकूओं से मारकर वहीं पर लहूलुहान कर डाला, उस बच्ची को वहीं

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(डा. किरोड़ी लाल)

पर मार डाला।

सभापति महोदय, जयपुर में तो आजकल यह हो गया कि महिलाएं जब स्कूटर पर जाती है तो चैन नहीं पहनती। आप पहले गृह मंत्री रहे है, वित्त मंत्रीजी, चैन पहनना छोड़ दिया। औरत इस बात से घबराती है कि किसी प्रकार से लुटेरों ने चाकू मार दिया तो यह चैन पहनना तो दूर की बात है, हमारी जान भी चली जाएगी। आपने अभी देखा, पूर्व मंत्री बाबूलाल खाण्डा की धर्म पत्नी के 95 हजार के थैले को लूटकर ले गये। पुलिस आज तक उनको पकड़ नहीं पायी। सभापति महोदय, इसलिए मैं आज ऐसा कहना चाहूंगा कि यह पुलिस जिस निकम्मेपन की ओर बढ़ रही है उसको सुधारने की आवश्यकता है। रत्न व्यापारी लुट रहे हैं, पैट्रोल पम्प लुट रहे है। पैट्रोल पम्प कैसे लुट रहे है ? ए.के. 47 से हमले हो रहे हैं। मैं गृह मंत्री से पूछना चाहूंगा, मैंने हल्का-सा उस दिन भी टच किया था, आपने विशेष टास्क फोर्स बनाया था कि ए.के. 47 के जितने भी हमले यहां राजस्थान में किये गये और जो-जो भी वारदातें हुई उनका हम पता लगाएंगे। आपकी विशेष टास्क फोर्स ने क्या किया ? जो वारदातें हुई है मैं उनको बताना चाहूंगा। ए.के. 47 की वारदाते सरे आम जयपुर के आसपास एक के बाद एक दूदू पैट्रोल पम्प लूटा जयपुर-अजमेर नेशनल हाई-वे पर पंजाब के मार्बल व्यापारी को ए.के. 47 से गोली मारकर हत्या कर डाली, बस्सी के निकट पैट्रोल पम्प के मालिक को लूटा, कानोता के पास सेल्स मैन की हत्या कर डाली। ए.के. 47 से हमले हो रहे हैं इसलिए मैं आपको सावचेत करना चाहता हूं , गृह मंत्रीजी, आपने विशेष टास्क फोर्स तो बना डाला, उस विशेष टास्क फोर्स का अब तक एक्शन क्या हुआ ? इसलिए, सभापति महोदय, कानून का राज नहीं, जंगल का राज चल रहा है। हो क्या रहा है, सभापति महोदय, इस +++ जेलों में अपराधी फांद-फांद कर भाग रहे है। अलवर की जेल से भाग गये। भागने के बाद वे अपराध कर रहे है और पुलिस उनको आज तक नहीं पकड़ पायी। यह तो दूर की बात है, जयपुर में यादगार के पास में दिन दहाड़े गोली चल गयी। जयपुर में यादगार के सामने गोली चल जाए यह पुलिस और इस राज के लिए शर्म की बात है। इससे बड़ी कोई शर्म की बात नहीं है। सभापति महोदय, चूरू में 20 हजार आदमियों को एक साधु प्रवचन दे रहा था, हत्यारे आये और 20 हजार जनता के बीच में उस साधु की हत्या करके चले गये। अभी बांदीकुई की घटना और है। एक पत्रकार है वहां पर शशिकान्त चतुर्वेदी, उस पर सरेआम हमला हुआ। उसको बुरी तरह से मारा, उसकी मेंडिवल टूट गयी। वह भारतीय प्रेस परिषद में हो आया,

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(डा. किरोड़ी लाल)

गृह मंत्री से मिल लिया, मुख्य मंत्रीजी से मिल लिया, मुख्य सचेतकजी से मिल लिया लेकिन न मुख्य सचेतक सुनना चाहते है, न गृह मंत्री सुनना चाहते है उसको आज तक किसी प्रकार की राहत नहीं। पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, महिलाओं की इज्जत लुट रही है। अनुसूचित जाति के युवक को सरे आम सीकर में आग लगा डाली, चलते में ही तेल छिड़क डाला और उसको आग लगा डाली। मानसरोवर में तो सभापति महोदय, एक प्रधानाध्यापक के कमरे में डकैत घुस गये दिन दहाड़े और लाखों का माल लूटकर ले गये इसी प्रकार से जयपुर में एक युवक की हत्या हुई जिसकी अधजली लाश मिली है। प्रद्युम्न सिंहजी बैठे हैं, हमारा जब राज था गहलोत साहब ने तब एक बड़ा बवाल खड़ा किया था। जे.सी.बो.स. बलात्कार कांड में आप तो सचिवालय को फांदकर भीतर घुस गये थे और भागकर आपने मांग की थी कि इनको गिरफ्तार करो, कानून नहीं, जंगल का राज हो गया। सभापति महोदय, मैं गृह मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि यह कौन-सा राज चल रहा है युवक की लाश को अधजली छोड़कर चले जाएं। और पुलिस आज तक पता नहीं कर पायी। एक वृद्ध पुजारी शंकर भगवान की पूजा करता था, मंदिर में अपराधी घुस गये और उस वृद्ध पुजारी को मार कर चले गये।

सभापति महोदय, आई.एस.आई. की एक्टिविटीज का तो अंत ही नहीं है। मेवात का एरिया तो पूरी तरह से आई.एस.आई. के बिलकुल शिकंजे में फंस गया है उस तरफ सरकार को कोई कार्यवाही करनी चाहिए या अपनी पुलिस को कार्यवाही करनी चाहिए, मेरे को नहीं लगता कि वह हो रही है। वहां नोटों का जाल है, नकली नोट वहां बोरे के बोरे आ रहे है वहां आई.एस.आई. की एक्टिविटी हो रही है और मैं यह भी कहना चाहूंगा-चार्ज तो नही लगाना चाहूंगा पर यह कहना चाहूंगा कि राजनीति के, सत्ता के गलियारों के लोगों का उन पर हाथ है इसलिए आई.एस.आई. की एक्टिविटीज रात-दिन वहां बढ़ती जा रही है। पैसे बिखेरे जा रहे है। हमारे आर्थिक तंत्र को बरबाद करने की इन्होंने ठान रखी है। इसलिए मेवात में जो एक्टिविटीज हो रही है मेवात की इन एक्टिविटीज को चैक करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

सभापति महोदय, मेरे पास में एक ऐसा लड़का आया जो सब-इंस्पेक्टर था पुलिस में पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ते। वह आर.पी.ए. में था, और अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, नाम था कुशाल सिंह गुर्जर, सब इंस्पेक्टर उस पर इल्जाम लगाया पुलिस ने कि 12 साल की बच्ची का बलात्कार करके हत्या कर डाली। उसको 4.8.2000 को मालवीय नगर थाने में वह इसलिए, सभापति महोदय, ध्यान आकर्षित करना चाहता था कि पुलिस का इन्वेस्टीगेशन

(डा. किरोड़ी लाल)

कितना डिफैक्टिव है। हत्या का और बलात्कार का मामला इसमें बना दिया।

(16:00 बजे)

सभापति महोदय, पूर्णतया निर्दोष था। उसको बेरहमी से मारा पीटा और जातिसूचक शब्द कह कर गाली–गलौच करके इसकी खाल उधेड़ डाली 4.8.2000 को गिरफ्तार करने के बाद 15 दिन तक इसको जुडीशियल कस्टडी में रखा। बीच में आया तब 10.8.2000 को असली बलात्कारी और हत्यारे का पता लग गया। उसके पिता ने माफी मांगी कि हमसे गलती हो गयी। तो फिर पुलिस क्या करती है ? पुलिस यह कहती हे कि अब हम फ़ंस मरेंगे जिसमें एस.पी., डीवाई.एस.पी. और कोतवाल भी थे। उस पर अश्लील फोटो कांड का मुकदमा चलाने की कोशिश की। शर्म की बात है। सभापति महोदय, वह मेरे पास आया तो मैंने उसको कहा कि आप मुख्य सचेतकजी के पास जाओ, उनका राज है, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। तब मुख्य सचेतकजी ने फोन किया कि एस.पी. साहब आपने निर्दोष को फंसा रखा है, पड़ौसी को आप इसको छोड़ो, इसकी आर.ए.एस. की परीक्षा है इसको अगर फंसा भी दिया, गिरफ्तार कर लिया तो आर.ए.एस. की परीक्षा में तो आने दो। मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य सचेतकजी की एक नहीं सुनी और उसको आर.ए.एस. की परीक्षा देने के लिए नहीं ले जाने दिया। मुख्य सचेतकजी यहां बैठे हुए हैं, क्या ऐसा राज चलाओगे ? ऐसी ही चलेगी सरकार ? सभापति महोदय, इतना ही नहीं हुआ इसको अश्लील कांड में जब फंसा रहे थे तो राजस्थान के सरकारी मुख्य सचेतक ने कहा कि गलत मत फसाओ। जब आपको यह पता लग गया कि इस बच्ची का बलात्कारी दूसरा है, इस बच्ची का हत्यारा दूसरा है तो आप इस निर्दोष को मत फंसाओ। तब भी हमारे मुख्य सचेतकजी की नहीं सुनी मुख्य सचेतकजी, आप अपना इस्तीफा देकर हमारी तरफ आ जाओ, वहां सामने आप क्या कर रहे हो ? मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आपके टेलीफोन की अगर वाजिब बात नहीं चले तो वहां से आपको इस्तीफा देकर हमारी तरफ आ जाना चाहिए। न्याय हम दिलाएंगे, आप न्याय नहीं दिला सकते। आपके देखते हुए अन्याय होता है। गृह मंत्रीजी को आप यह बात बताइये कि यह वास्तव में अन्याय हुआ है। आपके एस.पी. ने किया है, यहां के डीवाई.एस.पी. ने किया है, यहां के सी.आई. ने किया है, यहां के कोतवाल ने किया है, जिन्होंने भी किया उनको सस्पैंड किया जाना चाहिए और उनके हाथ में हथकड़ी लगानी चाहिए। इतनी आसानी से उनको माफ नहीं कर देना चाहिए। राजस्थान की सरकार का मुख्य सचेतक कहे और यहां का थानेदार नहीं माने, इससे बड़ी हौसलाबुलंदी और नहीं हो सकती।

सभापति महोदय, यही बात नहीं, बात

(डा. किरोड़ी लाल)

आगे बढ़ रही है। बात कितनी आगे बढ़ रही है ? मालपुरा के दंगों की बात कर रहे थे माननीय गृह मंत्रीजी। मैं मालपुरा के दंगों की बात कहना चाहता हूं कि जिस दिन दंगे हुए थे, आपकी पुलिस ढीली थी। अगर आप जागरूक होते, अगर आप सजग होते तो 11 हत्याएं नहीं होती। चार घण्टे तक मालपुरा को खुला और भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : माननीय सभापति महोदय, आप कितना समय देंगे एक व्यक्ति को ? एक माननीय सदस्य कितना घंटे भर बोलते जाएंगे ?

**डा. किरोड़ी लाल** : सभापति महोदय, खेतसिंहजी के +++ इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा +++ इसलिए चल रहे हैं कि जो कागज उठाता जा रहा हूं वहां उनकी पोल खुलती जा रही है। सभापति महोदय, इस मामले की...

**श्री राजेन्द्र पारीक** : माननीय सभापति महोदय, कुछ थाने बच गये हैं तो उनके भी रोजनामचे इनको दिलवा दो ताकि पढ़-पढ़ा दें। यहां पर सारे थानों के रोजनामचे पढ़ दिए आपने।

**डा. किरोड़ी लाल** : सभापति महोदय, एक घटना है, पुलिस पहरे में...

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : हमारा और टाइम काट लें।

**डा. किरोड़ी लाल** : उपाध्यक्ष महोदय, घटना 25.8.2000 की है, पुलिस पहरे में चलती बस में अनुराग सिंह की हत्या कर डाली हत्या कैसे हुई ? अनुराग सिंह हमारी माननीय सदस्या मीनाक्षी चन्द्रावत के भाई है। खानपुर से माननीय सदस्य आयी है उनके भाई है। सभापति महोदय, उनकी हत्या किस ढंग से हुई, वह मैं आपको बताना चाहता हूं। यही नहीं, उनको भी धमकी मार दी कि अगर आप ज्यादा चलीं, ज्यादा बोलीं, ज्यादा कहीं गयी तो मैं आपका भी काम तमाम कर डालूंगा। सभापति महोदय, इसमें हुआ क्या है ? पुलिस पहरे में उम्रकैदी श्री अनुराग सिंह की कोटा और झालावाड़ के मध्य दरा कस्बे में हत्या कर दी। (व्यवधान) मार दी। था क्या ? दो राइफलधारी थे, एक पुलिस का हैड कांस्टेबल था। तीन आदमी के बीच में आये, बस में चढ़े, बस में घुस गये, अपनी रिवाल्वर निकाली और इनकी राइफल झपटी। राइफल झपट कर रिवाल्वर निकालकर वहीं पर पुलिस के सामने हत्या कर डाली। उसी के सामने पुलिस की दरा की चौकी थी, पुलिस की चौकी पर फायरिंग की और जो साधन लेकर आये थे उसमें बैठकर पुलिस की चौकी में घुसते हुए चुनौती देते हुए भाग गये हुए, कि आप में दम है तो

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(डा. किरोड़ी लाल)

आकर गिरफ्तार कर लो, हम चल रहे है और किसी ने हम पर फायरिंग करने की कोशिश की, हमको घेरने की कोशिश की तो इसके परिणाम ठीक नहीं होंगे। सभापति महोदय, वहां के एस.पी. ने स्वीकार किया कि जिस व्यक्ति ने सुपारी दी उस सुपारी देने वाले आदमी का नाम है राजू जोशी। अनुराग सिंह की हत्या करने की दिल्ली और यु.पी. के सरगना देवेन्द्र सिंह राणा को सुपारी दी। इस भाई की हत्या कर डाली उसकी हत्या हो गयी। हत्या होने के बाद में बस में सवाईमाधोपुर का एक लड़का था सुनील शर्मा उसने वहां पर भी कहा और अब भी कह रहा है कि अगर पुलिस इस बात की सुरक्षा की गारंटी ले तो मैं विश्वास के साथ सरकारी गवाह बनकर ठोक कर बयान देने के लिए तैयार हूं। सभापति महोदय, मुझे विश्वास नहीं होता कि पुलिस ने उसको आज तक इंटेरोगेट नहीं किया। गृह मंत्रीजी, आप कागज तो बाद में समेट लेना।

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : सुन रहा हूं आपकी बात को।

**डा. किरोड़ी लाल** : मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, भगवान के नाम पर हाथ जोड़कर यह कहना चाहता हूं कि मीनाक्षी चंद्रावत कांग्रेस की सदस्या, खानपुर की विधायक है, उनके भाई को मारा, सरे आम पुलिस के पहरे में मारा, दिन दहाड़े गोली लगायी, उसका गवाह मिला हुआ है, गवाही देने के लिए तैयार है, उनकी शक्ल पहचानने के लिए तैयार है तो आप किसकी शक्ल देख रहे हो ? मैं आपको यहां कहना चाहता हूं कि केवल इसी का नहीं है, यह जोशी जिसका मैंने नाम बताया है, यह जोशी और पांच–छह लोगों के खिलाफ वहां के अफजल भाई ने एक इस्तगासा किया है कि इन्होंने षड़यंत्र बनाया सुपारी देने का। उस इस्तगासा पर भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। गृह मंत्रीजी, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप इतना तो सुन लें, इनको गिरफ्तार कर लें और ये जो विधायिका बैठी हैं, आपके राज में ये बड़ी परेशान हैं। इनको भी जान–माल की धमकी दी है इसलिए सरकार से मैं कहना चाहता हूं...

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : यह सही है क्या ? यह सही है तो बोले कि यह सही है। आज इस राज के अंदर विधायक सुरक्षित नहीं है।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य।

**श्री राधेश्याम गंगानगर** : आप अपने राज को भूल गये हो।

**मोहम्मद माहिर आजाद** : माननीय सदस्या, आप बोलो जो हुआ है।

**सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत** (खानपुर) : आदरणीय सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य ने कहा है वह बिलकुल सही है। मैं जानती हूं कि न्याय मिलेगा, पर न्याय मिलने में कहीं इतनी देरी नहीं हो जाए कि दो, तीन या चार जा सकते हैं। इसलिए न्याय

(सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत)

कब मिलेगा, मैं यही देख रही हूं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : माननीय सदस्या, आपको जान से मारने की धमकी मिली या नहीं ? माननीय सदस्या, आपके जीवन को खतरा है या नहीं, या तो बता दो इस सदन में।

**श्री नरेन्द्र सिंह भाटी** : उनको बोलने दो न। आप बीच में में क्यों बोल रहे हो ? वह तो आपकी पुष्टि कर रही हैं।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, आपको पैरवी करने की जरूरत नहीं है, वे खुद बोल लेंगी।

**सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत** : मैंने पहले भी जाकर गृह मंत्रीजी से कहा है। वे अपराधी आज भी गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं, वे उसी शहर में रह रहे हैं जबकि कोर्ट से मफरूर घोषित है और न जाने कितने मर्डर केस में शामिल हैं।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : आप तो यह बता दो कि आपको भी धमकी दी हुई है क्या ?

**श्री सभापति** : माननीय गृह मंत्रीजी, आप इसको नोटिस में ले लेंगे। श्री सुरेन्द्रजी गोयल। कृपया समाप्त करें, आपको 45 मिनट हो गये हैं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : कनक्लूड कर रहे हैं।

**श्री सभापति** : कनक्लूड नही कर रहे हैं। ये तो ऐसा इश्यू उठाकर 15 मिनट और बोलना चाहते है। डाक्टर साहब काफी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

**श्री नरेन्द्र सिंह भाटी** : सभापति महोदय, आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस टिप्पणी के बाद में और स्पष्टीकरण के बाद में गवर्नमैंट को और आपको बहुत ही सीरियसली इस शख्स के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए और जितनी जल्दी हो...(व्यवधान) आपकी तालियों की जरूरत नहीं, मैं उनकी पैरवी कर रहा हूं, आपकी नहीं।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : माननीय सभापति महोदय, सदन में +++ कांग्रेस को दे दिया जाए।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, वे आपके चक्कर में आने वाले नहीं हैं, बड़े अनुभवी सदस्य हैं।

**श्री नरेन्द्र सिंह भाटी** : यह तो गनीमत मानों कि आपको उस दिन पार्टी ने माफ कर दिया नहीं तो आपकी +++ आपको पांच साल तक यहां से भगा देना चाहिए जो आपने टिप्पणी की थी न सोनिया गांधी के खिलाफ।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : हिम्मत तो कर दीजिये। कर दीजिये।

**श्री नरेन्द्र सिंह भाटी** : हिम्मत तो...

---

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : मैंने इंदिरा गांधी के खिलाफ की थी, सोनिया गांधी के खिलाफ नहीं और सोनिया गांधी के खिलाफ भी करूंगा अगर गद्दारी होगी।

**श्री रामस्वरूप** : आप इस तरह की बात नहीं कर सकते सदन के अंदर। सोनिया गांधी के खिलाफ करेंगे, इंदिरा गांधी के खिलाफ करेंगे तो ...(व्यवधान)

**श्री नरेन्द्र सिंह भाटी** : रामस्वरूपजी, बैठिये। सदस्य महोदय, मैं आपको कहना नहीं चाहता हूं, मेरे में हिम्मत थी तभी +++ इस नेता की पांच साल तक मैंने क्या–क्या कही है ? (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : यह क्या है ? यह क्या है ? यह क्या है ? क्या है यह ? यह क्या है ? (व्यवधान)

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : माननीय सदस्य, आपसे कमजोर नहीं हैं, धमकियां मत दीजिये। आपने क्या कर दिया, हम जानते हैं। आपसे कमजोर नहीं है कोई भी। (व्यवधान) अनावश्यक मत बोलिये। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : कौनसे नियमों के तहत बोल रहे हैं ? कौनसे नियमों के तहत ये बोल रहे हैं ? (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : इन्होंने जब इन्दिराजी का नाम लिया और सोनियाजी का नाम लिया तो आपके कुछ नहीं हुआ ?

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, आप बिराजिये। मैं अभी व्यवस्था कर दूंगा।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : ... देश के साथ गद्दारी करने वालों के खिलाफ बोला जाएगा।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आप अपने विषय पर ही रहे, ठीक रहेगा। (व्यवधान)

**श्री नरेन्द्र सिंह भाटी** : सभापति महोदय, जो मुख्य मंत्री...

**श्री रामप्रताप** : माननीय सभापति महोदय, जो नेता महोदय या प्रतिपक्ष के नेता महोदय, इनके खिलाफ इस किस्म की टिप्पणी की जाए, इस सदन में इससे इज्जत बनेगी ? आप इसको उचित मानते हैं क्या ?

**श्री नरेन्द्र सिंह भाटी** : डाक्टर साहब, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि...

**श्री सभापति** : हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई टिप्पणी करना उचित नही है। कोई प्रतिपक्ष को नेता हो या कोई भी हो, इसलिए मैं यह कहता हूं कि माननीय सदस्य आप अपने विषय पर ही रहें।

**श्री मदन दिलावर** : मगर इनको डांट पड़नी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, इनको प्रताड़ना दीजिये।

**श्री सभापति** : माननीय दिलावरजी, मैंने सुन लिया है।

---

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

**श्री नरेन्द्र सिंह भाटी** : सभापति महोदय, जो मुख्य मंत्री एक अपने कुलिग विधायक के खिलाफ 34-34 झूठ केसेज लगा दे, आप सोचे कि मैं चुप बैठा रहूंगा ? ...(व्यवधान)

**श्री सभापति** : एक मिनट, माननीय सदस्य।

**श्री नरेन्द्र सिंह भाटी** : डाक्टर साहब, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता, मैंने सहयोग मांगा है इनके लिए और...

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : आप गरिमा भी रखो।

**श्री नरेन्द्र सिंह भाटी** : गरिमा आपके नेता महोदय जानते हैं और मैं जानता हूं। समझें न आप। आप हम दोनों के बीच में क्यों पैरवी कर रहे हो ? (व्यवधान) आपके लिए मैं अनजान हूं गोयल साहब, आप तो अपनी कांस्टीटयूएंसी से लेकर, जोधपुर जिले से पाली पधार गये, जैतारण चले गये। गृह मंत्री महोदय, आप मेहरबानी करके अपने कुलिग के लिए पूरी पैरवी करिये क्योंकि इनकी बेइज्जती हो रही है।

**श्री सभापति** : माननीय श्री सुरेन्द्रजी गोयल।

**सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत** : सभापति महोदय, मेरा तो आपके माध्यम से यही कहना है क्योंकि तीन महीने इंतजार करते हो गये। आज में तीन महीने से अपने गांव वाले घर पर नहीं जा सकती क्योंकि सब कुछ...(व्यवधान) जितना जल्दी न्याय मिले, मेरा तो आपसे यही अनुरोध है।

**श्री सभापति** : मैं समझता हूं गृह मंत्रीजी अपना उत्तर देंगे तो इस बात को स्पष्ट करेंगे। (व्यवधान)

**डा. किरोड़ी लाल** : मेरी एक बात और है...

**श्री सभापति** : अब आपका बहुत हो गया, माननीय सदस्य।

**डा. किरोड़ी लाल** : मैं लम्बा-चौड़ा भाषण नहीं दूंगा।

**श्री सभापति** : आप सहयोग करें।

**डा. किरोड़ी लाल** : सभापति महोदय, राजस्थान में दो ही मुख्य हैं, एक तो मुख्य मंत्रीजी और...

**श्री सभापति** : आपके दो में तो 20 मिनट हो जाते हैं।

**डा. किरोड़ी लाल** : ... दूसरे मुख्य सचेतक। मुख्य सचेतकजी किसी गम्भीर बात को कहें और मुख्य सचेकतजी की बात पर ध्यान नही दिया जाएं, आप मुख्य सचेतक पर भी ध्यान दो थोड़ा।

**श्री सभापति** : उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, माननीय सदस्य।

**डा. किरोड़ी लाल** : ... क्योंकि मुझे पता है कि क्या हुआ था। मैं आपको थोड़ी जानकारी में ला रहा हूं कि क्या हुआ था। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह अपने आप

(श्री सभापति)

निपट लेंगे। श्री सुरेन्द्रजी गोयल। (व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण) : माननीय सभापति महोदय, आज इस सदन में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में चर्चा हो रही है। अभी माननीय मंत्री महोदय ने अपना वक्तव्य दिया और उसके साथ किरोड़ी लालजी ने भी अपना एक स्टेटमैंट दिया। उस प्रपंच में मैं नहीं पड़ना चाहता, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस प्रदेश की कानून और व्यवस्था की स्थिति हकीकत में क्या है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। आज देश आजाद हुए 50 साल से भी ज्यादा हो गये, मंत्री जब वक्तव्य देते हैं तो एक बात कहते हैं कि आपके समय में यह हुआ था और हमारे समय में उससे कम हो गया है। लेकिन अपने इस सदन में बैठने वाले 200 मैम्बर इस बात से नहीं बच सकते कि हकीकत क्या है। हकीकत अगर बयान की जाए तो कानून और व्यवस्था संतोषजनक है या नहीं, यह एक आत्मचिंतन का प्रश्न है। माननीय सभापति महोदय, आज राजनीति में अपने लोग आते हैं और यहां पर जो भी बयानबाजी होती है उसकी क्रिया और प्रतिक्रिया अखबारों के माध्यम से जनता तक जाती है। आज राजनेता और पुलिस अधिकारी पार्ट एण्ड पार्सल हैंट। अपन लोग जो भी अधिकारी लगाते है, सबसे पहले राजनैतिक हस्तक्षेप होगा कि फलां थानेदार को लगाइये या फलां डीवाई.एस.पी. को लगाइये, फलां एस.पी. को लगाइये। लगाने के बाद में मैं नेता हो गया और वह अधिकारी हो गया, वह अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, जैसा मैं आदेश करूंगा वैसा अधिकारी करेगा। तो मेरा एक निवेदन है कि सबसे पहले पुलिस प्रशासन में राजनैतिक हस्तेक्षप जब तक बंद नहीं होगा तब तक कोई सुधार नहीं हो सकता। क्योंकि जब मैं बोलूंगा, जब मैं कहूंगा, इट मीन्स यह होगा कि यह मेरा भाई है, यह मेरा भतीजा है, फलां मेरी पार्टी का आदमी है, इस पर एफ.आर. लगा दीजिये। यह मेरे खिलाफ वाला है इसका चालान कर दीजिये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चोर कैसा भी हो उसकी कोई पार्टी नहीं है, उसकी कोई जाति नहीं होती है। इसी प्रकार बेइमान का कोई धर्म नहीं होता है, बेइमान की कोई पार्टी नहीं होती है उसका पक्ष लेना अपन लोगों को जनता ने जो अधिकार दिये हैं उन अधिकारों का दुरुपयोग करना है। माननीय सभापति महोदय, इसके बारे में आत्मचिंतन करें और सोचें।

दूसरा मेरा महत्वपूर्ण निवेदन है कि जो नीति निर्धारण अपने लोग है, जो सेंट्रल गवर्नमैंट में बैठे हैं या स्टेट गवर्नमैंट में बैठे हैं, उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां है, आज अपन लोगों को चिंतन करना पड़ेगा कि पचास साल पहले की आई.पी.सी. बनी, सी.आर.पी.सी. बनी हुई है उसमें कौन-कौनसे सैक्शन ऐसे हैं जिनमें संशोधन करना अति आवश्यक है। 304 (1) को ले लीजिये, 304 (1) में यह है कि कोई ड्राइवर लापरवाही से

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

ट्रक चला रहा है, शराब पीये हुए चला रहा है, शराब पीये हुए चला रहा है और चलाते हुए 10 आदमियों को खतम कर दिया, 20 आदमियों को खतम कर दिया। ज्योंही थाने में गया, उसकी जमानत हो गई। उससे क्या न्याय मिलने वाला है ? इसी प्रकार से कोई एक्ट होता है, अपन लोगों को सोचना चाहिए कि इस प्रकार के नान–बेलेबल आफ़ेंस को बढ़ाया जाएं और एक भय पैदा किया जाए कि वह शराब पीते हुए व्हीकल नहीं चलाए। उसमें भय व्याप्त होना चाहिए कि अगर उसने ऐसा एक्ट किया तो उसको सजा हो जाएगी। भय हुआ कि उसे जेल में डाल दिया जा सकता है। तो कुछ न कुछ सुधार होने वाला है।

इसी प्रकार आज मैं यह कहता हूं कि धारा 324 और 325 है। 325 और 324 को बेलेबल बना रखा है एक आदमी ने लट्ठ से एक आदमी के हाथ और पैर दोनों तोड़ दिये, वह पूरी जिंदगी भर खाने–कमाने से चला गया। वह थाने में गया और उसकी जमानत हो जाएगी। क्यों हो जाएगी ? कि 325 बेलेबल है। धारा 324 में चाकू से उसके ऊपर वार कर दिया, वार करने के बाद में वह अपंग हो गया। लेकिन वह थाने में गया और उसकी जमानत हो गई।

सभापति महोदय,, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसी प्रकार 379, 380 और 392 ऐसी धाराएं हैं एक बार उसने एक्ट कर लिया, उसने चोरी कर ली तो जिस प्रकार से एन.डी.पी.सी. एक्ट में सजा का प्रावधान किया गया है कि एक बार अफीम लेकर पकड़ा गया तो 10 साल की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना और दुबारा वही एक्ट करता हुआ पकड़ा गया तो 20 साल की सजा और दो लाख का जुर्माना। ऐसा का ऐसा इस 379 में 380 में और 392, 393, 395 में सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए जिससे कि यह चोरी और डकैती की व्यवस्था रुक सके। सभापति महोदय, आज अपन बलात्कार की बात करते हैं, धारना 354 है, आदमी छेड़छाड़ करता है और ज्योंही थाने में गया, उसकी जमानत हो गई क्योंकि वह छेड़छाड़ करता है जो कि बेलेबल है। तो धारा 354 में और 376/511 में, दोनों में इस प्रकार का अमैंडमैंट करना चाहिए कि जिसमें सजा का प्रावधान भी हो जो नान–बेलेबल भी हो। उसको लगे कि अगर से कोई बलात्कार करने की चेष्टा की या छेड़छाड़ करने की चेष्टा की तो आजीवन कारावास की सजा हो जाएगी। 376 की धारा में इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए कि उसके अंदर फांसी की सजा हो। तो जाकर वह व्यवस्था हो सकती है।

सभापतिजी, आज मैं यह कहता हूं आपके माध्यम से कि जैसे प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया हुआ है ये रिपोर्ट अब देंगे। इसके अध्यक्षजी भी बैठे है, पुलिस के बारे में इन्होंने नहीं दी हैं इन्होंने दो के बारे में दी

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

है, पुलिस के बारे में नहीं दी है। इसके बारे में कोई न कोई सुझाव दें। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अपन बातें तो यहां लम्बी-लम्बी कर रहे हैं, जैसे लोकायुक्त सचिवालय बनाया हुआ है जैसे मानवाधिकार आयोग बनाया हुआ है, जैसे महिला आयोग बनाया हुआ है लेकिन आप देखिये, उनकी क्या हालत है। क्या महिला आयोग के पास सामान है? क्या मानवाधिकार आयोग के पास में व्यवस्था है? क्या लोकायुक्त सचिवालय कोई आदेश कर सकता है? लोकायुक्त की रिपोर्ट जो भी गई हैं सरकार के पास में और मुख्य मंत्रीजी के पास में उनका क्या रिजल्ट रहा? कुछ नहीं, नथिंग। आपने कठपुतली मात्र बनाकर उसको बैठा दिया। सरकार के करोड़ों रुपये का खर्चा व्यर्थ में जा रहा है, उसका कोई उपयोग नहीं हैं ऐसी व्यवस्था की जाए कि लोकायुक्त सचिवालय को मजबूत किया जा सके। जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं चाहे ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे जन प्रतिनिधि हैं उनके ऊपर अंकुश होना चाहिए, जो रिपोर्ट दे उस पर अमल होना चाहिए।

आज मैं कहता हूं, सभापति महोदय, जनसंख्या का विस्तार हो रहा है। ज्यों-ज्यों जन संख्या बढ़ रही है, शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। अगर शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया गया तो नये नये क्राइम बढ़ रहे हैं। आज लोगों में धार्मिक आस्था की कमी आ गई है और विदेशी ताकतें अपनी संस्कृति को नष्ट करने में लगी हुई हैं। जो शिक्षित बेरोजगार हैं, जो नये क्रिमिनल्स पैदा हो रहे है, जो आज नई-नई गतिविधियां हो रही हैं, उन पर किस प्रकार से अंकुश लगाया जा सकता है, कैसे उनको रोका जा सकता है, इस बारे में चिंतन नहीं करेंगे तो, सभापति महोदय, आने वाला समय और भयानक होगा। आज हम यह कहकर मुकर्र नहीं सकते कि मेरे टाइम में कम हुए और आपके टाइम में ज्यादा हुए। मेरे टाइम में बलात्कार कम हुए, आपके टाइम में ज्यादा हुए, इस बात को अपन कह कर इतिश्री नहीं कर सकते। अपनी जिम्मेदारी है, अपना फर्ज है और जिन लोगों ने अपने को चुनकर भेजा है उनके प्रति अपना दायित्व और कर्तर्व्य है कि

(16:20 बजे)

**(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)**

उनके सामने अपने सही दिशा प्रदर्शित करें। ऐसी व्यवस्था करे कि उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसको किस प्रकार से सही बात कहकर न्याय दिया सकते हैं। आज इस मौके पर ज्यादा निवेदन नहीं करता, मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट आई, जो लोग अपन यहां बैठे है, आत्मचिंतन करें कि कैसे व्यवस्था की जा सके जिससे लोगों को न्याय मिले। इतना ही मैं तो निवेदन करता हूं धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

**मोहम्मद माहिर आज़ाद** (नगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम राजस्थान की कानून और व्यवस्था की स्थिति पर विचार कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी को इस बात के लिए तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि राजस्थान में कौमी एकता और साम्प्रदायिक सदभाव कायम रखने इन्होंने सफलता प्राप्त की है। फलौदी, मालपुरा और टोरड़ी की एकाध घटनाओं को छोड़ कर पूरे प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भाव और भाईचारा कायम रहा। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, आप जरा इनके स्टेटमैंट को नोट करें। आपने कहा कि गत वर्षो की तुलना में इस वर्ष अपराध कम पंजीबद्ध हुए हैं। यह नहीं कहा कि अपराध कम हुए हैं यह कहा कि पंजीबद्ध कम हुए हैं। क्या आपने ऐसे निर्देश दे दिये, जैसा अभी बासंवाड़ा का मामला चल रहा था, कि थाने में बलात्कार की भी रिपोर्ट दर्ज कराने जाएं तो भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करें ? अगर यही स्थिति है तो अपराध पंजीबद्ध होने में तो संख्या कम हो सकती है लेकिन आप रोज का अखबार उठाकर देखें, सुबह ही अखबार में आता है कि आज फलां जगह फला महिला के साथ बलात्कार हुआ, आज फलां जगह थैला नोटों का छीना गया, आज चोरी हुई, आज पैट्रोल पम्प लूटा गया, आज सरे आम डकैती हुई, हत्या हुई। यह अखबार में रोज आपको देखने को मिलता है।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र से शुरू करना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के रूजदार खां रामसिंहपुर पाली के और नगला रामरतन के शैर सिंह चौधरी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, आज डेढ़ वर्ष हो गया कि उनकी भैंसे जो ब्याई हुई थीं उनको चोरी करके ले गये। पुलिस के थानों में चक्कर लगाते-लगाते परेशान हो गये। पुलिस के थानेदार भी यह कहते हैं कि फिरौती की रकम देकर अपने पशुओं को वापस ले आओ। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे यहां पंचायत समिति के सदस्य नियामतपुर के चौधरी खुर्शीद खां, उनका ट्रैक्टर ओर एक गरीब खटीक लड़के का ट्रैक्टर एक ही दिन में मारुति में उत्तर प्रदेश के अपराधी आये और दोनों के ट्रैक्टरों से ड्राइवर को उतार कर ट्रैक्टर की ट्रोली दिन-दहाड़े खोलकर दोनों के ट्रैक्टर ले गये। मैं डी.आई.जी. से मिला, मैं एस.पी. से मिला, मैं माननीय गृह मंत्रीजी से मिला। गृह मंत्रीजी ने एडिशनल डी.जी. को कहा, भरतपुर के एस.पी. को भी फोन किया। पता लग जाने के बाद मारुति पकड़ ली गई, अपराधी पकड़ लिये गये लेकिन आज तक ट्रैक्टर बरामद नहीं हुए। दोनों ही ट्रेक्टरों के मालिकों ने कहा कि अगर हमारे ट्रैक्टर छह महीने बीत जाने पर भी बरामद नहीं हो रहे हैं तो पुलिस को कहो कि हमारी एफ.आई.आर. में एफ.आर. लगा दे तो हम इंश्योरेंस कम्पनी से ही क्लेम ले लें। एफ.आर. लगाने में भी पुलिस शर्म महसूस कर रही है और उसके

(मोहम्मद माहिर आजाद)

ऊपर कोई बरामदगी की कार्यवाही भी नहीं हो रही है।

इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कस्बा सीकरी में पंचायत समिति के सदस्य मुरारीलाल की 137 बोरी गेहूं और अनाज की चोरी मण्डी में से हो गई। दो महीने बीत गई, आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इतना ही नहीं, खेमचन्द सोनी की दुकान से तिजोरी तोड़कर ले गये, उसके बाद भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के पुलिस थाना नगर और पुलिस थाना सीकरी में अपराधों में इतनी वृद्धि हो रही है कि अब सर्दी का मौसम शुरू हुआ है, कोई हीरो होण्डा मोटर साइकिल सुरक्षित नहीं रह सकती, कोई ब्याई हुई भैंस सुरक्षित नहीं रह सकती। साल भर मेहनत करके आदमी भैंस को पाले वह अपने बच्चों को उसके दूध नहीं पिला सकता, रात-रात जाग कर उसको चौकसी करनी पड़ती है। गोपालगढ़ थाना है तो वहां पर जीप नहीं दे रेखी है। वहां के थानेदार से बात करते हैं तो कहते हैं कि मेरे पास जीप ही नहीं है, मैं अपराधी को कैसे पकडूं। दो थानों में अपराध बढ़ रहे हैं, मर्डर में, बलात्कार में, चोरी में डकैती में, एक में भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा माननीय गृह मंत्रीजी से कि आपकी एप्रोच ठीक है, आपसे जब चाहों मिल सकते हैं, आप हमारी सुनते भी हैं, आगे निर्देश भी देते हैं लेकिन उन पर कार्यवाही नहीं होती। आपको याद होगा, मैं आपके पास किशनगढ़ मांजी के एक विकलांग लड़के को लेकर आया था। उसकी जमीन पर गुण्डे कब्जा कर बैठे, उसको बेदखल कर रहे थे। आपने एडिशनल एस.पी. को फोन किया, मुकदमा भी दर्ज हुआ। लेकिन उसको ही जान से मारने की धमकी दे दी। आज तक उसकी जमीन उनके चंगुल से नहीं छूटी है। जितने मामले मैं आपके पास लाया, एक भी मामले में आज तक कार्यवाही नहीं हुई। फांगी में आपके जिला कांग्रेस का महामंत्री मुझे एक पत्र देकर गया है कि जो आवंटित जमीन है, कब्रिस्तान के लिए आपने अलाट की, उस जमीन की बाउण्ड्री वाल दूसरे लोग नहीं करने दे रहे, उस पर कब्जा किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, टाडा में जयपुर के 1989 के समय के 13 आदमी ग्यारह साल से आज तक बंद हैं। न तो आप उन पर आरोप सिद्ध कर पाये और न आप उनको छोड़ पाये। हरेसमैंट हो रहा है ग्यारह साल से। मैं यह कहना चाहता हूं सदन के माध्यम से कि अगर वे अपराधी हैं तो आप उनको भले ही फांसी की सजा दें, लेकिन ग्यारह साल से आपने उनको अटका रखा है, उन पर कोई आरोप सिद्ध नहीं कर रहे। कोई आरोप सिद्ध नहीं कर रहे और आपने उनको उसमें अटका रखा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके

(मोहम्मद माहिर आजाद)

माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि खुद मुख्य मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र जोधपुर में एक बेवा औरत है रईसां बेगम जिसका पति मिलिट्री में था, उसकी डैथ हो गई। इस बेवा औरत को उसकी जगह नौकरी मिली। नौकरी मिलने के बाद यह एम.ई.एस. में नौकरी कर रही है। इसके जेठ वगैरह इसकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं और पुलिस उसमें सहयोग दे रही है। मैं आप कहेंगे तो यह होम मिनिस्टर साहब को दे दूंगा, आप कहेंगे तो सदन के पटल पर रख दूंगा। पुलिस ने जो आरोप पत्र पेश किया है उसमें, उपाध्यक्ष महोदय, न तो एफ.आई. आर. नम्बर है, न समय है, कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं, गवाह नहीं, बयान नहीं और उलटा उठाकर उस औरत रईसा बेगम को बंद कर दिया। उसकी जमीन पर उसके दूसरे जो जेठ हैं वे कब्जा कर रहे हैं। वह सब जगह रो आई, फिर आई, कोई उसकी सुनवाई करने वाला नहीं है। पूरे राजस्थान में स्थिति यह है।

दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। अभी हाल ही उप चुनाव हुए, बैरवा और रैगर समाज के लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। उनकी पिटाई की गई, उनके ऊपर डण्डे बरसाये गये। पूरे राजस्थान में उठाकर देख लो। हम यह अपेक्षा करते थे कि यह नई सरकार आई है जो अल्पसंख्यकों के हितों का दम भरती है, अल्पसंख्यकों की हितैषी होगी। लेकिन जब सरकार में और प्रशासन के नजरिये में फर्क होगा, दोहरा नजरिया होगा, दोहरे मापदण्ड होंगे, फलौदी में शिव सेना के आदमी की हत्या होती है तो आप वहां के एस.पी. मुराद अली अबरा को वहां से हटा देते हैं लेकिन टौंक में एक हाफिज नजीर मोहम्मद को मस्जिद में कत्ल करके जानमाज में लपेट कर जलाने का काम किया जाता है तो आप टौंक के कोतवाल को भी नहीं बदलते हो। किस उम्मीद और आशा के साथ आपको अल्पसंख्यकों ने सहयोग दिया था। आज पूरे राजस्थान में उपाध्यक्ष महोदय, आप कहीं भी उठाकर देख लो पूरी स्थिति यह है कि अल्पसंख्यकों के साथ किसी भी मामले में न्याय नहीं हो रहा है। मैं आपके माध्यम से टोड़ाभीम से आने वाले, बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा मेवात क्षेत्र एक शांतिप्रिय क्षेत्र है, वहां कौमी एकता है, आपस में भाई चारा है, आज तक कोई साम्प्रदायिक घटना नहीं हुई, आप इस तरीके के अनर्गल आरोप लगाकर मेवात की शांति को क्यों बिगाड़ना चाहते है ? मेरा आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि इस फिरकेवाराना तास्सुब को मिटा दो। (व्यवधान) देखो डाक्टर साहब जब आप बोल रहे थे, मैं आपकी बात को पूरी शांति के साथ सुन रहा था। आज पूरे अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने के लिए आप कहते हो कि भरतपुर में आई.एस.आई. मेवात में आई.एस.आई., जोधपुर में आई.एस.आई.

(मोहम्मद माहिर आजाद)

बाड़मेर में आई.एस.आई. बीकानेर में आई.एस.आई. जैसलमेर में आई.एस.आई.। सीमा पर आपकी फौज क्या कर रही हैं ? ये आई.एस.आई. के लोग कहां से आ गये ? इनको पकड़ कर क्यों नहीं इनके हाथ तोड़ देते ? क्यों नही इनको आप खतम कर देते ? मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप हर जगह मेवात की शांति को बिगाड़ने का प्रयास मत कीजिये। मेवात के लोग बड़े भाई चारे से सदियों से शांति के साथ रहते आ रहे हैं, आप सारे मेवात पर इस तरीके का अनर्गल आरोप लगाकर उसकी शांति को भंग करने का प्रयास मत कीजिये। राजस्थान का मेवात क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हिन्दू और मुसलमान आपसी भाई चारे के साथ साम्प्रदायिक सद्‌भाव के साथ में रह रहे है और इस सरकार के शासनकाल में साम्प्रदायिकता के ऊपर अंकुश रखने का काम किया गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की इस भाईचारगी को, राजस्थान के इस साम्प्रदायिक सद्‌भाव को बिगाड़ने का भगवान के लिए इस तरीके से प्रयास आप मत कीजिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन और यह करना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष की एक सदस्या को चार महीने हो गये, वे अपने गांव में नहीं जा पा रही हैं। सरकार उनको इतना संरक्षण नहीं दे पा रही हैं कि वे अपने गांव में चली जाएं तो इस कानून व्यवस्था की स्थिति का अंदाजा आप स्वयं ही लगा सकते हैं। 5 एम.एल.एज. को आप अब तक पिटवा चुके हैं, और कितने एम.एल.एज. को पिटवाना चाहते हैं आप ? इस कानून व्यवस्था की स्थिति को कहां ले जाना चाहते हैं ? मेरा आपसे निवेदन है कि कानून आपने खूब बना रखे हैं कि बलात्कार की सजा यह है, चोरी की सजा यह है, मर्डर की सजा यह है, लेकिन एक शायर का यह शेर मुझे याद आ रहा है

"मस्जिद तो बना दी शबभर में ईमां की हरारत वालों ने। पर मन जो पुराना पापी था, वर्षों में नमाजी हो न सका।"

इन कायदे कानूनों को, आपकी इन धाराओं को, आपके इस संविधान के सिद्धांतों को सख्ती से लागू करवाइये ताकि दलितों पर पिछड़ों पर और अल्पसंख्यकों पर जो मजहबी एतबार से नाइंसाफी होती है, जो अत्याचार और जुल्म होते हैं उनको रोका जाए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। यही मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, धन्यवाद, जयहिन्द।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्यों से एक निवेदन है कि कार्य सूची बहुत लम्बी है, जो भी माननीय सदस्य बोले वे थोड़ा समय का ध्यान रखें। श्री अमराराम चौधरी।

**श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब से यह

(श्री अमराराम चौधरी)

मानवाधिकार आयोग बना है, उन्होंने बहुत स्वतंत्रता दी है। पहले यह सही है कि कुछ यातनाएं ऐसी थीं जो बेगुनाह लोगों को दी जाती थीं और कुछ भ्रष्टाचार के कारण इस बात की आवश्यकता हुई। लेकिन आज 10–10 अपराध किया हुआ अपराधी भी 4 पुलिस वालों के पहरे में जैसे मंत्रीजी जा रहे हैं। वैसे ही अदालत में जा रहा है। उनमें से कुछ किसी भी समय भाग जाते हैं और पुलिस वालों पर मुकदमे होते है। इस प्रकार डकैतों पर या कम से कम 302 वालों के तो बेड़ियां होनी ही चाहिए पैरों में। छोटा–मोटा अपराध किया हुआ हो जैसे 452 है, इसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन हीनियस आफेंस किये हुए लोगों के लिए जब तक अंकुश नहीं होगा, अपराध कम नहीं होंगे।

इसके साथ–साथ, लॉ एण्ड आर्डर के बारे में मेरा निवेदन यह है कि मेरे सब डिवीजन में हाल ही के एक–डेढ़ साल के पीरियड में करीब 6 मर्डर हुए हैं। सिर्फ एक मर्डर जो भाइयों की आपसी रंजिश से हुआ है, वह तो खैर खुलना ही था। बाकी पांचों मर्डर ऐसे हुए हैं जिनके बारे में मैं अगर आपको संक्षेप में बताऊं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक घटना घटित हुई एक थाना सिणधरी में, सी.आर. नं. 47। यह 11.7.1999 का केस है एक नाबालिग बच्ची जो अपने खेत में दिन में गयी हुई थी, उसको ढाणी के अंदर चारपाई से रस्सी से बांधा और उसके साथ 376 का आफेंस कमिट किया। उसके पैरों में से गहने निकाल लिये। उसके लिए कई बार फरियादे की गई। उस समय वह केस खुल सकता था परन्तु राजनीतिक भेदभाव के कारण उसके इंवेस्टिगेशन को नया मोड़ दिया गया। आखिर में जब लोगों ने हड़तालें की तब एडिशनल एस.पी. श्री पाटनीजी को यह तफतीश दी गई। पाटनीजी पर भी पता नहीं क्या दबाव है, वे एक बार भी मौके पर देखने नहीं आये इतना जघन्य अपराध होने के बाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि...

**श्री अमीन खान** : अमरारामजी, किसके दबाव में मामला दब रहा है ?

**श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : अब दबाव किसका था वह तो आप जाने। क्यों तफतीश चेंज करानी पड़ी ? आप नहीं हो उसमें।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी सिवाना थाने में दो मर्डर हुए। एक तो खंडेलवाल का हुआ और दूसरा मर्डर कुछ दिनों पहले हुआ। सी.आर. न. 76 है, 27.6.2000 का है जिसमें एक ट्रक जा रहा था उसमें खलासी और ड्राइवर थे। सिवाना से मोठली के मार्ग पर खेतारामजी की प्याऊ के नजदीक ट्रक को रोका कुछ गुण्डे लोगों ने उस ट्रक को रोड के सहारे दूर ले

(श्री अमराराम चौधरी)

जाकर ड्राइवर की और खलासी की हत्या कर दी और उस ट्रक के टायर खोल कर वे ले गये। कोई 4–5 घण्टे लगे होंगे रोड के पास में है लेकिन आज दिन तक उसका भी पता लगा नहीं। दो मर्डर ये हुए।

इसके अलावा हाल ही बालोतरा के अंदर रात को मांगीलाल परिहार, उसकी रखैल और उसका बच्चा जब अपने मकान में सो रह थे, उस समय तीनों को ही खतम किया गया। उनके जेवरात ले गये लेकिन आज दिन तक उसका भी सुराग नहीं मिला। मेरा निवेदन यह है कि कोई कैसा भी आदमी है लेकिन जब इस प्रकार तीन मर्डर हुए हैं तो लोगों में डर है और शाम को 9–10 बजे के बाद लोगों का आना–जाना बहुत मुश्किल हो गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जिले के लोग ढाणियों में रहते हैं। आदमी तो कमाने के लिए अकाल के समय बाहर जाता है पंजाब, हरियाणा, गुजरात जाता है, उनमें यदि सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होती है तो सरकार के प्रति असंतोष होता है लोग बात कर रहे हैं कि भय बिन प्रीत नहीं। भय नहीं होगा जब सरकार का तब तक इस प्रकार के आफेंस कमिट होते रहेंगे। जो जघन्य अपराध हुए हैं। मासूम बच्ची के साथ 376 का अपराध आज डेढ़ साल हो गया, नहीं खुल रहा है। आज एक–दो महीने हो गये, बालोतरा में जो मर्डर हुआ वह भी नहीं खुल रहा है। आपके पास शहर में गश्त लगाने के लिए पुलिस की बहुत कमी है। बालोतरा इण्डस्ट्रियल टाउन है बहुत–से लोग आते हैं बाहर भी जाते हैं लेकिन पुलिस कर्मचारी नाम मात्र के है। उनके पास कोई ज्यादा नफरी नहीं है कि वे गश्त भी करा सकें और आये दिन चोरियां होती रहती हैं उन चोरियों की रोकथाम हो सके। यह आप किसी से भी पूछ सकते हैं जो एक्सपर्ट से, एक्सपर्ट हो कि आखिर यह मर्डर कैसे हुआ। प्रोपर्टी के कारण हुआ ? क्या उसका मकान 22–23 लाख का है इसके कारण हुआ ? उसकी रखैल कह रही थी कि मेरे नाम पर यह मकान करवा दो। कई बातें हैं, कई ऐसे पाइंट्स हैं जिनसे यह केस खुल सकता है। लेकिन उसमें भी अब तक विलम्ब हो रहा है। पूरे उस इलाके में, ढाणियों में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। कोई खेत में जाए या थोड़े दिनों कोई लड़की अकेली रह जाएं। तो उसके साथ यह घटना घटे, बहुत डर है। इसलिए आप इसकी व्यवस्था करें, धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री कन्हैया लाल मीणा। श्री अमरारामजी।

**श्री ललित भाटी** (अजमेर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या सत्ता पक्ष की बैंचों के लिये मुखबंद है ? कानून एवं व्यवस्था पर विचार करने पर सत्ता पक्ष की बैंचों के लिये मुखबंद का प्रयोग है क्या ?

**श्री उपाध्यक्ष** : आपके सचेतकजी से पूछो।

**श्री ललित भाटी** : मैं सचेतकजी से कई बार कह चुका हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : पूछो उनसे। श्री अमरारामजी।

**श्री ललित भाटी** : फिर तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : विराजिए आप।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : उपाध्यक्ष महोदय, इनका इंटरनल अरेंजमैंट है, वह बोलना चाहते हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप अपना बिजनेस नहीं आना देना चाहते हैं क्या ? मैं जल्दी कर रहा हूं और उसको लेट कर रहे हैं।

**श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री)** : उपाध्यक्ष महोदय, कोई मुखबंद नहीं है लेकिन सोचा गया था कि डिबेट बहुत लंबी हो जाएगी। शाम को कइयों के रिजर्वेशन हैं, कई जाना चाहते हैं इसलिए इस तरह से रखा गया था।

**श्री ललित भाटी** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्रीजी से निवेदन है कि जो जाना चाहते हैं वे जाएं। हम अपने अजमेर के बारे में बात करना चाहते हैं, अजमेर का अपना एक महत्व है। आप मुझे पांच मिनट की परमिशन दिलवाइए।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : जरूर, अवश्य।

**श्री अमराराम** (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, क़ानून व्यवस्था की स्थिति पर आज वक्तव्य दिया गया है। आज राज़स्थान में कानून और व्यवस्था की हालत यह है कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गये हैं कि नीमकाथाना की जेल से अपराधी को लेकर जेल प्रहरी न्यायालय तक जो मुश्किल से 50 गज की दूरी पर है, ले जाता है, वहां से ले जाते हुए दिन के साढ़े दस बजे जेल प्रहरी की हत्या कर वह अपराधी को छुड़ा कर ले जाता है। वही अपराधी जो जेल प्रहरी की हत्या करता है, और अपराधी को छुड़ा कर ले जाता हैं, एक डेढ़ महीने बाद वही अपराधी अपराध करता हुआ जयपुर जिले के शाहपुरा थाने में पकड़ा जाता है। लेकिन दो महीने बाद पुलिस की मिलीभगत से वह मुल्जिम जो हत्यारा है, जिस पर कई हत्याओं के केस हैं, वह वहां से फरार हो जाता है और आज तक नहीं पकड़ा जाता है। तो कुलमिलाकर राजस्थान की जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उसमें अपराधियों के हौसले बुलंद हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी गृह मंत्रीजी ने बैरवा हत्याकांड का जिक्र किया। चार निर्दोष दलितों को जिनमें एक बच्चे की उम्र मात्र चार वर्ष हैं, नृशंस हत्या की गई, उनके गले और पूरे अंग बूरी तरह से काट दिये गये। चार महीने बाद तक भी उसका मुख्य अभियुक्त नहीं पकड़ा गया है। इसी तरह से चार निर्दोष दलितों को लोहागढ़ में जिंदा जला दिया जाता है यही हाल पूरे राजस्थान में है, यहां अपराधियों का हौसला बुलंद है। आपने देखा होगा दो महीने पहले।

## सदन की कार्यवाही

### विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

**श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे और बढ़ा दिया जाए।

**श्री उपाध्यक्ष** : सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया गया।

## शासकीय वक्तव्य

### राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति

**श्री अमराराम (धोद)** : उपाध्यक्ष महोदय, अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि दो महीने पहले एक 23 साल के नौजवान को शराब माफिया ने रात के 11 बजे घर जाते हुए को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस को हम इस बात के लिए धन्यवाद देंगे कि जब गांव वालों ने प्रयास किया तो पुलिस ने जो मुल्जिम थे, जो शराब माफिया के कारिंदे थे, उनको आफिस में जाकर पकड़ा। वहां से आठ वायरलैस सैट भी पकड़े गये जिसके बारे में यहां सदन में भी चर्चा की गई कोई पेसको नाम से अवैध कम्पनी चल रही है जिसके नाम से लाइसेंस लेकर शराब माफिया वायरलैस का उपयोग करते हैं लेकिन आज दस दिन बाद वही शराब माफिया राजस्थान के सीकर जिले में उसी वायरलैस सैट का उपयोग कर रहे हैं। कोई उनको पूछने वाला नहीं है, चाहे वे शराब माफिया हों, गैंगस्टर हों, वे तमाम् पुलिस से निर्भीक हैं और आम जनता इतनी भयभीत है कि उसके साथ कोई भी अन्याय और अत्याचार होता है तो वह वहां तक पहुंचने में बड़ी मुश्किल महसूस करती है। आज हम राजस्थान पुलिस की पोस्टिंग करते हैं वह क्षमता के अनुसार, योग्यता के अनुसार नहीं करते, राजनीतिक इच्छाओं और सिफारिशों के आधार पर करते हैं। तय रूप से जब पोस्टिंग उनकी क्षमताओं के अनुसार नहीं होगी, डिजायरों के आधार पर होगी तो निश्चित रूप से जो अच्छे लोग हैं उनको अच्छी पोस्टिंग नहीं मिलेगी। जो अवैध धन कमाने वालों से सम्पर्क रखते हैं, सबसे ज्यादा धन कमा पाएंगे वे अच्छी पोस्टिंग पाएंगे और ईमानदार हैं, लग्नता से अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं वे निश्चित रूप से ऐसे पोस्टिंग पर जाएंगे जहां वे जनता की सेवा नहीं कर सकते। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार किसानों को आठ घंटे बिजली की घोषणा करती है, डेढ़ घंटे बिजली आती है। रेवदर में जब किसान बिजली बोर्ड के कार्यालय पर जाते हैं, वहां के अधिकारी फोन कर देते हैं और पुलिस जाते ही बगैर कोई बात पूछे किसानों पर लाठीचार्ज करती है, अश्रु गैस छोड़ती है। उन लोगों को फंसाने की कोशिश करती है ताकि वे अपनी जायज मांग को भी नहीं रख सकें। उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान की हालत यह है कि राजस्थान की पुलिस उनके पक्ष में है। जो बड़े-बड़े लोग हैं। वे कानून का फायदा उठाते हैं। लेकिन गरीब व्यक्ति के

(श्री अमराराम)

हाथ आज भी इन कानून से बंधे हुए है।

जहां तक औद्योगिक शांति का सवाल है, तमाम् औद्योगिक क्षेत्रों में धारा 144 लगा रखी है। मजदूर अपने हितों के लिए सभा तक नहीं कर सकता। सभा करने के लिये गेट पर उसको परमिशन लेनी पड़ेगी और उससे पहले पुलिस उसके बीच में आएगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज राजस्थान की हालत बहुत खराब है हमारे सीकर जिले में जीण माता का ओरण है जिसमें दो साल में आठ हत्याएं हो गई। रिसेंट अभी एक रामेश्वर की हत्या हुई है। आठ हत्याओं में से एक भी हत्या का हत्यारा आज़ तक नहीं पकड़ा गया है। वह सूनसान जगह है एक तरफ पानी भरा हुआ है, दूसरी तरफ जंगल है। अपराधी लोग हत्या करने का सबसे सुगम स्थान वहां पाते हैं, हत्या करके उस जंगल में डाल देते हैं। एक अपराधी नहीं पकड़ा जाता। दो साल में इसी ओरण में यह आठवीं हत्या हुई है और एक भी मुल्जिम नहीं पकड़ा गया है। जो पैसे वाले लोग हैं, जो बड़े-बड़े लोग हैं वे इस जाल से निकलते हैं। जो शराब माफिया है, आज पूरा का पूरा आपका पुलिस विभाग राजस्थान में आबकारी के जितने भी ठेकेदार है उनके यहां नौकर की तरह काम करता है। राजस्थान में एक भी गावं ऐसा नहीं होगा जहां शराब का अवैध धंधा नहीं चलता है। शराब के ठेकेदार खुद तो अवैध काम करें लेकिन किसी को फंसाने के लिये उसे पकड़ कर ले आते हैं और पुलिस उस पर केस दर्ज कर देती है। इस तरह से राजस्थान के कानून का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रभावशाली लोग अपने हक में करते हैं।

टोडारायसिंह में साम्प्रदायिक सद्भाव के मामले में अगर पुलिस सही रूप से सक्रिय होती तो निश्चित रूप से एक हत्या के बाद यह त्रासदी टोडारायसिंह और टौंक के लोगों को नहीं भुगतनी पड़ती। पूरे राजस्थान में जहां भी साम्प्रदायिक तनाव है, चाहे वह फलौदी हो साम्प्रदायिक लोगों को खुलकर खेलने का मौका प्रशासन देता है। राजस्थान के पुलिस प्रशासन में आज भी हिचकिचाहट है ऐसे लोग जो साम्प्रदायिक तनाव को बढ़ाने वाले हैं, वे खुलकर खेलते रहे और हमारी पुलिस देखती रहें, यह किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पुलिस विभाग को इस बात के लिये प्रयास करना चाहिये कि जो भी साम्प्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश करे, चाहे वह कोई भी हो, उसके साथ सख्ती से निपटा जाए। इसके लिए पुलिस को मुस्तैदी के साथ काम करना चाहिये। आज जनता में यह विश्वास कायम करना पड़ेगा कि कानून सबके लिये एक है वह केवल बड़े लोगों के लिये नहीं है, गरीब की भी सुरक्षा और सेवा करने के लिये कानून है। आज जो स्थिति हमारी राजधानी में हो रही है, इस सदन के सदस्यों को चोखी ढाणी में बंद कर देते है। एक माननीय सदस्या की खुद की सुरक्षा

(श्री अमराराम)

नहीं है, वह तीन महीने से अपने गांव नहीं जा सकती। जब हम इस सदन के माननीय सदस्यों की सुरक्षा नहीं कर सकते। तो राजस्थान की पांच करोड़ जनता की सुरक्षा का कैसे विश्वास दिलाते हो ? आपने मुझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री मानिक चन्द सुराना।

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर) : राजस्थान की कानून और व्यवस्था की स्थिति पर आज सदन में चर्चा और माननीय गृह मंत्रीजी ने एक वक्तव्य यहां पर पढ़ा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात की और आकर्षित करना चाहूंगा कि राज्य सरकार की तरफ से जो वक्तव्य होना है और उस पर चर्चा भी होनी है तो गृह मंत्रीजी इस वक्तव्य की एक प्रतिलिपि आपके वक्तव्य के समय इस सदन में सर्कुलेट करा देते। आपने जो फैक्ट्स दिये है, हमारे दिमाग में कोई टेपरिकार्डर तो है नहीं कि उन फैक्ट्स को हम याद रखें। सदन में यदि अर्थपूर्ण चर्चा होनी है तो मेरा सुझाव है कि इस तरह के महत्वपूर्ण वक्तव्यों को आप मंत्रीजी के वक्तव्य के साथ ही प्रसारित करें। (व्यवधान) जोशीजी, मैं आपका बहुत आदर करता हूं, आपके इंटरवेंशन का भी बहुत आदर करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : ऐसा पहले भी कभी हुआ है क्या ?

**श्री मानिक चन्द सुराना** : जो पहले नहीं हुआ वह नहीं होना चाहिए ? (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आप कोई नया प्रोसीजर एडोप्ट कराना चाहते हो क्या ?

**श्री मानिक चन्द सुराना** : मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता। हमने कोई सुझाव दिये आपको, आना है या नहीं आना है, हम पुराणपंथी हो रहे हैं, कोई हर्ज नहीं है।

मैं माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करूंगा कि राज्य सरकारे हमेशा वक्तव्य देती है, भाजपा की सरकार ने भी वक्तव्य दिए, लेकिन क्या, गृह मंत्रीजी, आप संतुष्ट हैं और माननीय सदन के सदस्य संतुष्ट हैं कि हमारे थाने भ्रष्टाचार से मुक्त हो चुके हैं ? सी.आई. और सी.ओ. भ्रष्टाचार से मुक्त हो चुके हैं ? आम आदमी को थाने पर जाने में न्याय मिल जाता है ? जांच निष्पक्ष हो जाती है बिना किसी दबाव या प्रभाव के ? आज मैं समझता हूं कि थानों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। हमारे थानों का एक-एक सी.ओ., मैं 20 प्रतिशत लोगों की बात तो नहीं करता, 80 प्रतिशत थानों में भयंकर भ्रष्टाचार व्याप्त है और एक सी.आई. या सी.ओ. 25000-50000 से कम राजस्थान में भ्रष्टाचार के माध्यम से प्राप्त नहीं करता है। अब आप कहेंगे कि साबित कर दीजिए। सबसे पहले मेरे क्षेत्र का एक मामला जिसके संबंध में मैंने माननीय गृह मंत्रीजी को पत्र लिखा। माननीय गृह मंत्रीजी, मैं आपका

(श्री मानिक चन्द सुराना)

ध्यान जामसर थाने की एफ.आई.आर. नम्बर 133/96 ...(व्यवधान) जगत सिंहजी, आप मुझ पर कृपा करेंगे, आपको जो भी कहना है बाद में कह लीजिए।

और उसके बाद चार दिन बाद की एफ.आई.आर. नं. 323/96, दोनों एफ.आई.आर. एक श्री हसन सहाय एडवोकेट के द्वारा दर्ज कराई गई, दोनों एफ.आई.आर. 307 की थी। श्री हसन सहाय का मर्डर 31 अगस्त, 2000 को, दस–साढ़े दस बजे बीकानेर की के.ई.एम. रोड पर मेन रोड पर हो गया। उनको गोली लगी और सवा–डेढ़ महीना दिल्ली और पी.बी.एम. अस्पताल में उपचार होने के बाद पांच अक्टूबर को उनका देहांत हो गया। 307 में जो उनको गोली लगी वह 302 में कन्वर्ट हो चुकी थी। चार व्यक्ति जेल में है। मैं माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करूंगा कि पुरानी एफ.आई.आर. नं. 133/96 और फिर 323/96, 133/96 थाना जामसर, बीकानेर से 24 किलोमीटर दूर 323/96 पुलिस थाना सदर, बीकानेर पुलिस ने स्वयं बीकानेर के कोर्ट में जब पंजाब के आंतकवादियों को गिरफ्तार किया, उनसे इल्लीगल आर्म्स बरामद किये और पुलिस ने आर्म्स एक्ट का केस भी किया, माननीय गृह मंत्रीजी ये दोनों केस सी.आई.डी. (सी.बी.) में गए। चार, बार तफतीश हुई 1996 से 2000 के बीच में । 1996 से 1998 भारतीय जनता पार्टी का राज, 1998 से 2000 आपका राज चार अलग–अलग इन्वेस्टीगेटिव आफिसर्स सी.आई.डी.(सी.बी.) के चारों ने कहा कि ये चार आदमी मुल्जिम हैं। गृह मंत्रीजी वे पत्रावलियां 21 जून, 2000 को एस.पी. बीकानेर के पास पहुंच गई और उसमें जो नामजद मुल्जिम थे वे गिरफ्तार हुए। उनकी गिरफ्तार से पहले मैंने आपको पत्र लिखा था। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने उन पत्रावलियों को देखकर तत्काल एस.पी. बीकानेर को भेज दिया। पर माननीय गृह मंत्रीजी किसके आदेश से ? उसमें सी.आई.डी. (सी.बी.) की इन्वेस्टीगेशन चार बार हो चुकी थी, कानकरेंट इन्वेस्टीगेशन हो चुकी थी और चार बार एडिशनल एस.पी. के लोगों ने फाइंडिंग दे दी कि ये चार मुल्जिम है, तो आज तक चालान क्यों नहीं हुएं ? किसके इंटरवेंशन से रुक रही है जब आपने आदेश दे दिए, पत्रावलियां पहुंच गई ? माननीय गृह मंत्रीजी मुझे एक ही आथोरिटी है आपसे ऊपर। अब आपने इंटरवीन किया है ओरली, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इंटरवीन करके उन पत्रावलियों पर दुबारा इन्वेस्टीगेशन शुरू किया। मुझे हैरत यह है कि आपने पांचवीं बार इन्वेस्टीगेशन शुरू किया। मेरा मतलब कोई आप से ही नहीं है, डी.जी. को राज्य सरकार का कोई तो निर्देश मिला है जो पांचवीं बार इन्वेस्टीगेशन शुरू किए। मैं माननीय गृह मंत्रीजी का और पूरे सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करूंगा

(श्री मानिक चन्द सुराना)

कि क्या हम राज में या विपक्ष में बैठकर 307 के मुल्जिमों को चार-चार बार जिनके लिए फाइंडिंग आ चुकी सी.आई.डी.(सी.बी.) की कि ये मुल्जिम हैं, उनके चालान को रोक कर हम जनहित का कार्य कर रहे हैं ? माननीय गृह मंत्रीजी इस पर विचार करेंगे। यदि मुख्य मंत्रीजी ने इंटरवेंशन किया तो माननीय मुख्य मंत्रीजी से भी निवेदन करूंगा कि मुल्जिम को 19-20 तो किया जा सकता है पर आटे को नमक और नमक को आटा मत कहिये।

मैं माननीय गृह मंत्रीजी के ध्यान में दूसरा मामला नोहर का लाता हूं। माननीय गृह मंत्रीजी, नोहर में एक 13 वर्षीय लड़की ने 20.1.1999 को 376 की एफ.आई.आर. दर्ज कराई। थानेदारों की कहानी आप सुन रहे थे, सुबह तथ्य आ रहे थे बांसवाड़ा के इसमें उस दिन थानेदार ने मामला दर्ज नहीं किया। यह मामला दर्ज होने के पश्चात् थानेदारों ने उसको रोका, इस मामले को खतम किया। पर आप में से जो भी गृह मंत्री रहे होंगे, आपने मामला सी.आई.डी. (सी.बी.) के सुपुर्द किया। उस मामले में एस.पी. के लेवल पर आपको रिपोर्ट मिल चुकी है। एस.पी. का नाम है टी.आर. जेवरिया, पुलिस अधीक्षक महिला उत्पीड़न सी.आई.डी. (सी.बी.) इसका नम्बर मैं आपको नोट करा देता हूं। सी.आई.डी. (सी.बी.) ने पुलिस अधीक्षक महिला अत्याचार ने रिपोर्ट आपको दे दी। रिपोर्ट का ओपरेटिव पोर्शन पढ़ता हूं कि रिपोर्ट में क्या कहा। माननीय गृह मंत्रीजी, रिपोर्ट में यह कहा कि वास्तव में यह प्रकरण एक गंभीर प्रकृति का है तथा नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला है। अब तक की तफतीश व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से मुल्जिमान दयाराम पुत्र धनपतराम कालेरा, निवासी लाखासर, कृष्ण उर्फ कृष्णा पुत्र रामेश्वर बेनीवाल निवासी भोकराना, तीसरा नरेश कुमार पुत्र बृजलाल निवासी कराऊ के खिलाफ धारा 363, 342, 354, 376, 34 भारतीय दंड संहिता का जुर्म प्रमाणित पाया जाता है। ऐसी स्थिति में न्यायहित में उचित होगा कि प्रकरण में मुल्जिमान को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया जाए।

(17:00 बजे)

यह एस.पी. साहब कह रहे हैं। लेकिन मेरी जानकारी में है, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस मामले में एफ.आर. दी जा चुकी है जिसके लिए उन्होंने लिखा है कि गम्भीर जांच होनी चाहिए। पुलिस वृत्ताधिकारी, नोहर घटना के समय घटनास्थल पर स्वयं मौजूद थे परन्तु तफशीश की डायरी में उनकी मौजूदगी के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यह इंवेस्टीगेशन है। अन्य पुलिस कर्मचारियों के बयान से भी यह बात स्पष्ट हुई है कि वृत्ताधिकारी के यहां मौजूद होते हुए भी उन्होंने एक नौसिखिए उप निरीक्षक को किसी भी प्रकार की सलाह नहीं दी।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

इन सभी बातों से वृत्ताधिकारी, नोहर की गम्भीर लापरवाही प्रदर्शित होती है। इसके लिए वृत्ताधिकारी, नोहर के खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाने की अनुशंसा की गयी। न तो आपने उस वृत्ताधिकारी के खिलाफ एक्शन लिया, न आपने एस.पी. के, अपने खुद के एस.पी. के कहने से चालान किया। एक सामूहिक बलात्कार के मामले में जो राज्य सरकार एफ.आर. कर सकती है और सामूहिक बलात्कारियों को बचा सकती है, माननीय गृह मंत्री महोदय, आप स्वयं इस पर विचार करें कि राज्य कहां जा रहा है, राज्य की दिशा किधर जा रही है और इन हालातों को बदलना जरूरी है या नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं...

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

**श्री मानिक चन्द सुराना** : मैं समाप्ति की ओर ही हूं।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : इस केस में एफ.आर. दी है या चालान होने के बाद ये बरी हुए हैं ?

**श्री मानिक चन्द सुराना** : नहीं, साहब, चालान हुआ ही नहीं, एफ.आर. ही हुई है। चालान ही नहीं हुआ है। इंवेस्टीगेशन हो गई और एस.पी. साहब के लेवल तक चालान ही नहीं हुआ है अब माननीय गृह मंत्रीजी दलितों पर अत्याचार ...(व्यवधान) आप छोड़ दीजिये, हम लोग क्या कह रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री अशोक तंवर** : आपका विधायक ही कर रहा है दलितों पर अत्याचार तो। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

**श्री मानिक चन्द सुराना** : क्या कह रहे हैं ? हमारी पार्टी का विधायक ? आपके पास कानून है, राज है, कानून की क्रियान्विति करके हर...(व्यवधान)

**श्री अशोक तंवर** : दलितों का आपसी मामला है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर प्लीज।

**श्री मानिक चन्द सुराना** : मैं इस पर नहीं जा रहा हूं, जो आपके आपसी मामले हैं। मैं तो नया सदस्य हूं मुझे पुराने मामलों का ध्यान नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान में इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं दिलीप सिंह भूरिया जो आपकी पार्टी के हैं, उन्होंने जो आरोप लगाये हैं उसमें कहा है कि... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : हमारे नहीं हैं वे। हमारे नहीं हैं, वे सब आपके आ गये।

**श्री मानिक चन्द सुराना** : आप में से

(श्री मानिक चन्द सुराना)

बहुत से हम में आने वाले हैं, उसका हमारे पास इलाज नहीं है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज।

**श्री मानिक चन्द सुराना** : आजाद साहब, मैं कुछ निवेदन कर दूं आपकी इजाजत हो तो ? माहिर आजाद साहब, मैं कुछ अर्ज कर दूं।

राजस्थान में अजा. जजा. वर्ग के लोगों पर अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हुई है। 28 जुलाई, 2000 का यह वक्तव्य है जो दैनिक नवज्योति में छपा है। यहां इस वर्ग के लोगों की जमीनों पर कब्जे किये जाते हैं और इस तबके को सार्वजनिक पेयजल स्रोतों से पानी नहीं भरने दिया जाता है। मैं माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान 183 (बी) राजस्थान टीनेंसी एक्ट की तरफ आकर्षित करता हूं। हरिजन की जमीन पर यदि कोई कब्जा करता है तो तहसीलदार का फर्ज है कि वह उसको प्रोसीक्यूट करे। तहसीलदार के लिए कानून बना दिया राजस्थान टीनेंसी एक्ट में कि वह दो महीने के भीतर फैसला करे। आपके तहसीलदारों के पास हजारों मामले अनुसूचित जाति के जमीनों पर कब्जे करने वालों के पड़े हुए हैं और वहां प्रार्थी हरिजन है लेकिन वह आपका तहसीलदार फैसला नहीं करता है। 183(बी) टीनेंसी एक्ट बनने के बावजूद उनको जमीनों से जो लोग महरूम होते हैं उसकी कोई फिक्र राज्य सरकार नहीं करती है। इसको काग्नीजेबल आफेंस बनाइये। मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा और सदन से निवेदन करूंगा कि हरिजनों की जमीनों पर, अनुसूचित जाति की जमीनों पर जो कब्जा करते हैं उसको काग्नीजेबल आफेंस बनाइये तब जाकर यह मामला कहीं पुलिस की गिरफ्त में आएगा और तब इसमें कोई रिलीफ हो सकेगी। मैं इन तीन महत्वपूर्ण मुद्दों पर माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर उपाध्यक्ष महोदय के आदेश का पालन करता हुआ मेरी बात समाप्त करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री ललित भाटी।

**श्री ललित भाटी** (अजमेर पूर्व) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम तो शुक्रगुजार हूं हमारे सम्माननीय संसदीय कार्य मंत्री और मुख्य सचेतकजी का कि उन्होंने मुझे बोलने की इजाजत दी।

**श्री उपाध्यक्ष** : मेरी नहीं ? मैंने नहीं दी ? (व्यवधान)

**श्री ललित भाटी** : आपका आभारी हूं कि आपने भी मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं तो बहुत सामान्य बात कहने जा रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से हमारे गृह मंत्रीजी ने राज्य में कानून व्यवस्था के ऊपर अपने वक्तव्य में जो बातें कही हैं हम उससे सहमत हैं। इस बात को हम मानते हैं कि पहले के बनिस्पत व्यवस्था में अपेक्षित सुधार हुआ है मगर यह संतोष की बात इतनी नहीं हो जाती कि हम यहीं

(श्री ललित भाटी)

पर विश्राम कर लें या अपनी मुस्तैदी को त्याग दें। मैं अजमेर शहर से प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की हृदयस्थली है, महत्वपूर्ण जगह है, साम्प्रदायिक सौहार्द के लिए जानी जाने वाली स्थली अजमेर है। वहां पर अगर पुलिस व्यस्थाओं पर अंगुलियां उठें वहां पर पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था ढीली नजर आए तो मैं सोचता हूं कि यह जो आपका जनरल नोट है इस पर कहीं विचार करने की गुंजाइश बनती है। जितने भी वी.आई. पीज हैं वे राजस्थान यात्रा अगर करेंगे तो अजमेर जरूर जाएंगे। पुष्कर तीर्थस्थली की वजह से, गरीब नवाज की आस्था की वजह से वहां जैनियों का भी पवित्र अग्नि का मंदिर हैं सभी धर्मों के पूजास्थल जो उत्तर भारत में मान्य हैं वे अजमेर के अंदर हैं। तो अधिकांश रूप से वी.आई.पीज का भी वहां पर विजीट होती रहती है और पुलिस महकमा अपने काफी अधिकारियों को सिपाहियों को जो भी कैटेगरी के हैं, उनकी सेवा में प्रोटोकाल के अनुसार लगाता है अगर इस वजह से भी कार्यक्षमता पर असर पड़ रहा है तो मैं सोचता हूं कि इस पर विवेचन किया जाना चाहिए। आप अपने अधिकारियों से इसके ऊपर रिपोर्ट मंगवाइये कि हम अपने स्टाफ को उनकी ड्यूटी पर लगाते हैं और अगर कोई अपराध घटित हो रहा है तो क्या हम अपनी निगरानी रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं ?

आज मोखम सिंह अजमेर में एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। पुलिस ने चारों तरफ से नाकेबंदी की हुई है मगर आज तक बल्कि मैं कहूं कि अभी तक मोखम सिंह को हमारी कर्मठ पुलिस नहीं पकड़ पाई है और आज भी वह अपनी इच्छा से जहां वारदात हो अंजाम देता है। कभी वह पैट्रोल पम्प लूटता है, कभी वह स्त्री रूप धारण करके ट्रकों को लूटता है। (व्यवधान) मैं सौभाग्यशाली हूं, दूर ही हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज करीब दस दिन से हर दूसरे दिन अजमेर के स्थानीय समाचार-पत्रों के अंदर यह हैड लाइन के साथ छपता है कि मोखम सिंह ने फिर पैट्रोल पम्प लूटा। मोखम सिंह फिर अपनी कारगुजारी करके पुलिस को चकमा देकर भाग गया। पुलिस की गिरफ्त से छूटकर भागा अजमेर जेल से, साथ में पुलिस की बंदूक भी लेकर गया। अब अगर उस एक बंदूक के डर से ही हमारा पुलिस महकमा हतोत्साहित हो गया है, डिमोरलाइज हो गया है तो इस पर भी विचार करना चाहिए। जहां आम आदमी सहमता है पुलिस के नाम से, वहां मोखम सिंह के नाम से पुलिस सहमी हुई है अजमेर के अंदर और उसको पकड़ने की दिशा में कोई कारगर कदम अभी तक नहीं उठाया जा रहा है।

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन

(श्री ललित भाटी)

करना चाह रहा हूं कि एक बहुत मासूम बच्चे का स्कूल से ले जाकर अमित हत्याकांड हुआ था अगर आप लोगों की जानकारी में हो ? ये वे बातें है कि किस तरीके की कार्य–कुशलता हमारे पुलिस अधिकारियों और महकमे की है। महीनों तलक वहां आन्दोलन भी हुए। हमारा एक कार्यकर्ता तो महीनों तलक उपवास पर भी बैठा । तब कही जाकर छह–सात सी.आई.डी. और एक डी.एस.पी. की टीम बनी और करीब छह–सात महीनों में उस हत्या काण्ड की गुत्थी सुलझी। धमेन्द्र मेघवंशी की जघन्य हत्या की गयी। पुलिस थाने के अंदर अनुसूचित जाति के व्यक्ति की हत्या हो, यह हमारी सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए मैं बहुत मानता हूं। आज हमारी यह सरकार जिनके दम पर है, 153 की संख्या में बहुसंख्यक आपको जो जनादेश मिला है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों ने आपको जनादेश दिया है। आज उनको संरक्षण नहीं हैं। उनको पुलिस हिरासत के अंदर मौत मिले, पुलिस हिरासत में वह दूसरा सवेरा देख नहीं पाएं, इस सबके ऊपर गौर करने की बात है।

अलवर गेट थाना के अंदर, गृह मंत्री महोदय, आपको यह स्मरण करांना चाहूंगा कि एक महिला ने थाने में आग लगा कर आत्म हत्या कर ली। उसने आग लगाने के पहले यह कहा कि मुझे कुछ लोगों से खतरा है, उनके खिलाफ आप मुकदमा दर्ज करो। उसमें यह भी कहा गया कि वह अपराधी किस्म की महिला थीं अगर वह अपराधी किस्म की थी तो कोई बात नहीं है। मगर कोई आ रहा है कि हमारे खिलाफ सुरक्षा प्रदान की जाए हमें किसी से डर है, वह हमारे जीवन के पीछे पड़ा हुआ है। उसने थाने में अपने ऊपर केरोसीन डाला और आग लगा ली। सी.आई. वगैरह सब देखते रहे। कुछ लोगों को वहां चोरी के इल्जाम में पकड़ कर लाया गया था, उनको भी बोले कि भागों यहां से, नहीं तो तुम लोग अभी चश्मदीद गवाह बनोगे कि तुम्हारे सामने यह हुआ है। अपनी खाल बचाने के अंदर अलवर गेट का पूरा महकमा, पूरा पुलिस थाना, एक–एक सिपाही लग गया कि किसी तरीके से हम इस वारदात से बचें। वहां पर प्रदर्शन किया लोगों ने। बाद में जाकर उस मामले के अंदर जो अपराधी थे, उनको पकड़ा गया और चालान पेश हुआ।

इस तरीके से वहां वारदातें हों और पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करें। आम जनता के मन से पुलिस का डर निकलता जा रहा है, पुलिस के बारे में प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं सबसे बड़ी बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अभी कुछ दिनों पहले आपने अखबार के माध्यम से इस बात को जाना होगा कि अनुपगढ़ से पुलिस मुठभेड़ के अंदर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसमें दो लोगों ने

(श्री ललित भाटी)

अपने बयान के अंदर इस बात का इकबाल किया, उन्होंने इस बात को कबूल किया कि वे आंतकवादी गतिविधियों के अंदर लिप्त रहे हैं और वे अजमेर जाकर आये थे। पूरे आठ घण्टे उन्होंने दरगाह परिसर के अन्दर बिताए उन्होंने अपने बयान के अंदर यह कहा कि हमें इतनी बढ़िया जगह मिली अजमेर, कि हम अपनी विध्वंसक कार्यवाही के लिए इसको बहुत माकूल जगह मानकर चल रहे थे। हमें कोई देखने वाला नहीं, हमें कोई पूछने वाला नहीं, हमें कोई जानने वाला नहीं। आराम के साथ यहां पर आर.डी.एक्स. से दरगाह परिसर को उड़ाने की उनकी योजना का उन्होंने खुद ने इकबालिया बयान पुलिस को दिया। ये सब बातें हमारी गुप्तचर संस्थाओं के ऊपर भी एक प्रश्नचिन्ह पैदा करती है। आज अजमेर के अंदर जो दरगाह है वह तमाम् मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनियां के अंदर एक आस्था का केन्द्र है। वहां पर आंतकवादी लोग आकर इस तरीके की योजना को अंजाम देने की बात करते है। उन्होंने जो बयान दिये हैं उसके अंदर उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। फिर वे डर इस बात से गये कि जो आटोरिक्शा वाला था उसने उनको कोतवाली थाने के सामने वाले होटल के अंदर ठहरवा दिया। रात को वे लोग आये, सुबह जब उन्होंने देखा तो वे इस डर से दुबारा उस होटल में गये ही नहीं। पूरे आठ घण्टे दरगाह के अंदर रहे और वहीं से सीधे बस स्टैण्ड पर जाकर रवाना हो गये। अगर हमारे शांतिप्रिय अजमेर शहर में इस तरह की गतिविधियां होने लगी तो आज वहां पर दरगाह को उड़ाने की बात की, अब दरगाह के अलावा वहां पर पुष्कर का मेला चल रहा है। पुष्कर के मेले में लाखों की संख्या के अंदर लोग आते हैं। अगर हमारी गुप्तचर एजेन्सियां इसी तरीके से काम करेंगी तो वहां और भी कोई बड़ा कारनामा अंजाम दिया जा सकता है। इन लोगों के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिये कि हमारी कार्य प्रणाली को वहां पर जंग लग रही है...

**(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

मैं दो मिनट में अपना भाषण कन्क्लूड करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय।

**श्री उपाध्यक्ष** : आपसे पांच मिनट के लिए कहा, दस मिनट हो गये।

**श्री ललित भाटी** : दो मिनट में मैं मेरी बात समाप्त करता हूं।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, अलवर गेट, आदर्श नगर, रामगंज क्रिचियनगंज है, मैं बिलकुल शार्ट में आ जाता हूं इन चारों थानो क्षेत्रों के अंदर अपराध की गतिविधियां बढ़ रही हैं। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप कोई एक स्कीम बनाइये। नीति बनाइये थाने पर जो लोग लगे हुए हैं वे आठ–आठ, दस–दस साल से सिर्फ जगह

(श्री ललित भाटी)

बदल रहे हैं। इस थाने से हटकर वहां चले गये, उस थाने से हटकर वहां चले गये। उनकी मर्जी से उनकी पोस्टिंग हो रही हे। एक वर्ग विशेष के लोगों को आपने थानों पर तैनात कर रखा है, वे किसी की सुनते नहीं हैं। आपको ऐसी नीति बनानी चाहिये कि साल-दो साल के बाद में वह सी.आई. वह थानेदार वहां पर रहे ही नहीं। हम नहीं कहते कि हमारे कहने से आप किसी को लगाओ। आप ऐसे आदमी को लगाएं जो उस क्षेत्र के अंदर शांति व्यवस्था बनाकर रखे। आज अजमेर के अंदर दिन-दहाड़े ताले टूटते हैं, लोगों के ऊपर हमले होते हैं, चाकू की नोक पर लोगों को लूटा जाता है, तो इन सब चीजों पर रोक लगनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत अहम बात इस सदन के माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि अन्य विभागों की प्रगति की समीक्षात्मक बैठकें जिला स्तर पर की जाती हैं और उसमें माननीय सदस्यों को बुलाया जाता है, उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन मुझे खेद है यह बात कहते हुए कि कानून एवं व्यवस्था के ऊपर आज तक कोई इस तरीके की मीटिंग होती हो तो मेरी जानकारी में नहीं है और उसमें किसी माननीय सदस्य को बुलाया जाता हो, यह भी मेरी जानकारी में नहीं है। दूसरे विभागों के बीस सूत्री कार्यक्रम, अकाल के, पानी के संकट के बारे में या जिस भी बारे में हमारी प्रगति की समीक्षात्मक बैठकें होती हैं, इसी तरीके से हर महीने हम जिला स्तर पर कानून एवं व्यवस्था की समीक्षा की बैठक करें। माननीय सदस्यों को अनिवार्य रूप से उस बैठक के अंदर बुलाकर उसकी पूरी समीक्षा किये जाने के आदेश प्रसारित किये जाने चाहिये। मैं सोचता हूं कि बहुत कुछ चीजें जब वहां एम.एल.ए. ...(व्यवधान) मैं कहता हूं जिला स्तर पर हो, डिवीजन लेवल पर हो अगर हर महीने इस तरीके की बैठकें होगी तो मैं यह सोचता हूं कि जो आक्रोश आज आपको इस सदन के अंदर जन प्रतिनिधियों के माध्यम से देखने को मिल रहा है, यह आक्रोश आधा तो वहीं शांत हो जाएगा और हम मदद ही करेंगे कानून व्यवस्था की बनाये रखने में। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मंत्रीजी।

**श्री ललित भाटी** : एक अन्तिम बात है।

**श्री उपाध्यक्ष** : हो गया। बहुत हो गया।

**श्री ललित भाटी** : एक अंतिम बात है। सिर्फ अंतिम बात है।

अभी भी राजस्थान के अंदर कहीं न कहीं अनुसूचित जाति, जनजाति के दूल्हों को घोड़ी से उतारे जाने की घटना हम अखबार के अंदर पढ़ते हैं। यह बहुत शर्म की बात है। हालांकि इसमें कमी आयी है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आप के माध्यम से कि एक ऐसी व्यवस्थ कर दी जाए, बिलकुल मेंडेटरी प्रोविजन उसके अंदर

(श्री ललित भाटी)

हो कि जिस थाना क्षेत्र में इस तरीके की ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : हो गया, बहुत हो गया। आप बहुत बोल लिये। दिन भर बोले आप। (व्यवधान)

**श्री ललित भाटी** : घटना हो तो उस इलाके के बड़े अधिकारी को, मैं तो कहता हूं कम से कम डिप्टी लेवल के अधिकारी का तुरन्त निलम्बन का अगर आप उसके अंदर प्रावधान करेंगे तो मैं सोचता हूं हम एक सामाजिक न्याय की दिशा के अंदर एक कदम उठाएंगे। आपने मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मंत्रीजी।

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कानून व व्यवस्था के संबंध में माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे और इस सरकार को कुछ बहुमूल्य सुझाव दिये। बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ घटनाओं का जिक्र किया। वे चले गये, कहकर चले गये। उनकी अच्छी बात है, जाने दीजिए।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : जो मैम्बर हाजिर नहीं हैं उसका क्या जवाब देना।

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : अच्छी बात है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : आपकी अनुपस्थिति में आपके डिपार्टमैंट के बारे में बहुत भाषण हो गया। (व्यवधान)

**श्री खेतसिंह राठौड़** : हमारा डिपार्टमैंट ?

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : बामनवास वाले माननीय सदस्य आ गये।

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : लेकिन जिस अनुराग सिंह के मर्डर का उन्होंने जिक्र किया, वे हों या नहीं हों उसके बारे में निश्चित रूप से कहना चाहता हूं। अनुराग सिंह को जब पेशी पर ले जाया जा रहा था तब कुछ लोगों ने मारुति में आकर हत्या कर दी थी और उसके बाद में वे मुल्जिम फरार हो गये। पुलिस विभाग ने उस हत्या में शरीक लोगों की पूरी छानबीन के बाद मुल्जिम नामजद किये हैं। इसमें राजू भी है, कुछ उत्तर प्रदेश के लोग भी हैं। अपराधों में भी लिप्त हैं। हमने विश्वसनीय तरीके से उनको नामजद कर लिया है और मैं सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि दर्रा हत्याकांड के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स गठित कर इस मुकदमे का जल्दी से जल्दी निस्तारण करने का निर्णय करके फैसला करा दिया जाएगा।

खानपुर से आने वाले माननीय सदस्या ने पूछा...

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मैंने बोला नहीं, हस्तक्षेप भी नहीं करना चाहता लेकिन आप भी इस बात का स्पष्टीकरण करिये कि उस अनुराग सिंह की तरफ से या उसके परिवार की तरफ से पुलिस को पूर्व में ही यह

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सूचना दी गयी थी कि मुझे यातायात के रास्ते से नहीं भेजा जाए मुझे खतरा है और मेरी मौत कर दी जाएगी, यह बात सही है या गलत ? आगे आप पकड़ लेना या छोड़ देना।

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय, ने जो सवाल खड़ा किया है, पूरी जानकारी तो मेरे पास नहीं है. लेकिन यदि ऐसी बात है और इसमें किसी पुलिस अधिकारी की लापरवाही है, जांच करने पर पुलिस अधिकारी की लापरवाही...

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : शुरू से, जिस समय मर्डर हुआ उसके समय से लेकर यह बात समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रही थी। यह आपके ध्यान में आनी चाहिए थी। नहीं आयी, अब इसके लिये मैं क्या कहूं लेकिन मैं यह चाहता हूं कि इस मसले की जांच हो। मुल्जिम पकड़े जाएंगे, यह सही है लेकिन मर्डर अवोइड हो सकता था अगर पुलिस सतर्क हो जाती तो।

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : अगर इसमें कहीं लापरवाही बरती गयी है तो इनकी मैं जांच कराने की बात स्वीकार करता हूं और कहता हूं कि मैं जांच करायी जाएंगी। इसमें कोई दोषी को बख्शने का या किसी की तरफ़दारी करने का सवाल पैदा नहीं होता है। (व्यवधान) अब आप बिराजो तो ज्यादा अच्छा है।

**डा. किरोड़ी लाल** : एक छोटा सा प्रश्न है, गृह मंत्रीजी। राजू जोशी जिसने सुपारी दी थी, जिस को पुलिस ने आइडेंटिफ़ाई किया था कि वह भी कांस्पिरेंसी में था, वह अभी खुले आम वहां पर घूम रहा है, ऐसा माननीय सदस्या कह रही हैं।

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : माननीय सदस्य का यह कहना कि उसकी पत्नी झालावाड़ में रहती है इसलिए वह आता-जाता होगा। यह कहा है उन्होंने। मेरे को भी कहा है इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हम समुचित व्यवस्था कर रहे हैं और निश्चित रूप से जो भी इसमें लिप्त थे उनको पकड़ने की कार्यवाही में हम कहीं कोई कोताही नहीं बरतेंगे। विशेषज्ञों के दल गठित कर इस कार्यवाही को जल्दी से जल्दी सम्पन्न करेंगे।

मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता कि पिछली सरकार के वक्त में क्या घटनाएं हुई, बड़ा लम्बा समय लग जाएगा। मेरे पास रिकार्ड है। लेकिन एक बात कह देना चाहता हूं कि पहले भी जो घटनाएं होती थी। उसका त्वरित गति से पता नहीं लगता था। राजस्थान पुलिस को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इस वर्ष में जो घटनाएं घटी हैं, घटनाएं तो घटीं लेकिन उनको तत्काल तरीके से पकड़ने में बड़ी कामयाबी और महारत हासिल की है। इसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करना चाहता हूं। घटनाएं तो घटीं लेकिन घटना घटने के बाद ही उनको पकड़ लिया गया, इसके लिए मैं उनको

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

बधाई देना चाहता हूं और चाहता हूं कि घटनाओं पर अधिक से अधिक नियंत्रण रखने के लिए काम किया जाए। (व्यवधान)

**श्री जसवन्त सिंह गुर्जर** : उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से खुशाल सिंह को पकड़ा गया, इसी तरह से पकड़ रहे हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बिराजे, समाप्त करने दीजिये।

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : आप बिराजे। आम तौर पर ये शिकायतें आती हैं कि थाने में केस रजिस्टर नहीं किया जाता है, शिकायतकर्त्ता जाता है तो इसकी सुनवाई नहीं। आप बैठिये, बात सुन लीजिये आप।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बिराजे, माननीय सदस्य।

**श्री जगत सिंह दायमा** : नहीं, साहब।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय जगत सिंहजी, आप बिराजे। (व्यवधान) आर्डर आर्डर। आप पहले इनको समाप्त करने दीजिये बाद में पूछ लेना। लैट हिम फिनिश।

**श्री जसवन्त सिंह गुर्जर** : खुशाल सिंह, सब-इंस्पैक्टर पर जो झूठा मामला लगाया है 55 दिन यातना दी, इस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं आप ?

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बिराजे। पहले इनको समाप्त करने दीजिये।

**श्री जगत सिंह दायमा** : आपको ऐसा लगता है कि मैं कोई ऐसी बात कहूंगा कि गलत होगी। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आपको मौका दूंगा पूछने का, इसको समाप्त करने दीजिये।

**श्री जगत सिंह दायमा** : आपको पहले से ही पता नहीं कैसे मालूम पड़ जाता है कि मैं जो बोलूंगा गलत बोलूंगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप इनको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं, बोलने दीजिये इनको।

**श्री जसवन्त सिंह गुर्जर** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खुशाल सिंह के बारे में पूछना चाह रहा हूं।

**श्री जगत सिंह दायमा** : हो सकता है कि मैं इनके सपोर्ट में बोलूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : नहीं, सपोर्ट में नहीं चाहिए उनको आप बिराजे प्लीज। आप बाद में बोल लेना। (व्यवधान) एक-एक मैम्बर बोलेगा तो समाप्त कब होगा यह ?

**श्री जसवन्त सिंह गुर्जर** : खुशाल सिंह का पूरा जीवन ही बरबाद हो गया, उपाध्यक्ष महोदय, वह आर.ए.एस. की परीक्षा देना चाह रहा था, उसे परीक्षा नहीं देने दी।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, हर मैम्बर ऐसे बोलेगा तो फिर समाप्त कैसे करेंगे ?

**श्री जगत सिंह दायमा** : बहुजन समाज पार्टी का कोई अध्यक्ष बोलता है तो आपको कुछ हो जाता है और इधर से मनुवादी बोलने है तो कुछ नहीं होता।

**श्री उपाध्यक्ष** : नहीं, मैं आपको कह रहा हूं कि आपको बोलने का मौका दूंगा, इनको समाप्त करने दें। मैंने मना नहीं किया आपको।

**श्री जसवन्त सिंह गुर्जर** : माननीय सदस्य, इधर से मैं भी बोल रहा हूं।

**श्री जगत सिंह दायमा** : उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से माननीय भैरोंसिंहजी ने एक विशेष मुद्दे पर एट्रेक्शन किया है, इसी तरह से मैं बात कहना चाहता हूं खुशाल सिंह के बारे में, जो आपका ही व्यक्ति था और सब-इंस्पैक्टर था। उसके साथ बहुत अत्याचार हुए, अमानवीय अत्याचार हुए। इससे बड़ी शर्मनाक घटना पुलिस विभाग में नहीं होगी। जिस बेचारे का गलत इंवेस्टिगेशन किया जांच दिशा में गयी। इंवेस्टिगेशन कहीं और कर-कर के मालूम पड़ा तो उस पर झूठा केस लगा दिया। फिर आप पुलिस को कहना चाहते हैं कि पुलिस को हम शाबासी देना चाहते हैं कि बहुत अच्छा काम किया। मैं तो आज था नहीं, मैं 10 ऐसे केस बताऊंगा, शर्म आएगी आपको आर.ए.एस. का एग्जाम नहीं देने दिया उसको।

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : जिन लोगों ने अच्छे काम किये मैं उनकी प्रशंसा करना चाहता हूं।

**श्री जगत सिंह दायमा** : मैं चाहूंगा कि आप इस पर अवश्य अपनी बात रखें।

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : यहां पर इस बात का जिक्र किया गया कि मेवात क्षेत्र में साम्प्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ा जा रहा है। नगर से आने वाले माननीय सदस्य को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि चाहे वह मेवात का क्षेत्र हो चाहे राजस्थान का कोई भी इलाका हो, जो भी साम्प्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास करेगा, सरकार उसको नहीं बख्शेगी, उसके खिलाफ कार्यवाही करेगी। (व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** : सरे आम गौ मांस जा रहा है, सरेआम लाया जा रहा है।

**श्री उपाध्यक्ष** : फिर वही, माननीय सदस्य। (व्यवधान) दिलावरजी।

**श्री मदन दिलावर** : सरेआम गायों को काट-काट कर गौ मांस बेचा जा रहा है और सरकार के प्रतिनिधि उनको संरक्षण दे रहे हैं।

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : मदन दिलावरजी, जितने मुकदमे आपके खिलाफ हैं, मैं भूला नहीं हूं इसलिए मजबूर मत करो इतने मुकदमे आपके खिलाफ है।

**श्री मदन दिलावर** : और जो गौ-मांस बेचने का विरोध करते हैं उनको उलटा लटका-लटका कर मारा जाता है। (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** : इन्हीं का भाई बेच रहा है। इनका भाई बेच रहा है खुद। (व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** : एक गर्भवती महिला का...(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : आपने तो कानून व्यवस्था बिगाड़ी है।

**मोहम्मद माहिर आजाद** : इनके लोग बेच रहे हैं, दूसरों का नाम लगाते है। खुद यह बेचते हैं। (व्यवधान)

**श्री हीरालाल विश्नोई** : बाहर क्या हो रहा है; वह तो अलग बात है मगर यह सदन के अंदर क्या हो रहा है, वह भी देखे।

**श्री मदन दिलावर** : अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। (व्यवधान)

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : मैं राजस्थान सरकार की ओर से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि दलितों के चाहे जमीन के झगड़े हों, चाहे और किसी तरह के अत्याचार हुए हों, उनको पूर्ण संरक्षण प्रदान किया जाएगा, पुलिस उनका पूर्ण सहयोग करेगी।

**श्री मदन दिलावर** : अपराधियों का संरक्षण हो रहा है।

**श्री संयम लोढ़ा** : आप तो इनसे हमारी रक्षा कर देना।

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : अल्पसंख्यकों का सवाल भी यहां उठाया गया। यह सरकार हमेशा अल्पसंख्यकों के बारे में संवेदनशील रही है और आगे भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अल्पसंख्यकों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा जो उन्हें सब तरह से कानून संरक्षण दे सके।

कातिलों के बचाने की बात कहीं गयी। मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं कि न तो मेरी मंशा है न मेरी सरकार की मंशा है कि कातिलों को बचाया जाए। जब कभी भी कोई इस तरह के समाचार मेरे पास आएगे कि कातिलों को बचाने का कोई भी प्रयत्न कर रहा है तो मैं निश्चित रूप से उसमें इंटरवीन करूंगा और देखूंगा कि जो लोग कातिलों के हमदर्द हैं या उन्हें बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी ताकि इस तरह की हरकतें पैदा न हो सके।

लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने दो–तीन केस के रेफरेंज दिये हैं, मुकदमा नम्बर भी दिखाये है। वे मुझे से मिले भी थे, एक चिट्ठी उन्होंने लिखी भी थी। मैंने आदेश भी दिया था कि यह पत्रावली तत्काल स्थानीय पुलिस को अविलम्ब कार्यवाही के लिए भेज दी जानी चाहिए। उन्होंने जिक्र किया। उसमें चालान नहीं हुआ। फाइल दोबारा कहीं फिर आ गयी है, ऐसा उनका कथन है। हमारी मंशा किसी भी अपराधी को बचाने की नहीं है। कोई पत्रावली किसी वजह से कहीं है तो मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मुल्जिम है तो उनके खिलाफ सरकार कार्यवाही करेगी। इसमें सरकार कहीं कोई कोताही नहीं करना चाहती।

जब आप विधायक नहीं थे तब भी आपके पत्र पर मैंने एक्शन लिया। तो मैं आपको आज के दिन यह कहना चाहता हूं

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

कि मैं इसमें अपनी ओर से ऐसा कोई भी नहीं होने दूंगा जिसकी वजह से यह महसूस हो...

**श्री मानिक चन्द सुराना** : आप दोबारा मंगा कर देखे, मैं इतना ही आप से कहूंगा

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : मैं देख लूंगा। नगर से आने वाले विधायक ने ट्रैक्टर का जिक्र भी किया, भैंसों की चोरी का जिक्र भी किया। यह भरतपुर में आम बात हो गयी है, करौली में आम बात हो गयी है कि भैंसों की चोरी हो जाती है। इस संबंध में निश्चित रूप से मेरे पास कुछ शिकायतें आयी हैं, भैंसों की चोरी बरामद नहीं होती, और चीजें भी बरामद नहीं होती। इस संबंध में मैं विचार कर रहा हूं और इस बात की कोशिश करूंगा कि वहां ऐसे सख्त से सख्त अफसर लगाए जो इन चोरियों की रोकथाम करे। लेकिन कभी-कभी सख्त अफसर आता है तो आप लोग पसंद कम करते हैं। पसंद कम करते हैं इसलिए कि किसी वर्ग विशेष के लोग कहीं किसी मामले में फंस जाते हैं। किसी वर्ग विशेष के लोग कुछ गलत कार्यवाही में पड़ जाते हैं चाहे वे किसी वर्ग से हो, चाहे वे मेरे वर्ग से हों, आजाद साहब, आपके वर्ग से हों या चाहे दूसरों के वर्ग से हों। हम को थोड़ा ऊपर उठ कर सोचना पड़ेगा। और ऊपर उठकर सोचकर जो भी अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, आपको हमको और सबको सहयोग करना चाहिए।

**मोहम्मद माहिर आजाद** : मैंने किसी का पक्ष नहीं लिया। मैं तो चाहता हूं कि चोरियां बन्द हों। कभी लिया हो तो बता दो।

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसमें एक तरफ उत्तर प्रदेश, एक तरफ हरियाणा और एक तरफ मध्य प्रदेश उस सारे का असर राजस्थान की शांति एवं व्यवस्था पर पड़ रहा है। अब तक हमने जो विश्लेषण किया है उसके आधार पर यह लगता है कि हरियाणा के लोग यहां आकर डकैती कर जाते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग यहां आकर मर्डर करके चले जाते हैं और मध्य प्रदेश के लोग यहां आकर चोरी तथा डकैती का काम कर जाते हैं। इन तीन राज्यों के बीच में घिरी हुई हमारी पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है। मैं कल या परसों एक आर्टिकल पढ़ रहा था...

**श्री जगत सिंह दायमा** : और पिटाई राजस्थान के लोगों की होती है।

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : सुनिए, सुनिए।

**श्री कन्हैया लाल** : बिजली के तारों की चोरी ज्यादा होती है।

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : यह वीकली पेपर है, "आउट लुक" आप सबने पढ़ा होगा, देखा होगा। इसमें विश्लेषण किया गया है राज्यों की कानून और व्यवस्था का। (व्यवधान) जल्दी कर रहा हूं। आपने आदेश

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

दिया है। कि संक्षेप में करे, आप ज्यादा बोले नहीं। इसमें विश्लेषण किया है कानून और व्यवस्था के बारे में। पांच राज्यों में से कौनसे राज्य कानून और व्यवस्था की दृष्टि से उत्तम रहे है उनमें राजस्थान का नाम चौथा है। इसके लिखने वाले हैं अरविन्दम् मुखर्जी। कम्पेरेटिव स्टेटमैंट इसमें दिया है। राजस्थान के बाद आते हैं गोवा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम और बिहार। ऊपर वाले राज्यों में आते हैं केरल, हिमाचल प्रदेश, गुजरात फिर राजस्थान तथा पांचवें नम्बर पर गोवा। (व्यवधान) वैस्ट बंगाल इसमें नहीं है, वह भी नीचे है। इसलिए राजस्थान की कानून और व्यवस्था अन्य राज्यों की तुलना में ठीक है।

**मोहम्मद माहिर आजाद** : हम तो चाहते है कि पहले नम्बर पर आए।

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : मैं आपके सहयोग से कोशिश करूंगा कि राजस्थान में कानून और व्यवस्था पहले नम्बर पर रहे। जो लोग गलती करेंगे उनको सजा दी जाएगी। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री तैय्यब हुसैन।

**श्री जसवन्त सिंह गुर्जर** : उपाध्यक्ष महोदय, खुशाल सिंह के बारे में आपने कुछ नहीं बताया। कत्ल करने वाला मुल्जिम भी पकड़ा गया लेकिन खुशाल सिंह आज भी सस्पैण्ड पड़ा हुआ है, 55 दिन तक पुलिस हिरासत में रहा।

**श्री जगत सिंह दायमा** : गृह मंत्रीजी, क्या हुआ ? क्या हुआ उसका ?

**श्री जसवन्त सिंह गुर्जर** : मंत्री महोदय, आपने खुशाल सिंह के बारे में नहीं बताया। उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ आप क्या करने जा रहे हैं ? (व्यवधान) जिसें 55 दिन तक रखा गया और आर.ए.एस. की परीक्षा नहीं देने दी गयी। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर। अब उनको सुनो न। वह ज्यादा इम्पोर्टेंट है।

**श्री तैय्यब हुसैन** (कृषि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में सोयाबीन की खेती की शुरूआत 1980 से हुई। सोयाबीन की फसल कोटा संभाग के अतिरिक्त...

**श्री जगत सिंह दायमा** : आप खुशाल सिंह का और जवाब दे दें। (व्यवधान) पुलिस वाले ही हैं ...(व्यवधान) आपसे तो यह उम्मीद नहीं थी।

**श्री जसवन्त सिंह गुर्जर** : उपाध्यक्ष महोदय, खुशाल सिंह के बारे में आपने नहीं बताया।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, बिराजे।

**श्री जसवन्त सिंह गुर्जर** : उस पर बलात्कार लगाया गया, कत्ल लगाया गया और मुल्जिम कोई दूसरा निकला। 55 दिन तक रखा, आर.ए.एस. की परीक्षा नहीं देने दी गयी। आज भी वह सस्पैण्ड पड़ा हुआ है। पुलिस को जब मालूम हुआ कि हम झूठे फंसाये जा रहे हैं तब उन्होंने उस पर झूठा मुकदमा लगा दिया। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आप दोनों साथ बैठकर बात कर लो।

**श्री जगत सिंह दायमा** : मिल लें, क्या करें, ये बताएं तो सही।

**श्री जसवन्त सिंह गुर्जर** : उस पर झूठा मुकदमा लगाकर उसके साथ अन्याय किया गया जवाब तो मिलना चाहिए, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर। बिराजे।

**श्री जगत सिंह दायमा** : यह पिछड़े समाज का व्यक्ति है, इस तरह कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे समाज में जिसका डी.एस.पी. पूरे राजस्थान में नहीं है, सब-इंस्पेक्टर बन गया।

**श्री जसवन्त सिंह गुर्जर** : 55 दिन तक जो आदमी पुलिस हिरासत में रहा बिना किसी जुर्म के, उनके खिलाफ आप क्या करने जा रहे हैं ? जवाब तो दिलवाइये।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बिराजो। इनको बैठाओ न। करेंगे सब। आप बिराजे।

**श्री जगत सिंह दायमा** : उसके साथ ऐसा अत्याचार पुलिस ने किया है और एक शब्द बोलने के लिए होम मिनिस्टर साहब तैयार नहीं है, क्यों ? क्योंकि पिछड़े वर्ग का व्यक्ति है।

**श्री जसवन्त सिंह गुर्जर** : क्योंकि वे पुलिस के अधिकारी हैं इसलिए ?

**श्री जगत सिंह दायमा** : अगर कोई पंडितजी होते, राजपूत होते तो शायद क्या से क्या हो जाता। परन्तु पिछड़े वर्ग का व्यक्ति है, आपके मुंह से एक सवाल नहीं निकल सकता, उत्तर नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता ?

**श्री जसवन्त सिंह गुर्जर** : बिना जवाब के नहीं बैठेंगे। आखिर ऐसी कौनसी मजबूरी है पुलिस की कि झूठा मुकदमा बनाना पड़ा।

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, जब पुलिस ने किसी के साथ ज्यादती की है तो उसकी जांच करवा कर मैं निश्चित रूप से कार्यवाही करूंगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री तैय्यब हुसैनजी। वापस शुरू करे, शुरू से बोलिए।

## राज्य में सोयाबीन की फसल पर इल्ली का प्रकोप

**श्री तैय्यब हुसैन** (कृषि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में सोयाबीन की खेती की शुरूआत 1980 से हुई। सोयाबीन की फसल कोटा संभाग के अतिरिक्त चित्तौड़गढ़ एवं बांसवाड़ा जिलों में बोई जाती है। राजस्थान की उपयुक्त जलवायु एवं मिट्टी के कारण सोयाबीन की खेती में लगातार वृद्धि हुई है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय माहिर आजादजी, कृपा करिये।

**श्री तैय्यब हुसैन** : राज्य में वर्ष 2000 में

(श्री तैय्यब हुसैन)

6.24 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन की फसल बोई गयी। तम्बाकू इल्ली का प्रकोप कई फसलों में यदा-कदा एवं सीमित संख्या में ही भारतवर्ष में देखा गया। सर्वप्रथम इस कीट का प्रकोप महामारी के रूप में वर्ष 1903 एवं 1904 में गुजरात राज्य के नेडार क्षेत्र में तम्बाकू की फसल पर देखा गया। सोयाबीन की फसल पर इस इल्ली का प्रकोप एक महामारी के रूप में न केवल राजस्थान में बल्कि सम्पूर्ण भारतवर्ष में कभी नहीं देखा गया। सबसे पहले इल्ली के प्रकोप की सूचना अगस्त माह के मध्य में बारां जिले से प्राप्त हुई, उसके बाद नियमित रूप से संरक्षण कार्य अगस्त महीने से किया गया। इस माह के अन्त तक कृषि विषय के वैज्ञानिकों द्वारा सोयाबीन तम्बाकू इल्ली का प्रकोप आर्थिक नुकसान सतह के ऊपर कभी नहीं पाया गया। अगस्त में इस इल्ली का प्रकोप इसलिए नहीं पाया गया क्योंकि प्यूपा अवस्था में जमीन के अंदर चली गयी। दिनांक 2 सितम्बर को वर्षा हुई इससे प्राकृतिक आर्द्रता एवं तापमान अनुकूल होने के कारण इस इल्ली के प्रकोप में अकस्मात वृद्धि हुई। अगर वर्षा औसत के हिसाब से सितम्बर में हो जाती तो इल्ली का कोई प्रतिकूल प्रभाव फसलों पर नहीं पड़ता और इल्लियां स्वयं मर जातीं। वर्षा के बाद सूखा मौसम रहने से इल्ली के प्रजनन हेतु अनुकूल वातावरण बना इसलिए सोयाबीन की फसल पर तम्बाकू इल्ली का भयंकर प्रकोप हुआ जिससे संभाग का दो लाख साठ हजार हैक्टेयर क्षेत्र नगण्य से लेकर कुछ क्षेत्रों में भयंकर रूप से प्रभावित हुआ। जैसे ही यह इल्ली सितम्बर माह में नजर आने लगी, विभाग द्वारा युद्ध स्तर पर कार्यवाही की गयी। कृषि निदेशक, तीन अतिरिक्त निदेशक और पांच सौ अधिकारी-कर्मचारियों की टीम बनाकर प्रभावित क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार, किसान गोष्ठियों, प्रदर्शन-आयोजन, अनुदान पर कीटनाशक उपलब्ध करवाकर कीट नियंत्रण की प्रभावी कार्यवाही की गयी। इस कार्यवाही को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् एवं भारत सरकार के वैज्ञानिकों की टीम ने भी देखा तथा विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही को उनके द्वारा दी गयी रिपोर्ट में उचित माना। इस कीट नियंत्रण सघन अभियान के दौरान 3508 कृषक गोष्ठियां आयोजित की गयीं, कृषकों से व्यक्तिगत सम्पर्क किया गया, लगभग डेढ़ लाख पेम्पलेट्स छपवाकर वितरित किये गये और दीवारों पर नारे इत्यादि लिखवाये गये। किसानों को कीटनाशक से सुरक्षित प्रयोग की जानकारी दी गयी और वैज्ञानिक प्रयोग करवाये गये। जगह-जगह प्रकाश, पासा, लाइट ट्रैप और प्रदर्शन आयोजित कर कीट का प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जाकर कीटनाशक छिड़काव के दौरान सोयाबीन की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु 155 नमूने लिये गये। जिनमें से रसायनों के विश्लेषण के पश्चात् 19 नमूने अमानक पाये गये। संबंधित पार्टीज

(श्री तैय्यब हुसैन)

के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी क्योंकि इल्ली का प्रकोप महामारी के रूप में था। सब प्रयत्नों के बावजूद उससे अधिक नुकसान बारां जिले में हुआ, जहां पर 18,600 हैक्टेयर क्षेत्र पूर्ण रूप से एवं 97,400 हैक्टेयर क्षेत्र आंशिक रूप से प्रभावित हुआ है। कोटा जिले में 48,500 हैक्टेयर, भीलवाड़ा जिले में 91,000 हैक्टेयर क्षेत्र आंशिक रूप से प्रभावित हुआ है। बूंदी जिले में 5,150 हैक्टेयर क्षेत्र में नगण्य प्रकोप हुआ है। नुकसान का पूरा आकलन गिरदावरी के अनुसार होगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री मदन दिलावर।

**श्री मदन दिलावर** (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इल्ली का प्रकोप अबकी बार हमारा...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर।

**श्री मदन दिलावर** : इल्ली का प्रकोप अबकी बार हाड़ौती में एक महामारी बनकर आया...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र पारीक** : उस इल्ली का तो कर लेंगे इलाज, लेकिन +++ का कौन करेगा इलाज ?

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह चाहूंगा कि वे कुछ बातें पहले ही बता दें ताकि उस पर चर्चा होने में सार्थक बातें आ सकें। एक तो आपने किस-किस एजेन्सी से किस-किस प्रकार की दवाइयां खरीदकर वहां वितरित करवायीं ? किस-किस एजेन्सी की मतलब दुकान की या एजेन्सी की, एसोसिएशन की कौन-कौनसी दवाइयां इस इल्ली के प्रकोप से बचाने के लिए काश्तकारों को आपने उपलब्ध करायी हैं ? बता सकते हैं क्या।

**श्री तैय्यब हुसैन** : जितनी भी दवाइयां, मिलती हैं, बाजार में से जो भी किसान लाया वह हमने सारी दवाइयां...

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : किस-किससे, देखिये, समाचार पत्रों में है इसलिए पूछ रहा हूं। आपको स्पष्टीकरण का मौका मिला है, करना चाहिए। समाचार पत्रों में इस बात के समाचार छपे हैं कि वे दवाइयां घटिया किस्म की थीं और उनका प्रभाव इल्ली की रोकथाम के लिए नहीं हो सका। उन दवाइयों के बारे में मैं पूछ रहा हूं, आपने कौन-कौनसी कम्पनी की दवाइयां एप्रूव की थी और किस-किस कम्पनी की दवाइयां आयी ? दूसरी एक बात इसी के साथ और पूछना चाहूंगा कि राजफैड से जो दवाइयां गयी हैं क्या वे दवाइयां सब एक्सपायरी टाइम की थीं, जिसकी तरीख निकल गयी थी उपयोगिता की ?

**श्री तैय्यब हुसैन** : माननीय उपाध्यक्षजी, यह बिलकुल गलत बात है कि कोई दवाई एक्सपायर हो गयी और उसमें किया गया।

---

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री तैय्यब हुसैन)

इस तरह की कोई बात नहीं हैं अखबारों से तो कोई सरकार चलने वाली नहीं है। हमने वास्तविक तौर पर किसी किसान को या किसी को पाबन्द नहीं किया कि वह कौनसी कम्पनी की खरीदे। बेशुमार कम्पनियां हैं जिससे वे लोग चाहे वहां से खरीदते हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय दिलावरजी।

**श्री मदन दिलावर** : हाड़ौती में इल्ली का प्रकोप एक महामारी बनकर आया। राजस्थान में सबसे ज्यादा सोयाबीन की फसल हाड़ौती में होती है लगभग पांच लाख हैक्टेयर क्षेत्र में इस साल बुवाई हुई थी उसमें से ढाई लाख हैक्टेयर में इल्ली का जबर्दस्त प्रकोप हुआ। यदि सरकार चाहती तो इल्ली के प्रकोप से फसल को बचाया जा सकता था परन्तु ऐसा नहीं हुआ। अगस्त के प्रथम सप्ताह में किसानों ने कृषि विभाग को जानकारी दी कि इल्ली का प्रकोप हो रहा है। 14 अगस्त को यह जानकारी सरकार के पास पहुंच गयी लेकिन सरकार का जैसा रवैया है उसके आधार पर पत्रावली चलती रही। वह कागज इधर से उधर घूमता रहा लेकिन सरकार ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। जब जबर्दस्त हा-हाकार क्षेत्र में होने लगा कि फसल बिलकुल बर्बाद हो गयी है तब जाकर के, कहां तो 14 अगस्त और कहां 14 सितम्बर, 14 सितम्बर को जाकर ये पता करते हैं कि तम्बाकू इल्ली है और इस पर अमुक-अमुक प्रकार की दवाइयों का छिड़काव कीजिए। सात अगस्त और चौदह सितम्बर के बीच में जो दवाइयां बतायी गयीं स्थानीय अधिकारियों के द्वारा रोज-रोज अलग अलग प्रकार की दवाइयां बतायी गयी। किसान सात-सात तरह की दवाइयां खरीद-खरीदकर छिड़कता रहा लेकिन इल्ली उससे गयी नहीं, इल्ली उससे मरी नहीं। बाद में इन्होंने कहा कि तम्बाकू इल्ली है और यह दवा छिड़किये। उस दवा का कोई प्रभाव नहीं परन्तु इन्होंने अपनी डींग हांकने के लिए कहा कि हमने इल्लियों पर अपना काबू पा लिया है। वह किस आधार पर कहा ? क्योंकि वह प्यूपा बनकर के जमीन में चली गयी थी इसलिए बाहर दिखायी नहीं दे रही थी। उसके पहले सारी फसल को चौपट किया जा चुका था और डींग हांकने के लिए इन्होंने इस प्रकार की चर्चा की कि हमने उस पर काबू पा लिया है। काबू नहीं पाया गया, आज भी मैं कहता हूं कि इंल्ली पर काबू पाने में असफल रहे हैं। आज तक उस पर काबू नहीं पाया गया। इल्ली ने क्या नहीं किया ? उपाध्यक्ष महोदय, इल्ली इतनी हो गयी कि पूरी फसल को खाकर सड़कों पर चलने लग गयी। इल्ली पूरी फसल खाकर आकड़े खा गयी, नीमड़े खा गयी ...(व्यवधान) इल्ली आकड़ा खा गयी, नीमड़ा खा गयी।

**श्री हीरालाल विश्नोई** : आकड़ा खाने के बाद तो मर ही जाती है।

**श्री मदन दिलावर** : अब आपके यहां

(श्री मदन दिलावर)

नहीं खाती होगी। मैं प्रत्यक्ष उदाहरण बता सकता हूं, आज भी चलो। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, सड़कों पर इस तरह से हो गया...

**श्री उपाध्यक्ष** : आकड़ा भी खाती है क्या ?

**श्री मदन दिलावर** : शाहबाद और किशनगंज की तरफ आप जाते तो आपको पता लगता। मोटर साइकिल और कार लेकर आप जा नहीं सकते क्योंकि वह इल्ली मोटर साइकिल जब सड़क पर चलती है तो उससे दबती है और मोटर साइकिल फिसल जाती है। ऐसे दर्जनों उदाहरण शाहबाद और किशनगंज में देखने को मिले हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको यह बताना मैं जरूरी समझता हूं कि किसान ने खाद उधार लिया, मोल लेकर के आया, बीज लिया। मेरे यहां का काश्तकार बहुत छोटा काश्तकार है, जो फसल होती है उससे अगली फसल का भी इंतजाम करता है और यह जो फसल बोयी थी उसका भी कर्जा चुकाता है। इसके कारण से स्थिति क्या हो गयी कि न तो वह ठीक प्रकार अगली फसल के लिए खाद और बीज खरीद पाया न ही इसका कर्जा चुका पाया। कर्जा नहीं चुकाने के कारण कर्जा देने वालों ने अपने हाथ खड़े कर दिये। मेरे काश्तकारों को मेरी बहनों के और मेरी माताओं के जेवर गिरवी रखने पड़े लेकिन फिर भी उनको पैसा नहीं मिला। बहुत सारी जमीन बिलकुल खाली पड़ी रह गयी। किसी ने सरसों बोई तो, उपाध्यक्ष महोदय, पता नहीं क्या हुआ, वह सरसों तो गुड़ गयी। मुझे फिर समाचार मिला है कि इल्ली का प्रकोप फिर सरसों में होने लगा है, और फसल में भी होने लगा है। लेकिन अभी तक इस सरकार के अधिकारी और यह सरकार सोई हुई है।

अभी माननीय कृषि मंत्रीजी ने कहा था बड़े जोर शोर से माननीय प्रतिपक्ष के नेता की बात पर कि ऐसी कोई सब-स्टेण्डर्ड दवाइयां नहीं थीं, ऐसी कोई एक्सपायरी डेट वाली दवाइयां नहीं थी। मैं आपको राजफैड का बताना चाहता हूं इनका उपक्रम है। अधिकतर काश्तकार मार्केटिंग सोसायटी से और सहकारी समिति से दवाइयां खरीदते है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता। कई बार उधार खरीदनी पड़ती है इसलिए वहीं से जाकर लेता है। आपको जानकारी दूं राजफैड के आठ नमूने फेल हुए हैं। मुश्किल से इन्होंने कुल 19 नमूने लेना बताया है उसमें 8 राजफैड के फेल हैं, और दूसरी कम्पनियों के फेल हैं। राजफैड के नमूने फेल हो जाएं, इसका मतलब यह साबित हो गया कि सरकार ने नकली दवाइयां बेची, एक्सपायरी डेट की दवाइयां बेची और उसके कारण से किसानों को नुकसान हुआ। यह मेरे पास जांच रिपोर्ट है। शीशी की नहीं, यह कृषि अधिकारियों की जांच रिर्पोट है। शीशी का पता ही नहीं चलेगा कि इसमें असली है कि नकली है। मैं तो जांच रिपोर्ट

(श्री मदन दिलावर)

लेकर आया हूं। परियोजना निदेशक, (विस्तार) चम्बल क्षेत्र विकास कोटा की जांच रिपोर्ट है और यह जांच रिपोर्ट 1.10 की है। उपाध्यक्ष महोदय, किसानों के साथ इस प्रकार का अत्याचार जो अभी हुआ वह कभी भी नहीं हुआ। इल्लियों के प्रकोप से मेरे क्षेत्र में पांच सौ करोड़ का नुकसान हुआ। मैं इस आधार पर कह सकता हूं क्योंकि ढाई लाख हैक्टेयर यानि पन्द्रह लाख बीघा और एक बीघा में कम से कम हाड़ौती में चार क्विंटल सोयाबीन की फसल निकलती है और एक क्विंटल सोयाबीन 865 रुपये प्रति क्विंटल में बिकती है। इस हिसाब से आप अनुमान लगाएंगे तो पांच सौ करोड़ का नुकसान होता है। लेकिन इस सरकार के मंत्री भी वहां गये, बड़ी डींग हांक कर आये। तैय्यब हुसैनजी आप बड़ी डींग हांक कर आये कि मैं जा कर बात करूंगा, किसानों को मुआवजा दिलवाऊंगा। किसानों को मुआवजा नहीं मिला, बल्कि आपने किया क्या ? ...(व्यवधान)

**श्री तैय्यब हुसैन** : अटरू से आने वाले माननीय सदस्य, जो बातें नहीं कही हैं। मेहरबानी करके उन्हें मेरे मुंह में डालनें की कोशिश नहीं करें तो अच्छा होगा।

**श्री मदन दिलावर** : लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने क्या किया ? जो केन्द्र सरकार से किसानों के लिए बीज और ओ.पी.पी., एन.पी.डी.पी. पैस्ट कन्ट्रोल राष्ट्रीय दलहन विकास एवं राष्ट्रीय तिलहन विकास योजना के अन्तर्गत किसानों को सहायता के रूप में खरीदे गये रसायन की लागत का 50 परसेंट या अधिकतम पांच सौ रुपये मिलने वाला था, जिसमें राजस्थान गवर्नमैंट का एक पैसा भी नहीं लगता, सारा का सारा भारत सरकार देती है, उसमें इन्होंने पहले तो दो सौ रुपयें प्रति हैक्टेयर के हिसाब से कहा या पचास परसेंट सहायता। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, वह आदेश जाने के बाद फिर उन्होंने आदेश दिया कि सौ रुपये से ज्यादा नहीं दें। इनका जा क्या रहा था, केन्द्र सरकार पैसा दे रही थी ? लेकिन इनको लग रहा था कि किसानों के पास अधिक पैसा चला गया, किसान सम्पन्न हो गया तो पता नहीं क्या पहाड़ टूट जाएगा। इनको तो इस बात की पड़ी थी कि नकली दवाइयों में पैसा कैसे खाया जाएं। नकली कम्पनियों से कैसे मिल करके +++ करोड़ों रुपये वसूल करें। इन नकली कम्पनी की दवाइयों वालों से मिल कर कृषि मंत्री ने करोड़ों रुपये...

**श्री महेश जोशी** (उप मुख्य सचेतक) : क्या आपसे इन्होंने आज्ञा ली है कृषि मंत्री पर आरोप लगाने की।

**श्री हीरालाल विश्नोई** : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल गलत आरोप लगा रहे है। (व्यवधान)

---

+++ नाम अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

**श्री रामस्वरूप** : यह कह रहे हैं करोड़ों रुपये वसूल किये। यह जब मंत्री थे तब इन्होंने करोड़ों रुपये वसूल किये थे। (व्यवधान)

**श्री घासीलाल मेघवाल** : यह बिलकुल सदन को गुमराह कर रहे हैं।

**श्री रामस्वरूप** : +++ (व्यवधान)

**श्री हीरालाल विश्नोई** : इसको निकाला जाए...(व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** : किसको निकालोगे ? ...(व्यवधान)

**श्री घासीलाल मेघवाल** : उपाध्यक्ष महोदय, इनकी तो असत्य बोलने की आदत बन चुकी है। (व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** : उपाध्यक्ष महोदय, इनकी तो असत्य बोलने की आदत बन चुकी है। (व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** : नकली कम्पनियों से मिल करके ...(व्यवधान)

**श्री घासीलाल मेघवाल** : उपाध्यक्ष महोदय, इनकी असत्य बोलने की आदत बन चुकी है। यह तो 452 के मुल्जिम हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : +++ नाम एक्सपंज कर दो।

**श्री राजेन्द्र चौधरी** : यह जो आरोप लगाया है इसको एक्सपंज करवाए।

**श्री रामस्वरूप** : सदन की कार्यवाही से निकाली जाए यह एक करोड़ रुपये वाली बात।

**एक माननीय सदस्य** : इससे निजात दिलाइये...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : बैठो न, हो गया। (व्यवधान) आप बिराजो।

**श्री घासीलाल मेघवाल** : इसको सदन की कार्यवाही से निकाल जाए जो असत्य आरोप लगाया है।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बैठो, बिराजो। माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

**श्री मदन दिलावर** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा हाड़ौती का किसान रो रहा है, उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं। शाहबाद की एक महिला ने तो इस परेशानी में आकर नशीली दवा पी कर आत्महत्या करली। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा क्या कह सकता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री रामप्रताप।

**श्री मदन दिलावर** : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप विराजिये, बस। श्री रामप्रताप। (व्यवधान) समाप्त कीजिए।

**श्री रामस्वरूप** : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार ने डीजल महंगा कर दिया, मिट्टी का तेल महंगा कर दिया, आग महंगी कर

---

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रामस्वरूप)

दी दिल्ली सरकार ने और किसानों को मार दिया दिल्ली सरकार ने। (व्यवधान) अटल बिहारी वाजपेयी जो इनके बैठे हुए है ... (व्यवधान) अन्याय किया है उनके साथ।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री रामप्रताप।

**श्री रामस्वरूप** : और किसान विरोधी सरकार जो दिल्ली में बैठी है उसने सत्यानाश कर दिया किसानों का। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : टाइम बढ़ाना चाहते हैं। आर्डर-आर्डर, टाइम बढ़ा रहे हैं।

# सदन की कार्यवाही

## विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

**श्री महेश जोशी** (उप मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटे के लिए और बढ़ा दिया जाए।

**श्री उपाध्यक्ष** : आधा घंटे से क्या भराई होती है ? कुछ नहीं होगा आधे घंटे से। एक घंटा तो बोलो कम से कम।

**श्री महेश जोशी** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए।

**श्री उपाध्यक्ष** : एक घंटे के लिए सदन का समय बढ़ाया गया। (व्यवधान) श्री रामप्रतापजी। आप बिराजें प्लीज।

**श्री मदन दिलावर** : एक मिनट।

**श्री उपाध्यक्ष** : कोई एक मिनट नहीं, हो गया बस। आप बोलने दीजिए उनको। आधा घंटे से एक घंटा किया है खतम। इसलिए खतम हुआ सब। बिराजो प्लीज। श्री रामप्रतापजी।

# शासकीय वक्तव्य

## राज्य में सोयाबीन की फसल पर इल्ली का प्रकोप

**श्री मदन दिलावर** : मैं ऐसे लोगों की सूची लाया हूं ...(व्यवधान) आत्महत्या करके मर गये। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : बहुत दुःखी हो चुके हम लोग सदन के अंदर ...

**श्री उपाध्यक्ष** : आपका तो मरना-जीना...

**श्री मदन दिलावर** : और यह नकली जैविक खाद है, यह +++ क्यों बिकवा रहे हैं ? मैं एक बहुत बड़ी सूची लाया हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बैठिये प्लीज। आप बैठिये-बैठिये।

**श्री मदन दिलावर** : इस राजस्थान की सरकार के काले कारनामों के कारण सैकड़ों लोग आत्महत्या करके मर गये।

**श्री उपाध्यक्ष** : बैठिये आप। एक्सपंज, बंद कर दो इसको। एक्सपंज, बैठिये। माननीय सदस्य विराजिये। श्री रामप्रतापजी।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

**श्री हीरालाल विश्नोई** : इनके हाथ से लिया जाए, उसमें कोई नाम नहीं है। (व्यवधान)

**श्री घासीलाल मेघवाल** : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या केसों की सूची लाये हैं। क्या कि इस सूची में कितने केस हैं, कितने मुकदमे दर्ज हैं ? (व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** : XXX

**श्री रतनाराम चौधरी** : (व्यवधान) 1800 रुपये क्विंटल था और अब 900 रुपये में बिक रहा है। (व्यवधान) भारत सरकार को ही दिया जाए।

**श्री मदन दिलावर** : XXX

**एक माननीय सदस्य** : भूख और प्यास के कारण...(व्यवधान)

**श्री रतनाराम चौधरी** : सब दुःखी हैं। किसानों की जो फसल है, (व्यवधान) किसान को फसल के भाव नहीं मिलने के कारण और किसानों...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : रामप्रतापजी। (व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** : XXX

**श्री रतनाराम चौधरी** : तेल बहुत महंगा बिकने लग गया। यह सेन्ट्रल गवर्नमैंट की देन है। यह इण्डिया की गवर्नमैंट की देन है।

**श्री मदन दिलावर** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : यह बोलेंगे तो वह बंद हो जाएंगे। डा. रामप्रतापजी बोलेंगे तो वह बंद हो जाएंगे।

**श्री मदन दिलावर** : XXX

**श्री रामस्वरूप** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन भा.ज.पा वालों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। दिल्ली सरकार किसान विरोधी बैठी हुई है। (व्यवधान) न तो राजस्थान को बिजली दी है और उन्होंने डीजल के भाव बढ़ाये हैं। (व्यवधान) मिट्टी के तेल के भाव बढ़ाये हैं, खाद के भाव बढ़ाये हैं...(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : कहते हो भाव तो कम कर दिये।

**श्री रामस्वरूप** : यह बोलते हैं, किसान के हिमायती बनते हैं। दिल्ली की सरकार ने सारे भाव बढ़ाये हैं। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : डीजल के भाव किसने बढ़ाये, डीजल के ? (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : ...नारा देने वाले, विदेशों से तेल मंगवा कर भट्टा बैठा दिया इन्होंने। तेल मंगवा कर किसानों का भट्ठा बैठा दिया इन्होंने।

**श्री मदन दिलावर** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

**एक माननीय सदस्य** : आपके आदेश को यह माने नहीं, समय की यह पालना करे नहीं...(व्यवधान)

---

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री रामप्रतापजी, कृपया करके प्लीज बोले।

**एक माननीय सदस्य** : यह पूरा सदन दुःखी हो चुका।

**श्री रामस्वरूप** : इस सदन में कोई नियम भी है कि नहीं, उपाध्यक्ष महोदय ? (व्यवधान) लगातार बोलते चले जा रहे हैं। आप लगातार मना कर रहे हो और यह बोलते चले जा रहे हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : दिलावरजी विराजिये। माननीय दिलावरजी, प्लीज कोआपरेट कीजिए।

**श्री मदन दिलावर** : XXX

**श्री रामस्वरूप** : उसके बावजूद भी सदन के नियम को भंग कर रहे हैं। +++

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री रामप्रतापजी।

**श्री रामप्रताप** (हनुमानगढ़) : माननीय कृषि मंत्रीजी, निश्चित तौर पर मैं आपका बहुत मान व सम्मान करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : एक्सपंज हो गया। आर्डर, आर्डर।

**श्री रामप्रताप** : अभी माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने कुछ स्पष्टीकरण मांगा था। आपने फरमाया कि अखबारों से राज नहीं चलता। निश्चित तौर पर नहीं चलता लेकिन प्रजातंत्र जरूर चलता है। हमें उनका भी मान और सम्मान करना चाहिए। अकेले राजस्थान में ही नहीं, पूरे हिन्दुस्तान में रासायनिक खाद का अधिक इस्तेमाल होने के कारण और असंतुलित इस्तेमाल होने की वजह से भूमि की उर्वरा शक्ति घटती जा रही है। इस बात से चिंतित होकर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार ने जैविक खाद की उपयोगिता के लिए उस पर अनुसंधान किये और उसके नतीजे बहुत ही उत्साहवर्धक निकले। क्योंकि रासायनिक खाद महंगी होने की वजह से और यह खाद सस्ती होने की वजह से और इससे आउटपुट कई गुना बढ़ जाता है, इसलिए इसको प्रोत्साहन देने के लिए जैविक खाद के ऊपर 50 परसेंट की सब्सिडी दी गई। आप लिख नहीं रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। यह तो आपकी जानकारी में होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 10-11 कम्पनियों को इसके लिए अधिकृत किया गया। उनमें से मैं आपको बताना चाहता हूं कृभको, नेफेड, एन.एफ.एल., जी.एस.एफ.सी. और जयपुर बायो केमिकल्स, इसके साथ में पांच-सात और हैं। इनको निर्देश ये दिये गये थे, राज्य सरकार ने यह लिखा, मैं दो लाइने पढ़ कर सुनाता हूं आपको जैविक खाद

**(18:00 बजे)**

निर्माताओं द्वारा अपने विक्रय तंत्र के माध्यम से जैविक खाद उपलब्ध कराई जाएगी

---

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रामप्रताप)

और कृषि विभाग के कर्मचारियों का दायित्व है कि वे सारे काम को देखेंगे। किसानों को मोटिवेट करने का काम होगा। उपाध्यक्ष महोदय, आज के 4–5 महीने पहले जब मैं मेरे क्षेत्र में जा रहा था, रेलगाड़ी में जब मैं ऊपर सोया हुआ था तो नीचे दो आदमी इस बारे में चर्चा कर रहे थे, इस जैविक खाद के पेटे। इसको कृपया आप ध्यान से सुने, किसानों का मामला है। जयपुर के पास में जयपुर बायो कल्चर फैक्ट्री है, वह करोड़ों रुपये कमा रही है। न वहां कोई इस किस्म का काम होता है, सिवाय इसके कि मिट्टी पैकिंग करके किसानों को देते हैं और सब्सिडी खा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद में मैंने मेरे स्तर पर प्रयास किये। जानकारी करने पर जो बात मैंने उनसे सुनी थी, उसमें काफी सत्यता निकली। आपके केन्द्र से एक अधिकारी आये, शायद उनको भी यह जानकारी मिली होगी। उन्होंने उस फैक्ट्री का जाकर निरीक्षण किया राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ में। उस अधिकारी की टिप्पणी है डा. डी. कुमार की। शुरू में जब ये लोग गये तो आपके यहां से अधिकारियों ने उस फैक्ट्री के मालिक के लड़के को टेलीफोन किया कि आपके यहां पर अमुक–अमुक अधिकारी निरीक्षण करने आएंगे। उसके बाद में डा. डी. कुमार यहां के 4–5 अधिकारियों के साथ में जब मौके पर गये तो वहां जाकर 2–3 अनशिक्योर्ड लेबर उनको मिलती है, एक चौकीदार मिलता है जिसने उनको जवाब दिया कि आज की तारीख में काम नहीं हो रहा है। फैक्ट्री के ताला लगा हुआ है, चाबी मेरे पास नहीं है। किसी तरह से वे अधिकारी अंदर घुसे, घुसने के बाद में उन्होंने देखा कि जितनी सप्लाई यह फैक्ट्री दे रही है, राजस्थान के अंदर जो लक्ष्य दिये गये हैं उसके हिसाब से इसकी क्षमता नगण्य है। बायो फर्टिलाइजर पैदा करने के लिये जो–जो बातें उसमें चाहिए, वह उसमें एक भी नहीं है। अन्त में जो उन्होंने राज्य सरकार को लिखा है, मैं पढ़कर सुनाता हूं।

It is submitted for information and necessary action on priority by taking the steps against this firm. In this regards, it is also suggested that the subsidies and dealings with the firm, under bioculture scheme, should be immediately stopped. यह उस केन्द्र से आये हुए अधिकारी ने आपके राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ में पत्र लिखा है और यह टिप्पणी की है। माननीय कृषि मंत्रीजी मेरी बात को ध्यान से सुने, आप इसमें बाद में बताना। Action taken in this regard is likely to be solicited to convey the Ministery of Agriculture and N.B.D.C., Gaziabad for further necessary action please. यह इस किस्म की...

**श्री खेतसिंह राठौड़** : डेट आप बता दीजिये।

**श्री रामप्रताप** : आप चिन्ता मत करें। जो आप पूछना चाहते हो और जो शंका है वह मैं निवेदन कर दूंगा, आप कृषि मंत्रीजी, आराम से बैठो। जो आपके मन में, दिमाग में है मैं बिलकुल क्लियर कर देता हूं। यह अगस्त, 1998 की है। आप इस बात को लेकर मत घबराए। मैं कहां छुपा रहा हूं। आप मेरे को बात पूरी नहीं करने देते है, उससे पहले ही बोल देते हो। अगस्त, 1998 में इस अधिकारी ने पत्र लिखा। पत्र लिखने के बाद में आपने इस पर क्या कार्यवाही की; यह आप अपने जवाब में बताने की कृपा करें। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कृभकों और इफ्को जैसी पूरे हिन्दुस्तान में गुणवत्ता की दृष्टि से जो कम्पनियां है और इस टिप्पणी के आने के बाद में लगातार तीन सालों में जो आपने टारगेट दिये हैं, माननीय कृषि मंत्रीजी, यह भी ध्यान से सुन लेना आप।

**श्री तैय्यब हुसैन** : मैंने सारा सुन रखा है।

**श्री रामप्रताप** : सुन नहीं रखा है। यदि सुन रखा है तो फिर आपके क्या किया इसके अंदर ? जो आपने टारगेट्स दिये हैं।

**श्री तैय्यब हुसैन** : हम किसी के टारगेट्स फिक्स नहीं करते इसलिए आप मेहरबानी करके जो फैक्चुअल पोजिशन है उसे सही कहिये। हम किसी कम्पनी के टारगेट्स फिक्स नहीं करते।

**श्री रामप्रताप** : सब्सिडी देते हो न? सब्सिडी देते हो कि नहीं देते हो ?

**श्री तैय्यब हुसैन** : वह हमारी तरफ से नहीं है, ओपन मार्केट में चीज मिलती है। मैं समझता हूं माननीय सदस्य, हनुमानगढ़ से आने वाले इतने सीनियर आदमी हैं, बात वह कहे जो सही है।

**श्री रामप्रताप** : उपाध्यक्ष महोदय, वह चीज जो आपने उनकी जांच की है, मानक और अमानक पाये गये, वह मैं आपको उद्धत कर देता हूं। उससे आप अंदाजा लगा लेना कि इनको आपने अलाट किये कि नहीं किये।

उपाध्यक्ष महोदय, 1998-99 में 10,82,972 पैकेट इन्होंने वितरित किये थे उसमें 262 की जांच हुई और 57 अमानक पाये गये। आपने पैकेट दिये उनकी संख्या लिख रखी है। इसी तरह से 1999-2000 में जयपुर बायो फर्टिलाइजर्स को आपने 9,85,800 दिये और एन.एफ.एल. को 79,085 दिये। कृभकों और नेफेड जैसी जो कम्पनियां है उनको एक को 1,25,000 दिये, दूसरी को 1,08,000 दिये। इसी तरीके से आपका 2000-2001 का है। उपाध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर तीन साल में इस जयपुर बायो-फर्टीलाइजर्स के कम से कम 30 लाख

(श्री रामप्रताप)

पैकेट इन्होंने किसानों में वितरित किये हैं, 30 लाख पैकेट वितरित करने के बाद अगर आप प्राइमाफेसी देखें आप डीपली नहीं भी जाए इसके अंदर, तो सीधे तौर पर इसके पैकेट की जो कीमत है उसका 50 परसेंट सब्सिडी है। कृभको और इफ्को जैसे सेमी गवर्नमेंट प्रतिष्ठान हैं उनकी रेट थी साढ़े आठ रुपये प्रति पैकेट और इस जयपुर बायो फर्टीलाइजर्स की रेट ग्यारह रुपये है। यानि इसको सब्सिडी देनी पड़ती है। साढ़े पांच रुपये और उनके पैकेट पर सवा चार रुपये देनी पड़ती है। सवा रुपये प्रति पैकेट सब्सिडी का फर्क और अगर 30 लाख पैकेट दिये जाए तो 40 से 45 लाख रुपये तो आपके सीधे तौर पर बनते है। अगर गुणवत्ता सही हो तो भी।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ आप कह रहे हैं कि हमें टारगेट नहीं दिये गये। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत-सी जगह इस कम्पनी ने क्या किया ? जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया कि कृषि अधिकारी की किसी भी स्तर पर इस माल को बेचने से कोई लेना-देना नहीं होगा, इसके बावजूद आपके चित्तौड़गढ़ के अधिकारी ने डायरेक्टर एग्रीकल्चर को पत्र लिखा है कि किस तरीके से चित्तौड़गढ़ के कृषि अधिकारी ने दबाव देकर नीचे के कर्मचारियों से यह माल बिकवाया और कृषक हिस्सा उन्होंने वसूल किया। अगर आप चाहे तो मैं पत्र को पढ़कर सुना दूं, नहीं तो आपके पास भी होगा।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : आप तो फरमा दें।

**श्री रामप्रताप** : फरमाना क्या, बात तो सुनने से ही काम चलेगा। फरमाने से क्या ठंड पड़ेगी।

श्रीमान् निदेशक महोदय, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर। विषय श्री हरखलाल जैन, सहायक निदेशक, कृषि विस्तार, चित्तौड़गढ़ द्वारा श्रीमान् निदेशक, कृषि, जयपुर के लिखित आदेशों के विरुद्ध खरीफ 1999-2000 में अनुदानित दरों पर जैविक खाद विक्रय में फर्जीवाड़ा, भ्रष्टाचार, धोखा-धड़ी, हेराफेरी एवं धांधली आदि की समुचित प्रशासनिक कार्यवाही हेतु शिकायत।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना गंभीर मामला है, कृषि विभाग के अधिकारी ने यह बात लिखी है। कृषि मंत्रीजी शायद किसी और बात में मशगुल हैं यह आपके कृषि विभाग का अधिकारी है, न कोई पत्रकार है, न ही कोई केन्द्र सरकार का अधिकारी है जिसने विस्तार से लिखा है कि किस तरह से आपके विभाग के कर्मचारियों ने किसानों को पैकेट दिये या नहीं दिये, यह भी जांच का मुद्दा है और उन लोगों से पैसे लिये हैं। उनको पैसे लेने का अधिकार क्या था जब आपने लिखित आदेश दे रखे हैं ? कृषको से कृषक राशि किस हैसियत से उन लोगों ने ली और इस हरखालाल जैन के पास में रखी यह आप स्पष्टीकरण करिये।

(श्री रामप्रताप)

यह पत्र मेरे पास में है। इस अधिकारी ने यह पत्र इतना गंभीर मानते हुए लिखा है। माननीय कृषि मंत्रीजी बाद में बात कर लेना, मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं कर रहा, मैं हकीकत बयान कर रहा हूं।

**श्री तैय्यब हुसैन** : सारी बात आराम से बताएं।

**श्री रामप्रताप** : बताऊंगा तब जब तवज्जोह देंगे। ऐसे बात का मजा नहीं आता है। आपका ध्यान जब तक आकर्षित नहीं होगा तब तक फायदा नहीं होगा।

माननीय कृषि मंत्रीजी तीन पेज का पत्र है। मैं कृषि अधिकारी जो हैं उसका नाम बता दूं, रघुराज सिंह कृषि अधिकारी, फसल, कार्यालय सहायक निदेशक, कृषि विस्तार, चित्तौड़गढ़। पत्र इन्होंने लिखा है 7.1.2000 को, आपके निदेशक महोदय को लिखा है। कृपया आप अपने जवाब में यह बताने का श्रम करें कि या तो इस अधिकारी को सजा दो कि यह झूठ लिखता है और आपके विभाग को बदनाम करता है। अन्यथा 7.1.2000 को इस किस्म का लिखने के बावजूद डाइरेक्टर स्तर पर क्या इसकी जांच की गई ? इसके साथ-साथ दो मुद्दे मैंने आपके सामने रखे कि कितने पैकेट इस आदमी को तीन साल में जयपुर बायों फर्टिलाइजर ने राजस्थान में बांटे। कृषि मंत्रीजी, आप सारी बात छोड़कर एक बात का जवाब दे देना कि इतना कुछ होने के बाद में, केन्द्र सरकार के अधिकारियों के लिखने के बाद में और आपके अधिकारी उसमें साथ में थे, उन दो-तीन के नाम गिना दूं, कोई छोटा अधिकारी नहीं था जो उनके साथ गए थे फिर भी उस के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होना या इस मामले को दबा देना, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर किस्म की अनियमितता है। अगर आप इसको सीरियसली लें तो पूरे राजस्थान के किसानों के साथ में एक किस्म का अन्याय किया गया है।

**श्री अमराराम** (धोद) : शुरू कब से हुआ ?

**श्री रामप्रताप** : इस गलत फहमी में ना रह्यो कि थे दूध का धोयेड़ा हो। मुद्दा किसान का है, अगर किसी ने गलती की है तो उसे फांसी पर लटकाओ, चाहे राज किसी का हो। कोई एतराज नहीं है इस बात पर। मैंने कहा न कुछ नहीं छिपाऊंगा, लेकिन यह 1998 से चल रहा हे।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, मंत्रीजी का जवाब सुन लीजिए।

**श्री रामप्रताप** : अगर आ ही बात समाप्त थे कराओगा तो फेर उससे फायदा क्या होगा ?

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं गलत बात कहां कह रहा हूं ?

**श्री रामप्रताप** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सब बात तथ्यों के आधार पर

(श्री रामप्रताप)

कर रहा हूं। जो केन्द्र से अधिकारी आएं हैं उनके साथ आपके अधिकारी गए हैं, एडिशनल डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, इन्पुट्स श्री पी.डी. शर्मा श्री कमलेश माथुर, एग्रीकल्चर आफिसर फर्टिलाइजर एण्ड श्री राजेन्द्र सिंह, असिस्टेंट एग्रीकल्चर आफिसर, फर्टिलाइजर These gentlemen visited the site at 11.00 a.m. on 6-8-1998 मैं नहीं छुपा रहा इस बात को। आपके इस किस्म के, इस स्तर के अधिकारी उसके साथ गए हैं इसके बावजूद तीन साल तक इस आदमी को काम दिया गया।

एक चीज का और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब यह मामला डाइरेक्टर स्तर पर चित्तौड़गढ़ से आया, शिकायत आई, तब निश्चित तौर पर आप तक आगे पहुंचा होगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सैक्रेटरी की टिप्पणी क्या थी इस फर्म के बारे में, कृपया यह बताने का श्रम करें। इतने सारे नमूने अमानत पाए जाने के बाद आपके विभाग के डाइरेक्शन हैं कि वह पूरा का पूरा बैच कैंसिल किया जाए, आपने कितने बैच कैंसिल किए, यह बताने का कष्ट करें।

अंत में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर बायो फर्टिलाइजर साल में करीब 10 लाख पैकेट बेचता था। बायो फर्टिलाइजर घूल ऊं कोणी बणे, माटी ऊं कोणी बणे, इसमें इंग्रेडिएन्ट्स होते हैं। यह इतने अधिकारियों ने देखा और लिखा है, गम्भीर विषय था, किसानों का मामला था, इस जयपुर बायो फर्टिलाइजर ने इतना माल तैयार किया तो इस माल के लिए इंग्रेडिएन्ट्स चाहिए, रा–मैटीरियल चाहिए, कृपया यह बताने का श्रम करें कि हर साल इस फर्म ने कितना रा–मैटीरियल किस–किस फर्म से खरीदा और क्या–क्या सबूत आपके पास हैं। इसके साथ में चित्तौड़गढ़ गंगानगर, भीलवाड़ा, जोधपुर अलग–अलग जगह पर वितरण किया तो वितरण करने के लिए किस ट्रक से माल को ले जाया गया ? क्योंकि मारुति वैन में तो ले जा नहीं सकते इतना सारा सामान। हजारों टन लेकर जाते हैं तो निश्चिय तौर पर उसके वहां से ट्रक लोड भेजा होगा, किसी ट्रांसपोर्ट कम्पनी के जरिए भेजा होगा। आप मुझें सबूत बता दें कि इस साल में इतना इस ट्रक के माध्यम से भेजा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्रीजी का...

**श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं)** : सारी फोर इण्टरप्शन। जयपुर बायोकेमिकल के मालिक कौन है, यह भी नाम बता दें जरा आप।

**श्री रामप्रताप** : नाम तो कोई गुप्ता होगा, मनै ठा कोणी, कुण है। मेरे को नाम से क्या लेना देना है, यह तो मंत्रीजी बताएंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान

(श्री रामप्रताप)

में भयंकर अकाल की स्थिति है और जैविक खाद का मामला, जिस तरह किसान बड़े हौसले के साथ प्रोत्साहित हो रहा था और सरकार के आने के बाद में 3 साल तक यह धंधा करता रहा और आज की तारीख में करता आ रहा हूं, इसमें निश्चित तौर पर करोड़ों रुपयों का घपला है। अगर डाइरेक्टर स्तर पर यह बात हुई है और इस पर कार्यवाही नहीं की गई तो डाइरेक्टर निश्चित रूप से दोषी है। उपाध्यक्ष महोदय, इससे आगे अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सैक्रेटरी ने कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की और कार्यवाही के लिए नहीं लिखा तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाए। अगर इससे ऊपर के स्तर का कहीं मामला है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान के किसानों का मामला है। इधर हम एक-एक बूंद पानी के लिए तरस रहे है, सबसे बड़ा इनपुट पानी है, वह हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। किसान मेहनत करके अपनी चीज पैदा करता है, इसके साथ इतना बड़ा अन्याय हो तो मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं, कृषि मंत्रीजी, आप हिम्मत दिखा कर इसकी सीरियसली जांच करवाएं और जो, भी जिस स्तर पर अधिकारी दोषी हो, चाहे कोई और आदमी दोषी हो, उसको सख्त से सख्त सजा मिले जिससे पूरे राजस्थान के किसान में एक विश्वास पैदा हो। अन्यथा उसका विश्वास टूट जाएगा। मरेगा नहीं वह मरता तो वह भगवान से भी नहीं है क्योंकि आज की स्थिति में वह न तो मरा हुआ है न जिन्दा है, बीच में लटक रहा है। मरेगा नहीं लेकिन उसका विश्वास हमें कायम करना चाहिए। कृषि मंत्रीजी, आपका मान और सम्मान राजस्थान में बढ़े, इस बात के लिए यह अत्यंत आवश्यक है क्योंकि शक की सूई चारों तरफ घूम रही है। छोटे लेवल पर यह मामला गड़बड़ नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह पूरा सदन, कृषि से संबंध रखने वाले, किसान से संबंध रखने वाले इस सम्माननीय सदन में बहुत-से लोग हैं, किसान के साथ इतना बड़ा अन्याय है, इसकी जांच सी.बी.आई. से होनी चाहिए, ये मेरी आपसे मांग है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) बहुत गम्भीर मामला हैं, तसल्ली से सुने। आर्डर प्लीज।

**श्री तैय्यब हुसैन** (कृषि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्राकृतिक प्रकोप है जो इल्ली का हुआ है। (व्यवधान) आप सुन लीजिए। तम्बाकू इल्ली का जो प्रकोप हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं.....

**श्री हेमन्त कुमार** (दीगोद) : मेरे यहां भी सोयाबीन पैदा होता है।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बिराजे। यह बोल लें, फिर पूछ लेना।

**श्री हेमन्त कुमार** : मेरे यहां भी सोयाबीन की फसल नष्ट हुई है, काफी नुकसान हुआ है। मेरी भी तो आवाज सुन लीजिए साहब, ऐसी क्या वजह है, ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं।

मैं सरकार का आभारी हूं कि मुख्य मंत्रीजी और कृषि मंत्रीजी मेरे वहां पहुंचे। लेकिन थोड़ी देरे से पहुंचे, समय पर जो राहत मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पाई। मेरा एक निवेदन है कि दाना डिफैक्टिव रहा है, अभी तक समर्थन मूल्य पर करीब 5 प्रतिशत खरीद रही है सरकार दाना डिफैक्टिव है, 20 प्रतिशत भी अगर डिफैक्टिव दाना है तो मैं सरकार से मांग करता हूं जैसा मैंने सुना, सरकार ने इसके लिए लिखा भी है कि 20 प्रतिशत दाना अगर सोयाबीन का खराब है तो उसका सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदे।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) आर्डर आर्डर, आप सुनें तो सही।

**श्री तैय्यब हुसैन** : उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह माननीय सदस्य ने अभी कहा, उसके बारे में आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने 21.10.2000 को चिट्ठी लिखी कि जिस तरह से पंजाब और हरियाणा में धान के ऊपर इस तरह से कर रहे हैं, यहां पर इल्ली से जबर्दस्त नुकसान हुआ है, उसमें वह रियायत दी जाए। हम केन्द्रीय सरकार से लगातार सम्पर्क में है, यह चिट्ठी हमने उनको लिखी है। नुकसान हुआ है, नुकसान इल्ली का तो है ही उसके साथ पानी की कमी के कारण खुश्की की वजह से फसल पर असर पड़ा है इसलिए दाना कमजोर हुआ है।

**सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत** (खानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी से पूछना चाहती हूं कि जिसके यहां नुकसान हुआ है, जिसके यहां कुछ भी नहीं बचा उसे आप क्या देंगे ?

**श्री तैय्यब हुसैन** : जरा सुने तो मैं बताता हूं।

**सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत** : हमारे यहां तो आप पहुंचे ही नहीं। हेमन्तजी तो आपका आभार व्यक्त कर रहे है, पर हम किसका आभार व्यक्त करें ? 10–10 बार आपके पास गये।

**श्री उपाध्यक्ष** : यहीं तो बता रहे है वे।

**श्री तैय्यब हुसैन** : हमारे डाइरेक्टर साहब 12 दिन रहे हैं कोटा डिवीजन में।

**सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत** : मैं झालावाड़ जिले की बात कर रही हूं।

**श्री तैय्यब हुसैन** : मैं भी जहां गया हूं वहां गया हूं। जरा सुन लीजिए। आप दो मिनट।

**श्री उपाध्यक्ष** : विराजिए।

**सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत** : मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आप मुआवजा तो दे देंगे।

**श्री तैय्यब हुसैन** : मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि इस सिलसिले में जो प्रोक्योरमैंट गवर्नमैंट आफ इण्डिया की तरफ से हो रही है, जिसको राजशीड प्रोक्योर कर रहा है, आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने 21.10.2000 को इसमें लिखा है कि इसमें रिलैक्सेशन दे और इसको हिसाब से खरीदे जिस तरह से धान पर पंजाब और हरियाणा ने दिया है। तो यह प्राकृतिक आपदा रही है, बड़ा नुकसान हुआ है। सरकार को पूरी हमदर्दी है किसानों के साथ और उसमें जितना पैसा था उसके अलावा दिया। आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने 40 लाख रुपया इस बात के लिए दिया कि सब्सिडी वगैरह जो हो सकती है उसको दिया जाए। इसके साथ–साथ सब्सिडी के अकाउंट में करीब एक करोड़ रुपया हुआ। दूसरा जहां तक मिनी किट्स वगैरह हैं अगली फसल के लिए करीब–करीब एक करोड़ के हमने वहां पर मिनी किट्स बांटे हैं ताकि लोगों को सहूलियत हो। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं समझता हूं यह इश्यू ऐसा नहीं है जिसको कि पोलिटिकलाइज करने की जरूरत हो। एक प्राकृतिक आपदा है। यह कोई पहले दफे नहीं हुआ। यह कहना कि वहां हम लोग शुरू से सचेत नहीं थे, सही नहीं है। हमने 19 तारीख को अखबार में दे दिया। और 20 तारीख को पत्रिका में यह छपा है कि यह बीमारी आ गयी है और उसका आप इलाज करें। उसका लगातार हम करते रहे।

**श्री हीरालाल** (किशनगंज) : अगर कर्मचारी सचेत होते तो यह इल्ली का प्रकोप आगे नहीं बढ़ता। लापरवाही की वजह से ही यह आगे बढ़ा और हमारी पूरी फसल नष्ट हो गई। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि जैसे ओलावृष्टि का मुआवजा दिया जाता है वैसे ही मुआवजा इल्ली प्रकोप वालों को दे तो काश्तकार को लाभ मिले, अन्यथा कोई लाभ नहीं है।

**श्री तैय्यब हुसैन** : जो माननीय सदस्य कह रहे हैं उनकी भावनाएं हैं, बिलकुल ठीक बात है, वे कोई बाहर से बोल रहे हैं, हम भी जो बात कह रहे है...

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मंत्रीजी, जो होना था वो तो हो गया, आप तो जो श्री रामप्रतापजी ने कहा उसका जवाब दे दो।

**श्री तैय्यब हुसैन** : मैं उसका भी दे रहा हूं। एक–एक बात का जवाब दूंगा।

उसमें जो मदद का सवाल है, माननीय प्रतिपक्ष के नेता यहां मौजूद है, वे भी किसानों के पूरे हमदर्द हैं, प्राकृतिक आपदा हनुमानगढ़ और गंगानगर में 1997 में आयी थी और राज सरकार ने भी लिखे व माननीय प्रतिपक्ष के नेता, जो उस वक्त मुख्य मंत्री भी थे उन्होंने भी सेंट्रल गवर्नमैंट को मुआवजे के बारे में लिखा। लेकिन उन्होंने मुआवजे की बात नहीं मानी। सूरत–ए–हाल यही है सैंट्रल गवर्नमैंट ने कहा है कि सी.आर.एफ. से इसकी मदद की जाए। सी.आर.एफ. में इस वक्त कोई पैसा है नहीं। इसमें हम तो

(श्री तैय्यब हुसैन)

कोशिश कर ही रहे हैं, मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, से भी निवेदन करूंगा कि इसमें मिलकर हम सब कोशिश करें ताकि किसानों को कुछ राहत मिल सके। यह मेरी कोशिश है, आपसे दरख्वास्त है। (व्यवधान)

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मैं आपसे यही जानकारी करना चाहूंगा, सोयाबीन की फसल में इल्ली के कारण से कितना नुकसान हुआ? टोटल नुकसान कितना हुआ और उसके अगेंस्ट में आपने सेंट्रल गवर्नमैंट से कितनी मदद मांगी है ?

**श्री तैय्यब हुसैन** : हमारे अपने आंकड़े जो हैं, वे तो एरिया के बारे में मैं बता चुका हूं, दूसरा गिरदावरी आ गयी है उससे असेस कर रहे हैं, उससे मिलाकर हम सेंट्रल गवर्नमैंट से उसकी दरख्वास्त करेंगे।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : अभी तो आपने केन्द्रीय सरकार से कोई मदद नहीं मांगी है ?

**श्री तैय्यब हुसैन** : सही बात है। केन्द्रीय सरकार ने तो पहले ही कह रखा है :

"However the Government of India has made the provisions for providing the assistance from C.R.F. for the losses caused by the insect incidence, and Government of Rajasthan has also moved for the purpose but there is no availability of funds for C.R.F. Head until 31.3.2001." जो स्थिति है उसे मैं न बढ़ा सकता हूं, न घटा सकता हूं। जो वास्तविक स्थिति है उसे मैं आपके सामने अर्ज कर देना चाहता हूं।

**श्री मानिक चन्द सुराना** : माननीय उपाध्यक्षजी, कैलेमेटी रिलीफ फण्ड में कोई रुपया भारत सरकार का नहीं है, यह बात जो आप कह रहे हैं वह सही है ?

**श्री तैय्यब हुसैन** : मैंने जो फैक्चुअल पोजिशन है...

**श्री मानिक चन्द सुराना** : कैलेमिटी रिलीफ फण्ड में रुपया हो या नहीं हो, केन्द्रीय सरकार अपने फण्ड से, अपने बजट से क्या देना चाहती है, क्या नहीं देना चाहती है वह बताइए आप तो।

**श्री तैय्यब हुसैन** : मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं आप यह बता दीजिए...

**श्री मानिक चन्द सुराना** : आप कोई मुआवजा किसान को 100 रुपया दीजिए, 200 रुपया दीजिए, 300 रुपया दीजिए, देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, यह बताइए।

**श्री तैय्यब हुसैन** : आप यह बता दीजिए...

**श्री मानिक चन्द सुराना** : हम तब बताएंगे जब हम सरकार में होंगे अभी आप बताइए।

**श्री तैय्यब हुसैन** : आप पूछ रहे हैं, जब आप सरकार में थे 1997 में तब हनुमानगढ़

(श्री तैय्यब हुसैन)

और गंगानगर में इतनी फसल नष्ट हो गई थी, वहां एक पैसा दिया हो तो मुझे आप बता दो।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : आप भी नहीं दोगे ?

**श्री तैय्यब हुसैन** : मैंने तो यह नहीं कहा आपने मुझसे यह कहलवाया। वरना मैं तो यह अर्ज कर रहा हूं कि जो सेंट्रल गवर्नमैंट का तरीका है...

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गंगानगर में जो काटन में नुकसान हुआ उसके लिए बजट में प्रावधान रखा गया था। बजट में प्रावधान रखा उसके बाद में आपकी सरकार आ गई और उसने एक पैसा नहीं दिया।

**श्री महेश जोशी** : बजट में प्रावधान रखने के बाद भी आप मुख्य मंत्री रहे, आपकी सरकार थी, उस वक्त आपने क्या दिया ?

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : यह नहीं कहा आपने दिया नहीं।

**श्री महेश जोशी** : आपने भी तो नहीं दिया, आप अपनी सरकार की तो बात स्वीकार करे।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मैंने बजट में प्रावधान रखा था और बजट में प्रावधान रखने के बाद...(व्यवधान) आप बजट में प्रावधान तो रख दो।

**श्री महेश जोशी** : बजट में प्रावधान के बाद कई महीने तक आपकी सरकार रही। (व्यवधान) आपके बस की बात नहीं, राजेन्द्रजी, बैठिए। (व्यवधान)

**श्री जगत सिंह दायमा** : इन्होंने नहीं दिया तो ये 30 पर आकर रुक गये, आप कितने पर आकर रुकोगे ? (व्यवधान)

**श्री मानिक चन्द सुराना** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि अभी दो दिन पहले जो सन् 2000–2001 की अनुपूरक अनुदान की मांगे पास करायी गई है उसमें 717–18 करोड़ का बजट प्राकृतिक आपदा, अकाल और बाढ़ का था। इस वर्ष भी अकाल का बजट एक हजार करोड़ से कम नहीं होगा। आप इस एक हजार करोड़ में क्या 200 रुपया प्रति बीघा भी रिलीफ जो 20 करोड़ से अधिक नहीं होगी, पूरे कोटा व बारां क्षेत्र के काश्तकारों को नहीं देना चाहते ?

**श्री तैय्यब हुसैन** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विवाद में नहीं पड़ते हुए हम केन्द्रीय सरकार से इस सिलसिले में बात करेंगे और उनसे यह सारी बात कहेंगे। (व्यवधान)

**श्री मानिक चन्द सुराना** : सिर्फ केन्द्रीय सरकार से बात करने से सरकार नहीं चलेगी, आप अपने कोष से भी कुछ करिए। अपने कोष से भी कुछ निकालिए। (व्यवधान)

**श्री तैय्यब हुसैन** : मैं यह अर्ज कर रहा था...

**श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई)** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने भी नहीं दिया और इन्होंने भी मुआवजा नहीं दिया। यह सरकार हमें सौंप दो हम घोषणा करते हैं एक हजार रुपये बीघा का मुआवजा देंगे। बिजली की बात हो, अकाल की बात हो, इल्ली के प्रकोप की बात हो, कटोरा लेकर खड़े हो जाते हैं कि बी.जे.पी. गवर्नमैंट ने सहायता नहीं दी है। हद कर रखी है आपने। बजट नहीं है तो क्यों सरकार चला रहे हो ?

**श्री तैय्यब हुसैन** : इस सिलसिले में... (व्यवधान)

**श्री यशवन्त सिंह (रामू)** : किसानों की बात आती है तो कहते हैं पैसा नहीं है हमारे पास। आप घोषणा करो, इस्तीफा दो। हम घोषणा करते हैं एक हजार रुपया बीघा देंगे। (व्यवधान)

**श्री तैय्यब हुसैन** : मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि इस सिलसिले में सरकार पूरी तरह से चिंतित है। मुआवजे के बारे में जो मैंने कह दिया...(व्यवधान) सरकार जितना भी...

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : कृषि मंत्रीजी, क्षमा करेंगे, आप अपना उत्तर पूरा करे रहे हैं, जो सवाल अनुत्तरित रह गया वह यह है कि बायो-केमिकल फर्टिलाइजर, जयपुर को आपने जो दवाइयां वितरित की...

**श्री तैय्यब हुसैन** : आप तशरीफ रखिए, राठौड़ साहब।

**श्री उपाध्यक्ष** : उन्होंने समाप्त थोड़े ही कर दिया।

**श्री तैय्यब हुसैन** : मैं दवाइयां पिछली सरकार जैसी नहीं बिकाऊंगा, यह मैं कह देना चाहता हूं। मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप तसल्ली तो करिये। क्योंकि मसला इल्ली का था, उस सिलसिले में मैं खुद भी गया...

**श्री मदन दिलावर** : राज्य सरकार की अकर्मण्यता के कारण पांच सौ करोड़ का नुकसान हाड़ौती में हुआ है, उसका मुआवजा दे रहे है या नहीं दे रहे है आप लोग ?

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय दिलावरजी।

**श्री मदन दिलावर** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे काश्तकार रो रहे हैं, पांच सौ करोड़ का नुकसान हुआ है, आज उनको भीख मांगने के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है, आपकी गलती है। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : वह एस.सी. के प्रधान भी तो +++ (व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** : उसको मुआवजा नहीं मिल रहा है। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : उनको भी बुलाकर पूछ लो उनके साथ क्या किया है आपने। आपने शक्ल देखी है इल्ली की कभी ? (व्यवधान)

---

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

**श्री मदन दिलवार** : आपके फर्जी कारनामों के कारण मेरे काश्तकारों को पांच सौ करोड़ का नुकसान हुआ है।

**श्री रामस्वरूप** : आपको प्रधान +++ (व्यवधान)

**श्री तैय्यब हुसैन** : क्या कह रहे है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : इल्लियों को भी राजनीति रास आ रही है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : उनका स्टेटमैंट दिलाऊं क्या उनको सुना तो सही, बाद में पूछ लेना।

**श्री रामस्वरूप** : अपने बेटों को पीटकर आये हो क्या ? हम इस सदन में शांति से बात कर रहे है। (व्यवधान) वह एस.सी. का प्रधान किसान का बेटा उसको पीटकर आये हो।

**श्री हीरालाल विश्नोई** : किसान के बेटों को पीटा और फिर किसानों के हितों की बात करते हो।

**श्री रामस्वरूप** : इल्ली को खतम करो, आप तो प्रधान को खतम करना चाहते थे।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, बिराजिये।

**श्री तैय्यब हुसैन** : मैं भी खुद वहां गया, 12 दिन वहां डाइरेक्टर साहब पूरी टीम के साथ रहे। माननीय मुख्य मंत्रीजी कोटा गये, उन्होंने भी इस सारे प्रकारण को वहां पर बैठकर रिव्यू किया। उन्होंने यह कहा कि जिस तरह से भी हो इन बीमारियों पर काबू पाया जाए, इस बारे में पैसा की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।

**श्री मदन दिलावर** : तभी तो पांच सौ रुपये की बजाए सौ रुपये आप लोगों ने दिये हैं।

**श्री तैय्यब हुसैन** : +++ इसलिए जरा आप तशरीफ रखे तो अच्छी बात है यह मसला है। दूसरा, क्योंकि आप भी कह रहे है, माननीय चूरू से आने वाले सदस्य ने भी कहा कि साहब, इसको बता दीजिये, यह इल्ली का तो हो गया।

**श्री जगत सिंह दायमा** : +++ इनको और निकालो।

**श्री तैय्यब हुसैन** : कोई बात नहीं है। पहले तो मैं अर्ज कर देना चाहता हूं जयपुर बायो फर्टिलाइजर के बारे में क्योंकि बहुत से लोगों के यह है कि यह है क्या, क्या बात है ? यह नहीं मैं तो बड़ा भारी आभारी हूं और धन्यवाद करता हूं डा. रामप्रताप को कि उन्होंने यहां यह मसला उठाकर मुझे यह मौका दिया कि मैं अपनी बात कह सकूं, इसलिए मैं तो धन्यवाद करता हूं। इसी कम्पनी की प्रोजेक्ट रिपोर्ट 10 अगस्त, 1995 को राज्य सरकार को दी गयी थी और यह एग्रीमैंट किया 27 जुलाई, 1996

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री तैय्यब हुसैन)

को...(व्यवधान) यह तीसरा कागज है जो कि डिपार्टमैंट की तरफ से इस बारे में विस्तृत जानकारी है और जिस डाक्टर का यहां पर जिक्र किया गया वह भी इसके साथ लगा हुआ है। ये तीनों कागज मैं सदन की मेज पर रखता हूं।

**श्री रामप्रताप** : नहीं, इस पर कार्यवाही क्या हुई ?

**श्री तैय्यब हुसैन** : तसल्ली रखिये न, आप पूछिये क्या पूछना है ? मैं बोल लूं, डाक्टर साहब मैं कोई इतना नरम नहीं हूं, मुझे यह खुशी है कि...

**श्री रामप्रताप** : नरम मत हो, हमें फख्र है, सख्त हो।

**श्री तैय्यब हुसैन** : ठहरिये तो, डाक्टर साहब, मैं बता रहा हूं आपको। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि जो वैसे ही उठाकर कहीं से चला आया। सियासी खानदान से हूं और आज से नहीं हूं। आज मुझे इस बात की खुशी है और अफसोस भी है कि मेरे 40 साल के कैरियर में आज इस प्रकार की बात किसी ने कही तो सही।

**श्री रामप्रताप** : आपका नाम किसने लिया है ?

**श्री तैय्यब हुसैन** : मैंने तो इसीलिए आपका, डाक्टर साहब धन्यवाद किया है। अब आप सुन लीजिये।

**श्री जगत सिंह दायमा** : वैसे भी मेवाती हूं।

**श्री तैय्यब हुसैन** : वह तो आप बता ही चुके है। तो पहली बार वह सारी कम्पनी यहां आयीं, जो राज्य सरकार ने एग्रीमैंट किया, ये सारे तीनों कागज में सदन की मेज पर रख रहा हूं।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : आगे चलिये।

**श्री तैय्यब हुसैन** : तसल्ली से चलिये जरा, क्योंकि पहली दफा मुझे यह लफ्ज सुनने को मिला है। कम से कम बात साफ हो जाए।

**श्री अमराराम** (धोद) : तैय्यब साहब, इस कम्पनी में गड़बड़ है या नहीं है ?

**श्री तैय्यब हुसैन** : नहीं, वह तो अब सामने बताएंगे, बात सुन लीजिये। कामरेड साहब, जरा सुनिये आप। पहली बात यह है कि हम किसी का खाद नहीं बिकवाते। यह सब डाक्टर साहब कह रहे थे, मेरे नोटिस में नहीं है। क्या है, किस तरह की बात है, उसे दिखवा लेंगे। दूसरी बात यह है कि हम किसी की भी, कानून के मुताबिक किसी की कीमत मुकर्रर नहीं करते चाहे कोई अपने प्रोडक्ट को कितने में ही बेचे। हम सब्सिडी सब को बराबर देते हैं, यहां सब्सिडी में कोई फर्क नहीं है। चाहे कोई अपना प्रोडक्ट 30 रुपये में बेचे तो हमारे यहां जो प्रेस्क्राइब्ड है उसको दी जाएगी। उसमें कोई इस तरह का नहीं है, उसको सब्सिडी पूरी देंगे। कभी टारगेट किसी को यह नहीं दिये जाते कि

(श्री तैय्यब हुसैन)

आप फलां कम्पनी का खरीदियें। दूसरा, जो भी आपके यहां इस मसले में इस कम्पनी के ताल्लुक से पालिसियां चल रही थी पुरानी सरकार की, उनमें तैय्यब हुसैन ने तो कहीं कलम टेकी नहीं है। मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि डाक्टर साहब आ जाएं, डाक्टर रामप्रताप देख लें कागज और जो रामप्रताप कहेंगे वह सामने आ जाएगा। मैं यह अर्ज करता हूं कि डाक्टर रामप्रताप आकर सारे कागज देख लें, जो भी हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूं ओरिजिनल आदमी है। चाहे तो प्रतिपक्ष के नेता महोदय देख लें।

**श्री हफीज मोहम्मद** (मांडल) : मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, आप यह क्यों नहीं कहते कि इनके टाइम एग्रीमैंट हुआ था, इनके टाइम में दवाएं लेने की बात थी ? आप साफ साफ क्यों नहीं कह देते हो ? (व्यवधान) कि यह एग्रीमैंट 1998 में इनके द्वारा किया गया है, जब से यह दवाएं दे रहे हैं। कांग्रेस गवर्नमैंट उस वक्त नहीं थी। (व्यवधान)

**श्री तैय्यब हुसैन** : सुनिये जरा।

**श्री हीरालाल विश्नोई** : बताइये, इन्होंने गलतियां की थीं। (व्यवधान)

**श्री तैय्यब हुसैन** : ये तीनों कागज आन द टेबल आफ द हाउस रख दिये।

**श्री हफीज मोहम्मद** : नहीं, आप तो स्पष्ट बताइये कि यह बेइमानी, भ्रष्टाचार किसने किया ? सदन यह चाहता है आपसे।

**श्री तैय्यब हुसैन** : जो भी तथ्य थे वे मैने सब के सामने रख दिये है। उसमें जो भी है। (व्यवधान)

**श्री अमराराम** (धोद) : उनमें तथ्य क्या हैं ? (व्यवधान) वह कम्पनी बना ही नहीं सकती। चाहे आपके राज में हुआ है, चाहे आपके राज में हुआ है (व्यवधान) आपने कलम नहीं टेकी। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, जितने बैग सब्सिडी पर लिये हें उतने यह कम्पनी बना ही नहीं सकती, चाहे आपके राज में फ्राड किया हो, चाहे आपके राज में किया हो।

**श्री तैय्यब हुसैन** : सुनिये आप।

**श्री अमराराम** (धोद) : आपने जितने कट्टे रखे हैं उनमें किसने फ्राड किया है, यह जानना चाह रहे हैं हम तो।

**श्री तैय्यब हुसैन** : जरा सुन ले आप। यह जो बात डाक्टर साहब ने कही है कि आप ये ये चीजें चैक करा लें कि कहां से रा-मैटीरियल लाये, कहां से बेचे, बिजली का कंजम्पशन हुआ या नहीं हुआ, ये सारी चीजें ए टू जैड चैक करायी जा चुकी है और वे सारी सही पायी गयी हैं। समझ गये। आप भी आकर देख लें साहब इस कम्पनी का मुआयना हुआ सिर्फ 28.9.1998 को और इस कम्पनी में हमारे वरिष्ठ अधिकारी 1999-2000 में गये, 19.8.1999, 27.8.1999, 2.9.1999, 9.9.1999, 15.9.1999,

(श्री तैय्यब हुसैन)

23.9.1999, 19.10.1999, 2000 में अब तक किये यह भी सुन लीजिये। 28.4.2000, 10.5.2000, 24.10.2000, 8.6.2000, 26.6.2000, 10.7.2000, 1.9.2000, 17.10.2000 और 4.11.2000 इतने इतने मुआयने इस कम्पनी के हमने अपने सीनियर अधिकारियों को भेजकर कराये।

**श्री अमराराम** (धोद) : एक भी अमानक नहीं मिला, सब मानक मिल गये ? अगर इतनी सही थी तो इतनी दफे जाने की कहां जरूरत थी ?

**श्री तैय्यब हुसैन** : नहीं, अमानक मिले हैं। कौन कह रहा है मिक अमानक नहीं मिले ? सवाल इस बात का है कि हमने यह कर दिया। इसलिए गये कि जो बैच बनता है, हर बैच को फैक्ट्री से बाहर निकलने से पहले चैक करते हैं। वह अगर अमानक पाया जाए तो पूरे लांट को रिजैक्ट करते हैं।

**श्री अमराराम** (धोद) : कोई निरस्त हुआ है क्या ? कितने हुए हैं, वह बता दें ? कितने लाट निरस्त किये हैं ?

**श्री तैय्यब हुसैन** : बहुत ज्यादा हुए हैं निरस्त।

**श्री हीरालाल विश्नोई** : आप इतनी बार करने गये इसलिए आपको शंका थी। आपको कोई ऐसी शंका थी इसलिए आपने इतनी बार इंक्वायरी करायी। एक बार भी वह नहीं रहा ?

**श्री तैय्यब हुसैन** : ये रहा, अब सुन लीजिये। इसमें जो नमूने तय हुए, तय कराये गये उनके मैं परसेंटेज अर्ज कर दूं कि जो इन्होंने किये। इनके नैफेड के, कृभको के एन.एफ.एल. के जयपुर फर्टिलाइजर के, इनमें भी जयपुर फर्टिलाइजर के औरों के मुकाबले में कम परसेंटेज में रिजैक्ट हुए हैं। आंकड़ों की बात तो हो गयी। चूंकि कागज मैंने सदन की मेज पर रख दिये हैं, आप पढ़ लें जो भी माननीय सदस्य डा. रामप्रताप के अलावा जो कागज, यही नहीं, एग्रीकल्चर के महकमे का कोई भी कागज कोई माननीय सदस्य देखना चाहे तो उनका स्वागत है। अगर एक चीज भी कहीं पायी गयी तो न सिर्फ इस्तीफा दे दूंगा, पोलिटिक्स से भी रिटायर हो जाऊंगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय श्री राम किशन जी वर्मा।

**श्री रामस्वरूप** : अब तो इस्तीफा देने की बात कह दी, अब क्या कहना चाहते हो ? माननीय मंत्रीजी ने सब कुछ कह दिया, एक भी गलती निकाल दो तो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, और क्या चाहते हैं आप उनसे ? निकालो आप एक भी भ्रष्टाचार किसी प्रकार का। (व्यवधान)

**श्री रामप्रताप** : मैं दो बात पूछना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

**श्री रामस्वरूप** : उपाध्यक्ष महोदय, इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गये वे। (व्यवधान) और क्या चाहते हैं आप उनसे ?

**श्री उपाध्यक्ष** : बिराज़ो न। उन्होंने कह दिया कि अगर आप साबित करेंगे तो इस्तीफा दे देंगे, और इससे ज्यादा आप क्या चाहते हो ? (व्यवधान)

**श्री तैय्यब हुसैन** : डाक्टर साहब सुबह 10 बजे आ जाएं, सारे कागज दिखा दूंगा। माननीय राठौड़ साहब भी आ जाएं, उनको भी स्वागत है। आ जाइये।

**श्री रामप्रताप** : सदन इस बात को जानना चाहता है, राजस्थान का किसान इस बात को जानना चाहता है, डाक्टर रामप्रताप इज नथिंग। क्या होता है डाक्टर राम प्रताप ? क्यों दिखाओ डा. रामप्रताप को ? प्रदेश का किसान इसको इस्तेमाल करता है। राजस्थान के किसी विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ में केन्द्र से आया हुआ एक उच्चाधिकारी, उसकी टिप्पणी होने के बावजूद आपने क्या कार्यवाही की ? आप कम से कम यह बता दे कि वहां से कितने ट्रक माल गया, कितने अमानक पाये गये बैच आपने निरस्त किये है ? एक भी नहीं हुआ। यह आपके विभाग का लिखा हुआ है।

**श्री उपाध्यक्ष** : बता दिया है उन्होंने। कह दिया है उन्होंने। (व्यवधान)

**श्री तैय्यब हुसैन** : डाक्टर साहब, यह कह तो दिया कि अगर बजाय इसके...

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर। आप कह रहे हैं हुआ। (व्यवधान)

**श्री रामप्रताप** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में...(व्यवधान)

**श्री तैय्यब हुसैन** : उपाध्यक्ष महोदय, If we want to play to the gallery then it is a different issue. But if we want to discuss to reach at the conclusive end you are welcome to come.

**श्री रामप्रताप** : तैय्यब हुसैन, मैं आपका सम्मान करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतनी गम्भीर टिप्पणियों के बावजूद एन.एफ.एल. कृभकों, इफ्को, इस किस्म के प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान हैं उनको कितना माल दिया गया और तीन साल में इसको कितना दिया गया जयपुर फर्टिलाइजर को। (व्यवधान)

**श्री तैय्यब हुसैन** : माल हम नहीं देते। यह गलतफहमी है कि हम माल देते है।

**श्री रामप्रताप** : रिकार्ड बता दें।

**श्री तैय्यब हुसैन** : प्राइवेट में खुद आदमी देखता है। हमने कोई...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : एक मिनट।

**श्री अमराराम** (धोद) : तैय्यब साहब, आपने कितने बैग्स पर सब्सिडी दी, यह तो आप बता दो।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, यह बात ये कह चुके कि माल हम नहीं देते हैं। आप बार बार कह रहे हैं।

**श्री रामप्रताप** : यह किसने कहा ? सब्सिडी जाती है।

**श्री अमराराम** (धोद) : ...माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सब्सिडी देते हैं, यह बात है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : बैठो न आप। आर्डर, आर्डर। आप बिराजें। (व्यवधान) आप बिराजे।

**श्री रामप्रताप** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र शब्दों में माननीय गृह मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि इतनी टिप्पणियों के बावजूद आपने एन.एफ.एल. कृभकों, इफ्को जैसे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों से तीन साल में कितना माल लिया और अकेल इस जयपुर फर्टिलाइजर से कितना लिया ? (व्यवधान)

**श्री तैय्यब हुसैन** : डाक्टर साहब, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप इतने पढ़े–लिखे आदमी हो, हम माल नहीं लेते। कम्पनी माल बेचती है, हम नहीं खरीदते।

**श्री रामप्रताप** : कितने कहां देते हो ? यह आप नहीं खरीद रहे हो, सब्सिडी कौन देता है ? (व्यवधान)

**श्री तैय्यब हुसैन** : यह बिलकुल गलत कहा है। (व्यवधान) आप चाहें तो खुद आकर देख लीजिये। (व्यवधान)

**श्री रामप्रताप** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बात यह नहीं है। माननीय मंत्रीजी समझने का प्रयास नहीं कर रहे है। (व्यवधान)

**श्री अमराराम** (धोद) : कितने बैग्स पर कृभको को सब्सिडी दी, एन.एफ.एल. को कितने बैग पर दी और जयपुर फर्टिलाइजर को कितने बैग्स की सब्सिडी दी है ? (व्यवधान) बात यह है।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बैठो न।

**श्री रामप्रताप** : यह मैंने कब कहा कि विभाग बेचता है ? विभाग सब्सिडी देता है। कितने पैकेज की सब्सिडी राज्य के कृषि विभाग ने दी ?

**श्री उपाध्यक्ष** : वे कहते हैं कि नहीं देते है।

**श्री तैय्यब हुसैन** : जो दी है नियमानुसार दी है, आन रिकार्ड दी है। जो कायदे के मुताबिक है वह दी है, नियमानुसार दी है। (व्यवधान)

**श्री अमराराम** (धोद) : कितने बैग पर दी है ?

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो बात की जानकारी करना चाहता हूं कि आपने 95 या 96 बताया कि इस फैक्ट्री से या कम्पनी से पिछली सरकार ने समझौता किया और समझौता करने के बाद में इसका बार–बार आपने इंस्पेक्शन किया। आपने एक इम्प्रेशन दिया इस हाउस में, किस आधार पर दिया वह मैं कह नहीं सकता पर उस फैक्ट्री ने गलत कार्यवाही की, जयपुर बायो फर्टिलाइजर ने गलत कार्यवाही की...

**श्री तैय्यब हुसैन** : कोई गलत कार्यवाही नहीं की और न ही मैंने यह इम्प्रेशन दिया है। मेरे हिसाब से तो सारी कार्यवाही सही है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : सही है ?

**श्री तैय्यब हुसैन** : बिलकुल। मैं कह रहा हूं। And I am strict to it what I have said.

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : बिलकुल सही है। बिलकुल सही हैं, आप बड़े दृढ़ आदमी हैं। मैं तो आपसे यही पूछना चाहता हूं कि आपने इसका नाम लेकर ये कागज पेश किये। सब कुछ हाउस में एक इम्प्रेशन दिया कि इस कम्पनी को पुरानी सरकार लायी और पुरानी सरकार के कारण से यह पनपी। इसलिए आपने कागज रख दिये, एक इम्प्रेशन भी दिया। आप यह भी कहना चाहते हैं कि इस फैक्ट्री ने चूंकि पुराने समय में गड़बड़ की थी।

**श्री तैय्यब हुसैन** : नहीं, मैंने नहीं कहा है यह।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : और आपके समय भी गड़बड़ नहीं की ?

**श्री तैय्यब हुसैन** : मैं तो यही कह रहा हूं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : ये दोनों बातें कह रहे हैं। मतलब ईमानदारी से पिछली सरकार के समय भी काम किया और अभी भी ईमानदारी से ही काम कर रही है।

**श्री तैय्यब हुसैन** : वह तो पिछली बार चैक करने वाले जानें। जब से हमने काम संभाला है, हमने तो और चौकसी बढ़ा दी है, और उसकी चौकसी कर रहे हैं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मैंने बताया न कि आपको कोई शिकायत नहीं है इस कम्पनी से ?

**श्री तैय्यब हुसैन** : नहीं। वह तो रिकार्ड की बात है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : नहीं नहीं, मैं रिकार्ड से नहीं कह रहा हूं। आपको कोई शिकायत नहीं है, न पहले से थी और न अब है ?

**श्री तैय्यब हुसैन** : मुझे पर्सनली किसी से कोई शिकायत नहीं है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : अब, उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह आता है कि आप यह कह रहे हैं कि हम यह खाद नहीं खरीदते हैं, इस खाद पर आप सब्सिडी देते हैं। हम यह जानकारी करना चाहते हैं कि इस कम्पनी के कितने खाद पर कितनी सब्सिडी दी है ? हम जानकारी यह करना चाहते हैं।

**श्री तैय्यब हुसैन** : वह तो जितने पैकेट बिके हैं उन पर दी है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : तो बताओ न कि कितने पैकेट बिके हैं ? यही है रिकार्ड।

**श्री तैय्यब हुसैन** : ईयरवाइज है।

**श्री अमराराम** (धोद) : इन सब को कितनी दी है और जयपुर फर्टिलाइजर को कितनी दी है ? (व्यवधान)

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : उपाध्यक्ष महोदय, ये बड़ी–बड़ी कम्पनियां हैं...

**श्री उपाध्यक्ष** : यह पूछ लिया न आप बैठो।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : अब इसमें तीन–चार आप बता दें तो सबसे बढ़िया, मैं समझता हूं आपकी तारीफ करूंगा इसी सदन में खड़ा होकर। आप मुझे यह बता दें कि नाफेड से, एन.एफ.एल. से, कृभकों से, इन बड़ी बड़ी कम्पनियों से, जो नामी कम्पनियां हैं हिन्दुस्तान की, जो फर्टिलाइज़र बनाती भी हैं और बेचती भी हैं, इन कम्पनियों से आपने कितना खरीदा ?

**श्री तैय्यब हुसैन** : हम नहीं खरीदते, साहब, मैं फिर कह रहा हूं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : नहीं, सब्सिडी।

**श्री तैय्यब हुसैन** : एक सैकण्ड में अर्ज कर दूं। आप बहुत सीनियर नेता है, सारी बात का आपको इल्म भी है। आपका जो अनुभव है वह अपना है। इसमें मैं अर्ज कर रहा हूं कि हम किसी का माल नहीं बेचते। जो भी कम्पनी माल बेचती है, जो हमारे जिलों के आफिसर हैं वे प्रमाणित कर दें कि इसने यह बेचा है तो उसको सब्सिडी रिलीज कर देते है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : यही तो हम पूछ रहे हैं।

**श्री तैय्यब हुसैन** : एक एस्टेब्लिश प्रैक्टिस है वह चल रही है।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप यह बता दीजिये न।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : यही हम पूछ रहे हैं कि आपने किस–किस कम्पनी को कितनी कितनी सब्सिडी दी ?

**श्री उपाध्यक्ष** : आपके पास इन्फार्मेशन है तो वह बता दीजिये, नहीं तो कह दो।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : किस–किस कम्पनी को कितनी–कितनी सब्सिडी दी ? यह क्वेश्चन है।

**श्री तैय्यब हुसैन** : जितनी भी दी है कम्पनीवार आपको भिजवा दूंगा।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : आज चाहिए, भिजवा क्या देंगे। आज का दिन है, सवाल तो इसी का है। (व्यवधान)

**श्री अमराराम** (धोद) : यही मुद्दा है घपले का। (व्यवधान) नैफेड, कृभको. एन. एफ.एल. से कई गुना ज्यादा सब्सिडी दी है जयपुर फर्टिलाइजर को। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : करोड़ों रुपये का घोटाला है। (व्यवधान)

**श्री अमराराम** (धोद) : यही मुद्दा है घपले का। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : बताइये आप। बताइये आप। (व्यवधान) आप इसका जवाब दीजिये, कृषि मंत्री महोदय, सब्सिडी कितनी दी ? सब्सिडी के नाम पर एक–दो नहीं करोड़ों रुपये का घपला हुआ है। शक की सुई आपकी तरफ जा रही है। (व्यवधान)

**श्री तैय्यब हुसैन** : मैंने आपसे कहा है कि आप आइये, देख लीजिये कि क्या हुआ

(श्री तैय्यब हुसैन)

घोटालों का...(व्यवधान) मैंने आपसे कहा है कि आप तशरीफ लाकर देख लीजिय, देख लीजिये। (व्यवधान)

**श्री अमराराम** (धोद) : हम क्या देख लें, आप तो इतना बता दो, अलग-अलग कम्पनियों को सालाना कितने बैगों पर सब्सिडी दी है ?

**श्री मदन दिलावर** : देखने से क्या होता है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर। आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज। आप बैठिये। (व्यवधान) बिराजिये, बिराजिये।

**श्री रामस्वरूप** : उपाध्यक्ष महोदय, अगर घोटाला हुआ है तो कर दो उजागर, क्यों डरते हो इनसे ? कर दो उजागार। इनके समय में भी घोटाला हुआ है इसका उजागर करो। (व्यवधान)

**(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन के वैल में आकर जोर-जोर से बोलकर व्यवधान)**

**श्री नगराज** : ...यह अखबार में आ गया है, उठकर ये बार-बार यहां आ जाते हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर।

**श्री नगराज** : इनका किसानों से कोई लेना-देना नहीं होता है। ये तो केवल अखबारों में आ जाए, ऐसा करके इस प्रकार का +++ कर रहे है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आप विराजिये। विराजिये, विराजिये। मैं दिलवाता हूं। आप बैठों तो सही। आप बैठिये। आपको मैं दिलवाता हूं मैं दिला रहा हूं । (व्यवधान)

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : उपाध्यक्ष महोदय, विश्वास दिला रहे हैं कि इसकी अभी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएंगी।

**श्री उपाध्यक्ष** : मंत्रीजी। मैं कोशिश कर रहा हूं। आप बैठिये।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : हम बैठ जाएगें।

**श्री तैय्यब हुसैन** : सर, यह रिकार्ड की बात है उसको उपलब्ध कराने में दिक्कत ही क्या है ? मेरे पास इस समय नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मंत्रीजी।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : यह क्या है, रिकार्ड लाइये यहां। यह कहां के हैं रिकार्ड (व्यवधान)

**श्री अमराराम** (धोद) : वह रिकार्ड ही मांग रहे हैं और क्या मांग रहे हैं ?

**श्री तैय्यब हुसैन** : मैं जो अर्ज कर रहा हूं, इसमें उपलब्ध कराने में दिक्कत ही क्या है ? यह तो रिकार्ड की बात है।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर आर्डर। (व्यवधान)

---

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : उपाध्यक्ष महोदय, हम रिकार्ड देखना चाहते हैं। हम वह रिकार्ड देखना चाहते हैं जिसके तहत करोड़ों रुपये की सब्सिडी दे दी गई। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : विराजिये, आप बैठो तो सही। विराजिये, विराजिये एक मिनट। एक मिनट आप विराजिये प्लीज।

**श्री रामप्रताप** : उपाध्यक्ष महोदय, किसान का बेटा इन सब को पढ़ेगा तो तिलमिला उठेगा और इस मामले की जो जड़ थी, उसकी जानकारी ही नहीं है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आप विराजिये। मैं करवा रहा हूं। (व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो पूछो इनसे, कितने पैकेट पर कितनी सब्सिडी दी। (व्यवधान) किस-किस कम्पनी पर कितनी कितनी दी, उपाध्यक्ष महोदय ? (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : एडजोर्न कैसे कर दें।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा कि मेरे पास फिगर्स नहीं हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : हाउस को आप चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते हैं ? फिर क्या बात है, विराजिये आप।

**श्री अमराराम** (धोद) : उपाध्यक्ष जी, आप संतुष्ट हो जाएं।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप विराजिये।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : मैं तो बैठ जाऊंगी, मैं तो आज्ञा देते ही बैठ जाऊंगी।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बैठो तो सही। माननीय मंत्रीजी, ये यह चाहते हैं कि किस फैक्ट्री से कितना खाद उठा और उसके अंगेन्स्ट आपने कितनी सब्सिडी दी ?

**श्री तैय्यब हुसैन** : दे देंगे जी।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप यह इंफोर्मेशन तो दे दे दीजिये। यह इंफोर्मेशन आप दे दीजिये ना।

**श्री तैय्यब हुसैन** : वार्डन, मेरे पास इस समय तो नहीं है। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : इस समय तो नहीं... (व्यवधान) यह रिकार्ड की चीज है, यह हो ही नहीं सकता। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : क्या हुआ ? अवेलेबल नहीं है। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : आप कहो न कि आप छुपाना चाहते हैं ?

**श्री अमराराम** (धोद) : घपले की जड़ तो यही है। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगा कि नेफेड को कितनी दी ? (व्यवधान)

**श्री तैय्यब हुसैन** : मैंने पूछा है वह अधिकारियों से।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : उपाध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दे दी कि आप सूचना दे दें और वे छिपा रहे हैं।

**श्री अमराराम** (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, नेफेड को कितनी सब्सिडी दी ?

**श्री उपाध्यक्ष** : आप यह कह दो कि यह अवेलेबल नहीं है। आप कह दो।

**श्री तैय्यब हुसैन** : नहीं, आपको अवेलेबल करा दूंगा। (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** : ... जानकारी नहीं दे रहे है, जानकारी होते हुए भी जानकारी नहीं दे रहें हैं। (व्यवधान)

**श्री तैय्यब हुसैन** : आप बात सुनो। आप सुनिये। (व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** : ये सदन से छिंपाना चाहते हैं या जानकारी नहीं देना चाहते हैं।

**श्री तैय्यब हुसैन** : आप सुनो तो सही, यह कोई ऐसीं चीज नहीं है, यह रिकार्ड की चीज़ है। (व्यवधान)

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : तो दे दो।

**श्री तैय्यब हुसैन** : हमारे प्रिंसिपल सैक्रेटरी साहब भी यहां मौजूद हैं, डायरेक्टर साहब भी मौजूद हैं, मैंने उनसे पूछा है। आप सुन लीजिये। इतने बावले बनने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि पुराने जमाने में कहां क्या घोटाला हुआ है। जो घोटाला हुआ...(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : सब्सिडी तो खाई है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : बताइये। आप बताइये। (व्यवधान) रिकार्ड है। (व्यवधान)

**श्री तैय्यब हुसैन** : मेरे सफेद, दामन पर एक छींटा नहीं है। (व्यवधान) मेरे आफिसर बैठे हैं। आसन ने किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया, बैठो। आपको सूचना दे दूंगा। सूचना आ जाए उस समय दे दूंगा। (व्यवधान)

**श्री अमराराम** (धोद) : मंत्रीजी ने मान लिया कि यह...(व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** : मंत्रीजी ने कह दिया कि हम हाउस को नहीं देना चाहते हैं (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री रामकिशनजी वर्मा। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र पारीक** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह था कि कृषि मंत्री राज्य में इल्ली के प्रकोप से नष्ट हुई सोयाबीन की फ़सल के संबंध में वक्तव्य देंगे। यह सब कहां से इसमें ? (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री रामकिशनजी। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : उपाध्यक्ष महोदय, लाखों रुपये का घोटाला किया इसमें। (व्यवधान) कृषि मंत्रीजी लाखों रुपये खा गये भीलवाड़ा कपास के मामले में। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय रामकिशनजी। (व्यवधान) यह रेलेवेंट नहीं है। मैं क्या करूं ? (व्यवधान)

**श्री रामकिशन वर्मा** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री रामकिशन वर्मा)

मैं आपकी आज्ञा से खरीफ विपणन वर्ष 2000–2001 के लिए सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य...(व्यवधान)

**श्री अमराराम** (धोद) : यह तो नहीं हो सकता। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर। आर्डर, आर्डर। आप बैठिये।

**श्री अमराराम** (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, एक तो सरकार के खजाने को चूना लगा रहे हैं, दूसरा किसान के धान को चूना लगा रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : विराजिये। माननीय मंत्रीजी ने कहां कि उनके पास सूचना नहीं है। मैं क्या करूं ? (व्यवधान)

**(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में आकर जोर-जोर से नारेबाजी)**

**श्री रामकिशन वर्मा** : ...510 रुपये एवं ग्रेड "ए" के धान के लिए 540 रुपये प्रति क्विंटल कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तय किया गया है। किसानों को उनकी उपज का सही व पूरा मूल्य मिले, इसके लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा माह अक्टूबर, 2000 में धान की खरीद प्रारम्भ की गई है . ..(व्यवधान)

**(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन के वैल में लगातार नारेबाजी)**

**एक माननीय सदस्य** : बिलाड़ा के भी बीज घोटाले में लाखें रुपये खा गये किसानों को नकली बीज देकर...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : कर दूं एडजोर्न ? बैठो, बैठो। (व्यवधान) सदन की कार्यवाही ...आर्डर, आर्डर। (व्यवधान) एडजोर्न कर दूं ? आपको कोई तकलीफ नहीं है ? (व्यवधान)

**श्री खेतसिंह राठौड़** : उपाध्यक्ष महोदय, साइन डाई एडजोर्न कीजिय, ये सुनना नहीं चाहते। (व्यवधान)

**(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन के वैल में लगातार नारेबाजी)**

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर। विराजिये, विराजिये। श्री रामकिशनजी।

**श्री रामकिशन वर्मा** : ... वर्तमान में धान की खरीद के संबंध में कोई शिकायत नहीं है। (व्यवधान) किसानों को इनसे खरीदे गये धान की कीमत भारतीय खाद्य निगम द्वारा नियमित रूप से चुलाई जा रही है। किसान और जितना भी धान समर्थन मूल्य पर बेचना चाहें, भारतीय खाद्य निगम उसकी खरीद करेगा। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आई.पी.एस. वाला मामला है, उस पर भी सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है। गृह मंत्रीजी, विराजमान हैं, कृपा करें।

**श्री जगत सिंह दायमा** : आई.पी.एस. वाला मामला। समय बढ़ाइये, बढ़ाइये।

**श्री रामस्वरूप** : समय बढाइये। अभी

(श्री रामस्वरूप)

तो आई.पी.एस. वाला मामला है, उनको पदोन्नति कब दी जा रही है ? (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय रामस्वरूपजी, विराजिये। टाइम बढ़ाइये।

# सदन की कार्यवाही

## विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

**श्री हरिसिंह** (महुवा) (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय सिर्फ आधा घंटे बढ़ाया जाए।

**श्री उपाध्यक्ष** : क्या सदन की सहमति है ?

**(स्वीकृत)**

सदन का समय आधा घंटे बढ़ाया गया।

चलो, आगे बोलो। (व्यवधान) आर्डर, आर्डर। डाक्टर रामप्रतापजी आप सुनना ही नहीं चाहते तो मैं क्या करूं ? आप बैठो तो सही।

# शासकीय वक्तव्य

## राज्य में सोयाबीन की फसल पर इल्ली का प्रकोप

**श्री अमराराम** (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, रामकिशन जी क्या बोल गये ?

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय रामस्वरूप जी, विराजिये प्लीज। क्या बात है ? (व्यवधान) आप विराजिये प्लीज।

**श्री रामस्वरूप** : न तो डी.पी.सी. बैठा रहे हैं, सरकार क्या कर रही है ? मैं तो यही पूछ रहा हूं सदन में और मैं क्या कर रहा हूं ? (व्यवधान) कब डी.पी.सी. बैठा रहे हैं, कब पदोन्नति दी जा रही है ? आई.पी.एस. के आठ अफसरों को रिजर्व करके कब ऊपर बिठा रहे हैं ? (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

**श्री नन्दलाल बंशीवाल** : ...सरकार से जवाब दे दें, आप सरकार की तरफ से जवाब देते हैं क्या ? हम सरकार से मांग रहे हैं। आप मंत्री हैं क्या ? आप गृह मंत्री हैं क्या ? सरकार से जवाब दे दो। बीच-बीच में अड़ जाते हो। एस.सी. एस.टी. के विरोधी हो आप खुद हो। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : विराजिये, माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर। आप सुनना चाहते हो या क्या चाहते हो ? (व्यवधान) आप बोलो। रूको तो सही तो। माननीय मंत्रीजी, एक दफा वापस पढ़ दीजिये। आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

**श्री रामकिशन वर्मा** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय..

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : आन ए मैटर आफ प्रिविलेज।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप प्रिविलेज लाइये।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : माननीय मंत्रीजी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

गये क्या ? बुलाओ न उनको, आइये, आइये। उन्होंने आज सदन में कागज पेश किये हैं। जयपुर बायो फर्टिलाइजर से कितना माल खरीदा गया, उसका अकाउंट मैं पढ़कर सुनाता हूं। सुना देता हूं। अकाउट यह है, 1996-1997 में इस कम्पनी से 1750 पैकेट्स...

**श्री उपाध्यक्ष** : यह तो खतम हो गया, अब इसमें कहां आ गया ? उनको काल-अपोन कर लिया।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रिविलेज की बात इसलिए कर रहा हूं, मैं केवल एक मिनट में ही निवेदन कर देता हूं ...(व्यवधान)

**(19:00 बजे)**

**श्री सुरेन्द्र जाड़ावत** : उपाध्यक्ष महोदय, इनसे पूछ कौन रहा है यह ? (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर।

**श्री रामस्वरूप** : एस.टी. के जो आई.पी.एस. आफिसर्स की पदोन्नति नहीं की गई है उनकी पदोन्नति के बारे में क्या कर रहे हैं, माननीय गृह मंत्री ?

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : देखिये, आपने कहा कि मेरे पास जानकारी नहीं है, तो मैंने प्रिविलेज मोशन इसलिए उठाया...

**श्री उपाध्यक्ष** : आप किस पर बोल रहे है ? प्रिविलेज मोशन ऐसे कैसे मूव होता है ?

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : कि इनके पास जानकारी थी। वह यह जानकारी थी, अब वह जानकारी एक लाइन में दे देता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : ऐसे प्रिविलेज मोशन कैसे उठ सकता है ? आप मूव कीजिये प्रिविलेज मोशन

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : अब वह जानकारी एक लाइन में दे देता हूं कि यही पैकेट्स 1996-1997 में एक हजार...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : इससे कोई ताल्लुक नहीं है अभी।

**श्री सुरेन्द्र जाड़ावत** : यह प्रश्न पूछ कौन रहा है, उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता महोदय से ? सदन का कोई माननीय सदस्य जानकारी नहीं चाहता, यह जानकारी दे क्यों रहे हैं ? जो महत्वपूर्ण मुद्दा है आई.पी.एस. और आई.ए.एस. अधिकारी जनजाति के और अनुसूचित जाति के है, उनके बारे में पूछा जाए।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : आप कह रहे हैं कि जानकारी नहीं है।

**श्री सुरेन्द्र जाड़ावत** : यह प्रश्न पूछा किसने है, यह विपक्ष के नेता सफाई दे रहे हैं, अपने कार्यकाल की। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : विराजिए प्लीज। रामकिशनजी।

**श्री रामस्वरूप** : आई.पी.एस. की जो पदोन्नति का मामला है, डी.पी.सी. में पेश होइये, इनकी पदोन्नति कर रहे हैं। असल

(श्री रामस्वरूप)

मुद्दा है उस पर क्यों नहीं आती है सरकार ?

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय रामस्वरूपजी। (व्यवधान) आर्डर, आर्डर बैठिये आप।

**श्री रामस्वरूप** : आप इनकी बात तो सुन लेते हैं, हम इतनी महत्वपूर्ण बात पूछ रहे हैं, उन आई.पी.एस. का क्या हुआ ?

## धान की सरकारी खरीद

**श्री रामकिशन वर्मा** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से। खरीफ विपणन वर्ष 2000–2001 के लिए सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 510 रुपये एवं ग्रेड 'ए' के धान के लिए 540 रुपये प्रति क्विंटल कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा तय किया गया है। किसानों को उनकी उपज का सही व पूरा मूल्य मिले इसके लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा माह अक्टूबर, 2000 में धान की खरीद प्रारम्भ कर दी गई है। भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार इस वर्ष दिनांक 3.11.2000 तक 59219 मीट्रिक टन धान मण्डियों में आया है जिसमें से 25418 मीट्रिक टन धान की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा की गई है। जबकि पिछले वर्ष दिनांक 3.11.1999 तक 56743 मीट्रिक टन धान मण्डियों में आया था, इसमें से भारतीय खाद्य निगम द्वारा 21914 मीट्रिक टन धान खरीद किया गया था। इस प्रकार इस वर्ष भारतीय खाद्य निगम द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद पिछले वर्ष के मुकाबले ज्यादा हुई है। पिछले तीन वर्षों में राज्य में धान की खरीद निम्न प्रकार हुई है। वर्ष 1997–1998 में 6602 मीट्रिक टन, 1998–1999 में 601 मीट्रिक टन और 1999–2000 में 24,439 मीट्रिक टन जबकि इस वर्ष 3.11.2000 तक 25418 मीट्रिक टन धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जा चुकी है। वर्तमान में धान की खरीद के संबंध में कोई शिकायत नहीं है। किसानों को इनसे खरीदे गये धान की कीमत भारतीय खाद्य निगम द्वारा नियमित रूप से चुकाई जा रही है। किसान और जितना भी धान समर्थन मूल्य पर बेचना चाहे, भारतीय खाद्य निगम उसकी खरीद करेगा। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे धान नहीं बेचना पड़े इसकी रोकथाम के लिए खाद्य विभाग द्वारा एक नियंत्रण कक्ष मुख्यालय पर स्थापित किया गया है। इस नियंत्रण कक्ष में अभी तक ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि किसान को ध ान की घबराहट या दबाव में बिक्री करनी पड़ी हो। भारतीय खाद्य निगम द्वारा धान की खरीद अभी भी जारी है।

**श्री उपाध्यक्ष** : डाक्टर रामप्रतापजी।

**श्री रामप्रताप** (हनुमानगढ़) : माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय मंत्री महोदय, बहुत भले आदमी है, मैसेज जैसा मेरे को सुनाई दिया...

**श्री अमराराम** (धोद) : यह क्या मतलब हुआ ?

**श्री रामप्रताप** : शरीफ आदमी है इसमें तो कोई रोल ही नहीं है लेकिन जो आपने पढ़ा...

**श्री रामस्वरूप** : खाद्य मंत्री तो शरीफ ही होते हैं, आप भी शरीफ और यह भी शरीफ। (व्यवधान)

**श्री रामप्रताप** : आपने धान की खरीद की बात शायद अक्टूबर से शुरू की है, कट आफ डेट नहीं बताई आपने।

**श्री रामकिशन वर्मा** : अक्टूबर से।

**श्री रामप्रताप** : उपाध्यक्ष महोदय, अब इस बात से इनकी गम्भीरता का पता चलता है अक्टूबर में एक-एक दिन में लाखों क्विंटल धान मार्केट में आता है और आप अक्टूबर कह रहे हैं तो अक्टूबर में 30 भी हो सकता है अक्टूबर एक भी हो सकता है। इस बात से गम्भीरता का पता चल रहा है। मैं आपको थोड़ा-सा निवेदन करूं। दूसरे, जो माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि हमको कहीं से भी शिकायत नहीं मिली, डिस्ट्रेस सेल में नहीं गये। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पैडी का जो एरिया है विशेष तौर से, वह पंजाब और हरियाणा के बोर्डर का इलाका है। विशेष तौर से कह रहा हूं मैं। उसमें पंजाब और हरियाणा में किस भाव और किस तरीके से बिकता है उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। 21 तारीख को, 21.9 शायद, पंजाब और हरियाणा में एफ.सी.आई. ने परचेज शुरू कर दी और हमारे यहां पर परचेज शुरू हुई है, मंत्री महोदय, थोड़ा मुझे ध्यान दे दें, 2 तारीख को शायद आपने शुरू की थी। दो तारीख को आपने आर्डर निकाले थे। That was not a purchase but sale. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 21 तारीख से लेकर और आपने खरीद एक्चुअल शुरू की है पांच या छह तारीख को जाकर, 15 दिन में रोजाना की अगर एवरेज अराइवल मानी जाए टोटल मंडीज की, तीस से चालीस हजार रुपये क्विंटल लें तो आप अंदाजा लगा लेना, थोड़ा हिसाब लगा लेना, माननीय मंत्री महोदय, कितना माल मार्केट में आया। जब पंजाब और हरियाणा में सपोर्ट प्राइस पर यह माल बिक रहा था तो किसान डिस्ट्रेस सेल में नहीं गया। (व्यवधान) कृषि मंत्रीजी, थोड़ा-सा आप बैठ जाओ, अब दूसरों की बारी है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : क्या हुआ ? कृषि मंत्रीजी ने कोई जादू कर दिया क्या आप पर, इतना प्रसन्न तो रहे है आप सभी। (व्यवधान) आर्डर प्लीज।

**श्री रामप्रताप** : उपाध्यक्ष महोदय, लगातार पूरे 15 दिन तक माननीय मंत्री महोदय, कह रहे है कि कोई शिकायत नहीं मिली, 15 दिन तक डिस्ट्रेस सेल में किसान बेचता रहा अपने माल को, या आपको पंजाब और हरियाणा लाकर बेचना पड़ा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी तवज्जोह चाहूंगा, बहुत ही गम्भीर मामला है...

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर।

**श्री रामप्रताप** : एक तरफ राज्य सरकार पैसे की कमी का +++ और दूसरी तरफ हजारों लाखों क्विंटल माल आपका पंजाब और हरियाणा में जाकर बिकता है, तो आपको मण्डी टैक्स का कितना नुकसान हुआ, क्या आपने हिसाब लगाया ? इसी तरह से आपको कितना सेल्स टैक्स का नुकसान हुआ ? इसी तरीके से किसान जब पंजाब और हरियाणा की मण्डी में ले जाकर बेचेगा तो अपने रोजमर्रा का सामान भी वहां से खरीद कर लेकर आएगा। कुल मिलाकर कितना नुकसान आपको हुआ और कितना नुकसान किसान का हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, इसके बावजूद 28 या 29 तारीख को मैंने प्रतिपक्ष के नेता महोदय से बात की, उसके बाद में आपने राजस्थान के मुख्य सचिव से बात की लेकिन उनका इमीजिएट एक्शन यह था कि मुझे एपीएस ने या फूड सैक्रेटरी ने इस बारे में कोई चर्चा नहीं की। वे बिलकुल अनभिज्ञ थे इस बात से। उसके बाद में दो तारीख को आप आर्डर निकालते हैं। मौके की नजाकत, माननीय खाद्य मंत्रीजी, यह थी, आइन्दा से ध्यान रखना आप, कि जैसे ही आपके प्रोक्योरमैंट का टाइम आता है, एफ.सी.आई. के अधिकारी, मैं कहना नहीं चाहता कि किस किस्म के हैं, आपको अच्छी तरह से पता है, लेकिन नोडल एजेंसी होने के नाते आपका कर्तव्य बनता है कि आपको अमुक एरिया में, जहां पर कि चाहे व्हीट हो, चाहे पैडी हो, आपके पास में कितने तो बैग सुरक्षित हैं, क्या आपके ठेकेदार तैयार हैं कि नहीं, लिफ्टिंग का क्या अरेंजमैंट है। इस लम्बे समय में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां से परचेज कब शुरू हुई ? अखबार उठाकर देखना आपके पास कटिंग्स आती है कि नहीं आती, हमने वहां पर रास्ता रोका। रास्ता रोकने के बाद में कलक्टर, हनुमानगढ़ ने इस बात की तसल्ली दिलवाई कि कल से आपके यहां परचेज शुरू हो जाएगी। वह क्यों नहीं हो रही थी आर्डर के बावजूद कि स्टैण्डर्ड इसका सही नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में जो धान की फसल थी, पंजाब व हरियाणा से गुणवत्ता की दृष्टि से इक्कीस थी। उसके बावजूद एफ.सी.आई. के अधिकारियों ने नहीं ली। रास्ता रोकने के बाद आपके यहां से क्वालिटी के कोई आदमी गये तब जाकर कुछ परचेज शुरू हुई। परचेज शुरू होने के बाद में 15–15, 20–20 दिन तक, आप तो कह रहे हैं कि किसान को कोई तकलीफ नहीं हैं, 15–15, 20–20 दिन तक माल की लिफ्टिंग नहीं हुई। यह तो आपके यहां का किस्सा है।

दूसरा एक गम्भीर विषय है उपाध्यक्ष महोदय। आपके पांच तारीख को सेल शुरू हुई, उसके बाद में भी किस्म–किस्म के इसमें नखरे किये गये। इसमें मोइस्चर ज्यादा है, इसमें ब्रोकर पार्ट ज्यादा है, इसमें

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रामप्रताप)

डिसकलर ज्यादा है। इस तरीके से बहुत-सा माल किसान का नहीं लिया। लेकिन राज्य सरकार का जो दायित्व था, कम से कम दूसरी सरकारों को देखकर आप कर लेते। पंजाब की सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस बारे में बात की। क्वालिटी में जो रिलेक्ससेशन दिया गया, माननीय मंत्री महोदय, यह तो आपने पढ़ लिया, माननीय मंत्री महोदय, यह तो आपने पढ़ लिया होगा। इसके बारे में जिक्र करते, यह तीन प्रतिशत से लेकर के आठ प्रतिशत कर दिया गया। जिन किसानों ने अपना माल डिस्ट्रेल में सेल किया था, पंजाब सरकार को केन्द्र सरकार ने सौ करोड़ रुपये उनके डिफरेंस के लिए दिये।

**एक माननीय सदस्य** : उनको तो और कुछ भी देते रहते हैं।

**श्री रामप्रताप** : आप सुनते जाओ। आप ज्यादा उतावले मत होवो। वो और कुछ देते रहे कि नहीं, लेकिन मामला किसान का है आप थोड़ा गम्भीरता से लेवें इस मामले को।

मैं राज्य सरकार से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि जब आपके ध्यान में यह आया कि पंजाब सरकार को इतना पैसा मिला तो आपने केन्द्र सरकार से पैसा लेने के लिए क्या-क्या प्रयास किये, यह मंत्री महोदय बताने का श्रम करें। धन्यवाद।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि विभाग ने अनुमान लगाया...

**श्री खेतसिंह राठौड़** : चूरू में कहां चावल पैदा होता है।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न राजस्थान का है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : शेरगढ़ में भी नहीं होता लेकिन आप हमेशा चावल खाते हैं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : ...कि इस वर्ष एक लाख 60 हजार धान पैदा हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, कोटा, गंगानगर और हनुमानगढ़ इन तीनों जिलो में जिस किस्म का धान पैदा होता है वह धान सितम्बर के पहले सप्ताह में पककर तैयार हो जाता है और 10 सितम्बर के आस-पास मंडियों में आना चालू हो जाता है। 2 अक्टूबर को खरीद चालू होती है। पंजाब पास में लगा है वहां 30 सितम्बर को खरीद चालू हो जाती है।

**श्री उपाध्यक्ष** : यह कह दिया उन्होंने यह सब उन्होंने कह दिया है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : मेरा एक निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, कि पंजाब में धान खरीदा गया उसमें दो ग्रेड रखी गयी। समर्थन मूल्य दो ग्रेड का था एक तो ए ग्रेड का था उसमें 540 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया और बी ग्रेड का 515 रुपये। राजस्थान में जो धान एफ.सी.आई. ने खरीदा उसमें मात्र ए ग्रेड का रखा गया। आपने कहा कि 59 हजार टन धान कुल आया और 25 हजार टन की आपने खरीद की। वहां पर स्थिति

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इसके बिलकुल विपरीत है। आज राजस्थान में कोटा, गंगानगर और हनुमानगढ़ की मंडियों में 1 लाख 68 हजार से ज्यादा धान आया हुआ है यह तो अनुमान था कृषि विभाग का। धान मंडियों में पड़ा है परन्तु खरीदने वाली नोडल एजेंसी या जो मंत्री महोदय का दायित्व है उसके अनुसार खरीद हो नहीं रही है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह पंजाब में दो ग्रेड रखी गयी धान की, आपको मंत्री महोदय, प्रयास करना चाहिए कि सब स्टैण्डर्ड धान के नाम पर जिस तरह रिजेक्शन हो रहा है कि इस धान में यह कमी है, यह कमी है, नहीं खरीदा जा रहा है उसके लिए भी आपको दो ग्रेड की बात हो।

दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि जिस रफ्तार से आज खरीद कर रहे हैं। उससे धान मंडियों में पड़ा-पड़ा सड़ जाएगा। इसके लिए आपको उचित व्यवस्था करनी चाहिए।

तीसरा, आज की तारीख में गंगानगर में 412 रुपये ए ग्रेड का धान बिक रहा है और हनुमानगढ़ की मण्डी में 450 रुपये प्रति क्विंटल धान बिक रहा है, मैंने आज सुबह मालूम किया। यह समर्थन मूल्य से करीब 128 और 110 रुपये कम है। इसलिए जब तक आप खरीद का पूरा इंतजाम नहीं कराएंगे, गरीब किसान लुटता चला जाएगा। अगर पूरा खर्चा खाद, पानी, का मिलाए तो 540 रुपये में भी किसान कुछ बचा नहीं पाता। इसलिए आप उचित व्यवस्था करें कि खरीद की पुख्ता व्यवस्था हो। दो ग्रेड का जिस तरह से पंजाब में है उस तरह दो ग्रेड हों, यह मेरा आपसे निवेदन है।

**श्रीमती ममता शर्मा** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बूंदी में 1150 रुपये प्रति क्विंटल बिका है धान।

**श्री हीरालाल विश्नोई** : (व्यवधान) यह होता है लेकिन आप किसको कह रहे हो ?

**श्री उपाध्यक्ष** : विराजिये, माननीय सदस्य। माननीय मंत्रीजी।

**श्री रामकिशन वर्मा** : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो किसानों के प्रति चिन्ता जाहिर की है, मैं भी अपने आपको उसमें शामिल करता हूं। रहा सवाल शिकायत का तो जब तक मेरे विभाग में मेरे पास कोई शिकायत मिले नहीं तो मैं उसका निराकरण करने में महसूस करता हूं कि बिना उस के ही हम कोई बात को कैसे चालू करें। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा पैटर्न से 3 से 7 प्रतिशत उन लोगों को सब स्टैण्डर्ड माल खरीदने की छूट मिल गयी। हमने भी कोशिश की है, केन्द्र सरकार को चिट्ठी लिखी है कि हमें भी आप इस प्रकार की छूट दें। राजस्थान के किसानों को मण्डियों में जो धान आया उसका भरपूर पैसा मिले। हम किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी के पास शिकायत है तो बता दें, मैं उसकी

(श्री रामकिशन वर्मा)

जांच करा लूंगा, उसके खिलाफ कार्यवाही भी कर दूंगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : डा. चन्द्रभान।

**श्री रामप्रताप** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई एम्ब्रासिंग सिचुएशन इनकी जानकारी के लिए दे रहा हूं। माननीय मंत्री महोदय, एक जानकारी दे रहा हूं। सौ करोड़ रुपये पंजाब को मिले उसके लिए आपने क्या लिखा ? क्वालिटी में रिलेक्सेशन की बात के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, उसके लिए आप प्रयास करें।

**श्री उपाध्यक्ष** : ये भी मांगेंगे सरकार से।

**श्री रामप्रताप** : उसके लिए सौ करोड़ रुपये मिले, जो डिफरेंस था। आप क्वालिटी के रिलेक्सेशन के लिए कह रहे है, वह तो 3 से 8 कर दिया, उसको तो फालो करना है पर जो सौ करोड़ रुपये उनको मिले हैं उसी तरह से अपने किसानों को भी मिलना चाहिए, उसके लिए आप प्रयास करें।

**श्री उपाध्यक्ष** : ये भी मांगेंगे। आप भी मांगना सरकार से। डा. चन्द्रभान।

## अन्तरराष्ट्रीय राजस्थानी सम्मेलन

**डा. चन्द्रभान** (उद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य के गठन के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयन्ती समारोह समिति द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये। इसी श्रृंखला में विशिष्ट प्रवासी राजस्थानियों का अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन 23-24 सितम्बर, 2000 को जयपुर के बिड़ला सभागार में आयोजित किया गया था। इसमें देश-विदेश से उद्योग, व्यापार, शिक्षा एवं चिकित्सा, विज्ञान एवं तकनीकी, कला, संस्कृति, रक्षा एवं समाज सेवा आदि विविध क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देने वाले प्रवासी राजस्थानियों को आमंत्रित किया गया था। इस सम्मलेन का मुख्य उद्देश्य प्रवासी राजस्थानियों के उनके पूर्वजों की धरती से भावनात्मक संबंधों को सुदृढ़ करना था। एक उद्देश्य यह भी था कि उन्हें गत 50 वर्षों में राजस्थान ने विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रगति की है और भविष्य में विकास हेतु जो कदम उठाये जा रहे हैं। उनके बारे में तथ्यात्मक जानकारी दी जाए। इसके अतिरिक्त यह भी सोच रहा कि राज्य के बाहर रहने वाले प्रवासी राजस्थानी एक मंच पर एकट्ठा हों, उनका सम्मान किया जाए तथा भविष्य में इनका अपने प्रदेश से जुड़ाव बना रहे।

सम्मेलन आयोजित करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता एवं पंडित नवल किशोर शर्मा, संयोजक, स्वर्ण जयन्ती समारोह समिति के संयोजन में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया जिसमें राज्य सरकार के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी एवं विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख नागरिकों को सदस्य बनाया गया। इस सम्मेलन का सम्पूर्ण आयोजन उक्त समिति के दिशा-निर्देशन में किया गया। सम्मेलन आयोजित करने के लिए उद्योग

(डा. चन्द्रभान)

विभाग के अन्तर्गत आयुक्त आई.आर.सी. 2000 की नियुक्ति की गई। सम्मेलन के बारे में विभिन्न प्रशासनिक एवं वित्तीय निर्णय लेने हेतु उद्योग सचिव की अंध्यक्षता में एक कार्यवाही समिति का गठन भी किया गया जिसमें सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी सदस्य थे। उपाध्यक्ष महोदय, प्रारम्भिक तौर पर यह अनुमान किया गया था कि इस सम्मलेन में करीब चार सौ प्रवासी राजस्थानी भाग लेंगे। देश विदेश के विभिन्न भागों में बसे हुए राजस्थानियों की संख्या अधिक होने से उनमें से उन प्रवासी राजस्थानियों का जिन्होंने अपने–अपने क्षेत्र में विशेष कार्य किया है, चयन करना कठिन कार्य था। खास तौर से इसलिए कि इस प्रकार का आयोजन राज्य में पहली बार किया जा रहा था। अतः इनका चयन करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनायी गयी जिसके अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में प्रवासी राजस्थानियों के व्यापारिक, औद्योगिक एवं सामाजिक संगठनों, विदेशों में भारतीय दूतावासों एवं सभी जिलों के जिला कलेक्टरों आदि के माध्यम से देश–विदेश में रहने वाले विशिष्ट राजस्थानियों के नाम व पते प्राप्त किये गये। नाम व पतों के आधार पर उनका पूर्ण विवरण प्राप्त किया गया और प्राप्त जानकारियों के आधार पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय की ओर से 1465 राजस्थानियों को सम्मेलन में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया गया। इसके बावजूद भी यह सम्भव है कि जानकारी के अभाव में कई विशिष्ट प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में आमंत्रित होने से छूट गये हों।

उपाध्यक्ष महोदय, सम्मेलन में आमंत्रित लोगों में से 520 लोगों ने सम्मेलन में भाग लिया जिनकी अपने परिजनों सहित कुल संख्या 900 से अधिक रही। विदेशों में बसे हुए 80 प्रवासी राजस्थानियों ने सम्मेलन में भाग लिया। इनमें से 30 प्रवासी राजस्थानी अमेरिका से आये थे। इनके अतिरिक्त सम्मेलन में जापान, इंगलैंड, आस्ट्रेलिया, हांगकांग, कनाड़ा सिंगापुर, स्विटजरलैंड, नेपाल, दुबई, सऊदी अरब आदि देशों से अनेक व्यक्तियों ने भाग लिया। देश के चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली कलकत्ता, गोहाटी, पटना, इम्फाल, कटक, इन्दौर, शिलांग आदि शहरों से भी प्रवासी राजस्थानियों ने काफी संख्या में भाग लिया।

उपाध्यक्ष महोदय, आई.आर.सी. 2000 के पहले दिन उद्घाटन समारोह के अतिरिक्त राजस्थान की प्रगति एवं भविष्य की योजनाओं तथा राजस्थान में निजी निवेश की संभावनाओं के बारे में प्रस्तुतीकरण किया गया। इसी दिन राज्य के लिए महत्वपूर्ण विषयों जैसे उद्योग, खनिज, आधारभूत सुविधाओं, सूचना एवं पर्यटन, कला एवं संस्कृति तथा सामाजिक सेवाओं आदि पर कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। दूसरी दिन प्रवासी राजस्थानियों द्वारा विभिन्न विषयों

(डा. चन्द्रभान)

पर अपने विचार एवं सुझाव प्रस्तुत किए गए। उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर राज्य सरकार समुचित कार्यवाही कर रही है।

इस सम्मलेन के अवसर पर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए विकास के कार्यो एवं प्राप्त उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए "झरोखा–2000" प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के उद्यमियों एवं दस्तकारों द्वारा उत्पादित उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। हस्तशिल्प प्रदर्शनी ग्रामीण अकृषि विकास अभिकरण (रूडा) की देखरेख में लगाई गई। उद्यम, पाषाण कला एवं रत्नाभूषण प्रदर्शनी रीको की देखरेख में लगाई गई एवं "राजस्थान के बढ़ते कदम" प्रदर्शनी जन सम्पर्क निदेशालय के तत्वाधान में लगाई गई। झरोखा–2000 प्रदर्शनी का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.) एवं रीको द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इसमें समस्त स्टालों का आवंटन सी.आई. आई. द्वारा किया गया।

आमंत्रित प्रवासी राजस्थानियों के सम्मान में महामहिम राज्यपाल महोदय एवं माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा भोज दिया गया। इन भोजों के अंवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। इस सम्मेलन के समय ही जयपुर में आयोजित हो रहे विश्व पोलो कप का मैच देखने हेतु भी प्रवासी राजस्थानियों को आमंत्रित किया गया। सम्मेलन की पूर्व संध्या पर दिनांक 22 सितम्बर, 2000 को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम "गूंज" का आयोजन "धर्म सज्जन ट्रस्ट" द्वारा किया गया जिसमें सम्मेलन में आमंत्रित प्रवासी राजस्थान कलाकार श्री मेहंदी हसन, श्रीमती रेशमा, पंडित जसराज एवं जगजीत सिंह ने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस आयोजन का समस्त व्यय "धर्म सज्जन ट्रस्ट" द्वारा किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, आई.आर.सी.–2000 के आयोजन पर कुल एक करोड़ साठ लाख रुपये व्यय होने की संभावना है। उक्त राशि का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा स्वर्ण जयन्ती समारोह के लिए आवंटित दो करोड़ रुपये में से किया गया। इस सम्मेलन से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रायोजक के रूप में निजी संस्थाओं द्वारा भी पचास लाख रुपये से अधिक की राशि खर्च की गई है।

उक्त सम्मलेन से प्रवासी राजस्थानियों में एक नई उमंग व चेतना जागृत हुई है। सम्मेलन में कई प्रवासी राजस्थानियों ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीण विकास, पेयजल, सामाजिक आधारभूत सुविधाएं, शिक्षा एवं चिकित्सा, पर्यटन आदि में व्यय एवं विनियोजन की इच्छा प्रकट की है। कई वक्ताओं ने तो सम्मेलन के दौरान ही विभिन्न क्षेत्रों में योगदान करने की घोषणा की। इस सम्मेलन के फलस्वरूप राज्य में निवेश की संभावनाओं के बारे में प्रवासी राजस्थानियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है जो कि

(डा. चन्द्रभान)

उनके द्वारा सम्मेलन के बाद माननीय मुख्य मंत्रीजी को लिखे गए पत्रों से इंगित होता है। सम्मेलन के समापन समारोह के अवसर पर माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा इस पहल को स्थाई रूप देने के लिए "राजस्थान फाउंडेशन" की स्थापना एवं इसके लिये चालू वित्तीय वर्ष में दो करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखने की घोषणा की गई। इस फाउंडेशन के संचालन के लिए राज्य सरकार ने आयुक्त "राजस्थान फाउंडेशन" का पदस्थापन भी कर दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आई.आर.सी. 2000 के आयोजन से देश-विदेश में रहने वाले प्रवासी राजस्थानियों के राज्य के प्रति भावनात्मक लगाव में वृद्धि हुई तथा प्रदेश के संबंध में प्रवासी राजस्थानियों के मन की भ्रांतियां भी काफी हद तक दूर हुई हैं। मेरा यह मानना है कि इस आयोजन से देश-विदेश में राज्य की सकारात्मक छवि बनेगी तथा इसका लाभ लम्बे समय में राज्य को जरूर मिलेगा। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री सुरेन्द्र व्यास। आर्डर-आर्डर, आपको बुलाऊंगा।

## सदन की कार्यवाही

### विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

**श्री महेश जोशी** : (उप मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची समाप्त होने तक बढ़ा दिया जाए।

**श्री उपाध्यक्ष** : सदन का समय कार्य सूची समाप्त होने तक इस शर्त के साथ बढ़ाया जाता है कि आप सब सहयोग करेंगे।

## शासकीय वक्तव्य

### अन्तरराष्ट्रीय राजस्थानी सम्मेलन

**श्री सुरेन्द्र व्यास** (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नमैंट की साइक्रोफेंसी या हिपोक्रेसी यही क्लियर है। यह उद्योग मंत्रीजी का वक्तव्य है और यह अपने वक्तव्य में कह रहे है कि अन्तरराष्ट्रीय राजस्थानी सम्मेलन आयोजन करने का मुख्य प्रयोजन निवेश इंवाइट करने का नहीं था। उपाध्यक्ष महोदय, यह चालू कहां से होता है। यह एक कल्पना है, मैं उस पृष्ठभूमि में नहीं जाऊंगा। यह कांग्रेस के स्तर पर चालू हुआ लेकिन 13 जनवरी, 2000 को पंडित नवल किशोर शर्मा जो अध्यक्ष, राजस्थान स्वर्ण जयंती समारोह है, उन्होंने एक पत्र लिखा सैक्रेटरी, आर्ट एवं कल्चर को। फर्स्ट आफिशियल डाक्यूमैंट वह है। उन्होंने उसमें लिखा कि इस प्रकार का एक विचार उत्पन्न हुआ है, उसके विषय में माननीय मुख्य मंत्रीजी से विचार-विमर्श हुआ है। उन्होंने अनुमोदन किया है और अब आप इसके आयोजन के लिए मीटिंग बुलाएं और सब काम करें। 22 जनवरी को मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में सचिवालय के मीटिंग रूम

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

में पहली मीटिंग हुई। उपाध्यक्ष महोदय, निःसंदेह जयपुर के बहुत जाने-माने व्यक्तित्व और बड़े-बड़े आदमियों को जिनका योगदान हो सकता था, इसमें इंवाइट किया गया। इसमें कोई संदेह नहीं है। जस्टिस दवे, जस्टिस आई.एस. इसरानी, डाक्टर आदर्श किशोर, कुछ तो आफिशियली हैं, पुरुषोतम अग्रवाल, महेन्द्र सुराणा, रोहित कुमार सिंह प्रतिभा जैन, जयसिंह कोठारी, सुरेन्द्र गोलेछा, प्रभा ठाकुर, लंबी-चौड़ी लिस्ट है। लेकिन जो बात मैं सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं वह यह लाना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम को कितनी सिस्टमेटिकली ब्यूरोक्रेसी ने हाइजैक कर लिया। इसका पूरा सरकारीकरण हो गया और जो प्रयोजन माननीय मंत्री महोदय ने अभी बताया है वह कतई सर्व नहीं हुआ। बिरला आडिटोरियम 16 अप्रेल को बुक कर लिया। आपने "गूंज" का और धर्म सज्जन ट्रस्ट का तो नाम ले लिया, मंत्रीजी, यह ग्रीन एडवेन्ट क्या है ? ग्रीन एडवेन्ट कोई आर्गेनाइजेशन है जिसको सब ईवेंट्स का ठेका दिया गया है। एक करोड़ साठ लाख रुपये का व्यय तो आपने बता दिया। इस आयोजन से कितनी आय हुई और उसका व्यय आपने नहीं किया ? उसका व्यय किस प्रकार किया गया है। इन सब फैक्ट्स को आप बताएं।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी का यह कहना कि इतना लंबा-चौड़ा काम था, हो सकता है कुछ लोगों को नहीं बुला पाये हों। इनकी बात की प्रामाणिकता इस बात से संदेहास्पद हो जाती है, यह एक चिट्ठी है 4-5 अप्रेल को राजभवन कलकत्ता में माननीय जितेन्द्र सिंहजी की अध्यक्षता में एक डेलिगेशन गया था और सौ प्रवासी राजस्थानी वहां इक्ट्ठे हुए थे, डाक्टर के.सी. चौधरी थे और भी थे On the advice of the Chief Minister, a state delegation consisting of Dr. Jitendra Singh, Minister of Information and Public Relations, Dr. K.C.Choudhary, M.L.A., Beawar and Shri Purushotam Agrawal, O.S.D., I.R.C., 2000, visited Calcutta on 4th and 5th April. इसमें आगे चलकर लिखा है। It was particularly highlighted that this conclave is intended to recognise the persons of Rajasthani origin who excelled or made outstanding contribution in any field. It was clarified that this is not meant for promotion of investment in Rajasthan. यह वहां कहा गया। मंत्रीजी उन सौ आदमियों की लिस्ट इसमें लिखा हुआ है एनक्लोज्ड, वह सौ आदमियों की लिस्ट मैं तो नहीं पढ़ सकता लेकिन आपकी जानकारी में है। आप यह बता दीजिये, उन 100 आदमियों में से कितने जयपुर आये ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

में निवेदन करना चाहता हूं, जो 100 आदमी कलकत्ता के राजभवन में आमंत्रित थे और इक्ट्ठे हुए थे उनमे से मुश्किल से 15 आदमियों को ही आमंत्रित किया गया। पूरा प्रोग्राम ब्यूरोक्रेसी ने हाइजेक कर लिया एण्ड एट दी कॉस्ट ऑफ रिपिटीशन, यह ग्रीन एडवेंटस रायल सिंह कौन हैं ? यह सुरेन्द्र लोढ़ा कौन हैं ? जिनको आपने तमाम् इंवेन्ट आर्गेनाइज करने का ठेका दिया है, वह तो आपनें बताया ही नहीं। उन्होंने कितनी राशि कमाई, आपने उसको भी नहीं बताया। आपने धर्म सज्जन ट्रस्ट का बता दिया। धर्म सज्जन ट्रस्ट का भी आपने क्या बता दिया, साहब, कि हमको कोई खर्चा नहीं देना पड़ा कल्चरल प्रोग्राम के अंदर। कल्चरल प्रोग्राम एक बहुत ऊंची क्वालिटी का प्रोग्राम था और बी. फोर यू चैनल को आपने ठेका दिया। बी. फ़ोर यू चैनल से एक चैनल के ऊपर करोड़ों रुपये एडवरटाइजमेंट का आता है, उपाध्यक्ष महोदय यह सदन के सभी सदस्य जानते हैं गवर्नमैंट ने आब्लाइज फील किया कि हमने बड़ा परोपकार किया। Without realising whether you did it inadvertently or deliberately I cann't say. मैं बिना किसी प्रमाण के कोई आरोप नहीं लगाना चाहता। आपने दीनों-दानिस्ता अधिक फायदा पहुंचाने के लिए उसको कांट्रेक्ट दिया या अज्ञानतावश दे दिया, मैं नहीं कहता हूं। लेकिन आपने इस बात पर विचार किया कि उसने कितना ठेका लिया और बी.फोर यू चैनल को आपने कितना ठेका दिया। आपने चैक रखा, सुपरविजन रखा। बेसिकली प्रोग्राम आपका था। दूर-दराज गांव के क्षेत्रों में दूरदर्शन का चैनल ज़ाता है। आप पूरे राजस्थान के प्रवासियों को तो जोड़ रहे हैं पर राजस्थान के मूल नागरिक जो राजस्थान में निवास करते हैं, उनको आपने काट दिया। कौनसे आदमियों को बी.फोर यू चैनल दिखाया जाता है ? दुबई के अंदर, जयपुर के अंदर शहरों में दिखाया जाता है। गांवों में कौनसा बी.फोर यू चैनल दिखाया जाता है ? यह मैं नहीं कहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यह अव्यावहारिक सजेशन होगा अगर मैं कहूं कि बी.फोर यू चैनल उनको नहीं देते है, उनको आप कान्ट्रेक्ट करते हैं, सुपरवाइज करते हैं पर दूरदर्शन को भी देते हैं। दूरदर्शन से लाभान्वित करते हैं ग्रामीण जनता को, आप उनसे सम्पर्क जोड़ते हैं। लेकिन आपने सीधा बी.फोर यू चैनल को दे दिया। धर्म सज्जन ट्रस्ट का ट्रैक रिकार्ड भी कोई अच्छा नहीं है। (व्यवधान) धर्म सज्जन ने दिया तो फिर इनका सुपरविजन क्या हुआ ? फिर इनका सुपरविजन क्या हुआ ? उपाध्यक्ष महोदय आप कहते हैं इंवेस्टमैंट, आप इंवेस्टमैंट इन्वाइट क्यों करना चाहते हैं ? आपकी भावनाओं से उद्योग नहीं लगते। उद्योग की स्थापना के लिए राजनेता नहीं मानस निर्माण जरूरी है। यह राजस्थान पत्रिका है, यह

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

नवज्योति है, रियायतें नहीं सहयोग चाहिए। यह दैनिक भास्कर, पढ़े हैं आपने कभी अखबार ? मैं कह रहा हूं कि आपका यह सबसे बड़ा सफल हो गया। लेकिन यहां पर जयपुर शहर के अंदर प्रमुख उद्योगपतियों ने पब्लिक के अंदर प्रेस कान्फ्रेंस आयोजित करके यह कहा कि उद्योग लगाने के लिए राजस्थान का एटमोस्फियर कन्डयूसिव नहीं है। मंत्रीजी, उद्योग इस तरीके से नहीं लगते। आपको यहां का वातावरण ठीक करना पड़ेगा। आपको ब्यूरोक्रेसी को ठीक करना पड़ेगा उस पर नियंत्रण करना पड़ेगा। हमारे लोग बाहर जाकर उद्योग क्यों लगाते हैं ? उनका क्या भावनात्मक जुड़ाव है ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन में बड़ी वेदना से कहता हूं तब यह सरकार नहीं थी, कोई भी सरकार रही हो, आसाम पे जिस वक्त हुआ इन्फ्लैक्स, कोई आदमी हो वह पहले सिक्योरिटी चाहता है, लेकिन दाल–रोटी भी चाहता है। व्यापारी की दाल–रोटी करोड़ों में होती है, गरीब की छोटे पैसों में, वह अलग बात है। लेकिन वह एक एटमोस्फियर इस स्टेट के अंदर नहीं ...(व्यवधान) मैं दो मिनट में समाप्त करता हूं।

उस वक्त, उपाध्यक्ष महोदय, इस स्टेट के अंदर अगर नौकरशाही आपके नियंत्रण में होती, यहां का एटमोस्फियर कन्डयूसिव होता तो आसाम के सब उद्योगपति यहां आकर उद्योग लगाते। आपने उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए कोई कोशिश नहीं की। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अंदर रहकर जिस उद्योगपति ने उद्योग लगा रखा है, सुरेन्द्र गोलेछा का स्टेटमैंट पढ़ लिया आपने। सुरेन्द्र गोलेछा को आपने इस पहली मिटिंग के अंदर बुलाया, जस्टिम इसरानी, जस्टिस दवे सभी को टाल दिया आपने। उपाध्यक्ष महोदय, इतने प्रोमिनेंट सिटिजन्स हैं जयपुर के, इनमें से कोई भी आदमी एसोसिएट नहीं रहा। एक लिखा हुआ भाषण पंडित नवल किशोरजी से पढ़ा दिया वहां परज्जत बचाने के लिए। मीटिंग कन्डक्ट की है आपके अरविन्द मायाराम ने। It was exclusively, absolutely and purely an official contact.पूरी ब्यूरोक्रेसी ने इसको हाइजैक कर लिया। लोकल बिजनसमैन को आपने बिलकुल...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री जगत सिंहजी दायमा।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : हो गया, आप रिपीट कर रहे हो बात को।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : नहीं मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : यू आर रिपीटिंग इट, 10 दफे आपने कह दिया, ब्यूरोक्रेसी हाई हो गई...(व्यवधान) आप समाप्त कीजिए। You are repeating it now. You don't have any material now.

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : अरविन्द मायाराम का पहली बार तो नाम लिया है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : अब आपके पास कोई मैटीरियल नहीं है। Every time you are saying bureaucracy and bureaucracy. हो गई न ब्यूरोक्रेसी; आपने कह दिया। माननीय जगत सिंहजी। आप बैठिये। माननीय जगत सिंहजी, आप बोलिये।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : मैं आपसे पूछना चाहता हूं यह लेटेस्ट सर्टिफिकेट...

**श्री उपाध्यक्ष** : जगत सिंहजी, आप बोलना चाहते हो ? बोलिये। (व्यवधान)

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : बात को कम्प्लीट करने दीजिये।

**श्री सुरेन्द्र व्यासः** दो दिन पहले ब्यूरो आफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन ने मुम्बई की कम्पनी सेन्टर फोर मोनिटरिंग इण्डियन इकानोमी प्राइवेट लिमिटेड से...

**श्री उपाध्यक्ष** : यह तो अखबार में है, It is known to every body.

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : राजस्थान की आर्थिक व्यवस्था पर नियमित विश्वसनीयता, निष्पक्ष सूचनाएं एवं उसका विस्तृत विश्लेषण उपलब्ध कराने के लिए समझौता किया है। तीन साल के करार में 15 लाख रुपये का भुगतान करेगा। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : It is known to every body. माननीय जगत सिंहजी।

**डा. चन्द्रभान** (ऊर्जा मंत्री) : यह तो ब्यूरो आफ इंवेस्टमेंट प्रमोशन का है कंसलटेंसी, इसको इससे क्या रिलेट कर रहे हो ?

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : इसका रिलेट यह है, मैं आपका वर्किंग बता रहा हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : आपका जवाब आ जाएगा, आप बिराजिये। जगत सिंहजी, बोलिये आप।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : लैट मी कन्क्लूड। यह कोई तरीका नहीं है, मैं खतम कर रहा हूं। I will not take a minute even. कन्क्लूड तो होने दोगे आप ? (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : कन्क्लूड आप करेंगे या मैं करूंगा ? (व्यवधान) You will never conclude.

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : आपके आदेश की पालना करूंगा। मैं आपके आदेश की पालना करूंगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : हां तो, करिये, पूर्ति करो।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह कुछ नहीं था, अल्टीमेटली यह आयोजन अशोक गहलोतजी का महिमा मंडन था। आपने सरकारी खर्चे पर अभिनन्दन करवाया है, और कोई प्रयोजन इससे सार्थक नहीं हुआ है।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय जगत सिंहजी।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : इसमें लोकल इण्डस्ट्रीज...(व्यवधान) इस पर बहुत बड़ा घोटाला भी हुआ है। यह आप दूरदर्शन... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : अंकित मत करो।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : आप विराजिये।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : अंकित नहीं हो।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री जगत सिंहजी दायमा।

**श्री जगत सिंह दायमा** (बानसूर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना धन यहां पर लगाया है ? जहां पर राजस्थान में एक–एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। आपने फरमाया कि हमने इसलिए लगाया कि लोग यहां पर बाहर से आकर पैसा लगाएंगे, उद्योग लगाएंगे। (व्यवधान) यह भी भावना थी कि यहां पर उद्योग लगाए जाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं उद्योग मंत्रीजी से कि जो उद्योग राजस्थान में लगे हुए हैं उनको तो आप सम्भाल नहीं पा रहे हो और नये–नये उद्योगों को बुला रहे हो। उन्होंने जो डिमाण्ड की उसके बारे में आपने क्या जवाब दिया ? आपको अब तक कितनी सफलता इसमें मिली है ? जो उद्योग आपने लगा रखे हैं वे तो सम्भल नहीं रहे। दो तिहाई तो आपके भिवाड़ी–भिवाड़ी में खतम हो गए। तो यहां के तो सम्भल नहीं रहे हैं और बाहर के बुलाकर पैसा और लगा रहे हो। यह एक तरीके से अपव्यय हुआ। यह धन की बरबादी हुई कि नहीं हुई ? यहां एक–एक बूंद पानी के लिये तरसते हैं। इसका कोई जवाब है तो आप मुझे बता दीजिए, कि आपको इसमें क्या सफलता मिली, कितने लोगों ने आकर कहा आपसे कि मैं इतने उद्योग लगा रहा हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय राजेन्द्र राठौड़।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं, जिस तरह का उत्तर उद्योग मंत्रीजी ने दिया कि अन्तरराष्ट्रीय राजस्थानी सम्मेलन में मात्र 165 लाख रुपये खर्च हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपने स्वंय ने नजारा देखा होगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं यहां था ही नहीं।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : उपाध्यक्षजी तो विदेश गए हुए थे।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : सितम्बर के दूसरे–तीसरे सप्ताह से जयपुर के अंदर मकान तोड़े जाने लगे, दुकानें तोड़ी जाने लगी, रास्तें चौड़े किये जाने लगे। एक–दो नहीं सैकड़ों लोगों को बेघर कर दिया गया। क्योंकि सड़क चौड़ी करनी थी। उपाध्यक्ष महोदय, और तो और जयपुर की सड़क पर 22, 23, 24 सितम्बर को कोई भिखारी नहीं बचे। भिखारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दो–दो आयुक्त स्तर के आर.ए.एस. स्तर के अधिकारी गायों को पकड़ने में लगे

---

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

गये, कुत्तों को पकड़ने में लग गये। अभी उद्योग मंत्रीजी कह रहे थे कि सम्मेलन के पीछे हमारा उद्देश्य भावनात्मक लगाव का था। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से बजट के अंदर जो इन्होंने घोषणा की, वह दो लाइन पढ़कर सुनाना चाहता हूं। "अगले वर्ष के दौरान इन समारोहों के क्रम में एक अन्तरराष्ट्रीय राजस्थानी सम्मेलन का प्रस्ताव है, जिसके अन्तर्गत राजस्थान की उन सभी प्रतिभाओं को जिन्होंने जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है सम्मानित किया जाएगा तथा उनके साथ विचार-विमर्श कर राजस्थान के भविष्य में विकास की अवधारण को स्पष्ट मूर्त रूप देने हेतु कार्यवाही योजना बनाई जाएगी।" उपाध्यक्ष महोदय, यह कहते हैं कि हमने सम्मेलन का आयोजन इसलिए किया कि हम भावनात्मक लगाव से प्रवासी राजस्थानियों को जोड़ना चाहते हैं। पर बजट की स्पीच यह कहती है कि राजस्थान के विकास की कार्यकारी योजना बनाने के लिए इन्होंने इसका आयोजन किया। एक तरफ से उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सम्मेलन था यह शुरू से ही अपने उद्देश्यों से भटक गया। उद्योग मंत्रीजी आपने प्रवासी राजस्थानियों को बुलाकर यहां करोड़ों रुपये खर्च करके उनको चांदी की थाली में जिमा दिया, भावनात्मक जुड़ाव आपको करना था परन्तु मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज तक मुख्य मंत्रीजी जब से मुख्य मंत्री बने हैं। किसी भी फिक्की की बैठक में कभी गये ? पी.एच.डी. चैम्बर्स की बैठक में कभी गये ? सी.आई.आई. की बैठक में कभी गये ?

**डा. चन्द्रभान** : सब में जाते हैं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : उन बैठकों में तो जाते नहीं हैं क्योंकि न जाने क्या झेंप है, न जाने अपनी बात वहां रख नहीं सकते, अंग्रेजी बोल नहीं सकते या और कोई बात है। अंग्रेजी नहीं तो हिन्दी में बोलना चाहिए। हिन्दी नहीं तो मारवाड़ी में बोलना चाहिए। परन्तु इस तरह के औद्योगिक संघ जिनका एक अपना स्थान है, उनकी बैठकों में यह जाते नहीं हैं और बुलाकर कहते हैं, राजस्थानियों को कि आओ। और हम वहां करोड़ों रुपये खर्च करते हैं। यह भावनात्मक जुड़ाव न जाने कैसा आपने किया है, पर मेरी जानकारी के अंदर आप लगे हुए थे कि कौन-कौन उद्योगपति है जो कांग्रेस पार्टी को चंदा दे सकता है। और तो और, जिस तरह अभी मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, इस पूरे आयोजन में जितने शर्मसार इस लोकतंत्र के अंदर राजस्थान के मंत्रीगण हुए हैं, चुने हुए प्रतिनिधिगण हुए हैं उतने कोई नहीं हुए होंगे। सारे का सारा कार्यक्रम ब्यूरोक्रेसी ने हाइजैक कर लिया। उसमें तीन सत्र आपके चले, तीनों सत्रों में राजस्थान के हालात क्या हैं, अलग-अलग विषयों पर ब्यूरोक्रेसी ने बात रखी। मैं चन्द्रभानजी, आपका बड़ा सम्मान भी करता हूं और आप योग्यताधारी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

व्यक्ति हो, मैं यह भी मानता हूं, आपने हिम्मत क्यों नहीं की ? राजस्थान में किस तरह की औद्योगिक आवधारणा की आवश्यकता है, राजस्थान में हम उद्योग की दृष्टि से कहां खड़े हैं, आपने क्यों नहीं वहां जाकर प्रजेंटेशन दिया ? अरविन्द मायाराम ही सब कुछ थे ? उसके बाद हुआ क्या, उस समय मन में बड़ी ग्लानि हुई। राजस्थान का दूसरा व्यक्ति, राजस्थान के सर्वोच्च पद पर बैठे मुख्य मंत्री को राहुल बजाज जैसे व्यक्ति उस सम्मेलन में यह कहते हैं कि आप हमें क्या देंगे, आप तो खुद दिवालिया हैं। एम.एल. मित्तल यह कहकर जाता है कि यहां रियायतों की घोषणा करने पर हम उद्योग नहीं लगाने आएंगे। आपके यहां अफसरशाही से राम बचाए। इस तरह का वातावरण राजस्थान में है कि कोई भी उद्योगपति आएगा नहीं इसी तरह आनन्द राठी जाकर कहकर आते हैं। मैं समझता हूं कि यह...(व्यवधान)

**डा. चन्द्रभान** : उनके पत्र हैं मुख्य मंत्रीजी के नाम, आप कहे तो पढ़कर सुनाऊं ?

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : हां, पढ़कर सुना देना आप। मैं निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, यह जो...(व्यवधान) मैंने कहा है। (व्यवधान)

**डा. चन्द्रभान** : एम.एल. मित्तल के बागड़ी के और राहुल बजाज के, कितना एप्रिशिएट किया है उन्होंने। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : वह पढ़कर मैं भी सुना सकता हूं। पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, दो वर्ष हो गये, इन्होंने बड़ा झुनझुना बजाया राजस्थान को आगे ले जाने का। उद्योग मंत्रीजी, दो वर्ष में एक ऐसा उद्योग बता दो जो बड़ा उद्योग आया हो ? मध्यम श्रेणी का उद्योग आया हो ? एक मल्टीनेशनल कोई कम्पनी आयी हो ?

और तो और, उपाध्यक्ष महोदय, एक आकलन आया है, सी.आई.आई. की लेटेस्ट रिपोर्ट सितम्बर, 2000 के अंदर उन्होंने लिखा है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर के मामले में पूरे देश में राजस्थान 20वें स्थान पर चला गया। इंवेस्टमैंट राजस्थान में पिछले दो वर्षों में इतना कम हुआ है कि पूरे देश में उसका 20वां स्थान है। जनरल एचीवमैंट्स में राजस्थान का 20वां स्थान है। अब क्या जरूरत थी आपको उनको चांदी की थाली में खाना परोसने की ? आपने क्यों नहीं उनको असलियत बताई ? आपने जयपुर के अंदर सड़कें चौड़ी करने के नाम पर तबाही का मंजर मचाया। आपने गायों को गायब किया। आपने भिखारियों को पीटा। आप असली राजस्थान की तस्वीर बताते। वे प्रवासी आये थे, हमारी धरती से जुड़े लोग आये थे, उनको कहते कि राजस्थान के हालात ये हैं, राजस्थान में इन–इन चीजों की आवश्यकता है। मैं, मंत्रीजी, आपसे पूछना चाहता हूं, रोज आपके बयान आते हैं कि राजस्थान में बिजली की कमी है, डिमाण्ड

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

एवं सप्लाई में गैप है। रोज पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर का बयान आता है कि राजस्थान में पानी की कमी है और रोज मुख्य मंत्री कहते हैं कि राजस्थान का खजाना खाली है। यहां जहां इंफ्रास्टक्चर हो नहीं, जहां बिजली हो नहीं, जहां पानी हो नहीं और फिर ये कहते हैं कि हम उन लोगों को यहां बुलाकर कहेंगे कि उद्योग लगाएं। आपने किया क्या है ? टैक्स के नाम पर राजस्थान की जनता को लाद दिया। टैक्स के नाम पर आपने एण्ट्री टैक्स लगाया, सेल्स टैक्स लगाया, कोई-सी चीज छोड़ी नहीं।

एक आपने बड़े जोर-शोर से घोषणा की 'एकल खिड़की' योजना। उपाध्यक्ष महोदय, 'उस खिड़की को देखने के लिए तरस रहे हैं। इस एकल खिड़की योजना में एक प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि 25 लाख से ज्यादा से जो प्रस्ताव आएंगे, मुख्य मंत्रीजी की सदारत में बनी हुई कमेटी उसका फैसला करेगी और 25 लाख से नीचे के प्रस्ताव पर चीफ सैक्रेटरी की सदारत में बनी हुई कमेटी फैसला करेगी। परन्तु कहीं फैसला हुआ नहीं।

मैं पांच मिनट कह कर आपनी बात समाप्त करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसका आयोजन किसने किया, पता नहीं लगा। जिस तरह अभी मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, मैं आपकी इजाजत हो तो वह पत्र पढ़ता हूं। डाक्टर के.सी.चौधरी, विधायक एवं संयोजक आई.आर.सी., 2000 यह पहला पत्र उन्होंने पूरे देश के उद्योगपतियों को लिखा कि इसका आयोजन हम कर रहे हैं तब ये कहां चले गये ? नेपथ्य में क्यों चले गये ? इनकी जगह पर अरविन्द मायाराम कब आ गये, यह मालूम नही पड़ा। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि आपके यहां डी.पी.आर. है, आई.आर.सी. के प्रचार-प्रचार के लिए आपने इस स्क्रोन्स प्राइवेट कम्पनी को क्यों ठेका दिया ? एक-दो नहीं 29 लाख रुपये आपने स्क्रोन्स प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी को किस नाम पर दिये। यह अजय चौपड़ा कौन है, उद्योग मंत्रीजी ? इसको मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जहां अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि पीने के पानी की समस्या है, 12 लाख रुपये के पोस्टर बने और पोस्टर के अंदर चेहरा किसका चमकाया ? मुख्य मंत्रीजी के बड़े-बड़े पोस्टर जयपुर की धरती पर लगे, 12 लाख रुपये खर्च किय गये। इस तरह के सम्मेलन का आयोजन उन्होंने किया। (व्यवधान)

**श्री खेतसिंह राठौड़** : आपके पोस्टर लगाये क्या ? पोस्टर तो मुख्य मंत्रीजी का ही लगेगा।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : खेतसिंहजी का भी लगेगा।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : उपाध्यक्ष महोदय, एक कम्पनी है सैण्डबिच प्राइवेट लिमिटेड,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उसको तीन लाख रुपये इस आई.आर.सी. ने दिये। सैण्डबिच प्राइवेट कम्पनी का काम क्या था ? एक तो विज्ञप्ति बनाकर समाचार-पत्रों में विज्ञापित हो जाना और उसके बाद 90 हजार रुपये उनको इसलिए दे दिये कि वे सारे समाचार-पत्रों की कटिंग काटकर माननीय मंत्रीजी तक पहुंचा दे। इस तरह का काम हुआ। मैं निवेदन करूं, उपाध्यक्ष महोदय, जिस चीज की सबसे बड़ी चर्चा रही है...

**श्री उपाध्यक्ष** : कह दिया न बहुत।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : मैं तीन मिनट में अपनी बात खतम करूंगा।

सिसोदिया रानी बाग के अंदर 3250 लोगों को इन्होंने भोज दिया। खुद कह रहे हैं कि हमने 1460 लोगों को आमंत्रित किया। ये 3250 लोग कहां से आ गये ? इसमें चांदी की थाली, चांदी की चम्मच और चांदी की कटोरी, मैं निवेदन करना चाहता हूं, उद्योग मंत्रीजी कि...(व्यवधान)

**श्री खेतसिंह राठौड़** : खाना साधारण था।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : 12 चांदी की थालियां गायब हो गई। उपाध्यक्ष महोदय, कैसे लोग आये ? खाना खाया तो खाया, 12 तो चांदी की थालिया ले गये, 21 कटोरियां ले गये और 56 चमचे ले गये। अब ये चमचे कहां चले गये, यह सोच का विषय है, सबसे बड़ी बात है।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मंत्रीजी। हो गया न खतम।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : यह जो गूंज का कार्यक्रम हुआ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : इससे बढ़िया और क्या होगा ? (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा घपला। मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यह जो गूंज कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम को पहले तो इन्होंने दिया धर्म सज्जन ट्रस्ट को और धर्म सज्जन ट्रस्ट ने इसको बी.फार यू को दे दिया। इसके पीछे लाखों रुपये का घोटाला है क्योंकि...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : उन्होंने कहा दिया न वह।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : क्योंकि बी.फार यू ने इसका कापीराइट ले लिया। बी.फार यू इतने प्रोमिनेंट लोग आये थे, मेहंदी हसन, रेशमा, जगजीत सिंह, अब उसको कितने रुपये में बेचेंगे ? एक तरह से उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम को बेचने का काम कर दिया।

आपने बढ़ते कदम की चर्चा की। आपने कहा कि डी.पी.आर.ने इसका आयोजन किया है। तो मंत्रीजी, यह बता दो कि बढ़ते कदम के नाम पर अजय चौपड़ा की इस कम्पनी को आपने साढ़े बारह लाख रुपये किस

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

नाम से दे दिये ? यह सारा का सारा पैसा राजस्थान की गरीब जनता का पैसा है। अब राजस्थान फाउण्डेशन की बात तो आप कर गये और यह और कह रहे हैं कि आये दो वर्षो में इसका आयोजन करेंगे। परन्तु इसका न कोई कांस्टीट्यूशन है क्या वह करेगा, क्या नही करेगा, आपने एक आयुक्त लगा दिया, वह आयुक्त महोदय, भी घूमते फिर रहे हैं, वह कहां जाएं, उनका कहां दफ्तर है ?

ये सारी बाते जो मैंने निवेदन की, इन सारी बातों का उत्तर उद्योग मंत्रीजी दे। स्क्रोन्स कम्पनी को गूंज के नाम पर और बी. फार यू को ठेका दिया गया बिना निविदाएं लिये। हमारे फाइनेंस रूल्स के अंदर अगर 100 रुपये से ज्यादा की चीज को खरीदना हो तो आपको निविदा आमंत्रित करनी पड़ती है, परन्तु इन्होंने तो घर का राज बना लिया। चाहे किसी को दे दिया और इसका कोई औचित्य नहीं । आज डेढ़-दो माह हो गये, आज आकलन करके यह तो बता दो कि आपके पास एक भी प्रस्ताव आया क्या ? आपके मुंह पर तमाचा मारकर गये। मुख्य मंत्रीजी को यह कह कर गये कि आप तो दिवालिया हो आप हमें क्या दोगे। मैं समझता हूं कि राजस्थान की भूख से पीड़ित जनता, अकाल से पीड़ित जनता, पेयजल से पीड़ित जनता का एक तरह से अपमान किया है इस राजस्थान की सरकार ने पांच सितारा संस्कृति में भोग-विलास दिखाकर, भोंडा नाच करके, गरीबों के मकान तोड़कर राजस्थान की जनता का अपमान किया है।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मंत्रीजी।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** (झुंझुनूं) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मैं भी एक छोटा-सा प्रश्न पूछ लूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग मंत्रीजी यह बता दें कि ट्रांसपोर्ट का ठेका और रानी सिसोदिया बाग के अंदर दिये गये खाने का ठेका, उसमें चांदी के थाल में खाना परोसा गया था, जैसा उन्होंने बताया...(व्यवधान) यह सब किसको दिया गया, किस फर्म को दिया गया किस व्यक्ति को दिया गया यह बता दें ? क्योंकि एक करोड़ पैंसठ लाख में तो यह सब खर्चा आप कर नहीं सकते। एक-एक व्यक्ति को पांच सितारा होटलों के कमरे में ठहराया था, पांच हजार रुपया रोज का खर्चा था, तीन दिन वह ठहरे तो एक व्यक्ति पर 15 हजार रुपये तो वही खर्च हो गया। ट्रांसपोर्ट जिसमें बड़ी-बड़ी ऐशो-आराम की गाड़ियां थी और रानी सिसोदिया बाग में खाना दिया था चांदी के बर्तनों में। वह किसने दिया ? ताकि कभी हमें भी सरकार चलाने का मौका मिले तो हम भी उनको कान्टेक्ट कर सके कि भाई, हमारा यह काम तो तुम करो। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) आर्डर-आर्डर, बैठो।

**श्री मदन दिलावर** : इतनी महत्वपूर्ण चांदी की थालियां, कटोरियां और चमचें गायब हो गये और उनकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करायी। यह देखना पड़ेगा कि आखिर में यह कौन ले गया है। इसकी जांच होना बहुत आवश्यक है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मंत्रीजी। आर्डर–आर्डर, बैठो। (व्यवधान) बैठो न। माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : इस समारोह में दिलावर जी आये थे, ये ले गये चांदी की थालियों को, और कोई नहीं ले गया। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मंत्रीजी। बताएंगे, जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान) आप बिराजे। आर्डर–आर्डर।

**डा. चन्द्रभान** (उद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय सदस्यों ने यहां पर राज्य के औद्योगीकरण में इन्वेस्टमैंट आये, इसके संबंध में अपने विचार यहां पर रखे। उपाध्यक्ष महोदय, यह सब जानते हैं और जैसा माननीय सदस्यों ने अपने विचार यहां प्रकट किये,उन्होंने भी इस बात को माना कि इन्वेस्टमैंट चाहे इंडस्ट्रियल स्वरूप में हो चाहे दूसरे सैक्टर में, वह एक दिन में नहीं आता। अभी माननीय सदस्यों ने यहां कहा कि इसके लिए एक वातावरण बनाने की जरूरत है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि इस आई.आर.सी. 2000 से निश्चित रूप से एक वातावरण बना है। इसकी न केवल अपने राज्य में बल्कि देश–विदेशों में भी प्रशंसा हुई। मैं अपने आपको गौरवांवित महसूस करता हूं और इस राजस्थान के हर नागरिक को गौरवांवित महसूस करना चाहिये कि जिन लोगों को हमने बुलाया, कुछ लोग नहीं भी आ सके तो ये सब लोग ऐसे लोग थे जिन्होंने देश–विदेश में अपनी प्रतिभा से अपने परिश्रम से और अपनी योग्यता से सफलता के झण्डे गाड़े जिससे हर राजस्थानी का सिर ऊंचा हो ये लोग अपने–अपने क्षेत्र में लीडर हैं। आज राजस्थान का दुर्भाग्य यही है कि अन्य राज्यों में हमारी नैगेटिव इमेज पेंट कर दी जाती है कि राजस्थान में जाएंगे तो यह दिक्क्त है, राजस्थान में जाएंगे तो वह दिक्कत है। वहां तो कोई सुनता ही नहीं। चलो, एक खुलकर विचार–विमर्श हुआ। निश्चित रूप से उसमें हमें भी हमारी कोई कमियां हैं तो उनको सुधारने को मौका मिलेगा।

अभी चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां सिंगल विण्डो क्लियरेंस सिस्टम की चर्चा कर दी और कहा कि एक भी प्रस्ताव क्लियर नहीं हुआ। मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं, मैं कोई सफलता की ज्यादा डींग नहीं हांकता लेकिन 17 प्रस्ताव जिलों के स्तर पर पास हुए हैं, जिन्हें लागू किया गया है मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में 17 प्रस्ताव जो तीन करोड़ से नीचे के इन्वेस्टमैंट के हैं और मुख्य मंत्रीजी के स्तर पर दो मीटिंगें हुई उनमें 1500 करोड़ के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गयी।

(डा. चन्द्रभान)

रहा सवाल राजस्थानी सम्मेलन का मैं कोई उस एजेण्डे की बात नहीं करूंगा कि यह हमारा खुला एजेण्डा है या यह हमारा छुपा हुआ एजेण्डा है, लेकिन यह जरूर कहना चाहूंगा कि हमारा मुख्य उद्देश्य यह है जिसकी मैंने मेरे वक्तव्य में चर्चा की कि इनका अपनी पूर्वजों की धरती से भावनात्मक सम्बन्ध बनाए, वे यहां के बारे में अच्छी तरह से जानें। दूसरे लोगों की हमें ज्यादा चिन्ता नहीं है लेकिन कम से कम जो लोग राजस्थान को थोड़ा बहुत जानते हैं और जिनका संबंध राजस्थान से है वे यहां आएं, उनसे हमारा इंटरएक्शन हो, विचार-विमर्श हो, यह मैं मानकर चलता हूं। मैं आपको निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि इस सम्मेलन से तो लाभ ही लाभ होंगे, हानि कोई नहीं होने वाली। अब यह तो है नहीं कि आप रेलवे स्टेशन पर चले गये, मशीन पर खड़े हुए सिक्का डाल दिया और आपका कितना वजन है, वह आ गया। इतनी आसानी से तो यह सब काम नहीं होता। आप भी लम्बे समय तक सरकार में रहे हो, आप कितना इंवेस्टमैंट लेकर आये ? आज आप यह बात कर रहे हैं कि इस पर इतना अधिक खर्चा हो गया, इस पर इतना अधिक खर्चा हो गया। मुझे इस बात का तो सन्तोष है कि आपके कई नेताओं ने बाहर कहा कि पचास करोड़ इसके ऊपर खर्च कर दिया गया है, लेकिन यहां कोई भी डेढ़ करोड़ से आगे नहीं बढ़ा। मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने तो यहां तक कहा कि खर्चा कम हुआ इससे आमदनी कई लोगों ने ज्यादा कर ली। लेकिन...

**श्री सुरेन्द व्यास** : आपने नहीं की। दूसरे लोगों ने की है।

**डा. चन्द्रभान** : आपने कहा दूसरे लोगों ने...(व्यवधान) उन्होंने लाभ उठा लिया होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रतिपक्ष के नेता महोदय से यह जानना चाहूंगा कि आपने भी बहुत प्रयास किये लेकिन प्रयासों के लिए जैसे अभी डा. जितेन्द्र सिंहजी गये, आपने उसकी चर्चा तो कर दी। आपकी सरकार में भी चाहे वे अधिकारी हों, चाहे मंत्री हों, चाहे स्वयं मुख्य मंत्रीजी, जरूर कलकत्ता गये होंगे, जरूर बम्बई गये होंगे, जरूर अहमदाबाद गये होंगे। विदेश भी गये होंगे। उनके ऊपर भी खर्चा हुआ होगा और वह खर्चा भी लोगों में होगा। यहां कभी कोई सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा, वह खर्चा करोड़ों में भी जा सकता है। लेकिन इस कार्यक्रम में केवल एक करोड़ साठ लाख सरकार का खर्चा हुआ हैं। आपको तो बधाई देनी चाहिये, धन्यवाद देना चाहिये सरकार को। (व्यवधान) अब आप यह कहेंगे कि इसमें कई...(व्यवधान) यहां बैठे हैं हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य...(व्यवधान) हवामहल से आने वाले

(डा. चन्द्रभान)

माननीय सदस्य यहां पर बैठे हैं।

**श्री मदन दिलावर** : झोपड़े उजाड़ने में कितना खर्चा हुआ वह तो नहीं बताया इन्होंने। (व्यवधान) व्यापारियों को थोड़ा-थोड़ा करके जो इक्ट्ठा करके बंद किया है, वह नहीं बताया। कितना लोगों का अपमान किया है आप लोगों ने। (व्यवधान)

**डा. चन्द्रभान** : उपाध्यक्ष महोदय, अब बताइये कि जयपुर की सड़कें चौड़ी हो जाएं तो भी इनको परेशानी, जयपुर की सफाई हो जाए तो भी इनको परेशानी, जयपुर में कोई ओवरब्रिज बन जाए तो भी परेशानी। (व्यवधान) मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि हम कई लोग तो इलाकों में इस बात का इन्तजार करते हैं, आपका भी इन्तजार करते होंगे मान लीजिए कहीं कोई पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर ही आ जाए तो एक सड़क ही ठीक हो गांव की। मुख्य मंत्रीजी आ जाएं तो विकास का काम ही हो जाए। तो इसके नाम से...(व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** : आपकी बात नहीं करते। लोगों के झोपड़े के झोपड़े तोड़ दिये। दौड़ा-दौड़ाकर, कुत्तों की तरह दौड़ा-दौड़ाकर भिखारियों को बंद किया गया है। मेरे सामने गायों को लट्ठ दे-देकर बंद किया है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : बंद कर दें। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : आपने अनुसूचित जाति के हमारे प्रधानजी का +++ ही तोड़ दिया, आप झोपड़े की बात करते हो। उन प्रधानजी का +++ ही तोड़ दिया आपने +++ झोपड़े की बात कर रहे हैं, एक प्रधान को पीट दिया आपने।

**डा. चन्द्रभान** : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर माननीय सदस्यों ने इंवेस्टमैंट के अलावा एक दो बाते और कहीं। एक तो यह कहीं कि धर्मराज सज्जन ट्रस्ट है, अजय चौपड़ाजी को ज्यादा नहीं जानता हूं लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : आपका कोई रोल नहीं था इसमें, ब्यूरोक्रेसी का है। यही तो हम कह रहे हैं। (व्यवधान)

**डा. चन्द्रभान** : नहीं-नहीं, यह ब्यूरोक्रेसी वाली बात बार-बार आती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू में ही निवेदन किया कि स्वयं मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में और पंडित नवल किशोरजी शर्मा के संयोजकता में एक हाई पावर कमेटी बनायी गयी थी। इस सम्मेलन का पूरा आयोजन उनके दिशा-निर्देश में हुआ है। अब बाकी नीचे का काम जो कहना चाहिये, वह तो अधिकारी लोग करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपकी सरकार थी...(व्यवधान) आप सुनिये।

---

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(डा. चन्द्रभान)

यह प्रजेंटेशन वगैरह करना या नीचे के कोई काम करना, सरकार कोई भी नीतिगत फैसला लेती है या कोई निर्णय लेती है उसे लागू करने का अधिकार तो अधिकारियों को है। नहीं तो इन आई.ए.एस. को हम 25–25 हजार रुपये की तनख्वाह क्यों देते हैं, यह मैं आप से पूछना चाहता हूं ? इनको 25–25 हजार रुपये की तनख्वाह दें, ये कोई काम नहीं करेंगे ?

(20:00 बजे)

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** :एक बात आप बता दीजिये, जो अधिकारी बोल सकते थे। वह आप बोल सकते थे या नहीं ? चन्द्रभानजी, एक बात सुन लेओ आप। आपका प्रजेंटेशन या राजस्थान के किसी भी मंत्री का प्रजेंटेशन किसी रूप का हो, राजस्थान के लोग उससे निश्चित रूप से प्रभावित होते लेकिन आप लोगों ने प्रजेंटेशन नहीं किया।

**एक माननीय सदस्य** : करने नहीं दिया।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : नहीं, करने नहीं दिया या नहीं किया, मुझे अन्दरूनी हालत का मालूम नहीं है लेकिन आप यदि प्रजेंटेशन करते तो अपने–अपने क्षेत्र में लोगों के ऊपर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता। शिकायत इतनी–सी हैं।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : मंत्रीजी का गला खराब था उन दिनों।

**मोहम्मद माहिर आजाद** : स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे थे गला खराब था तो ?

**डा. चन्द्रभान** : ऐसा नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, हर कार्य का विभाजन होता है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उद्घाटन सत्र की भी अध्यक्षता की, उन्होंने भी अपने विचार रखे, पंडित नवल किशोरजी ने भी अपने विचार रखे। कोई जरूरी थोड़े ही है कि हर मंत्री बोलेगा ? जितने वर्कशाप हुए, अलग–अलग जो हमने बांटे थे, इन सब की अध्यक्षता मंत्रियों ने की और उनके साथ इण्टरएक्शन हुआ। दूसरी बाते यह थी कि हमें उनको भी सुनना था। आपने देखा होगा कि पूरा वक्त हमने उन लोगों को भी दिया। अब केवल मंत्री ही हर विषय पर वहां पर भाषण करने लग जाता तो आप जानते हो कि कितना टाइट प्रोग्राम था। 'झरोखा, 2000' को भी देखने के लिए लोगों को बहुत कम समय मिला। आपको उसकी गम्भीरता को समझंना चाहिए। आप पता नहीं थे या नहीं, मैं कह रहा हूं कि जितनी गम्भीरता के साथ में दो दिन यह सम्मेलन चला, आप सब लोगों का तो बहुत अनुभव है, मेरा 20–25 साल का सार्वजनिक जीवन का अनुभव है, इतनी गम्भीरता से कोई सम्मेलन नहीं चल सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, यह हमें मान कर चलना चाहिए, यह उन सभी लोगों के पत्र आये हैं और मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा, केवल यहां की बात नहीं, आप भी

(डा. चन्द्रभान)

देश–विदेश जाते रहते हैं, इस आई.आर.सी., 2000 की तो प्रशंसा ही प्रशंसा हो रही है। हो सकता कि इससे आपको दिक्कत हो।

उपाध्यक्ष महोदय, एक–दो बातें मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछीं। एक तो यह पूछा कि यह जो एडवेंट ग्रीन है, इसको आपने कितना पैसा दिया ?

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : कांट्रेक्ट क्या दिया, यह पूछा है।

**डा. चन्द्रभान** : यह ग्रीन एडवेंट जो है ये इवेंट मैनेजर थे और इन्होंने कोई पैसा चार्ज नहीं किया, इन्होंने फ्री आफ कास्ट काम किया।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : इन्होंने कमाया कितना ?

**डा. चन्द्रभान** : वन मिनट। इनका चयन अगस्त के महीने में हुआ था और ओपन बिडिंग के थ्रू हुआ था।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : बिडिंग काहे की होगी जब फ्री आफ कास्ट होगा ?

**डा. चन्द्रभान** : मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि किसी को कंसल्टेंसी भी देनी है, हमारी गवर्नमैंट ट्रांसपेरेंट गवर्नमैंट है, व्यासजी, जरा आप सुनिये तो, किसी को कंसल्टेंसी देनी है या किसी भी कार्य के लिए एंगेज करना है...

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : Dr. Chandrabhan, kindly don't touch a point on which you are on a very weak wicket.

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मंत्रीजी, अब तो आप थाली, चमचों की बात बता दो। खतम करो।

**डा. चन्द्रभान** : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो ग्रीन एडवेंट है इसने फ्री आफ कास्ट काम किया, यह मैं साफ कहूंगा। यह जो आप कह रहे हैं, इसमें मैं कोई वीक विकेट पर नहीं हूं।

दूसरी बात आपने कहीं कि कलकत्ता गये थे। यह बात सही है कि कलकत्ता में करीब 100 प्रवासी राजस्थानी इकट्ठे हुए थे। लेकिन जैसा मैंने शुरू में ही मेरे वक्तव्य में कहा प्रवासी राजस्थानियों की संख्या तो बहुत ज्यादा है, लाखों में। होगी सब को थोड़े ही इंवाइट करना था। मैंने कहा कि कला व संस्कृति में, शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा में, डिफेंस में हर क्षेत्र में जो विशिष्ट व्यक्ति थे...

**मोहम्मद माहिर आजाद** : उपाध्यक्ष महोदय, लोगों के सलैक्शन का क्राइटेरिया क्या था, मापदंड क्या था ? (व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** : जो अच्छा पैसा दे सके। (व्यवधान)

**डा. चन्द्रभान** : आपने मेरे वक्तव्य का

(डा. चन्द्रभान)

सुना नहीं अच्छी तरह से लेकिन फिर भी, उपाध्यक्ष महोदय, कलकत्ता से लोग तो आये थे, आप भी जानते हो। कई लोग आये थे, उनकी संख्या 15 से 20 के बीच में होगी,. मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता। लेकिन 22 सितम्बर को कलकत्ता से आने वाली इंडियन एयर लाइंस की फ्लाइट रद्द हो गयी थी उसके कारण सम्मेलन में आ रहे करीब 40 आमंत्रित भी भाग नहीं ले सके थे। उपाध्यक्ष महोदय, जब सभी सदस्य कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ तो मुझे आगे कुछ नहीं कहना है। धन्यवाद।

## अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

### अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पुलिस अधिकारियों के साथ अन्याय

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री सुरेन्द्र व्यास, श्रीमती सुमित्रा सिंह एवं श्री जीतमल खांट, सदस्य, विधान सभा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कतिपय पुलिस अधिकारियों के साथ कथित रूप से भेदभाव एवं अन्याय किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में प्रक्रिया के नियम 127 के अन्तर्गत थोड़े समय के लिए चर्चा उठाएंगे। श्री सुरेन्द्र व्यास।

**श्री खेतसिंह राठौड़** (विधि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन था कि यह सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, अगले सैशन के अंदर एक दिन पूरा ले लें ताकि इस पर डिस्कशन हो जाए।

**मोहम्मद माहिर आजाद** : कल रख लो। (व्यवधान)

**श्री खेतसिंह राठौड़** : क्योंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की रिपोर्ट पर...(व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। (व्यवधान)

**श्री बाबूलाल नागर** : उपाध्यक्ष महोदय, चर्चा आज ही होनी चाहिए। (व्यवधान)

**श्री घासीलाल मेघवाल** : चर्चा आज और अभी होनी चाहिए, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। (व्यवधान)

**श्री खेतसिंह राठौड़** : पूरा एक दिन चाहिए।

**श्री घासीलाल मेघवाल** : उपाध्यक्ष महोदय, चर्चा आज और अभी होनी चाहिए। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : उपाध्यक्ष महोदय, अगले सत्र में कर ली जाए। (व्यवधान)

**श्री घासीलाल मेघवाल** : यह बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है, इन पर अभी चर्चा हो चाहिए। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, विराजें। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : एस.सी., एस.टी. के मामले में डी.पी.सी. आप कब बैठा रहे हैं ?

(श्री रामस्वरूप)

डी.पी.सी. कब निर्णय कर रही है ? इनकी पदोन्नति के लिए डी.पी.सी. बैठ रही है क्या ? (व्यवधान)

**श्री जगत सिंह दायमा** : यहां पर एसी.टी., एस.टी. के लोग +++ लज्जित हो रहे हैं। (व्यवधान) और बड़े-बड़े लोगों को आपने कर दिया पदोन्नत।

**श्री उपाध्यक्ष** : जगत सिंहजी, आप बिराजें।

**श्री रामस्वरूप** : गृह मंत्रीजी, इनकी बात का ध्यान मत दीजिये, यह प्रश्न मैंने उठाया है मेरी बात का ध्यान दो। करो इस काम को जरूर। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप बिराजिये।

माननीय मंत्री महोदय, जब यह सूची तय हुई थी उस समय माननीय अध्यक्ष महोदय, ने यह पूरा विश्वास दिलाया था कि इस सूची की समाप्ति तक इनको बोलने का मौका दिया जाएगा। इसलिए अगर माननीय सदस्य विड्रा करें अपने आप कि इसको आगे रखिये, तो विड्रा कर सकता हूं मैं, बाकी तो चर्चा होगी।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करूंगा कि अगली बार डिबेट में सबसे पहला मौका आपको दिया जाएगा।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : हो गया न, बैठो। कर रहे हैं न।

**श्री अशोक बैरवा** : अगली बार हजारों लोगों का भविष्य बिगड़ जाएगा।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय मंत्री का यह सुझाव कि यह प्रस्ताव अगले सत्र में...(व्यवधान)

मैं मोशन पर ही बोल रहा हूं, आप तसल्ली तो रखो, धैर्य रखो। माननीय संसदीय मंत्री का यह सुझाव कि यह प्रस्ताव अगले सत्र में रखा जाए।

**श्री उपाध्यक्ष** : यह तो बात समाप्त हो गयी, आप अपनी बात कहो। That is finished. मोशन पर बोलो।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** (मालपुरा) : यह मेरे मोशन का पार्ट है, मोशन पर बोल रहा हूं मैं। राज्य सरकार की मनोस्थिति का द्योतक है। वाकई में इस वक्त में, उपाध्यक्ष महोदय, जो भ्रांति फैली हुई है और जिसके लिए पूर्णतया राज्य सरकार दोषी है वह यह है कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हो गया जिसकी वजह से एस.सी. और एस.टी. के अफसर जिनको गलत तरीके से तरक्की मिल गयी थी वे वापस पदावनत हो गये और उनको वापस प्रमोट नहीं कर सके। मुझे बहुत तकलीफ है, उपाध्यक्ष महोदय, कि राज्य सरकार इस बात को समझने की

---

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

चेष्टा नहीं कर रही है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की आड़ में एक बहुत बड़ा अन्याय शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के अफसरों के साथ किया गया है। आपकी मेहरबानी पर, आप चाहते हैं कि अगले सैशन तक कुछ वाया मीडिया निकाल कर कुछ पोस्टों को क्रिएट कर दें ताकि ये एडजस्ट हो जाए, उपाध्यक्ष महोदय, वह स्थिति नहीं है। मैं फैक्ट्स इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। यह फैक्ट्स रखना चाहता हूं कि कुछ अधिकारी तो ऐसे हैं जिनको अगर सामान्य वर्ग का भी माना जाए तो भी वे प्रमोशन के हकदार थे उनको किस तरह से इस सरकार की ब्यूरोक्रेसी ने या आपने, यदि आपकी मनोवृत्ति एंटी शिड्यूल्ड कास्ट है तो आपने या ब्यूरोक्रेसी ने...(व्यवधान) आप सुनिये, बीच में इंट्रप्ट मत करिये, बड़ा गम्भीर विषय है।

उपाध्यक्ष महोदय, 5 अगस्त, 1997 को आर.पी.एस. के 18 अधिकारियों की पदोन्नति हुई आई.पी.एस. के अंदर। इसमें 9 अधिकारी अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के है। फिर दिसम्बर, 1998 के अंदर 10 अधिकारियों की पदोन्नति हुई। इनमें से एक अनुसूचित जाति का है। कुल 28 हैं। अब इन 28 अधिकारियों की पदोन्नति होने के बाद बाकायदा ये एस.पी. का सब जगह काम कर रहे थे। अब मसला सिर्फ एस.पी. का नहीं है, पूरे आई.पी.एस. आफिसर्स का है। 28 आदमी जो प्रमोट हुए हैं। एक केस पैंडिंग था, कुछ अपीलें लम्बित थीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एक पंजाब की एप्लीकेशन लम्बित थी 379.2 से 379.4, 1989 अजीत सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य। उन्हीं सिमिलर फैक्ट्स के आधार पर राजस्थान की अपीले पेंडिंग थी। उसमें कुछ क्लेरिफिकेशन के लिए दरख्वास्त लगी और उस क्लेरिफिकेशन के लिए उन्होंने जो किया, उन्होंने कहा कि यह एप्लीकेबल उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब सब में होगा, जो भी वहां पर सिमिलर केसेज लगे हुए हैं। अब एक बड़ी काम्प्लैक्स स्थिति हो गयी। गृह मंत्रीजी का सब्जैक्ट है वैसे तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने मोशन पर लिखा है कि कार्मिक मंत्रीका सब्जैक्ट नहीं बनता है यह, क्योंकि कार्मिक मंत्रीजी ने तो इस सूची पर जो बदमाशी है ब्यूरोक्रेसी के द्वारा यह सरकार द्वारा गड़बड़ की गयी है उसके आधार पर पदोन्नति दी है। तो कैच वर्ड होता है। मैं सदन को स्पष्ट समझाने के लिए कहूं कि एक यदि कोई एस.पी. का अधिकारी आर.पी.एस. वर्ग में या कनिष्ठ वर्ग के अंदर है, मान लीजिए 1973 के अंदर है और एक सामान्य वर्ग का आदमी 1970 से है। रोस्टर प्रणाली लागू होने से प्रमोशन 1973 वाला पहले से लेता है वह सीनियर स्केल में पहुंच गया और समय के अन्तराल के बाद 1980 के अंदर सात साल के बाद में अगर वह सही जगह ठहरा हुआ है और वह जो 1970 का अधिकारी है वह

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

पिछड़ तो गया लेकिन वह भी प्रमोशन लेकर उस कैडर में पहुंच गया तो सुप्रीम कोर्ट ने यह होल्ड किया कि वह उसको पकड़ लेना कैच कर लेगा। कैच करने का मतलब यह है कि जो उसकी ओरिजनल सीनियरिटी है वह वापस रेस्टोर हो जाएगी, वह सिमिलर हो जाएगा। इस बात को आप समझने की चेष्टा कीजिए लेकिन यदि इस समय के अंतराल में यह दूसरा प्रमोशन ले जाता है तो कैच नहीं कर सकेगा। यह एक बिन्दु है, मंत्रीजी, जिसके अंदर आपको पूरा ब्यूरोक्रेसी ने घुमा दिया और एस.सी. के साथ यह तोबा करवा दिया। पहली तो अकर्मण्यता जो आपकी सरकार की है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज इस प्रस्ताव के माध्यम से आप सुनने को तैयार हैं या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अनुसूचित जाति का मसला आया है इसलिए शायद आप थोड़ा तसल्ली रखे हुए हैं लेकिन यह फैसला हुआ है 16 सितम्बर, 1999 को और यह है 28.4.2000 का। अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रेल, पूरे सात महीने की लैप्स हैं। सात माह तक आपको पता नहीं था कि आपको रिस्ट्रक्चरिंग करना है, सीनियरिटी दुबारा डिंटरमिन करनी है ? आपने अपने आफिसर्स को ह्यूमिलिएट किया। एस.सी. और एस.टी. के अधिकारियों को ही नहीं, आपने अपने तमाम अधिकारियों को ह्यूमिलिएट किया है। 28 के 28 अधिकारियों को पदावनत कर दिया। आपने समय रहते उनकी सीनियरिटी को दुबारा डिटर्मिन नहीं किया बावजूद इसके नहीं किया कि समाचार पत्रों में इस आशय के समाचार प्रकाशित होते रहे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि गत बजट अधिवेशन के दौरान कार्मिक मंत्रीजी को मैंने इस ओर इंगित किया था, इनसे अनुरोध किया था कि आप क्या कर रहे है। चूंकि यह मसला अधिकारियों का था और एस.सी. के अधिकारियों का था, आपने उसको कोई तवज्जो नहीं दी और आपने इनको 28 तारीख को डिमोट कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, आपने वापस प्रमोशन लिस्ट निकाली है 12 सितम्बर, को उसके अंदर आपने 20 अधिकारियों को वापस पदोन्नत कर दिया और 8 आदमियों को जिनको वापस प्रमोट नहीं किया। I am subject to correction Hon'ble Minister. आठों के आठों एस.सी. और एस.टी. के हैं। आपको इस बात की +++ आठों के आठों आदमी पहले गलत प्रमोशन ले गये थे ? उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सबसे बड़ी वेदना तो यह है, मैंने एक उदाहरण अपने मोशन के अंदर इलस्ट्रेट किया है मदन लाल दहिया का, जो आदमी हर हाल में

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंपलोपित की गयी।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

जितने भी प्रमोटेड लोग हैं। उनमें सबसे सीनियर है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : क्या क्वालिफाइड भी है।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : क्वालिफाइड तो बाद की बात है, सीनियरिटी है। 17 मार्च, 1973 का मदन लाल दहिया का अपाइंटमैंट

(20:15 बजे)

**(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)**

है। और सबसे नजदीक अगर कोई है इनके, तो शिव प्रसाद शर्मा है, उसका नवम्बर, 1973 का अपाइंटमैंट है। दहिया का अपाइंटमैंट है फरवरी, 1973 का शिव प्रसाद शर्मा का है नवम्बर, 1973 का। उसके बाद ...(व्यवधान) और का और भी बाद का है 1974 का है, 1977 का है बाबूलाल जैन का, गोयल का, सब सामान्य वर्ग के लोग हैं। उन अधिकारियों से मुझे कोई शिकायत नहीं है लेकिन जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह करना चाहता हूं कि आर.पी.एस. की जो मूल नियुक्ति है उसके अंदर इस आदमी का सबसे पहले अपाइंटमैंट हुआ है। सभापति महोदय, यह मैंने चार्ट भी दिया है इसके अंदर आर.पी.एस. के सीनियर स्केल में 79 में 45 पर तो है मदन लाल दहिया 49 पर शिव प्रसाद शर्मा, 55 पर है पदम चन्द काला, 56 पर है, रिद्धकरण चौहान और 58 पर है बाबू लाल जैन। सभापति महोदय, अब 10.5.2000 को आपने लिस्ट टेंटेटिवली रिवाइज की है। यह आपके द्वारा प्रकाशित है, 10.5.2000 की है, मंत्रीजी, इस बात को नोट कर लीजिए। लिस्ट आपने बनायी है, गृह मंत्रीजी, इसलिए मैं आपको निवेदन करता हूं। 10.5.2000 की लिस्ट के अंदर सीरियल नम्बर 24 पर मदन लाल दहिया है, 43 पर शिव प्रसाद शर्मा है, 45 पर पी.सी. काला है, 46 पर आर.के. चौहान है, और 47 पर बी.एल. जैन है। इसके बाद आपने इनको सलेक्शन स्केल दी है, अलग–अलग दी है उसमें भी पहली लिस्ट के अंदर दहिया है। 14 जून, 2000 को आपने जो लिस्ट निकाली है उसके अंदर, सभापति महोदय, कहां जाकर बदमाशी हुई है, क्यों हालांकि यह असंसदीय भाषा है एक तरह से लेकिन यह बदमाशी हुई है इसलिए कहना पड़ रहा है। सिर्फ कुछ आदमियों को एडजस्ट करने के लिए मई की लिस्ट मैंने सुनायी और 14 जून को आपने लिस्ट रिवाइज कर दी, यह फाइनल कर दिया। 12 पर जी.एल. तिवाड़ी, 13 पर शिव प्रसाद शर्मा, 14 पर पी.सी. काला, 15 पर आर.के. चौहान, 18 पर उमेश जोशी, 19 पर बी.एल. जैन और 21 पर मदन लाल दहिया। ए.सी.आर. खराब थी क्या इसकी ? ए.सी.आर. खराब नहीं थी तो पहले कैसे प्रमोशन ले लिया ? इसी स्टेज पर जूनियर हुआ है यह। आप रोस्टर की बात जाने दीजिए सभापति महोदय, एक जवाब जो मंत्रीजी

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

देने वाले हैं, जिसका मुझे अंदेशा है, जो इनको ब्यूरोक्रेसी ने ब्रीफ किया होगा वही जवाब देंगे न ? वह मैं आपको पहले बता देता हूं। आप यह कहेंगे कि 54 वर्ष के बाद भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति नहीं हो सकती। चूंकि दहिया साहब 54 को क्रास कर गये इसलिए उनकी पदोन्नति नहीं हुई। मंत्रीजी, आप बहुत वरिष्ठ मंत्री है, राजस्थान का प्रशासन आपने अनेक वर्षों तक चलाया है, ऐसे पदोन्नति के मामले आपने बहुत देखे हैं, आज 2000 के अंदर अगर पदोन्नति देते हैं और आप देते है 1997 से, 1994 से, कोर्ट भी देती है, गवर्नमैंट भी देती है। आई.पी.एस. की वेकेन्सी 90–91 में सात, 91–92 में तीन, 92–93 में चार, 93–94 में तीन, 94–95 में दो। 1995 के अंदर दहिया 54 वर्ष के होते है। सत्रह वेकेन्सीज हैं पहले। जो आदमी आठ पदोन्नति नहीं पा सके उनमें से छह को निकाल दीजिए। (व्यवधान) नहीं, नहीं, कंसीडर कैसे नहीं किया जाएगा ? सत्रह वेकेन्सी हैं सभापति महोदय। जो मिसचीफ प्ले की गयी हैं, मंत्रीजी उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं मैं। फिर सबसे तकलीफ की बात तो यह है, इस सदन के अंदर एक चर्चा उठती है, क्लास कन्फ्रटेशन का मामला बनता है। शिड्यूल्ड कास्ट का मामला है, शिड्यूल्ड कास्ट के साथ अन्याय हो रहा है। उस बात को जैसा मैंने पूर्व में आपसे निवेदन किया, जनरल भ्रांति बनती है कि शिड्यूल्ड कास्ट की वजह से बोल रहे है लेकिन चूंकि इनका गलत प्रमोशन हो गया था इसलिए अब प्रमोशन नहीं हो सका। सभापति महोदय, एक पत्र में मैंने एनक्सचर लगाया है। प्रिय श्री अहमद खानजी मुख्य मंत्रीजी का पत्र है यह, श्री मदन लाल दहिया, कमांडेंट चौथी बटालियन, आर.ए.सी. जयपुर की वरिष्ठता का निर्धारण करने के संबंध में आपका पत्र दिनांक 23 जुलाई, 2000 मुझे प्राप्त हो गया है मैं इसे दिखा रहा हूं, 3.8.2000, 3.9, 3.10 और 3.11 तीन महीने में दिखा रहे हैं। सभापति महोदय, यह बात तो मैं भी मानता हूं यह तो मैं नहीं कहना चाहूंगा चाहे मैं कितना ही प्रखर आलोचक मुख्य मंत्रीजी का होऊं लेकिन यह तो मैं नहीं मानता कि मुख्य मंत्रीजी की कोई अनुसूचित जाति के प्रति दुर्भावना हो सकती है, होम मिनिस्टर की भी नहीं है। मैं कब कह रहा हूं ? मैं स्वीकार करता हूं कि उनकी दुर्भावना नहीं हो सकती। पर अयोग्यता तो है न। मेरा जो एक वर्ड है, आप यह बात समझ गये कि इससे अयोग्य मुख्य मंत्री कोई हो सकता है ? इससे अयोग्य कोई सरकार हो सकती है ?

**श्री सभापित** : माननीय सदस्य, थोड़ा सा भाषा में संयम रखे।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : सभापति महोदय, क्या गलत कह रहा हूं ? योग्यता और अयोग्यता...

**श्री सभापति** : थोड़ा भाषा में संयम रखें, अच्छा रहेगा।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : बिलकुल मोशन पर बोल रहा हूं। सब्जेक्टि, बिलकुल असंसदीय नहीं बोल रहा हूं।

**श्री सभापति** : मैं असंसदीय नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं भाषा में थोड़ा संयम रखे तो अच्छा रहेगा।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : इनकाम्पीटिटिव की हिन्दी अयोग्यता ही होती है।

**श्री सभापति** : आपका नम्बर आएगा बोलने का।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : ये मैंने वेकेन्सी बताई और यह प्रमोशन का आपको बता दिया। सभापति महोदय, एक मदन लाल दहिया का तो मैंने एग्जाम्पल दिया है क्योंकि मदन लाल दहिया का सबसे ठोस आधार के ऊपर केस बनता है। परन्तु सभापति महोदय, ऐसा नहीं है कि मदन लाल दहिया एक मात्र एग्जाम्पल हो। मदन लाल दहिया का एग्जाम्पल तो वह एग्जाम्पल है जिसको सामान्य वर्ग में अगर आप मानते हो तो भी वह इस बात का अधिकारी है, इस बात का पात्र है कि उसको सबसे पहले प्रमोशन मिलना चाहिए था। उसके साथ आपने बड़ी ज्यादती की है। लेकिन अन्य शिड्यूल्ड कास्ट के आफिसर्स जो हैं जेवरिया है, कांवट है इनको आपने रखा है। तीन–चार अधिकरी हो सकते हैं। इस सरकार से यह अपेक्षा थी, मंत्रीजी कि आप पोस्ट नई क्रियेट करते। आप डी.जी. बना देते हो पांच–पांच छह–छह, क्योंकि आपको एक अपनी पसंद का डी.जी. बनाना है तो एण्टी करप्शन में भी डी.जी. बैठा देते हो, होम गार्ड में भी डी.जी बैठा देते हो। चीफ सैक्रेटरी आप अपनी चाइस का बैठाते हो। पांच–पांच, छह–छह चीफ सैक्रेटरी की स्केल देकर लोगों को बैठा देते हो। जितने आई.ए.एस. आफिसर्स की वरिष्ठता लांघकर आप बैठाते हैं चीफ सैक्रेटरी, उससे सब वरिष्ठ लोगों को वह स्केल देना पड़ता है और वह देना पड़ता है। यह आप भी करते थे, सब गवर्नमैंट करती है। आपके मन में यह तकलीफ पैदा नहीं हुई कि शिड्यूल्ड कास्ट के लोग जो रह गये हैं उनको एडजस्ट करे ? पर मंत्रीजी, मैं फिर आपको निवेदन करता हूं, इन आठ अधिकारियों में से तीन–चार अधिकारी हो सकते हैं जो आपकी सहानुभूति के पात्र हो। चार–पांच अधिकारी के तो अपने अधिकार के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं; आपकी कोई मेहरबानी की जरूरत नहीं है। आपसे सिर्फ न्याय चाहते हैं आप उनसे क्या सहानुभूति करेंगे, जो सरकार उनके प्रति एक साधारण, मानवीय न्यायसंगत दृष्टिकोण नहीं अपना सकती ?

सभापति महोदय, मैं अधिक बात नहीं करना चाहूंगा, मैं सिर्फ केटेगरिकल एश्योरेंस गृह मंत्री से चाहूंगा कि इसको एग्जामिन कराकर–आप मेहरबानी करके यह बात

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

बिलकुल मत कीजिएगा, मैं इसका भारी विरोध करूंगा। कोर्ट से तय़ हो जाए कोर्ट से, बैकलॉग बहुत इक्ट्ठा हो रहा है। आप जल्दी से जल्दी कोई समयबद्ध सीमा के अंदर इनकी वरिष्ठता का पुनर्निर्धारण कराएं और फिर, कानून मंत्रीजी आप इनको आई.पी.एस. अफसर में ले, क्योंकि आपका बहुत रोल है भी नहीं, रोल तो उन्हीं का है। बदमाशी तो वरिष्ठता सूची में हुई है, आपने तो आंख मींचकर पदोन्नति दे दी। लेकिन आप इसमें करें। जब आप इतना कर रहे हैं तो कुछ आई.पी.एस. के पद अगर दो-तीन अधिकारी रह भी जाते हैं अनुसूचित जाति के जो आलरेडी आफिशियेट कर चुके हैं। एक बात बताइये मंत्रीजी मैं आरोप नहीं लगाना चाहता लेकिन आपकी आत्मा से सोचिये आप, कि कुछ लोग सामान्य वर्ग के हैं जो किसी न किसी हाइएस्ट क्वार्टर के ऊपर जाकर के किसी के रिश्तेदार हैं। उनको एडजस्ट करने के लिए शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को नीचे डाल दिया और बिलकुल गलत तरीके से नीचे डाल दिया। तो फिर आप उन शिड्यूल्ड कास्ट के आफिसरों को, दो-तीन आदमी से ज्यादा नहीं हैं, जो इन आई.पी.एस. में आफिशियेट कर चुके हैं उनको एडजस्ट करने के लिए उनको वापस आई.पी.एस. बनाने के लिए क्या कोई नया पद सृजित करेंगे ?

मैं, अन्त में सभापति महोदय, आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया और माननीय मंत्रीजी से यह अपेक्षा करता हूं कि मांग बता दी मैंने, दो ही मांग है, दोनों में आप कैटेगरिकल एश्योरेंस हाउस को दें किसी समय सीमा के अंदर।

**श्री सभापति** : माननीय सुमित्रा सिंह।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं)** : माननीय सभापति महोदय, वैसे तो इस सारे मामले को मालपुरा से आने वाले सदस्य ने बहुत विस्तार के साथ बता दिया कि किस प्रकार से अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकारियों को आई.पी.एस. से डिमोट किया गया, एक साथ 28 अधिकारियों को प्रमोट किया गया था और उन 28 अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के किसी डिसीजन की वजह से वापस डिमोट किया गया, पदावनत किया गया। 18 को तो बाद में वापस पदोन्नति दे दी गयी, लेकिन आठ अधिकारी सारे के सारे अनुसूचित जाति और जनजाति के जैसाकिं मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, 54 साल के बाद उनका आई.पी.एस. में सलैक्शन नहीं होता है, लेकिन 1997 में मदन लाल दहिया का प्रमोशन हो गया था और उस समय 54 साल की उम्र उन्होंने पार नहीं की थीं डी.पी.सी. बैठी नहीं, सीनियरटी तय कर पाये नहीं और उसका खमियाजा भुगताना पड़े अनुसूचित जाति और जनजाति को, मैं समझती हूं, यह उनके साथ जबर्दस्त अन्याय है। इसलिए मैं अधिक नहीं कहते हुए इतना ही निवेदन

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

करना चाहूंगा कि इस मामले में एक आम असन्तोष की भावना और एक डीमोरलाइजेशन की भावना अनुसूचित जाति और जनजाति के आई.पी.एस. आफिसर्स में है जिनको आपने आई.पी.एस. को आर.पी.एस. बना दिया है। मदन लाल दहिया को तो सीनियर स्केल भी पहले मिली, सलैक्शन स्केल भी पहले मिली। उसके बाद उनका प्रमोशन नहीं होना सचमुच में बड़ी अजीब-सी बात लगती है। इसके पीछे किसकी साजिश है, कैसे हुआ, कौन इतना पहुंच वाला व्यक्ति है सामान्य वर्ग में कि जिसने इन सब बातों की अनदेखी करके उनको प्रमोशन देने के लिए इनको रख दिया ? आपके यहां पर जितने विधायक अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं, इनके दिमाग में भी एक तरीके का कंफ्यूजन है और वे भी सोच रहे हैं, मन में असन्तोष है, आक्रोश है इस बात को लेकर...

**श्री सभापति** : वे अपनी बात खुद कहेंगे, आप तो अपनी कह दो।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : आप मुझे कहने से कैसे रोक सकते हैं ? मेरे को भी अधिकार है अपनी बात कहने का।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : आप समय पूरा नहीं दे उनको, वे कैसे बोलेंगे ?

**श्री सभापति** : समय पूरा दिया जाएगा इनको, सुमित्राजी को।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : इनको नहीं, दूसरे मैम्बर्स को।

**श्री सभापति** : जितना बोलना चाहे बोलिये आप, छुट्टी है आपको। सुमित्राजी के लिए।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : मुझे अधिक कुछ कहना नहीं है। मुझे इतना ही कहना है कि इस पर पुनर्विचार करें आप। दो चार पोस्ट और आई.पी.एस. की क्रिएट करके किसी न किसी तरीके से इन लोगों को एडजस्ट करें ताकि उनके आक्रोश और उनके असंन्तोष को आप दूर कर सके।

**श्री सभापति** : माननीय जीतमल खांट।

**श्री जीतमल खांट** (बागीदोरा) : माननीय सभापति महोदय, मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगा। आर.ए.एस. व आर.पी.एस. की वरिष्ठता के चयन प्रक्रिया का एक ही मापदंड अपनाया जा रहा है या अलग-अलग ?

नवम्बर 2, 1997 से पहले क्या रोस्टर प्रणाली थी और अब क्या है ? क्या इसे 1985 से लागू किया जा रहा है ?

**श्री सभापति** : गृह मंत्री माननीय श्री गुलाब सिंहजी। (व्यवधान) पहले आपका।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : कानून मंत्रीजी एक सवाल ही है...(व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : माननीय सभापति महोदय, इसके बारे में हमने भी निवेदन किया था। एस.सी. और एस.टी के अधिकारियों के साथ जो अन्याय हुआ है,

(श्री रामस्वरूप)

कई बार हम माननीय गृह मंत्रीजी से भी मिले है। (व्यवधान)

**श्री जगत सिंह दायमा** : सभापति महोदय, ऐसे अधिकारियों को नियुक्ति दे दी...(व्यवधान)

**श्री सभापति** : माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद में कोई आवश्यकता होगी तो...(व्यवधान)

**श्री बुलाकीदास कल्ला** (सामान्य प्रशासन मंत्री) : आप लोग बोल लिये। जो मुद्दे उठाये हैं उन पर सुनना तो चाहिए न आपको ? (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : माननीय मंत्रीजी जब निवेदन करना चाहते हैं, 8 अधिकारियों को जो पदावनत किया है उनको पुनः ... (व्यवधान)

**श्री घासीलाल मेघवाल** : माननीय सभापति महोदय, जिन अधिकारियों ने सरकार को गलत रिपोर्ट दी है उन अधिकारियों के खिलाफ सरकार कार्यवाही करे। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : एस.टी., एस.टी. का इन्होंने ठेका ले लिया क्या ?

**श्री घासीलाल मेघवाल** : जिन अधिकारियों ने सरकार को गुमराह किया है ...(व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : मैंने कई बार उनको निवेदन किया है, लिखित में दिया है। आज हमारी सरकार जरूर उस बारे में विचार कर रही है। (व्यवधान) जरूर वह घोषण करेंगे कि कब पदोन्नति दे रहे है। (व्यवधान) डी.पी.सी. कब बैढा रहै हैं। (व्यवधान)

(20:31 बजे)

**(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)**

**श्री जगत सिंह दायमा** : राष्ट्रपति से मैडल मिला उनको हटा दिया। (व्यवधान) एस.टी., और एस.सी. के थे। (व्यवधान)

**श्री अशोक बैरवा** : मेरा आपके माध्यम से...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : बैठो तो बोले। (व्यवधान)

**श्री अशोक बैरवा** : सारे अवार्ड, राष्ट्रपति अवार्ड जो सम्मानित अधिकारियों को दिये गये...(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : यह मसला नहीं है। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : मैं आपके माध्यम से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार इसको गम्भीरता से ले रही है और मुझे विश्वास है मंत्रीजी भी इसे गम्भीरता से लेंगे। (व्यवधान) निश्चित रूप से उनकी पदोन्नति करेंगे। (व्यवधान) यह कोई राजनीति का मसला नहीं, यह एस.सी. और एस.टी. का मामला है। (व्यवधान) इसको राजनैतिक रूप नहीं दिया जाए। माननीय मंत्रीजी जरूर इस पर विचार करेंगे, घोषणा करेंगे। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : यदि सरकार अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही करना चाहती है तो...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, प्लीज।

**श्री रामस्वरूप** : ये राजनैतिक रूप दे रहे हैं। हमारे निवेदन पर मंत्रीजी बोल रहे हैं।

**एक माननीय सदस्य** : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बैठिए। काहे का पाइंट आफ आर्डर ? (व्यवधान)

**श्री अशोक बैरवा** : सब विभागों के अंदर इसकी कार्यवाही की जा रही है।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य...(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : सरकार इनके प्रमोशन छीन रही है। (व्यवधान)

**श्री घासीलाल मेघवाल** : उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा गया था कि 6 तारीख को माननीय गृह मंत्रीजी जवाब देंगे। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जवाब नहीं सुनना चाहते हैं। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : माननीय मंत्रीजी घोषणा करने वाले हैं आप उनको सुनना नहीं चाहते हैं। जवाब तो देने दो मंत्रीजी को। आप केवल बोलना चाहते हो, जवाब सुनना नहीं चाहते हो।

**श्री मदन दिलावर** : आप इनको प्रमोशन कब दोगे ? (व्यवधान) सदन में प्रमोशन की घोषणा करें। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : विराजिये, विराजिये, माननीय सदस्य।

**श्री अशोक बैरवा** : वह आर.पी.एस. से जुड़ा हुआ मसला नहीं है। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : अब यह सरकार को सुनना ही नहीं चाहते है। (व्यवधान)

**श्री अशोक बैरवा** : अब यह क्या जवाब देना चाहते हैं ? एस.सी., एस.टी. विरोधी ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, बैठिये प्लीज।

**श्री रामस्वरूप** : माननीय मंत्रीजी, घोषणा करं दो, पदोन्नति की जा रही है।

**एक माननीय सदस्य** : पुनः समीक्षा कीजिए। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : डी.पी.सी. बैठाई जा रही है, कर दो घोषणा आप तो।

**श्री अशोक बैरवा** : यह गम्भीर मसला है और इस तरह का गलत संदेश पूरे राजस्थान में जा रहा है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : बैठिये आप। माननीय सदस्य, बैठिये।

**एक माननीय सदस्य** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा था कि 6 तारीख को

(एक माननीय सदस्य)

जवाब देंगे। पता नहीं माननीय मंत्रीजी बीच में कहां से आ गये ? (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, पहले बैठिये। आप बैठिये न। प्लीज सिट डाउन।

**एक माननीय सदस्य** : इनके साथ अन्याय हुआ है। (व्यवधान)

**श्री बाबूलाल नागर** : कार्मिक विभाग के अंदर कुंठाग्रस्त लोग बैठे हुए हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आप सुनिये।

**श्री रामस्वरूप** : माननीय मंत्रीजी, जवाब दो। हम सभी आपसे निवेदन कर रहे हैं, हम सत्ता पक्ष वाले भी निवेदन कर रहे हैं। उनके साथ जो अन्याय हुआ है...(व्यवधान) हमको भरोसा है हमारी सरकार जरूर जवाब देगी। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। (व्यवधान)

**श्री बाबूलाल नागर** : दो दिन पहले सदन में यह आश्वासन दिया था...(व्यवधान) भीमराव अम्बेडकर को प्रतिबिंब समझता है। (व्यवधान) हमारा आपसे निवेदन है...

**श्री उपाध्यक्ष** : विराजो। सारे ही बोलोगे क्या ? दस जने बोलोगे क्या ?

**श्री बाबूलाल नागर** : हमारा आपसे निवेदन है कि इस पदावन्नति प्रकरण की पुनः समीक्षा की जाए।

**एक माननीय सदस्य** : आप स्थगित करें दो असेम्बली। सुनना ही नहीं चाहते हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : बैठिये, बैठिये। माननीय सदस्य, बैठिये।

**श्री बाबूलाल नागर** : सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि सारे सदस्य खड़े होकर नहीं बोले।

**श्री रामस्वरूप** : मंत्रीजी का जवाब तो आ जाने दो। सरकार के जवाब से ही काम चलेगा, इस तरह बोलने से काम थोड़े ही चलेगा। सरकार घोषणा करेगी तब ही तो काम चलेगा, सरकार को तो सुन लो। (व्यवधान) घोषणा करेगी हमारी सरकार। (व्यवधान)

**श्री बाबूलाल नागर** : सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना है, हाथ जोड़ कर निवेदन है, सारे सदस्य खड़े होकर नहीं बोले। इस मुद्दे पर चर्चा होने दे। माननीय सदस्यों की बात भी सुने। इस मुद्दे पर अव्यवस्था नहीं फैलाए। अगर वे अनुसूचित जाति और जनजाति के हितैषी हैं तो सबसे मेरी हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि मंत्रीजी का इसमें वक्तव्य आने दे। जो सदस्य बोलना चाहे उनकी बात को सब सुने, उनकी बात को आने दे।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बैठिये न। आप इतने एजिटेड हो रहे हो।

**एक माननीय सदस्य** : आज घोषणा करवाई जाए।

**श्री उपाध्यक्ष** : अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

**मोहम्मद माहिर आजाद** : XXX

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : क्या चाहिए आपको ? आप तो बोल चुके, फिर क्या चाहिए आपको ?

**श्री हीरालाल विश्नोई** : XXX

**श्री जीतमल खांट** : XXX

**श्री रामस्वरूप** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : आप इस पर कैसे बोल सकते हो, बताओ ? रूल्स से चलता है हाउस, कोई ऐसे ही चलता है क्या ? कोई नहीं बोल सकता इस पर। कैसे बोल सकते हो ? कैसे बोल सकते हो इनका मोशन है। 127 में जिनका मोशन था उनको बुला दिया। How can you speak on this motion.

**श्री जगत सिंह दायमा** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : नहीं बोल सकते। एस.सी., एस.टी. नियम से चलता है, आप लाइये मोशन। नहीं बोल सकते, आप नहीं बोल सकते हो।

**श्री जगत सिंह दायमा** : XXX

**श्री बाबूलाल नागर** : XXX

**श्री रामस्वरूप** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : आप मंत्रीजी को सुनना नहीं चाहते है।

**श्री जीतमल खांट** : XXX

**श्री हेमाराम चौधरी** : XXX

**श्री रतनाराम चौधरी** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : जवाब देने दो। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य बैठें। माननीय मंत्रीजी।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** (सामान्य प्रशासन मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पुलिस सेवा की विभिन्न संवर्गो की...

**श्री उपाध्यक्ष** : प्लीज, आप बोल लेना। आप बैठिये।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : It does not concern to it, Sir,

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बैठिये।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : 12 सितम्बर को... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बैठिये न। आप पहले बोल चुके हैं। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : सरकार कुछ करना चाहती है, आप सुनना नहीं चाहते हो।

**श्री उपाध्यक्ष** : बैठिये। माननीय मंत्रीजी।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : सुपर टाइम स्केल, चयन वेतन श्रृंखला, वरिष्ठ वेतन

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

श्रृंखला एवं कनिष्ठ वेतन श्रृंखला की वरिष्ठता सूची दिनांक 30.6.1990 को गृह विभाग द्वारा जारी की गई थी। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बोल चुके न पहले। कोई...(व्यवधान) होगा न इसका। कोई एण्ड नहीं। Let him say.

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : आप बाद में बोल लेना। इस वरिष्ठता सूची को राजस्थान पुलिस सेवा के कुछ अधिकारियों ने बी.के.शर्मा एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य याचिका में राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी। इस याचिका में अंतिम निर्णय दिनांक 2.4.1998 को दिया गया जिसके फलस्वरूप दिनांक 30.6.1990 को जारी राजस्थान पुलिस सेवा की वरिष्ठता सूची को निरस्त कर दिया गया तथा राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को ये निर्देश दिये कि राजस्थान पुलिस सेवा की...

**श्री नन्दलाल बंशीवाल** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कागज पढ़ कर क्या सुना रहे हैं ? यह बताये न कि प्रमोशन देंगे कि नहीं देंगे।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बैठो।

**श्री नन्दलाल बंशीवाल** : कोर्ट का आर्डर, अब यह बता दें कि संवैधानिक फैसला है या सैद्धान्तिक फैसला है कोर्ट का ?

**श्री रामस्वरूप** : आप चाहते क्या हो ? सुनना भी नहीं चाहते हो सरकार को। सरकार कुछ कहना चाहती है आप कुछ सुनना नहीं चाहते हैं।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : प्रथम मामले में दिये गये निर्णय दिनांक...(व्यवधान) के आधार पर सूची जारी की जाए। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिये...(व्यवधान) पुनः निर्धारित कर सभी प्रमाणित अधिकारियों को पराणामिक लाभ दिये जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध अधिकारियों एवं राज्य सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई। इस विशेष अनुमति याचिका का अंतिम निर्णय दिनांक 16.9.1999 को अजीत सिंह जनुजा द्वितीय एवं बी.के. विजय एवं अन्य बनाम रामप्रसाद एवं अन्य प्रकरणों में किया गया। इन प्रकरणों में अपने निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 2.4.1998 को सही ठहराया है उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी प्रतिपादित किया है कि यदि किसी अनुसूचित जाति, जनजाति के अधिकारी की पदोन्नति अजीत्त सिंह जनुजा प्रकरण में प्रतिपादित सिद्धान्त के विपरीत 1.4.1997 से पूर्व की गई है तो ऐसे व्यक्ति को पदावनत नहीं किया जाएगा और ऐसे व्यक्ति की मात्र वरिष्ठता पदोन्नत संवर्ग में पुनः निर्धारित की जाएगी। दिनांक 1.4.1997 के बाद पदोन्नत अधिकारियों को यह संरक्षण उपलब्ध नहीं होता। राजस्थान

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में 1990–91 से वर्ष 1994–95 तक की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 11, 12 जून, 1997 को हुई थी। चयन समिति की बैठक के समय राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान पुलिस सेवा की वरिष्ठता सूची दिनांक 30.6.1990 जिसके आधार पर दिनांक 11, 12 जून, 1997 की बैठक आहूत की गयी थी...

**श्री नन्दलाल बंशीवाल** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बैठो। बैठो, माननीय सदस्य।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : के संबंध में एक याचिका संख्या 2812/96...(व्यवधान)

**श्री नन्दलाल बंशीवाल** : यह तो हमने भी पढ़ लिया। यह हमारे पास भी है।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : बी.के.शर्मा एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य चल रही थी।

**श्री नन्दलाल बंशीवाल** : यह हमारे पास भी है।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : कोई बात नहीं है तो भी आप बैठें।

**श्री नन्दलाल बंशीवाल** : मैं एक बात पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से...

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : इस याचिका में माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 26.5.1997 को ये निर्देश दिये थे कि 11, 12 जून, 1997 को दी गयी चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति के आदेश जारी नहीं किये जाए। बाद में 31.7.1997 को राजस्थान उच्च न्यायालय ने पूर्व में दिये गये निर्देशों में परिवर्तन कर ये निर्देश जारी किये कि दिनांक 11, 12 जून, 1997 को की गयी चयन समिति की अभिशंसा के आधार पर भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति के आदेश जारी कर दिये जाए। परन्तु ये आदेश याचिका संख्या 2812/96 बी.के.शर्मा एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेंगे। तदनुसार केन्द्र सरकार द्वारा 18 अधिकारियों के राजस्थान पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति के आदेश जारी कर दिये गये। इन आदेशों में यह स्पष्ट था कि नियुक्ति आदेश याचिका संख्या 2812/96 में होने वाले अंतिम निर्णय के अध्यधीन है। वर्ष 1996–97, वर्ष 1998 रिक्तियों के विरुद्ध राजस्थान पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक भी दिनांक 27.7.1998 को दिनांक 30.6.1990 को जारी वरिष्ठता सूची के आधार पर की गयी थी, क्योंकि यह वरिष्ठता

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

सूची राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 2.4.1998 के निर्णय में निरस्त कर दी गयी थी। लेकिन उस निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में एस.एल.पी. विचाराधीन थी। केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 27.7.1998 को चयन समिति की अभिशंसा के आधार पर 10 अधिकारियों के पदोन्नति आदेश उच्चतम न्यायालय के अंतिम आदेश के अध्यधीन जारी किये गये। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिकाओं में निर्णय दिनांक 16.9.1999 को पारित किया जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय के दिनांक 2.4.1998 के निर्णय को उचित माना गया और उच्च न्यायालय ने श्री आर.के. सूद जो कि इस याचिका में पक्षकार थे द्वारा एक अवमानना याचिका संख्या 379/99 उच्च न्यायालय के दिनांक 2.4.1998 के आदेशों की पालना हेतु राज्य सरकार के विरुद्ध दायर की। इस अवमानना याचिका में राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिनांक 3.3.2000 को वर्ष 1990-91 से वर्ष 1998 तक की रिक्तियों के विरुद्ध भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति हेतु 28 अधिकारियों को पदावनत करने के आदेश दिये। माननीय उच्च न्यायालय ने ये भी निर्देश दिये कि राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार तीन माह की अवधि के अंदर राजस्थान पुलिस सेवा की वरिष्ठता सूची की दिनांक 2.4.1998 के उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर संशोधित करके पुनः राजस्थान पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक कराएंगे। उच्च न्यायालय के दिनांक 3.3.2000 के आदेश की पालना में केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 27.4.2000 के आदेश से सभी 28 भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को राजस्थान पुलिस सेवा में पदावनत कर दिया गया, राजस्थान सरकार के आदेश से नहीं, भारत सरकार के आदेश से।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : आपकी लापरवाही से।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : हमारी कोई लापरवाही नहीं थी। राजस्थान सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के दिनांक 3.3.2000 के आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. दायर की गयी। जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 1.5.2000 को खारिज कर दिया। तो राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के आदेश दिनांक 27.4.2000 द्वारा भारतीय पुलिस सेवा से राजस्थान पुलिस सेवा में पदावनत 28 अधिकारियों को दिनांक 4.5.2000 के आदेश से महानिदेशक पुलिस, राजस्थान के कार्यालय में उपस्थिति देने हेतु निर्देश दिये। चूंकि माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 2.4.1998 में दिनांक 30.6.1990 को जारी राजस्थान

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

पुलिस सेवा की वरिष्ठता सूची को निरस्त कर दिया था, अतः गृह विभाग द्वारा राजस्थान पुलिस सेवा के सुपर टाइम स्केल एवं चयन वेतन श्रृंखला की वरिष्ठता सूची राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 2.4.1998 एवं उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.9.1999 के आधार पर दिनांक 14.6.2000 एवं 19.7.2000 को जारी की गयी।

इस प्रकार दिनांक 14.6.2000 एवं 19.7.2000 को जारी अंतिम वरिष्ठता सूची के आधार पर राजस्थान पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति हेतु पात्रता सूची बनाकर दिनांक 25, 26 जुलाई, 2000 को रिव्यू चयन समिति की बैठक आयोजित की गयी। रिव्यू चयन समिति की दिनांक 25, 26 जुलाई, 2000 की बैठक के बाद अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के कुछ अधिकारियों ने एक याचिका संख्या 3895/2000 चुन्नीलाल एवं अन्य बनाम राज्य सरकार उच्च न्यायालय में दायर की। इस याचिका में गृह विभाग द्वारा दिनांक 14.6.2000 एवं दिनांक 19.7.2000 को जारी राजस्थान पुलिस सेवा की वरिष्ठता सूचियों एवं उनके आधार पर की गयी रिव्यू चयन समिति की बैठक की कार्यवाही को चुनौती दी गयी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस याचिका में याचियों के स्थगन प्रार्थना–पत्र पर अपने अंतरिम आदेश दिनांक 4.9.2000 में ये निर्देश दिये हैं कि केन्द्र सरकार द्वारा रिव्यू चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति के आदेश याचिका संख्या 3895/2000 में अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेंगे। केन्द्र सरकार द्वारा रिव्यू चयन समिति की बैठक दिनांक 25, 26 जुलाई, 2000 के आधार पर राजस्थान पुलिस सेवा, भारतीय पुलिस सेवा में 27 अधिकारियों के नियुक्ति आदेश दिनांक 12.9.2000 एवं 27.9.2000 की अधिसूचनाओं से जारी किये गये थे। ये आदेश राजस्थान उच्च न्यायालय के चुन्नीलाल एवं अन्य बनाम राज्य सरकार के अंतिम निर्णय के अध्यधीन जारी किये है। याचिका संख्या 3895/2000 चुन्नीलाल एवं अन्य बनाम राज्य सरकार अभी भी राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 12.9.2000 एवं 27.9.2000 द्वारा 27 अधिकारियों के भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति के आदेश राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित इस याचिका के अंतिम निर्णय के अध्यधीन है। अतः यह प्रकरण न्यायालय में सबजुडिस है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मालपुरा से आने वाली माननीय सदस्य, पिलानी से आने वाले माननीय सदस्या ने ...(व्यवधान) आपके मुद्दों का जवाब दे दूं फिर आप क्लेरिफिकेशन कर लेना... (व्यवधान) बीच में कैसे बोल रहे है।

**श्री सभापति** : आर्डर, माननीय सदस्य, बिराजे। बिराजे...(व्यवधान)

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इनके मुद्दों पर जवाब दे रहा हूं, एक मिनट।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : आपके पास जजमैंट है ?

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, बिराजे। तसल्ली रखे। (व्यवधान) पेशेन्स रखे, आप बिराजे, अभी खतम थोड़े ही हो गयी।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : उपाध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने अभी यहां पर मामले उठाये, इसके संबंध में मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं। आर.पी.एस. से जो आई.पी.एस. में चयन होता है उसमें यू.पी.एस.सी. का सदस्य चेयरमैन होता है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय का एक प्रतिनिधि वहां पर मौजूद होता है। उसके अलावा मुख्य सचिव, होम सैक्रेटरी, डी.जी.पी. और राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में एच.एन.मीणा...

**डा. किरोड़ी लाल** : भारत सरकार ने बार-बार कहा था...(व्यवधान)

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : भारत सरकार के आदेश से ही पदावनत हुए हैं।

**श्री जगत सिंह दायमा** : आपने डी.पी.सी. क्यों नहीं बैठाई ?

**श्री बाबूलाल नागर** : किरोड़ी लाल मीणाजी, कांग्रेस की राज्य सरकार ने... (व्यवधान)

**श्री नन्दलाल बंशीवाल** : राज्य सरकार अपनी मंशा बता दे...(व्यवधान)

**श्री बाबूलाल नागर** : इस आदेश के लिये भारत के प्रधानमंत्री के पास खुद अपने शासकीय वक्तव्य में कहा है और एक विधेयक बनाने की बात कही है...(व्यवधान) तीन बार आश्वासन दे दिया लेकिन आज तक पार्लियामैंट में विधेयक नहीं लाये... (व्यवधान)

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : उपाध्यक्ष महोदय, मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि...(व्यवधान) खास तौर से बताना चाहता हूं।

**श्री बाबूलाल नागर** : खुद कांग्रेस प्रेसीडेंट सोनिया गांधी ने...(व्यवधान)

**श्री नन्दलाल बंशीवाल** : राज्य सरकार इस मामले में क्या करने जा रही है ?

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : आदेश से जो पदावनत हुए हैं उसमें हरीराम मीणा, सुश्री बादाम बैरवा, पी.सी. दामोर ये राजस्थान पुलिस सेवा के वर्ष 1979 के बैच के अधिकारी हैं...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : बोलना क्या है आपको ?

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : इनके साथ किसी भी प्रकार से सीनियरटी में यह सारे लोग थे। लेकिन मदन लाल दहिया के बारे में जो बातें बतायी हैं उसके बारे में मैं स्पष्टीकरण देना चाहूंगा कि मदन लाल दहिया 1973 के बैच के थे। 1985-86 में राजस्थान पुलिस सेवा की चयन वेतन श्रृंखला में इनके गोपनीय प्रतिवेदन में एडवर्स एंट्री होने के कारण ये चयनित नहीं हो सके। यह आपको जानकारी नहीं है। श्री जघन लाल मीणा जो एस.टी. के हैं और 1976 के बैच के होते हुए भी वर्ष 1985-86 में चयनित हो गये, फलस्वरूप श्री उमेश जोशी...

**डा. किरोड़ी लाल** : तब तो राष्ट्रपति शासन रहा है।

**श्री उपाध्यक्ष** : रहा होगा तो क्या हो गया ?

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : बैच 1976, बाबूलाल जैन बैच 1974, श्री रिद्विकरण चौहान बैच 1974, पी.सी.काला बैच 1975...

**श्री जगत सिंह दायमा** : राष्ट्रपति से पदक मिला गया है फिर ए.सी.आर. खराब क्यों हुई ? इनकी ए.सी.आर. किसने लिखी ? जानबूझकर ऐसा किया गया है।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : शिव प्रसाद शर्मा, बैच 1974 जो सभी श्री जघन लाल मीणा से वरिष्ठ थे...(व्यवधान) वेतन श्रृंखला में पदोन्नत होते हुए अपनी वरिष्ठता श्री जघन लाल मीणा के संदर्भ में रीगैन कर गये। मेरे कहने का तात्पर्य है...

**श्री जगत सिंह दायमा** : राष्ट्रपति तक उनको पुरस्कार दे रहे है, सम्मानित कर रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : इसके कारण दूसरे लोग आगे आ गये।

**एक माननीय सदस्य** : राज्य सरकार अपनी मंशा बताए।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : हमारे मुख्य मंत्रीजी के बारे में यह बात कही, जब मामला सबजुडिस है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी कैसे पोस्ट क्रिएट कराएं। इसलिए इन्होंने जो बातें कही हैं उन्हें मैं खारिज करता हूं।

**श्री जगत सिंह दायमा** : महामहिम राष्ट्रपतिजी ने उनको पुरस्कार कैसे दिया अगर ए.सी.आर. खराब थी तो ?

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : माननीय सदस्य, हमारे योग्य मुख्य मंत्रीजी है, मैटर सब-जुडिस नहीं होता तो मैं समझता हूं कि प्रशासनिक स्तर पर हल करते। एस.सी., एस.टी. के साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे, जो उचित होगा वह निर्णय लिया जाएगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय गृह मंत्रीजी, आप कुछ कहना चाहते है ?

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : We shall be passing separate order in the Punjab, Haryana and Rajasthan cases and other...

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर।

**डा. किरोड़ी लाल** : पूरा भाषण दिया है। आपको सरकार को सदन को बताना पड़ेगा। एस.सी., एस.टी. के लोगों के साथ अन्याय है, अत्याचार है, इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

**श्री अशोक बैरवा** : सदन भी एस.सी., एस.टी. के मामले में सहयोग नहीं करना चाहता। इस सदन में एस.सी., एस.टी. का विरोध सरकार तो कर ही रही है, सदन भी कर रहा है।

**एक माननीय सदस्य** : आदेश की आड़ में सारे विभागों में पदावनति की जा रही है। आपकी आने वाली सरकार को आने वाले समय में एस.सी., एस.टी. वोट नहीं देंगे, आप इस बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान).

**(प्रतिपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा** सदन से बहिर्गमन)

## शासकीय संकल्प

### "छोटे परिवार" के प्रतिबद्धता एवं वातावरण निर्माण

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री राजेन्द्र चौधरी, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री शासकीय संकल्प विचार एवं पारण हेतु प्रस्तुत करेंगे।

**श्री राजेन्द्र चौधरी** (राज्य मंत्री, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) : उपाध्यक्ष महोदय, "हम राजस्थान की ग्यारहवीं विधान सभा के सदस्य सत्यनिष्ठा से शपथ लेते हैं कि "छोटे परिवार" की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए इसे अपनी जीवन शैली का अभिन्न अंग बनाएंगे।

"आज हम यह संकल्प लेते हैं कि सदन में एवं सदन के बाहर ऐसे वातावरण के निर्माण के लिए सतत् प्रयत्नशील रहेंगे जिससे प्रदेश की जनता के मानस में छोटे परिवार की अवधारणा के प्रति सोच विकसित हो तथा उनकी इसमें आस्था बढ़े।"

"हम पूरी निष्ठा एवं प्रतिबद्धता से छोटे परिवार की आवधारणा को आत्मसात करने हुए अपने परिवार, समाज, प्रदेश एवं सम्पूर्ण राष्ट्र को सुखी, स्वस्थ्य एवं समृद्ध बनाने का भरसक प्रयास करेंगे।"

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री

(श्री उपाध्यक्ष)

राजेन्द्र चौधरी, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत शासकीय संकल्प को पारित किया जाए ?

**(स्वीकृत)**

शासकीय संकल्प पारित किया गया।

सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है।

राष्ट्रगान के लिए कृपा कर खड़े हो जाएं।

**जन-गण-मन अधिनायक जय हे**
**भारत भाग्य विधाता**
**पंजाब, सिन्धु, गुजरात, मराठा,**
**द्राविड़, उत्कल, बंग।**
**विन्ध्य, हिमाचल, यमुना-गंगा,**
**उच्छल जलधि तरंग।**
**तव शुभ नामे जागे**
**तव शुभ आशीष मांगे,**
**गाये तव जय गाथा;**
**जन-गण-मन अधिनायक जय हे**
**भारत भाग्य विधाता।**
**जय हे ! जय हे ! जय हे !**
**जय जय जय जय हे !!!**

**(तदनन्तर सदन की बैठक 20.53 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई)**

# परिशिष्ट-1

## (तारांकित प्रश्न संख्या-127 का विवरण)

परिशिष्ट 'अ'

**दिनांक 1.1.2000 से 21.10.2000 तक राज्य सरकार से अभियोजन स्वीकृति की प्राप्त अपराधों की सूची**

| क्र.सं. | अपराध संख्या | विरुद्ध | अभियोजन स्वीकृति की मनाही की दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 162/97 | श्री गजेन्द्र सिंह श्रीवास्तव विकास, अधिकारी, पं. स. हिण्डौली, जिला बूंदी | 23.02.2000 |
| 2. | 28/98 | श्री केशव लाल मोदी, उप जिला शिक्षा अधिकारी, जन जाति क्षेत्रीय विकास बांसावाड़ा | 7.3.2000 |
| 3. | 195/96 | श्री भैरूसिंह डाला, सहायक वन संरक्षक सीतामाता अभ्यारण धरियावद | 18.4.2000 |
| 4. | 27/95 | श्री गोविन्दराम बगड़िया, आर.ए.एस. प्रशासक नगर परिषद, श्रीगंगानगर | 28.4.2000 |
| 5. | 28/95 | श्री गोविन्दराम बगड़िया, आर.ए.एस. प्रशासक नगर परिषद, श्रीगंगानगर | 28.4.2000 |
| 6. | 29/95 | श्री गोविन्दराम बगड़िया, आर.ए.एस. प्रशासक नगर परिषद, श्रीगंगानगर | 28.4.2000 |
| 7. | 30/95 | श्री गोविन्दराम बगड़िया, आर.ए.एस. प्रशासक नगर परिषद, श्रीगंगानगर | 28.4.2000 |
| 8. | 31/95 | श्री गोविन्दराम बगड़िया, आर.ए.एस. प्रशासक नगर परिषद, श्रीगंगानगर | 28.4.2000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 9. | 152/97 | श्री गिरिजा शंकर त्रिवेदी सहायक निदेशक, उद्योग बांसवाड़ा | 25.4.2000 |
| 10. | 139/99 | श्री सुबोध शिवहरे, विकास अधिकारी, प.स.बिछीवाड़ा, डूंगरपुर | 9.6.2000 |
| 11. | 83/95 | श्री त्रिलोचन सिंह सहायक अभियन्ता व अन्य सिंचाई विभाग, साहवा जिला चूरू | 26.6.2000 |
| 12. | 54/99 | श्री जमनलाल कुमावत, क. विशेषज्ञ शल्य, सा.स्वा.के. भीण्डर जिला उदयपुर | 12.7.2000 |
| 13. | 76/94 | श्री जगमाल सिंह आर.ए.एस. अनूपगढ़, जिला बीकानेर | 30.6.2000 |
| 14. | 153/97 | श्री गिरजा शंकर त्रिवेदी, महाप्रबंधक व अन्य रा.वित्त.नि., बांसवाड़ा व अन्य | 24.6.2000 |
| 15. | 154/97 | श्री गिरजा शंकर त्रिवेदी, महाप्रबंधक व अन्य रा.वित्त.नि., बांसवाड़ा व अन्य | 24.6.2000 |
| 16. | 100/99 | डा. नारायण दीक्षित रेडियोलोजिस्ट, अलवर | 21.10.2000 |

परिशिष्ट 'स'

## PENDING PROSECUTION SECTION ( D.O.P.)
## DATED 21.10.2000

| S.No. | CASENO | DATED REGI-STRATION | OUT POST | NAME ACCUSED | DESIGNATION | DEPARTMENT | ADDRESS | GAZ/ NG | APPOINTING AUTHORITY | DATE SENDING PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 92R88 | 15/07/1992 | UDR | NAHAR SINGH KOTHARI | MED JURIST | MEDICAL | MEDICAL COLL UDAPIPUR | G | DOP (K-3) | 25/04/1994 |
| 2. | 92R130 | 07/10/1992 | BPR | SANJAI PUROHIT | IAS | SECRETARIET | JAIPUR | G | DOP (K-3) | 20/10/1994 |
| 3. | 94R22 | 28/01/1994 | SIW | OM PRAKASH GUPTA | MANG DIREC | UDYOG | JAIPUR | G | DOP (K-3) | 10/12/1996 |
| 4. | 94R153 | 07/09/1994 | AJM | RAJ KAMAL | ASTT M ENG | MINES | MAKRANA NAGUR | G | DOP (K-3) | 04/01/2000 |
| 5. | 94R179 | 17/10/1994 | SMR | SMT CHANDRA JAIN | GYNEOLOGST | MEDICAL | GANGAPURCITY SMR | G | DOP (K-3) | 21/12/1999 |
| 6. | 94R219 | 22/12/1994 | UDR | RAMESHWAR LAL | AEN | MUNICIPAL | UDAIPUR | G | DOP (K-3) | 21/01/1997 |
| 7. | 95R9 | 18/02/1995 | SRN | NARENDRA KUMAR | XEN | IRRIGATION | NARVADA PROJ JALLOR | G | DOP (K-3) | 15/05/2000 |
| 8. | 95R142 | 09/10/1995 | SIU | JUGAL KISHOR DAVE | SUPDT | GOVT. PRESS | JAIPUR | G | DOP (K-3) | 25/04/1998 |
| 9. | 96R208 | 04/10/1996 | BSW | SURYA LAL PUROHIT | DEV OFFCR | PANCHAYAT | SARAN BANSWARA | G | DOP (K-3) | 25/06/1999 |
| 10. | 96R226 | 31/10/1996 | NGR | RAM NIWAS | AEN | IRRIGATION | BIKANER | G | DOP (K-3) | 14/06/1999 |
| 11. | 96R264 | 16/11/1996 | BKR | C. K. JAIN | XEN | IRRIGATION | PUNGAL BIKANER | G | DOP (K-3) | 28/08/2000 |
| 12. | 97R17 | 16/01/1997 | HMG | BANADUR SINGH | AEN | IRRIGATION | SIDHMUKH PROJ HNG | G | DOP (K-3) | 21/08/2000 |
| 13. | 97R39 | 20/02/1997 | TNK | PRADEEP GOYAL | XEN | IRRIGATION | DIV TONK | G | DOP (K-3) | 09/10/2000 |
| 14. | 97R93 | 21/04/1997 | SIW | RAJIV GARG | AEN | PWD | NH SUB DIVG JAIPUR | G | DOP (K-3) | 20/04/2000 |
| 15. | 97R114 | 28/05/1997 | INT | VISHNU GOPAL GUPTA | READER | EDUCATION | RAJ UNIV. JAIPUR | G | DOP (K-3) | 03/06/1999 |
| 16. | 97R131 | 19/06/1997 | GNR | M. N. KAROLIWAL | AEN | PWD | JAIPUR | G | DOP (K-3) | 02/07/1999 |
| 17. | 97R150 | 26/07/1997 | BSW | GIRJA SANKAR TRIVEDI | ASSTT. DIR | INDUSTRY | BANSWARA | G | DOP (K-3) | 24/07/1999 |
| 18. | 97R151 | 26/07/1997 | BSW | GIRJA SANKAR TRIVEDI | ASSTT. DIR | INDUSTRY | BANSWARA | G | DOP (K-3) | 24/07/1999 |
| 19. | 97R153 | 26/07/1997 | BSW | GIRJA SHANKAR | ASSTT. DIR | INDUSTRY | BANSWARA | G | DOP (K-3) | 16/08/1999 |
| 20. | 97R154 | 26/07/1997 | BSW | GIRJA SHANKAR | ASSTT. DIR | INDUSTRY | BANSWARA | G | DOP (K-3) | 15/09/1999 |
| 21. | 97R211 | 10/12/1997 | SMR | G. P. VERMA | DEO | EMPLOYMENT | GANGAPUR CITY SMR | G | DOP (K-3) | 22/02/1999 |
| 22. | 97R217 | 23/12/1997 | GNR | RAMESH CHANDRA MUDRA | CHAIRMAN | MUNCIPAL | RAISINGHNAGAR GNR | N | DOP (K-3) | 22/08/1999 |
| 23. | 97R220 | 23/12/1997 | GNR | RAMESH MUDRA | CHAIRMAN | MUNCIPAL | RAISINGHNAGAR GNR | N | DOP (K-3) | 29/07/1999 |

| S.No. 1 | CASEND 2 | DATED REGI-STRATION 3 | OUT POST 4 | NAME ACCUSED 5 | DESIGNATION 6 | DEPARTMENT 7 | ADDRESS 8 | GAZ/NG 9 | APPOINTING AUTHORITY 10 | DATE SENDING PS 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. | 97R221 | 23/12/1997 | GNR | RAMESH MUDRA | CHAIRMAN | MUNCIPAL | RAISINGHNAGAR GNR | N | DOP (K-3) | 02/08/1999 |
| 25. | 98R4 | 07/01/1998 | UDR | RAMESHWAR LAL KHATIK | AEN | MUNICIPAL | UDAIPUR | G | DOP (K-3) | 04/12/1999 |
| 26. | 98R7 | 28/01/1998 | JJN | BAL RAM SHARMA | DEV OFFCR | PANCHAYAT | JHUNJHUNU | G | DOP (K-3) | 24/07/1999 |
| 27. | 98R97 | 28/07/1998 | TNK | G D SHARMA | XEN | IRRIGATION | BISALPUR DEVALI | G | DOP (K-3) | 21/02/2000 |
| 28. | 98R111 | 03/08/1998 | SKR | J P SHARMA | DY CT | FOREST | CIR SIKAR | G | DOP (K-3) | 03/04/2000 |
| 29. | 98R114 | 03/08/1998 | AJM | P PRASAD | DOCTOR | MEDICAL | JLN HOSP AJMER | G | DOP (K-3) | 29/05/1999 |
| 30. | 98R117 | 16/08/1998 | BPR | SURENDRA KUMAR | AEN | IRRIGATION | SUB DIV DEEG BPR | G | DOP (K-3) | 06/03/2000 |
| 31. | 98R150 | 03/09/1998 | JPI | ASHUTOSH BHARGAV | IAS | VETENARY | SECRETARIAT JAIPUR | G | DOP (K-3) | 04/03/1999 |
| 32. | 98R160 | 09/09/1998 | SIU | RAJESH BATAR | DOCTOR | MEDICAL | PALSANA SIKAR | G | DOP (K-3) | 07/06/1999 |
| 33. | 98R247 | 09/12/1998 | BPR | GIRDHARI LAL | CHAIRMAN | UIT | BHARATPUR | G | DOP (K-3) | 23/09/2000 |
| 34. | 99R9 | 15/01/1999 | TNK | RAKESH KOSHAL | AEN | IRRIGATION | MALPURA TONK | G | DOP (K-3) | 25/09/2000 |
| 35. | 99R21 | 18/02/1999 | UDR | ANIL BHARGAVA | XEN | PHED | UDAIPUR | G | DOP (K-3) | 10/08/1999 |
| 36. | 99R185 | 23/09/1999 | HMG | MOHAMMED UMAR | D EXCISE O | EXCISE | MANUMANGARH | G | DOP (K-3) | 15/05/2000 |
| 37. | 99R232 | 29/10/1999 | AJM | V K MATHUR | DOCTOR | MEDICAL | JLN HOSP AJMER | G | DOP (K-3) | 26/01/2000 |
| 38. | 2000R5 | 07/01/2000 | JJN | VIKRAM SINGH | DY SP | JAIL | JHUNJHUN | G | DOP (K-3) | 30/06/2000 |
| 39. | 2000R9 | 21/01/2000 | JP2 | RAMA KANT SAXENA | DOCTOR | MEDICAL | CARDIOTHOROSIS JPR | G | DOP (K-3) | 21/07/2000 |
| 40. | 200/0R46 | 18/02/2000 | PLI | KASHI RAM | SR | PWD | PALI | G | DOP (K-3) | 19/08/2000 |
| | TOTAL | PENDING CASES UNDER ALL RANGE | | | 40 | | | | | |

## परिशिष्ट-2

### (समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर)

### तहसील हनुमानगढ़ के ग्रामों की प्रस्तावित पेयजल योजनाएं

130. **श्री आदराम मेघवाल** (टिब्बी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि खण्ड हनुमानगढ़ द्वारा जल योजना लखुवाली (एल.के. 11 आर.पी.) एवं जोरावरपुरा (3 एच.एल.एम.) व गांव चादिलावाली (2 सी.) की पेयजल स्कीम बनाई जाकर उच्च अधिकारियों को भेजी गई है ? क्या काफी समय बीत जाने के बावजूद उपरोक्त जल योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है ? क्या उपरोक्त ग्रामों में सेम से गंदा पानी ग्रामवासियों को पीने पर मजबूर होना पड़ता है ? क्या उक्त कारण से पीलिया जैसी बीमारियों फैलने का अन्देशा बना हुआ है ? क्या सरकार उपरोक्त ग्रामों की प्रस्तावित जल योजना को स्वीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या ग्राम मेहरवाली तहसील हनुमानगढ़ की भी जल योजना स्कीम प्रस्तावित की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त ग्राम में बनी जल योजना सेम के पानी भर जाने से उसका पानी पीने योग्य नहीं है ? क्या उक्त ग्रामवासी गंदे पानी के वजह से बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं ?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम लालाखी वाली ढाणी तहसील नोहर एवम् श्योदानपुरा तहसील हनुमानगढ़ में पीने के पानी के लिए अपर्याप्त जी.एल.आर. या स्टोरेज टैंक है जिससे इन ग्रामों में पीने के पानी की भयकर परेशानी है ? क्या सरकार उक्त ग्रामों में अतिरिक्त जी.एल.आर एवं स्टोरेज टैंक बनवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) तीनों ग्राम पेयजल योजनाओं से लाभान्वित है तथा शुद्धीकृत एवं कीटाणु रहित जल ही विभाग द्वारा वितरित किया जा रहा है एवं पीलिया जैसी बीमारी फैलने की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। उक्त ग्रामों में सेम की समस्या के कारण सवंर्धन योजनाओं की आवश्यकता है। ग्राम लखुवाली (एल.के. 11 आर.पी.) संवर्धन योजना की स्वीकृति माह अगस्त/2000 में जारी की जा चुकी है। ग्राम जोरावरपुरा (3 एच.एल.एम.) की योजना बन चुकी है तथा स्वीकृति की प्रक्रिया में है। ग्राम चोहिलवाली (2 सी) की संवर्धन योजना बनाई जा रही है।

(2) ग्राम मेहरवाली (1 एम.डी.) तहसील हनुमानगढ़ का क्षेत्र भी सेम से ग्रस्त है तथा विद्यमान हैड वर्क्स सेम की समस्या के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। ग्राम की जल योजना का संवर्धन आवश्यक है परन्तु उपयुक्त भूमि

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

के अभाव में सवंर्धन योजना प्रस्तावित नहीं की जा सकी है। विभाग ग्राम सरपंच से भूमि आवंटन हेतु कई बार अनुरोध कर चुका है। वर्तमान में गांव को पेयजल फिल्टर करने के पश्चात् क्लीरीनेशन द्वारा जीवाणु रहित करके भूतल से ऊपर बने जलाशय से वितरित कर रहा है।

(3) ग्राम लालखा की ढाणी तहसील नोहर एवं श्योदानपुरा तहसील हनुमानगढ़ में पीने के पानी के लिये पर्याप्त क्षमता के स्टोरेज टैंक बनाये हुये हैं, जिनमें ग्राम की मांग का 21 दिन से ज्यादा का पानी का भण्डारन किया जा सकता है। पेयजल वितरण हेतु ग्राम लालखा की ढाणी में विभाग द्वारा 120 कि.ली. का भूतल जलाशय एवं साथ ही पंचायत द्वारा 400 कि.ली. का खुला टैंक बनाया हुआ है। इसी प्रकार ग्राम श्योदानपुरा में पंचायत द्वारा 270 कि.ली. क्षमता का खुला भूतल जलाशय बनाया हुआ है जो वर्तमान में ग्राम की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त है।

## जिला पाली में केरोसिन के होलसेल विक्रेता द्वारा तेल की कालाबाजारी

131. **श्री केसाराम चौधरी** (खारची) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला पाली में केरोसिन होलसेल विक्रेता द्वारा पूरी गाड़ी ब्लैक में बेचने की जिला रसद अधिकारी पाली को शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त विक्रेता की दो गाड़ी जोधपुर से रायपुर के लिए रवाना हुई तथा एक गाड़ी बीकानेर जिले में पुलिस द्वारा पकड़ी गई ? यदि हां, तो कब ?

(3) उक्त मामलों में पुलिस ने किन–किन आपराधिक धाराओं के अन्तर्गत मामले दर्ज किये तथा जांच में पुलिस किस नतीजे पर पहुंची ? विवरण सदन की मेज पर रखे।

(4) क्या जिला रसद अधिकारी पाली एवम् थाना अधिकारी द्वारा अनियमित कार्यवाही कर मामले को खुर्द–बुर्द कर दिया गया ? क्या सरकार उक्त मामले की निष्पक्ष जांच करा कर दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) जी हां। जिला रसद अधिकारी, पाली को जिला कलेक्टर, पाली ने दिनांक 15.8.2000 को सूचित किया कि केरोसीन का टैंकर नम्बर आर.जे. 19 जी. 4672, नोखा पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। यह सूचना प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी,

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

पाली ने इण्डियन आयल कम्पनी के जोधपुर डिपो, जहां से यह टैंकर रवाना हुआ था, जानकारी की गई तो पता चला कि यह टैंकर मैं. क्रय–विक्रय सहकारी समिति, रायपुर जो कि तहसील रायपुर में केरोसीन की थोक विक्रेता है, के लिए रवाना किया गया था। ज़िला रसद अधिकारी, पाली द्वारा मैं. क्रय–विक्रय सहकारी समिति, रायपुर के केरोसीन थोक विक्रेता का अनुज्ञा–पत्र निलम्बित कर दिया गया।

(2) जी हां। मैं. क्रय–विक्रय सहकारी समिति, रायपुर की दो गाड़ी केरोसीन तेल जोधपुर से रायपुर के लिए रवाना हुई थी। इसमें से एक गाड़ी नम्बर आर.जे. 19जी 4672, नोखा पुलिस द्वारा दिनांक 15.8.2000 को पकड़ी गई।

(3) उक्त मामलों में थाना नोखा में पुलिस ने धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें अनुसंधान जारी है।

(4) जी नहीं। जिला रसद अधिकारी, पाली द्वारा इस मामले में केरोसीन थोक विक्रेता मैं. क्रय–विक्रय सहकारी समिति, रायपुर का अनुज्ञा–पत्र निलम्बित किया गया है। मामला थाना अधिकारी, नोखा द्वारा 12 के.एल. केरोसीन जप्त करके आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए के तहत जिला कलेक्टर, बीकानेर के न्यायालय में पेश किया गया, जहां पर मुकदमा नम्बर 1/2000 दर्ज किया जाकर सुनवाई के बाद दिनांक 6.9.2000 को जिला कलेक्टर, बीकानेर द्वारा 6–ए की कार्यवाही समाप्त कर दी गई। चूंकि इस प्रकरण में नोखा पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 232 दिनांक 15.8.2000 दर्ज कर ली गई है, जिसमें अनुसंधान जारी है अतः किसी और जांच की आवश्यकता नहीं है।

## जैतपुरा अंणतपुरा (जयपुर) में पानी की अपूर्ण टंकी

132. **श्री भगवान सहाय सैनी** (चौमूं) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम जैतपुरा अंणतपुरा में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जयलदाय योजना के अन्तर्गत पानी की टंकियों का निर्माण कार्य 3–4 वर्ष पूर्व चालू किया था ?

(2) क्या उक्त टंकियों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो अब कितना समय और लगेगा ?

(3) अब उक्त टंकियों का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर संबंधित विभाग के सुपुर्द कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त ग्राम जैतपुरा व अंणतपुरा में टंकी के निर्माण का कार्य दिनांक

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

18.12.1998 से चालू किया था।

(2) जी हां। उक्त टंकियों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। नलकूप के कनेक्शन की कार्यवाही जयपुर विद्युत वितरण निगम में आवेदन देकर कर दी गई है। विद्युत संबंध का कार्य होना है।

(3) टंकियों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। केवल नलकूप में विद्युत कनेक्शन शेष है। कनेक्शन होते ही संबंधित विभाग को सुपुर्द कर दी जायेगी।

## कोटा सम्भाग हेतु संचालित डीलक्स बस सेवा

133. **श्री हेमन्त कुमार** (दीगोद) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर से कोटा सम्भाग को जाने वाली डीलक्स बसें बिलकुल नकारा अवस्था में हैं ?

(2) क्या सरकार उक्त सम्भाग हेतु अच्छी किस्म की बसें लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) जी नही। वर्तमान में कोटा सम्भाग में वर्ष 1997, 1998 व 1999 माडल की सेमी–डिलक्स बसें संचालित की जा रही है, जो निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नकारा श्रेणी में सम्मिलित नहीं हो सकी है।

(2) वित्तीय वर्ष 2000–2001 में 750 नई बसें क्रय किया जाना प्रस्तावित है। इन नई बसों के आने पर आवश्यकतानुसार बसों को बदला जाना सम्भव हो सकेगा।

## पंचायत समिति तिजारा (अलवर) की वन भूमि में अवैध खनन

134. **श्री जगमाल सिंह यादव** (तिजारा) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत समिति तिजारा में कितने स्टोन क्रेशर वन भूमि के पास लगे हुये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्टोन क्रेशर अरावली की जो पहाड़ियां वन क्षेत्र में आती हैं उसमें से अवैध खनन करते हैं ?

(3) उक्त स्टोन क्रेशर कहां से पत्थर लाते हैं ? उक्त खानों की लीज डीड एवं रवन्ने जिनसे माल लाते हैं की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या पूर्व में सरकार ने यह माना था कि पंचायत समिति तिजारा में वन भूमि से अवैध खनन हो रहा है ? यदि हां, तो उक्त दो वर्ष में इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही अमल में लायी गई ?

(5) उक्त स्टोन क्रेशरों को वन भूमि के

(श्री जगमाल सिंह यादव)

पास कितनी दूरी पर लगाये जाने का कानूनी प्रावधान है ? क्या उक्त स्टोन क्रेशर कानूनन दूरी से हटकर है ? यदि नहीं, तो अब तक इनको हटाया क्यों नहीं गया तथा वन भूमि के पास जब यह क्रेशर लगे थे तो वन विभाग द्वारा इन्हें हटाने के लिये कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? अब तक वन विभाग ने गत चार वर्षो में पंचायत समिति तिजारा में कितने अवैध खनन के प्रकरण पकड़े एवं उन पर कितनी शास्ति रोपित की गई तथा भविष्य में अवैध खनन को रोकने के क्या उपाय किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) पंचायत समिति तिजारा में वन भूमि के समीप 9 स्टोन क्रेशर लगे हुए हैं।

(2) इन स्टोन क्रेशरों की स्थापना के बाद वन खण्ड चुहड़पुर एवं सारेकलां की वन भूमि से चोरी छिपे अवैध खनन की घटनाएं प्रकाश में आती रही हैं और उसकी रोकथाम हेतु वन विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गयी है।

(3) उक्त स्टोन क्रेशर खनिज (पत्थर चुनाई) हरियाणा राज्य के गुड़ गांव जिले के नूरपुर सीलख्यों में हरियाणा सरकार द्वारा जारी एस.टी.पी. से तथा शेष अलवर जिले के चौपान की उलाहेड़ी इत्यादि के खनन पट्टों से पत्थर लाते है एवं उक्त क्रेशर हेतु चोरी छुपे वन क्षेत्रों से भी अवैध खनन कर पत्थर लाये जाने की घटनाएं विभाग की जानकारी में आयी है।

नियमानुसार स्वीकृत अलवर जिले की जिन खानों से खनिज प्राप्त किया जाता है उनके नाम संलग्न परिशिष्ट "क" में दर्शाये गये है। खानों से निकाले हुये माल को प्राप्त करने तथा हरियाणा से प्राप्त खनिजों के रवन्ने आदि क्रेशर मालिक के पास ही रहते है अतः रवन्ने की प्रतियां सदन की मेज पर रखा जाना संभव नहीं है।

(4) जी हां। अवैध खनन को रोकने हेतु समय–समय पर गश्त करायी जाकर गत दो वर्षों, वर्ष 1998 तथा 1999 में 99 वन अपराध प्रकरण दर्ज किये गये और इनमें से 67 प्रकरणों का विभागीय स्तर पर निस्तारण कर 2,63,452 रुपये राशि का मुआवजा वसूल किया गया है एवं 17 प्रकरणों में अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध न्यायालय में हस्तगासा प्रस्तुत किये गये है और 15 प्रकरणों में जांच की जा रही है।

(5) वन सीमा से "कितनी दूरी की परिधि" में स्टोन क्रेशर लगाये जाने बाबत कानूनन कोई सीमा निर्धारित नहीं है इसलिये राज्य सरकार के अन्य विभागों से अनुमति प्राप्त कर लगाये गये इन क्रेशरों को वन

(राज्य मंत्री, वन)

विभाग द्वारा नहीं हटाया जा सका। परन्तु इन्हें हटाने हेतु संबंधित विभाग को निवेदन किया जायेगा। इन क्रेशरों के लिये पत्थर प्राप्ति हेतु वन क्षेत्र में चोरी छिपे होने वाले अवैध खनन पर अंकुश लगाने की दृष्टि से वन विभाग द्वारा गत चार वर्षों, 1997 से अब तक पंचायत समिति तिजारा में अवैध खनन के दर्ज प्रकरणों के निस्तारण एवं प्राप्त मुआवजा राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट "ख" में दर्शाया गया है। भविष्य में भी अवैध खनन की रोकथाम हेतु गश्त करवायी जाकर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

---

**परिशिष्ट "क"**

**पंचायत समिति तिजारा में स्थित स्टोन क्रेशरों द्वारा अलवर जिले की खानों से खनिज प्राप्त करने हेतु खनन पट्टाधारियों का विवरण**

| क्र.सं. | खनन पट्टाधारी का नाम | खनन पट्टा संख्या | स्थान |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | श्री मोहन लाल गुप्ता | एम.एल.–273/90 | ग्राम बलवंडका तह. रामगढ़ |
| 2. | श्री नवीन कुमार जैन | एम.एल.–137/89 | ग्राम डलाहेडी तह. अलवर |
| 3. | श्री प्रमोद कुमार जैन | एम.एल.–135/89 | ग्राम डलाहेडी तह. अलवर |
| 4. | श्री रहमत पुत्र फौजी मेव | एम.एल.–18/99 | ग्राम नीमली तह. तिजारा |
| 5. | मै. टीवा कन्सट्रक्शन प्रोडेक्ट इण्ड्रस्ट्री | एम.एल.–127/97 | ग्राम चौपान की तह. तिजारा |
| 6. | मै. टीवा कन्सट्रक्शन प्रोडेक्ट इण्ड्रस्ट्री | एम.एल.–126/97 | ग्राम चौपान की तह. तिजारा |
| 7. | श्री सुनील कुमार | एम.एल.–129/97 | ग्राम चौपान की तह. तिजारा |
| 8. | श्री सुनील कुमार | एम.एल.–128/97 | ग्राम चौपान की तह. तिजारा |

परिशिष्ट "ख"

पंचायत समिति तिजारा में वन विभाग द्वारा अवैध खनन प्रकरणों का गतवार वर्ष अक्टूबर, 2000 तक वर्षवार विवरण

| क्र.सं. | वर्ष | दर्ज प्रकरणों की संख्या | फेसलें केस प्रकरणों की संख्या | वसूल की गयी मुआवजा राशि (रुपयों में) | अदालत इस्तगासा | पेंडिंग केस |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | वर्ष 1997 से 18 अक्टूबर, 2000 तक | 139 | 97 | 3,75,354/– | 19 | 23 |

## जिला अलवर के अकालग्रस्त ग्रामों में राहत कार्य

135. **श्री जौहरी लाल** (राजगढ़) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जिला अलवर को अकालग्रस्त घोषित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उक्त जिले में अकाल राहत कार्य शुरू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ?

(3) क्या सरकार किसानों को कुआं गहरा कराने हेतु आर्थिक सहयोग हेतु योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार हर ग्राम स्तर पर दो–तीन ट्यूबवैल सरकार खर्चे पर बनाने की योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

### उत्तर

(1) जिला अलवर में अभाव स्थिति की घोषणा का निर्णय गिरदावरी रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही किया जा सकेगा।

(2) अभाव स्थिति की घोषणा के बाद ही राहत कार्य शुरू करने पर विचार किया जा सकेगा।

(3) इस वर्ष (सम्वत् 2057) कुएं गहरे कराने हेतु एवं ग्राम स्तर पर दो–तीन ट्यूबवैल बनाने की योजना सहायता विभाग द्वारा नहीं बनाई गयी है। अभाव स्थिति की घोषणा के पश्चात् ही इन बिन्दुओं पर विचार किया जा सकेगा।

## विश्व बैंक से प्राप्त धन राशि का अन्यत्र उपयोग

136. **श्रीमती सुमित्रा सिंह** (झुंझुनूं) : क्या आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विश्व बैंक ने राज्य में चला रखी परियोजनाओं की स्थिति में सुधार होने पर ही धन उपलब्ध कराने के निर्देश दिये थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि शिक्षा, स्वास्थ्य महिला एवं बाल विकास, सिंचाई एवं ऊर्जा क्षेत्रों के विकास के नाम पर जिन परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक से राशि प्राप्त की गई थी, उस राशि को सरकार ने अन्य मदों में खर्च कर दिया या वित्त विभाग उक्त परियोजनाओं हेतु धन उपलब्ध नहीं करवा रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा परियोजना निदेशकों और अन्य अधिकारियों के स्थानान्तरण किये जाने से भी इन परियोजनाओं का काम ठप्प हो जाता है ?

**उत्तर**

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। स्थानान्तरण होने पर अन्य अधिकारी का पदस्थापन कर दिया जाता है अथवा अन्य किसी अधिकारी को पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जाता है।

## ग्राम सेवा सहकारी समिति भगवन्तपुरा (अजमेर) में कार्यरत व्यवस्थापक का निलम्बन

137. **श्री सांवर लाल** (भिनाय) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति भगवन्तपुरा, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर में कार्यरत व्यवस्थापक का स्थानान्तरण गत 2 वर्षों की अवधि में कभी किया गया ? यदि, हां तो किस व्यवस्थापक का किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किस आदेश से ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या उक्त आदेश कानून/नियम संगत है ?

(3) क्या यह भी सही है कि समिति के अध्यक्ष व बोर्ड द्वारा लिखित में निवेदन उक्त व्यवस्थापक को यही रखने हेतु किया गया था ? यदि हां, तो फिर उक्त व्यवस्थापक को हटाया और नहीं तो क्या समिति द्वारा लिखित पत्र को फाड़ कर फैंक दिया ?

(4) क्या उक्त अधिकारियों ने समिति को भंग किया है एवं व्यवस्थापक को निलम्बित किया है ? यदि नहीं, तो उक्त कार्यवाही क्यों की गई ?

(5) क्या सरकार उक्त अवैध आदेश/कार्यवाही को निरस्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(श्री सांवर लाल)

(6) क्या सरकार उक्त अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नही, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) जी हां। गत 2 वर्षों की अवधि में समिति में कार्यरत व्यवस्थापक श्री रतनलाल शर्मा का स्थानान्तरण बैंक के अधिशासी अधिकारी के आदेश क्रमांक: 2064–81 दिनांक 30.4.1999 द्वारा भगवन्तपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति से जीताया, ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक के पद पर किया गया। आदेश की प्रति परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त स्थानान्तरण आदेश प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों के सेवा नियम, 1969 (संशोधित सेवा नियम, 1991) के नियम 10 के अंतर्गत किये गये हैं। जिसकी प्रति परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।

(3) जी हां, व्यवस्थापक द्वारा समिति के कार्य ऋण वितरण एवं वसूली में लापरवाही बरतने के कारण स्थानान्तरित किया गया।

(4) राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 36 (1) (ख) के अंतर्गत संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, अजमेर खण्ड, अजमेर के आदेश दिनांक 20.5.1999 द्वारा समिति के संचालक मण्डल को अपदस्थ किया गया एवं बैंक के अधिशासी अधिकारी द्वारा आदेशों की अवहेलना के कारण व्यस्थापक श्री रतनलाल शर्मा को निलम्बित किया गया।

(5) जी नहीं। समिति के संचालक मण्डल को राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 के अंतर्गत अपदस्थ किया गया। व्यवस्थापक श्री रतनलाल शर्मा को दिनांक 26.5.1999 को पेंडिंग जांच लिम्बन से बहाल किया गया।

(6) जी नहीं। कार्यवाही सहकारिता अधिनियम एवं व्यवस्थापक सेवा नियमों के अंतर्गत की गई है।

**परिशिष्ट**

**अजमेर सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक लि. अजमेर**

क्रमांक:निरो/ दिनांक 30.4.1999

**आदेश**

प्रशासनिक दृष्टिकोण एवं समिति हित को मध्य नजर रखते हुए निम्न समिति व्यवस्थापिकों से स्थानान्तरण तुरन्त प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित समितियों में किया जाता है :–

| नाम व्यवस्थापक | कहां से | कहां को |
|---|---|---|
| 1. श्री बजरंगलाल वैष्णव | सिंधावल | भगवन्तपुरा |
| 2. श्री रतनलाल शर्मा | भगवन्तपुरा | जोताया |
| 3. श्री रामदेव कुम्हार | जोताया | भिनाय |

(सहकारिता मंत्री)

श्री मोहनलाल खाती, अग्रिम आदेशों तक सिंघावल समिति का अतिरिक्ति कार्य करेंगे तथा श्री कैलाशचन्द शर्मा आगामी आदेशों तक कैरोट समिति का अतिरिक्त कार्य करेंगे।

समितियों का कार्यभार प्राप्त कर चार्ज रिपोर्ट की एक प्रति कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अधिकारी

**परिशिष्ट-2**

**प्राथमिक कृषि ऋण दात्री सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों के सेवा नियम 1969 एवं (संशोधित सेवा नियम 1991) के नियम संख्या 10 की अंश प्रतिलिपि :-**

10 **स्थानान्तरण :**

व्यवस्थापक का स्थानान्तरण साधारणतया एक समिति से दूसरे समिति में नहीं किया जायेगा। किन्तु विशेष परिस्थितियों में अधिशाषी अधिकारी द्वारा बैंक के अध्यक्ष की अनुमति से स्थानान्तरण किया जा सकेगा।

## ए.एस.आई. रामगंजमण्डी के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच

138. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) संभागीय आयुक्त कोटा, जिला कलेक्टर कोटा, एस.डी.एम. एवं तहसीलदार रामगंज मण्डी को ए.एस.आई. रामगंज मण्डी के विरुद्ध गत पांच वर्षों में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है ? क्या सरकार को प्राप्त शिकायतें जांच हेतु भेजी गई थी ? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त शिकायतों की किस–किस अधिकारी ने जांच की है और जांच के क्या परिणाम रहे ?

(3) क्या कोई जांच लम्बित है ? यदि हां, तो कौन–कौन सी और क्यों ? उक्त शिकायतों का निस्तारण अब कब तक कर दिया जायेगा ?

**उत्तर**

(1) मैसर्स ए.एस.आई. रामगंजमण्डी के विरुद्ध पांच वर्षों में सम्भागीय आयुक्त कोटा कार्यालय में 15 जिला कलेक्टर कार्यालय, कोटा में तीन एवं एस.डी.एम. रामगंजमण्डी कार्यालय में एक शिकायत प्राप्त हुई है। तहसील कार्यालय, रामगंजमण्डी में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। उपरोक्त शिकायतों में से कुछ शिकायतें खनिज विभाग, रामगंजमण्डी को जांच हेतु भेजी गई थी। उपरोक्तानुसार प्राप्त शिकायतें एवं सीधे खान विभाग को प्राप्त 15 शिकायतों का विवरण एवं प्रतियां परिशिष्ट "ए, ए–2, ए–3" में संलग्न है।

(राज्य मंत्री, खनिज)

(2) उक्त शिकायतों की प्रारम्भिक जांच अधीक्षण खनि. अभियन्ता, कोटा द्वारा की गई जिसकी रिपोर्ट दिनांक 19.6.2000 (परिशिष्ट "ब") को प्रस्तुत की गई। इस मामले की विस्तृत जांच करने हेतु चार अधिकारियों की एक कमेटी से जांच कराई जा रही है, परन्तु जांच के दौरान मैसर्स ए.एस.आई. कम्पनी, रामगंजमण्डी ने सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) रामगंजमण्डी के न्यायालय में एक वाद प्रस्तुत कर दिनांक 14.8.2000 की जांच के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। एक अन्य जांच उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी द्वारा की गई है तथा इसमें विवादित खसरा नं. 737 ग्राम सुकेत में खनन कार्य रुकवा दिया गया है। अन्य शेष बिन्दुओं के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी द्वारा कार्यवाही की जा रही है। ग्राम जुल्मी की चरागाह भूमि व बंजर शमशान भूमि पर से अतिक्रमण हटाने हेतु नायब तहसीलदार, रामगंजमण्डी द्वारा जांच की जा रही है जिसकी रिपोर्ट अपेक्षित है।

(3) जी हां। खनिज विभाग से संबंधित जांच चार अधिकारियों की एक कमेटी द्वारा की जा रही है। खनिज विभाग द्वारा की जा रही जांच न्यायालय के आदेश के अनुसार स्थगित की गई है। माननीय न्यायालय के आदेश निरस्त होने के बाद ही जांच संभव होगी।

राजस्व संबंधी जांच एस.डी.एम., रामगंज–मण्डी एवं नायब तहसीलदार, रामगंजमण्डी द्वारा की जा रही है। यह जांच यथाशीघ्र कर दी जायेगी।

**(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)**

## विधान सभा क्षेत्र दानपुर के ग्रामों हेतु पीने के पानी की व्यवस्था

139. **श्री भाणजी** (दानपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र दानपुर के किस–किस ग्राम में किन–किन साधनों से पीने के पानी की आपूर्ति की जा रही है? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने इस वर्ष पीने के पानी की समस्या के समाधान हेतु कोई पूर्व तैयारी की है ? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में कौन–कौन से गांव पानी की समस्या से ग्रस्त हैं और उसके समाधान हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र दानपुर जिला बांसवाड़ा में कुल 333 ग्राम हैं जिनमें से

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

315 ग्राम आबाद तथा 18 ग्राम गैर आबाद हैं। 315 आबाद ग्रामों में से 7 ग्रामों में पाइप्ड जल योजना के द्वारा, 12 ग्रामों में पनघट जल योजना के द्वारा, 6 ग्रामों में क्षेत्रीय जल योजनाओं के द्वारा तथा शेष 290 ग्रामों में हैण्डपम्प जल योजना के द्वारा पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। ग्रामवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। दानपुर विधान सभा क्षेत्र के 58 ग्रामों में पीने के पानी की समस्या होना सम्भावित है। इन ग्रामों की समस्या के समाधान के लिये 32.21 लाख रुपये का कंटींजेन्सी प्लान तैयार किया गया है। विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न हैं।

**(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)**

**प्रश्न संख्या** -140

(स्थगित)

## अवैध वाहनों से निगम को वर्ष 1999 व 2000 में प्राप्त आय में कमी

141. **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य पथ परिवहन निगम ने कितना किराया वर्ष 1999 व 2000 में कब–कब बढ़ाया? बढ़े हुए किराये से निगम को प्रतिवर्ष कितनी अतिरिक्त आय हुई ?

(2) क्या यह सही है कि अवैध वाहन व वीडियो–कोच के संचालन को रोकने हेतु सरकार ने निगम के बस स्टेण्ड से 2 किलोमीटर दूर तक बुकिंग एजेन्सी बंद करने का निर्णय लिया था ? यदि हां, तो कितनी बुकिंग एजेन्सी हटाई गई तथा वर्तमान में कितनी एजेन्सी कार्यरत हैं ?

(3) चूरू आगार अंतर्गत संचालित कितनीं ग्रामीण सेवाओं को वर्ष 1999–2000 व 2000–2001 में क्यों बंद किया गया ?

**उत्तर**

(1) परिवहन निगम द्वारा 1999–2000 में दिनांक 14.11.1999 से साधारण, द्रुतगामी एवं वातानुकूलित श्रेणी के बसों का यात्री किराया निम्न प्रकार बढ़ाया गया :–

| श्रेणी का प्रकार | दिनांक किराया प्रतियात्री प्रति कि.मी पैसे में 14.11.1999 से पूर्व | 14.11.1999 से प्रभावी |
|---|---|---|
| 1. साधारण सेवा | 24.00 | 28.00 |
| 2. द्रुतगामी सेवा | 32.00 | 34.00 |
| 3. वातानुकूलित सेवा | 116.00 | 120.00 |

उक्त बढ़े हुए किराये से निगम को वर्ष

(यातायात मंत्री)

1999–2000 में लगभग 20.00 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय हुई है तथा इससे वर्ष 2000–2001 में लगभग 55.00 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होने का अनुमान है।

वर्ष 2000–2001 में दिनांक 1.10.2000 के मध्यान्ह से निगम द्वारा साधारण श्रेणी एवं द्रुतगामी श्रेणी की बसों का यात्री भाड़ा क्रमशः 32 पैसे एवं 38 पैसे प्रति यात्री प्रति कि.मी. संशोधित किया गया है। उक्त बढ़ोतरी से निगम को वर्ष 2000–2001 में लगभग 26.00 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होने का अनुमान है।

(2) जी नहीं। सरकार ने निगम के बस स्टेण्ड से 2 किलोमीटर दूर बुकिंग एजेन्सी बन्द किए जाने का कोई निर्णय नहीं लिया है। अतः बुकिंग एजेन्सी हटाई जाने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। वर्तमान में 85 बुकिंग एजेन्सी कार्यरत है।

(3) इस अवधि के दौरान चूरू से भालेरी एवं चूरू से रीबिया सेवा को बन्द किया गया था। चूरू से भालेरी सेवा का संचालन तो पुनः प्रारम्भ कर दिया गया है लेकिन चूरू से रोबिया सेवा को आय संचालन लागत से भी कम आने के कारण इसका संचालन अभी बन्द किया हुआ है।

**प्रश्न संख्या - 142**

(स्थगित)

## जिला सिरोही में महिला उत्पीड़न के दर्ज मुकदमों पर कार्यवाही

143. **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला सिरोही में जनवरी, 2000 से सितम्बर, 2000 तक महिला उत्पीड़न के कितने मामले दर्ज हुई हैं ? थानेवार मुकदमों का विवरण सदन की मेज पर रखें। गत वर्ष 1 जनवरी, 1999 से 30 सितम्बर, 1999 तक कितने मुकदमें दर्ज हुए थे ?

(2) इस वर्ष के महिला उत्पीड़न के मामलों में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? उक्त में से किन–किन मामलों में किस–किस अभियुक्त/आरोपी की गिरफ्तारी किस कारण से नहीं हो पाई है ? क्या इसमें विलम्ब के लिए किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? मुकदमेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जिला सिरोही में 1 जनवरी, 2000 से 30 सितम्बर, 2000 तक महिला उत्पीड़न के संबंध में कुल 132 अभियोग पंजीबद्ध हुए हैं जिनमें से हत्या के 5 दहेज हत्या के 2, दहेज आत्महत्या के 2, दहेज प्रताड़ना के 54, बलात्कार के 19, ले भागना–भगा ले जाना के 26 एवं महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के 24 अभियोग पंजीबद्ध हुए हैं। थानेवार, शीर्षकवार, अभियोगवार निस्तारण सहित विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(गृह मंत्री)

गत वर्ष 1 जनवरी, 1999 से 30 सितम्बर, 1999 तक महिला उत्पीड़न के विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत 101 अभियोग पंजीबद्ध हुए हैं जिनमें से हत्या व दहेज हत्या का 1–1 अभियोग व दहेज आत्महत्या के 2 दहेज प्रताड़ना के 41, बलात्कार के 11, ले भागना–भगा ले जाना के 23 एवं महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के 22 अभियोग पंजीबद्ध हुए हैं। थानेवार, शीर्षकवार विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2000 में 30 सितम्बर तक महिला उत्पीड़न के संबंध में दर्ज अभियोगों का वर्तमान स्थिति सहित अभियोगवार विवरण परिशिष्ट "क" में अंकित है। जिन अभियोगों में अभियुक्त/आरोपी, जिनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, के कारणों का अभियोगवार विवरण परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है। अनुसंधान में विलम्ब के लिए किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

**(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)**

**कृषि उपज मण्डी समिति नीमकाथाना द्वारा सब्जी विक्रेताओं को आवंटित भूमि**

144. **श्री मोहन लाल मोदी** (नीमकाथाना) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कृषि उपज मण्डी समिति नीमकाथाना क्षेत्र में सब्जी विक्रेता आढ़तियों ने कितने अनुज्ञा–पत्र प्राप्त कर रखे हैं सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सब्जी विक्रेता अनुज्ञा–पत्र धारी व्यक्तियों ने निजी कृषि भूमि में अपना व्यवसाय प्रारम्भ किया है ? यदि हां, तो किन नियमों के तहत ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि कृषि मण्डी समिति द्वारा मण्डी प्रांगण में व्यापार नहीं करने के लिये नोटिस जारी किये गये व लाइसेन्स निरस्त किये गये तथा कोर्ट में कितने ही व्यक्तियों के विरुद्ध चालान पेश किये गये कि सब्जी विक्रेता मण्डी प्रांगण में ही व्यापार करें ? यदि हां, तो क्या उनके विरुद्ध कार्यवाही चालू है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि सब्जी विक्रेता व्यापारियों के विरुद्ध मण्डी समिति ने जो कोर्ट में चालान पेश किये थे व लाइसेन्स निरस्त किये थे उन पर राज्य सरकार द्वारा स्टे जारी कर दिया कि उनके लाइसेन्स रद्द नहीं करें व चालान पेश नहीं करें ? यदि हां, तो क्यों और किस कानून के अंतर्गत ?

**उत्तर**

(1) वांछित सूची संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार है।

(2) जी हां। क्योंकि फल सब्जी व्यापारियों के लिए मूल मण्डी प्रांगण में कोई भी

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

सुविधा उपलब्ध नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि मण्डी समिति सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय रूप से सक्षम भी नहीं है।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं। क़ोर्ट में प्रस्तुत किये गये चालान तथा निरस्त किये गये लाइसेन्सों पर कोई स्टे नहीं दिया गया।

जिन सब्जी विक्रेताओं को दुबारा नोटिस मण्डी समिति द्वारा दिये गये थे केवल उनके पक्ष में निदेशक, कृषि विपणन द्वारा स्टे दिया गया था, निदेशक इसके लिए सक्षम अधिकारी है।

परिशिष्ट ''क''

कृषि उपज मण्डी समिति, नीमकाथाना के अनुज्ञापत्रधारी फल-सब्जी व्यवसाइयों का विवरण

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | "क" वर्ग दलाल एवं व्यापारी | – | 10 |
| (2) | "क" वर्ग दलाल | – | 6 |
| (3) | व्यापारी | – | 6 |
| | | योग | 22 |

अनुज्ञापत्रधारी व्यापारियों की सूची

| क्र.सं.<br>1 | नाम अनुज्ञापत्रधारी फर्म<br>2 | अनुज्ञापत्र का वर्ग<br>3 | विशेष विवरण<br>4 |
|---|---|---|---|
| 1. | मदन लाल राज कुमार | सयुंक्त | |
| 2. | मदन लाल पंजाबी | सयुंक्त | |
| 3. | ऊंकार लाल अर्जुन लाल सैनी | सयुंक्त | |
| 4. | बाबूलाल गुर्जर | सयुंक्त | |
| 5. | ओमप्रकाश भागीरथ मल | सयुंक्त | |
| 6. | छोटूराम ओमप्रकाश सैनी | सयुंक्त | |
| 7. | जगदीश प्रसाद मोहन लाल सैनी | सयुंक्त | |
| 8. | रमेशचन्द रामजी लाल सैनी | सयुंक्त | |
| 9. | पवन कुमार जितेन्द्र कुमार | सयुंक्त | |
| 10. | मनोहर लाल एण्ड कम्पनी | सयुंक्त | |
| 11. | लालचन्द शंकर लाल सैनी पाटन | "क" वर्ग दलाल | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 12. | हरिराम हजारी लाल सैनी पाटन | "क" वर्ग दलाल | |
| 13. | गोपालराम लाम्बा एण्ड संस | "क" वर्ग दलाल | |
| 14. | रमेश कुमार बजरंग लाल | "क" वर्ग दलाल | |
| 15. | हरीश चन्द बनवारी लाल | "क" वर्ग दलाल | |
| 16. | बाबूलाल वीर गुर्जर कसांणा एण्ड क. | "क" वर्ग दलाल | |
| 17. | जीवण दास सुभाष चन्द | व्यापारी वर्ग | |
| 18. | गुलाब चन्द मनोहर लाल | व्यापारी वर्ग | |
| 19. | दीनदयाल गोरू राम | व्यापारी वर्ग | |
| 20. | घासी राम वीर सिंह | व्यापारी वर्ग | |
| 21. | गौरधन लाल रूप चन्द पंजाबी | व्यापारी वर्ग | |
| 22. | हेम राज रूप चन्द पंजाबी | व्यापारी वर्ग | |

## जिला बाड़मेर व जैसलमेर की क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना हेतु पाइप आपूर्ति

145. **श्री अमीन खान** (शिव) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना का कार्य पाइप न मिलने की वजह से दो वर्ष से बन्द है ?

(2) क्या सरकार पाइप आपूर्ति कराने के लिए गंभीर है ? जिला बाड़मेर व जैसलमेर में कितने किलोमीटर पाइप की जरूरत है तथा उक्त आपूर्ति कब तक कर दी जायेगी ?

**उत्तर**

(1) जी नहीं। पिछले 2 वर्षों में इन जिलों में निम्नानुसार पाइप आया तथा लगाया गया :

| वर्ष | बाड़मेर | जैसलमेर |
|---|---|---|
| 1998–99 | 1097 कि.मी. | 85 कि.मी. |
| 1999–2000 | 418 कि.मी. | 84 कि.मी. |

(2) जी हां। जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में क्रमशः 411 एवं 233 किलोमीटर विभिन्न साइजों के पाइप की आवश्यकता है जो कि योजना की आवश्यकता के अनुसार इस वर्ष आपूर्ति की जा सकेगी।

## आपरेशन पिंक के तहत जयपुर शहर के विस्थापितों का पुनर्वास

146. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य सरकार द्वारा जयपुर में चलाये गये आपरेशन पिंक अभियान के दौरान ऐसे कितने निर्माण कार्यों को ध्वस्त किया गया जिन पर न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दे कर यथास्थिति बहाल रखने के आदेश दिये गये थे ? न्यायालय के आदेशों की अवहेलना के लिए कौन–कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये है ? क्या सरकार उक्त दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(2) सोडाला में ऐसे कितने निर्माणों को ध्वस्त किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सोडाला अजमेर रोड पर स्थित सेवायतन अस्पताल से राठी पैट्रोल पम्प तक की गयी तोड़–फोड़ से पूर्व कोई योजना बनायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या व इस पर कब तक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) आपरेशन पिंक के दौरान विस्थापित हुयें कितने लोगों का पुनर्वास कर दिया गया है एवं शेष का कब तक कर दिया जायेगा ?

**उत्तर**

(1) राज्य सरकार द्वारा आपरेशन पिंक अभियान के दौरान ऐसे किसी भी निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश नहीं दिये गये,

(स्वायत्त शासन मंत्री)

जिन पर न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश देकर यथास्थिति बहाल रखने के आदेश दिया गये हैं तथा नगर निगम व जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भी ऐसे किसी भी निर्माण को ध्वस्त नहीं किये जाने की जानकारी दी गई है। इसके पश्चात् प्रश्न के शेष भाग का उत्तर दिये जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है।

(2) भाग संख्या–एक में इसका उत्तर निहित है।

(3) जी नहीं।

(4) आपरेशन पिंक के दौरान विस्थापित हुये व्यक्तियों में से 2449 को पुनर्वासित कर दिया गया है तथा शेष के पुनर्वास हेतु गठित समिति द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

## निगम कर्मचारियों के बकाया ओवर टाइम व मेडिकल बिलों का निस्तारण

147. **श्री अमराराम** (धोद) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों के ओवर टाइम, रात्रि भत्ता, एवं मेडिकल बिलों का भुगतान आगारवार कब से बकाया है ?

(2) उक्त भुगतान की एक अक्टूबर, 2000 तक कितनी राशि बकाया है तथा अब निगम उक्त भुगतान कब तक करने का विचार रखती है ?

**उत्तर**

(1) राजस्थान राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों के ओवर टाइम एवं रात्रि भत्तों का आगारवार बकाया अवधि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। मेडिकल बिलों का भुगतान किया आगार में बकाया नहीं है।

(2) उक्त भुगतान की 1 अक्टूबर, 2000 तक लगभग रुपये 39.98 करोड़ की राशि बकाया है। निगम की विषम आर्थिक स्थिति में सुधार आने तथा मोनेटरी (Monetary) व्यवस्था होने की स्थिति में बकाया भुगतान किया जा सकेगा।

परिशिष्ट ''अ''

राजस्थान परिवहन निगम के विभिन्न आगारों में बकाया अधिश्रम रात्रि भत्ते की बकाया अवधि का विवरण पत्र

| क्र.स. | आगार का नाम | माह का नाम जिससे अधिश्रम/रात्रि भत्ता बकाया है |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | अजयमेरू | 6/98 |
| 2. | अजमेर | 4/98 |
| 3. | अनुपगढ़ | 6/98 |
| 4. | बारां | 7/98 |
| 5. | बीकानेर | 9/98 |
| 6. | बूंदी | 7/98 |
| 7. | श्रीगंगानगर | 12/98 |
| 8. | हनुमानगढ़ | 8/98 |
| 9. | झालावाड़ | 6/98 |
| 10. | कोटा | 7/98 |
| 11. | सरदारशहर | 9/98 |
| 12. | टौंक | 7/98 |
| 13. | भरतपुर | 8/98 |
| 14. | दौसा | 9/98 |
| 15. | अलवर | 9/98 |
| 16. | डीलक्स | 9/98 |
| 17. | धौलपुर | 8/98 |
| 18. | हिन्डौन | 9/98 |
| 19. | जयपुर | 7/98 |
| 20. | कोटपूतली | 8/98 |
| 21 | लोहागढ़ | 8/98 |
| 22. | मत्थ्स्य नगर | 11/98 |
| 23. | तिजारा | 9/98 |
| 24. | झालाना डूंगरी | 6/98 |
| 25. | सांगानेर | 6/98 |
| 26. | वैशालीनगर | 7/98 |
| 27. | विद्याधर नगर | 8/98 |
| 28. | आबूरोड | 7/98 |
| 29. | बांसवाड़ा | 9/98 |
| 30. | बाड़मेर | 8/98 |
| 31. | ब्यावर | 6/98 |
| 32. | भीलवाड़ा | 7/98 |
| 33. | चितौड़गढ़ | 7/98 |
| 34. | चूरू | 9/98 |
| 35. | डूंगरपुर | 7/98 |
| 36. | फालनां | 3/98 |
| 37. | जालौर | 6/98 |

| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38. | झुंझुनूं | 6/98 | 44. | रेवदर | 3/00 |
| 39 | जोधपुर | 5/98 | 45. | सीकर | 9/98 |
| 40. | खेतड़ी | 8/98 | 46. | सिरोही | 9/98 |
| 41. | नागौर | 6/98 | 47. | श्रीमाधोपुर | 7/00 |
| 42. | पाली | 5/98 | 48. | उदयपुर | 8/98 |
| 43. | फलौदी | 7/98 | 49. | देहली | 9/99 |

## उप वन संरक्षक, करौली द्वारा लम्बित प्रकरणों के निस्तारण में लापरवाही

148. **श्री दुर्गा प्रसाद** (गंगापुर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि खनिज विभाग खनन पट्टा स्वीकृत करने से पहले भूमि की जानकारी वन विभाग से लेता है कि अमूक भूमि वन भूमि है अथवा वन भूमि से बाहर की भूमि है ?

(2) उक्त वन संरक्षक करौली के पास कितने मामले ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिये कितने दिनों से लम्बित है जिनमें खनिज अभियन्ता, करौली ने जानकारी मांगी है ?

(3) क्या यह सही है कि उप वन संरक्षक, करौली ऐसी जानकारी शीघ्र देंने में भारी आनाकानी करते है जिससे जिले में खनन पट्टों के निस्तारण में समय लग रहा है।

(4) क्या यह सही है कि सरकार ने यह निर्णय लिया कि जो अधिकारी फाइलों को शीघ्रता से नहीं निपटाते हैं उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो उक्त प्रकरणों में क्या कार्यवाही की जायेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां।

(2) उप वन संरक्षक करौली के पास वर्तमान में खनिज अभियंता करौली से प्राप्त 13 प्रकरण जिनका वर्षवार विववरण संलग्न परिशिष्ट पर दिया गया है, लम्बित है। इसके अतिरिक्त 59 प्रकरणों में खनिज विभाग से अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है, जो प्राप्त होना शेष है।

(3) एन.ओ.सी. जारी होने में समय लगने का कारण आवेदित क्षेत्र से संबधित पूर्ण अभिलेखों का उपलब्ध नहीं होना है। जिन प्रकरणों में विभाग द्वारा एन.ओ.सी. नहीं दी गई है उन प्रकरणों में वांछित जानकारी खनिज विभाग द्वारा नहीं दी गई है।

(4) भविष्य में खनिज विभाग से प्राप्त एन.ओ.सी. के प्रकरणों में यथाशीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करने की दृष्टि से ऐसे प्रकरणों का निस्तारण अधिक से अधिक दो माह की अवधि में किये जाने से निर्देश अधीनस्थ अधिकारियों को दिये जा रहे है।

---

परिशिष्ट

उप वन संरक्षक करौली के पास खनिज अभियन्ता करौली से प्राप्त खान प्रकरणों के अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु जानकारी चाहने हेतु प्रकरणों का विवरण

| क्र.सं. | वर्षवार भेजे गये प्रकरण | खनिज अभियन्ता करौली से प्राप्त खनन प्रकरण जिनमें एन.ओ.सी. नहीं दी गयी | उप वन संरक्षक करौली से पुनः खनिज अभियंता को आक्षेपों की पूर्ति हेतु भेजे गये प्रकरण जो वापस प्राप्त नहीं हुये है | रेकार्ड मिलान हेतु/ वैधानिक स्थिति की जानकारी हेतु तथा मौके के निरीक्षण हेतु पेंडिंग प्रकरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 1992 | 1 | 1 | — |
| 2. | 1993 | — | — | — |
| 3. | 1994 | 2 | 2 | — |
| 4. | 1995 | — | — | — |
| 5. | 1996 | 3 | 3 | — |
| 6. | 1997 | 5 | 4 | 1 |
| 7. | 1998 | 14 | 11 | 3 |
| 8. | 1999 | 22 | 17 | 5 |
| 9. | 2000 (23.10.2000 तक) | 25 | 21 | 4 |
| | योग | 72 | 59 | 13 |

## विधान सभा क्षेत्र नोहर के ग्राम केलनिया के ग्रामीणों पर झूठे मुकदमें

149. **श्रीमती सुचित्रा आर्य** (नोहर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र नोहर के ग्राम केलनिया के पोस्त प्रकरण में लिप्त अभियुक्तों सहित तत्कालीन थाना अधिकारी पल्लू के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त प्रकरण में दोषी तत्कालीन थाना अधिकारी को निलम्बित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त थाना अधिकारी द्वारा पहले भी ग्रामीणों पर कई बार झूठे पोस्त के मुकदमें दर्ज किये थे और निर्दोष लोगों को फंसाया गया था ? यदि हां, तो उक्त थाना अधिकारी के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

### उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नोहर के ग्राम केलनिया के डोडा पोस्त प्रकरण के संबंध में थाना पल्लू, जिला–हनुमानगढ़ में दो प्रकरण, अभियोग सं. 56 दिनांक 4.9.2000 अंतर्गत धारा 332, 353, 147, 148, 149 भा.द.स. एवं अभियोग संख्या 57 दिनांक 4.9.2000 अंतर्गत धारा 8/15 मादक पदार्थ एवं स्वापक औषधि अधि. पंजीबद्ध हुये है। दोनों ही प्रकरणों का अनुसंधान वृत्ताधिकारी नोहर द्वारा किया जा रहा है। उक्त प्रकरण के संबंध में तत्कालीन थाना अधिकारी, थाना पल्लू श्री अब्दुल कयूम उप निरीक्षक को दिनांक 21.10.2000 को निलम्बित किया जा चुका है एवं इसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही 16/18 सी.सी.ए. नियम के तहत विचाराधीन है

(2) उक्त प्रकरण में तत्कालीन थाना अधिकारी, थाना–पल्लू को दिनांक 21.10.2000 को निलम्बित किया जा चुका है।

(3) जी नहीं। पूर्व में किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पोस्त आदि के मिथ्या प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

## दयालपुरा (जयपुर) में भूमिगत जलाशय के निर्माण में अनियमितताएं

150. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) एवं **श्री जगमाल सिंह यादव** (तिजारा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम दयालपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर में भूमिगत जलाशय (जी.एल.आर.) का निर्माण जहां कराया जा रहा है वहां के ग्रामवासियों से आम सहमति प्राप्त हुई है, यदि हां, तो

(श्री गोविन्द सिंह गर्जर)

कब ? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जी.एल.आर. बानाने के लिये क्षेत्रीय विधायक, ग्रामवासियों एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दयालपुरा के प्रधानाध्यापक द्वारा स्कूल के समीप जी.एल.आर. बनाने के ज्ञापन सरकार को दिये थे ? यदि हां, तो किस–किस तिथि को ? ज्ञापनों की प्रति सदन की मेज पर रखे।

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम दयालपुरा के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों द्वारा सरकार को दिनांक 28 अगस्त, 2000 को जन प्रतिवेदन दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या–क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों ? जन प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि जन प्रतिवेदन पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री द्वारा दिनांक 28 अगस्त, 2000 को ही अधीक्षण अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (ग्रामीण) को यह निदेश दिये कि स्वीकृत जी.एल. आर. का मौका मुआयना कर जी.एल.आर. उचित स्थान पर बनाया जाये ?

(5) राज्य सरकार के आदेश की अनुपालना में अधीक्षण अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (ग्रामीण) द्वारा की गई जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह भी सही है कि दिनांक 13 सितम्बर, 2000 को ग्रामवासियों (अनुसूचित जाति) द्वारा पुनः मुख्य मंत्री एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री को जन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि जी.एल.आर. स्कूल के समीप नहीं बनाकर सम्पन्न लोगों के घरों के पास बनाई जा रही है, जिसके कारण स्कूल के छात्रों एवं अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को पीने के लिये वंचित रहना पड़ेगा ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों ?

(7) क्या यह सही है कि अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण ने सम्पन्न व्यक्तियों से मिलकर गलत रिपोर्ट देकर जी.एल.आर. निर्माण कार्य गलत स्थान पर कराया ? क्या सरकार इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

(8) क्या सरकार उक्त जी.एल.आर. निर्माण में लिप्त दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांच करा कर उन्हें दण्डित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

(9) क्या सरकार विद्यालय के छात्रों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न के भाग–2 में दर्शाये गये स्थान पर जी.एल.आर. निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक काम चालू कर दिया जायेगा और नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) जी हां। ग्रामवासियों से आम सहमति के पत्र माह अगस्त, 2000 में प्राप्त हुए थे। उक्त पत्रों की छाया प्रति परिशिष्ट "अ" 1

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

से "अ" 2 पर संलग्न है।

(2) जी हां। ग्रामवासियों के पत्र दिनांक 22.8.2000, 28.8.2000 क्षेत्रीय विधायक महोदय के दिनांक 26.8.2000 एवं रा.उ.प्रा. विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा प्रार्थना–पत्र दिनांक 25.8.2000 को दिये गये। पत्रों की छाया प्रति परिशिष्ट "ब" 1 से "ब" 4 पर संलग्न है।

(3) जी हां। प्रति परिशिष्ट "ब" 1 पर संलग्न है। निर्देशानुसार अधीक्षण अभियन्ता ग्रामीण जिला वृत जयपुर द्वारा दिनांक 6.9.2000 को मौका मुआयना किया गया एवं मौके मुआयने के अनुसार जी.एल.आर. का निर्माण विभाग द्वारा आरम्भ किये गये स्थान को ही उचित माना गया।

(4) जी हां। उपरोक्तानुसार।

(5) जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(6) जी हां। मौका मुआयना 13.9.2000 से पूर्व किया जा चुका था कार्य प्रगति पर था। रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दी गई थी।

(7) जी नही। जी.एल.आर. का निर्माण कार्य उचित स्थान पर किया गया है। जिसकी सहमति माननीय राज्य मंत्री सहकारिता द्वारा भी दिनांक 30.8.2000 को दी गई है, जो परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(8) जी नहीं। उपरोक्तानुसार।

(9) जी.एल.आर. योजना में एक ही स्वीकृत था तथा उक्त कार्य का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। विभागीय मानदण्डों के अनुसार दूसरी जी.एल.आर. बनाया जाना सम्भव नहीं है। उ.प्रा. विद्यालय से भूतल जलाशय की दूरी 100 मीटर से भी कम है।

**(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)**

## अकाल के समय चुनिन्दा शहरों के सौन्दर्यकरण पर व्यय

151. **श्री लक्ष्मण सिंह रावत** (भीम) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के कतिपय शहरों के विकास एवं सौन्दर्यकरण के लिये "एशियन डवलपमेंट बोर्ड" से 1500 करोड़ रुपये का ऋण लिया जा रहा है ? यदि हां, तो ऋण की शर्ते तथा ऋण चुकाने की प्रक्रिया क्या है ? उक्त बैंक की शर्तो की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने उक्त ऋण के लिये काउंटर गारंटी दी है ?

(3) क्या यह सही है कि जब राज्य का सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र भंयकर अकाल से संघर्ष कर रहा है तब मात्र 5–7 नगरों के सौन्दर्यकरण पर 1500 करोड़ व्यय करने को सरकार उचित मानती है ?

**उत्तर**

(1) एशियन विकास बैंक (न कि बोर्ड) से राज्य के प्रमुख शहरों में आधारभूत सेवाएं प्रदान करने के लिए ऋण लिया जा रहा है। परियोजना की कुल लागत 362 मिलियन अमेरिकन डालर (रुपये 1529 करोड़) है। एशियन विकास बैंक द्वारा परियोजना की 69 प्रतिशत 250 मिलियन अमेरिकन डालर (रुपये 1055 करोड़) ऋण सहायता के रूप में भारत सरकार को 30 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में एवं 70 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में 12.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर देगी। परियोजना की शेष 31 प्रतिशत राशि रुपये 474 करोड़ में से रुपये 380 करोड़ की भागीदारी राज्य सरकार की होगी एवं रुपये 94 करोड़ शहरी स्थानीय निकायों का हिस्सा होगा। इसके लिए ऋण अनुबंध एवं परियोजना अनुबंध दिनांक 1.12.1999 को किया गया है। ऋण दिनांक 18 जनवरी, 2000 से प्रभावी घोषित किया गया है ऋण 25 वर्षो में भारत सरकार को चुकाया जायेगा जिसमें 5 वर्ष का मोरेटोरियम भी शामिल है। ऋण की मुख्य शर्तो के प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। ऋण की मुख्य शर्तो की प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। ऋण केन्द्र सरकार को 1 जून, 2004 से चुकाया जावेगा जिसका विवरण ऋण अनुबंध अनुसूची 2 परिशिष्ट "ख" में किया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। इस परियोजना के लिए प्राप्त किये जा रहे ऋण की राशि का उपयोग राज्य के 7 प्रमुख शहरों में शहरी ढांचागत, विकास हेतु किया जाना प्रस्तावित है न कि सौन्दर्यकरण पर।

परिशिष्ट ''अ''

## एशियाई विकास बैंक द्वारा इस परियोजना के लिए ऋण अदायगी की मुख्य शर्ते

1. राज्य सरकार के द्वारा जो ऋण राशि नगर स्थानीय निकायों के परियोजना कार्यो हेतु उपलब्ध कराई जायेगी, उसके लिए राज्य सरकार एवं संबंधित स्थानीय निकाय के मध्य ऋण समझौता हस्ताक्षरित होगा एवं उसकी मुख्य शर्तों में संशोधन अथवा समाप्त करना बिना बैंक की पूर्व अनुमति के नहीं किया जायेगा।

2. सलाहकारों की नियुक्ति एवं निर्माण अथवा सामग्री हेतु अनुबन्ध आदि बैंक की निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ही किया जायेगा।

3. परियोजना क्रियान्वयन व्यवस्था।

   क. मंत्री, नगरीय विकास की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार समिति का गठन एवं उस समिति को राज्य सरकार की आवश्यक शक्तियां प्रदान करना।

   ख. इस परियोजना की कार्यपालन एजेन्सी नगरीय विकास विभाग होगा, जो इस परियोजना का क्रियान्वयन करेगा।

   ग. इस परियोजना का प्रबन्धन एवं समन्वय परियोजना प्रबन्धन इकाई के द्वारा होगा। इस इकाई का प्रमुख परियोजना निदेशक होगा जिसकी सहायता के लिए योग्य व अनुभवी स्टाफ लगाना एवं यह परियोजना अवधि के लिए नियुक्त होंगे।

   घ. प्रत्येक परियोजना शहर में एक परियोजना क्रियान्वयन इकाई स्थापित की जायेगी जो परियोजना का क्रियान्वयन करेगी।

4. राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विस्तृत अभिकल्पन (Designe) के 15 माह पश्चात् तक उस कार्य हेतु समस्त आवश्यकता भूमि का अधिग्रहण कर लिया जायेगा। परियोजना की पुनर्वास योजना में शामिल नहीं होने वाले अपरिहार्य अस्वैच्छिक पुनर्वास प्रबन्धन के लिये नीतियों एवं प्रक्रियाओं को तदनुरूप परिवर्तित करें।

5. बैंक द्वारा सुझाये गये नीतिगत, संस्थागत एवं वित्तीय सुधारों को, तय की गई समय सारिणी अनुसार राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित करना।

6. राज्य सरकार द्वारा जन सहभागिता बाबत एक नीति क्रियान्वित की जायेगी जिसमें कच्ची बस्तियों में महिलाओं के लिए लघु ऋण, महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार के कार्यक्रम एवं जनता द्वारा नागरिक सेवाओं के उपयोग हेतु भुगतान करने की इच्छा शक्ति उत्पन्न करना शामिल हो।

7. परियोजना शहरों के स्थानीय निकायों के राजस्व सुधार हेतु राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों द्वारा विभिन्न उपाय क्रियान्वित किये जायेंगे जिनमें निम्न भी शामिल होंगे :–

क. गृह कर एवं भूमि व भवन कर का यौक्तिकीकरण (Rationalisation) करना। गृह कर की मूल्यांकन प्रक्रियाओं में सुधार जिससे कि वार्षिक किराये मूल्य में संशोधन एवं आत्म मूल्यांकन (Self Assessment) को बाध्य किया जा सके।

ख. नगर निगम/परिषद की राजस्व में बढ़ोतरी हेतु अन्य उपाय जैसे कि भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क, नगर निगमों/ परिषदों की समत्तियां, जो किराये पर दी गई हो, से बाजारी दर पर किराया वसूल करना।

ग. यह सुनिश्चित किया जाये कि समस्त परियोजना शहरों की नगर निगमों/परिषदों का क्लोजिंग बेलेंस 2004 तक सकारात्मक हो।

8. राज्य सरकार के द्वारा जल आपूर्ति में अनुदान घटाया जाये जिससे कि परियोजना शहरों की जलदाय योजनाएं वित्तीय सम्पोषणता (Financial Sustainability) प्राप्त कर सके। इसके लिए निम्न कार्य अपेक्षित है :–

क. ऐसे उपाय किये जाय जिससे कि मार्च 2004 तक गैर राजस्व जल घटकर 30 प्रतिशत से अधिक न हो। इसमें कलेक्शन एफिसिएंसी ( Collection Efficiency) में सुधार कर 90 प्रतिशत तक पहुंचाने एवं जल आपूर्ति विच्छेद नीति के क्रियान्वयन जैसे उपाय शामिल हो।

ख. जल की दर में इस प्रकार वर्ष 2001 से निरन्तर वृद्धि की जाये जिससे की मार्च 2005 तक पूर्ण संचालन–संधारण लागत की वसूली उपभोक्ताओं से हो सके एवं वर्ष 2011 तक संचालन अनुपात (Operation Ratio) 1.2 प्राप्त किया जा सके।

9. राज्य सरकार के द्वारा परियोजना शहर के सिवरेज व्यवस्था के संचालन–संधारण व्यय हेतु पर्याप्त कर राजस्व सुनिश्चित कर इसके लिए विशेष रूप से आंवटित की जायेगी।

10. उच्च अधिकार प्राप्त समिति एवं बैंक की सहमति से परियोजना शहरों की क्षमता निर्माण हेतु एक योजना नवम्बर, 1999 तक तैयार की जाय जो निर्धारित समय सारिणी के अनुसार क्रियान्वित हो।

11. निम्न परिस्थितियों में बैंक के द्वारा ऋण निरस्त किया जा सकता है :–

अ. यदि बैंक को कभी भी इस बात का समाधान हो गया कि ऋण राशि द्वारा पोषित किसी अनुबन्ध में जैसे सामग्री क्रय, सलाहकारों की नियुक्ति या कार्य क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार हुआ है अथवा आपत्तिजनक प्रक्रिया अपनाई गई हो एवं इस संबंध में भारत सरकार के द्वारा समय पर एवं समुचित कार्यवाही नहीं की गई।

ब. यदि बैंक को कभी भी इस बात का समाधान हो गया कि ऋण राशि द्वारा पोषित किसी अनुबन्ध में ऋण समझौते में निर्धारित की गई प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है।

12. ऋण खाते में से राशि निकालने की अंतिम तारीख 30 जून, 2005 होगी, अथवा अन्य दिनांक जो बैंक एवं भारत सरकार की सहमति से निर्धारित की जाये।

13. इस परियोजना के लेखों का अलग से संधारण होगा एवं प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बाद परियोजना लेखों का अंकेक्षण बैंक की सहमति से नियुक्त स्वतंत्र अंकेक्षणकर्ता के द्वारा कराया जाकर बैंक को प्रेषित करना होगा।

परिशिष्ट ''ख''

## SCHEDULE -2

### AMORTIZATION SCHEDULE

**(Rajasthan Urban infrastructure Development Project)**

| Date Payment Due | | Payment of Principal (expressed in dollars)* |
|---|---|---|
| 1 | | 2 |
| 01 June | 2004 | $ 2,069,500 |
| 01 December | 2004 | 2.173.000 |
| 01 June | 2005 | 2,281,700 |
| 01 December | 2005 | 2,395,900 |
| 01 June | 2006 | 2,515,500 |
| 01 December | 2006 | 2,641,300 |
| 01 June | 2007 | 2,773,400 |
| 01 December | 2007 | 2,912,200 |
| 01 June | 2008 | 3,057,700 |
| 01 December | 2008 | 3,210,500 |
| 01 June | 2009 | 3,371,100 |
| 01 December | 2009 | 3,539,600 |
| 01 June | 2010 | 3,716,600 |
| 01 December | 2010 | 3,902,400 |
| 01 June | 2011 | 4,097,500 |
| 01 December | 2011 | 4,302,400 |

| 1 | | 2 |
|---|---|---|
| 01 June | 2012 | 4,517,500 |
| 01 December | 2012 | 4,743,400 |
| 01 June | 2013 | 4,980,600 |
| 01 December | 2013 | 5,229,600 |
| 01 June | 2014 | 5,491,100 |
| 01 December | 2014 | 5,765,700 |
| 01 June | 2015 | 6,053,900 |
| 01 December | 2015 | 6,356,600 |
| 01 June | 2016 | 6,674,500 |
| 01 December | 2016 | 7,008,200 |
| 01 June | 2017 | 7,358,600 |
| 01 December | 2017 | 7,726,500 |
| 01 June | 2018 | 8,112,900 |
| 01 December | 2018 | 8,518,500 |
| 01 June | 2019 | 8,944,400 |
| 01 December | 2019 | 9,391,700 |

* The figures in this column represent dollar equivalents determined as of the respective dates of withdrawal. The arrangements for payment of each maturity are subject to the provisions of Sections 3.06 and 4.03 of the Loan Regulations.

Schedule "2"

| Date Payment Due | | Payment of Principal (expressed in dollars)* |
|---|---|---|
| 1 | | 2 |
| 01 June | 2020 | $ 9,861,200 |
| 01 December | 2020 | 10,354,300 |
| 01 June | 2021 | 10,872,000 |
| 01 December | 2021 | 11,415,600 |
| 01 June | 2022 | 11,986,400 |
| 01 December | 2022 | 12,585,700 |
| 01 June | 2023 | 13,215,000 |
| 01 December | 2023 | 13,875,800 |
| | TOTOAL | $ 250,000,000 |

* The figures in this column represent dollar equivalents determined as of the respective dates of withdrawal. The arrangements for payment of each maturity are subject to the provisions of Sections 3.06 and 4.03 of the Loan Regulations.

## विधान सभा क्षेत्र भादरा के ग्रामों हेतु निगम बस सेवा

152. **श्री संजीव कुमार (भादरा) :** क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र भादरा के कितने गांवों को परिवहन निगम की बस सेवा से जोड़ा गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सुविधा रहित गांवों में अभी तक निगम बस सेवा की व्यवस्था नहीं हो पाने के क्या कारण हैं और ऐसे कितने गांव हैं ?

(3) क्या सरकार उक्त गांवों में निगम बस सुविधा चालू कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

### उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भादरा के 21 गांव निगम की बस सेवा से जुड़े हुए हैं। सूची परिशिष्ट "1" पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र भादरा में परिशिष्ट "1" में अंकित गांवों के अतिरिक्त सुविधा रहित गांवों में निगम की बस सेवा उपलब्ध न हो पाने का मुख्य कारण इन गांवों का राष्ट्रीयकृत मार्ग पर स्थित न होना, बसों एवं अन्य संसाधनों की कमी होना है।

(3) जी नहीं। अधिकतर गांव अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर स्थिति होने तथा उनमें से कुछ गांवों में पक्की सड़क नहीं होनें तथा परिवहन निगम में बसों व संसाधनों की कमी की वजह से इन सुविधा रहित गांवों में निगम की बस सेवा संचालन का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट "1"

## विधान सभा क्षेत्र भादरा के गांवों की सूची जो निगम की बस सेवा से जुड़े हुये हैं

| क्र.स. | मार्ग का नाम | | मार्ग के मध्य पड़ने वाले गांवों का नाम |
|---|---|---|---|
| | **राष्ट्रीयकृत मार्ग :** | | |
| 1. | भादरा–नोहर रावतसर | 1. | मुनसरी |
| | | 2. | सरदारगड़िया |
| | | 3. | करणपुरा |
| | | 4. | सिकरोड़ी |
| 2. | भादरा–साहवा–तारानगर | 1. | डुगराना |
| | | 2. | बोझला |
| | | 3. | मलसीसर |
| | | 4. | कुजी |
| | | 5. | घोटडा |
| | **पंचम अध्याय मार्ग :** | | |
| 3. | भादरा–राजगढ़ | 1. | डोबी |
| | | 2. | उतरादाबास |
| | | 3. | भनाई |
| | | 4. | भाडी मोड़ |
| | | 5. | चारणा की ढाणी |
| 4. | भादरा–हिसार वाया मालसमन्द | 1. | पटवा |
| | | 2. | जोगीवाला |
| | | 3. | अमरपुरा |
| | | 4. | सुरतपुरा |
| | | 5. | भिरानी |
| | | 6. | डाबड़ी |
| | | 7. | मोजाना |

## जिला धौलपुर के वन क्षेत्र से अवैध लकड़ी बेचान पर रोकथाम

153. **श्री शिवराम सिंह कुशवाह** (धौलपुर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला धौलपुर के वन क्षेत्रों का कितना–कितना क्षेत्र खनिज विभाग के अंतर्गत आता है ? सूची स्थानवार सदन की मेंज पर रखे।

(2) क्या सरकार ने उक्त क्षेत्र में खनिज कार्य करने के पट्टे दे रखे है ? यदि हां, तो किन–किन को और किस नियम के तहत ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त पट्टा धारियों को मनमाने तरीके से खनन कार्य करने की इजाजत दी गई है ? यदि हां, तो किस नियम के अंतर्गत ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त जिले के वन क्षेत्रों से अवैध रूप से लकड़ी काट कर टैक्टरों एवं ऊंट लड्डों में भरकर बेचने हेतु अन्यत्र स्थान पर पहुंचाई जाती है ? यदि हां, तो इसकी रोकथाम के क्या कोई उपाय किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) जिला धौलपुर का कोई भी वन क्षेत्र वर्तमान में खनिज विभाग के अंतर्गत नहीं आता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.12.1996 से पूर्व खनिज विभाग द्वारा दिये गये 14 खनिज पट्टों के लिये आवंटित कुल क्षेत्रफल 8443.06 हैक्टेयर में से 7451.85 हैक्टेयर क्षेत्र वन क्षेत्र था। इन 14 खनन पट्टाधारियों की नामवार सूची, खनन हेतु आवंटित कुल क्षेत्र एवं उसमें आने वाले वन क्षेत्र का विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है। वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 12.12.1996 के पश्चात् खनन पट्टाधिकारियों से खनिज विभाग द्वारा लीज सरेंडर करवाकर खनन कार्य बंद करने बाबत शपथ पत्र प्राप्त कर लिया गया है परन्तु पूर्व में खनन किये जाने वाले क्षेत्र की निशानदेही कराकर भूमि वन विभाग को हस्तान्तरण नहीं कराया गया है।

(2) खनन के लिये कोई पट्टा स्वीकृत नहीं है। खनिज विभाग द्वारा पूर्व में 14 खनन पट्टे वन क्षेत्रों में दिये गये थे, जिनमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णम दिनांक 12.12.1996 के बाद खनन कार्य बन्द करवाया जा चुका है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में वन क्षेत्र में खनन हेतु कोई पट्टा स्वीकृत नहीं होने से मनमाने ढंग से खनन की छूट देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। चोरी छिपे अवैध

(राज्य मंत्री, वन)

खनन कार्य करने वालों के विरुद्ध विभाग द्वारा कानूनी कार्यवाही कर 304 अपराध प्रकरण दर्ज किये जाकर 7,06,691/— रुपये की राशि मुआवजे के रूप में वसूल की गई है।

(4) उक्त वन क्षेत्रों से अवैध रूप से लक़ड़ी काटकर ऊटों एवं सिर बोझ आदि द्वारा ले जाये जाने के प्रकरण सामने आने पर उनेक विरुद्ध कार्यवाही की जाकर 48 वन अपराध प्रकरण दर्ज कर 1.22736 लाख रुपये की राशि मुआवजे के रूप में वसूल की गई है।

---

## माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.12.1998 से पूर्व खनिज विभाग द्वारा जारी खनिज पट्टों का विवरण

| क्र.सं. | नाम पट्टेधारी | कुल क्षेत्र हैक्टेयर | वन क्षेत्र हैक्टेयर | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | रामजीलाल | 136.63 | 59.40 | खनिज विभाग द्वारा लीज सरेन्दर करवाकर खनन पट्टाधारको से खान छोड़ने का शपथ पत्र लिया गया है खनन क्षेत्र की निशानदेही कराकर वन विभाग को हस्तान्तरित नहीं कराया है। |
| 2. | लखन लाल | 275.00 | 275.00 | |
| 3. | दिनेश कुमार | 949.00 | 949.00 | |
| 4. | भगवान लाल जिन्दल | 129.11 | 129.11 | |
| 5. | अशोक कुमार | 858.00 | 615.90 | |
| 6. | सरदार सिंह | 612.71 | 612.71 | |
| 7. | राजकुमार | 802.41 | 802.41 | |
| 8. | योगिन्द्र कुमार गर्ग | 556.20 | 333.50 | |
| 9. | वीरेन्द्र पाल | 1000.00 | 756.90 | |
| 10. | बाबूलाल जिन्दल | 780.00 | 573.92 | |
| 11. | कैलाश चन्द वैश्य | 1000.00 | 1000.00 | |
| 12. | गुलाब सिंह | 334.00 | 334.00 | |
| 13. | विजेन्द्र बहादुर | 827.00 | 827.00 | |
| 14. | पृथ्वी सिंह | 183.00 | 183.00 | |
| | योग | 8443.06 | 7451.85 | |

## पुलिस थाना सिणधरी (बाड़मेर) सिवाना व बालोतरा में दर्ज हत्या के मुकदमे

154. **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदारा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पुलिस थाना सिणधरी (बाड़मेर) सिवाना और बालोतरा में अप्रेल, 1999 से सितम्बर, 2000 तक कुल हत्या के कितने मामले दर्ज हुए ? संख्या विवरण व सी.आर. नम्बर सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मुकदमों में से कितने मुकदमों का चालान अदालत में पेश कर दिया तथा कितने मुकदमे अभी तथा अन्वेषण में चल रहे हैं ? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) पुलिस थाना सिणधरी (बाड़मेर) सिवाना और बालोतरा में अप्रेल, 1999 से सितम्बर, 2000 तक तीनों थानों पर क्रमशः दो, दो हत्या के अभियोग दर्ज हुए है। इन थानों पर कुलमिलाकर 6 अभियोग दर्ज हुऐ है जिनका विवरण अभियोगवार परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त 6 अभियोगों में से एक में मुकदमा नं. 345/99 थाना बालोतरा का चालान पेश अदालत किया जा चुका है। शेष 5 अभियोग अनुसंधानाधीन है, जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" में अंकित है।

परिशिष्ट ''अ''

## अप्रैल, 1999 से सितम्बर, 2000 तक थाना सिणधरी, सिवाना व बालोतरा में हत्या के संबंध में दर्ज अभियोगों का विवरण जिला बाड़मेर

| नाम थाना | अभियोग संख्या/तारीख | नाम मुस्तगिस | अभियुक्तों के नाम | चालान | एफ.आर. अ.प. | एफ.आर. अ.स. | एफ.आर. अ.ब. | अनुसंधानकर्ता का नाम | संक्षिप्त विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| थाना सिणधरी | 47.दि.11.7.1999 धारा 302, 376 449, 382 आईपीसी | श्री भलाराम पुत्र गंगदाराम जाति कलबी नि. कागो की ढाणी | अज्ञात | — | — | — | — | अति.पु.अ. जौधपुर (शहर) द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। | अज्ञात मुल द्वारा रमकू को अपनी ढाणी के एक झूंपा में चारपाई पर रस्सी से बांध कर बलात्कार कर मारकर गहने निकाल कर ले जाना वगैरा अनुसंधान जारी है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| थाना सिणधरी | 80 दि. 6.9.2000 धारा 342, 323, 324, 325, 302 आईपीसी | श्री गोकलाराम पुत्र भीखाराम जाति जाट सा. लूणाकला | 1. हरजीराम पुत्र भीखाराम 2. पूनमाराम पुत्र भीखाराम 3. भूराराम पुत्र हरजीराम कौम जाटान सा. लूणाकला | – | – | – | – | श्री यादराम फासल, सीओ बालोतरा द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है | मुलजिमानो द्वारा मुस्तगिस के साथ मारपीट कर चौटे पहुंचाना एवं इलाज के दौरान मृत्यु हो जाना, अनुसंधान जारी है। |
| थाना सिवाना | 70 दि.27.6.2000 धारा 302, 394 आईपीसी | सरकार जरीये श्री दौलतसिंह एसआई थानाधिकारी सिवाना | अज्ञात | – | – | – | – | श्री सांगसिंह एस.आई. थानाधिकारी सिवाना द्वारा अनु–संधान जारी है | अनजान व्यक्ति द्वारा भैटे आलाय से चोटे पहुचाकर महेन्द्र की हत्या करना व ट्रक के 6 टायर व्हील सहित खोलकर ले जाना वगैरा अनुसंधान जारी है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| थाना सिवाना | 109 दि. 28.8.2000 धारा 302, 450 आईपीसी | श्री भूरचंद पुत्र रुगनाथमल जाति खण्डेलवाल नि. मगजी की ढ़ाणी बालोतरा | अज्ञात | — | — | — | — | श्री सांगसिंह एस.आई. थानाधिकारी सिवाना द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। | अज्ञात मुल. द्वारा मुश्त. के भाई को मकान के अन्दर चोटें पहुंचा कर चम्पालाल की हत्या करना अनुसंधान जारी है। |
| थाना बालोतरा | 345 दि. 16.9.1999 धारा 302 आई.पी.सी | श्री झूमरलाल पुत्र मानाराम जाति देशांतरी नि. बालोतरा | जयकिशन पुत्र कन्हैया लाल कौम देशान्तरी नि. शास्त्रीनगर वार्ड सं. 4 ब्राड़मेर | चालान 227/ 18.10.1999 | — | — | — | श्री गोपालसिंह सी.आई. थानाधिकारी बालोतरा | दि.16.9.1999 को मुलजिम जयकिशन द्वारा मुस्तगिस की लड़की राधा की हत्या करना मुकदमा धारा 410,17 किया जा चुका है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| थाना बालोतरा आईपीसी | 376 दि. 20.9.2000 धारा 302, 460 माली नि. गांधीपुरा बालोतरा | श्री घीसूलाल पुत्र हाराजा | अज्ञात | – | – | – | – | श्री गोपालसिंह सीआई थानाधिकारी बालोतरा द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। | सदर बालोतरा में अज्ञात मुलजिमानों द्वारा मांगीलाल वगैरा ए(3) जनों की हत्या कर गहना व रुपये ले जाना वगैरा अनुसंधान जारी है। |

## विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में स्वीकृत नलकूप

155. **श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया** (रतनगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में वर्ष 1999–2000 व 2000–2001 तक कुल कितने नलकूप शहरी व ग्रामीण उपखण्ड में स्वीकृत किये गये और स्वीकृत नलकूपों में से कितने चालू किये गये हैं तथा शेष कितने नलकूप हैं जो अभी तक चालू नहीं किये जा सके ? शेष नलकूपों की सूची कारण व स्थान सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा के ग्रामीण उप खण्ड में कितने उच्च जलाशय स्वीकृत हैं और उनमें से कितने उच्च जलाशय चालू किये गये हैं ? स्थान सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र में शेष कितने उच्च जलाशय चालू क्यों नहीं किये जा सके ?

### उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में वर्ष 1999–2000 में ग्रामीण क्षेत्र में एक नलकूप स्वीकृत किया गया जिसे चालू किया जा चुका है। वर्ष 2000–2001 में ग्रामीण क्षेत्र में एक नलकूप स्वीकृत किया गया जो कि चालू करने की प्रक्रिया में है सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

उक्त दोनों वर्षों में विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में शहरी क्षेत्र में कोई नलकूप स्वीकृत नहीं किया गया।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण खण्ड में 2 उच्च जलाशय स्वीकृत हैं इनमें से एक जलाशय निर्मित हो चुका है एवं एक माह में चालू किया जाना प्रस्तावित है एवं दूसरे जलाशय के निर्माण हेतु कार्यादेश दिया जा चुका है। विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) उपरोक्त बिन्दु संख्या–2 के अनुसार।

परिशिष्ट ''अ''

## विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में स्वीकृत नलकूपों की सूची

| | स्वीकृत नलकूपों की संख्या | | वर्तमान स्थिति | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|
| | वर्ष 1999-2000 | वर्ष 2000-2001 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| शहरी क्षेत्र | शून्य | शून्य | शून्य | – |
| ग्रामीण क्षेत्र | पाबूसर (एक) | आलसरवास (एक) | ग्राम पाबूसर का नलकूप चालू कर दिया गया है एवं आलसरवास नलकूप चालू करने की प्रक्रिया में है। | ग्राम आलसरवास के नलकूप में पंपिंग सैट डालने का कार्य शेष है जिसे शीघ्र चालू कर दिया जाएगा। |

परिशिष्ट ''ब''

## विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ ग्रामीण खण्ड में स्वीकृत उच्च जलाशयों का विवरण

| क्र.सं. | ग्राम का नाम | स्वीकृत उच्च जलाशयों की संख्या | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | गोगासर | 1 | टेस्टिंग की प्रक्रिया में है। निर्माणादेश |
| 2. | दाऊदसर | 1 | जारी किये जा चुके है। |

## रामबाग सर्किल, जयपुर की अवाप्त भूमि का गोल्फ क्लब को आवंटन

156. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि रामबाग परिसर की भूमि कई वर्षो तक चली मुकदमेंबाजी के बाद जयपुर विकास प्राधिकरण को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो यह कुल कितनी भूमि है व इसकी बाजारी कीमत जिला पंजीयन समिति द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार कितनी हैं ?

(2) उक्त भूमि में से कितनी भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गोल्फ मैदान के लिये दी गई है अथवा देना प्रस्तावित है ? उक्त भूमि गोल्फ क्लब को किन शर्तो पर व किन दरों पर दी जा रही हैं ?

(3) गोल्फ क्लब को यह रियायतें क्यों व किस आधार पर प्रदान की जा रही है।

### उत्तर

(1) जी हां। उक्त भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण को बाद अवाप्ति प्राप्त हुई है तथा इसका कुल रकबा 322 बीघा 8 बिस्वा है। उक्त भूमि की कीमत भूमि आवप्ति अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा जारी अवार्ड के अनुसार रुपये 4,16,60,528/– है। जहां तक जिला पंजीयन समिति द्वारा निर्धारित इस भूमि की बाजारी कीमत का प्रश्न है, अभी तक इस भूमि का भू–उपयोग मास्टर प्लान के अनुसार खुला क्षेत्र है। प्रश्न में भूमि के व्यावसायिक अथवा आवासीय प्रयोजन का उल्लेख के अभाव में जिला पंजीयन समिति के द्वारा निर्धारित दर का उल्लेख किया जाना संभव नहीं है।

(2) प्राधिकरण द्वारा गोल्फ मैदान के लिये भूमि किसी को नहीं दी गई है इस भूमि पर जयपुर विकास प्राधिकरण का स्वामित्व है।

(3) प्राधिकरण द्वारा भूमि देने का निर्णय ही नहीं किया गया है तो भूमि की दर में रियायत देने का प्रश्न ही नहीं है।

# परिशिष्ट-3

## (अतारांकित प्रश्न संख्या-260 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

आपातकालीन स्वीकृति योजनाओं का विवरण वर्ष 2000-2001

| क्र.सं. | योजना का नाम | प्रशासनिक स्वीकृति | तकनीकी स्वीकृति | अनुमानित लागत | नल-कूप | खुले कुएं को गहरा करना | कुएं में बोरिंग | बिजली कनेक्शन | किये गये कार्य का विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | समर आग. बिबलसर देवाडा | मूअ/जो/34441-447/29.3.2000 | 2/19.4.2000 | 0.89 | – | 1 | – | – | पूर्ण |
| 2. | पीएण्डटी डोडीयाली | ई–2/18.5.2000 | 4/26.5.2000 | 1.35 | 1 | – | – | – | पूर्ण |
| 3. | आर.डब्ल्यू.एस.एस.,सोपाडा | ई–5/28.6.2000 | 12/30.6.2000 | 4.86 | 1 | – | – | 1 | पूर्ण |
| 4. | आर.डब्ल्यू.एस.एस.,सुमेरगढ़ | ई–6/28.6.2000 | 13/30.6.2000 | 0.43 | – | 1 | – | – | पूर्ण |
| 5. | आर.डब्ल्यू.एस.एस.,आडवाडा | ई–2/18.5.2000 | 4/26.5.2000 | 1.62 | – | – | 1 | – | पूर्ण |
| 6. | आग.बागरा–आकोली | ई–7/30.6.2000 | 17/30.6.2000 | 3.11 | 1 | – | – | – | पूर्ण |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | भादराजून | ई—13/19.8.2000 | 21/25.8.2000 | 4.50 | 1 | — | — | 1 | नलकूप हेतु पी. डब्ल्यू.डी. कों निवेदन किया। |
| 8. | गोविन्दला—नोरवा | ई—12/19.8.2000 | 22/25.8.2000 | 4.03 | 1 | — | — | 1 | नलकूप का कार्य प्रगति पर है |
| 9. | थुम्बा पादरली | ई—10/11.8.2000 | 24/25.8.2000 | 4.68 | 1 | — | — | 1 | —यथा— |
| 10. | थावला बडूतरा | ई—9810—81/2.9.2000 | 26/4.9.2000 | 4.92 | 1 | — | — | 1 | —यथा— |
| 11. | नारायणवास | 9824—880/2.9.2000 | 27/4.9.2000 | 5.00 | 1 | — | — | 1 | नलकूप का कार्य पूर्ण शेष है। |
| 12. | उम्मेदपुर चान्दराई | 9803—809/2.9.2000 | 28/4.9.2000 | 4.12 | 1 | — | — | 1 | कार्य प्रगति पर है। |
| 13. | कूड़ा सेवाड़ा | 8862/19.8.2000 | 52/9.9.2000 | 4.68 | 1 | — | — | 1 | अपूर्ण |
| | | | योग | 44.19 | 10 | 2 | 1 | 8 | |

परिशिष्ट "ब"

## नलकूप स्वीकृत होने की पंचायतवार स्थिति जिला जालौर वर्ष 2000-2001

| क्र.सं. | योजना का नाम | नलकूप स्थिति | पंचायत | निर्माण की तारीख | बिजली के डिमाण्ड नोटिस भरने की तारीख | नलकूप चालू होने की तिथि | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | पी.एण्ड टी.डोडियाणी | डोडियाणी | डोडियाणी | 23.7.2000 | आवश्यकता नहीं | 30.7.2000 | चालू |
| 2. | पी.एण्ड टी.सोफाडा | सोफाडा | सोफाडा | 20.7.2000 | मांग नहीं की गई | पानी खारा है। | |
| 3. | पी.एण्ड टी. नारणावास | नारणावास | नारणावास | 16.10.2000 | कनेक्शन हेतु बिजली विभाग को निवेदन किया गया है। | | |
| 4. | क्षेत्रीय बागरा–आकोली | बागरा | बागरा | 5.9.2000 | कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है। | 15.9.2000 को चालू किया गया। | |
| 5. | पाइप्ड भाद्राजून | भाद्राजून | भाद्राजून | निर्माण हेतु भू–जल विभाग को निवेदन किया गया है। | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | क्षेत्रीय गोविन्दला कुण्डली | गोविन्दला | गोविन्दला | नलकूप खुदाई का कार्य प्रगति पर। | | | |
| 7 | क्षेत्रीय थुम्बा पादरली | बैदाना | बैदाना | नलकूप खुदाई का कार्य प्रगति पर। | | | |
| 8. | क्षेत्रीय थावला बुड़तरा | चंवरया | थावला | नलकूप खुदाई का कार्य प्रगति पर। | | | |
| 9. | क्षेत्रीय उम्मेदपुर चांदराई | उम्मेदपुरा | उम्मेदपुर | नलकूप खुदाई का कार्य प्रगति पर। | | | |
| 10. | क्षेत्रीय कुंड़ा सेवाड़ा | कुड़ा | कुड़ा | खोदने हेतु भू–जल विभाग को निवेदन किया गया है। | | | |

परिशिष्ट ''स''

कुएं गहरे करने के कार्य आदेश एवं पूर्ण करने की तिथि (वर्ष 2000-2001)

| क्र.सं. | योजना का नाम | कुएं का स्थान | पंचायत | कार्य आदेश सं. | पूर्ण करने की तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | क्षेत्रीय सुमेरगढ़ खेड़ा | सुमेरगढ़ खेड़ा | बीबलसर | 181/10.4.2000 | 11.7.2000 |
| 2 | क्षेत्रीय बीबलसर | बीबलसर | बीबलसर | 181/10.4.2000 | 15.7.2000 |

# परिशिष्ट-4

## (अतारांकित प्रश्न संख्या-267 का विवरण)

परिशिष्ट ''क''

## श्रीगंगानगर शहर में वर्ष 2000 में फर्जी शादी के नाम पर धोखाधड़ी के अभियोगों का विवरण

**मुकदमा नं.-261 दिनांक 3.7.2000 धारा 420, 34 आइपीसी थाना जवाहरनगर**

1. दिनांक 3.7.2000 को वक्त 3.30 पीएम पर श्री खानचन्द पुत्र श्री जम्मूराम जाति कम्बोज निवासी कमालवाला तहसील फजिलका पंजाब ने एक टाइपशुदा रिपोर्ट मार्फत कार्यालय श्रीमान् सहायक पुलिस अधीक्षक को पेश किया कि प्रार्थी खानचन्द व लेखराज पुत्र जम्मूराम जाति कम्बोज सिख निवासी कमालवाला के साथ मुल्जिमान निर्मला पत्नी हरीसिंह व हरीसिंह पुत्र फोजासिंह निवासी मीरा चौक श्रीगंगानगर दो लड़कियां जिनको मुल्जिमान निर्मला व मुलजिम हरीसिंह ने अपनी ननद बताया करीब 3 माह पूर्व प्रार्थीगण के साथ अपनी दोनों ननदों की शादी मीरा चौक पर की तथा शादी के पचास हजार रुपंये व एक तोला सोना व 20 तौला चांदी ली थी और इन दोनों लड़कियों की जिम्मेवारी ली थी। शादी के तीन दिन बाद ही निर्मला प्रार्थीगण के गांव पहुंची तथा कहा कि मैं इन लड़कियों को लेने आई हूं कुछ दिन बाद वापस लाकर छोड़ दूंगी मगर इन दोनों लड़कियों को आज तक नहीं पहुंचाया प्रार्थीगण कई बार पंचायत लेकर गए मगर निर्मला ने उन्हें कोई न्याय नहीं दिया आदि पर मुकदमा नं. 261/2000 धारा 420,34 आई.पी.सी. में दर्ज कर तफतीश शुरू की गई, अनुसंधान जारी है।

**मुकदमा नं.-325 दिनांक 9.8.2000 धारा 420, 364 120बी, आई.पी.सी. थाना जवाहरनगर**

2. दिनांक 9.8.2000 को वक्त 12.15 पर श्री बलोर सिंह पुत्र गुरजन्ट सिंह जाति जटसिंख निवासी जैड ने हाजिर थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट पेश किया कि पिछले दिनों मेरी मुह बोली बहन पैना पत्नी देवराज नाई निवासी करणपुर रोड ने मेरा सम्पर्क सोनिया जो करणपुर रोड पर रही है से करवाई। सोना ने मुझे कहा कि मेरी सग्गी भतीजी राणी निवासी रायसिंहनगर है जिसकी पूर्व में शादी होकर तलाक हो चुका है से शादी

करवा सकती हूं जिस पर मैंने मेरे परिवार वालों से बातचीत कर हां कर दी जिस पर सोनिया ने कहा कि 10,000 रुपये मुझे दो व 5 हजार रुपये रानी को कपड़े के लिये दो तत्पश्चात् कुल 15 हजार रुपये सोनिया को देने के पश्चात् दिनांक 1.7.2000 को सोनिया ने मेरी व रानी की शादी स्टाम्प पर टाइप करवाकर कर दी। शादी के बाद रानी 1.7.2000 से 4.7.2000 तक मेरे साथ रही तथा 4 तारीख को सोनिया आकर रानी को अपने साथ ले गई तथा 7.7.2000 को रानी पुनः मेरे पास आ गई तथा आने पर पूछने पर बताया कि कपड़े व जेवर मेरे घर पड़े हैं अबकी बार आऊंगी तो ले आऊंगी तथा अपनी मां की बीमारी का कहकर सोनिया के साथ चली गई कुछ दिनों के बाद सोनियां से सम्पर्क किया तो उसने 10,000 रुपये की और मांग की व कहा कि 10,000 और दोगे तभी रानी को भेजूंगी आदि–आदि पर मुकदमा नं.–325/2000 धारा 420, 364, 120बी. भादस में दर्ज कर तफतीश शुरू करदी गई, अनुसंधान जारी है।

**मुकदमा नं.-360 दिनांक 23.8.2000 धारा 379, 406, 420, 120बी, आई.पी.सी. थाना जवाहरनगर**

3. दिनांक 23.8.2000 को इस्त हस्तबदफ 156(3) सी.आर.पी.सी. अदालत सीजे (जेडी) जे.एस. आईसी श्रीगंगानगर ने. श्री शंकरलाल पुत्र खूबीराम जाति राजपूत (कश्यप) निवासी वार्ड नं–140 गुरुनानक बस्ती श्रीगंगानगर का प्राप्त हुआ कि प्रार्थी की शादी हल्फनामा के आधार पर दिनांक 4.3.2000 को अप्रार्थी सुनिता पुत्री रामपाल जाति कुम्हार निवासी करणपुर रोड श्रीगंगानगर के साथ मुल्जिमान सोना देवी, मनोजकुमार, राजपाल, सूरज ने करवाई थी। सोना देवी ने मेरे को बताया कि सुनीता बेवा है उसकी आय का जरिया नहीं है तुम्हारी शादी नहीं हुई, रुपये 8 हजार दे दो तो तुम्हारी शादी करवा दूंगी। मैंने सोना देवी की बातों पर विश्वास करके उसे 8 हजार रुपये दे दिये। जिस पर दिनांक 4.3.2000 को हमारी हल्फनामा से शादी करवा दी मैंने शादी के बाद सुनिता को मेरी पत्नी के रूप में घर ले गया तथा हमने सहवास भी किया मैं घर जाने के बाद मेरा सारा सामान सुनिता को बतौर अमानत सौंप दिया दिनांक 10.8.2000 को मैं मजदूरी करने गया वापस रात को 8 बजे आया तो सुनिता घर पर नहीं मिली तथा मेरा घरेलू सामान नहीं मिला तब मैंने मुल्जिमान से सम्पर्क किया तो उन्होंने कहा कि हमने तो शादी करनी थी कर ली अब हमें 20,000 हजार और दोगे तो दूसरी शादी करवा देंगे आदि–आदि पर उपरोक्त मुकदमा दर्ज कर तफतीश शुरू की गई, अनुसंधान जारी है।

## मुकदमा नं.-365 दिनांक 5.10.2000 धारा 420 आईपीसी थाना कोतवाली श्रीगंगानगर

4. दिनांक 5.10.2000 को श्री प्रेमसिंह उर्फ पप्पू पुत्र श्री शंकर सिंह जाति रायसिंख उम्र 32 साल निवासी इन्द्राकालोनी टाउन वार्ड नं.–24 ने थाना पर रिपोर्ट दी कि दिनांक 28.9.2000 को सुलतान मेरे पास हनुमानगढ़ गया और मेरे रिश्ते के लिए दिनांक 30.9.2000 को मैं व सुलतान गंगानगर आये जो मुझे रतन लाल सोनी की दुकान कर ले गया। रतन सोनी दुकान पर मिला एक भागीरथ जाट भी मौजूद था रतन लाल से लड़की के बारे में बात की रतन लाल मुझे व सुलतानराम व भागीरथ जाट को करणपुर रोड पर सोनू नामक औरत के घर ले गया जहां सोनू मिली जिसने लड़की लेकर रतन लाल की दुकान पर लेकर आने को कहां थोड़ी देर बाद सोनू एक लड़की को लेकर रतन लाल की दुकान पर लेकर आई जिसका नाम मनजीत व छिन्द्र बताया तब सुलतान ने जिसकी मैंने 2000 रुपये दे रखे थे उनमें से 10,000 रुपये रतन लाल लेकर सोनू नामक औरत की 10,000 रुपये भागीरथ जाट के सामने दे दिये एक जोड़ी बाली सोना व एक जौछह नाके का कोका, एक जोड़ी पाजेब छिन्द्र को गहना दिये तथा एक हजार रुपये कपड़े व कुछ समान के लिये सोनू नामक औरत को दे दिये। उसी समय कपड़े व सामान लेकर आई तथा रतन लाल की दुकान में ही छिन्द्र उर्फ मनजीत को तैयार कर मेरे साथ माला डालकर बतौर औरत रतन लाल सोनी श्रीमती सोनू नामक औरत ने सुलतान को भागीरथ जाट के सामने रवाना कर दी थी। मैं छिन्द्र को लेकर घर हनुमानगढ़ टाउन चला गया छिन्द्र मेरे पास बतौर औरत बनकर दो दिन रही फिर गंगानगर आकर वापस नहीं गई रतन लाल सोनी व सोनू छिन्द्रपाल ने धोखाधड़ी कर शादी के नाम पर 10,000 रुपये व एक जोड़ी वाली सोना व एक जोड़ी कोका सोना तथा पाजेब हड़प कर ली वगैरा–वगैरा पर उपरोक्त मुकदमा दर्ज कर तफतीश शुरू की गई, अनुसंधान जारी है।

---

## परिशिष्ट-5

## (अतारांकित प्रश्न संख्या-270 की प्रति)

**परिशिष्ट "अ"**

## प्रति प्रथम सूचना रिपोर्ट मु.नं.-178/2000 धारा 341, 323 भा.द.स. दिनांक 19.8.2000 थाना शिवदासपुरा

दिनांक 19.8.2000 सेवामें श्रीमान् थाना अधिकारी पुलिस थाना शिवदासपुरा (जयपुर ग्रामीण) विषय :– **प्रार्थी को जान से मारने का प्रयास व मारपीट करके जान से मारने की धमकी देने के क्रम में।** मान्यवर, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी व उसका साथी हरिनारायण पुत्र रामप्रसाद शर्मा आज दिनांक 19.8.2000 को चुनावी कार्य से स्कूटर द्वारा सांगानेर से मोहनपुरा जा रहे थे। तो करीब प्रातः 11.30 बजे क्या की ढाणी के पास वाटिका रोड की तरफ से आ रही मारुति नं. आर.जे.14 2 सी–7220 में सवाहर मान्दातासिंह व इसके साथी तिवाडी ने मुझे स्कूटर पर देखकर बहुत दूर जाने पर अपनी गाड़ी को घुमाकर मेरा पीछा करके गाडी से टक्कर मारने की कोशिश की तो अपने प्रयासों से असफल देखकर गाड़ी को सामने लाकर आड़ी लगाकर गाड़ी से उतरकर मेरा गिरेबान पकड़कर गाली गलौच करके मारपीट करना शुरू कर दिया मैंने बचाव के लिए आवाज लगाई तो पास में चाय की थड़ी पर बैठे लोग चन्दा मीणा पुत्र रामलाल लक्ष्मीनारायण मीणा पुत्र भौरी लाल आदि 6–7 आदमियों ने मुझे बचाने के लिए भागकर आये तो वातावरण की नजाकत को देखकर हमलावर प्रार्थी को जान से मारने की धमकी देकर यह कहकर चले गये कि गढ़ के मामले में तुने अपनी आवाज बन्द नहीं की तो हम तेरे पूरे परिवार का सफाया कर देंगे। ऐसे में आम रास्ते तथा दिन में ही जन प्रतिनिधियों के साथ गुण्डागर्दी व जान से मारने का प्रयास व धमकियां मिलती रही तो जनहित के मुद्दों पर आवाज उठाने की कोई हिम्मत नहीं करेगा तथा गुण्डा तत्व हावी हो जाएगा। अतः माननीयजी से निवेदन है कि रिपोर्ट में दर्ज नामजद हमलावरों को तुरन्त गिरफ्तार करके आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें तथा भविष्य में प्रार्थी तथा किसी अन्य के साथ ऐसी वारदात नहीं करे इसके लिए पाबन्द करें। छीतरमल, सदस्य, पंचायत समिति सांगानेर, जिला

जयपुर, राजस्थान।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त रिपोर्ट तहरीरी श्री छीतरमल पुत्र श्री पूरणमल शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 45 वर्ष निवासी मोहनपुरा ने उपस्थित होकर पेश की जिसकी नकल रजिस्टर में अक्षर से अक्षर की जाकर पढ़कर सुनाई सुन व समझ सहीमान अपने हस्ताक्षर किये। आमदा श्री छीतरमल को मुआयना जिस्म जरबात किया तो जाहिरा में कोई चोट नजर नहीं आती मजीद दरिया पर बताया कि मेरे साथ केवल पकड़कर थाप मुक्कों से मारपीट की गयी है जिससे जाहिरा चोट नजर नहीं आती ना ही मैं मुआयना डाक्टरी कराना चाहता हूं मजबूर रिपोर्ट व मुआयना जिस्मजरबात व मजिद दरियाबत से मामला अपराध धारा 341, 323 आईपीसी का वकू में आना पाया जाता है, अतः मु.न.–178/2000 धारा उपरोक्त में दर्ज कर मन आईसी थाना हरिशंकर शर्मा उ. नि. मसरूफ तफतीश हुआ प्रति एफआईआर नियमानुसार चाक कर प्रेषित की गयी एक प्रति मुस्तगीस मुकदमा को प्रदान की गई।

परिशिष्ट ''ब''

चार्जसीट

**प्रति मु.न.-178/2000 धारा 341, 323, आईपीसी दिनांक 1.8.2000 चार्ज शीट नं. 64/2000 दिनांक 29.8.2000 थाना शिवदासपुरा**

दिनांक 19.8.2000 को श्री छीतरमल पुत्र पूरणमल जाति ब्राह्मण निवासी मोहनपुरा ने थाना होकर एक रिपोर्ट इस अमर की पेश की कि मैं व मेरा साथी हरिनारायण पुत्र स्व. श्री रामप्रसाद शर्मा आज दिनांक 19.8.2000 को चुनावी कार्य से स्कूटर द्वारा सांगानेर से मोहनपुरा आ रहे थे। तो करीब प्रातः 11.30 बजे क्यालो की ढाणी के पास वाटिका रोड की तरफ से आ रही मारुति नं. आर.जे. 14 2सी–7220 में सवार मानदाता सिंह व इसके साथी तिवाड़ी ने मुझे स्कूटर पर देख कर बहुत दूर जाने पर अपनी गाड़ी को घुमाकर मेरा पीछा करके गाड़ी से टक्कर मारने की कोशिश तो अपने प्रयासों में असफल देखकर गाड़ी को सामने लाकर आड़ी लगाकर गाड़ी से उतर कर मेरा गिरेबान पकड़ कर गाली गलोच करके मरपीट करना शुरू कर दिया मैंने बचाव के लिये आवाज लगायी तो पास के चाय की थड़ी पर बैठे लोग चन्द मीणा पुत्र रामलाल मीणा, लक्ष्मीनारायण पुत्र भौरी लाल, रतन लाल पुत्र गोपी मीणा नत्था पुत्र गोपी मीणा

व 5–7 अन्य आदमी मुझे बचाने के लिये भागकर आये तो वातावरण की तजाकत को देखकर हमलावर प्रार्थी को जान से मारने की धमकी देकर यह कहकर चले गये कि गढ़ के मामले में तुने अपनी आवाज बन्द नहीं की तो हम तेरे पुरे परिवार का सफाया कर देंगे। ऐसे में आम रास्ता तथा दिन में ही जन प्रतिनिधियों के साथ गुण्डागर्दी व जान से मारने का प्रयास व धमकियां मिलती रही तो जनहित के मुद्दों पर आवाज उठाने की कोई हिम्मत नहीं करेगा तथा गुण्डागर्दी हावी हो जायेंगे। आदि रिपोर्ट पर उपरोक्त मुकदमा कायम कर तफतीश शुरू की गयी। दौराने तफतीश घटना स्थल पर नक्शा मौका कसीद किया गया। बयानात गवाहान लेख किये गये खुफिया तौर पर मालूमात की गयी तो पाया कि दिनांक 19.8.2000 से मोहनपुरा की तरफ आ रहा था तभी समय करीब 11.30 ए.एम. पर मारुति कार में मानदाता सिंह पीछे से आया व स्कूटर को रोक कर मुस्त. छीतरमल के साथ थाप मुक्कों से मारपीट की मानदाता सिंह मोहनपुरा गढ़ पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है। जबकि गढ़ पिछले 100 वर्षों से भी ज्यादा समय से ही सरकारी सम्पत्ति ही है तथा करीबं 6 माह पूर्व में ही तहसीलदार सांगानेर ने भी मानदाता सिंह के विरुद्ध गढ़ पर अतिक्रमण करने का मामला थाना हाजा पर दर्ज कराया है चुंकि छीतरमल मुस्त पंचायत समिति सदस्य है तथा गांव का स्थानीय नेता है इसलिये उसने विपक्षी मानदाता सिंह का विरोध किया इसी बात से नाराज होकर विपक्षी मानदाता सिंह ने मुस्त मुकदमा श्री छीतरमल को पकड़ कर थाप मुक्कों से मारपीट की। तफतीश हासला, नक्शा, मौका, बयानात, गवाहान से मुल्जिम मानदाता सिंह के विरुद्ध अपराध धारा 341, 323 आईपीसी का अपराध बखूबी साबित है, अतः मुकदमा हाजा में चार्जशीट नं.–64/2000 दिनांक 29.8.2000 धारा 341, 323 आईपीसी विरुद्ध की मानदाता सिंह पुत्र श्री गणपत सिंह जाति राजपूत उम्र 21 साल निवासी मोहनपुरा थाना शिवदासपुरा के पेश कर अर्ज है कि वाद समाप्त मुकदमा सलूक कानूनी फरमाने की कृपा करें। मुलजिम पर जमानत पुलिस है जो हमशह चालान पेश है।

एस.डी.

थानाधिकारी थाना शिवदासपुरा,
जयपुर ग्रामीण, जयपुर

परिशिष्ट "स"

## प्रति प्रथम सूचना रिपोर्ट मु.न.-78/2000 धारा 448 आईपीसी दिनांक 18.4.2000 थाना शिवदासपुरा

कार्यालय तहसीलदार, तहसील सांगानेर क्रमांक भू./2000–930 दिनांक 15.4.2000 थाना शिवदासपुरा। विषय :– **ग्राम मोहनपुरा के पक्ष में अनाधिकृत कब्जा होने के कारण।** उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम मोहनपुरा में एक पुराना गढ़ है उक्त मोहनपुरा का ये गढ़ कार्यालय तहसील की नजूल रजिस्टर के क्रमांक 63 पर दर्ज है भू.अ. निरीक्षक वाटिका द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें अंकित किया है मोहनपुरा गढ़ में सिद्ध कंवर पत्नी स्व. श्री गणपत सिंह मानदाता सिंह पुत्र गणपत सिंह, व इसका परिवार द्वारा एक कमरा दो साल व बरामदा ऊपर की मंजिल पर कब्जा कर रखा है। इसके अतिरिक्त प्रथम मंजिल पर आयुर्वेदिक औषधालय है, औषधालय में एक कमरा व बरामदे कार्य में लिया जा रहा है एक कमरे में पोस्ट आफिस व दो कमरों में स्कूल का सामान पड़ा होना बताया है। मैन गैट पर ताला लगा हुआ है एक कमरा बरामदे की बाउण्ड्री में कालू जमादार का परिवार रहता है। जानकारी में आया है कि 5, 6 वर्ष पूर्व इसमें स्कूल चलता था। हड़ताल राजकीय कर्मचारियों के दौरान सिद्ध कंवर एवं मानदाता सिंह द्वारा किये गये अतिक्रमण के विरोध में ग्रामवासियों में आक्रोश पैदा हो रहा है। ग्राम मोहनपुरा में स्थिति गढ़ नजूल सम्पति जिसमें किये गये नाजायज कब्जाधारियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने हेतु श्रीमान् उप खण्ड अधिकारी, जयपुर (2) ने निर्देश दिये हैं, अतः कब्जाधारी सिद्ध कंवर पत्नी गणपत सिंह मानदाता सिंह पुत्र गणपत सिंह निवासी प्लाट नं. 21–04 राणावत मार्केट, घी वालों का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर व कालू जमादार निवासी मोहनपुरा के प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर नियामानुसार कार्यवाही करने का श्रम करें। एस.डी. प्रकाश चन्द, तहसीलदार, सांगानेर

### कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त तहरीरी श्री प्रकाश चन्द यादव पुत्र श्री हीरालाल यादव जाति यादव उम्र 50, निवासी 1/29 विवेकानंद नगर, अलवर हाल तहसील सांगानेर, जयपुर ने उपस्थित इसकी नकल एफ.आई.आर. रजिस्टर में अक्षर से अक्षर की जाकर पढ़कर सुनाई सुन व समझ सही मान अपने हस्ताक्षर किये मजबून रिपोर्ट से मामल जुर्म धारा 448 आईपी.सी. का वकू में आना पाया जाता है, अतः मु.न.–78/2000 धारा उक्त में दर्ज कर मन उप. नि.(प्रो.) रिछपाल सिंह मजरूद तफतीश हुआ प्रतियां एफआईआर नियमानुसार जारी की गयीं व एक प्रति मुस्तगीस को निःशुल्क प्रदान की गयी।

# परिशिष्ट-6

## (अतारांकित प्रश्न संख्या-271 की सूची)

परिशिष्ट "अ"

1.1.1999 से 30.9.2000 तक पंजीबद्ध चोरी के अपराध

| नाम थाना | दर्ज हुआ | अदम वकू | अदम पता | अदम सबूत | जैर तफतीश | चालान |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. चूरू | 117 | 19 | 77 | 1 | 7 | 13 |
| 2. सरदारशहर | 89 | 11 | 35 | – | 7 | 3 |
| 3. भानीपुरा | 14 | 4 | 2 | – | 1 | 7 |
| 4. भालेरी | 20 | 9 | 7 | – | 1 | 3 |
| 5. रतननगर | 14 | 2 | 6 | – | – | 6 |
| 6. दुधवाखारा | 12 | 6 | 3 | – | 1 | 2 |
| 7. रतनगढ़ | 58 | 5 | 39 | – | – | 14 |
| 8. राजलदेसर | 9 | 1 | 5 | – | – | 3 |
| 9. श्रीडूंगरगढ़ | 52 | 16 | 23 | – | 3 | 10 |
| 10. सुजानगढ़ | 53 | 8 | 33 | – | – | 12 |
| 11. छापर | 20 | 3 | 12 | – | 1 | 4 |
| 12. सालासर | 12 | 2 | 4 | – | – | 6 |
| 13. साण्डवा | 27 | 9 | 8 | – | 3 | 7 |
| 14. राजगढ़ | 74 | 11 | 46 | 1 | 5 | 11 |
| 15. हमीरवास | 31 | 5 | 17 | – | – | 9 |
| 16. तारानगर | 34 | 10 | 15 | – | 2 | 7 |
| 17. सिद्धमुख | 10 | 3 | 4 | – | – | 3 |
| योग | 643 | 124 | 336 | 2 | 31 | 150 |

परिशिष्ट ''अ''1

1.1.1999 से 30.9.2000 तक पंजीबद्ध डकैती के अपराध

| नाम थाना | दर्ज हुआ | अदम वकू | अदम पता | अदम सबूत | जैर तफतीश | चालान |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. चूरू | 1 | – | – | – | 1 | – |
| 2. सरदारशहर | – | – | – | – | – | – |
| 3. भानीपुरा | – | – | – | – | – | – |
| 4. भालेरी | – | – | – | – | – | – |
| 5. रतननगर | – | – | – | – | – | – |
| 6. दुधवाखारा | – | – | – | – | – | – |
| 7. रतनगढ़ | – | – | – | – | – | – |
| 8. राजलदेसर | – | – | – | – | – | – |
| 9. श्रीडूंगरगढ़ | – | – | – | – | – | – |
| 10. सुजानगढ़ | – | – | – | – | – | – |
| 11. छापर | – | – | – | – | – | – |
| 12. सालासर | – | – | – | – | – | – |
| 13. साण्डवा | – | – | – | – | – | – |
| 14. राजगढ़ | – | – | – | – | – | – |
| 15. हमीरवास | 1 | – | – | – | 1 | – |
| 16. तारानगर | 2 | – | 1 | – | 1 | – |
| 17. सिद्धमुख | 1 | 1 | – | – | – | – |
| योग | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | – |

परिशिष्ट ''अ'' 2

1.1.1999 से 30.9.2000 तक पंजीबद्ध डकैती के अपराध

| नाम थाना | दर्ज हुआ | अदम वकू | अदम पता | अदम सबूत | जैर तफ़तीश | चालान |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. चूरू | 4 | – | – | – | 2 | 2 |
| 2. सरदारशहर | 6 | – | – | – | 1 | 5 |
| 3. भानीपुरा | 1 | – | – | – | – | 1 |
| 4. भालेरी | 6 | 2 | – | – | 1 | 3 |
| 5. रतननगर | 2 | 1 | – | – | – | 1 |
| 6. दुधवाखारा | 2 | – | – | – | – | 2 |
| 7. रतनगढ़ | 4 | – | – | – | – | 4 |
| 8. राजलदेसर | – | – | – | – | – | – |
| 9. श्रीडूंगरगढ़ | 10 | 1 | 1 | – | 3 | 5 |
| 10. सुजानगढ़ | 1 | – | – | – | – | 1 |
| 11. छापर | 4 | – | 1 | – | – | 3 |
| 12. सालासर | 1 | – | – | – | – | 1 |
| 13. साण्डवा | 2 | – | – | – | 1 | 1 |
| 14. राजगढ़ | 7 | – | 1 | – | – | 6 |
| 15. हमीरवास | 4 | – | – | – | 2 | 2 |
| 16. तारानगर | 7 | 1 | – | – | 3 | 3 |
| 17. सिद्धमुख | 6 | 1 | – | – | – | 5 |
| योग | 67 | 6 | 3 | – | 13 | 45 |

परिशिष्ट ''अ'' 3

1.1.1999 से 30.9.2000 तक पंजीबद्ध बलात्कार के अपराध

| नाम थाना | दर्ज हुआ | अदम वकू. | अदम पता | अदम सबूत | जैर तफतीश | चालान |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. चूरू | 1 | – | – | – | – | 1 |
| 2. सरदारशहर | 4 | 1 | – | – | – | 3 |
| 3. भानीपुरा | 2 | – | – | – | – | 2 |
| 4. भालेरी | 2 | 1 | – | – | – | 1 |
| 5. रतननगर | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 6. दुधवाखारा | 1 | – | – | – | – | 1 |
| 7. रतनगढ़ | 2 | 2 | – | – | – | – |
| 8. राजलदेसर | – | – | – | – | – | – |
| 9. श्रीडूंगरगढ़ | 7 | 2 | – | – | 1 | 4 |
| 10. सुजानगढ़ | 1 | – | – | – | – | 1 |
| 11. छापर | 4 | – | – | – | – | 4 |
| 12. सालासर | 2 | – | – | – | – | 2 |
| 13. साण्डवा | 2 | 1 | – | – | – | 1 |
| 14. राजगढ़ | 3 | – | – | – | 1 | 2 |
| 15. हमीरवास | 1 | – | – | – | – | 1 |
| 16. तारानगर | 2 | – | – | – | 1 | 1 |
| 17. सिद्धमुख | 1 | – | – | – | – | 1 |
| योग | 36 | 8 | – | – | 3 | 25 |

# परिशिष्ट-7

## (अतारांकित प्रश्न संख्या-273 का विवरण)

| क्र.स. | नाम वृक्षारोपण | वर्ष | लगाये गये पौधों की संख्या | जीवित पाये गए पौधों की संख्या | मृत पाये गये पौधों की संख्या | कुल पाये गये पौधों की संख्या | जीवित पौधों का प्रतिशत | गिनती का कार्य जिनके देखरेख में किया गया |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | कालीघाटी—II आर.डी.एफ. | 1997 | 33,000 | 13,088 | 14,235 | 27,323 | 39.66 | श्री तेजेन्द्र शर्मा, उप वन संरक्षक, आयोजना एवं प्रबोधन, अरा. वृक्षा. परि., जयपुर। |
| 2. | गढकोट—5 आर.डी.एफ | 1998 | 30,000 | 8,097 | 13,636 | 21,733 | 26,.99 | —यथा— |
| 3. | गोरिया—I आर.बी.एफ | 1998 | 53,000 | 31,893 | 16,381 | 48,274 | 60,17 | श्री बी.डी.शर्मा प्रावैधिक सहायक, वन संरक्षक, अरा. वृक्षा. परि., जयपुर। |
| 4. | गोरिया—III आर.डी.एफ | 1999 | 35,000 | 26,641 | 9,498 | 36,139 | 76.11 | —यथा— |

इनका गिनती का कार्य प्रजातिवार नहीं किया गया है। अब अवशेष वृक्षारोपणों में गिनती का कार्य प्रजातिवार कराया जा रहा है।

## परिशिष्ट-8

### (अतारांकित प्रश्न संख्या-277 की प्रति)

**राजस्थान सरकार**
**खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग**

क्रमांकःएफ17(2)खा.वि./बे.पा./99

जयपुर दिनांकः 21.2.2000

**आदेश**

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बैरल पाइंट के लिये प्राप्त आवेदन–पत्रों की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश 26.6.1999 के क्रम में निम्नानुसार संशोधन कर जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की एक संयुक्त चयन समिति का गठन किया जाता है :–

1. श्री जुगल काबरा, विधायक, जोधपुर — अध्यक्ष
2. श्री रामगोपाल बैरवा, विधायक पीपल्दा — सदस्य
3. उपायुक्त (मुख्यालय), खाद्य विभाग — सदस्य
4. उपायुक्त (प्रथम), खाद्य विभाग — सदस्य सचिव
4. संबंधित जिला रसद अधिकारी — सदस्य

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में श्री रामगोपाल बैरवा, विधायक, पीपल्दा, कार्यवाहक अध्यक्ष का कार्य करेगें। चयन के लिये कोरम हेतु अध्यक्ष/कार्यवाहक अध्यक्ष के अलावा 2 सदस्यों की उपस्थिति होगी। आवश्यकता होने पर समिति अपनी बैठक जिला मुख्यालय पर भी कर सकेगी।

चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के समय यह समाविष्ठ किया जा सकता है कि क्या आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ महिलाओं/भूतपूर्व सैनिक/शिक्षित बेरोजगार नवयुवक श्रेणी से संबंधित है। यह प्राथमिकता निर्धारित करने के आधार बिन्दु होंगे।

यह समिति आवेदन–पत्रों की जांच कर अपनी रिपोर्ट यथासंभव शीघ्र राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।

ह.

शासन उप सचिव
खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

# परिशिष्ट-9

## (अतारांकित प्रश्न संख्या-278 की सूची)

| क्र.सं. | क्षेत्र का नाम | साक्षात्कार का दिनांक | साक्षात्कार में उपस्थित सदस्य | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | केकड़ी नगरीय क्षेत्र | 19.5.2000 | 1. श्री हरिसिंह राठौड़, जि. र. अधिकारी | अध्यक्ष |
| | | | 2. श्रीमती निहाली देवी, अध्यक्ष नगरपालिका, केकड़ी | सदस्य |
| | | | 3. श्री अतरसिंह, तहसीलदार, केकडी | सदस्य |
| | | | 4. श्री चान्दमोहम्मद अंसारी | सदस्य |
| | | | 5. श्री पदम कुमार कटारिया | सदस्य |
| 2. | तहसील केकड़ी ग्रामीण क्षेत्र | 19.5.2000 | 1. श्री हरिसिंह राठौड़, जि. र. अधिकारी | अध्यक्ष |
| | | | 2. श्री अतरसिंह, तहसीलदार, केकड़ी | सदस्य |
| | | | 3. श्री अब्दुल अजीज खिलजी | सदस्य |
| | | | 4. श्री राजेन्द्र गोयल | सदस्य |
| | | | 5. श्रीमती शिमला मीठा | सदस्य |
| | | | 6. श्री बालूराम, सरपंच, बाज़टा | सदस्य |
| | | | 7. श्री महावीर प्रसाद वैष्णव, सरपंच, | सदस्य |
| | | | 8. श्री प्रदीप तिवाड़ी, सरपंच, बघेरा | सदस्य |
| 3. | तहसील भिनाय ग्रामीण क्षेत्र | 27.5.2000 | 1. श्री हरिसिंह राठौड़, जि. र. अधिकारी | अध्यक्ष |
| | | | 2. श्री रामकिशन सोनी, तहसीलदार, भिनाय | सदस्य |
| | | | 3. श्री कैलाश मिश्रा | सदस्य |

| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 4. श्री ब्रम्हदेव कुमावत | सदस्य |
| | | | 5. श्रीमती इन्दिरा शर्मा उर्फ कमला | सदस्य |
| | | | 6. श्री शांतिलाल दाबरिया, सरपंच, भिनाय | सदस्य |
| | | | 7. श्री हरलाल,सरपंच, छछुन्दरा | सदस्य |
| | | | 8. श्री रामेश्वर, सरपंच, चापानेरी | सदस्य |
| 4. | सरवाड़ नगरीय क्षेत्र | 31.5.2000 | 1. श्री हरिसिंह राठौड़, जि. र. अधिकारी | अध्यक्ष |
| | | | 2. श्री कैलाश चन्द तहसीलदार, सरवाड़ | सदस्य |
| | | | 3. श्रीमती राजकुमारी अजमेरा, अध्यक्ष नगरपालिका | सदस्य |
| | | | 4. श्री हमीद बोकड़ा | सदस्य |
| | | | 5. श्री अब्दुल क्यूम टांक | सदस्य |
| | | | 6. श्रीमती लाली देवी | सदस्य |
| 5. | तहसील सरवाड़ ग्रामीण क्षेत्र | 31.5.2000 | 1. श्री हरिसिंह राठौड़, जि. र. अधिकारी | अध्यक्ष |
| | | | 2. श्री कैलाश चन्द, तहसीलदार, सरवाड़ | सदस्य |
| | | | 3. श्री प्रदीप सिंह | सदस्य |
| | | | 4. श्री रामकरण गुजर | सदस्य |
| | | | 5. श्रीमती कृष्णा बियानी | सदस्य |
| | | | 6. श्री नन्दलाल मेघवंशी, सरपंच, जोताया | सदस्य |
| | | | 7. श्रीमती प्रेमदेवी, सरपंच, साम्प्राटा | सदस्य |
| | | | 8. श्री रामराय मेवाड़ा, सरपंच सूंपा | सदस्य |

| क्र.सं. 1 | आवंटी का नाम 2 | स्थान का नाम 3 | जमा राशि 4 | दिनांक 5 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री समुन्द्रनाथ पुत्र गोपीनाथ | बाजटा (रिक्त) | 500/– | 20.7.2000 |
| 2. | श्री देवीसिंह शेखावत पुत्र श्री रामसिंह | भिनाय (अतिरिक्त) | 500/– | 22.6.2000 |
| 3. | श्री बृजराजसिंह राठौड़ पुत्र श्री शिवराज सिंह | कलाईकलां (अतिरिक्त) | 500/– | 24.6.2000 |
| 4. | श्री भागचन्द राव पुत्र श्री बद्रीलाल | चांपानेरी (अतिरिक्त) | 500/– | 4.8.2000 |
| 5. | श्री रामदेव रैगर/पांचू | छछुन्दरा (अतिरिक्त) | 500/– | 7.8.2000 |
| 6. | श्री दशरथसिंह/देवीलाल | गुढ़खुर्द (अतिरिक्त) | 500/– | 24.6.2000 |
| 7. | श्री रामदेव बैरवा/सुखदेवा | बूबकिया (अतिरिक्त) | 500/– | 24.6.2000 |
| 8. | श्री लालराम रैगर/सुवालाल | सरवाड़ शहर (अतिरिक्त) | 500/– | 3.7.2000 |
| 9. | श्री रईस मोहम्मद अंसारी पुत्र श्री शहाबुदीन | सरवाड़ शहर (अतिरिक्त) | 500/– | 3.7.2000 |
| 10. | श्री चन्द्रवीर सिंह/धनसिंह | चान्दमा (जोताया) | 500/– | 22.7.2000 |
| 11. | श्री विजेन्द्र सिंह/पदमसिंह | सापुन्दा (लल्लाई) | 500/– | 29.6.2000 |
| 12. | श्री शिवगोपाल/रामविलास साधू | सुपा (जालिया) | 500/– | 29.6.2000 |
| 13. | श्री ओमप्रकाश/गोपीलाल | हीगतड़ा (अजगरा) | 500/– | 23.6.2000 |

| क्र.सं. | क्षेत्र का नाम | स्थान का नाम जहां के लिए दुकान दी जानी है | प्राधिकार पत्रधारी का नाम | प्राधिकार पत्र जारी दिनांक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | तहसील भिनाय ग्रामीण क्षेत्र | 1. भिनाय अतिरिक्त | श्री देवीसिंह शेखावत | 26.6.2000 |
| | | 2. कनईकलां अतिरिक्त | श्री बृजराजसिंह राठौड़ | 28.6.2000 |
| | | 3. चापानेरी अतिरिक्त | श्री भागचन्द राव | 10.8.2000 |
| | | 4. छछुन्दरा अतिरिक्त | श्री रामदेव रैगर | 10.8.2000 |
| | | 5. गुढ़ाखुर्द अतिरिक्त | श्री दशरथ सिंह | 28.6.2000 |
| | | 6. बुबकिया अतिरिक्त | श्री रामदेव बैरवा | 13.6.2000 |
| 2. | सरवाड़ नगरीय क्षेत्र | 1. सरवाड़ शहर अतिरिक्त | श्री लालाराम रैगर | 12.7.2000 |
| | | 2. सरवाड़ शहर अतिरिक्त | श्री रईस मोहम्मद | 7.7.2000 |
| 3. | तहसील सरवाड़ ग्रामीण क्षेत्र | 1. चादमा (जोताया) | श्री चन्द्रवीर सिंह | 9.8.2000 |
| | | 2. सापुन्दा (लल्लाई) | श्री विजेन्द्र सिंह | 18.7.2000 |
| | | 3. सूंपा (जालिया) | श्री शिवगोपाल | 7.7.2000 |
| | | 4. हीगतडा (अजगरा) | श्री ओमप्रकाश | 28.6.2000 |

**जिन व्यक्तियों को प्राधिकार पत्र जारी नहीं किये, उनकी सूची निम्नानुसार है :**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | केकड़ी नगरीय क्षेत्र | 1. केकड़ी शहर रिक्त | श्री रणवीर पुत्र घीसालाल |
| | | 2. केकड़ी शहर अतिरिक्त | श्री राजेन्द्र राठौड़ पुत्र रामगोपाल |
| 2. | तहसील केकड़ी ग्रामीण क्षेत्र | 1. बाजटा रिक्त | श्री समुन्द्रनाथ पुत्र गोपीनाथ |
| | | 2. प्रान्हेडा रिक्त | श्री रामगोपाल खटीक पुत्र श्री रामदेव |
| | | 3. केकड़ी रिक्त | श्री प्रहलाद राय मीणा पुत्र श्री जगन्नाथ |
| | | 4. बघेरा रिक्त | श्री कुम्भाराम पंवार पुत्र देवीलाल |

# परिशिष्ट-10

## (अतारांकित प्रश्न संख्या-281 की सूची)

परिशिष्ट "1"

तहसील डेगाना, जिला नागौर में कार्यरत ग्राम सेवा सहकारी समितियों की सदस्य संख्या सूची

| क्र.स. | नाम समिति | सदस्य संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | डेगाना गांव, ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. | 1093 |
| 2. | पुन्दलौता, ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. | 623 |
| 3. | मांझी, ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. | 607 |
| 4. | जोखाड़ा, ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. | 704 |
| 5. | बंवरला, ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. | 1072 |
| 6. | सिरासना, ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. | 961 |
| 7. | ढाढरियाकला, ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. | 845 |
| 8. | सान्जू, ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. | 828 |
| 9. | सारसण्डा, ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. | 1494 |
| 10. | बुटाटी, ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. | 690 |
| 11. | हिरणी की ढाणी, ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. | 1266 |
| 12. | आकेली बी, ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. | 726 |
| 13. | पालड़ीकला, ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. | 746 |
| 14. | बिखारनियाकला, ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. | 592 |
| 15. | खुडीकलां, ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. | 1045 |
| 16. | सांवलियावास, ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. | 750 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 17. | पालियावास, ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. | 802 |
| 18. | चौलियावास, ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. | 1020 |
| 19. | ईइवा, ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. | 879 |
| 20. | डेगाना जंक्शन, ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. | 22 |
| 21. | गुणसली, ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. | 708 |
| 22. | चान्दनी, ग्राम. सेवा सहकारी समिति लि. | 687 |
| 23. | नखावड़ा, ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. | 383 |
| 24. | बरना, ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. | 687 |
| 25. | लंगोड़, ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. | 495 |
| 26. | चानदारण वृहता प्राथमिक कृषि ऋणदात्री स.स.लि. | 1476 |
| 27. | श्री हनुमन्त जालसूकलां, ग्राम सेवा सहकारी स.लि. | 659 |
| | **योग** | 21861 |

परिशिष्ट "2"

हिरणी की ढाणी, ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. का वर्ष 1990-91 से 31.3.2000 तक किये गये आडिट का विवरण

| क्र.स. | वर्ष आडिट | नाम आडिटर | आडिट में लगाया गया समय | आडिट रिपोर्ट प्रस्तुती दिनांक | कार्यालय विशेष लेखा परीक्षक स.स. नागौर द्वारा रिपोर्ट जारी का दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 1990–91 | श्री धैवरचंद लुणिवा | 26.3.1992 से 27.3.1992 | 4.11.1992 | 25.2.1993 |
| 2. | 1991–92 | श्री शमशेर सिंह | 21.101992 से 24.10.1992 | 25.11.1992 | 31.3.1993 |
| 3. | 1992–93 | श्री घेवरचंद लूणिवा | 5.10.1993 से 9.10.1993 | 30.3.1994 | 31.3.1994 |
| 4. | 1993–94 | श्री रधुनाथ राम जाट | 7.12.1994 से 11.12.1994 | 30.1.1995 | 21.3.1995 |
| 5. | 1994–95 | श्री रधुनाथ राम जाट एवं श्री रामाशिकन राठी, द्वारा सामीक्षा | 12.11.1995 से 17.11.1995 व 4.3.1998 से 5.3.1998 | 21.8.1997 व पुनः प्राप्ति | 22.8.1997 व पुनः 30.4.1998 |
| 6. | 1995–97 | श्री रामाकिशन राठी | 15.10.1997 से 20.10.1997<br>9.12.1997 से 12.12.1997<br>4.3.1998 से 5.3.1998 | 21.4.1998 | 30.4.1998 |
| 7. | 1997–98 | –यथा– | 1.1.1999 से 8.1.1999 | 11.1.1999 | 21.1.1999 |
| 8. | 1998–99 | श्री भुवनेश्वर प्रसाद | 11.5.2000 से 31.5.2000 | 24.7.2000 | 24.7.2000 |
| 9. | 1999–2000 | श्री भुवनेश्वर प्रसाद | 11.5.2000 से 31.5.2000 | 24.7.2000 | 24.7.2000 |

# परिशिष्ट-11

## (अतारांकित प्रश्न संख्या-284 का विवरण)

परिशिष्ट "1"

ट्रैक्टरों की किये गये भुगतान की सूची

| क्र.सं. | नाम पंचायत समिति | ट्रैक्टरों को भुगतान की राशि | भुगतान की तिथि |
|---|---|---|---|
| 1. | नागौर | 8,70,089<br>29.9.2000 | 31.8.2000, 1.9.2000, |
| 2. | मूण्डवा | 2,72,740<br>(75,060, 11,480,<br>11,400, 48,000) | 4.9.2000, 8.9.2000<br>13.10.2000 |
| 3. | जायल | 8,70,903 | 31.8.2000, 15.9.2000,<br>27.9.2000, 3.10.2000 |
| 4. | डीडवाना | 45,740 | 15.9.2000 |
| 5. | लाडनूं | 50,558 | 31.8.2000 |
| 6. | मेड़ता | 98,682 | 31.8.2000 |
| 7. | डेगाना | 19,448, | 31.8.2000 |
| 8. | रियांबड़ी | 1,09,886 | 31.8.2000 |
| 9. | मकराना | 3,61,992 | 31.8.2000 |
| 10. | कुचामनसिटी | 1,62,480 | 31.8.2000 |
| 11. | परबतसर | 74,027 | 7.9.2000 |
| | योग | 29,36,545 | |

जिला कलेक्टर (सहायता) नागौर

# परिशिष्ट-12

## (अतारांकित प्रश्न संख्या-288 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

संख्या -2 अकाल राहत के तहत 7-2000 तक स्वीकृत कार्यों का वि.वा.य.त. समिति

| क्र.सं. | पंचायत समिति | स्वीकृत कार्य | | | | | | स्वीकृत श्रमिक | | | | | | | अस्वीकृत राशि | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प.स. दुकान | प.स. कार्य | सनिधि | सिंचाई विभाग | वन विभाग | भू-संरक्षण | प.स. | सनिधि | सिंचाई विभाग | वन विभाग | भू-संरक्षक | प.स. | | सिंचाई विभाग | वन विभाग | योग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | पाली | 116 | 69 | 34 | 6 | 0 | 0 | 3141 | 1820 | 500 | 0 | 0 | 83.92 | 3 | 20.75 | 0 | 190.00 |
| 2. | रोहट | 112 | 80 | 54 | 8 | 0 | 0 | 3460 | 2455 | 510 | 0 | 0 | 57.14 | 9 | 18.51 | 0 | 198.84 |
| 3. | बाली | 105 | 147 | 59 | 3 | 2 | 0 | 4861 | 3045 | 180 | 200 | 0 | 152.95 | 5 | 6.70 | 7 | 301.30 |
| 4. | देसुरी | 120 | 81 | 48 | 3 | 0 | 0 | 2604 | 2740 | 105 | 0 | 0 | 65.90 | 3 | 3.50 | 0 | 196.43 |
| 5. | सुमेरपुर | 57 | 63 | 33 | 25 | 1 | 0 | 2774 | 980 | 1510 | 25 | 0 | 82.76 | 0 | 47.10 | 0 | 198.36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | रानी | 145 | 122 | 25 | 1 | 0 | 0 | 4769 | 1365 | 80 | 0 | 0 | 105.80 | 0 | 4.56 | 0 | 171.88 |
| 7. | सोजत | 190 | 93 | 57 | 5 | 0 | 8 | 4859 | 2670 | 390 | 0 | 370 | 111.60 | 0 | 14.68 | 0 | 257.08 |
| 8. | मारवाड़ जं. | 245 | 135 | 62 | 1 | 0 | 0 | 5805 | 2860 | 80 | 0 | 0 | 120.16 | 0 | 2.40 | 0 | 274.61 |
| 9. | जैतारण | 165 | 85 | 61 | 3 | 1 | 0 | 4350 | 2400 | 240 | 40 | 0 | 92.82 | 0 | 11.12 | 1.5 | 210.41 |
| 10. | रायपुर | 175 | 123 | 88 | 3 | 0 | 0 | 4210 | 3350 | 220 | 0 | 0 | 119.56 | 0 | 8.65 | 0 | 310.58 |
| | योग | 1430 | 998 | 521 | 58 | 4 | 8 | 10833 | 23685 | 3815 | 265 | 370 | 992.51 | 1 | 137.97 | 9.6 | 2304.49 |

पाली

परिशिष्ट "ब"

## पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यो का विवरण

| क्र.स. | एजेन्सी का नाम | कार्य पूर्ण संख्या | अपूर्ण कार्यो की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | पंचायत समिति, रानी | 67 | 1 |
| 2. | अधिशासी अभियंता,<br>सार्वजनिक निर्माण विभाग, पाली | 15 | 15 |
| 3. | अधिशासी अभियंता,<br>सार्वजनिक निर्माण विभाग, सोजत | 41 | 24 |
| 4. | अधिशासी अभियंता,<br>सिंचाई, पाली | 2 | – |
| 5. | पंचायत समिति, देसूरी | 29 | – |
| 6. | पंचायत समिति, मारवाड़ जंक्शन | 97 | 9 |
| | योग | 251 | 49 |

# परिशिष्ट-13

## (अतारांकित प्रश्न संख्या-295 का विवरण)

परिशिष्ट ''अ''

(राशि लाख रुपये में)

| क्र.स. | कोल्ड स्टोरेज इकाई का नाम/पता | बोर्ड द्वारा प्रयोजनार्थ दिया गया अनुदान | अनुदान देने की दिनांक | कुल लागत | भण्डारण क्षमता बोरी में |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | गणपत सिंह एण्ड कम्पनी, भदवासिया फल सब्जी मण्डी, जोधपुर | 15.00 | 23.12.1998 | 103.26 | 75000 |
| 2. | मेहता कुलिंग कम्पनी प्रा. लि., एफ. 173–174 औद्योगिक क्षेत्र विस्तार– 4, पाली | 13.04 | 30.1.1999 | 138.59 | 56000 |
| 3. | धाकड़ कोल्ड स्टोरेज एण्ड आइस इण्ड्ट्रीज, पंचायत समिति के पास, बयाना जिला, भरतपुर | 4.37 | 15.7.1999 | 58.71 | 25000 |
| 4. | सरदारमल कोल्ड स्टोरेज एण्ड आइस इण्डस्ट्रीज, एच–141, 142, 150 मालवीय इण्डस्ट्रीज क्षेत्र, फेज–II, जयपुर | 6.19 | 18.1.1999 | 51.00 | 40000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | जे.एन. कोल्ड स्टोरेज एण्ड आइस फैक्ट्री, ई–364, रीको औद्योगिक क्षेत्र, सीतापुरा, जयपुर | 8.13 | 28.5.1999 | 90.30 | 55000 |
| 6. | फौजदार कोल्ड स्टोरेज प्रा. लि.ए.पी. 26 कृष्णा नगर भरतपुर खारा नं. 842, 843 गांव चिकसाना, जिला भरतपुर | 14.14 | 4.4.1998 | 109.51 | 50000 |
| 7. | बिजवाड़ी कोल्ड स्टोरेज, राष्ट्रीय राज मार्ग–11, जयपुर भरतपुर रोड, गांव हलेना, जिला भरतपुर | 10.67 | 7.12.1999 | 128.00 | 50000 |
| 8 | नदबई कोल्ड स्टोरेज खारा नं. 787, 788 गांव बलेरा त. नदबई | 8.96 | 11.1.2000 | 102.16 | 50000 |
| 9. | पिंक सिटी एग्रो लि. 130 झोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर | 20.00 | 21.9.1999 | 121.50 | 70000 |
| 10. | श्री श्याम कोल्ड स्टोरेज (वास्ते कैयर फाइनेंस प्रा. लि.) ई. 705, 706 रीको औद्योगिक क्षेत्र, सीतापुरा, जयपुर | 20.00 | 21.6.1999 | 213.00 | 10000 |
| 11. | श्री कोल्ड स्टोरेज, जगदम्बा आखों के अस्पताल के सामने हनुमानगढ़ रोड चक–6 ई छोटी, श्रीगंगानगर | 5.96 | 10.3.1999 | 60.62 | 21000 |
| 12. | के.एम. कोल्ड स्टोरेज एण्ड आइस प्रोडक्श प्रा. लि. एफ. 76, 77, 78 रीको इण्डिस्ट्रयल क्षेत्र, फेज–III, ब्यावर | 12.08 | 30.7.1999 | 102.00 | 35000 |
| 13. | मित्तल प्रोजन फुड प्रा. लि. 3 और 4 कि.मी. ए.बी. रोड/ जी.टी. रोड, धौलपुर | 14.49 | 19.6.1999 | 116.50 | 60000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. | विस्मेखीक कोल्ड स्टोरेज, करणी औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर | 4.55 | 28.8.1999 | 36.08 | 278000 |
| 15. | गोल्डन कोल्ड स्टोरेज, भरतपुर अजमेर रोड गांव पिड़यानी, भरतपुर | 11.51 | 15.12.1999 | 36.08 | 27800 |
| 16. | कोटपूतली कोल्ड स्टोरेज, राष्ट्रीय राज मार्ग 8, ट्रांसपोर्ट नगर कोटपूतली, जिला जयपुर | 15.63 | 6.7.1999 | 145.07 | 60000 |
| 17. | किरण आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज, खारा नं. 2007, गांव गुनसारा तहसील कुम्हेर, जिला भरतपुर | 6.88 | 7.1.2000 | 66.04 | 30000 |
| 18. | डीग कोल्ड स्टोरेज एण्ड आइस फैक्ट्री प्रा. लि. खारा नं. 28, 29 रामबाग, डिग, जिला भरतपुर | 7.96 | 14.9.2000 | 79.79 | — |
| 19. | पूजा कोल्ड स्टोरेज, श्री विजयनगर, जिला गंगानगर | 5.72 | 28.9.1999 | 36.24 | 15000 |
| 20. | गणेश आइस फैक्ट्री एण्ड कोल्ड स्टोरेज, एफ 17 सी मालवीया औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर | 7.18 | 31.3.2000 | 72.38 | 37000 |
| 21. | धनधारी कोल्ड स्टोरे प्रा. लि. पांचवती ब्यावर | 7.53 | 27.3.2000 | 71.39 | 30000 |
| 22. | तेज पारस इन्टरनेशनल प्रा. लि. ई. 92(ऐ) मण्डौर औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर | 5.76 | 31.3.2000 | 58.11 | 13700 |

**परिशिष्ट "ब"**

राजस्थान सरकार

कृषि (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक : प.7(8)कृषि/ग्रुप–2/95

जयपुर दिनांक 11.9.1998

प्रशासक,

राज. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,

जयपुर

विषय : केपिटल इंवेस्टमेंट सब्सीडी स्कीम फार प्रमोशन आफ एग्रो बेस्ड यूनिट, 96

संदर्भ : आपका पत्र सं. 9252 दिनांक 14.8.1998

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि आपके संदर्भित पत्र का तृतीय विकल्प ही पर्याप्त हैं इसमें कोलेटरल सिक्योरिटी चाहे स्वयं की सम्पत्ति की हो चाहे अन्य की। उद्योगों के संबंध में द्वितीय मोरगेज उन वित्तीय संस्थाओं का होना है जो वर्किंग केपिटल उपलब्ध कराती है। इस स्थिति में बोर्ड का तृतीय चार्ज होगा जिससे वसूली की कोई सम्भावना नहीं है।

भवदीय,

ह.

उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार

कृषि (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक : प.7(8)कृषि/ग्रुप–2/95/10156–336

जयपुर दिनांक 27.7.1998

प्रशासक,

राज. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,

जयपुर

विषय : राज. राज्य कृषि विपणन बोर्ड की पूंजीगत विनियोजन अनुदान योजना के क्लाज–5 में संशोधन की स्वीकृति।

संदर्भ : आपका पत्र सं. 12391 दिनांक 5.11.1998

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा प्रारम्भ की गई कृषि आधारित उद्योगों हेतु पूंजीगत विनियोजन अनुदान योजना में अनुदान योग्य इकाइयों की पूंजी निवेश सीमा रुपये एक करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ किये जाने तथा अनुदान राशि की अधिकतम सीधा रुपये 15.00 लाख से बढ़ाकर 20.00 लाख रुपये अथवा स्थाई पूंजीगत विनियोजन राशि के 20 प्रतिशत तक, जो भी कम हो, का प्रावधान किये जाने की राज्य सरकार की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

पांच लाख रुपये से कम पूंजीगत विनियोजन वाली कृषि आधारित औद्योगिक

इकाइयों की जीवन्तता राज्य स्तरीय कमेटी द्वारा सुनिश्चित किये जाने पर वे भी अनुदान प्राप्त करने की पात्र होगी। कृपया योजना में तद्नुसार संशोधन कर संशोधित योजना की एक प्रति भिजवाये।

ह.

उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार

कृषि (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक : प.7(8)कृषि/ग्रुप–2/75

जयपुर दिनांक 7.1.1998

प्रेषिति :

प्रशासक,
राज. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
जयपुर

विषय : पूंजीगत विनियोजन अनुदान योजना के क्लाज–4 (आई)(2) में संशोधित बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके पत्र अ.शा.पत्रांक 12398 दिनांक 5.11.1997 के संदर्भ में निर्देशानुसार लेख है कि राज्य में कृषि आधारित उद्योगों को कच्चे माल रखने, सुखने, प्रोसेसिंग के लिए अन्य उद्योगों की तुलना में अधिक भूमि व भवन की आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए कृषि पदार्थों के प्रसंस्करण, परीक्षण, श्रेणीकरण ग्रीन हाउस से संबंधित गतिविधियों के बढ़ावा देने के उदेश्य से पूंजीगत विनियोजना अनुदान योजना अनुदान योजना" के क्लाज 4(आई)(2) में उल्लेखित भूमि एवंम् भवन पर 35 प्रतिशत विनियोजन को संशोधित कर विनियोजन अनुदान की गणना करने के लिए परियोजना लागत का 50 प्रतिशत भूमि एवम् भवन पर तथा 50 प्रतिशत प्लांट एवं मशीन पर विनियोजन को मान्य पूंजी विनियोजन को स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

ह.

उप शासन सचिव

# परिशिष्ट-14

## (नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाएं जो पढ़ी हुई मानी गयी)

## धौलपुर विधान सभा क्षेत्र की जर्जर सड़कें

{श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर)}

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र धौलपुर की जर्जर सड़कों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र की सड़कों की हालत इतनी खराब है कि जिन सड़कों पर रोडवेज की बसें चलना बन्द हो गई है, प्राइवेट वाहन भी गड्ढों के कारण बन्द हो गये हैं, यहां आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, कई किलोमीटर तक दो–दो फीट गहरे गड्ढे बन गये हैं। इन सड़कों पर से मरीज व्यक्ति या प्रसव पीड़ित महिला किसी भी प्रकार के वाहन या यात्रा करने में असमर्थ है। कितनी ही महिलाओं के डिलीवरी केस इन सड़कों के कारण खराब हो चुके हैं। यहां की गरीब जनता बीमारी की हालत में अस्पताल तक नहीं जा सकती है। कई बार काफी बड़े हादसे भी हो जाते हैं। मनिया सखवारा रोड पर पार्वती नदी में ट्रेक्टर ट्रोली पलटने से 8 आदमियों की जाने गई हैं। इसी प्रकार सैंपऊ बाड़ी रोड पर ट्रेक्टर ट्रोली पलटने से 18 आदमियों की मृत्यु हो चुकी है। सरकार ने उक्त दोनों स्थानों पर पिछले वर्ष वान्टेड काज के निर्माण हेतु बजट में प्रावधान किया था परन्तु आज तक उनका निर्माण नहीं कराया गया है। इससे यहां की जनता में भारी आक्रोश है और समय रहते इन सड़कों की मरम्मत नहीं की गई तो क्षेत्र में आवागमन के साधन बन्द हो जायेंगे। अतः मेरे यहां निम्न सड़कों की मरम्मत कराना अति आवश्यक है :

(1) जी.टी. रोड से मोरोली तक

(2) मोरोली रोड से नींव बसई तक

(3) ओडेला से कोलारी रोड तक

(4) पुरानी छावनी से सरानी खेड़ा

(5) सैंपऊ बाड़ी रोड

(6) सैंपऊ बसेड़ी रोड

(7) आठमील से पटेवरी रोड

(8) कचहरी से भामतीपुरा होती हुई कमल होटल तक

(9) फद्दी के चौराहे से रेल्वे स्टेशन तक

(10) सालेपुर से कोलारी रोड

---

## बड़ी सादड़ी में डाक बंगले का निर्माण पूरा कराया जाना

{श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी)}

महोदय,

विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में एस.डी.ओ. केन्द्रित सरकारी कार्यालय स्थित है। अन्य और भी तहसील स्तर के कार्यालय कम होने के बावजूद तथा लम्बे समय के प्रयास के बावजूद बाहर से आने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों तथा राजनीतिक जन–प्रतिनिधियों के ठहरने के कारण सार्वजनिक निर्माण विभाग के डाक बंगले के निर्माण हेतु 200 लाख से भी अधिक राशि पिछले बजट में स्वीकृत की थी। कार्य भी प्रारम्भ कर लिया गया। नींव का कार्य पूरा हो गया लेकिन किन्हीं कारणों से सरकार ने विभाग को निर्माण बंद करने के निर्देश दिए जिसके कारण निर्माण कार्य आज भी रुका हुआ है। अभी तक जो धन व्यय हुआ है आगे का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया तो सारा का सारा धन एवं निर्माण व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए राज्य सरकार इस क्षेत्र की आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए प्राथमिकता से इस निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने की इसी बजट वर्ष में पूर्ण कराये जाने के निर्देश देवें।

ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं।

---

## लघु सिंचाई योजनान्तर्गत वितरित ऋण की वसूली का स्थगन

{श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर)}

महोदय,

मैं, श्रीमान् अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय सहकारियता मंत्री महोदय, का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करता हूं कि तीन साल से लगातार अकाल की स्थिति बनी हुई है। किसानों ने लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत काआपरेटिव बैंक एवं भूमि विकास बैंकों से अपनी पैदावार बढ़ाने हेतु ऋण लिया है। वर्षा नहीं होने कारण एवं लगातार अकाल के कारण जो पैदावार होनी थी वह नहीं हो सकी। ऋण अदा करने के लिये उनकी हैसियत नहीं है। रोजी–रोटी के लिये भी मुश्किल हो रहा है। इस समय भी रबी की फसल भी होने की सम्भावना नहीं है। क्योंकि लगातार वर्षा तीन साल से नहीं होने से कुओं में पानी नहीं है और जहां थोड़ा सा पानी है उनका जल स्तर बहुत नीचे चला गया है व कुएं का पानी

रबी की फसल के लिये पर्याप्त नहीं होगा।

अतः श्रीमान् अध्यक्ष महोदय के माध्यम से श्रीमान् मंत्री महोदय, से करबद्ध प्रार्थना है कि अधिक ऋण लेने वाले गरीब किसान एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं तथा उनकी इस समय स्थिति दयनीय है अतः ऋण वसूली रुकवा कर इन्हें अकाल के समय राहत प्रदान करायें।

---

## श्री डूंगरगढ़ के बापेड़ व उनके ग्रामों में विद्युत सब स्टेशन का निर्माण

{श्री मंगलाराम गोदारा (श्री डूंगरगढ़)}

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा संचालन के नियम 295 के तहत आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ में लगातार तीन साल पड़ रहे अकाल के कारण पानी की विकट एवं बिजली की अनियमितता से उत्पन्न समस्या की ओर आकर्षित कर रहा हूं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लगातार तीन साल से अकाल पड़ रहा है। अकाल के कारण कुओं का जल स्तर जो पूर्व में 400–500 फीट गहरा था अब 400–800 फीट गहरा हो गया है। पीने एवं सिंचाई के पानी के अभाव में पशुधन एवं जनता परेशान है। बिजली विभाग समय से बिजली उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है और जो बिजली दे रहे है वह छंटनी कम वाल्टेज पर है जिससे कुओं/ट्यूब वैल का पानी नहीं खिंच पाता। कम वाल्टेज के कारण कुएं पर लगी मोटर भी जल जाती है। रेतीला इलाका होने से पानी का कोई भी साधन दूर–दूर तक नहीं है।

श्री डूंगरगढ़ में 220 के.वी. का जी.एस.एस. है। इस जी.एस.एस. में एक 33 के.वी. की फोडर लगी हुई है जिससे मेरे निर्वाचन क्षेत्र के 27 गांवों को कम वाल्टेज पर बिजली मिल रही है। कम वाल्टेज के कारण न तो ट्यूब वैल पर लगी मोटर चलती है और न ही बिजली समय पर मिल पाती है। ग्राम बाटोउ में राज्य सरकार ने एक 33 के.वी. का जी.एस.एस.

स्वीकृत किया हुआ है लेकिन इस पर अभी तक कार्य चालू नहीं हुआ है। ग्राम उपनी में भी एक 230 के.वी. का जी.एस.एस. बनाने का प्रस्ताव बहुत लम्बे समय से विभाग में विचाराधीन है। ऐसे समय जब बिजली समय पर नहीं मिलेगी तो चारे पानी के अभाव में ग्रामीण जनता में आक्रोश उत्पन्न होगा।

मेरा सदन से आग्रह है कि इन दोनों जी.एस.एस. को शीघ्रातिशीघ्र चालू करवाया जाय जिससे कि भीषण अकाल के समय मेरे निर्वाचन क्षेत्र के 50 गावों में पीने के पानी की समस्या से निजात मिल सके।

---

## सुमेरगढ़ कृषि उपज मण्डी में घटिया निर्माण कार्य

{श्री रामगोपल बैरवा (पीपल्दा)}

महोदय,

कृषि उपज मण्डी समिति सुमेरगढ़ मण्डी जिला बूंदी के अंर्तगत सत्र 1999–2000 वर्ष में जो कार्य स्वीकृत किये गये उसमें (1) विशेष मरम्मत आफिस बिल्डिंग (2) विशेष मरम्मत बाउण्ड्री वाल का जो कार्य संवेदक के द्वारा करवाया गया उसमें विशेष मरम्मत आफिस बिल्डिंग में संवेदक कोटा स्टोन सही नहीं लगाया, छोटे–छोटे टुकड़े लगाये गये, अलमारी व अन्य कार्य अधूरे छोड़ दिये गये। वहीं दूसरी ओर विशेष मरम्मत वाउण्ड्री वाल में भी घटिया निर्माण कार्य किया गया व कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है। उक्त घटिया निर्माण कार्य व अधूरे कार्य हेतु सचिव कृषि उपज मण्डी सुमेरगंज मण्डी ने लिखित में अधिशासी अभियन्ता क.वि. बोर्ड, अन्नतपुरा–कोटा को शिकायत की परन्तु अधीशासी अभियन्ता ने भी इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देकर संवेदक को पूर्ण भुगतान कर दिया गया। इसी प्रकार उच्च अधिकारियों को भी इस संबंध में अवगत करवाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं गई जिसमें आज भी घटिया कार्य ही है।

अतः आप उक्त निर्माण कार्यों के घटिया सामग्री व अधूरे कार्य की पूरी जांच करवाकर कार्य पूरा करवाने व दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का श्रम करें।

---

## पुष्कर सरोवर के किनारे स्थित होटल

{श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व)}

महोदय,

तीर्थराज पुष्कर ऐसा तीर्थ स्थान है जो देश की बहुसंख्यक जनता की आस्था का केन्द्र है। तीर्थराज पुष्कर में वहां की पालन झील लगभग 3 किलोमीटर के घेरे के क्षेत्र में स्थित है, जिस पर लगभग 52 घाट स्थित है। इन घाटों में सटाकर यहां होटलों का निर्माण हो गया है जिनकी खिड़कियां इत्यादि सरोवर की ओर खुलती हैं। चूंकि पुष्कर झील में घाटों पर महिलाएं/पुरुष/बच्चे सभी स्नान करते हैं, इन घाटों पर स्थित होटलों से उनके स्नान करते हुए असामाजिक तत्वों द्वारा फोटो आदि उतार लिये जाते हैं राजस्थान राज पथ दिनांक 26 अक्टूबर, 1991 के द्वारा नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्ति के अन्तर्गत समस्त बिन्दुओं की पालना बिलकुल नहीं की जा रही है और इन आदेशों का पालन आज तक नहीं हुआ है। जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की मिलीभगत से इन आदेशों का उल्लंघन हुआ है, उन पर भी कार्यवाही की जानी चाहिये।

पुष्कर मेला अन्तरराष्ट्रीय स्तर का मेला भरता है, इसलिये धार्मिक श्रद्धालुओं की भावना और स्थानीय नागरिकों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि होटलों की इमारतों पर बनी खिड़कियों को तुरन्त बंद करवाया जाय। इसके अतिरिक्त इस पुष्कर सरोवर के जल के शुद्धिकरण व रख–रखाव का समुचित प्रबन्ध किया जाय। इस क्षेत्र में अवैध चल रही होटलों को बंद करवाया जाय। इस क्षेत्र हेतु पर्यटन गाइड सेवा व ट्रष्टी बस सेवा उपलब्ध कराई जाय। उक्त सुझावों पर अमल करने से इस धार्मिक क्षेत्र की सौन्दर्यता के साथ–साथ आम जनता को हो रही परेशानियों से निश्चित राहत मिल सकेगी और पुष्कर मेले का आयोजन और भव्य हो सकेगा। इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से पर्यटन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

---

## अनुसूचित जाति-जनजाति के पुलिस अधिकारियों की पदावनति की पुनर्समीक्षा

{श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी)}

मान्यवर,

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के 8 भारतीय पुलिस सेवा (आई.पी.एस.) के अधिकारियों को गत दिनों राज्य के कार्मिक प्रशासन ने

भेदभाव पूर्ण तरीके से पदावनत कर दिया है। मैं आपके माध्यम से राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय श्रीमान् आशोक गहलोतजी से इस मामले की पुनर्समीक्षा करने की मांग करता हूं। अध्यक्ष महोदय, कार्मिक विभाग ने संविधान की भावनाओं व नियमों की अनदेखी करते हुए सोची समझी षडयंत्रपूर्ण रणनीति के तहत केवल सामान्य वर्ग के अधिकारियों को ही पदोन्नति दी जबकि इसी श्रेणी के अनुसूचित जाति जनजाति के आठ अधिकारियों को उनके हक से वंचित कर दिया है जो कि घोर अन्याय है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के 10 वरिष्ठ राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को चयन समिति द्वारा अगस्त, 1997 में योग्यता व वरिष्ठता के आधार पर भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति देकर विभिन्न जिलों में पुलिस अधीक्षक का कार्यभार सौंपा। अध्यक्ष महोदय, यह फैसला अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को अधिकार के अंतर्गत दिए गये है। मगर चयन समिति का यह निर्णय सामान्य वर्ग को कुंठाग्रस्त कुछ अधिकारियों को रास नहीं आया और उन्होंने इस मामले को न्यायालय तक पहुंचा दिया। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की कांग्रेस सरकार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के हितों की पूर्ण हितैषी है और पूरा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का समाज राजस्थान की कांग्रेस सरकार में आस्था रखता है लेकिन कार्मिक विभाग ने न्यायालय में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के हितों की रक्षा में जानबुझकर ढिलाई व कोताही बरती तथा गत दिनों 8 अनुसूचित जाति व जनजाति के अधिकारियों को पदोन्नति दिये जाने के बावजूद पुनः षडयंत्रपूर्वक व भेदभावपूर्ण करीके से अनुसूचित जाति व जनजाति समाज के प्रति कुंठा रखते हुए पुनः पदोन्नत कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, जबकि राजस्थान उच्च न्यायालय की डबल बैंच ने बी.के. व जनजाति के अधिकारियों को पदोन्नति में 28 प्रतिशत आरक्षण दिया था लेकिन कार्मिक विभाग ने इस निर्णय को लागू नहीं किया और निर्णय के उसी भाग जिसमें यह वर्णित था कि 1987 में वरिष्ठता को सामान्य वर्ग द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है को लागू कर दिया जिससे सामान्य वर्ग के अधिकारी लाभान्वित हुए अध्यक्ष महोदय, कार्मिक प्रशासन विभाग लोगों को गुमराह करने के लिए तर्क दे रहा है कि अनुसूचित जाति व जनजाति के अधिकारियों को न्यायालय के निर्देशानुसार हटाया है। अध्यक्ष महोदय, जबकि वास्तविकता तो यह है कि कार्मिक विभाग ने न्यायालय के निर्णय की पालना ही नहीं की है। अध्यक्ष महोदय, 11 जुलाई को कार्मिक विभाग के सरकारी आदेश में यह स्पष्ट निर्देश है कि रोष्टर प्रणाली में सामान्य वर्ग के बदले आरक्षित वर्ग के तहत कर्मचारी पदोन्नत होते है तो जैसे ही सामान्य वर्ग का कर्मचारी उपलब्ध होगा आरक्षित वर्ग के कर्मचारी पदावनत हो जायेंगे। लेकिन इन्हीं आदेशों में यह नहीं लिखा कि इसके विपरीत स्थिति होने पर सामान्य वर्ग के

कर्मचारी व अधिकारी भी पदावनत हो जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, यह कार्मिक विभाग की आरक्षण विरोध नीति है जिससे अनुसूचित जाति व जनजाति समाज में आक्रोश की भावना व्याप्त है। कार्मिक विभाग की गलतियों के कारण, कार्मिक विभाग की लापरवाही के कारण कांग्रेस सरकार को बदनाम किया जा रहा है। उससे कार्मिक विभाग के उच्च अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्रीमान् अशोक गहलोतजी से करबद्ध प्रार्थना, निवेदन करता हूं कि इस पदावनति प्रकरण की पुनर्समीक्षा करके अनुसूचित जाति व जनजाति के अधिकारियों को पुनः पदोन्नति देकर इनके अधिकारी की पूर्ण रक्षा करे जिससे अनुसूचित जाति व जनजाति समाज में फैला हुआ आक्रोश शांत हो सके। सादर धन्यवाद।

---

## सिवाना में पर्याप्त बिजली प्रसारण

{श्री गोपाराम मेघवाल (सिवाना)}

मान्यवरजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान मैं सिवाना विधान सभा क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि बाड़मेर जिले का सिवाना विधान सभा क्षेत्र तीसरी बार भयंकर अकाल की चपेट में है, तथा क्षेत्र में करीब 2000 हजार कृषि कुएं हैं एवं लगातार तीसरी बार अकाल होने एवं लूनी नदी में पानी नहीं आने से कुओं का जल स्तर नीचे चला गया है। अभी रबी की जुलाई का समय चल रहा है एवं क्षेत्र में बिजली की कमी चल रही है जिससे सिवाना क्षेत्र के किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी सिवाना 132 के.वी., जी.एस.एस. के 5 मेगावाट बिजली अलॉट है एवं मौके पर तीन या चार मेगावाट बिजली ही मिल रही है जिससे किसानों को तीन चार घण्टे ही बिजली मिल रही है। अतः श्रीमान्जी से निवेदन है कि सिवाना के किसानों के 8 घण्टे बिजली दिलाने हेतु 5 मेगावाट से कोटा बढ़ाकर 10 मेगावाट करने का कष्ट कराये जिससे किसान समय पर अपनी बुवाई कर सके।

सिवाना क्षेत्र में विद्युत तंत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु ग्राम पादरू एवं सिणेर के 33/11 के.वी., जी.एस.एस. पर 3.15 एव 1.6 के.वी. का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने की

व्यवस्था करावे एवं क्षेत्र के अजीत, राखी, धनवाकाटा, जूना मिढा खेड़ा, में 33/11 के.वी. के जी.एस.एस. का पूर्ण निर्माण हो चुका है उन्हें तुरन्त शुरू करावें, जिससे किसानों को पर्याप्त बिजली मिल सके एवं नये कृषि कनेक्शन हेतु वी.आर. ठीक बैठ सके। सधन्यवाद।

---

## कृषि विज्ञान केन्द्र, कोटपूतली

{डा. रघुवीर सिंह (कोटपूतली)}

मान्यवर,

कृषि विज्ञान केन्द्र कोटपूतली में लगभग 12 वर्ष से कार्यरत है। लेकिन पूर्व में यह नाम मात्र को ही कार्यरत थे। शहर में किराये के मकान में कुछ अधिकारी कर्मचारी दिखाई देते थे। लेकिन अब विगत चार–पांच वर्षो से गोनेढ़ा के समीप स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र के फार्म में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। गत वर्ष उस फार्म जो, ग्वार, गेहूं आदि फसलों के अच्छे बीजों का उत्पादन हुआ है। इस फार्म से कई किसानों को ज्ञात हुआ है तथा इससे लाभ उठाया है। इस केन्द्र पर कई प्रदर्शनियां तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम हुए है तथा अब यह केन्द्र किसानों में बहुत लोक प्रिय है।

लेकिन जब यह फार्म वास्तव में अच्छा कार्य करने लगा है इसे यहां से अन्यत्र स्थानान्तरित किया जा रहा है। इससे जनता तथा किसानों में बहुत असंतोष तथा आक्रोश है।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि कृषि विज्ञान केन्द्र को कोटपूतली (गोनेड़ा) में ही रखा जावे तथा इसकी ग्रांट जो कटौती कर दी गई है उसे पुनः प्रारम्भ की जावे ताकि क्षेत्र के किसानों को पूरा लाभ मिल सके।

---

## कोटा जिले में स्थित बरसाती नदियों के पानी का उपयोग

{श्री हेमन्त कुमार (दीगोद)}

महोदय,

कोटा जिले में बरसाती नदियों की बहुतायत है। वर्षा, ऋतु का पानी इन नदियों के

द्वारा व्यर्थ ही बह कर चला जाता है। सरकार ने इन नदियों पर नये पुल बना दिये गये है। पुरानी पुलियों के माध्यम से पानी को रोक कर वर्षा के पानी का सदुपयोग किया जा सकता है। इस के द्वारा क्षेत्र में जल स्तर ऊपर आयेगा। रोके हुये पानी से सिंचाई सुविधा बढ़ेगी, जनता को पेयजल सुलभ होगा तथा पशुओं को भी पीने के लिये पानी उपलब्ध होगा।

इस वर्ष वर्षा के पानी की भारी कमी है अकाल की स्थिति बनी हुई है। यदि इस पानी को व्यर्थ जाने से रोका जाये तो जनता को भारी राहत मिलेगी। इस कार्य में सरकार को भारी राशि खर्च करने की आवश्यकता नहीं है।

पुरानी पुलिया के मौखों को बन्द कर दिया जाये तो यह पुलिया एनीकट का काम करेगी।

आपके माध्यम से मैं राज्य सरकार का ध्यान आर्कषित करना चाहता हूं कि अकाल की स्थिति को देखते हुये व्यर्थ जा रहे पानी को शीघ्र रोक कर स्थानीय जनता को राहत प्रदान करने का श्रम करें। वरना कुछ समय पश्चात् नदियों के पानी के बह जाने पर पानी का भारी संकट पैदा हो जायेगा।

---

## गंगापुर में ए.डी.जे. कोर्ट तथा रायपुर (भीलवाड़ा) में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना

{डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा)}

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा जिला भीलवाड़ां के गंगापुर कस्बे में ऐ.सी. जे.एस.एम. कोर्ट कार्यरत है। गंगापुर में ऐ.डी.जे. कोर्ट की परम आवश्यकता है। मुकदमों की संख्या भी वर्तमान में ए.सी.जे.एम. कोर्ट में काफी है। इस न्यायालय के फैसलों की अपील के लिए इस क्षेत्र के लोगों को न्याय प्राप्ति के लिए भीलवाड़ा जाना पड़ता है जो कि इस क्षेत्र के लोगों पर अनावश्यक भार है। गंगापुर (भीलवाड़ा) में ए.डी.जे. कोर्ट के लिए हाल ही में एक भवन का भी निर्माण कर लिया गया है। इस मसले का पूर्व में भी मैंने विधान सभा में रखा है तथा मांग की है कि शीघ्र ही गंगापुर में ए.डी.जे. कोर्ट खोली जाये। परन्तु बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक इस मांग पर सरकार के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है।

इसी विधान सभा क्षेत्र के कस्बे रायपुर (भीलवाड़ा) में भी मुंसिफ कोर्ट खोलने की भी मांग सरकार से लम्बे समय से की जा रही है यहां पर कुछ समय तक कैम्प कोर्ट लगाने की भी व्यवस्था की गई थी परन्तु क्षेत्र के लोगों को राहत के लिए आवश्यक है कि शीघ्र ही रायपुर में मुंसिफ कोर्ट खोला जावे। वर्तमान में रायपुर क्षेत्र के लोगों को गंगापुर जाना पड़ता है। लगभग तीस किलोमीटर दूर है। अतः मैं माननीय विधि मंत्रीजी से पुरजोर से मांग करता हूं कि अतिशीघ्र गंगापुर में ए.डी.जे. कोर्ट तथा रायपुर (भीलवाड़ा) मुंसिफ कोर्ट खोले जाये ताकि इस क्षेत्र की जनता को राहत मिल सके।

---

## श्रीमती चन्द्र कौर, सेवानिवृत अध्यापिका राजगढ़ (चूरू) का पेंशन प्रकरण

{श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर)}

महोदय,

श्रीमती चन्द्र कौर अध्यापिका पंचायत समिति राजगढ़ चूरू में 32 वर्ष से कार्यरत थी। विकास अधिकारी पंचायत समिति राजगढ़ ने अपने पत्र क्रमांक 4573–79 दिनांक 7.11.1996 द्वारा सेवा से प्रथक कर दिया तथा अवगत कराया कि विद्या विनोदिनी इलाहबाद का प्रमाण पत्र फर्जी है। जबकि चन्द्र कौर का कथन है कि जांच अन्य संस्था प्रयाग महिला विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय 103/32 विवेकानन्द मार्ग हियेट रोड इलाहबाद से कराई गई है जो कि उसने प्रयाग महिला विद्यापीठ 449 कटरा इलाहबाद से की है।

श्रीमान् निदेशक महोदय, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने अपने परिपत्र क्रमांक शिविरा/प्रा.डी./19472/ 180/72 दिनांक 21.6.1975 द्वारा विद्या विनोदिनी जांच करने पर अमान्य/गलत पाये गये थे।

उन अध्यापकों को इस कार्यालय में परिपत्र क्रमांक ई.डी.बी.ए./ए.लि.बी./ 18801/326/66 दिनांक 7.1.1972 के तहत 1973 तक सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिये थे। जिला स्तरीय अधिकारियों की रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि कुछ अधिकारियों द्वारा उक्त आदेश का पालन अभी तक नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में उन अध्यापिकाओं को राजकीय सेवा से मुक्त किया जाये या नहीं, सूचित करें।

इस संबंध में निर्देश दिया जाता है कि उक्त अध्यापिकाओं को सेवा से मुक्त न कर

शासन सचिव शिक्षा (प्रकोष्ठ–7) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के आदेश क्रमांक 19(20) शिक्षा 7/70 दिनांक 22.4.1970 जो इस कार्यालय के पत्र क्रमांक शि.वि.रा./प्रा.बी./1880/250/66 दिनांक 1.5.1970 द्वारा आपको भेजा गया था। उसमें बिन्दू नं. 2 के अनुसार कार्यवाही की जाये।

कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना भेजे।

हस्ताक्षर

जबकि बिन्दू नं. 2 निम्न प्रकार से है :

जिन अध्यापिकाओं विनोदिनी के प्रमाणपत्रों की जांच नहीं हुई है। तथा जांच करने पर गलत पाये गये है अथवा विद्या विनोदिनी का प्रमाण–पत्र अधिकृत अभिकरण (एजेंसी) के अतिरिक्त अन्य अभिकरण से प्राप्त किया है तथा जो अशिक्षित भी है उन्हें मैट्रीक़ के सम तुल्य नहीं माना जाकर उनको क्वालीफाइड माना जाये। इसका स्थितिकरण भी अयोग्य मान कर ही नियमानुसार स्थिर किया जाये।

श्रीमती चन्द्र कौर ने श्रीमान् मुख्य सचिव महोदय को दिनांक 30.3.2000 को सेवा से पृथक किये जाने पर पुनः सेवा में लेने हेतु प्रस्तुत किया। जिस पर क्रमांक एफ/13/विधि/चूरू/97/470 दिनांक 22.4.2000 को सेवा में लेने के आदेश अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चूरू को दिया गया। अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी चूरू ने पत्रावली आवश्यक कार्यवाही हेतु पंचायत समिति राजगढ़ (चूरू) को भेजी। पंचायत समिति ने सेवा में न लेकर प्रकरण स्थाई समिति वित्त एवं प्रशासन को भेज दिया।

श्रीमान्‌जी,

स्थाई समिति विस्तार एवं प्रशासन ने पुनः इस प्रकरण को विकास विभाग जयपुर को भेज दिया।

अतः आपसे निवेदन है कि चन्द्र कौर का प्रकरण खुलवाया जाये एवं सेवा का प्रकरण जो कि नियमों के अंतर्गत है शीघ्र निपटारा किया जाकर उनको न्याय दिलवाया जाये।

# खेतड़ी की ग्राम पंचायत चारावास की धीवाणी जोहड़ी में राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला का निर्माण

{श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं)}

महोदय,

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 295 में विशेष उल्लेख के जरिये मुझे निवेदन करना है कि झुंझुनूं जिले की पंचायत समिति खेतड़ी की ग्राम पंचायत चारावास ने 1 जुलाई, 1999 को एक कच्चे मकान छप्परसुदा में राजीव गांधी पाठशाला एक ढाणी जोहड़ी धीवाणी में प्रारम्भ की थीं। जिला परिषद झुंझुनूं की स्वीकृति संख्या 11747–55 दिनांक 20.11.1999 के तहत उस शाला के लिए पक्का भवन बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

ग्राम पंचायत चारावास ने अपनी बैठक दिनांक 27.12.1999 को उक्त शाला के निर्माण के लिए स्थान चयन का प्रस्ताव जोहड़ी धीवाणी का उत्तर पूर्व का कोना या माला पुत्र कालू चमार के खेत में जो कि भूमि दान में देने को तैयार था राज्य सरकार ने शिक्षण स्थल से एक किलोमीटर की दूरी को मध्य नजर रखकर स्थान तय किया। क्योंकि राजीव गांधी स्वर्ग जयन्ती पाठशाला के लिए निर्धारित मापदण्डों में यह प्रावधान है कि एक किलोमीटर की परिधि में शिक्षण सुविधा उपलब्ध नहीं हो तथा 150 के अधिक की मजरे या ढाणी की आबादी हो।

1.3.2000 को वर्तमान सरपंच द्वारा बिना ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के अपनी मनमर्जी से अपने स्वयं के घर के पास उक्त शाला का निर्माण कार्य बिना मस्टरोल भरे ही चालू कर दिया। विकास अधिकारी पं.स. खेतड़ी द्वारा दिनांक 7.3.2000 को शाला का निर्माण कार्य उचित जगह पर न पाये जाने के कारण रुकवा दिया गया।

खेतड़ी पंचायत समिति के कनिष्ठ अभियन्ता एवं शिक्षा प्रसार अधिकारी खेतड़ी द्वारा जांच करने पर कन्या उच्च प्राथमिक शाला चारावास से इस स्कूल की दूरी 576 मीटर पाई गई। लेकिन दिनांक 3.10.2000 को अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झुंझुनूं द्वारा उपरोक्त जांच एवं नाप को नजर अंदाज करते हुए शाला का निर्माण कार्य सरपंच के घर के पास ही पुनः चालू करवाने का आदेश दे दिया गया। जबकि शिकायतकर्ताओं को इस जांच के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई।

मेरा विशेष उल्लेख के जरिये शिक्षा मंत्रीजी आपका ध्यान आकर्षित कर यह निवेदन

है कि धीवाणी जोहड़ी में अधिकतर क्या सभी अनुसूचित जाति के लोग बसे हुए हैं जिनके बच्चे के लिए वहां शिक्षण की कोई सुविधा नहीं है। अतः मेरा निवेदन है कि झुंझुनूं जिले की पंचायत समिति खेतड़ी ग्राम पंचायत चारावास की धीवाणी जोहड़ी में राजीव गांधी स्वर्ग जयन्ती पाठशाला खोले जाने की कृपा करे।

---

## चौमूं अमरापुर मार्ग पर नांगल भल्डा विद्यालय के पास पुलिया निर्माण

{श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं)}

महोदय,

विधान सभा क्षेत्र चौमूं के चौमूं–अमरापुर मार्ग पर नांगल भल्डा विद्यालय के पास काफी गहरा खड्डा होने से आवागमन में भारी दुविधा हो रही है, जिससे किसान अपनी उपज को मण्डी तक पहुंचाने में कठिनाई महसूस करते हैं।

अतः मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह मामला किसानों के संबंध रखता है, अतः जनहित को ध्यान में रखते हुये ग्राम नांगल भल्डा विद्यालय के पास पुलिया निर्माण करवाने की कृपा करे।

---

## मोहनगढ़ से बाड़मेर पाइप लाइन योजना

{श्री वृद्धि चन्द जैन (बाड़मेर)}

महोदय,

जिला बाड़मेर में पीने के पानी का स्थाई हल इन्दिरा गांधी नहर से ही सम्भव है। इसका स्थाई हल न तो नलकूपों से और न हैण्ड पम्पों से हो सकता है। मोहनगढ़ बाड़मेर पाइप लाइन योजना का प्रारम्भिक सर्वेक्षण सन् 1994 में किया गया था। उक्त योजना के अंर्तगत बाड़मेर जिले के 410 गांव एवं जैसलमेर जिले के 147 गांव लाभान्वित होते हैं।

उक्त योजना के बारे में मैं जब से वर्तमान विधान सभा का सदस्य बना हूं तभी से मैंने यह प्रश्न दो बजट अधिवेशनों एवं शीतकालीन अधिवेशनों में उठाया है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने सदन में एवं बाड़मेर शहर में महिला कालेज, बाड़मेर के उद्घाटन के

समय में यह घोषणा की थी कि दीपावली के अवसर पर उक्त योजना की स्वीकृति कर कार्य शुरू कर दिया जायेगा।

राज्य सरकार ने अभी तक न तो विस्तृत सर्वेक्षण किया है और न प्रोजेक्ट रिपोर्ट अब तक तैयार की है।

अतः जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उक्त जल प्रदाय योजना स्वीकृत कर युद्ध स्तर पर कार्य शुरू किया जाये।

---

## बीजागुड़ा के काश्तकारों को गजनाई बांध से सिंचाई हेतु पानी की व्यवस्था

{श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर)}

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि वर्ष 1998 में मध्यम सिंचाई योजना के अन्तर्गत पिछली सरकार के कार्यकाल में गजनाई बांध बन कर पूरा हो गया था। बांध निर्माण से बीजागुड़ा ग्राम पंचायत का राजस्व गांव को उजड़ना पड़ा तथा बीजागुड़ा राजस्व गांव के गौचर में जाने का सुखाधिकार समाप्त हुआ। ग्राम पंचायत को बारह माह बहने वाली गजनाई नदी की सभी सुविधाओं से वंचित होना पड़ा लेकिन इन बांध से बीजागुड़ा ग्रामवासियों को नाना प्रकार की कठिनाइयों उठानी पड़ रही है लेकिन नहर के कमाण्ड एरिया का गलत सर्वे कर पानी सिंचाई मंत्रीजी माननीय श्री देवीसिंहजी भाटी को बांध जनता को समर्पित करने के अवसर पर बांध पर ले जाने का आयोजन किया गया। उस समय बीजागुड़ा के काश्तकारों ने अपनी व्यथा से अवगत करवाया। जब माननीय मंत्रीजी ने उस अवसर पर उपस्थित सिंचाई विभाग के अतिक्ति मुख्य अभियन्ता, जोधपुर को निर्देश दिये कि बांध में उपलब्ध अतिरिक्त पानी को लिफ्ट सिस्टम में बीजागुड़ा के काश्तकारों को दिया जाये तथा इस बांध मद में उस समय शेष रही 30 लाख की राशि इस कार्य में लगाई जाये। निर्देशानुसार सर्वे कार्य हुआ उसके बाद माननीय वी.पी.सिंहजी ने भी इस कार्य को आगे बढ़ाया लेकिन पिछले साल से सिंचाई विभाग इस लिफ्ट योजना प्रगति की तरफ कोई ध्यान नहीं देंने से क्षेत्र के किसान आन्दोलित हो रहे हैं।

इस प्रकार बांध के पानी को लेकर गम्भीर विवाद बना हुआ है। बांध निर्माण स्थल के

किसान आशा लगाये हुए थे कि उनको सिंचाई का पानी मिल जायेगा। किसान केवल 1000 बीघा सिंचाई का पानी मांग रहे है। जिस लाडपुरा तक पहुंची नहर से भी दिया जा सकता है जिसके लिये किसान नहर का पानी सामुहिक लिफ्ट सिस्टम से भी ले जाने को तैयार है।

इस गम्भीर समस्या के समाधान हेतु बीजागुड़ा के काश्तकारों की एक हजार बीधा भूमि कमाण्ड क्षेत्र में सम्मिलित कर सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध करावें।

---

## बांसवाड़ा जिले में अकाल की गम्भीर स्थिति एवं पानी का प्रबंधन

{श्री रमेश चन्द पाण्ड्या (बांसवाड़ा)}

महोदय,

राजस्थान का सीमावर्ती क्षेत्र बांसवाड़ा जिला लगातार तीसरे वर्ष अकाल की गिरफ्त में है। हाल ही में प्राप्त गिरदावरी रिपोर्ट से स्पष्ट है कि पूरा बांसवाड़ा जिला अकाल की चपेट में है। आदिवासी बाहुल्य इस जिले में एक बार फिर मानव रोजगार, पलायन और मवेशियों को जिंदा रखने की समस्या खड़ी हो गई है। अकाल की भयावह स्थिति का नजारा यह है कि बरसों से लबरेज बहने वाली माही नदी एवं अनास नदी एक पतली धार के रूप में जिन्दा है। यह पहली बार हुआ है कि इस क्षेत्र के नदी नाले और तालाब प्रायः सूख चुके हैं। बांसवाड़ा जिले का माही बांध जिसकी भराव क्षमता 60.5 टी.एस.सी. है। किन्तु वर्तमान में माही बांध में सिर्फ 11.00 टी.एस.सी. पानी ही है।

क्षेत्र की गिरदावरी रिपोर्ट सरकार तक पहुंच चुकी है। पूरे जिले में फसले चौपट हो गई हैं। मवेशियों के लिए चारा तक पैदा नहीं हो सकता है, ऐसी स्थिति में यहां का किसान अपने आपको लाचार और असुरक्षित महसूस कर रहा है। रोजगार का भयंकर संकट अभी से पैदा हो गया है। पूर्व के वर्षो में बांसवाड़ा जिले से रोजगार के लिए गुजरात और मध्य प्रदेश की ओर पलायन होता रहा है। किन्तु इस बार तो हमारे ये सीमावर्ती प्रदेश भी कम वर्षा से बेहद प्रभावित है। वहां पर भी अब यहां के लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो रहा है, जो थोड़े बहुत लोग गुजरात और मध्य प्रदेश में रोजगार के लिए गये हुये हैं उनकी स्थिति यह है कि एक दिन का काम मिलता है तो दो दिन बैठे रहना पड़ता है। इन हालातों में निश्चित रूप से बांसवाड़ा जिले की स्थितियां आसन्न समय में और ज्यादा खराब होगी

और ऐसी स्थिति में कानून और व्यवस्था की स्थिति भी बेहद प्रभावित होगी।

माही बांध को लेकर के मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि माही बांध के निर्माण के साथ ही गुजरात एवं राजस्थान के बीच यह करार हुआ है कि 60 टी.एस.सी. पानी में से 20 टी.एस.सी. पानी राजस्थान का भाग रहेगा एवं 40 टी.एम.सी. पानी गुजरात को देना होगा। अच्छी वर्षा के चलते और माही बांध के भरपूर भराव के रहते राजस्थान और गुजरात की हिस्सेदारी पर कभी प्रश्न खड़ा नहीं हुआ। किन्तु अब जबकि बांध में सिर्फ 11.00 टी.एम.सी. पानी ही शेष बचा है और चूंकि गुजरात भी कम वर्षा के प्रभावित है और उसकी भी मांग है कि माही बांध का पानी करार के मुताबिक गुजरात को दिया जाये। अगर ऐसा होता है तो 11.00 टी.एम.सी. पानी में से लगभग 7.00 टी.एम.सी. पानी गुजरात को देना पड़ जायेगा तब बचे मात्र 3.00 टी.एम.सी. पानी से इस क्षेत्र में न तो सिंचाई के लिए पानी दिया जा सकता है और न ही इससे पेयजल की समस्या दूर हो सकती है। ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि राजस्थान, सरकार गुजरात सरकार से माही बांध के पानी पर वार्ता करे तब राजस्थान और विशेष कर बांसवाड़ा जिले के हित में गुजरात को कम से कम पानी लेने के लिए राजी करे।

अकाल से निपटने के लिए बांसवाड़ा जिले के संदर्भ में कुछ सुझावात्मक निवेदन इस प्रकार है कि :

1. आसन्न जल संकट को ध्यान में रखकर पानी की एक–एक बूंद का समुचित उपयोग हो और यहां के परम्परागत जल–स्रोतों को समुचित संरक्षण दिये जाने की आवश्यकता है।

2. माही के शेष उपलब्ध पानी को फसल उत्पादन के लिए न भी दिया जा सके तो भी क्षेत्र भर में स्थित छोटे–बड़े तालाबों में माही का पानी डालकर मवेशियों और जनता के लिए पानी उपलब्ध कराया जा सके।

3. समय–समय पर नदी–नालों में माही का पानी छोड़ कर इन नदी नालों को रिचार्ज किया जा सकता है जिससे मवेशियों और जनता की पेयजल समस्या पर भी काबू पाया जा सकता है।

गुजरात को अगर पानी नहीं देना पड़े तो इस पानी से लगभग कमाण्ड क्षेत्र के अंदर गेहूं नहीं तो चने की फसल पर भी सिंचाई उपलब्ध हो सकती है और ऐसी स्थिति में ठाले बैठे गरीब किसान को अपने ही खेत में काम मिल सकता है वरना तो यह तथ्य शास्वत

है कि भूखा आदमी ही पाप करता है और ऐसी स्थिति में हम कानून और व्यवस्था की स्थितियों पर सोचने के लिए बाध्य होते हैं।

महोदय, नदी, नालों और तालाबों में माही का पानी बहने के अतिरिक्त हमें गांवों के सार्वजनिक कुओं के संधारण एवं हैण्ड पम्पों के रख–रखावों पर समुचित ध्यान दिया जाना जरूरी है। लम्बे समय से मेरे क्षेत्र में हैण्ड पम्प खुदे पड़े है, किन्तु उन पर लोरिंग नहीं होने के कारण बिलकुल अनुपयोगी पड़े हुए हैं। ऐसे ही पूरे जिले में सैकड़ों हैण्ड पम्प नाकारा पड़े हुए हैं। इनको शुरू करना सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मवेशियों के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। और जैसा कि मैंने निवेदन किया बांसवाड़ा के सीमावर्ती प्रान्त भी लगभग अभाव की चपेट में है ऐसी स्थिति में शायद हमें वहां से भी चारा उपलब्ध न हो सके तब हालात और भी गम्भीर हो सकते हैं।

---

## इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण व द्वितीय चरण के वाटर अलाउंस को घटाने के संबंध में

{श्री मानिक चन्द सुराना (कोलायत)}

महोदय,

मैं, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव निम्न प्रकार प्रस्तुत करता हूं।

राज्य सरकार के मंत्रिमण्डल ने दिनांक 4.10.2000 को प्रथम चरण के फेज प्रथम एवं द्वितीय में वांटर अलाउंस को 5.23 क्यूसेक प्रति हजार एकड़ से कम करके 3.50 व 3.00 क्यूसेक प्रति हजार एकड़ कर दिया है। राज्य सरकार के उक्त निर्णय के फलस्वरूप प्रथम चरण के 20 लाख बीघा के काश्तकारों में भारी असंतोष व्याप्त हो गया है और सिंचित क्षेत्र की पूरी खेती उक्त निर्णय के फलस्वरूप अल्पकाल व दीर्घकाल में बर्बादी के किनारे पर आ जायेगी। उक्त निर्णय से काश्तकरों में भयंकर असंतोष व्याप्त हो गया है।

राज्य सरकार के आयुक्त, क्षेत्रीय विकास, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर दिनांक 22.5.2000 के अपने परिपत्र में इस बात को स्वीकार किया है कि "प्रथम चरण" की तुलना में द्वितीय चरण क्षेत्र का अभी विकास नहीं हो पाया है और न ही इस क्षेत्र में

काश्तकारों को जमीनों का आवंटन हुआ है और न ही वे आबाद हुए है। ऐसी परिस्थिति में न केवल सिंचाई के लिए अथवा मनुष्यों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करना ही पर्याप्त है, बल्कि अकाल की स्थिति में इस क्षेत्र में मौजूदा पशुधन, जो द्वितीय चरण क्षेत्र में अत्यधिक है, बचाना अत्यंत आवश्यक है।

राज्य सरकार की मंशा प्रथम चरण के फेज प्रथम एवं फेज द्वितीय में वाटर अलाउंस 5.23 से 3.50 से 3.00 कम कर उसके स्थान पर नेशनली (Notionally) नये क्षेत्र को उस बचे हुए पानी के उपयोग हेतु खोलने की है। पूर्व में राज्य सरकार यह मान चुकी है कि प्रथम चरण की नहरें 2.23 क्यूसेक पानी चलाने की दृष्टि से निर्मित की हुई है। जब तक उसके निर्माण में शुरू से आखिर तक पुनः निर्माण का स्ट्रेक्चरल (Structural) संशोधन नहीं किया जाता है तब तक उसके माध्यम से काश्तकारों को 3.50 क्यूसेक या 3.00 क्यूसेक पानी दिया जाना अत्यधिक मुश्किल कार्य है।

अगस्त, 1973 में राज्य सरकार के राजस्थान कैनाल बोर्ड ने चूरू, नागौर, जोधपुर व बाड़मेर लिफ्ट स्कीम पर विचार करके समय निम्न टिप्पणी की थी :

"However, since the cannal system in the first stage of the Rajasthan Cannal Project has almost been completed for a 110% intensity of irrigation, any further reduction in its irrigation intensity from 110% to 78% is not recommended for the Ist stage area. However as suggested by the National Commission on Agricuture, Forecast proposals have been framed for a reduced intensity of irrigation for its II Stage of 78% and utilization of water so saved for the benefit of the four neighbouring dry districts of Churu, Nagaur, Jodhpur and Barmer."

उक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण का निर्माण सिंचाई की 110 प्रतिशत क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए डिजाइन किया गया था और इसलिए प्रथम चरण में सिंचाई की इन्टेंसिटी 110 प्रतिशत से 78 प्रतिशत किये जाने की अनुशंसा नहीं की जा सकती है, लेकिन जैसा कि नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने सुझाव दिया है कि द्वितीय स्टेज की सिंचाई की इन्टेंसिटी को 78 प्रतिशत करके उसमें बचे हुए पानी का उपयोग पड़ौस के जिले की लिफ्ट स्कीम को लाभान्वित किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

प्रथम चरण की सिंचाई की इन्टेंसिटी 110 प्रतिशत बनी हुई है और इस कारण राज्य सरकार के उक्त निर्णय के फलस्वरूप प्रथम चरण के फेज प्रथम एवं फेज द्वितीय के साभी काश्तकारों में हा–हाकार और रोष व्याप्त हो गया है। गत तीन वर्षों में कम वर्षा होने के कारण फोंग डैम व थिन डैम में पानी की मात्रा निरन्तर घटी है और राज्य सरकार इस बात से पूर्णतया वाकिफ है एवं इसी कारण से गत वर्ष काश्तकारों को 2 सप्ताह जगह तीन सप्ताह की सिचांई हेतु पानी की बारी मिली थी। इस वर्ष इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के समस्त सिंचिंत क्षेत्र को सिंचाई के पानी की मात्रा 3472 क्यूसेक की उपलब्ध होगी जो आकलन किये गये पानी का करीब चौथाई हिस्सा है। वर्ष 1987–88 में भी पानी की मात्रा में भयंकर कमी हुई थी और इसी प्रकार वर्ष 1993–94 में भी हुई और गत दो वर्षों से सिंचाई के पानी की कमी से पूरा क्षेत्र आर्थिक बर्बादी की कगार पर है।

प्रथम चरण के फेज प्रथम एवं फेज द्वितीय में वाटर अलाउंस को 5.23 क्यूसेक प्रति हजार एकड़ से कम करके 3.50 व 3.00 क्यूसेक किया जाना पूरे सिंचाई क्षेत्र के काश्तकारों के आर्थिक हितों के विपरीत है और वाटर अलाउंस घटाकर प्रथम फेज को हमेशा के लिए अकाल जैसी स्थितियों में धकेलने का व इनका पानी कम करके नये क्षेत्रों को लाभान्वित करने की योजना पूर्णतया अव्यवहारिक, अविवेकपूर्ण व अदूरदर्शी कदम है।

मैं विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये इस सदन के माध्यम से राज्य सरकार को निवेदन करता हूं कि उक्त निर्णय को जनहित में वापिस लेकर काश्तकारों को आर्थिक बर्बादी से बचाया जाये एवं उन्हें राहत पहुंचाई जावे।

---

## सिंधी कालोनी बर्फखाना रोड बनीपार्क, जयपुर स्थित सरकार द्वारा किराये पर दी गयी भूमि का लीज डीड के विरुद्ध बेचान

{डा. किरोड़ी लाल (बामनवास)}

महोदय,

राज्य सरकार ने सिंधी कालोनी बर्फखाना रोड बनीपार्क जयपुर में प्लाट नं. 1 से 6, 7857 वर्ग मीटर सरकारी जमीन 99 वर्ष के पट्टे पर अग्रवाल आइस फैक्ट्री को 250 वर्ग मीटर के हिसाब से किराये पर दी थी। लीज डीड उप सचिव नगरीय विकास व आवास विभाग के आदेश दिनांक 12.2.1990 के क्रम में निदेशक उद्योग विभाग द्वारा

सम्पादित की गई।

यह जमीन विशुद्ध रूप से सरकारी है एवं सरकार ने इसे अग्रवाल आइस फैक्ट्री को सशर्त दिया था जिसे लीज डीड में स्पष्ट रूप से दर्शित किया है कि फैक्ट्री का निर्माण लीज सम्पादित होने की तिथि से दो वर्ष में होना था, फैक्ट्री उद्देश्य के अलावा अन्य कोई रहवासी निर्माण नहीं होगा, भूमि को सब लेट व लीज विक्रय सरकार की अनुमति के बिना नहीं होगा। इस प्रकरण में न केवल लीज की शर्तों का ही उल्लंघन किया गया अपितु इस सरकारी जमीन को कपटपूर्वक षडयंत्र रचकर बेचान कर खुर्द–बुर्द कर दिया। इस जमीन को बेचने का षडयंत्र पूर्व से ही किया जा रहा था। इसी कारण दिनांक 25.4.2000 को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से विधान सभा में यह मामला उठाया गया था, जिसमें इस जमीन को एक गिरोह द्वारा खुर्द–बुर्द किये जाने की आशंका जाहिर की थी, किन्तु इस समय सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, इसे गंभीरता से नहीं लेने के कारण भूमाफिया के हौसले बुलन्द हो गये और 20 करोड़ रुपये की जमीन को बेचकर रुपया डकार गये। लीज डीड की शर्त 9 में यह स्पष्ट है कि लीज डीड की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर लीज डीड समाप्त कर दी जायेगी व लीजी को बेदखल कर दिया जायेगा।

अग्रवाल आइस फैक्ट्री में प्रारम्भ से भागीदार बदलते व रिटायर होते रहे हैं एवं अंत में कूटरचाना रचकर श्री भीमसेन गर्ग ने अन्य लोगों को रिटायर करते हुए अग्रवाल फैक्ट्री को स्वयं व अपने ही चहेतों की भागीदारी बहाल रखते हुए कब्जे में ले लिया।

श्री भीमसेन गर्ग ने बड़ी चालाकी से 14 व 19 जुलाई, 2000 को 18 प्लाटों का बेचान स्वयं पत्नी, भाई पुत्री व पुत्रों एवं नौकरों के नाम कर दिया व दर्शित प्राप्त राशि 1 करोड़ 88 लाख कर्नाटक बैंक एम.आई.रोड जयपुर शाखा में जमा करा दिया गया, बैंक में जैसे–जैसे रुपया जमा होता गया वैसे–वैसे श्री भीमसेन गर्ग के पुत्र रुपये को बैंक से निकालते गये किन्तु जब इस बात का पता उसके भागीदारों को चला व उन्होंने बैंक को राशि भुगतान पर रोक लिए लिखकर दिया तब तक शैलेन्द्र गर्ग करीबन पूरी राशि निकलवा चुके थे। जब श्री भीमसेन गर्ग को यह आभास हुआ कि भागीदारों को उनकी योजना का पता लग गया व भुगतान पर बैंक में रोक लगा दी है तो आनन फानन में दिनांक 5.9.2000 को 13 प्लाटों को बेचान कर दिया जिनमें 7 प्लाट भीमसेन गर्ग व उसके परिवार के नाम है, इतनी नकद राशि किसने व कब ली व यह राशि कहां जमा कराई गई व किस काम ली गई स्थिति बिलकुल स्पष्ट नहीं है।

इस षडयंत्र को लम्बे समय तक रचा गया। दिनांक 24.1.2000 को एक पावर आफ

अर्टानी की गई जो श्री भीमसेन गर्ग के नौकर विजय मेहता के पास में की गई। पावर आफ अर्टानी पर केवल श्री शैलेन्द्र गर्ग के हस्ताक्षर है अन्य किसी भी भागीदार के नहीं। इस कारण पावर आफ अर्टानी शून्य थी पेपर्स कूटरचित में पार्टनरशिप डीड के बिन्दू 16 में हेर फेर किया गया जो बिलकुल स्पष्ट रूप से दर्शित होता है। आश्चर्य की बात यह है कि यह डीड 24.1.2000 को हुई जबकि इसका खाता 21.1.2000 को ही खुल गया।

उक्त सरकारी जमीन को गलत तरीके से षडयंत्रपूर्वक बेचे जाने के विरुद्ध महानिरीक्षक पंजीयन, अतिरिक्त कलेक्टर (मुद्रांक) जयपुर व उप पंजीयक जयपुर II को 23.8.2000 को कार्यवाही रोकने के अलावा सचिव उद्योग, सचिव (यू.डी.एच.) व निदेशक उद्योग को 30.8.2000 को जमीन को खुर्द–बुर्द होने से बचाने के लिए लिखा गया। 18.8.2000 को सब रजिस्ट्रार–II को सरकारी जमीन का पंजीयन रोकने के लिए लिखा गया, किन्तु सब रजिस्ट्रार ने 26.8.2000 को कहा कि सम्पत्ति की जांच करने का काम सब रजिस्ट्रार का नहीं है।

संबंधित विभागों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने व भूमाफियाओं से मिल जाने के कारण इस बैशकीमती सरकारी जमीन में प्लाट काटकर बेच दिये। थाना बनीपार्क में उनके विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई गयी। चूंकि यह फर्जीवाड़ा कर सरकारी जमीन को बेचान किया है, जमीन को खुद–बुर्द कर रुपया भी हजम कर गये है। अतः लोकहित का मूल विषय होने के कारण मुझे नियम 295 के अन्तर्गत बोलने का मौका दिया जाये।

---

## नगौर जिले में अकाल राहत कार्य

{श्री मोहन लाल बारूपाल (जायल)}

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि हमारा नागौर जिला भयंकर अकाल की स्थिति में है। इसलिए मेरे क्षेत्र जायल में पशुओं के लिए चारा पानी अकाल राहत कार्य जल्दी से जल्दी खोलने की कृपा करावे। तीन साल से भयंकर अकाल की चपेट में है, गई साल भी बरसात नहीं हुई है। और नागौर जिले के आधे से ज्यादा पशु गई साल में मर चुके हैं, बाकी जो पशु हैं वे इस साल मरने वाले हैं। अब इस साल गरीबों के लिये मजदूरी जल्दी से जल्दी राहत कार्यो को शुरू करवा दिया जाये तो गरीबों की रोटी–रोजी का सवाल हल हो

जायेगा। तो अब मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अकाल राहत कार्य जल्दी चालू नहीं किये तो मामला खराब हो जायेगा।

अब गई साल में सरकार ने अकाल राहत कार्य चालू देरी से किया था। और हमारी तहसील में जायल में तालाब, नदी, बावड़ी बहुत खुदे थे पर अकाल राहत का कार्य देरी से चालू किया गया था।

मैं अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि इस वर्ष जल्दी से जल्दी चालू किया जाये। इससे गरीबों को राहत मिलेगी, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है।

---

## राशन की दुकानों पर आई.एस.आई. मार्का नमक की बिक्री

{श्री सांवर लाल (भिनाय)}

महोदय,

वर्तमान में राजस्थान में नमक उत्पादन के क्षेत्र में हजारों लघु इकाइयों तथा लाखों मजदूर संलग्न है। राज्य में प्रतिवर्ष 30 लाख टन (मैट्रीक टन) नमक का उत्पादन होता है। यह नमक राज्य के अतिरिक्त देश के कई राज्यों में जाता है। राजस्थान में पैदा होने वाला नमक चूंकि झील व भूमिगत जल से निर्मित होता है। इसलिए समुद्री जल से निर्मित नमक की तुलना में स्वच्छ एवं स्वादिष्ट होता है। विगत माह देश में सस्ते अनाज की दुकानों पर सर्वप्रिय योजना केन्द्र सरकार ने लागू की जिसके तहत जिन वस्तुओं की बिक्री प्रारम्भ हुई, उसमें सर्वप्रिय नमक ही आई.एस.आई का मार्का वाला है। इस योजना के आने से पूर्व सर्वप्रिय नमक के उत्पादकों ने इस ब्राण्ड को बाजार में चलाने के बहुतेरे प्रयास किये लेकिन राज्य में नमक की बहुतायता होने के साथ श्रेष्ठ क्वालिटी व सस्ती दरों पर उपलब्धता होने के कारण सफल नहीं हो सके।

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दिल्ली जैसे प्रदेश ने सिविल सप्लाई के लिए आमंत्रित निविदाओं में भी आई.एस.आई. मार्का की शर्त नहीं रखी व साढ़े तीन लाख किलो नमक खरीदा तथा गुजरात में भी यही स्थिति है। ऐसे में राज्य में इस योजना की आड़ में लागू आई.एस.आई. नमक की बिक्री एक बड़ा षडयंत्र है। जिसके चलते राज्य में लाखों मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। हजारों लघु इकाइयों बंद हो रही है। सहकारी संस्थाओं का मुनाफा कम हुआ तथा सरकार को कर में कमी हुई। वित्तीय संस्थाओं, बैंकों के ऋणों की

अदायगी अटकी है तथा करोड़ों रुपया व्यापारियों का अटका पड़ा है। इसका कुप्रभाव नमक उत्पादक क्षेत्रों जयपुर के सांभर, नागौर के नावां, डीडवाना तथा जोधपुर के फलौदी, चूरू से सुजानगढ़ आदि क्षेत्रों में देखा जा सकता है।

ऐसे लोक महत्व के विषय पर राज्य सरकार से विशेष उल्लेख प्रस्ताव द्वारा सदन में चर्चा की अनुमति चाहता हूं।

---

## श्री फतेह सिंह राठौड़ की अनूपगढ़ (गंगानगर) व माधोसिंहपुरा (सवाईमाधोपुर) की भूमियों का विनियम प्रकरण

{श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा)}

मान्यवर,

यह है कि भूमि खसरा नं. 58/1 रकवा, 51 बीघा, 8 बिस्वा व 58/2 रकवा, 1 बीघा, 2 विस्वा में से 42 बीघा भूमि ग्राम माधोसिंहपुरा तहसील जिला सवाईमाधोपुर में 31 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को दिनांक 30.7.1974 को आवंटन हुई थी किन्तु श्री फतेहसिंह राठौड़ तत्कालीन क्षेत्रीय निदेशक बाघ परियोजना सवाईमाधोपुर के विभागीय आवेदन एफ (डी.पी.आर.) सवाईमाधोपुर गिरिलनिमस/2X12/610 दिनांक 7.8.1974 के आधार पर जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर में दिनांक 24.2.1975 को आवंटन निरस्त कर दिया। श्री फतहसिंह के आवेदन में यह था कि बाघ परियोजना से 2 किलोमीटर की परिधि में यह भूमि आती है जो आवंटन निरस्त करने योग्य है। जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के फैसले के विरुद्ध अनुसूचित जाति के 31 व्यक्तियों की ओर से दो व्यक्तियों ने हाईकोर्ट जयपुर में एक रिट दायर की और सन् 1993 में हाईकोर्ट ने कलेक्टर सवाईमाधोपुर के आदेश को अनुचित मानते हुए निरस्त कर दिया।

यह है कि श्री फतहसिंह ने दिनांक 26.8.1981 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 48, 49 के अधीन अति, जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को आवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम चक एस.बी.बी. तहसील अनूपगढ़ (गंगानगर) में खसरा नं. 123/351, 117/354 रकवा 49 बीघा भूमि मेरी स्वयं की खातेदारी बताते हुए उसको सरकार के पक्ष में समर्पित कर रहा हूं और सरकार इस भूमि के बदले में मुझे ग्राम माधोसिंहपुरा (सवाईमाधोपुर) में खसरा नं. 58 में से 49 बीघा भूमि मुझे विनियम में दे दें। उक्त पत्र

अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर में जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को भेज दिया जिसे उन्होंने राजस्व ग्रप–III सचिवालय जयपुर को भेज दिया। उस पर उप शासन सचिव राजस्व ने दिनांक 6.12.1982 को जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को विनियम को स्वीकृत करके इस शर्त के साथ दिया कि यदि अनूपगढ़ तहसील को समस्त भूमि को श्री फतहसिंह राज्य सरकार को समर्पित कर दें तो विनियम स्वीकार किया जा सकता है।

इस पर जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर ने राज्य सरकार के परामर्श की आज्ञा आठ में गैर जिम्मेदाराना रोल अदा किया कि माधोसिंहपुरा (सवाईमाधोपुर) की 49 बीधा भूमि में तो श्री फतहसिंह को खातेदार घोषित कर दिया और नामान्तरकरण श्री फतहसिंह राठौड़ के नाम खोल दिया किन्तु अनूपगढ़ की भूमि का जब कब्जा लेने गये तो यह ध्यान में आया कि श्री फतहसिंह के कब्जे काश्त में कोई भूमि ही नहीं है। तब दिनांक 25.1.1983 को 6.12.1982 का आदेश उप शासन सचिव राजस्व ने निरस्त कर दिया और दिनांक 11.2.1983 को तहसीलदार सवाईमाधोपुर ने माधोसिंहपुरा की भूमि का कब्जा श्री फतहसिंह से वापस से लिया और भूमि को पुनः सिवाय चक अंकित कर दिया जिसका नामान्तकरण संख्या 63 है।

इसके उपरान्त श्री फतहसिंह ने माधोसिंहपुरा की भूमि पर स्वयं का कब्जा बताते हुये एक रिट राजस्थान उच्च न्यायालय में लगा दी जिसमें 24.12.1983 को स्थगन आदेश जिला कलेक्टर स.मा. को दिया गया। इस रिट का निर्णय 19.10.1993 को हुआ जिसमें श्री फतहसिंह ने इस भूमि पर 19 वर्ग की खातेदारी बताई जिस पर हाई कोर्ट ने सरकार को पुनः सुनवाई का मौका देकर निर्णय करने को कहा। हाईकोर्ट में सरकार ने कोई जवाब पेश नहीं किया जिसके लिये प्रभारी अधिकारी की अकर्मण्यता व उदासीनता का कारण रहा।

इस पर श्री फतहसिंह ने हाईकोर्ट की खण्डपीठ में अपील में चले गये। इस पर सरकार ने जवाब तैयार किया किन्तु न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये। जवाब पत्रावली में उपलब्ध ज़िसको सदन के पटल पर रखे जाने से स्थिति सामने आ सकती है, सरकार के जवाब के अनुसार ही पूरा प्रकरण फर्जी है। इस फर्जीवाले के लिए सरकार ने श्री फतहसिंह के विरुद्ध पुलिस थाना सवाईमाधोपुर में धारा 420, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने अनुसंधान में फर्जीवाड़ा पाया तब भी 6 वर्ष बाद चालान पेश हुआ जिसमें विलम्ब करने के लिए गृह विभाग सचिवालय के अधिकारी दोषी रहे।

इसी बीच जिला गंगानगर कलेक्टर ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 13 ए उपनिवेशन अधिनियम के अंतर्गत अपना फैसला दिनांक 30.8.1999 को सुना दिया, जिसमें श्री फतहसिंह पुत्र सगत सिंह को अनूपगढ़ भूमि का खातेदार नहीं माना। ऐसी स्थिति में माधोसिंहपुरा जिला सवाईमाधोपुर ने बदले भूमि लेकर सरकार के साथ धोखाधड़ी की है, और तो और इस भूमि को अभी 90 लाख रुपये में एक होटल समूह को बेचान कर दिया, जिस पर स्टाम्प ड्यूटी भी नहीं दी गई है और अवैध निर्माण शुरू हो गया है।

ऐसा प्रतीत होता है कि यह सारी कार्यवाही सवाईमाधोपुर जिला कलेक्टर कार्यालय में ग्रुप हुए है और राज्य सरकार के समय–समय पर दिए गए आदेशों की पालना नहीं की गई है। यहां तक कि जो राज्य सरकार ने आदेश दिए थे कि पहले अनूपगढ़ भूमि की खातेदारी की जांच करने व एक "अण्डर टेकिंग (फतेहसिंह) से कि अनूपगढ़ की भूमि उनकी खातेदारी में है और कोई नहीं है। पर ऐसा कुछ नहीं किया और राजस्व विभाग को आवंटन करने के लिए लिख दिया।

यह एक गंभीर मामला है और एक व्यक्ति विशेष को दो करोड़ों रुपये का लाभ पहुंचाने के लिए क्योंकि यह व्यक्ति राज्य सरकार व केन्द्रीय नेता के नजदीक है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही। मेरा राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस मामले की जांच कराई जाये और जब तक जो पूर्व राजस्व मंत्रीजी ने जो 20.12.1997 को आदेश दिए है उन्हें रोका जावे व यहां होटल समूह द्वारा जो तामीर इत्यादि की कार्यवाही को रोका जावे।

अतः मैं नियमों के नियम 295 के तहत राजस्व मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हुआ इसे प्रस्तुत कर रहा हूं।

---

## लाडपुरा तहसील के पठारी इलाके में पशुओं हेतु पेयजल की व्यवस्था

{श्रीमती पूनम गोयल (लाडपुरा)}

महोदय,

मेरे क्षेत्र में लाडपुरा तहसील की 16 ग्राम पंचायतें हैं जो पूर्णतया असिंचित पठारी क्षेत्र है जहां प्रर दुधारू पशुओं की बहुतायत है। एक परिवार में औसतन 100–125 पशु हैं जिन्हें पीने के पानी का एक मात्र साधन गांव का हैण्ड पम्प होता है। पारम्परिक स्रोत कुएं बावड़ी तालाब, आदि जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है और बरसात नहीं होने से उनमें पानी भी

पर्याप्त नहीं है और भराव क्षमता लगातार कम हो जाने के कारण मार्च के महीन से पूर्व ही उनका पानी खतम हो जाता है। क्योंकि खेती भी तालाब के माध्यम से की जा सकती है। लगातार बरसात कम होने से पानी 125–150 फीट नीचे चला गया है। इस वर्ष जून से 15 सितम्बर, 2000 तक 650 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई है जो औसत से 50 मिलीमीटर कम है जिससे भूमिगत जल में कोई सुधार नहीं हुआ है। अधिकांश हैण्ड पम्प पानी नीचे चले जाने के कारण खराब हो गये हैं और पानी की दिक्कत अभी से आनी शुरू हो गयी है।

अतः आप से निवेदन है कि ग्रामवासियों तथा पशुधन के लिए पानी की समुचित व्यवस्था के उपाय अभी से दिये जाने आवश्यक है। स्थायी व्यवस्था वहां पर करने हेतु कोई योजना बनायी जाय तथा कुएं, बावड़ी, तालाबों का जीर्णाद्धार इस अकाल राहत से गांवों में प्राथमिकता से कराया जाय। साथ ही वर्षा का पानी रोकने के लिए जगह–जगह एनीकट बनाये जाये ताकि पानी का लेवल ऊंचा हो, उससे पानी की समस्या का स्थायी समाधान किया जाय ताकि करोड़ों रुपया जो अस्थायी व्यवस्था जैसे टैंकरों आदि से करनी पड़ती है पर व्यर्थ न जाय।

आशा है, वहां पर मंत्री महोदय इस ओर विशेष ध्यान देंगे।

---

## करौली वन संरक्षक द्वारा खनन पट्टों के नवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने में विलम्ब

{श्री दुर्गाप्रसाद (गंगापुर)}

महोदय,

फोरेस्ट (कंजरवेशन) एक्ट 1980 एवं उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 12/12/1996 के अंर्तगत वन सीमा में किसी भी खनिज के खनन पट्टे को खनिज विभाग द्वारा स्वीकृत अथवा नवीनीकरण नहीं किया जा सकता।

अतः अब नये खनन पट्टे अथवा पुराने का नवीनीकरण केवल वन सीमा से बाहर ही आवेदित व स्वीकृत किया जा सकता है।

खनिज विभाग के अधिकारी खनन पट्टा स्वीकृत करने से पहले संबंधित उप वन

संरक्षक से पुष्टि करते हैं कि अमुक भूमि जिसके लिये खनन पट्टे का आवेदन अथवा नवीनीकरण मांगा गया है, वन सीमा से बाहर है अथवा नहीं यदि वन सीमा से बाहर है तो अनापत्ति पत्र दिया जाये।

पर दुःख है कि इस सूचना को देने में भी वन विभाग के अधिकारी महीनों लगा देते हैं जबकि यह सूचना तुरन्त दी जा सकती है। क्योंकि वन विभाग के पास अपने वन क्षेत्र के नक्शें होते हैं जिनको देखकर तुरन्त पता लग जाता है कि अमूक भूमि का नक्शा जिसके खनन पट्टे से संबंधित सूचना मांगी गई है वन भूमि में है अथवा नहीं। श्रीमान् वन संरक्षक करौली इस विषय में भारी मनमानी कर रहे हैं।

माइनिंग इंजीनियर करौली की बहुत–सी पत्रावली उनके पास इस सूचना को प्राप्त करने के लिये पड़ी हैं जिनका वे निपटारा न कर मनमाने तौर से टिप्पणियां व जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। मैं इस सदन से वन मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की लाल फीताशही के खिलाफ उचित कदम उठावे ताकि इस प्रदेश में उद्योग धन्धे विकसित हो सके और क्षेत्र आर्थिक रूप से विकसित हो सके। धन्यवाद।

---

## जयपुर स्थित नेमीसागर कालोनी के जैन मन्दिर तक बनी सड़क का डामरीकरण

{श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर)}

मान्यवर,

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत मेरा माननीय नगरीय विकास एवं आवासन मंत्रीजी से निवेदन है कि जयपुर शहर के पाश एरिया वैशाली नगर के नजदीक तोपखाना देश गृह निर्माण सहकारी समिति की आवासीय योजना नेमीसागर कालोनी अवस्थित है जो एक ओर हनुमान नगर, वैशाली नगर तथा दूसरी ओर क्वीन्स रोड से जुड़ी हुई है। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इस कालोनी का नियमन शिविर लगाया जाना विचाराधीन है परन्तु इस आवासीय योजना के भू–खण्डधारियों द्वारा लगभग 30 लाख रुपये से अधिक की राशि विकास शुल्क के पेटे जे.डी.ए. में जमा करवाई जा चुकी है और इसी आधार पर जे.डी.ए. द्वारा इस नेमीसागर

कालोनी में कुछ सड़कों का निर्माण एवं डामरीकरण कार्य करवाया गया है।

मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इस कालोनी में एक भव्य जैन मंदिर स्थित है जहां प्रतिदिन श्रद्धालुगण दर्शनार्थ आते हैं। यह मंदिर जे.डी.ए. के 80 फीटे मार्ग वैशाली मार्ग से जुड़ने वाले रास्ते पर ही अवस्थित है और उक्त रास्ते पर डबल लेयर की मोरम सड़क भी बनी हुई है, सिर्फ डामरीकरण की आवश्यकता है ताकि आने–जाने वाले दर्शनार्थियों एवं कालोनी में रहने वालों को सुविधा हो सके। अतः मेरा माननीय नगरीय विकास मंत्रीजी से पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि यह बहुत कम लागत का कार्य है और जनभावनाओं से जुड़ा हुआ है। अतः वैशाली मार्ग से जैन मन्दिर के सामने की सड़क पर तुरन्त डामरीकरण के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय नगरीय विकास मंत्रीजी मेरी इस प्रार्थना पर गौर करके अविलम्ब इस सड़क के आदेश जारी करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, जयहिन्द।

---

## नोहर विधान सभा क्षेत्र के कतिपय इलाकों में सिंचाई एवं पेयजल समस्या

{श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर)}

महोदय,

जैसा कि विधान सभा क्षेत्र नोहर शत प्रतिशत भयंकर अकाल की चपेट में होने से वहां जीवन अत्यंत दुर्भर है, चूंकि इस समस्या के साथ इस क्षेत्र में पेयजल की गम्भीर समस्या गत कई वर्षों से लगातार जारी है यथा ग्राम दीपलाना, व भावलदेसर में पेयजल हेतु खारे पानी के कुओं से सप्लाई हो रही है अगर सरकार इस दिशा में उचित कदम उठाकर मीठे जल के कुओं पर विद्युत मीटर लगाकर वाटर सप्लाई करे तो इस गांव के साथ–साथ निकटतम कई गांवों में पेयजल का स्थाई समाधान सम्भव है। ग्राम ललाना में गत कई वर्षों से पेयजल की गम्भीर समस्या से जूझ रहा है। गांव में मीठे पानी का स्रोत नहीं हो पाने के कारण समस्या अति भयंकर हैं, ऊंट के मुंह में जीरा के समान वहां वाटर वर्क्स से पेयजल सप्लाई होता है।

अतः ललाना जो तीन पंचायतों का गांव है वहां पेयजल का स्थाई समाधान कर योजना बनाई जावे वरना त्राहि–त्राहि मच जायेगी। पल्लू क्षेत्र के कई गांवों में जहां जर्मन स्कीम का पानी नहीं पहुंचा है वहां टैंकरों से पानी भेजा जाता है वहां हालात बूरे हैं। अतः पल्लू क्षेत्र के सात गांव जो अभावग्रस्त हैं में पानी का स्थाई समाधान करना नितांत आवश्यक है। ग्राम जनानियां, राजपुरीया, किंकराली, बडबिराना, सोनडी, दुर्जाना, मेंघाना भिलकी, बरवाली, उदासर, मन्दरपुरा, रतनपुरा, सहित नोहर क्षेत्र के कई गांवों में पेयजल की अति. विकट समस्या रहती है। अतः समय रहते इस क्षेत्र में पेयजल का स्थाई समाधान अति आवश्यक है वरना अकाल में पशुओं का तो क्या मानव जाति का जीवन मुंश्किल हो जायेगा। चूंकि बार–बार राज्य सरकार से मांग करने के उपरान्त भी वाटर वर्क्स के पाइप व अन्य जरूरती सामग्री नोहर व पूरे हनुमानगढ़ जिले को नहीं दी जा रही है जो पेयजल समस्या में एक महत्वपूर्ण बिन्दु है। इंस क्षेत्र में सौतेले व्यवहार से 2 वर्षो से सारा कार्य बाधित पड़ा है। अतः अविलम्ब पाइप भेजे जावे। साहवा लिफ्ट कैनाल का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने तथा खुईयां, मंदरपुरा, निमला माइनरों में मिट्टी को किसानों द्वारा निकाल दिये जाने पर भी अभी तक सिंचाई कि सुविधा संबंधित अधिकारियों के आश्वासन के बावजूद नहीं दी जा रही है। अतः अकाल की विभिषिका को मध्यनजर रखते हुये उक्त कैनाल का पानी सिंचाई स्वं पेयजल हेतु क्षेत्र में दिया जावे तो उचित होगा। लेकिन अभी तक बार–बार मांग करने के उपरान्त भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

अमर सिंह ब्रांच भाखड़ा नहर में सिल्ट नहीं निकाल पाने के कारण सिंचाई का पानी टैलों पर नहीं पहुंच पाता। इस गम्भीर समस्या का समाधान सिल्ट निकाल कर किसानों को सिंचाई सुविधा मुहैया कराई जावे तो पेयजल और अकाल में अति महत्वपूर्ण होगा। सिद्धमुख नहर परियोजना का निर्माण कार्य हरियाणा में धीमी गति से चल रहा है उसमें तेजी लाई जाये एवं निर्माण कार्य में धटिया सामग्री के उपयोग को बंद किया जावे तथा सरकार की उचित देखरेख में इस नहर का निर्माण जल्द से जल्द करवाया जावे तो किसानों को लाभ मिल पायेगा।

अतः सरकार से निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र नोहर में पेयजल व सिंचाई की गम्भीर समस्या का समय रहते उचित समाधान कर कृतार्थ करे।

---

## खारची के अरावली पहाड़ी क्षेत्र में बसे लोगों के कल्याण हेतु अकाल राहत के तहत विशेष कार्यक्रम

{श्री केसाराम चौधरी (खरची)}

महोदय,

विधान सभा क्षेत्र खारची के अंतर्गत ग्राम पंचायत बोरीमादा, सारण, सिरीयारी, फलाब, जोजावर, सांसरी, कोटसोलिकियान एवं ममरतालब तथा बग्रोंलकी ग्रामीण लोगों की खेती की जोत छोटी है साथ ही पहाड़ों में पानी भी नहीं है इसलिए इन क्षेत्रों में मजदूरी की अभी से ही समस्या बनी हुई है। गरीब तबके के लोग इन क्षेत्रों में निवास करते हैं इसलिए उनको तत्काल रोजगार देना अति आवश्यक हो गया है वरना मजदूरी के अभाव से लोग पलायन को मजबूर हो जायेंगे। अकाल राहत कार्यक्रम के तहत उक्त क्षेत्र में जिन गावों में आने जाने के रास्ते बिलकुल नहीं है उन क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम के तहत ग्रेवल सड़कों का निर्माण करवाया जावे। गत वर्ष के अकाल राहत कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर अविलम्ब पूर्ण करवाया जावे तथा पीने के पानी व सिंचाई सुविधा हेतु एनीकट, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के कार्य हाथ में लिये जावे ताकि पीने के पानी की समस्या से निजात मिल सके, साथ ही सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध हो सके।

एनीकट एवं वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के लिए उपयुक्त स्थान जहां पर इनका निर्माण कराया जा सकता है। साथ ही क्षेत्र के क्षतिग्रस्त एनीकटों एवं वाटर हार्वेस्टिंग की भी मरम्मत करवाई जानी चाहिए। इन कार्यो से क्षेत्र का जल स्तर भी ऊंचा होगा साथ ही जनता के जीवन स्तर में भी सुधार आयेगा।

उपरोक्त क्षेत्रों की गंभीर समस्याओं को मध्यनजर रखते हुए साथ ही लोगों को भुखमरी से बचाने हेतु अकाल राहत के तहत विशेष कार्यक्रम तैयार कर तत्काल कार्य प्रारम्भ कराये जाये एवं गरीब लोगों को रोजगार मुहैया करवाये अन्यथा उन गरीब और असहाय लोगों को पलायन के अलावा और कोई रास्ता चुनना संभव नहीं होगा। सब तरफ हा–हाकार मचा हुआ है। अतः इस ओर मैं माननीय अकाल राहत मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

---

## बालोतरा के सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय के नवनिर्मित भवन में स्थानान्तरण में विलम्ब

{श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)}

मान्यवर,

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया नियम 295 के अंतर्गत उल्लेख करना चाहता हूं कि बालोतरा शहर में एक अति सुन्दर और विशाल सीनियर हायर सैकेण्डरी स्कूल का नया भवन निर्मित हुए करीब छह माह से अधिक समय हो गया है। महज उसमें बिजली के पंखें लगाने शेष है जबकि पंखें खरीदे हुए हैं। प्रशासन को बार–बार जनता द्वारा और बालोतरा के भामासाओं द्वारा निवेदन किया गया कि पुराने भवन से शीघ्र ही नव निर्मित सीनियर हायर सैकण्डरी (छात्र) के भवन में छात्रों को वहां शिफ्ट किया जावे। लेकिन कभी तक ऐसा नहीं किया गया जिसके कारण भामासाओं में बड़ा असंतोष है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पुराने भवन में आलट्रेशन कराना है क्योंकि अनुबन्ध के आधार पर पुराना भवन महिला कालेज के लिए दिया गया था। लेकिन विलम्ब होने के कारण दिनों–दिन कन्स्ट्रक्शन की कोस्ट बढ़ रही है। इसके अलावा वर्तमान महिला कालेज जो सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल (बालिका) में चल रहा है। उसके कारण भी वहां हायर सैकण्डरी की छात्राओं के लिए उनके बैठने में कठिनाई हो रही है क्योंकि महाविद्यालय और छात्राओं की हायर सैकण्डरी स्कूल एक ही परिवार में चल रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को सीनियर हायर सैकण्डरी (छात्र) बालोतरा को नवनिर्मित भवन में शिफ्ट करने के निर्देश दिलाने की कृपा करायें। धन्यवाद।

---

## कोटा के सोफिया स्कूल की स्मारिका में खण्डित भारतीय मानचित्र तथा बूंदी में विरूपित भारतीय नक्शे का प्रकाशन

{श्री मदन दिलावर (अटरू)}

महोदय,

कोटा नगर के वल्लभनगर में स्थित सोफिया स्कूल की स्मारिका एम्बोसिया 1999 व

2000 में भारत के नक्शे को खंडित कर दिखाया गया है जिसमें कश्मीर के भाग को नहीं दिखाकर भारत का अपमान किया है। लगातार दो वर्षों तक इस प्रकार के विकृत नक्शें छापना ईसाई मिशनरियों की सोची समझी चाल है। प्रशासन को चाहिए था कि इसकी जानकारी मिलते ही राष्ट्रद्रोह व धारा–2 राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम व धारा 13 विधिकृत क्रिया कलाप अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर तुरन्त षडयंत्रकारियों को जेल की सलाखों में ठुस देना चाहिए था ताकि कोई भी राष्ट्र का अपमान न कर सकें, परन्तु इन इकाई मिशनरियों के गौरख धंधों से बड़ी रिश्वत के बल पर पुलिस प्रशासन प्रभावित था इसी कारण विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता प्रताप सिंह तोमर व ललित किशोर शर्मा जब 1 अप्रेल, 2000 को उक्त प्रकरण के संबंध में एफ.आई.आर. दर्ज कराने गये तो पुलिस प्रशासन ने एफ.आई.आर. दर्ज करने से मना कर दिया उसके बाद 3 अप्रेल, 2000 को डी.आई.जी. पुलिस, कोटा को इस संबंध में प्रार्थना–पत्र देकर निवेदन किया गया था परन्तु आकंठ रूप से भ्रष्टाचार में डूबे पुलिस प्रशासन ने इसको भी नजरअंदाज कर दिया। दो–तीन दिन बाद कोटा का माहौल तनावपूर्ण हो गया और सारे राष्ट्र संगठनों ने जिसमें विद्यार्थी परिषद, बजरंग दल, विश्व हिन्दू परिषद तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सहित कई राष्ट्र प्रेमियों ने जब किशोरपुरा थाने पर दो घण्टे तक धरना दिया तथा उग्र आन्दोलन छोड़ने की धमकी दी तब जाकर निकम्मे पुलिस कर्मियों ने एफ.आई.आर. दर्ज की परन्तु यह पुलिस प्रशासन ईसाई मिशनरियों के सामने नतमस्तक तथा इस सरकार का ईसाई मिशनरियों एवं पुलिस को संरक्षण होने के कारण उन राष्ट्र विरोधियों का आज तक कुछ नहीं बिगाड़ पाये और आज भी वे राष्ट्र विरोधी व्यक्ति खुले आम घुम रहे हैं। जबकि इसी प्रकार का मामला बूंदी में भारत के नक्शे को विरूपित कर रेगजीन पर छापने के कारण ध्यान में लाने पर बूंदी पुलिस ने बड़ी तत्परता के साथ संबंधित रेगजीन बेचने वाले को तुरन्त गिरफ्तार कर आगे छान–बिन प्रारम्भ की और स्वतः ही पुलिस ने एफ.आई.आर. दर्ज की थी, क्योंकि रेगजीन पर छपा नक्शा बेचने वाला साधारण व्यक्ति था ना तो उसे ईसाई मिशनरियों का संरक्षण प्राप्त था और ना ही पुलिस का संरक्षण प्राप्त था। इसलिए मैं बूंदी पुलिस का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, परन्तु एक ही डी.आई.जी. पुलिस के क्षेत्र में एक तरफ के मामले होने पर अलग–अलग तरह की कार्यवाही करना जबरदस्त संदेह पैदा करता है। निश्चित रूप से जिन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल षडयंत्रकारियों को बचाने में सरकार का दबाव मानना उसकी मजबूरी हो गई है।

यह मामला काफी लोक महत्व का है। अतः मैं माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

---

## बारां जिले की क्षतिग्रस्त सड़कें

{श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा)}

महोदय,

बारां जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग को छोड़कर सम्पूर्ण जिले की सड़के बहुत ही खराब स्थिति में है। जिसमें विधान सभा क्षेत्र छबड़ा, छीपाबड़ोद की सड़के तो बहुत ही ज्यादा खराब है। बारां से वाया छीपाबड़ोद, हरनाब्रड़ा शाहजी, मनोहर थाना रोड बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे जिले में यह एक मात्र रोड है जो बरसात के दिनों में भी चालू रहती है। इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। इस सड़क पर बड़े–बड़े गड्ढ़े हो गए हैं तथा सड़के कटी हुई है।

इसी प्रकार छबड़ा–कुभीराज, छबड़ा–धरनावद, छबड़ा–सालपुरा, छबड़ा–छीपाबडोद, छीपाबड़ोद–सालपुरा, छीपाबड़ोद–सकलेरा, हरनावदा–कलनोरिया, सड़के भी उसो क्षेत्र की अति महत्वपूर्ण सड़के हैं। इन सड़कों का जुड़ाव राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 एवं 3 से होने के कारण इन पर यातायात का दबाव भी काफी है। इन सभी सड़क मार्गो की स्थिति बहुत खराब है। भयंकर गड्ढ़े से डामर की पक्की सड़क तो कहीं नजर ही नहीं आयेगी। इसी प्रकार छबड़ा छीपाबड़ोद से बारां 65 किलोमीटर दूरी तय करने में जहां आज से तीन वर्ष पहले मात्र डेढ़ घंटा लगता था आज की स्थिति में यह दूरी तय करने में साढ़े तीन से चार घंटे लगते हैं। यह सड़के स्टेट हाइवे होने के बावजूद भी डेढ़ की जगह चार घंटे लग जाते हैं। यह सड़के पूर्णतया नष्ट हो चुकी हैं। पिछले 2–3 वर्षो से सड़क पर किसी प्रकार की मरम्मत नहीं होने की वजह से इन सड़कों की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है इन सड़कों की जनहित में शीघ्र पेच रिपेयर करवाकर यातायात के लिए बनाया जाये।

इसी प्रकार कस्बा छीपाबड़ोद की सड़क एवं छबड़ा कस्बे की सड़के भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हैं। छीपाबड़ोद में तो बरसात के दिनों में पैदल चलना तक दुस्वार हो जाता है। उस सड़क के निर्माण बाबत सांसद व विधायक कोष से 21 लाख रुपये आवंटित किये जाने के बाद भी कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है ना ही टेंडर लगे है यही हाल दूसरे और कार्य जो सांसद व विधायक फंड से सार्वजनिक निर्माण विभाग को आवंटित किये गये है उनका है। ठेकेदारों का समय पर पेमेंट नहीं होने एवं कार्य पूरा होने के उपरान्त समय पर चैकिंग नहीं होने की वजह से ठेकेदार बारां जिले में कार्य करने से कतराते हैं। यह विभागीय

लापरवाही के कारण है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में बारां जिले में विकास का कार्य अवरुद्ध हो जायेगा।

अतः मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से मांग करता हूं कि जनहित में इन समस्याओं का शीघ्र निराकरण करवाने का श्रम करें।

---

## आवास विकास संस्थान के ठेकेदारों का बकाया भुगतान

{मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)}

महोदय,

राज्य में आवास विकास संस्थान बन्द कर दिया गया है। इसके अभियन्ता व कर्मचारियों को तो दूसरे विभागों में समायोजित किया जा रहा है।

आवास विकास संस्थान द्वारा बनवाये गये भवन व निर्मित विभिन्न परिसम्पत्तियों के निर्माताओं (ठेकेदारों) का क्या कसूर है कि उनका करोड़ों रुपया काफी समय से बकाया चला आ रहा है।

आवासन विभाग द्वारा उन सम्पत्तियों को सम्भाल कर ठेकेदारों, श्रमिकों को भुगतान नहीं करने से सैकड़ों परिवार आर्थिक मुसीबत में फंसे हुए है तथा उनमें भारी असंतोष व्याप्त है।

अतः मैं विशेष उल्लेख के जरिये माननीय आवासन मंत्रीजी व सदन का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि बकाया राशि का शीघ्र भुगतान कराने का श्रम करें।

---

## बाड़ी निर्वाचन क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कें

{श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी)}

महोदय,

मेरे निर्वाचन क्षेत्र बाड़ी जिला धौलपुर में सड़कों की बहुत ही दयनीय स्थिति है। मेरे

क्षेत्र की मुख्य सड़क 8 मील से बरपुरा, रजईकला से तसईडोग वाया नगर एवं वन विहार से सरमधुरा वाया सोने की मुरिया की हालात बहुत ही जर्जर है। यातायात की काफी अव्यवस्था है। पूरा क्षेत्र डाग एरिया है यह दस्युओं से प्रभावित इलाका है। एस.सी., एस.टी. एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 80 प्रतिशत से भी ज्यादा है। सड़कों की हालात खराब होने के कारण वाहन ठीक तरह से आ जा सकते नहीं है तथा जहां ठीक सड़क पर वाहन को आधा घंटा उस दूरी को पार करने में लगता है वहां अब उन सड़कों पर दो–दो घंटे लगते है तथा अच्छे वाहन खराब होने के कारण उन सड़कों पर नहीं जाते बल्कि अत्यन्त खटारा वाहन उन रास्तों पर जाते हैं और इन खराब सड़कों के होने से डीजल, पैट्रोल, अधिक बर्बाद होता है तथा महत्वपूर्ण समय की बर्बादी भी होती है। मेरे क्षेत्र की सड़कों की हालत बिहार की सड़कों से भी ज्यादा खराब है। वाहन का आदमी एक बार आ गये तो दुबारा नहीं आयेगा। इस क्षेत्र में डकैती डालकर भाग जाये तो यह सड़कें पुलिस को आगे शीघ्रता से बढ़ने नहीं देती है। अतः पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि शीघ्र सड़कों की मरम्मत कराई जाये।

---

## कारगिल में शहीद सैनिक के माता-पिता को राज्य सरकार द्वारा सहायता

{डा. करण सिंह यादव (बहरोड)}

महोदय,

1. राजस्थान सरकार ने कारगिल युद्ध में शहीद सैनिक के परिजनों हे एक अच्छा पैकेज दिया है, जिनकी सर्वत्र प्रशंसा है। इसके अंतर्गत शहीद की विधवा को एक्सग्रेसिया 5 लाख रुपये नगद/ 25 बीघा सिंचित जमीन/शहरी क्षेत्र में मकान के अलावा शहीद के परिवार में एक को नौकरी, रोडवेज पास, निःशुल्क शिक्षा, चिकित्सा सुविधा, प्राथमिकता के आधार पर कुओं पर विद्युत कनेक्शन आदि सुविधाएं सम्मिलित है।

2. कई मामलों में देखा गया है कि जहां शहीद सैनिक का विवाह हुए छह माह भी नहीं हुए हो शहीद की पत्नी अपने पीहर चली जाती है। मेरे क्षेत्र बहरोड के गांव उटोली के शहीद सतीश कुमार की शहीद के बुजुर्ग माता–पिता जिन्होंने 20 साल तक पालपोस कर बड़ा किया, उनके सहारे के लिए कोई साधन नहीं रह जाता है।

अतः मेरा आपसे निवेदन है कि राज्य सरकार इन सुविधाओं को भी केन्द्र सरकार के अनुरूप सैनिक की विधवा व उसकी माता के बीच में आधा–आधा बांटे। कृषि कनेक्शन शहीद के पिता को उसके कुएं पर प्राथमिकता से दें। केन्द्र सरकार के अलावा पड़ौस के हरियाणा व पंजाब में राज्य सरकार ऐसे मामलों में सैनिक की मां व पत्नी के बीच आधा–आधा बंटवारा करती है।

मेरी प्रार्थना है कि अपने राज्य में भी ऐसे मामलों में निर्णय ले, जिससे शहीद सतीश कुमार के माता–पिता अपना गुज़ारा कर सके।